



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257697
CG-DL-E-04102024-257697

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762]
No. 762]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASHVIN 5, 1946

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद के अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

फा. सं. 1-सीए(5)/75/2024.—चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

75वीं वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 2023-24 आईसीएआई और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वृत्ति के इतिहास में एक मील का पत्थर है क्योंकि इसी वर्ष से हमारी सम्मानित वृत्ति ने 75 वर्षों के विश्वास और उत्कृष्टता की परंपरा का जश्न मनाना आरंभ किया है, जो राष्ट्र के आर्थिक कार्य क्षेत्र को अत्यधिक गहन रूप से प्रभावित करता है। इस समय जब आईसीएआई अपने गौरवान्वित भूतकाल का जश्न मना रहा है, वहीं वह अपना ध्यान समान रूप से भविष्य पर भी केंद्रित कर रहा है और वह अगले पच्चीस वर्षों की ओर महत्वकांक्षा और नवप्रवर्तन के साथ अग्रसर हो रहा है ताकि आगामी पच्चीस वर्षों को "वृत्ति का सर्वणिम काल" बनाया जा सके। आईसीएआई, वृत्ति के हित और सबसे बड़े लेखांकन निकाय के रूप में प्रतिबद्धता और नए उत्साह के साथ कार्य करेगा, जिससे समृद्धि के पथ पर कदम आगे बढ़ाए जा सकें और प्रौद्योगिकी संबंधी आधुनिकतम सुविधाओं जैसे कि एआई, विश्लेषण और स्वचालन, संवहनीय विकास का संवर्धन करते हुए हरित अर्थव्यवस्था के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली का उपयोग करके, आधुनिक कौशलों के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य के वृत्तिकों को तैयार करने के पथ की ओर

अग्रसर हो सके और साथ ही लेखांकन व्यवहारों के विकास का समर्थन तथा ढांचागत सुदृढीकरण के माध्यम से संवहनीय शासन का भी समर्थन किया जा सके, जो समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की गति को तेज करेगा।

जैसे-जैसे भारत 30 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में प्रगति कर रहा है, वैसे-वैसे राष्ट्र शीघ्रतापूर्वक एक वैश्विक विकास नेता के रूप में उभर रहा है। आईसीएआई भारत के आर्थिक विकास का समर्थन करने, लोक हित के अभिरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने तथा राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान को वैश्विक रूप से उसके तकनीकी तथा नैतिक परिधि क्षेत्रों में उच्च मानकों के लिए अनुशंसा प्राप्त होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भारत की विकास गाथा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से देश की अर्थव्यवस्था के प्रति योगदान दिया है तथा उन्हें सभी सामुदायिक पणधारियों द्वारा उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आईसीएआई वैश्विक प्रौद्योगिकी समुन्नतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और वह सत्यनिष्ठा, नवपरिवर्तन और वृत्तिक उत्कृष्टता के क्षेत्रों में मार्गदर्शक दीपक के रूप में अपना कार्य जारी रखेगा।

75 वर्षों की अपनी महत्वपूर्ण विश्वास तथा उत्कृष्टता की यात्रा के दौरान, आईसीएआई ने भारत के आर्थिक विकास में एक संक्रमणकारी भूमिका निभाई है और वह वित्तीय उत्कृष्टता तथा अखंडता का पार्ययवाची बन गया है। संस्थान की तकनीकी तथा नैतिक शिक्षा में बनाए रखे गए उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्धता ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों को आर्थिक प्रगति के लिए प्रमुख चालक शक्ति बनने हेतु सशक्त किया है। वृत्ति में एक अनुकूल वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली को स्थापित करने तथा भारत के तीव्र विकास का समर्थन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में, जब हमारा राष्ट्र 30 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा उपदर्शित कर रहा है, आईसीएआई की भावी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। संस्थान नवपरिवर्तन के साथ अगुवाई करने, कड़े नैतिक मानकों को सर्वोपरि रखने तथा वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों को अंगीकार करने के लिए पूर्णरूपेण तैयार है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और स्थिरता के लिए अपरिहार्य बने रहें।

आईसीएआई की परिषद् को 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी 75वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। 1 जुलाई, 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा 1700 सदस्यों के साथ स्थापित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ है और वह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक लेखांकन निकाय बन गया है, जिसके 4.0 लाख से अधिक सदस्य हैं और उसके पास 9 लाख से अधिक छात्र हैं और उसने पिछले 75 वर्षों के दौरान 47 देशों में 81 वैश्विक नगरों में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है तथा उसने राष्ट्र की सेवा में विश्वसनीयता, जवाबदेही, विश्वास और उत्कृष्टता के उच्च मूल्यों को स्थापित किया है। यह रिपोर्ट, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2023-2024 के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही संस्थान के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशिष्टियों को उपदर्शित करती है। परिषद्, चार्टर्ड लेखांकन की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान, मान्यता और ख्याति के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एकसाथ मिलकर दर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के कारण हुई है, जिसके दौरान छात्रों और सदस्यों ने नैतिकता, नव-परिवर्तन, संवहनीयता, प्रौद्योगिकी पर अपना ध्यान बनाए रखा और इस प्रकार वे अपने अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप संपूर्ण लेखांकन वृत्ति को वैश्विक रूप से रूपांतरित करने की दिशा में अग्रसर हुए।

इस वार्षिक रिपोर्ट में न केवल संस्थान की पूर्व उपलब्धियों को उपवर्णित किया गया है, अपितु उसमें भविष्य की कार्ययोजना को अधिकथित करते हुए ऐसी नीतिगत पहलों को भी विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित किया गया है, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगी और इस प्रकार आईसीएआई निरंतर उत्कृष्टता की अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखेगा। वर्ष के दौरान, महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संक्षिप्त विवरण को नीचे प्रस्तुत किया गया है :

1. 75वां सीए दिवस समारोह – मुख्य अतिथि भारतीय के माननीय राष्ट्रपति

1 जुलाई, 2023 को 75वें चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के महान अवसर के समारोह को पूरे देश तथा विश्व में अत्यंत उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर एक अनुस्मारक लोगो और एक आईसीएआई स्टाम्प को जारी किया गया, जो आईसीएआई की 75 वर्षों की उत्कृष्ट यात्रा को उपवर्णित करते हैं तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के अविस्मरणीय योगदान को मान्यता प्रदान करते हैं और साथ ही राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में संस्थान की अटूट सत्यनिष्ठा, सक्षमता और वृत्तिकता को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

इस समारोह के मुख्य आकर्षण हमारी मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और सम्मानित, भारत के माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री की उपस्थिति और उनके द्वारा दिया गया आर्शिवाद था। समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित नई शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का अनावरण किया गया। भारत की माननीय राष्ट्रपति ने “आर्थिक शासन के स्तंभों” के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा निभाई जा रही परस्पर सहयोगात्मक तथा महत्वपूर्ण भूमिका की भूरी-भूरी प्रशंसा की। माननीय राष्ट्रपति ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की निष्ठा और परिश्रम को अभिस्वीकार करते हुए यह कथन किया कि “चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की यात्रा हमारे आपवादिक रूप से कुशल वृत्तिकों की निष्ठा और अथक परिश्रम का एक ठोस सबूत है। मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सीए की वृत्ति में महिलाओं के प्रतिशत में अत्यधिक वृद्धि हो रही है”।

2. वैश्विक वृत्तिक अकाउंटेंट अभिसमय (ग्लोपीएसी) – 2023

जीएसटी को “आधुनिकता के साथ भेंट” के रूप में निर्दिष्ट करते हुए भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गांधी नगर, गुजरात में आईसीएआई द्वारा आयोजित वैश्विक वृत्तिक अकाउंटेंट अभिसमय (ग्लोपीएसी) के दौरान यह टिप्पणी की कि यह स्वतंत्रता के पश्चात् का सबसे बड़ा कर संबंधी सुधार है, जिसने देश के अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट भ्रातृसंघ की भी उपयोक्ता मित्र ‘उत्तम और साधारण कर’ के रूप में माल और सेवा कर को आकार देने में निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की।

3. जीएसटी सक्षमता निर्माण पहलों में सरकार को समर्थन

आईसीएआई ने अपनी अपेक्षित विशेषज्ञता और ज्ञान के साथ निकट रूप से राज्य सरकारों और उसके संघटकों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी सक्षमता निर्माण पहलों का समर्थन किया जा सके। इस दिशा में संस्थान ने वर्ष के दौरान 7 राज्यों में जीएसटी से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया और इन कार्यक्रमों के माध्यम से 2,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, गोवा और जम्मू-कश्मीर की सरकारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे नियमित आधार पर सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जीएसटी के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने को सुकर बनाया जा सके और साथ ही अनुसंधान, नीति निर्माण में सहायता, परामर्श आदि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

4. राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन

(i) संस्थान ने अपनी जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के माध्यम से राज्य कर विभाग, गोवा और राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर के साथ एक परस्पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उन विभागों के अधिकारियों को नियमित आधार पर सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जीएसटी के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने को सुकर बनाया जा सके और साथ ही अनुसंधान, नीति निर्माण में सहायता, परामर्श आदि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। गोवा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर गोवा के माननीय मुख्यमंत्री तथा गोवा के माननीय मंत्री की उपस्थिति में किए गए थे। जम्मू-कश्मीर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर जम्मू-कश्मीर के माननीय उप-राज्यपाल और जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए थे।

(ii) इसके अतिरिक्त, संस्थान ने जम्मू-कश्मीर राज्य की उत्पादक सक्षमता में संवर्धन करने तथा अनुपालन की दर को बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च, 2023 को उद्योगों, व्यापार संघों तथा अन्य पणधारियों के लिए कर जागरूकता पहल – कर्तव्य (कर योगदान, राष्ट्र निर्माण), जीएसटी संगोष्ठियों का आयोजन करने में राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ सहयोग किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, माननीय उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर ने राष्ट्र निर्माण में आईसीएआई की भूमिका की सराहना की।

(iii) आधारभूत स्तर पर शासन को सुदृढ़ करने के लिए आईसीएआई ने विभिन्न राज्य सरकारों/यूएलबी के साथ हाथ मिलाया है ताकि पदधारियों को आधुनिकतम लेखांकन उपकरणों और व्यवहारों, जिनके अंतर्गत प्रोदभवन लेखांकन भी है, के संबंध में स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, इन संगठनों में शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखंड, नगरपालिक प्रशासन निदेशालय, महाराष्ट्र और नागालैंड तथा तमिलनाडु सरकार के खजाना और लेखा आयुक्त सम्मिलित थे।

5. वित्त विभाग, उत्तराखंड सरकार के साथ करार

एक अन्य महत्वपूर्ण घटना के रूप में, आईसीएआई ने अपनी लोक और शासकीय वित्तीय प्रबंध समिति (सीपीजीएफएम) के माध्यम से परियोजना प्रबंध इकाई – उत्तराखंड परियोजना प्रबंध सुदृढीकरण (पीएमयू-यूके पीएफएमएस), जो वित्त

विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रही है, के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उत्तराखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में नए भर्ती हुए तथा विद्यमान लेखा कर्मचारिवृंद को प्रोदभवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और उक्त करार के अधीन शहरी विकास निदेशालय (यूडीडी) के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखण्ड नगरपालिक लेखांकन मैनुअल (यूएमएएन), 2021 को भी तैयार किया गया। इस करार पर उत्तराखण्ड सरकार के माननीय शहरी विकास और वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के निदेशक तथा यूडीडी, यूकेपीएफएमएस और आईसीएआई के अन्य वरिष्ठ पदधारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

6. आईसीएआई द्वारा ग्रामीण विभाग कमीशनरी, गुजरात के साथ भागीदारी

चूंकि, ग्रामीण विकास राष्ट्र के विकास और समृद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए यह अनिवार्य है कि इस क्षेत्र में विद्यमान लेखांकन वृत्तिकों को नवीनतम उपकरणों और व्यवहारों से सज्जित किया जा सके। आईसीएआई ने अपनी लोक और शासकीय वित्तीय प्रबंध समिति (सीपीजीएफएम) के माध्यम से ग्रामीण विकास कमीशनरी, गुजरात के साथ भागीदारी की है और उक्त भागीदारी के अधीन 'विभिन्न ग्रामीण विकास स्कीमों के लिए लेखांकन दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन' विषय पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रृंखला को आरंभ किया है। यह एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे गुजरात में ग्रामीण विकास अभिकरणों के भीतर कार्य करने वाले लेखांकन कर्मचारिवृंद के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और गुजरात राज्य के लगभग 700 लेखांकन अधिकारियों ने इस कार्यक्रम का फायदा प्राप्त किया है।

7. जीआईएफटी नगर के साथ समझौता ज्ञापन

(i) आईसीएआई ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) कारबारों और विनियमों से संबंधित वृत्तिक कौशल सेटों में अभिवृद्धि करने तथा वित्तीय उत्कृष्टता का संवर्धन करने के उद्देश्य से जीआईएफटी सिटी (गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक सिटी लिमिटेड) और आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, वैश्विक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का संवर्धन करने और भारत से लेखांकन सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से, आईसीएआई ने राजदूत बैठकों और व्यापार अधिकारी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और साथ ही उसने निवेश भारत तथा ईओयू की निर्यात संवर्धन परिषद् तथा एसईजेड (ईपीसीईएस) के साथ पूर्व में किए गए समझौता ज्ञापनों को नवीकृत किया, जिसका उद्देश्य संवहनीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और भारत को एक निवेश मित्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था।

बुक कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाओं जैसी सेवाओं को आईएफएससीए अधिनियम के अधीन वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना, आईसीएआई द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त संशोधनों के पश्चात् जारी की गई है। यह अधिसूचना चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्तिकों के लिए आईएफएससी के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराएगी।

(ii) आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के भागरूप में 28 अगस्त से 1 सितंबर, 2023 के दौरान ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) का संवर्धन करना, लेखांकन और वित्त सहित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और साथ ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना था। प्रतिनिधि मंडल ने 28 और 31 अगस्त, 2023 को क्रमशः सिडनी और मेलबोर्न में बैंकों, बीमा कंपनियों और पूंजी बाजार संस्थाओं के साथ गोलमेज विचार-विमर्श किए, जिससे आईएफएससी में निवेशों के लिए नए अवसरों की खोज की जा सके।

(iii) 12 मई, 2023 को आईएफएससीए जीआईएफटी सिटी में माननीय प्रधानमंत्री की पणधारियों और बाजार के भागीदारों के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया गया था ताकि जीआईएफटी सिटी को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए परस्पर सहयोग तथा एक साथ मिलकर कार्य किया जा सके। इस बैठक के दौरान, आईसीएआई ने अपने समर्थन का आश्वासन दिया और साथ ही सेवाओं के निर्यात का संवर्धन किए जाने तथा भारत को वैश्विक रूप से लेखांकन और वित्तीय सेवाओं के अधिमानी गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई द्वारा एमएसएमई प्रणाली, वित्तीय और कर साक्षरता तथा राज्यों में जीएसटी पदधारियों को प्रशिक्षित किए जाने आदि जैसे क्षेत्रों में निभाई जा रही भूमिका को भी उपवर्णित किया गया।

8. भारतीय रेल द्वारा नकद आधार की लेखांकन प्रणाली से प्रोदभवन आधारित लेखांकन प्रणाली में अंतरण

आईसीएआई एआरएफ भारतीय रेल को नकद आधार की लेखांकन प्रणाली से प्रोदभवन आधारित लेखांकन प्रणाली में अंतरण करने हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय रेल के वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रोदभवन आधारित वित्तीय विवरणों को आईआरएएस, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ लेखांकन सुधार, उत्तरी रेल को 5 जून, 2024 को आयोजित एक

आयोजन में अध्यक्ष, आईसीएआई/अध्यक्ष, आईसीएआई – एआरएफ, उपाध्यक्ष, आईसीएआई/ उपाध्यक्ष, आईसीएआई – एआरएफ, परियोजना परामर्शियों और आईसीएआई के कुछ परिषद् सदस्यों की उपस्थिति में सौंपा गया। आईआरएएस, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने आईसीएआई – एआरएफ से इस विषय पर सहायता की ईप्सा कि किस प्रकार भारतीय रेल हरित पहलों को अपना सकती है – किस प्रकार हरित आस्तियों की पहचान और उनका प्रकटन किया जा सकता है तथा भारतीय रेल द्वारा किस प्रकार सौर ऊर्जा संयंत्रों, अवशिष्ट जल उपचार आदि के उपयोग जैसी अनेक पहलों के माध्यम से अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी ला रही है और प्रोदभवन आधारित वित्तीय विवरणों की उपयोगिता में अभिवृद्धि करने के लिए उन्हें किस प्रकार वित्तीय विवरणों में उचित रूप से दर्शित किया जा सकता है। अध्यक्ष, आईसीएआई/ अध्यक्ष, एआरएफ ने आईसीएआई द्वारा संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड के माध्यम से इस दिशा में की जा रही अपनी पहलों से अवगत कराया और यह आश्वासन दिया कि आईसीएआई और आईसीएआई – एआरएफ इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा।

9. विकसित भारत के लिए सीए दौड़

संस्थान विश्व का सबसे बड़ा लेखांकन निकाय है और उसने 30 जून, 2024 को 'विकसित भारत के लिए सीए दौड़' नामक एक विशाल आयोजन किया, जिससे वह राष्ट्र के प्रति अपनी 75 वर्षों की सेवाओं का समारोह मना सके। इस आयोजन के माध्यम से आईसीएआई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में अंतरित करने के स्वप्न के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह दौड़ प्रातः 6 बजे आरंभ हुई थी और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों में विश्व भर से आए आईसीएआई के सदस्य और छात्र सम्मिलित थे और साथ ही आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदों, 176 शाखाओं और विभिन्न विदेशी चैप्टरों ने भी इस दौड़ का आयोजन किया। नई दिल्ली में यह दौड़ आईसीएआई के मुख्यालय से आरंभ हुई और इसका समापन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडा स्थल में हुआ। इस दौड़ में माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री ने भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्र के वित्तीय मानकों और उत्तम रिपोर्टिंग प्रणाली के संबंध में आईसीएआई के योगदान की प्रशंसा की।

10. वित्तीय और कर साक्षरता अभियान

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) भारत सरकार के वित्तीय साक्षरता संबंधी राष्ट्रीय मिशन का संवर्धन करने के लिए एक वित्तीय और कर साक्षरता अभियान, अर्थात् "वित्तीय ज्ञान – आईसीएआई का अभियान" को चला रहा है, जिसका उद्देश्य जनता के विभिन्न वर्गों, जिनमें ग्रहणियां, वरिष्ठ नागरिक, छात्र, वेतन पाने वाले/सेवानिवृत्त व्यक्ति, स्टार्ट-अप/कारोबारी और उद्यमी, विधि का प्रवर्तन करने वाले कार्मिक, रक्षा से जुड़े लोग, अध्यापक और शिक्षाविद्, किसान और ग्रामीण गृहस्थियां, वृत्तिक जैसे कि वकील, डाक्टर, इंजीनियर आदि सम्मिलित हैं, के बीच राष्ट्र व्यापी रूप से वित्तीय और कर साक्षरता का प्रसार और संवर्धन करना है। वित्तीय और कर साक्षरता अभियान, अर्थात् "वित्तीय ज्ञान – आईसीएआई का अभियान" भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभियान है, जिसे आईसीएआई राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में अग्रसर कर रहा है।

इस व्यापक पहल का उद्देश्य व्यष्टियों को अनिवार्य वित्तीय ज्ञान से सज्जित करना है, जिससे उन्हें सुभिन्न निर्णय लेने और भारत के आर्थिक विकास के प्रति योगदान करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और शैक्षिक संसाधनों के माध्यम से आईसीएआई का अभियान समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बना रहा है तथा वित्तीय जागरूकता और उत्तरदायित्व की संस्कृति को स्थापित कर रहा है। नागरिकों को वित्तीय बुद्धिमता से सशक्त करके आईसीएआई वित्तीय रूप से साक्षर और आर्थिक रूप से उत्तम राष्ट्र का सृजन करने की अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

11. फिक्की महिला संगठन (एफएलओ) के साथ समझौता ज्ञापन

आईसीएआई ने अपने वित्तीय और कर साक्षरता संवर्धन संबंधी समूह के माध्यम से लगातार दूसरे वर्ष भी एफएलओ के साथ अपने सहयोग को नवीकृत किया है। दोनों संगठन महिलाओं के बीच वित्तीय और कर साक्षरता संबंधी जागरूकता का सृजन करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, जिससे महिलाओं के बीच ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया जा सके तथा उनके कौशल को विकसित करके उन्हें सही अर्थों में वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सशक्त बनाया जा सके।

12. विभिन्न लेखांकन निकायों के साथ करार

संघ के मंत्रिमंडल के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् आईसीएआई ने साफा आईएफआरएस और आईएसए फोरम, 2023, जिसकी मेजबानी सीए मालदीव द्वारा की गई थी, के दौरान 20 अगस्त, 2023 को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ मालदीव (सीए मालदीव) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परस्पर सहयोग के

लिए एक मंच की स्थापना करना था, जिसके माध्यम से लेखांकन ज्ञान और वृत्तिक और बौद्धिक विकास तथा संबद्ध सदस्यों की प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके। आईसीएआई ने 24 अप्रैल, 2023 को लंदन में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ अर्हता को परस्पर रूप से मान्यता प्रदान करने संबंधी करार को नवीकृत किया। इस समझौता ज्ञापन के नवीकरण के परिणामस्वरूप दोनों संस्थानों के समुचित रूप से अर्हित सदस्य एक दूसरे के संस्थानों से अपनी विद्यमान लेखांकन अर्हता के लिए समुचित मान्यता प्राप्त करके एक-दूसरे के संस्थानों के लिए कार्य कर सकेंगे और इसके परिणामस्वरूप भारतीय सीए को यूके में अनेक वृत्तिक अवसर प्राप्त होंगे।

13. आईसीएआई के सदस्यों को सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईएससीए) के सहबद्ध सदस्यों के रूप में मान्यता

आईएससीए, सिंगापुर ने आईसीएआई की अर्हता को, आईएससीए की सहबद्ध सदस्यता प्राप्त करने के लिए वृत्तिक अर्हता के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार, यह वैश्विक वृत्ति में संस्थान की बढ़ती हुई ब्रांड साम्या का एक और महत्वपूर्ण परिसाध्य है। यह मान्यता ऐसे सभी सदस्यों के लिए अत्यंत फायदाप्रद सिद्ध होगी, जो सिंगापुर में निवास कर रहे हैं और जिनके पास सिंगापुर में स्थानीय कार्य का छह मास का अनुभव है।

14. भारत के उद्यम संबंधी क्षेत्रों को सुदृढ़ करना – एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी पहलें

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से भारत की उद्यम संबंधी प्रणाली को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, विशिष्ट रूप से स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) पर ध्यान केंद्रित करने वाली अपनी नवीन पहलों के माध्यम से।

(क) एमएसएमई को सहायता उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के भागरूप में आईसीएआई ने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल की राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके अर्थपूर्ण भागीदारियों को स्थापित किया है। इन परस्पर सहयोगों के अनुसरण में उपरोक्त राज्यों में विद्यमान आईसीएआई की शाखाओं में समर्पित सहायता पटलों को स्थापित किया गया था। ये सहायता पटल प्रमुख संसाधनों के रूप में कार्य करते हैं तथा एमएसएमई को मार्गदर्शन तथा समर्थन प्रस्थापित करते हैं और इस प्रकार वे उपलब्ध स्कीमों और फायदों, जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रक्रियाओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराया जाना भी है, को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) आईसीएआई की अन्य महत्वपूर्ण पहलों में एआईसी – नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता संबंधी महात्मा फाउंडेशन आईएम वीएचयू, वाराणासी और एआईसी – नालंदा प्रौद्योगिकी फाउंडेशन संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाना सम्मिलित है। इन करारों का उद्देश्य आईसीएआई के स्टार्ट-अप गेटवे के माध्यम से स्टार्ट-अप के सक्षमता निर्माण को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य इन संस्थाओं को ऐसे मूल केंद्रों के रूप में स्थापित करना था, जो स्टार्ट-अप पणधारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, व्यापक नवप्रवर्तन और उद्यमशील प्रणाली को स्थापित कर सकें तथा बाजार के संबंध में विचार से उसे साकार करने की यात्रा को सुकर बनाना था। ये भागीदारियां सुदृढ़ रूप से भारत सरकार के उद्यमों के विकास, नवप्रवर्तन संस्कृति तथा स्टार्ट-अप प्रणाली के एकीकरण संबंधी विजन के साथ समुचित रूप से सुमेलित हैं।

(ग) इन परस्पर सहयोगों के साथ-साथ आईसीएआई सक्रिय रूप से भारतीय एमएसएमई के सुदृढीकरण के उद्देश्य से सरकारी स्कीमों के प्रति जागरुकता के सृजन के लिए भी अथक प्रयास कर रहा है। उल्लेखनीय रूप से एमएसएमई यात्रा पहल को एशिया बुक आफ रिकार्ड्स में मान्यता प्राप्त हुई। यह अनुशंसा एक राष्ट्रव्यापी अभियान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई, अर्थात् 'आईसीएआई एमएसएमई सेतु' और 'आईसीएआई एमएसएमई यात्रा', जिसका आयोजन 75 दिन के भीतर 22 राज्यों के 75 नगरों में किया गया था। इन अभियानों का उद्देश्य उद्यमशीलता का संवर्धन करना, नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देना तथा आर्थिक विकास के प्रति सकल रूप से योगदान करना था। आईसीएआई की एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप क्षेत्र को सशक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता राष्ट्र के आर्थिक विकास के प्रति उसके प्रयासों का एक ज्वलंत उदाहरण है।

(घ) इस प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, आईसीएआई ने इस वर्ष दो और महत्वपूर्ण पहलों को आरंभ किया, अर्थात् : आईसीएआई एमएसएमई कनेक्ट कार्यक्रम, जिसमें एमएसएमई सहयोग और एमएसएमई निर्यात कार्यक्रम सम्मिलित हैं तथा आईसीएआई स्टार्ट-अप यात्रा। पूर्ववर्ती कार्यक्रम का आयोजन 20 अक्टूबर, 2023 से 10 फरवरी, 2024 के दौरान किया गया था और इसका उद्देश्य ऐसे सदस्यों को समर्थन उपलब्ध कराना था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) को सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कौशल अभिवृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, बाजार तक पहुंच, वित्तीय उपलब्धता और प्रौद्योगिकी के ज्ञान सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में समर्थन उपलब्ध कराना था। इसके साथ ही 20 अक्टूबर, 2023 से 10 फरवरी, 2024 के दौरान आईसीएआई स्टार्ट-अप यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य 140 नगरों में स्टार्ट-अप के लिए सक्षमता

निर्माण और समर्थनकारी प्रणालियों को स्थापित करना था। इस पहल में आईसीएआई स्टार्ट-अप मंथन और आईसीएआई स्टार्ट-अप संवाद जैसे कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया था, जो नवप्रवर्तन की भावना को स्थापित करने, रजिस्ट्रीकरणों को सुकर बनाने और स्टार्ट-अप के लिए सक्षमता में अभिवृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य टियर 1 और टियर 2 नगर प्रणालियों के बीच अंतर को कम करना था और साथ ही पूरे राष्ट्र में एक समावेशी और क्रियाशील उद्यम संबंधी संस्कृति को स्थापित करना था।

(ड) इसके अतिरिक्त, संस्थान ने 27-28 जून, 2023 के दौरान मुंबई में स्टार्ट-अप स्फियर नामक एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्टार्ट-अप समुदाय, निवेशकों और उद्यमियों को एकसाथ लाना था। इस आयोजन में लगभग 7000 व्यक्तियों ने भाग लिया, जो पूरे देश से मुंबई पहुंचे थे और इस आयोजन के दौरान 120 उद्योग विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया तथा अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा किया। भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति ने इस आयोजन में अपना विशेष संबोधन प्रस्तुत किया और इस आयोजन का शुभारंभ उद्योग मंत्री, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था। यह आयोजन अत्यधिक सफल रहा था और इसकी सफलता से न केवल प्रतिभागियों को फायदा हुआ अपितु इससे देश में उद्यमशील प्रणाली को भी बल प्राप्त हुआ।

(च) संस्थान द्वारा एक परस्पर क्रियाशील राजदूत बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिससे अंतर्गामी और बहिर्गामी निवेशों का संवर्धन किया जा सके, भारत को निवेश मित्र गंतव्य स्थल बनाया जा सके और साथ ही वैश्विक वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों के साथ सहयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उक्त आयोजन का उद्देश्य भारत सरकार के सेवाओं के निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुसरण में वैश्विक रूप से लेखांकन वृत्ति का संवर्धन करना भी था। इस आयोजन में माननीय विदेश राज्य मंत्री ने भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई थी और इसके अलावा 25 से अधिक दूतावासों से प्रतिनिधि मंडलों ने भी इस आयोजन में भाग लिया था। इस आयोजन के दौरान पूर्व में 4 फरवरी, 2019 को निवेश भारत के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को जारी रखते हुए समझौता ज्ञापन (विस्तारण) पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में संवहनीय आर्थिक विकास और निवेशों को बढ़ावा देना, भारत को एक निवेश मित्र गंतव्य स्थान के रूप में संवर्धित करना और साथ ही इस संबंध में परस्पर सहयोग करना था। इस अवसर पर आईसीएआई को उसकी आईसीएआई एमएसएमई यात्रा तथा एमएसएमई सेतु पहलों के लिए एशिया बुक आफ रिकार्ड्स में स्थान प्राप्त हुआ। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इन दोनों पहलों के लिए आईसीएआई को पहले ही इंडिया बुक आफ रिकार्ड्स में स्थान प्राप्त हो चुका है।

15. एमसीए 21 वी 3 के संबंध में पणधारियों की परामर्शी बैठकें

एमसीए 21 वी 3 डिजीटल निगम शासन में एक संक्रमणकालीन अंतरण को चिह्नित करता है, जिससे दक्ष अनुपालन को बढ़ावा मिलता है तथा निगम सूचना तक पारदर्शी पहुंच प्राप्त होती है। आईसीएआई अपनी निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति के माध्यम से दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और मुंबई जैसे विभिन्न नगरों में पणधारियों की परामर्शी बैठकों का आयोजन करके इस पहल का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बैठकें सीधे बातचीत को सुकर बनाती हैं, जिससे विभिन्न पणधारियों को एमसीए 21 वी 3 के निर्बाध कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनके हल को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण सरकारी पहल के संबंध में मूल्यवान सहायता उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआई की भूरी-भूरी प्रशंसा की है।

16. प्रवासी भारतीय दिवस और वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन

आईसीएआई ने राष्ट्र निर्माण के एक भागीदार के रूप में मध्य प्रदेश सरकार से हाथ मिलाया और उसने 8-12 जनवरी, 2023 के दौरान इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस और वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उक्त आयोजन में स्थापित आईसीएआई के पंडाल के माध्यम से अनिवासी भारतीयों और प्रतिनिधि मंडलों को तुरंत विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराई गई। आईसीएआई ने रोबोट और एआई/वीआर समर्थित युक्तियों को प्रदर्शित किया, जो आयोजन के मुख्य आकर्षण थे। संस्थान ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में “मध्य प्रदेश तक पहुंच – संपूर्ण कारबार समाधान” विषय पर एक सत्र भी तैयार किया जहां विख्यात विशेषज्ञों ने कारबार करने की सुगमता, अनुपालनों, अवसंरचना, लेखांकन और कराधान विषयों के संबंध में अपने ज्ञान को साझा किया ताकि मध्य प्रदेश राज्य में निवेश का संवर्धन करके उसके विकास को अग्रसर किया जा सके। मध्य प्रदेश राज्य के माननीय वित्त मंत्री ने इस सत्र में भाग लेकर उसकी शोभा बढ़ाई।

17. आईसीएलएस पदधारियों के लिए सक्षमता निर्माण पहलें

आईसीएआई को उसकी ज्ञान शक्ति के लिए मान्यता प्रदान की जा रही है और यह संस्थान के लिए गर्व का विषय है तथा आईसीएलएस अकादमी के अनुरोध के अनुसार आईसीएआई ने भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) पदधारियों

को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से उन्हें संस्थान, मानक निर्धारण बोर्ड के कार्यकरण और साथ ही अनुशासनिक प्रक्रिया के संबंध में ज्ञान उपलब्ध कराया गया।

ये सभी घटनाएं उस सतत विश्वास और भरोसे की ओर संकेत करती हैं, जो भारत सरकार और उसके संघटक आईसीएआई के द्वारा किए जा रहे योगदान के प्रति प्रकट करते हैं और इसके परिणामस्वरूप 'राष्ट्र निर्माण में भागीदार' और 'आर्थिक विकास के स्तंभ' के रूप में हमारी स्थिति सुदृढ़ होती है।

18. पंचायतों के अकाउंटेंटों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा नगरपालिक निकायों के अकाउंटेंटों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आईसीएआई ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के सहयोग से दो आनलाइन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया है, अर्थात् पंचायतों के अकाउंटेंटों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा नगरपालिक निकायों के अकाउंटेंटों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय शासन और लेखांकन को सुदृढ़ बनाना है जिससे 2.66 लाख पंचायतों और नगरपालिक निकाय प्रभावित होंगे और उनमें विद्यमान वित्तीय अनुशासन का संवर्धन होगा तथा प्रक्रिया में स्थानीय नौकरियों का सृजन भी होगा। समुन्नत लेखांकन और रिपोर्टिंग व्यवहारों से ग्रामीण समावेशी विकास में अभिवृद्धि होगी, एसडीजी को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के विकास के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

19. तंजानिया के राष्ट्रीय लेखाकार एवं लेखा परीक्षक बोर्ड (एनबीएए) के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

आईसीएआई और राष्ट्रीय लेखाकार एवं लेखा परीक्षक बोर्ड (एनबीएए) के बीच आपसी हित के क्षेत्रों में आपसी सहयोग ढांचा स्थापित करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में; आईसीएआई ने एनबीएए के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के लिए 20 फरवरी, 2023 से शुरू होने वाले 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें परीक्षा प्रणाली, सदस्यों और छात्र निदेशालय की कार्यप्रणाली, यूडीआईएन और डिजिटल लर्निंग हब, छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग, सीपीई, स्थिरता और नैतिकता जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण की अत्यधिक सराहना की गई।

20. व्यापार अधिकारी गोलमेज सम्मेलन

चार्टर्ड अकाउंटेंट सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है तथा इस प्रयोजन के लिए आईसीएआई भारतीय अकाउंटेंटों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में अभिवृद्धि करने के लिए सरकार के साथ भागीदारी करता है। आईसीएआई राष्ट्र की आर्थिक नीतियों के अनुसरण में माल और सेवाओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए विभिन्न पहलें करता है। इस संदर्भ में, 25 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में व्यापार अधिकारियों के एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न दूतावासों से लगभग 35 व्यापार अधिकारियों ने निर्यात संवर्धन परिषदों और विदेशी चैम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया। इस संबंध में, वैश्विक व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश के संवर्धन तथा लेखांकन वृत्तिकों के लिए सक्षमता निर्माण को सुकर बनाने में आईसीएआई द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की गई और इसके साथ-साथ ईओयू और एसईजेड संबंधी निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ परस्पर आदान-प्रदान समझौता ज्ञापन (नवीकरण) पर हस्ताक्षर किए गए।

21. महिला उद्यमशीलता को समर्थन – नीति आयोग के साथ आशय का कथन (एसओआई)

संस्थान सतत रूप से देश में महिला उद्यमशीलता का समर्थन करता है और इसके लिए उसने 3 अक्टूबर, 2023 को गोवा में अपनी वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी) के माध्यम से नीति आयोग के साथ आशय के कथन (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए थे। इस अवसर पर गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, सीईओ, नीति आयोग और वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग भी उपस्थित थे। उक्त ठहराव के अधीन, आईसीएआई नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच (डब्ल्यूईपी) के साथ रजिस्ट्रीकृत महिला उद्यमियों को विशेषज्ञों के एक पैनल के माध्यम से वृत्तिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा और साथ ही वह डब्ल्यूईपी के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए देश भर में फैले अपनी अवसंरचना और संसाधनों का उपयोग करेगा।

22. लेखांकन सेवाओं का निर्यात – सिविल सेवकों को प्रशिक्षण

भारत सरकार ने लेखांकन सेवाओं के निर्यात की एक चैंपियन सेवा के रूप में पहचान की है और इसके परिणामस्वरूप आईसीएआई ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आईसीएआई के मुख्यालय में मंत्रालय में नए भर्ती किए गए आईएएस अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके दौरान उन्हें लेखांकन सेवा क्षेत्र और उससे

संबंधित चुनौतियों और अवसरों से अवगत कराया गया। 'आर्थिक विकास के स्तंभ' के रूप में हमारी वृत्ति भारत को एक आत्मनिर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

23. आईसीएआई, बी 20 के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में

भारत के आर्थिक विकास की कहानी को अग्रसर करते हुए, आईसीएआई बी 20 बातचीत का एक प्रमुख भागीदार बन गया है। बी 20 के साथ एक प्रमुख भागीदार के रूप में आईसीएआई की भागीदारी हमारी उस प्रतिबद्धता को उपदर्शित करती है जो हम भारत सरकार के भारत को विश्व गुरु बनाने के विजन के प्रति रखते हैं। वर्तमान में, किसी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह अपेक्षित है कि वह पारदर्शी हो, उसके पास एक उत्तम लेखांकन मानक प्रणाली और व्यवहार हो, जिससे एक बेहतर भविष्य के लिए संवहनीय विकास को अग्रसर किया जा सके। बिजनेस 20 (बी 20), वैश्विक कारबार समुदाय के साथ शासकीय जी 20 बातचीत मंच है। 2010 में स्थापित बी 20, जी 20 के सर्वाधिक प्रमुख समूहों में से एक है, जिसमें अनेक बड़ी कंपनियां और कारबार संगठन प्रतिभागियों के रूप में सम्मिलित हैं। बी 20 वैश्विक कारबार नेताओं को उनके वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा व्यापार शासन संबंधी मुद्दों पर उनके विचारों के लिए एकसाथ लाने की प्रक्रिया की अगुवाई करता है और वह संपूर्ण जी 20 कारबार समुदाय के लिए आवाज उठाता है। इस भागीदारी के अधीन आईसीएआई सक्रिय रूप से कार्यक्रमों में भाग ले रहा है।

24. शिक्षा के क्षेत्र को नया आकार देना

(i) वाणिज्य और लेखांकन संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन, 2024 : संस्थान ने 22 और 23 जनवरी, 2024 के दौरान अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) के तत्वाधान में नई दिल्ली में वाणिज्य और लेखांकन संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एक समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से वृत्तिक लेखांकन शिक्षा के साथ विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुमेलित करना था। इस आयोजन का उद्घाटन माननीय उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था, जो इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न वाणिज्य महाविद्यालयों और भारत के 20 से अधिक राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, निदेशकों, संकायाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, विभागाध्यक्षों ने भाग लिया।

(ii) आईसीएआई और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) : आईसीएआई ने देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के बीच सीए पाठ्यक्रम के प्रति विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करने के लिए 4 जनवरी, 2024 को नवोदय विद्यालय समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(iii) योग्यता को बढ़ावा देना – शैक्षिक संस्थाओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर : वाणिज्य और लेखांकन शिक्षा में अग्रणी होने के कारण आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने सतत रूप से यह प्रयास किया है कि भारत में वाणिज्य और लेखांकन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने के लिए कार्य करने हेतु विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग किया जाए। इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए आईसीएआई ने अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) के माध्यम से इस वर्ष पूरे देश भर से शैक्षिक संस्थाओं के साथ 56 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इन एमओयू का उद्देश्य देश में वाणिज्य और लेखांकन के छात्रों को एक सर्वांगीण पठन अनुभव उपलब्ध कराना है। आईसीएआई ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्यु) के साथ अपने समझौता ज्ञापन को भी नवीकृत किया है और इस नवीकृत समझौता ज्ञापन के अधीन आईसीएआई के छात्र ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अंतरण के लिए पात्र होंगे, जिन्हें उन्होंने आईसीएआई के माध्यम से पूरा किया है और इस संबंध में उन्हें इग्यु कार्यक्रमों के कुल क्रेडिटों में से 50 प्रतिशत तक क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। क्रेडिट अंतरण को फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम – दर - पाठ्यक्रम आधार पर सुकर बनाया जाएगा।

25. लेखांकन वृत्ति के भविष्य के लिए परीक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना

वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप तथा अपने छात्रों को बेहतर रूप से सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ष से आरंभ करते हुए, मध्यवर्ती और फाउंडेशन पाठ्यक्रम परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में तीन बार किया जाएगा, जिससे छात्रों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। अब परीक्षाओं का आयोजन जनवरी, मई/जून और सितंबर मास में किया जाएगा, पूर्व में इन परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता था। इसी दौरान, सीए की फाइनल परीक्षा को पारंपरिक रूप से वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य प्रतीक्षा समय को कम करना तथा छात्रों को अपने कौशलों को प्रदर्शित करने और साथ ही अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए और अधिक अवसर प्रदान करना है। संस्थान हमारे छात्रों की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह सतत सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है।

26. आईसीएआई की वैश्विक योजनाएं

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वैश्विक उपस्थिति को और अधिक व्यापक बनाते हुए दो नए प्रतिनिधि कार्यालयों, अर्थात् नीदरलैंड्स (रोट्टरडैम) और यूएसए (कैनसास) को आरंभ किया गया। आईसीएआई ने छह नए चैप्टरों का भी शुभारंभ किया, अर्थात् यूएसए (एरिजोना), यूएसए (सिएटल), आस्ट्रेलिया (एडिलाइड), यूएसए (फिलिपसबर्ग), यूएसए (मिशिगन) और मिश्र (काहिरा), इस प्रकार आईसीएआई ने 47 देशों के 81 नगरों में अपने 51 चैप्टरों और 30 प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से अपनी उपस्थिति को स्थापित किया है।

27. आईसीएआई के नेटवर्क में विस्तार

आईसीएआई ने नई शाखाओं, अर्थात् सतना (मध्य प्रदेश), गांधी नगर (गुजरात), राजसमंद (राजस्थान), मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब), मंदसौर (मध्य प्रदेश), दरभंगा (बिहार), नीमच (राजस्थान), मुजफ्फरपुर (बिहार), भागलपुर (बिहार), टोंक (राजस्थान) और रायगढ़ (छत्तीसगढ़) को स्थापित करके देश में अपने नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया तथा उसका विस्तार किया। नई शाखाओं के साथ आईसीएआई के राष्ट्रीय नेटवर्क में अब 176 शाखाएं सम्मिलित हैं। ये शाखाएं लेखांकन वृत्ति का संवर्धन करने तथा समाज और संस्थाओं को उनके विकास में समर्थन प्रदान करने और साथ ही स्थानीय स्तर पर सदस्यों और छात्रों को दी जाने वाली सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने में स्थानीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं।

28. सीए भारत लोगो का शुभारंभ

संस्थान के भारत को सर्वप्रथम रखे जाने संबंधी दृष्टिकोण के प्रति समर्पण तथा लोक हित में भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को उपदर्शित करते हुए आईसीएआई ने एक नए सीए भारत लोगो का शुभारंभ किया है। नए सीए भारत लोगो का प्रत्येक अवयव वृत्ति की उत्कृष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति समर्पण की कहानी बताता है और इस लोगो को नवंबर, 2023 में आयोजित वैश्विक वृत्तिक अकाउंटेंट सम्मेलन, 2023 के दौरान भारत के माननीय उप राष्ट्रपति की उपस्थिति में विमोचित किया गया था।

29. आईसीएआई में एआई

एआई और प्रौद्योगिकी की लहर तथा इस क्रांति का लाभ उठाने के लिए संस्थान ने आईसीएआई में एक एआई संबंधी समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य सदस्यों और छात्रों को ऐसी सक्षमता प्रदान करना है, जिससे वे एक उपकरण के रूप में एआई का उपयोग करते हुए भारत के विकास की गाथा में अर्थपूर्ण रूप से योगदान दे सकें।

30. फर्मों का समूहन

विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने और भारत को लेखांकन तथा वित्तीय सेवाओं के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य का समर्थन करने हेतु आईसीएआई ने फर्मों के समूहन के लिए एक समिति का सृजन किया है, जिसका उद्देश्य भारत से वैश्विक और बड़ी लेखांकन फर्मों का निर्माण करना है, जो वैश्विक बाजारों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। आईसीएआई बड़ी भारतीय लेखांकन फर्मों के निर्माण में संरचनात्मक उपाय करने के प्रति कार्य कर रहा है और वह संसाधनों तथा नीति विषयक उपायों के निबंधनों के अनुसार सभी संभव समर्थन उपलब्ध करा रहा है।

31. न्यायलयिक लेखांकन और अन्वेषण मानक

डिजिटल युग के आरंभ और प्रौद्योगिकी के विकास और आधुनिकीकरण के साथ आईसीएआई एक ऐसे अभियान की अगुवाई कर रहा है, जिससे वह वैश्विक रूप से न्यायलयिक और अन्वेषण मानकों को विकसित करने वाला प्रथम लेखांकन निकाय बन गया है और इन मानकों को 1 जुलाई, 2023 से आज्ञापक बना दिया गया है।

32. संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (एसआरएसबी) के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को अपने मिशन में एकीकृत करने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अवसर पैदा करने और अपने सदस्यों को वर्कशॉप, सेमिनार, सर्टिफिकेट कोर्स और प्रमुख सस्टेनेबिलिटी विषयों पर तकनीकी साहित्य के माध्यम से प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एसआरएसबी ने तीसरे आईसीएआई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें 19 कंपनियों को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने एसआरएसबी और पब्लिक रिलेशंस कमेटी (पीआरसी) के माध्यम से आईसीएआई #75 ग्रीन महोत्सव पहल का शुभारंभ किया।

33. ई-कार्यालय मंच का क्रियान्वयन

आईसीएआई ई-कार्यालय के साथ डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है : उसने अपनी प्रचालन दक्षता और सेवाओं के प्रदाय को सुधार करने हेतु डिजिटल युग में प्रवेश करने के लिए 5 अप्रैल, 2024 को राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से विकसित ई-कार्यालय मंच को अपनाया और क्रियान्वित किया तथा साथ ही रेलटेल का शुभारंभ भी किया गया। ई-कार्यालय पहल का उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना तथा अपने प्रचालनों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना है। कागजविहीन संव्यवहारों को अपनाकर तथा दूरस्थ स्थानों से कार्य क्षमताओं को समर्थ बनाकर आईसीएआई न केवल अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूल बना रहा है अपितु वह संवहनीयता का भी समर्थन कर रहा है।

34. पुरस्कार और मान्यता

(i) आईसीएआई को विश्व निवेश मंच पर गौरवशाली यूएनसीटीएडी आईएसएआर आनर्स पुरस्कार प्राप्त होना : आईसीएआई की “संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)” पहल को 17 अक्टूबर, 2023 को आबू धाबी में विश्व निवेश मंच पर गौरवशाली यूएनसीटीएडी आईएसएआर आनर्स पुरस्कार प्राप्त हुआ। आईसीएआई को पूरे विश्व भर से 70 पहलों के बीच आईएसएआर आनर्स के इस वर्ष के सत्र में अधिकतम अंक प्राप्त हुए हैं।

(ii) आईसीएआई द्वारा गिनिज वर्ल्ड रिकार्ड का सृजन – भावी वित्त नेताओं की आकांक्षाओं को उड़ान देना : संस्थान ने विश्व के किसी भी एकल अवस्थान पर ‘सबसे बड़े लेखांकन पाठ’ का आयोजन करके गिनिज वर्ल्ड रिकार्ड को निर्धारित करके अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आईसीएआई ने इस अविश्वसनीय मील के पथर को, आईसीएआई की कैरियर परामर्शी समिति द्वारा 8 सितंबर, 2023 को जेईसीसी, जयपुर में आयोजित ‘युवाओं के लिए लेखांकन और वित्त में कैरियर (सीएफवाई) और अत्यधिक वृहत्त कैरियर परामर्शी कार्यक्रम – भविष्य की राह’ शीर्षक वाले वृहत्त कार्यक्रम के आयोजन के दौरान प्राप्त किया। इस आयोजन में 5000 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए थे, जिनमें छात्र, अध्यापक, प्रधानाचार्य सम्मिलित थे और साथ ही इस आयोजन में अन्य प्रतिभागियों ने भी भाग लिया था और भारत के उत्साही युवा मस्तिष्कों में इस आयोजन ने एक अमिट छाप छोड़ी है।

(iii) आईसीएआई ने अत्यधिक वृहत्त कैरियर परामर्शी कार्यक्रम में अधिकतम संख्या में छात्रों द्वारा भाग लिए जाने हेतु एशिया बुक आफ रिकार्ड्स में प्रविष्टि प्राप्त की : आईसीएआई के नाम को इस विशिष्टि के लिए एशिया बुक आफ रिकार्ड्स में अंकित किया और एशिया बुक आफ रिकार्ड्स की ज्यूरी ने 18 जनवरी, 2023 को ‘आईसीएआई को अत्यधिक वृहत्त कैरियर परामर्शी कार्यक्रम में अधिकतम संख्या में छात्रों द्वारा भाग लिए जाने हेतु’ सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम अभियान का आयोजन 31 अक्टूबर, 2022 को किया गया था जबकि इसके दूसरे अभियान का आयोजन 26 नवंबर, 2022 को किया गया। कक्षा 9 से लेकर स्नातक कार्यक्रम तक के कुल 1,60,648 छात्रों ने प्रधानाचार्यों और अध्यापकों तथा कैरियर परामर्शियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। इन कार्यक्रमों का आयोजन 5 प्रादेशिक परिषदों और 124 शाखाओं द्वारा किया गया था। संस्थान एशिया का ऐसा पहला संगठन है, जिसने एक समय पर अधिकतम संख्या में छात्रों को परामर्श देने के लिए रिकार्ड कायम किया है।

(iv) आईसीएआई को ग्रीन रिबन चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया जाना : आईसीएआई भारत में अपनी प्रमुख पहलों, जैसे कि सामाजिक संपरीक्षा ढांचे और सामाजिक संपरीक्षा मानकों को तैयार करने, आश्वासन नियोजनों संबंधी मानक (एसएई) 3410 – “ग्रीन हाऊस गैस विवरणों संबंधी आश्वासन नियोजन” को निकालने तथा संवहनीयता रिपोर्टिंग परिपक्वता माडल (एसआरएमएम) वर्जन 2.0 जारी करने, आईसीएआई संवहनीय रिपोर्टिंग पुरस्कारों को प्रदान करने तथा बीआरएसआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करने आदि के माध्यम से ईएसजी अभियान को अग्रसर करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

आईसीएआई को नेटवर्क 18 द्वारा, संवहनीय लेखांकन, नेतृत्व वाली भूमिका के लिए प्रतिबद्धता तथा संवहनीयता के प्रति समर्पण तथा विश्व को एक बेहतर हरित स्थान बनाने में प्रेरक कार्य करने के लिए दिल्ली में ग्रीन रिबन चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

35. अन्य उपलब्धियां

(i) आईसीएआई आरवीओ को आईवीवीआई से अन्य दो आस्ति वर्गों, अर्थात् भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी के लिए प्रमाणन उपलब्ध कराने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह अनुमोदन प्रतिभूतियों और वित्तीय आस्तियों को प्रमाणन उपलब्ध कराए जाने के अतिरिक्त है, जिससे सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन होगा।

(ii) आईसीएआई के 75 वर्षों के समारोह के भागरूप में आईसीएआई ने कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए आय-कर विभाग के प्रकाशन संबंधी समर्थन से 100 आय-कर क्लिनिकों का आयोजन किया। कर क्लिनिकों ने न केवल करदाताओं की विधि की जटिलताओं को समझने में सहायता की अपितु उन्होंने साधारण जनता में आय-कर विवरणियों को फाइल करने के महत्व के संबंध में जागरुकता को भी बढ़ावा दिया और इस प्रकार देश में करदाताओं के आधार में वृद्धि करने के प्रति अपना योगदान दिया।

(iii) आईसीएआई ने अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) की अवधारणा को आरंभ किया है, जो एक ऐसा सार्वभौमिक सत्यापन तंत्र है, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा हस्ताक्षित दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे दीर्घकालीन निवेशों को प्राप्त करने, वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य को पूरा करने तथा संवहनीय विकास को समर्थ बनाने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन किया जा सकेगा। आईसीएआई ने वर्ष 2019 की भिन्न-भिन्न तारीखों से विभिन्न प्रमाणपत्रों और संपरीक्षाओं के लिए इसे आज्ञापक बनाया है। आज की तारीख तक 6.6 करोड़ से अधिक यूडीआईएन का सृजन किया गया है, जिससे जनता के विश्वास में बढ़ोतरी हुई है और यह तथ्य केंद्रित नीति निर्माण के लिए जिलों में आर्थिक विश्लेषण का समर्थन कर सकता है।

(iv) आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड ने 7 मई, 2024 को आईसीएआई डिजिटल पठन कैम्पस पोर्टल को आरंभ किया, जिसमें अब सैल्फ-पेसड आनलाइन माड्यूलों (एसपीओएम) से संबंधित विशिष्टियों को सम्मिलित किया गया है। यह पहल छात्रों के पठन अनुभव को समृद्ध करने, नमनीयता उपलब्ध कराने तथा शिक्षा और प्रशिक्षण की नई नीति के साथ सुमेलित समृद्ध अंतर्वस्तु उपलब्ध कराने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

रिपोर्ट की अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण
1.	परिषद्
2.	परिषद् की समितियाँ
3.	लेखा परीक्षक
4.	स्थायी समितियाँ
4.1	कार्यकारी समिति
4.2	वित्त समिति
4.3	परीक्षा समिति
5.	अनुशासन निदेशालय
6.	तकनीकी एवं व्यावसायिक विकास
6.1	लेखा मानक बोर्ड
6.2	लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड
6.3	व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति
6.4	सतत वृत्तिक शिक्षा समिति
6.5	निगम विधि और निगम शासन समिति
6.6	प्रत्यक्ष कर समिति
6.7	सचिव, वाणिज्यिक कानून, आर्थिक सलाहकार और एनपीओ सहकारी समिति
6.8	डिजिटल लेखांकन और आश्वासन बोर्ड
6.9	नैतिक मानक बोर्ड
6.10	विशेषज्ञ सलाहकार समिति

6.11	वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड
6.12	जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति
6.13	आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड
6.14	उद्योग और व्यापार में सदस्यों संबंधी समिति
6.15	पियर पुनर्विलोकन बोर्ड
6.16	वृत्तिक विकास समिति
6.17	लोक और शासकीय वित्त प्रबंध समिति
6.18	जनसंपर्क समिति
6.19	अनुसंधान समिति
6.20	स्थिरता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड
6.21	वित्तीय बाजार और निवेशकों की संरक्षा संबंधी समिति
6.22	लेखा परीक्षा समिति
6.23	डिजिटल री-इंजीनियरिंग और परिवर्तन समिति
6.24	प्रबंधन समिति
6.25	दिवाला और दिवालियापन संहिता पर समिति
6.26	कराधान लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड
6.27	आईसीएआई में एआई
6.28	महिला सदस्य अधिकारिता समिति
6.29	एमएसएमई और स्टार्ट-अप पर समिति
6.30	सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए समिति
6.31	व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति
7.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और विश्व व्यापार संगठन के विकास के लिए समिति (अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अधीन)
8	अन्य गैर-स्थायी समितियों द्वारा गतिविधियाँ
8.1	उद्यमिता और सार्वजनिक सेवाओं में सदस्यों के लिए समिति
8.2	कानूनी निदेशालय
8.3	बुनियादी ढांचा विकास समिति
8.4	अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति
8.5	रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और निगरानी समिति
8.6	यूडीआईएन निदेशालय
8.7	प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय
8.8	लेखापरीक्षा गुणवत्ता निदेशालय केंद्र
8.9	उत्कृष्टता केंद्र निदेशालय

8.10	संपदा विकास निदेशालय (बुनियादी ढांचा विकास समिति के अधीन)
8.11	निविदा निगरानी निदेशालय
8.12	मानव संसाधन निदेशालय
8.13	शिकायत समाधान निदेशालय
8.14	विशिष्ट निधि प्रबंधन निदेशालय
8.15	वित्तीय एवं कर साक्षरता निदेशालय (वित्तीय बाजार एवं निवेशक संरक्षण समिति के अधीन)
8.16	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
8.17	एक्सबीआरएल
8.18	आईसीएआई- अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन
8.19	आईसीएआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन
8.20	आईसीएआई का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स
8.21	भारतीय सामाजिक लेखा परीक्षक संस्थान
8.22	गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड
9.	अन्य मामलों
9.1	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस - 1 जुलाई, 2023
9.2	सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी
9.3	संपादक - मंडल
10.	सदस्यों
10.1	सदस्यता
10.2	दीक्षांत समारोह 2022-23
11.	अध्ययन मंडल
12.	कैरियर परामर्श समिति
13.	क्षेत्रीय परिषदें और उनकी शाखाएँ (आरबीए निदेशालय)
14.	वित्त एवं लेखा
15.	प्रशंसा
	परिषद की संरचना (2024-2025)
	अंकेक्षित वार्षिक लेखा

1. परिषद्

पच्चीसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2022 को किया गया था। वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। संस्थान की 25वीं परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिषद् की 13 बैठकों का आयोजन किया गया था।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति से संबंधित विषयों के बारे में स्थायी और विभिन्न गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों का गठन करती है। 31

मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न स्थायी और गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों की 536 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3. लेखापरीक्षक

मैसर्स अरुण के. अग्रवाल एंड एसोशिएट्स और मैसर्स एस.के. मित्तल एंड कंपनी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संस्थान के संयुक्त लेखापरीक्षक थे, जिन्हें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बनाए रखे पैनल में से नियुक्त किया गया। परिषद् उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी अनुशंसा दर्ज करती है।

4. स्थायी समितियां

आईसीएआई की परिषद् की स्थायी समितियां निम्नानुसार हैं :

4.1 कार्यपालक समिति

4.2 वित्त समिति

4.3 परीक्षा समिति

4.1 कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति के कृत्यों में आर्टिकल्ड और लेखापरीक्षा सहायकों से संबंधित विषय तथा सदस्यों के नामों का रजिस्टर में नामांकन करने, नामों को हटाए जाने, नामों की पुनः प्रविष्टि करने, व्यवसाय प्रमाणपत्र को रद्द करने, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित कृत्य शामिल हैं। कार्यपालक समिति संस्थान की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है और साथ ही वह आईसीएआई के कार्यालय के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी है। कार्यपालक समिति ने वर्ष के दौरान 8 बैठकें की।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है। वित्त समिति ने वर्ष के दौरान बैठकें की।

4.3 परीक्षा समिति

आईसीएआई की परिषद् के परीक्षाओं से संबंधित सभी कृत्यों का निर्वहन परीक्षा समिति द्वारा किया जाता है। परीक्षा समिति देश भर में और साथ ही विदेशों में भी एक उत्तम रीति से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षाओं का संचालन करती है। इन परीक्षाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(I) परीक्षाएं

मई/जून, 2023

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मध्यवर्ती, फाइनल पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) की मई परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 553 केंद्रों पर 02 मई, 2023 से 18 मई, 2023 के दौरान तथा फाउंडेशन परीक्षा का संचालन 24, 26, 28 और 30 जून, 2023 के दौरान सभी सामाजिक दूरी सनियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से किया गया था। उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षा देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी:-

(क) मुख्य (मध्यवर्ती, फाइनल और पीक्यूसी) परीक्षा :

समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले छात्र		समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले छात्र		दोनों समूहों की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले छात्र	
परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले

मध्यवर्ती	100781	19103	81956	19208	39195	4014
फाइनल	57067	6795	61844	19438	25841	2152

	परीक्षाएं देने वाले छात्र	उत्तीर्ण होने वाले छात्र
आईएनटीटी – एटी मई 2023 में आयोजित किया	141	50

(ख) फाउंडेशन परीक्षा :

	परीक्षाएं देने वाले छात्र	उत्तीर्ण होने वाले छात्र
फाउंडेशन परीक्षा जून, 2023	103517	25860

नवंबर/दिसंबर, 2023

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रम की नवंबर परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 566 केंद्रों पर 1 नवंबर, 2023 से 17 नवंबर, 2023 के दौरान तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) और बीमा तथा जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा (आईआरएम) के साथ फाउंडेशन परीक्षा का संचालन 31 दिसंबर, 2023 और 2, 4, 6 जनवरी, 2024 के दौरान सभी सामाजिक दूरी संनियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से किया गया था। उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षा देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :

(क) मुख्य (मध्यवर्ती, फाइनल और पीक्यूसी) परीक्षा :

	समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले छात्र		समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले छात्र		दोनों समूहों की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले छात्र	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती	117304	19686	93638	17957	53459	5204
फाइनल	65294	6176	62679	13540	32907	3099

बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी - एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन नवंबर, 2023 के दौरान देश भर में कराया गया था। इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षा देने वाले छात्र	उत्तीर्ण होने वाले छात्र
आईआरएम - तकनीकी परीक्षा, नवंबर, 2023	21	3
आईएनटीटी – एटी नवंबर, 2023 में आयोजित	165	96

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम के अधीन अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण (आईएनटीटी – एटी) के लिए ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का आयोजन :

नवंबर, 2022 से अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण (आईएनटीटी – एटी) के अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम की परीक्षा की अवधि 4 घंटे की कर दी गई है, जिसका आयोजन ओपन बुक पद्धति के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में निम्नानुसार विनिश्चय किया गया था :

- अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण (आईएनटीटी – एटी) परीक्षा की ओपन बुक पद्धति के अधीन अभ्यर्थियों को यह अनुमति दी जाती है कि वे परीक्षा हाल में अपने स्वयं की सामग्री ला सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी सामग्री में आईसीएआई द्वारा उपलब्ध कराई गई

अध्ययन सामग्रियां, प्रैक्टिस मैनुअल, पाठ्य पुस्तकें, अधिनियम, छात्रों द्वारा स्वयं तैयार किए गए नोट्स या कई अन्य संदर्भ सामग्रियां सम्मिलित हो सकेंगी।

- अभ्यर्थियों को परीक्षा हाल में मोबाइल फोन, आई पेड या अन्य इलैक्ट्रॉनिक युक्तियों को लाने की अनुमति नहीं है।
- परीक्षा हाल/कक्ष के भीतर किसी सामग्री का अभ्यर्थियों के बीच परस्पर आदान-प्रदान किए जाने की अनुमति नहीं है।

(ख) फाउंडेशन परीक्षा :

	परीक्षा देने वाले छात्र	उत्तीर्ण होने वाले छात्र
फाउंडेशन परीक्षा दिसंबर, 2023	137153	41132

(ग) आईएसए – एटी

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम के लिए सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा मूल्यांकन परीक्षा (आईएसए-एटी) जुलाई 2023 और जनवरी 2024 में पूरे देश में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :

	परीक्षा में बैठने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
आईएसए - एटी, जुलाई, 2023 (नया पाठ्यक्रम)	3066	315
आईएसए - एटी, जनवरी, 2023 (नया पाठ्यक्रम)	2767	221

(घ) उन्नत आईसीआईटीएस परीक्षा

वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस) परीक्षाओं का भी नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार आयोजन किया गया था :

एआईसीआईटीएसएस- एआईटीटी तारीख	परीक्षा केंद्रों की संख्या	उन स्थानों (शहरों) की संख्या, जहां परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे	परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या
24-जनवरी-23	86	75	6325	6319
30-जुलाई-23	86	81	4047	4030
26-अगस्त-23	74	74	2256	2254
23-सितंबर-23	83	76	4185	4174
23-दिसंबर-23	78	76	3874	3871
20-जनवरी-24	74	73	3134	3119
24-फरवरी-24	86	82	4975	4803
30-मार्च-24	107	93	7936	7790

परीक्षा केन्द्रों एवं छात्रों की संख्या के आंकड़े

संस्थान अपनी परीक्षा प्रक्रिया में निरंतर सुधार करता रहा है और यह सुधार प्रश्न-पत्र निर्धारण करने से परिणाम की घोषणा तक के सभी प्रक्रमों को अंतर्विष्ट करता है, जिससे परीक्षा प्रणाली की निष्ठा और पवित्रता को, जो सात दशकों से अधिक की अवधि से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके। संस्थान की परीक्षाएं आधुनिक रूप से सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यवहारिक प्रयोग की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे छात्र उनके सामने आने वाली नई चुनौतियों और वृत्ति के विभिन्न पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें। संस्थान की परीक्षा प्रक्रिया मुख्य रूप से यह सुनिश्चित

करने हेतु अपना ध्यान केंद्रित करती है कि संस्थान की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित प्रश्नों के अनुमान से बचा जा सके ताकि उन परीक्षाओं को अर्हित करने वाले छात्र एक पूर्ण रूपेण योग्य वृत्तिक बन सकें।

ऐसे परीक्षा केंद्रों की संख्या, जहां भारत और विदेशों में 2023-24 के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं का आयोजन किया गया था :

परीक्षाएं	मई/जून 2023	नवंबर/दिसंबर 2023
फाउंडेशन पाठ्यक्रम	500	562
मुख्य, अर्थात् फाइनल और मध्यवर्ती	552	566
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा	98	104
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम)	--	35
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा	116 (जुलाई 2023)	55 (जनवरी 2024)

वर्ष 2023 के दौरान आयोजित की गई संस्थान की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के आंकड़े

परीक्षाएं	मई/जून 2023	नवंबर/दिसंबर 2023
फाउंडेशन पाठ्यक्रम	117068	152595
मध्यवर्ती	173462	185289
फाइनल	110519	110841
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा	291	309
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम)	--	37
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा	3801 (जुलाई, 2023)	3715 (जनवरी, 2024)

(II) आईसीएआई परीक्षा आवेदन प्ररूपों का स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) के साथ एकीकरण

आईसीएआई परीक्षा आवेदन प्ररूपों को अन्य एकल पोर्टल की बजाए स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण सीए की मई और नवंबर, 2023 की परीक्षाओं से किया गया है। यह एकीकरण छात्रों को सुगमता से स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर परीक्षा प्ररूपों को भरने में समर्थ बनाता है, जहां छात्रों के ब्यौरे, अर्थात् फोटो, हस्ताक्षर, छूटों आदि को स्वतः ही प्ररूप में भर दिया जाता है और इससे छात्रों को प्ररूप भरे जाने के प्रक्रम पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता (परीक्षाओं के लिए आईसीएआई के पात्रता मानदंडों के अनुसार) स्थापित करने में सहायता प्राप्त की है। परीक्षाओं हेतु आवेदन प्ररूप भरे जाने के अलावा छात्रों को परीक्षा के नगर/समूह/माध्यम में भी परिवर्तन (शुद्धिकरण पटल के माध्यम से) करने की सुविधा प्राप्त होती है और साथ ही छात्र परीक्षाओं के लिए अपने प्रवेश-पत्रों को भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इन क्रियाकलापों को भी स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) के साथ एकीकृत किया गया है।

(III) एमआरए/एमओयू/ओसीआई स्कीम के अधीन विशेष परीक्षा

ऐसे संस्थानों के, जिनके साथ आईसीएआई ने परस्पर मान्यता करार (एमआरए) /परस्पर समझ ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, सदस्यों के लिए 12 से 14 जून, 2023 के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया (ओसीआई) स्कीम के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन 16 जून, 2023 को किया गया था।

(IV) छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस

आईसीएआई ने एक छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध परियोजना नामक एकीकृत वेब इंटरफेस प्रारंभ किया था, जिस पर सीए के छात्र एकल उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करते हुए विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं तक पहुंच बना सकते

हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अंक सूत्रियां/ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/प्रतिलिपियों, केंद्र/ माध्यम/समूह में परिवर्तन के लिए आवेदन, परीक्षा-दर-परीक्षा प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और परिणाम के पश्चात् उत्तर-पुस्तिकाओं के सत्यापन/उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आदि भी हैं।

(V) डिजिटल अंकन प्रणाली/डिजिटल मूल्यांकन

100 प्रतिशत अंकीकरण के पथ पर अग्रसर होते हुए वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 33.48 लाख उत्तर-पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन का अंकीकरण संस्थान की द्रुत मूल्यांकन, त्रुटि मुक्त परिणाम तथा साथ ही परीक्षकों के लिए सुगमता और सुविधा को सुकर बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है।

(VI) परीक्षकों के लिए डिजिटल कार्यशाला/वेबकास्ट

डिजिटल पद्धति से परीक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने के पथ पर अग्रसर होते हुए, वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 9,000 परीक्षकों ने डिजिटल कार्यशाला में भाग लिया। इन डिजिटल कार्यशालाओं के कारण लागत में भी भारी बचत होती है और साथ ही परीक्षकों के लिए भी अपने निवास-स्थान से सुगमता तथा सुविधाजनक रूप से इन डिजिटल कार्यशालाओं में भाग लेना आसान हो जाता है, जिन्हें अन्यथा भौतिक कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियों की यात्रा करनी पड़ती थी। परीक्षकों के लिए वेबकास्ट के माध्यम से उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की क्वालिटी और संगतता में वृद्धि करने के लिए कार्यक्रमों का, मई/जून, 2023 तथा नवंबर/दिसंबर, 2023 की परीक्षाओं हेतु सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पहल से यह आशा की जाती है कि इससे मूल्यांकन की गुणवत्ता में भारी सुधार आएगा।

(VII) विद्यमान और नए परीक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा

विद्यमान परीक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से केवल ऐसे विद्यमान परीक्षकों को परीक्षा संबंधी समनुदेशन आबंटित किए गए, जिन्होंने आज्ञापक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। इसी प्रकार, नए आवेदकों, जो परीक्षक के रूप में पैनलबद्ध होने की वांछा करते हैं, को भी आज्ञापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। वर्ष 2023-24 के दौरान, बड़ी संख्या में नए परीक्षकों को पैनलबद्ध करने और साथ ही ऐसे परीक्षकों के, जिनकी तीन वर्ष की अवधि की विधिमान्यता पूरी हो रही थी, पैनल में नाम के नवीकरण हेतु एक बृहत् अभियान चलाया गया था। इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 2484 नए और विद्यमान परीक्षकों ने आज्ञापक परीक्षा को उत्तीर्ण किया तथा वे परीक्षकों के पैनल का भाग बने।

(VIII) परीक्षा कृत्यकारियों के लिए वेबकास्ट/केंद्रों और संप्रेक्षकों के लिए वेबकास्ट

मई/जून, 2023 तथा नवंबर/दिसंबर, 2023 की परीक्षाओं के लिए संप्रेक्षकों, परीक्षा केंद्रों, बैंक ऑफ बडौदा, परीक्षा समन्वयकों के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी वेबकास्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

(IX) संप्रेक्षक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप (एंड्रायड/आईओएस)

परीक्षा केंद्रों में नियुक्त संप्रेक्षकों से संबंधित सभी क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण, आबंटित समनुदेशनों के व्यौरों को होस्ट करना, स्वीकृति पत्रों/दैनिक रिपोर्टों/मानदेय के लिए दावों को प्रस्तुत करना आदि भी हैं, को सुकर बनाने, संप्रेक्षक पोर्टल को विकसित करने तथा मोबाइल ऐप को तैयार करने के लिए एक वेब पोर्टल <http://observers.icaiaexam.icaai.org> स्थापित किया गया है। मोबाइल ऐप को आरंभ करने से किसी विशिष्ट दिन के लिए अभिप्रेत सही कोड के सीलबंद पैकेटों को एकत्रित करने में काफी सहायता मिली है।

(X) केंद्रीय वेब पोर्टल

परीक्षा की तारीख को दैनिक आधार पर अनुपस्थित व्यक्तियों से संबंधित डाटा को आनलाइन रूप से प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल <http://centres.icaiaexam.icaai.org> को स्थापित किया गया है।

(XI) पीक्यूसी परीक्षाओं के लिए आनलाइन परीक्षा आवेदन प्ररूप

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम परीक्षाओं, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय कराधान - निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) और बीमा तथा जोखिम प्रबंध (आईआरएम) तकनीकी परीक्षा (जो संस्थान के सदस्यों के लिए खुली है) में बैठने के लिए सदस्य बीजा या मास्टर या मायस्ट्रो क्रेडिट/डेबिट कार्ड/रुपए कार्ड/ नेट बैंकिंग/ भीम यूपीआई के माध्यम से आनलाइन रूप से परीक्षा फीस का संदाय करके pgc.icaiaexam.icaai.org पोर्टल पर आनलाइन रूप से आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

5. अनुशासन निदेशालय

अनुशासन निदेशालय, आईसीएआई के विनियामक खंड का कार्य सदस्यों के विरुद्ध “प्ररूप I में एक औपचारिक शिकायत” या किसी “सूचना” के माध्यम से प्राप्त अभिकथित वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोपों के मामलों के संबंध में अन्वेषण करना है, जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण प्रक्रिया और मामलों का संचालन) विनियम, 2007 में उपबंधित है।

अनुशासन तंत्र के अधीन आईसीएआई के अनुशासन निदेशालय को यह आज्ञापक कर्तव्य सौंपा गया है कि वह देश भर में स्थित उसके सदस्यों द्वारा की गई किन्हीं अभिकथित वृत्तियों/अनियमितताओं की जांच करे, जिससे न केवल सभी पणधारियों और साधारण जनता में न केवल वृत्ति के प्रति विश्वास अक्षुण्ण बना रहे अपितु साधारण रूप से वृत्ति के सदस्यों को स्वीकार्य वृत्तिक आचार के मानदंड उपलब्ध कराए जा सकें। हालांकि, वृत्ति के अधिकांश सदस्य अपनी वृत्तिक विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से समाज और विश्व को निस्वार्थ और समर्पित सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं फिर भी आईसीएआई के लिए सतत रूप से यह आवश्यक है कि वह अपने संतुलित अनुशासन तंत्र के माध्यम से सावधानी बरते और नगण्य सदस्यों, जो अनावधानीवश विधि का उल्लंघन कर बैठते हैं, को सही दिशा प्रदान करे।

वर्ष 2006 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के निबंधनानुसार आईसीएआई के अनुशासन तंत्र में कतिपय महत्वपूर्ण और अत्यंत नवीन परिवर्तन हुए हैं, जो मुख्यतः अनुशासन संबंधी मामलों के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंधों में कार्यान्वित किए गए हैं, जिससे अनुशासन संबंधी मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। तदनुसार, आज की तारीख में अनुशासन तंत्र अपने दो अर्ध-न्यायिक निकायों, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार गठित किया गया था, के माध्यम से अपना कार्यकरण कर रहा है, अर्थात् :-

- अनुशासन बोर्ड ; और
- अनुशासन समिति।

अनुशासन तंत्र में अंतर्वलित तंत्र और प्रक्रियाओं को ऐसी रीति में विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र के पणधारियों और साधारण जनता के विश्वास में अभिवृद्धि करती हैं और साथ ही ऐसे सदस्यों को, जिन पर वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोप लगाए गए हैं, निष्पक्ष और साम्यापूर्ण न्याय उपलब्ध कराती हैं।

व्यवसायियों और फर्मों की जवाबदेही में और अधिक सुदृढ़ता लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि युक्तियुक्त समय के भीतर न्याय प्रदान किया जाता है, वर्ष 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 का संशोधन किया गया है। यद्यपि, उस तारीख को अभी अधिसूचित किया जाना है, जिसको अनुशासन संबंधी उपबंध लागू होंगे।

वर्तमान परिषद् वर्ष 2024-25 के दौरान अनुशासन समिति की पांच खंडपीठों का गठन किया गया है, अर्थात् खंडपीठ I, खंडपीठ II, खंडपीठ III, खंडपीठ IV और खंडपीठ V (एमएनएएफ मामले) तथा अनुशासन बोर्ड की एक खंडपीठ का भी गठन किया गया है, जिससे निदेशक (अनुशासन) द्वारा तैयार की गई प्रथमदृष्ट्या राय पर विचार किए जाने के साथ-साथ जांच के अधीन मामलों के संबंध में भी शीघ्र निपटान की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, धारा 21घ के अधीन अध्यक्ष, आईसीएआई की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति शेष बचे पुराने मामलों और ऐसे मामलों, जो उसे परिषद् द्वारा पुनः निर्दिष्ट किए जाते हैं, के संबंध में कार्यवाही करेगी।

(I) विशिष्ट पहलें/उपलब्धियां :

- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के सदस्यों की प्रभावी भागीदारी के साथ ई-सुनवाईयों का सफलतापूर्वक आयोजन। यह प्रक्रिया एक वरदान साबित हुई है, जिससे न केवल समय और लागत की बचत होती है अपितु इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि मामलों के पक्षकार यात्रा संबंधी व्ययों के संबंध में चिंता किए बिना अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित हो सकें। ई-सुनवाईयों की प्रभाविकता स्पष्ट रूप से इसके माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या में उपदर्शित होती है, जिनके संबंध में अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति की बैठकों में कार्यवाही की गई, जैसा कि पश्चातवर्ती पैराओं में कथन किया गया है।
- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित किए गए अनुशासन संबंधी मामलों के ब्यौरों और साथ ही अन्य चीजों के साथ मामलों की वाद सूची को भी अनुशासन निदेशालय के समर्पित वेब पोर्टल पर रखा जा रहा है, जिससे विभिन्न पणधारियों के बीच और अधिक जागरूकता का सृजन किया जा सके और अनुशासन निदेशालय से संबंधित जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु एकल पटल उपलब्ध कराया जा सके।

- अनुशासन निदेशालय के अभिलेखों के अंकीकरण के लिए अनुशासन निदेशालय के भौतिक अभिलेखों को स्कैन किए जाने संबंधी कार्यवाही को प्रारंभ किया गया है और जिसके माध्यम से पुराने अनुशासनिक अभिलेखों के संबंध में जानकारी तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।
- आज की तारीख तक पुराने अनुशासन तंत्र (धारा 21ख के अधीन) के अधीन शेष बचे सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है और उक्त मामलों में निर्णय सुना दिया गया है, सिवाए एक मामले के, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के आदेश को ध्यान में रखते हुए परिषद् के समक्ष विचाराधीन है।

(II) अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद् द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है। अवधि के दौरान (1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024), अनुशासन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर 55 बैठकों की थी, जिनमें भौतिक रूप से/वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा की गई बैठकों सम्मिलित हैं। इन बैठकों में, बोर्ड ने 126 मामलों, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा की गई बैठकों की संख्या	55
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी (जिसके अंतर्गत ऐसे मामले भी हैं, जिन पर नियम 6/नियम 12 के अधीन विचार किया गया)।	418
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामलों) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	126
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड दिया गया है (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	63
ङ)	विचार किये गये विविध मामलों की संख्या [नियम 5(6) के अंतर्गत, अधिकारिता संबंधी मुद्दा, आदि]	1691

(III) अनुशासन समिति

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद् द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची या पहली तथा दूसरी अनुसूची, दोनों के परिधि-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अवधि के दौरान (1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024), अनुशासन समिति (सभी खंडपीठों) ने 133 बैठकों की थी, जिनमें भौतिक रूप से/वीडियो कांफ्रेंसिंग पद्धति द्वारा की गई बैठकों सम्मिलित हैं। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 309 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा की गई बैठकों की संख्या	133
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय	183


	प्राप्त की गई थी।	
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति* द्वारा जांच पूरी की गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	309
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति* द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	142

(IV) धारा 21घ के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में पूर्वोक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र [धारा 21घ] के अधीन कार्यवाही की गई

चूंकि, अनुशासन समिति द्वारा वर्ष 2018 में ही शेष सभी मामलों के संबंध में सुनवाई पूरी कर दी गई थी तथा उनका निपटारा कर दिया गया था, इसलिए पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान समिति की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया। पूर्वोक्त अवधि के दौरान, एक मामले के सिवाय जिसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वापस निर्दिष्ट किया गया, अनुशासन समिति की कोई अन्य रिपोर्ट परिषद् के समक्ष विचारार्थ लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कदाचार के संबंध में परिषद् द्वारा प्रत्यर्थी को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (असंशोधित) की धारा 21(4) के अंतर्गत अधीन सुनवाई का अवसर (जिसे पूर्व में मामले के संबंध में आस्थगन आदेश के कारण विचार में नहीं लिया जा सका था) प्रदान किए जाने के पश्चात् परिषद् द्वारा एक आदेश पारित किया गया है।



6. तकनीकी और वृत्तिक विकास

6.1 लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी)

लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी), जिसे वर्ष 1977 में आईसीएआई द्वारा स्थापित किया गया था, का मुख्य उद्देश्य भारत में एक उत्तम, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन मानकों को तैयार करना है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना तथा देश भर में प्रचलित लेखांकन व्यवहारों को सुमेलित करना तथा भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईआरएफएस) के समरूप बनाना सम्मिलित है। पिछले कुछ वर्षों में, एएसबी ने सतत रूप से नए लेखांकन मानकों को विकसित करते हुए विद्यमान मानकों को अद्यतन तथा पुनरीक्षित करने का कार्य भी जारी रखा है, जिससे प्रगतिशील कारबार वातावरण, आर्थिक परिस्थितियों और विनियामक

अपेक्षाओं की निरंतर परिवर्तनशील अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जटिल कारबार परिस्थितियों में इन मानकों को संगत रूप से लागू किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए एएसबी आवधिक रूप से विभिन्न मार्गदर्शक सामग्रियां जारी करता है। आईसीएआई, एएसबी के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन आने वाली कंपनियों के लिए लेखांकन मानक भी तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ऐसे लेखांकन मानकों को तैयार तथा जारी करता है, जो गैर-कंपनी अस्तित्वों को लागू होते हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा किए गए प्रमुख क्रियाकलापों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग मानक :

- **इंड एएस का संशोधन** – कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 को कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा तारीख 31 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया था, जैसा कि आईसीएआई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन सिफारिश की गई थी। इंड एएस में किए गए ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के संबंध में लागू हैं।
- इंड एएस कार्यान्वयन पहलों के भागरूप में, इंड एएस 12 आय-कर में संशोधन को जारी किया गया था। इसके साथ ही इंड एएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 15 (पन्द्रह) बैचों के लिए आनलाइन पाठ्यक्रमों का आयोजन आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र (डीएलएच) मंच के माध्यम से किया गया था।
- वर्ष के दौरान, आईसीएआई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निम्नलिखित विषयों पर इंड एएस और एएस में संशोधन करने की सिफारिश की गई है :
 - किसी विक्रय में पट्टा दायित्व और लीज बैक – इंड एएस 116, पट्टा में संशोधन।
 - पारस्परिक संविदाओं सहित दायित्वों का चालू या गैर-चालू के रूप में तथा गैर-चालू दायित्व के रूप में वर्गीकरण – इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, का संशोधन।
 - आपूर्तिकर्ता वित्त ठहराव – इंड एएस 7 और इंड एएस 107 का संशोधन।
 - अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार – स्तंभ 2 माडल नियम – इंड एएस 12, आय-कर का संशोधन।
 - अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार – स्तंभ 2 माडल नियम – एएस 22, आय पर करों के लिए लेखांकन, का संशोधन।
 - परस्पर विनिमय का अभाव – इंड एएस 21, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में अंतर का प्रभाव, का संशोधन।
- सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 34क के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारियों के लिए लेखांकन मानकों से संबंधित सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया है।

(II) अंतर्राष्ट्रीय पहलें : दीर्घकालिक भागीदारियां स्थापित करना

- वैश्विक स्तर पर मानक निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) और आईएफआरएस निर्वचन समिति आईएफआरएस (आईसी) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शी दस्तावेजों/उद्भासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों/अंतरिम कार्यसूची विनिश्चयों के संबंध में टीका-टिप्पणियों को प्रस्तुत किया जाता है। इस अवधि के दौरान प्राप्त प्रस्तुतियों का विवरण निम्नलिखित है:
 - आईएएसबी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा जारी निम्नलिखित परामर्शी दस्तावेजों के संबंध में टीका-टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया :
 - ❖ अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार संबंधी उद्भासन प्रारूप – स्तंभ 2 माडल नियम – एसएमई मानकों के लिए आईएफआरएस में प्रस्तावित संशोधन।
 - ❖ वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण और मापमान में संशोधनों संबंधी उद्भासन प्रारूप (आईएफआरएस 9 और आईएफआरएस 7 में प्रस्तावित संशोधन)
 - ❖ आईएफआरएस 9, वित्तीय लिखत हानिकरण के क्रियान्वयन पश्च पुनर्विलोकन (पीआईआर) के संबंध में जानकारी के लिए अनुरोध (आरएफआई)

- ❖ आईएफआरएस 15, ग्राहकों के साथ संविदाओं को राजस्व के क्रियान्वयन पश्च पुनर्विलोकन (पीआईआर) के संबंध में जानकारी के लिए अनुरोध (आरएफआई)
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी लेखांकन मार्गदर्शन (आईएनपीएजी) संबंधी उदभासन प्रारूप – भाग 1
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी लेखांकन मार्गदर्शन (आईएनपीएजी) संबंधी उदभासन प्रारूप – भाग 2
- ❖ आईएफआरएस लेखांकन मानकों में वार्षिक सुधारों संबंधी उदभासन प्रारूप – जिल्द 11
- ❖ साम्या की विशिष्टियों वाली वित्तीय लिखतों संबंधी उदभासन प्रारूप – आईएएस 32, आईआरएफएस 7 और आईएएस 1 में प्रस्तावित संशोधन
- आईएफआरएस निर्वचन समिति (आईएफआरएस आईसी) को निम्नलिखित अंतरिम कार्यसूची विनिश्चयों (टीएडी) के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई :
 - ❖ व्युत्पन्न संविदा पर प्रतिभू (आईआरएफएस 9)
 - ❖ कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए गृह और गृह ऋण
 - ❖ मध्यवर्तियों से प्राप्य प्रीमियम (आईआरएफएस 17 और आईएफआरएस 9)
 - ❖ किसी पृथक् वित्तीय विवरण में किसी मूल और उसकी समतुल्यता के बीच विलयन (आईआरएफएस 27)
 - ❖ कब्जा सौंपने की अवधियों के दौरान चालू नियोजन संबंधी आकस्मिक संदाय (आईएफआरएस 3)
 - ❖ पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताएं (आईएएस 37)
 - ❖ रिपोर्टनीय खंडों के लिए राजस्वों और व्ययों का प्रकटन (आईएफआरएस 8)
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक मंचों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह (ईईजी), अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारक मंच (आईएफएसएस) और एशियन – ओशनियन मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी)। इन बैठकों में भारत की चिंताओं को व्यक्त करते हुए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :
 - एओएसएसजी की 15वीं वार्षिक बैठक में, आस्ट्रेलिया और कोरिया के साथ एक पैनल परिचर्चा के भागरूप में अध्यक्ष, एएसबी ने आईएफआरएस 15, भारतीय अधिकारिता में ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व के संबंध में क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर प्रस्तुतिकरण।
 - 17-19 अप्रैल, 2024 के दौरान आयोजित आईएफएसएस की बैठक के दौरान आईसीएआई के माननीय उपाध्यक्ष ने “वित्तीय लिखतों का लेखांकन” विषय पर प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें वित्तीय लिखतें, अर्थात् इंड एस 109 के संबंध में भारतीय लेखांकन मानकों के क्रियान्वयन में अंतर्वलित मुद्दों के संबंध में प्रस्तुति की गई।
 - 26-27 सितंबर, 2023 के दौरान आयोजित आईएफएसएस की बैठक के दौरान आईसीएआई के एएसबी के उपाध्यक्ष ने “संवहनीयता रिपोर्टिंग क्रियान्वयन संबंधी मुद्दे, सक्षमता निर्माण और क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शन” विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में पैनल सदस्य के रूप में भाग लिया।

(III) विनियामक निकायों के साथ उत्तम संबंध बनाना

- एएसबी, विभिन्न विनियामकों (जैसे कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई आदि) द्वारा निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करके विनियामक निकायों के साथ उत्तम संबंध स्थापित करने के प्रति कार्य करता है और जहां कहीं उपयुक्त प्रतीत होता है वहां सुसंगत विनियामकों के साथ विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(IV) वेबकास्ट/वेबीनार/आउटरीच बैठकें :

एएसबी द्वारा विरचित लेखांकन मानकों और इंड एस के संबंध में जागरूकता का सृजन करने तथा उनसे संबंधित ज्ञान के अनिवार्य प्रसार के लिए 16 वेबकास्टों/वेबीनारों/ आउटरीच बैठकों का आयोजन किया गया था।

(V) अन्य पहलें :

- 22 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में दूसरे लेखांकन मानक दिवस का समारोह मनाया गया, जिसमें लेखांकन मानकों के ढांचे, प्ररूपों और उनके लागू होने के संबंध में परिचर्चाएं की गईं और साथ ही आस्तियों, व्ययों तथा राजस्व से संबंधित मानकों के चिंताजनक महत्वपूर्ण पहलुओं का भी समाधान उपलब्ध कराया गया।
- सदस्यों के साथ एएसबी के क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी को साझा करने तथा विभिन्न लेखांकन पहलुओं से संबंधित घटनाओं की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने तथा ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए एएसबी की 300वीं बैठक में एक नई उन्नत वेबसाइट को आरंभ किया गया।
- गैर-निगम अस्तित्वों और सीमित दायित्व भागीदारियों के लिए वित्तीय विवरणों के प्ररूपों तथा एनपीओ के लिए लेखांकन के संबंध में लघु वीडियो तैयार किए गए थे। एएसबी की यात्रा के संबंध में भी एक लघु वीडियो जारी किया गया है।
- इस वर्ष एक मासिक लेखांकन क्विज को आरंभ किया गया है, जो एक ऐसा शैक्षिक उपकरण सिद्ध होगी, जो पणधारियों के लिए लेखांकन और वित्त संबंधी विषयों को सुगम बनाएगी, जिससे पणधारी उन विषयों को पढ़ सकें तथा उनके संबंध में अपनी समझ को विस्तृत कर सकें।

(VI) जारी किए गए प्रकाशन :

- गैर-निगम अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
- सीमित दायित्व भागीदारियों के वित्तीय विवरणों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
- लेखांकन मानक : त्वरित संदर्भ (फरवरी 2024 तक)
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस के रूप में) : एक सिंहावलोकन (पुनरीक्षित 2023)
- लेखांकन के नकद आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी तकनीकी गाइड
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) : प्रकटन जांच सूची (पुनरीक्षित अप्रैल 2024)
- गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित 2023)।

6.2 लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएसबी)

लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही को सुदृढ़ करके तथा विश्वास और भरोसे को पुनः स्थापित करके लोक हित के प्रयोजन को सिद्ध करने तथा उसे संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखापरीक्षा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने, जनता द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों की विविधता, संख्या और मूल्य को विस्तारित करने में भी सहायता करती है। तथापि, हाल ही के वर्षों में कारबार परिस्थितियों तथा कारबार माडलों और उनके भौगोलिक विस्तार में बढ़ती जटिलताओं के कारण लेखापरीक्षा करने वाले वृत्तिकों के सामने यह समस्या आ रही है कि विभिन्न पणधारियों द्वारा उनसे की जाने वाली आशाओं में कई गुणा वृद्धि हुई है। आईसीएआई सक्रिय रूप से इन आशाओं के प्रति सकारात्मक रूप से खरा उतरने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है।

आईसीएआई अपने संपरीक्षा और लेखांकन मानक बोर्ड के माध्यम से लेखापरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासन, क्वालिटी नियंत्रण और संबद्ध सेवाओं में उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को विकसित करता है। ये मानक न केवल संपरीक्षा के क्षेत्र में विद्यमान सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करते हैं, अपितु वे ऐसे मानदंड भी उपलब्ध कराते हैं, जिनके प्रति संपरीक्षकों के कार्यपालन को मापा जा सकता है। बोर्ड, संपरीक्षा के क्षेत्र में साधारण और साथ ही उद्योग विनिर्दिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पण भी विकसित करता है, जिनका मुख्य उद्देश्य संपरीक्षकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इन दस्तावेजों को, बोर्ड की एक कठोर सम्यक् प्रक्रिया के पश्चात् आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। आईसीएआई द्वारा संपरीक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भलीभांति समन्वित किया जाता है। बोर्ड तकनीकी गाइडों, पैक्टिस मैनुअलों, अध्ययनों और अन्य प्रपत्रों को भी तैयार करता है, जिन्हें सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए उसके स्वयं के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। सदस्यों को लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड उन मानकों के संबंध में कार्यान्वयन गाइडें भी जारी करता है।

आज की तारीख तक बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षिप्त पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

(I) जारी किए गए मानक

- एसए 800 (पुनरीक्षित), विशेष प्रतिफल – विशेष प्रयोजन ढांचे के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा।
- एसए 805 (पुनरीक्षित), विशेष प्रतिफल – एकल वित्तीय विवरण और विनिर्दिष्ट अवयवों, लेखाओं या वित्तीय विवरण की मदों की संपरीक्षा।
- एसए 810 (पुनरीक्षित), संक्षिप्त वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट संबंधी नियोजन।

(II) मंत्रालयों, विनियामकों को अभ्यावेदन/सुझाव

- सेबी के अनुरोध पर बोर्ड ने “डिजिटल आश्वासन और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संबंधी प्रबंध मंडल प्रकटनों के विवरण का प्ररूप” को विकसित किया। इस प्ररूप को सेबी को प्रस्तुत किया गया है।
- बोर्ड ने बैंककारी क्षेत्र के लिए अतिशेष पुष्टिकरण हेतु एक सामान्य मंच विकसित करने के लिए भारतीय बैंकों के संगम के साथ सहयोग किया है। आईसीएआई ने इस विषय पर आईबीए और पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मंच को तैयार करने की प्रक्रिया प्रगतिशील है।
- बोर्ड ने 7 नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानकों को अंतिम रूप प्रदान किया है [एसक्यूएम 1, एसक्यूएम 2, एसए 220 (पुनरीक्षित), एसए 250 (पुनरीक्षित), एसए 315 (पुनरीक्षित), एसए 540 (पुनरीक्षित) और एसए 4400 (पुनरीक्षित)]। इन मानकों में से लेखांकन संबंधी चार पुनरीक्षित मानकों [एसए 220 (पुनरीक्षित), एसए 250 (पुनरीक्षित), एसए 315 (पुनरीक्षित) और एसए 540 (पुनरीक्षित)] को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन संपरीक्षा मानकों की अधिसूचना जारी करने हेतु एनएफआरए को प्रस्तुत किया गया है।

(III) अंतर्राष्ट्रीय मंचों को योगदान

- उपाध्यक्ष, एएएसबी को 1 जनवरी, 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड आईएएएसबी के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
- उपाध्यक्ष, एएएसबी ने मार्च, 2024 में न्यूयार्क, यूएसए में आयोजित आईएएएसबी की बैठक में भाग लिया।
- उपाध्यक्ष, एएएसबी ने जून, 2024 में मैड्रिड, स्पेन में आयोजित आईएएएसबी की बैठक में भाग लिया।

(IV) जारी की गई उद्घोषणाएं

- “संस्थान द्वारा जारी दस्तावेजों से जुड़े प्राधिकारी के संबंध में स्पष्टीकरण” का संशोधन और “क्वालिटी नियंत्रण, लेखापरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासन संबंधी मानकों और संबद्ध सेवाओं का प्रकथन” में पारिणामिक संशोधन।

(V) सदस्यों के लिए पहलें

- बोर्ड ने सदस्यों की जागरूकता और वृत्तिक प्रगति हेतु नियोजनों और क्वालिटी नियंत्रण मानकों, बैंक संपरीक्षा और अन्य संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और वेबकास्टों का आयोजन किया। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षाओं से संबंधित सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने हेतु विशेषज्ञों के एक ऑनलाइन पैनल का गठन किया। इस पैनल ने 1 अप्रैल, 2024 से 30 अप्रैल, 2024 तक की अवधि के दौरान सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया।
- बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संपरीक्षा संबंधी पहलुओं के संबंध में कानूनी संपरीक्षा से संबंधित शंकाओं का समाधान करने हेतु एक विशेषज्ञ पैनल का भी गठन किया। उक्त पैनल के विशेषज्ञ 16 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक शंकाओं का समाधान करेंगे।

(VI) जारी किए गए प्रकाशन

- गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित 2023 संस्करण)।
- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अधीन लेखापरीक्षा ट्रेल की रिपोर्टिंग संबंधी क्रियान्वयन गाइड (पुनरीक्षित 2024 संस्करण)।
- बैंकों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, 2024 संस्करण।

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा क्वालिटी पुनर्विलोकनों के दौरान पाए गए अनुपालनों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (जिल्द 1)।

6.3 व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी)

व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक प्रावधानों के अधीन सृजित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसका गठन सीए फर्मों और व्यवसायरत सदस्यों के सामने आने वाले वृत्ति से संबंधी मुद्दों तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य संस्थान और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच निकट संबंध स्थापित करना है, जिससे उन्हें ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशलों और उनके वृत्तिक विकास में सहायता के निर्देश निबंधनों का एक आधार उपलब्ध कराया जा सके। यह समिति व्यवसायरत सदस्यों और सीए फर्मों की सक्षमता निर्माण में अभिवृद्धि करने के प्रति कार्य करती है, इसके अतिरिक्त वह वृत्तिक सक्षमता को विकसित तथा समुन्नत करके व्यवसायरत सदस्यों को सशक्त बनाती है तथा उनके वृत्तिक कौशलों और ज्ञान में अभिवृद्धि करके उन्हें भारत के भीतर और वैश्विक रूप से ग्राहकों को उच्च स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ बनाती है।

ऐसे कुशल वृत्तिकों को, जो वैश्विक मांगों को पूरा कर सकें, तैयार करने के आईसीएआई के मिशन का समर्थन करने के लिए सीएमपी विभिन्न पहलें करती है, जैसे कि कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रमाणपत्रों, विचार-विमर्श सत्रों तथा परस्पर क्रियाशील सत्रों का आयोजन। इन क्रियाकलापों का उद्देश्य व्यवसायरत सदस्यों के ज्ञान आधार को व्यापक बनाना, उन्हें उनके व्यवसाय का और अधिक दक्षतापूर्ण रीति में प्रबंध करने में सहायता करना तथा उभरते हुए और विशेषीकृत सेवा क्षेत्रों की पहचान करना है। अपने इन समर्पित प्रयासों के माध्यम से, सीएमपी सदस्यों को ऐसे तकनीकी कौशलों और प्रति-संस्कृति समझ से लैस करने का प्रयास करती है, जो वैश्वीकृत बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप/पहलें की हैं :

(I) आईसीएआई के "सदस्यों के फायदे" हेतु की गई पहलों की सूची :

बीमा उत्पाद :

- एचडीएफसी (समूह पूर्ण सुरक्षा) के माध्यम से टर्म बीमा स्कीम
- एलआईसी के माध्यम से समूह टर्म बीमा स्कीम
- न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा स्वास्थ्य बीमा
- न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी
- न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा हाउस होल्डर बीमा पॉलिसी
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा मोटर वाहन बीमा
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा कार्यालय सुरक्षा शील्ड पॉलिसी

साफ्टवेयर उत्पाद :

- विशेष कीमत पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर
- क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लाइसेंस (M365 बिजनेस बेसिक और M365 बिजनेस स्टैंडर्ड) रियायती कीमतों पर
- माइक्रोविस्टा द्वारा जीएसटी सॉफ्टवेयर
- एक्सप्रेस टीडीएस द्वारा टीडीएस सॉफ्टवेयर
- ज़ोहो द्वारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर
- ऑल-इन-वन अकाउंटिंग और अनुपालन सॉफ्टवेयर
- ऑटोमेटिंग अकाउंट कन्फर्मेशन और रिंकसिलिएशन सॉफ्टवेयर
- सरलीकृत अभ्यास प्रबंधन सॉफ्टवेयर

- जीएसटी वार्षिक रिटर्न सॉफ्टवेयर
- एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर
- ऑडिट के लिए एनईएसएल आईयू तक पहुंच (ग्राहक कंपनी के संबंध में आईयू तक निःशुल्क पहुंच)
- अकाउंटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सुविट
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर मायमीट
- बिलिंग सॉफ्टवेयर माय बिल बुक
- एआई ऑडिट ऑटोमेशन टूल एश्योर एआई
- जीएसटी सॉफ्टवेयर बिल मंत्रा
- टीडीएस सॉफ्टवेयर- टीडीएस मैन
- अतिशेष की पुष्टि के लिए ऐप और क्लिक टू कंफर्म द्वारा अन्य डिजिटल संसूचनाएं
- एसएजी इंफोटेक द्वारा जीएसटी सॉफ्टवेयर संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रस्थापना
- फायनोन द्वारा बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप
- सुगम ऑफिस आयकर, टीडीएस, सीएमए, जीएसटी सॉफ्टवेयर
- डिजिटल कन्फर्मेशन/रिकॉन्सिलिएशन / 15सीए/सीबी ऑटोमेशन / एमसीए स्ट्रक रैपटैक्स

प्रकाशन

- बजट प्रकाशन एवं अन्य प्रकाशनों पर विशेष प्रस्थापना

ऋण सुविधा

- एसबीआई द्वारा सीएलपी के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए एसएमई वित्तपोषण
- बीओबी क्रेडिट कार्ड
- ऑनलाइन पीएसबी ऋण

स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

- डॉ. लाल पैथलैब्स द्वारा रियायती नैदानिक और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल परीक्षण।
- मेदांता द्वारा रियायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ।
- टूवर्थ वेलनेस द्वारा हेल्दी बेनिफिट स्कीम (रियायती दरों पर सीए के लिए विशेष रूप से तैयार की गई स्वास्थ्य योजना)।
- मैक्स हेल्थ केयर द्वारा रियायती स्वास्थ्य देखभाल फायदे।
- फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए रियायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- अपोलो प्रो हेल्थ लिमिटेड द्वारा आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए रियायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- टूवर्थ वेलनेस द्वारा हेल्दी बेनिफिट स्कीम (रियायती दरों पर सीए के लिए विशेष रूप से तैयार की गई स्वास्थ्य योजना)।

अन्य फायदे

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादों पर अनन्य प्रस्थापना

II. सक्षमता निर्माण संबंधी उपाय

डिजिटल संपरीक्षा उपकरण को विकसित करना

आईसीएआई अपने सदस्यों को तकनीकी रूप से सशक्त करने की परिकल्पना करता है, जिससे उन्हें एक भविष्य के लिए तैयार अकाउंटेंटों के रूप में सज्जित किया जा सके, जिनके पास आधुनिक डिजीटल युग में नेतृत्व करने, सृजन और नवप्रवर्तन करने का सामर्थ्य हो।

अभ्यास प्रबंधन सॉफ्टवेयर

प्रचालन दक्षता में अभिवृद्धि करने के लिए आईसीएआई ने 21 जनवरी, 2023 को एक आधुनिक अभ्यास प्रबंधन साफ्टवेयर का शुभारंभ किया है, जो उसके सदस्यों को निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। इस साफ्टवेयर को सीए व्यवसायों और फर्मों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो उन्हें उनके ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने तथा दैनिक कार्यालय संबंधी कार्यकलापों का प्रबंध करने में सहायता करेगा। इस साफ्टवेयर में जॉब और बिलिंग, क्षमता संबंधी योजना, दस्तावेजीकरण, एक केंद्रीयकृत ग्राहक डाटा बेस और टाइम शीट की विशिष्टियों को सम्मिलित किया गया है, जो सभी फर्मों को प्रौद्योगिकी फायदा उपलब्ध कराती हैं। व्यवसायी और फर्म <https://cacloud.ca.in/> वेबपृष्ठ पर इस अभ्यास प्रबंधन साफ्टवेयर के लिए स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं।

इस अभ्यास प्रबंधन साफ्टवेयर के लिए कुल 8077 रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हुए हैं। उक्त साफ्टवेयर के क्षेत्रवार उपयोक्ताओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

विशिष्टियां	उत्तरी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	योग
मालिक	6	15	1	70	3	95
भागीदारी	991	3103	373	1790	1725	7982
योग	997	3118	374	1860	1728	8077

III. वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :

- धन प्रबंधन और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (डब्ल्यूएमएफपी)
- वर्किंग पेपर प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- अपील तैयार करने, विलेख और दस्तावेजों का प्रारूपण तथा अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष अभ्यावेदन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सीए फर्मों की नेटवर्किंग तथा अन्य समेकन उपायों का संवर्धन

बहु अवस्थानों पर बेहतर वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक संसाधन साझा करने हेतु सहयोग के लिए फर्मों की नेटवर्किंग की सुविधा को सीए फर्मों को उपलब्ध कराया गया है। समिति, प्रादेशिक परिषदों में व्यवसाय को तीव्र गति प्रदान करने और उसे अधिकतम बनाने के विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन और आईसीएआई की शाखाओं में व्यवसाय को तीव्र गति प्रदान करने और उसे अधिकतम बनाने के विषय पर कार्यशाला का आयोजन करके ज्ञान के प्रसार द्वारा व्यवसायरत व्यक्तियों/सीए फर्मों के लिए कारपोरेट रूप में विलयन, नेटवर्किंग, निगम प्ररूप में व्यवहारों का संवर्धन कर रही है।

IV. कार्यक्रम/संगोष्ठी/सम्मेलन/अनुकूलन कार्यक्रम/राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन/नेटवर्किंग कार्यशाला

समिति ने जीएसटी और क्षमता निर्माण, व्यवसाय में विद्यमान सामयिक मुद्दों, व्यवसाय में तेजी लाने और उसे अधिकतम करने, सीए वृत्ति के विकास संबंधी रणनीतियों, नेटवर्किंग, कनेक्ट शेयर और ग्रो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कारपोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, सीए कनेक्ट आदि विषयों पर और साथ ही व्यवसाय के उभरते क्षेत्रों : जीएसटी/आईबीसी/मूल्यांकन/न्यायलयिक/शासकीय लेखांकन/आंतरिक लेखा परीक्षा/केपीओ/ सहकारिता/प्रणाली लेखा परीक्षा आदि, न्यूनतम शुल्क सिफारिशें, नई आचार संहिता के अनुसार शुल्क, निविदा दिशानिर्देश, निविदा निगरानी समूह की भूमिका, लागत पत्र आदि, फर्म की क्षमता निर्माण : फर्म से स्मार्ट फर्म, और पैनल चर्चा युवा व्यवसाय सदस्य, महिला वृत्तिक सदस्य, मध्यम वृत्तिक सदस्य बड़ी फर्म भागीदारियां, वरिष्ठ वृत्तिक सदस्य आदि जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यशालाएं/कार्यक्रम/सम्मेलन/संगोष्ठी/अनुकूलन कार्यक्रम/राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन/वीसीएम/वेबिनार आयोजित किए हैं।

6.4 सतत वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीईसी)

आईसीएआई ने अपनी सतत वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीईसी) के माध्यम से सदैव अपने सदस्यों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस प्रकार सतत वृत्तिक शिक्षा (सीपीई) न केवल एक अपेक्षा मात्र है अपितु यह किसी सीए की वृत्तिक यात्रा में एक ऐसा महत्वपूर्ण निवेश है, जो समुन्नत कौशलों, बड़े हुए नेटवर्क तथा भविष्य की जटिल चुनौतियों का सामना करने के आत्मविश्वास के रूप में लाभान्श का संदाय करता है। चूंकि वर्तमान में वित्तीय और कारबार परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं इसलिए नए लेखांकन मानक, उभरते हुए विनियामक ढांचे और प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाएं यह आवश्यक बनाती हैं कि हमारे सदस्यों को अद्यतन और पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो। आईसीएआई की सीपीई समिति इन जटिलताओं से जुझने के लिए उपकरण उपलब्ध कराती है, जिससे हमारे सदस्य शीर्षस्थ स्तर की विशेषज्ञता के साथ अपने ग्राहकों और संगठनों को मूल्यवान सेवा उपलब्ध करा सकें।

(I) सीपीई समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और नवीन पहलें

- **सीपीई कथन 2023 को जारी करना : आईसीएआई के सदस्यों द्वारा सीपीई क्रियाकलाप करने के लिए सतत वृत्तिक शिक्षा के संबंध में दिशानिर्देश**

समिति ने सदैव इस संरचनात्मक सोच के साथ कार्य किया है कि सदस्यों को एक अत्यंत विस्तृत सीपीई कलेंडर के साथ प्रशिक्षण और कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से सशक्त बनाया जा सके। अतः, जैसा कि समिति द्वारा उसकी 426वीं बैठक में विनिश्चय किया गया था, सदस्यों को यह अनुरोध किया गया था कि वे कलेंडर वर्ष 2024 के आगे से “वार्षिक आधार पर सीपीई घंटों की अपेक्षा का अनुपालन न करने के लिए पारिणामिक उपबंध” विषय पर प्रस्तावित दिशानिर्देशों के उद्भासन प्रारूप के संबंध में अपने अंतःनिवेश/सुझाव उपलब्ध कराएं। ये मार्गदर्शन कलेंडर वर्ष 2024 के दौरान किए गए अनुपालनों के संबंध में 1 जनवरी, 2025 से प्रवर्तन में आएंगे। उक्त उद्भासन प्रारूप को आईसीएआई की वेबसाइट और समिति के वेब पृष्ठ पर रखा गया था। साथ ही सदस्यों के बीच उक्त उद्भासन प्रारूप के संबंध में अंतःनिवेश भेजने हेतु जागरुकता का सृजन करने के लिए उन्हें मेल के माध्यम से भी उक्त उद्भासन प्रारूप भेजा गया था। सीपीई समिति ने उक्त उद्भासन प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए सदस्यों से टीका-टिप्पणियां/मत आमंत्रित किए थे।

इसके अतिरिक्त, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 12) द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 15(2)(चक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 जनवरी, 2024 को “सतत वृत्तिक शिक्षा संबंधी कथन, 2023” को सदस्यों द्वारा सीपीई क्रियाकलाप करने तथा पीओयू द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने के तंत्र के साथ जारी किया गया था। इसमें कलेंडर वर्ष 2024 के आगे से वार्षिक आधार पर सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों को सीपीई घंटों के संबंध में लागू अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर पारिणामिक उपबंधों को भी सम्मिलित किया गया है, जैसा कि आईसीएआई की परिषद् द्वारा विनिश्चय किया गया है। ये पारिणामिक उपबंध कलेंडर वर्ष 2024 के दौरान किए गए अनुपालनों के संबंध में 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे।

सतत वृत्तिक शिक्षा 2023 से संबंधित ब्यौरेवार कथन को आईसीएआई के वेब पोर्टल पर रखा गया है और उस तक <https://www.icaai.org/post/issuance-of-cpe-statement-2023> वेब पृष्ठ के माध्यम से पहुंच बनाई जा सकती है।

साथ ही कलेंडर वर्ष 2023 के आगे से, सीपीई घंटों से संबंधित अपेक्षाओं को सदस्यों द्वारा केवल कलेंडर वर्ष आधार (प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक) पर पूरा किया जाएगा तथा अब ब्लॉक/रोलिंग अवधि की तीन वर्ष की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। अतः, सदस्यों से यह अपेक्षित कि वे वर्ष 2023 के पश्चात् से कलेंडर वर्ष के आधार पर अपनी सीपीई घंटों की अपेक्षाओं को पूरा करें।

- **आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं और विदेशी चैप्टरों द्वारा असंरचित सीपीई घंटों को मंजूर करने के लिए वेब व्याख्यानो का आयोजन**

सीपीई पठन क्रियाकलापों के आयोजन को बढ़ावा देने और समग्र रूप से सदस्यों की बेहतरी के लिए सीपीई समिति की सिफारिशों पर परिषद् ने आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं और विदेशी चैप्टरों द्वारा असंरचित सीपीई घंटों को मंजूर करने के लिए वेब व्याख्यानो के आयोजन को अनुमोदित किया है। इन वेब व्याख्यानो में भाग लेने के लिए प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं/विदेशी चैप्टरों द्वारा असंरचित सीपीई घंटे मंजूर किए जाने के लिए उपस्थिति को अपलोड किया जाएगा। अतः, सदस्यों को इन वेब व्याख्यानो में भाग लेने के लिए स्वयं असंरचित सीपीई पठन का दावा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुविधा से सीपीई घंटों की अपेक्षाओं के अनुपालन में वृद्धि होगी और विशेष रूप से ऐसे

सदस्यों द्वारा, जो उद्योग में कार्यरत हैं और जिनके लिए असंरचित पठन क्रियाकलापों को पूरा करके सीपीई घंटों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

• **सीपीई समिति द्वारा संकाय डाटाबेस के विकास हेतु “प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीटीटी)” कार्यक्रम**

देश को प्रशिक्षित संकाय और वक्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सीपीई समिति ने संकाय को समिति के कार्यक्रमों में क्वालिटी पठन उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए आफलाइन पद्धति के आधार पर अखिल भारत में “प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण” कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम संकाय/विषय-वस्तु के विशेषज्ञों को इस संबंध में नई जानकारी से इस प्रकार ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशलों में सुधार करने तथा अपने संसूचना और प्रस्तुतिकरण कौशलों में अभिवृद्धि करने तथा लोक वक्ता की कला में प्रवीणता प्राप्त करने में सहज महसूस करे। ये कार्यक्रम मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं :

- श्रोताओं को समझना
- सत्र पूरा करने के लिए विषय में किस प्रकार महारत हासिल करें
- प्रभावपूर्ण सत्रों का सृजन
- क्रियाकलाप और प्रभावपूर्ण सत्रों के सृजन में सहयोग
- संबोधन को कैसे तैयार करें
- लोक वक्ता के प्रकार
- लोक वक्ता संबंधी सक्षमता में कैसे सुधार करें

अंतिम परिषद् वर्ष के दौरान, भौतिक पद्धति से “अपने चुनिंदा क्षेत्र में किस प्रकार वैश्विक वक्ता बने” विषय पर दो टीटीटी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(II) परिषद् वर्ष 2024-25 के लिए सभी 5 क्षेत्रों में सीपीई मानीटरी समिति का पुनर्गठन

सीपीई समिति ने परिषद् वर्ष 2024-25 के लिए सभी 5 क्षेत्रों में सीपीई मानीटरी समिति का पुनर्गठन किया है, ताकि वे केंद्रीय कार्यालय की मासिक रिपोर्टिंग के पुनर्विलोकन के उद्देश्य से कार्य कर सकें, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम के व्यौरों और विभिन्न सीपीई पीओयू द्वारा सीपीई पोर्टल पर प्रतिभागियों के व्यौरे अपलोड करना भी है, जिससे प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं/ सीपीई अध्ययन चैप्टरों/ सीपीई अध्ययन सर्कलों/ सीपीई अध्ययन समूहों के सामने आ रही समस्याओं/मुद्दों का समाधान किया जा सके तथा सीपीई अध्ययन चैप्टरों/ सीपीई अध्ययन सर्कलों के कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन किया जा सके और पीओयू के कार्यक्रमों के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी सीपीई पीओयू के मानीटरों और पर्यवेक्षकों को नामांकित किया जा सके ताकि पीओयू द्वारा परीक्षण आधार पर आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके तथा सदस्यों के सुझावों को यह सुनिश्चित करने के लिए समेकित किया जा सके कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त की जानी चाहिए और उसे सीपीईसी सचिवालय को प्रतिक्रिया के समेकन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रादेशिक मानीटरी समितियों प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक आरएमसी बैठक का आयोजन करेंगी और उक्त प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों से संबंधित रिपोर्ट सीपीई प्रादेशिक मानीटरी समिति के माध्यम से सीपीई समिति को भेजेगी।।

(III) सीपीई समिति द्वारा सदस्यों के लिए की गई सूचना प्रौद्योगिकी पहलें और सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयां (सीपीई पीओयू)

- **सीपीई समिति द्वारा प्रत्येक सदस्य को विशेष रूप से तैयार की गई मेल जारी किया जाना, जिसके माध्यम से सीपीई घंटों के अनुपालन की प्रास्थिति के संबंध में उन्हें सूचित करना**

कलेंडर वर्ष 2023 के पश्चात् से सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों द्वारा अनुपालन की जाने वाली सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षाओं को परिवर्तित किया गया है और अब उनके लिए तीन वर्ष की रोलिंग अवधि के स्थान पर कलेंडर वर्ष की अवधि को रखा गया है। अतः, सदस्यों को कलेंडर वर्ष 2023 के लिए उनके सीपीई घंटों के अनुपालन की प्रास्थिति के संबंध में अवगत कराने और पहली बार ऐसी प्रणाली विकसित करने में समर्थ हुई है, जिसके माध्यम से विशेष रूप से तैयार की गई मेल सदस्यों को भेजी जा सकती है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा उस तारीख तक पूरे किए गए सीपीई घंटों की

प्रास्थिति की उन्हें सूचना प्राप्त होगी और इस प्रकार उन्हें यह ज्ञात होगा कि उन्हें चालू कलेंडर वर्ष के दौरान शेष बचे घंटों को पूरा करना है।

• **सीपीई पोर्टल में नई विशिष्टियों को सम्मिलित करना**

सीपीई पोर्टल में इस एक नई विशिष्टि को जोड़ा गया है कि समिति ऐसे सदस्यों, जिन्होंने किसी वेबकास्ट/वेबीनार में भाग लिया है, के असंरचित सीपीई घंटों को कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात् अपलोड करेगी। सीपीई पोर्टल में इस प्रकार की यूएलए उपस्थिति अपलोड करने की विशिष्टि को 1 फरवरी, 2024 से आयोजित किए जाने वाले वेबकास्ट/वेबीनार आयोजनों के लिए विकसित और क्रियाशील बनाया गया है। इस प्रसुविधा से सदस्यों द्वारा सीपीई घंटों की अपेक्षा के अनुपालन में अभिवृद्धि होगी और विशेष रूप से ऐसे सदस्य भी इस अपेक्षा को पूरा करने में समर्थ होंगे, जिनसे असंरचित पठन क्रियाकलापों को पूरा करके सीपीई घंटों की अपेक्षा का अनुपालन करना अपेक्षित है।

• **सीपीई पोर्टल को और अधिक उपयोक्ता तथा प्रौद्योगिकी मित्र बनाकर उसे समुन्नत करना**

सीपीई पोर्टल, आईसीएआई के सदस्यों को संरचित और असंरचित सीपीई घंटे मंजूर करने की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रबंध करता है। इस कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए सीपीई समिति मुख्य रूप से सीपीई क्रियाकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके अंतर्गत सीपीई पोर्टल को पुनः तैयार करना/उसमें सुधार करना सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत पोर्टल पर एकल साइन-इन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा उपस्थिति प्रणाली की मानीटरी में सुधार होगा। सीपीई पोर्टल से यह अपेक्षित है कि वह वृत्ति के संबंध में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ज्ञान के एक केंद्र को विकसित करे और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए आईसीएआई की पहलों का संवर्धन करे। सीपीई पोर्टल को निम्नलिखित निबंधनों के अनुसार समुन्नत किया गया है।

- सदस्य और पीओयू डैश बोर्ड
- संकाय की प्रतिक्रिया प्रक्रिया में सुधार
- संकाय प्रबंध प्रणाली में सुधार और आयोजन आईडी तथा विषयों के साथ संकाय की मैपिंग
- सीपीई पोर्टल का आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र के साथ निर्बाध एकीकरण, जिससे संरचित और असंरचित पठन घंटों आदि को अद्यतन किया जा सके।

(IV) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए पहलें

• **सदस्यों के साथ जुड़ना :**

वर्ष के दौरान, सदस्यों के उनके निवास के समीप सीपीई क्रियाकलाप करने में सहायता करने के लिए 21 और सीपीई पीओयू खोले गए थे और इस प्रकार आईसीएआई की सीपीई समिति का 679 सीपीई पीओयू (जिसके अंतर्गत 176 शाखाएं, 50 विदेशी चैप्टर, आईसीएआई की 48 केंद्रीय समितियां, 144 सीपीई अध्ययन सर्कल, 82 सीपीई अध्ययन चैप्टर आदि हैं) का एक सुदृढ नेटवर्क आधार है जो सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरे भारत वर्ष और विदेशों में फैला है और साथ ही वह मुफसिल सदस्यों/दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले सदस्यों को सीपीई क्रियाकलाप करने में भी सहायता करते हैं। ज्ञान के बेहतर प्रचार-प्रसार और आईसीएआई के प्रत्येक सदस्य तक पहुंच बनाने के लिए समिति सदस्यों से यह अनुरोध कर रही है कि वे मिलकर एकसाथ आएँ तथा नए सीपीई पीओयू को खोलने के लिए स्वैच्छिक योगदान दें और साथ ही ऐसे क्षेत्रों की भी पहचान करें जहां सीपीई पीओयू (सीपीई अध्ययन सर्कल, सीपीई अध्ययन चैप्टर और सीपीई अध्ययन समूहों) को खोला जा सकेगा।

• **ज्ञान का प्रसार**

संगोष्ठियां/वेबीनार/कार्यशालाएं/आरआरसी :

सतत पठन को जारी रखने और सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए सीपीई समिति नियमित आधार पर पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त समिति अपना ध्यान सदस्यों के लोक वक्ता संबंधी कौशलों में अभिवृद्धि करने पर भी केंद्रित कर रही है और साथ ही उन्हें एक प्रबुद्ध नेता बनने हेतु परामर्श भी प्रदान करती है। आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों से संबंधित होते हैं :

- विभिन्न तकनीकी और समवर्ती वृत्तिक विषयों पर सिद्धांत और अभ्यास के संबंध में ज्ञान का प्रसार।

- वृत्ति के विविध क्षेत्रों में सदस्यों की भूमिका में अभिवृद्धि करना ।
- सदस्यों को नेटवर्किंग संबंधी अवसर उपलब्ध कराना ।

निम्नलिखित के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकें :

- **अखिल भारत प्रबंध समिति सदस्य बैठक (एआईएमसीएमएम) – 2024**

9-10 मार्च, 2024 के दौरान, कलकत्ता में सीपीई समिति और आरवीए निदेशालय ने संयुक्त रूप से अखिल भारत प्रबंध समिति सदस्य बैठक (एआईएमसीएमएम) – 2024 का आयोजन किया था, जिसमें पहली बार सभी क्षेत्रों के सीपीई अध्ययन सर्कलों, सीपीई अध्ययन चैप्टरों के समन्वयकों और उप समन्वयकों को अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में 131 अध्ययन सर्कलों और अध्ययन चैप्टरों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसके अतिरिक्त 1100 प्रतिभागियों ने पांच प्रादेशिक परिषदों, 171 शाखाओं का प्रतिनिधित्व किया था। कोलकाता में आयोजित एआईएमसीएमएम – 2024 ने एक ऐसे मंच का प्रयोजन सिद्ध किया जहां ज्ञान का परस्पर आदान-प्रदान किया गया तथा परिषद् वर्ष 2024-25 के लिए अनुकूलन तथा नीतिगत योजनाएं बनाई गईं और इसे “दृष्टि” की दूरदर्शिता से भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

- **प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और आईसीएआई के सभी क्षेत्रों के सीपीई अध्ययन सर्कलों/चैप्टरों/समूहों के समन्वयक और उप समन्वयक**

सीपीई समिति द्वारा प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के साथ विभिन्न परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया और साथ ही आईसीएआई के सभी क्षेत्रों के सीपीई अध्ययन सर्कलों, चैप्टरों, समूहों के समन्वयकों और उप समन्वयकों के साथ क्षेत्रवार आनलाइन पद्धति से परस्पर क्रियाशील बैठकें की गईं, जिसमें उनसे सतत वृत्तिक विकास नीतियों और कार्यक्रमों में आगे और सुधार करने के लिए सुझाव मांगे गए और साथ ही उन्हें सीपीई समिति की विभिन्न नीतियों, दिशानिर्देशों तथा पहलों के संबंध में भी शिक्षित किया गया और साथ ही सीपीई कार्यक्रमों आदि में आशुरचना के लिए सीपीई पीओयू की प्रत्याशाओं को समझने/उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु पहल की गई।

सीपीई समिति ने प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के अध्यक्षों और प्रबंधन समिति सदस्यों तथा आईसीएआई की क्रमशः एसआईआरसी और डब्ल्यूआईआरसी के सीपीई अध्ययन सर्कलों, चैप्टरों और समूहों के समन्वयक और उप समन्वयक के साथ चार परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त, इन आनलाइन परस्पर क्रियाशील बैठकों के दौरान सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सीपीई समिति ने अहमदाबाद में भौतिक पद्धति से गुजरात राज्य के सीपीई अध्ययन सर्कलों और सीपीई अध्ययन चैप्टरों के समन्वयक और उप समन्वयक के साथ अनुकूलन कार्यक्रम – सह – परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया।

- **सीपीई बुलेटिन :**

समिति ने, अपने सदस्यों के बीच सीपीई घंटों के अनुपालन के क्षेत्र में तथा अन्य विनिश्चयों के माध्यम से हुई हाल ही की घटनाओं के संबंध में जागरूकता का सृजन करने तथा समिति की पहलों को उपदर्शित करने और अपने कार्यक्रमों के व्यौरों को साझा करने के लिए एक ई-न्यूज लैटर को जारी किया है, जिसे संस्थान की वेबसाइट के सीपीई पृष्ठ पर रखा गया है और साथ ही उसे सीपीई पोर्टल पर <https://www.icai.org/post/e-newsletter-of-the-continuing-professional-education-committee> लिंक पर रखा गया है।

(V) सीपीई समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए प्रमुख आयोजन :

- **आनलाइन सीपीई पठन आयोजन –** सीपीईसी की, सीए भ्रातृसंघ के बीच उभरते विषयों के संबंध में ज्ञान तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के भागरूप में तथा उन्हें सुसंगत क्षेत्रों में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, सीपीई समिति असंरचित सीपीई घंटे प्रदान करने के लिए सदस्यों के पठन और उन्नयन हेतु नियमित और सतत रूप से आनलाइन सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।
- **राष्ट्रीय सम्मेलन –** समिति ने ज्ञान का अमृत महोत्सव, उभरता भारत, ज्ञान तृष्णा : ज्ञान की प्यास, धन प्रतिशोधन विधियों, नवीनतम निर्णयों और आईटीसी में विवादों, किस प्रकार अभिकरण व्यवसाय आरंभ करें, आदि जैसे विषयों पर 17 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें आय-कर, जीएसटी, न्यायलयिक संपरीक्षा और नैतिक संहिता, पूंजी बाजार संबंधी इक्शा, एआई और आय-कर आदि जैसे विषय भी सम्मिलित थे।

- **आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी) :** समिति ने कराधान, सीएफओ सेवाओं तथा संपरीक्षा मानकों, न्यास में हाल ही के मुद्दों, मूल्यांकन के पर्यावलोकन और धारा 148 तथा धारा 148क के अधीन सूचनाएं, आय-कर विवरणी, जीएसटी संपरीक्षा और निगम विधि विवरणी, संपरीक्षा रिपोर्ट और सीएआरओ आदि विषयों पर 13 आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया।
- **वेबीनार और संगोष्ठियां/कार्यशालाएं :** समिति ने उभरती पूंजी बाजार प्रवृत्तियों और धारा 43ख(ज) के अधीन एमएसएमई व्ययों को अनुमोदित न करने से संबंधित ज्वलंत मुद्दों, सीए के लिए वृत्तिक अवसरों, जीएसटी और पूंजी बाजार, आय-कर – कर लेखापरीक्षा (धारा 43ख) और अनुशासन मामलों संबंधी अध्ययन और प्रमाणन संबंधी दिशानिर्देश, गैर-निगम अस्तित्वों के वित्तीय विवरण प्ररूप तथा यूई और भारत – सीमापार कर प्रवृत्तियां, जीएसटी मुकदमेबाजी – किस प्रकार संवीक्षा करें तथा आय-कर – महत्वपूर्ण टीडीएस संबंधी उपबंध, नैतिक संहिता और संपरीक्षा संबंधी मानक, लेखापरीक्षा और लेखांकन मानक आदि विषयों पर 189 वेबीनारों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/वेबकास्टों का आयोजन किया।

(VI) सदस्य शिक्षा और सक्षमता निर्माण :

- **सीपीई समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आयोजित सीपीई कार्यक्रम –** सदस्यों को सशक्त करने तथा विविध क्षेत्रों में उनके पठन में अभिवृद्धि करने तथा उनके द्वारा प्रस्थापित कौशल सेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नानुसार 173 भौतिक और वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :

क्रम सं.	सीपीई कार्यक्रमों का विवरण	संख्या
1.	राष्ट्रीय सम्मेलन	17
2.	संगोष्ठी और कार्यशाला	77
3.	आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	13
4.	वर्चुअल कार्यक्रम (वेबीनार)	64
5.	प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	02

- **समिति के पीओयू द्वारा आयोजित सीपीई कार्यक्रम –** आईसीएआई की सीपीई समिति का 679 सीपीई पीओयू (जिसके अंतर्गत 176 शाखाएं, 50 विदेशी चैप्टर, आईसीएआई की 48 केंद्रीय समितियां, 144 सीपीई अध्ययन सर्कल, 82 सीपीई अध्ययन चैप्टर आदि हैं) का एक सुदृढ़ नेटवर्क आधार है जो सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरे भारत वर्ष और विदेशों में फैला है और साथ ही वह मुफसिल सदस्यों/दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले सदस्यों को सीपीई क्रियाकलाप करने में भी सहायता करते हैं।

क्रम सं.	विवरण	संख्या*
1.	कुल सीपीई कार्यक्रम (भौतिक और वर्चुअल)	9083
2.	भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या	828961
3.	मंजूर किए गए कुल सीपीई घंटे	40179
4.	सृजित किए गए कुल सीपीई घंटे	4268034

* 1.4.2023 से 30.6.2024 तक का ब्यौरा

- **सदस्यों के फायदे के लिए सीपीई कार्यक्रम** – आईसीएआई के सीपीई कार्यक्रम आयोजक यूनिटों द्वारा वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों पर पूरे देश भर में सदस्यों के लिए 9083 सीपीई कार्यक्रमों (1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024 तक जिनके अंतर्गत 6006 सीपीई कार्यक्रमों का भौतिक पद्धति से आयोजन किया जाना भी है) का आयोजन किया गया।
- **राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं**

क्रम सं.	आयोजित सीपीई कार्यक्रम की किस्म	(1.4.2023 से 30.6.2024)
1.	आईसीएआई के विभिन्न पीओयू द्वारा आयोजित लाइव वेबकास्ट/वेबीनार	1135
2.	आईसीएआई की केंद्रीय समितियों द्वारा सदस्यों के लिए संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	160
3.	आईसीएआई की केंद्रीय समितियों द्वारा सदस्यों के लिए संचालित अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम	53
4.	आईसीएआई की केंद्रीय समितियों/बोर्डों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, जिनकी मेजबानी आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा की गई	64
5.	आनलाइन पद्धति में विदेशी भाषाएं – जापानी, फ्रेंच और स्पेनिश	14
6.	आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों के बैच	12
7.	आईआईआईपीआई द्वारा आयोजित रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों के बैच	4

(VII) समाज का समर्थन – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

आईसीएआई ने भौतिक पद्धति और वर्चुअल पद्धति से विभिन्न अन्य सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनके माध्यम से सरकार की देश के विभिन्न भागों में अपने सीपीई कार्यक्रम आयोजक यूनिटों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से, पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान किया गया था।

क्रम सं.	सीपीई कार्यक्रम का विषय	(1.4.2023 से 30.6.2024)
1	जीएसटी और जीएसटी लेखापरीक्षा	1432
2	नैतिक मानक, आचार संहिता, वृत्तिक आचार	558
3	एसएमई, भारत में कारबार करने की सुगमता, स्टार्ट-अप	281
4	लेखापरीक्षा संबंधी मानक	174
5	रेरा	136
6	इंड एस	122
7	कारबार, बैंककारी और बीमा, वित्तीय सेवाएँ	118
8	कंपनी अधिनियम	116
9	ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी	50
10	कारबार उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग	48

11	सॉफ्ट कौशल तनाव प्रबंधन, जीवनशैली प्रबंधन जहां योग जीवन का तरीका है, कार्य जीवन संतुलन	37
12	निवेशक जागरूकता	25
13	पहचानविहीन मूल्यांकन	25
14	कारो 2020	23
15	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	13
16	विमुद्रीकरण, काला धन, बेनामी संव्यवहार और अप्रकटित आय	09

6.5 निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति (सीएलएंडसीजीसी)

निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति (सीएलएंडसीजीसी) सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के माध्यम से वृत्ति के सशक्तिकरण और एक निष्पक्ष निगम व्यवस्था का संवर्धन करने का प्रयास करती है। सरकार के साथ सहयोग करते हुए, समिति सक्रिय रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर संवाद करते हुए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित विषयों पर नियमित अभ्यावेदन तथा सुझाव भी उपलब्ध कराती है। ज्ञान के वर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समिति यह सुनिश्चित करती है कि उसके सदस्य निगम विधियों के संबंध में सदैव अद्यतन जानकारी से लैस हों, जिससे उन्हें सफलतापूर्वक निगम शासन के क्षेत्र में सदैव विकासशील परिदृश्य में स्वयं को स्थापित करने में समर्थ बनाया जा सके।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) वर्ष 2023-24 (अप्रैल, 2023 से जून, 2024) के दौरान एमसीए/सेबी को अभ्यावेदन/सुझाव/सिफारिशें

समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर क्रियाएं करती है। समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित अभ्यावेदन/इनपुट/राय/सुझाव प्रस्तुत किए।

- विधायन पूर्व परामर्श के लिए नीति के अधीन कंपनी नियमों के सरलीकरण के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सुझाव।
- स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की अपेक्षाओं का विश्लेषण करने तथा अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों की डाटा अपेक्षाओं के संबंध में अभ्यावेदन।
- सीएसआर ढांचे को समुन्नत करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सुझाव प्रस्तुत किए गए।
- कंपनी (विवरण-पुस्तिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 9क के प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण के संबंध में बड़ी प्राइवेट कंपनियों को लागू होने के संबंध में एमसीए को सुझाव प्रस्तुत किए गए।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनी (महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी) नियम, 2018 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के उपबंधों के संबंध में वृत्तिकों की जानकारी को अद्यतन करने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए।
- ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों, जिनके पास 10 वर्ष से अधिक का वृत्तिक अनुभव है, को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2021 के नियम 6 के अधीन यथा उपबंधित स्वतंत्र निदेशकों के लिए आनलाइन निर्धारण परीक्षा से छूट को कार्यान्वित करने हेतु प्रणाली को अद्यतन किए जाने के संबंध में आईआईसीए को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

(II) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई विधायन पूर्व परामर्श संबंधी नीति के अधीन कंपनी नियमों और एलएलपी नियमों का सरलीकरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी विधि नियमों और एलएलपी नियमों का व्यापक पुनर्विलोकन करने की अपनी पहल के भागरूप में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान को यह अनुरोध किया था कि वह उसे मूल्यवान सुझाव और उक्त के संबंध में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराएं। एक गहन पुनर्विलोकन के पश्चात् आईसीएआई ने 1 अप्रैल, 2024 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनी नियम, 2014 के सरलीकरण के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सुझावों में निम्नलिखित नियमों को

सम्मिलित किया गया है :

- अध्याय 9 : कंपनी (लेखा) नियम, 2014
- अध्याय 10 कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014
- कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम 2018
- अध्याय 5 - कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 2014
- कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014
- कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015
- अध्याय 2 कंपनी (निगमन) नियम, 2014
- अध्याय 1 - कंपनी (परिभाषा ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करना) नियम, 2014
- कंपनी (प्रबंधकीय कार्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014
- कंपनी (गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा अन्वेषण के संबंध में गिरफ्तारी) नियम, 2017
- अध्याय 15 - कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016
- कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साम्या शेरों को सूचीबद्ध करना) नियम, 2024
- अध्याय 26 - निधि नियम, 2014

(III) सीएलएंडसीजीसी द्वारा डब्ल्यूएमईसी के साथ संयुक्त रूप से 6 जून, 2024 को मुंबई में तथा 20 जून, 2024 को अहमदाबाद में स्वतंत्र निदेशकों की सभा का आयोजन

नियम विधि और निगम शासन संबंधी समिति ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की महिला सदस्य उत्कृष्टता समिति के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद में स्वतंत्र निदेशकों की एक सभा का आयोजन किया। दोनों सभाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया गया, जिस पर निगम शासन और आज की क्रियाशील कारबार परिस्थितियों में स्वतंत्र निदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में परिचर्चाएं की गईं।

- 6 जून, 2024 को मुंबई में स्वतंत्र निदेशकों की सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन को समूह सीएफओ और प्रमुख कारपोरेट कार्य, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने उसमें सम्मिलित होकर उसकी शोभा बढ़ाई और उन्होंने इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस आयोजन में आईसीएआई के अध्यक्ष, आईसीएआई के उपाध्यक्ष, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष और सीएलएंडसीजीसी के अध्यक्ष भी उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में आपवादिक रूप से उत्कृष्ट वक्ताओं और पैनलबद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें आईसीएआई के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष और सूचीबद्ध कंपनियों, पब्लिक कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सम्मानित स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित थे और इस आयोजन में की गई गहन और सुसंगत परिचर्चाओं तथा मूल्यवान नेटवर्किंग अवसरों के लिए अत्यधिक प्रशंसा की गई।
- 20 जून, 2024 को अहमदाबाद में स्वतंत्र निदेशकों की सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रादेशिक निदेशक (एनडब्ल्यूआर) एमसीए ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस आयोजन की शोभा बढ़ाई थी और उनके अलावा इस आयोजन में सीएलएंडसीजीसी के अध्यक्ष, आईसीएआई के तुरंत पूर्व अध्यक्ष और आईसीएआई के दो पूर्व अध्यक्षों ने भी भाग लिया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पूर्व सम्मानित अध्यक्षों तथा विख्यात स्वतंत्र निदेशकों को सुनने का अद्वितीय अवसर प्राप्त हुआ था।

(IV) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को एमसीए 21 वी 3 पोर्टल के सहज अंतरण तथा कार्यकरण में समर्थन प्रदान करना।

आईसीएआई की निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति (सीएलएंडसीजीसी), एमसीए 21 वी 2 से वी3 तक सहज अंतरण को समर्थ बनाने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ निकट सहयोग से कार्य कर रही है। यह परियोजना आईसीएआई और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के बीच अद्वितीय सहयोग को उपदर्शित करती है, जिसमें वे एक साथ मिलकर

दैनिक आधार पर एक निर्बाध अंतरण को सुकर बनाने के लिए निकट रूप से कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में, समिति द्वारा एमसीए 21 वर्जन 3 परियोजना के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं :

- विभिन्न लॉटों में एमसीए प्ररूपों का उपयोक्ता की स्वीकार्यता संबंधी परीक्षण
- सदस्यों के उत्पादन पत्र मुद्दों का समाधान : अभी तक आईसीएआई के दल ने लगभग 15,000+ मुद्दों का समाधान उपलब्ध कराया है।
- कंपनी प्ररूपों के संबंध में सदस्यों को शिक्षित करने के लिए – एमसीए के सहयोग से जागरूकता वेबीनारों का आयोजन।
- माननीय वित्त मंत्री की पहल को अद्यतन करते हुए तथा देश भर में एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल पर पणधारियों की परामर्शी बैठकों के आयोजन में सहयोग करना।

(V) सीएसआर ढांचे का पुनर्विलोकन और उसमें सुधार करने के लिए इनपुटों की ईप्सा करने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सुझाव प्रस्तुत किए गए

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुरोध के प्रत्युत्तर में निगम विधि और निगम शासन समिति ने सीएसआर ढांचे को उन्नत करने के लिए अपनी सिफारिशें उपलब्ध कराईं। समिति ने सीएसआर विशेषज्ञों से इस विषय के संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए गोलमेज बैठकों का आयोजन किया और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंटों को निगम क्षेत्रों में नियोजित करने के संबंध में गूगल प्ररूप के माध्यम से एक सर्वेक्षण का भी आयोजन किया। इस प्रकार एकत्रित सुझावों को समिति ने अपने प्रत्युत्तर में एकीकृत किया। समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सिफारिशों को उसके पश्चात् कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(VI) बड़ी प्राइवेट कंपनियों को प्रतिभूतियों के विभौतिकीकरण से संबंधित उपबंधों के लागू होने का पुनर्विलोकन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सुझाव प्रस्तुत किए गए।

एमसीए के उस पत्र के प्रत्युत्तर में, जिसके माध्यम से एमसीए ने कंपनी (विवरण-पुस्तिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 9क को बड़ी प्राइवेट कंपनियों को लागू किए जाने के संबंध में इनपुट की ईप्सा की थी, आईसीएआई की सीएलएंडसीजीसी ने अपने सुझाव कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए। इस संबंध में, समिति ने विभिन्न विशेषज्ञों और समिति सदस्यों की वर्चुअल गोलमेज बैठकों का आयोजन किया, जिनमें इस विषय पर परिचर्चा की गई थी तथा विशेषज्ञों के समृद्ध अनुभव को एकत्रित किया गया।

(VII) आईआईसीए द्वारा आईसीएआई तथा यूनिसेफ के सहयोग से कारबार रिपोर्टिंग और संवहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) के संबंध में कार्यशाला का आयोजन

आईसीएआई की निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति को भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), जो एमसीए की एक प्रमुख संस्था है, से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीएआई और यूनिसेफ के सहयोग से कारबार रिपोर्टिंग और संवहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) के संबंध में कार्यशाला की श्रृंखला का आयोजन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रकार प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आईआईसीए ने आईसीएआई की सीआईआरसी की इंदौर शाखा के परिसर में आईसीएआई और यूनिसेफ के सहयोग से एक केंद्रीय प्रादेशिक कार्यशाला का आयोजन किया और सदस्यों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक बीआरएसआर संबंधी इस कार्यशाला में भाग लिया था।

(VIII) सीएसआर रिपोर्टिंग और उसके प्रभाव का निर्धारण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सीएसआर के महत्व को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई की निगम विधि और निगम शासन समिति ने निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ करने का विनिश्चय किया है, जिसका आशय उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को ऐसे अपेक्षित ज्ञान और कौशलों से सुसज्जित करना है, जो सीएसआर प्रवृत्तियों से संबंधित नियमों और विनियमों को समझने और सीएसआर से सहबद्ध चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित हैं और साथ ही उन्हें निर्धारण, नीति तैयार करने और सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के संबंध में भी शिक्षित किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समिति ने अप्रैल 2023 से जून, 2024 की अवधि के दौरान सीएसआर रिपोर्टिंग और प्रभाव संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के छह बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस पाठ्यक्रम का संचालन ऐसे संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन के अधीन किया जाता है, जिन्हें सीएसआर के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। ये संकाय सदस्य अपने महत्वपूर्ण योगदानों और उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, जिनके कारण उन्होंने शैक्षिक और वृत्तिक समुदायों में सम्मान और ख्याति अर्जित की है।

(IX) समिति द्वारा जारी किए गए प्रकाशन

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) रजिस्टर के रखरखाव पर कार्यान्वयन गाइड - सर्वोत्तम व्यवहार
- निजी कंपनियों और शेयरधारकों के लिए प्रतिभूतियों के विभौतीकीकरण संबंधी पुस्तिका
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग और प्रभाव निर्धारण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि सामग्री

(X) कार्यक्रम/सम्मेलन/वेबकास्ट/पाठ्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम/सम्मेलन/वेबकास्ट/पाठ्यक्रम	संख्या
1	कंपनी विधि और निगम विधि पर राष्ट्रीय सम्मेलन	2
2	वित्तीय विवरण - कपट संबंधी पहलू पर वेबीनार, विलयनों और अर्जनों तथा एमएसएमई के लिए निगम शासन - सलाहकार के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका, महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के उपबंधों और साथ ही तद्विनि बनाने गए नियमों के अनुपालन के संबंध में कंपनियों को संवेदनशील बनाने के विषय पर वेबीनार	4
3	वेबीनार श्रृंखला - मंथन	5
4	स्वतंत्र निदेशकों की सभा, निगम विधि सभा, कंपनी लेखा परीक्षा, निगम विधि, कंपनी अधिनियम, निगम पठन, कारो 2020, अनुसूची 3 और कंपनी अधिनियम 2013, संपरीक्षा ट्रेल और उसकी व्यावहारिक विवक्षाएं, कंपनी अधिनियम, 2013 में हाल में किए गए संशोधन, आरओसी से संबंधित वार्षिक फाइलिंग, निगम विधि अनुपालन और सीए, आरआरसी के लिए गिफ्ट सिटी से अवसरों से संबंधित मुद्दों के विषय पर संगोष्ठी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ कार्यशालाएं	25

6.6 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी) आईसीएआई की महत्वपूर्ण समितियों में से एक है, जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित विषयों के संबंध में कार्यवाही करती है तथा सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा अन्य उपयुक्त मंचों पर समय-समय पर प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न विधायी संशोधनों तथा मुद्दों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करती है। समिति के मुख्य क्रियाकलापों में नए प्रकाशनों को निकालकर तथा विद्यमान प्रकाशनों का पुनरीक्षण करके, संगोष्ठियों, वेबीनारों, सम्मेलनों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा सदस्यों के कौशल में अभिवृद्धि करना सम्मिलित है।

(I) सरकार को अभ्यावेदन/के साथ परस्पर क्रियाएं

- आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) में अकाउंटेंट सदस्य की नियुक्ति - अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 के साथ पठित अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021। न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए वर्तमान में अधिवक्ताओं के लिए 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उक्त पद हेतु पात्र होने के लिए 25 वर्ष की अवधि का न्यूनतम व्यवसाय अपेक्षित है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए 25 वर्ष की अवधि को कम करके 10 वर्ष करने तथा 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को कम करने का अनुरोध किया गया।
- प्रारूप नियम 11यूए के संबंध में आईसीएआई द्वारा टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत किया जाना।
- प्रारूप संख्या 3गघ, 10ख, 10खख, प्रारूप आईटीआर-6 की ऑनलाइन उपयोगिता के लिए ई-फाइलिंग जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा विभिन्न आईटीआर प्रारूपों (निर्धारण वर्ष 2023-24) फाइल करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध।
- वस्तु-सूची मूल्यांकन से संबंधित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (2क) के संबंध में वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा किए गए संशोधन को कार्यान्वित करने के लिए प्रारूप 6ग।

- निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए प्ररूप 10ख/10खख और आईटीआर 7 को कानूनी समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारिती के दायित्व में पर्याप्त/समुचित अनुतोष उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध।
- निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए प्ररूप संख्या 10ख और 10खख तथा संबंधित उपबंधों के संबंध में आईसीएआई की चिंताएँ।
- महाराष्ट्र के कुछ स्थानों में लगाए गए कर्फ्यू के कारण प्रभावित कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध न होने के कारण पणधारियों द्वारा ई-फाइलिंग में आई कठिनाईयों के कारण पर्याप्त/समुचित अनुतोष उपलब्ध कराने का अनुरोध।
- पूर्व वर्षों में आईटीआर फाइल न किए जाने या आधार को पैन के साथ न जोड़े जाने के कारण ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की गई है, से कम कटौती किए जाने के कारण कर कटौतीकर्ता को सूचना (सूचनाएं) जारी करने के संबंध में आईसीएआई की चिंताएँ।
- प्ररूप संख्या 10ख या प्ररूप संख्या 10खख को सही तरीके से न भरने के मामले में संबंधित करदाताओं को क्षमा करने या त्रुटि को सुधारने का विकल्प देने का अनुरोध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख(ज) के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में आईसीएआई की चिंताएँ।
- आईटीआर प्ररूपों को प्रस्तुत करते समय सामने आए कतिपय मुद्दों के संबंध में आईसीएआई की चिंताएँ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर से छूट का फायदा लेने वाले अस्तित्वों और व्यष्टियों के लिए आज्ञापक आईटीआर फाइलिंग अपेक्षा और/या समुचित संपरीक्षित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को आरंभ करने का अनुरोध।
- वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) पर आईसीएआई के इनपुट।
- वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और आयकर विवरणी (आईटीआर) के अनुसार आय के सुमेलित न होने के लिए प्राप्त हुई संसूचना के संबंध में पुर्तगाली सिविल संहिता द्वारा शासित करदाताओं की चिंताएँ।
- बजट-पूर्व ज्ञापन – 2024 को प्रस्तुत करना।
- धारा 115खकख का लाभ लेने के लिए प्ररूप संख्या 10-झघ फाइल किए जाने के समय से संबंधित निर्धारिती की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने का अनुरोध।
- धारा 50ग के अधीन पूंजी अभिलाभ संगणना के संबंध में त्रुटि को दूर करने के लिए प्राप्त सूचना के संबंध में करदाताओं के सामने आने वाली चिंताएँ।
- प्ररूप 26एएस/टीआईएस/एआईएस और आईटीआर प्ररूपों की ई-फाइलिंग के संबंध में चिंताएँ।

(II) सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वीसीएम/वेबीनार/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

प्रत्यक्ष कर समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न मुद्दों, अर्थात् आय-कर अधिनियम में नवीनतम संशोधनों, जिसके अंतर्गत धारा 43खज भी है, कर सभा, संपरीक्षा ट्रेल और एमएसई संव्यवहार, वित्त विधेयक, 2024 पर परिचर्चा तथा अनिवासी कलाकारों या खिलाड़ियों का कराधान, आय-कर के संबंध में विवादग्रस्त मुद्दे और आय-कर के टीडीएस उपबंधों के संबंध में सामने आने वाले मुद्दों, अनुमानिक कराधान और गैर निगम अस्तित्वों का कराधान, कर संपरीक्षा रिपोर्टिंग में अंतर्वलित महत्वपूर्ण पहलू, अनिवासी भारतीयों के कराधान संबंधी पर्यावलोकन, वित्त विधेयक, 2023 का पर्यावलोकन, पूर्त न्यासों में हाल ही में किए गए संशोधन और अनुपालन, क्रिप्टो आस्तियां – भारत और वैश्विक कर क्षेत्र, यूई के निगम कर को स्पष्ट करना तथा ई-सत्यापन स्कीम, 2021, अंतर्राष्ट्रीय कराधान में नवीनतम घटनाएं – स्थानीय और वैश्विक, प्रभाव का पता लगाना : सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र खंड के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण, आदि के संबंध में 31 संगोष्ठियों/सम्मेलनों और 24 वीसीएम/वेबकास्टों का आयोजन किया।

(III) अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता पत्र डिप्लोमा/यूई निगम विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता पत्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम के निम्नलिखित बैचों का संचालन किया है :

आनलाइन पद्धति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता पञ्च डिप्लोमा

बैच सं.	बैच का स्थान	बैच के प्रारंभ होने की तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	प्रास्थिति
दसवां	आनलाइन	20.03.2023	182	पूरा किया गया
ग्यारहवां	आनलाइन	01.04.2024	199	पूरा किया गया

भौतिक पद्धति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता पञ्च डिप्लोमा

बैच सं.	बैच का स्थान	बैच के प्रारंभ होने की तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	प्रास्थिति
26वां	अहमदाबाद	28.01.2023	40	पूरा किया गया
27वां	दिल्ली	29.04.2023	65	पूरा किया गया
28वां	मुंबई	05.08.2023	64	पूरा किया गया
29वां	हैदराबाद	14.10.2023	41	पूरा किया गया
30वां	गौतमबुद्ध नगर	16.12.2023	46	पूरा किया गया
31वां	सूरत	17.12.2023	48	पूरा किया गया

समिति ने फरवरी, 2023 में यूएई निगम कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया है।

भौतिक पद्धति के माध्यम से यूएई निगम कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बैच सं.	बैच का स्थान	बैच के प्रारंभ होने की तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	प्रास्थिति
पहला	आबू धाबी	4.02.2023	16	पूरा किया गया
पहला	दुबई	5.02.2023	41	पूरा किया गया
दूसरा	दुबई	24.09.2023	44	पूरा किया गया
तीसरा	दुबई	13.01.2024	36	पूरा किया गया
चौथा	दुबई	01.06.2024	37	चल रहा है

आनलाइन पद्धति के माध्यम से यूएई निगम कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बैच सं.	बैच का स्थान	बैच के प्रारंभ होने की तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	प्रास्थिति
पहला	आनलाइन	19.06.2023	193	पूरा किया गया
दूसरा	आनलाइन	03.10.2023	171	पूरा किया गया
तीसरा	आनलाइन	08.01.2024	197	पूरा किया गया
चौथा	आनलाइन	03.07.2024	200	चल रहा है

(IV) अन्य पहलें

- समिति ने अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और उसके वरिष्ठ पदधारियों के साथ तीन बैठकें की। पहली बैठक का आयोजन 6 मार्च, 2024 को तथा दूसरी बैठक का आयोजन 24 अप्रैल, 2024 को किया गया था। 24 अप्रैल, 2024 को आयोजित दूसरी बैठक में, समिति ने बजट पूर्व सुझावों को प्रस्तुत किया और साथ ही वर्ष 2024-25 के लिए बजट पूर्व ज्ञापन को भी प्रस्तुत किया। तीसरी बैठक का आयोजन 27 जून, 2024 को किया गया था और यह भी एक बजट पूर्व बैठक थी, जिसमें अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अध्यक्ष, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति ने भाग लिया था, जिसमें प्रत्यक्ष करों तथा सीमाशुल्क विधि के संबंध में अतिरिक्त सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।
- इस वर्ष एक नई पहल के रूप में, समिति ने मई, 2024 में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता पश्च डिप्लोमा की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों के फायदे के लिए पुनरीक्षण कक्षाओं को आरंभ किया है। इन पुनरीक्षण कक्षाओं का आयोजन 27 और 28 अप्रैल, 2024 (प्रत्येक शनिवार और रविवार, 3-3 घंटे के दो सत्र) को किया गया था और इन सत्रों को अंतर्राष्ट्रीय कराधान तथा अंतरण कीमत निर्धारण के क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया था।
- परिषद् ने भारत में यूई निगम कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
- समिति ने, आईटीएटी के अनुरोध पर उसके नए सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष कर और अंतर्राष्ट्रीय कराधान तथा लेखांकन संबंधी अनुकूलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री की 40 प्रतियों को अग्रेषित किया है।
- जीवन की सुगमता और कारबार करने की सुगमता विषय पर विश्व बैंक के सर्वेक्षण में प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति, आईसीएआई की ओर से नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि द्वारा राजस्व विभाग को प्रस्तुत किए गए थे और इन उत्तरों को राजस्व विभाग को भेजे गए प्रत्युत्तर में सम्मिलित किया गया था।

(V) जारी किए गए प्रकाशन

- प्ररूप सं. 3गघ और प्ररूप 3गडख में पुनरीक्षण संबंधी कार्यान्वयन गाइड।
- धारा 12क/10(23ग) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्टों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण।

6.7 वाणिज्यिक विधियों, आर्थिक सलाहकारी और एनपीओ सहकारिता संबंधी समिति (सीसीएलईएएंडएनपीओ)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) वृत्तिकों को कड़ी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के रूप में तैयार करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईसीएआई के भीतर, वाणिज्यिक विधियों, आर्थिक सलाहकारी और एनपीओ सहकारिता संबंधी समिति (सीसीएलईएएंडएनपीओ) एक अत्यंत महत्वपूर्ण अस्तित्व सिद्ध हुई है। यह समिति चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विविध वृत्तिक अवसरों के संबंध में प्रशिक्षित करती है तथा वाणिज्य और आर्थिक विधियों के क्षेत्र में सदस्यों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। वृत्तिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीसीएलईएएनपीओ वाणिज्यिक विधियों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रस्थापित करती है, नियमित रूप से सरकार के साथ संपर्क करती है, विधिक ज्ञान प्रदान करती है तथा व्यवसाय के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों का पता लगाती है। भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध समिति आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों के संबंध में सुविचारित सुझाव प्रस्तुत करती है, जो आईसीएआई के अपने सदस्यों की विशेषज्ञता में अभिवृद्धि करने और इस प्रकार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के उद्देश्य के समरूप है। उत्कृष्टता के प्रति अपने अथक प्रयासों में सीसीएलईएएनपीओ आईसीएआई के मिशन के प्रति सदैव सचेत रहती है और उस पर ध्यान केंद्रित करती है और इस प्रकार वह विशेषज्ञों के समुदाय को ऐसा आकार प्रदान करती है, जो जटिल परिस्थितियों में आगे बढ़ने में सक्षम है और भारत के आर्थिक विकास में अर्थपूर्ण योगदान करने में पूर्णतया समर्थ हैं।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें**राष्ट्र निर्माण में भागीदारी :**

- परिषद् वर्ष 2023-24 में आईसीएआई की सीसीएलईएएंडएनपीओ ने वित्त मंत्रालय/भारत के वित्तीय सतर्कता यूनिट (एफआईयू - इंड) के एफटीएफ प्रकोष्ठ की एफटीएफ द्वारा परस्पर मूल्यांकन में सहायता की। मार्च, 2023 से सीसीएलईएएंडएनपीओ ने वित्त मंत्रालय की बैठकों में भाग लिया और राष्ट्रीय ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सहयोग किया। 14 नवंबर, 2023 को आईसीएआई के पदधारियों ने लेखांकन वृत्तिकों के संबंध में

एफएटीएफ को भारत के एएनएल/सीएफटी ढांचे के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों और वित्तीय सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता को उपदर्शित किया गया।

- समिति के अधीन नई पहल – “अपराधिक अन्वेषणों में कारबार परिस्थितियों और लेखांकन प्रणालियों को समझना – एक मामला अध्ययन आधारीक दृष्टिकोण” विषय पर एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का 3 मई, 2023 को आयोजन किया गया था, जिससे चेन्नई के अपराध शाखा पुलिस अधिकारियों को अपराधिक अन्वेषणों के संबंध में कारबार परिस्थितियों और लेखांकन प्रणालियों के बीच जटिल संबंधों को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी द्वारा की गई थी। यह अग्रणी प्रयास जो कि अपनी किस्म का सर्वप्रथम प्रयास है, वित्त और विधि विधाओं के बीच सक्रिय सहयोग को उपदर्शित करता है, जिससे सरकारी पदधारियों की अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- भारत के श्रम विधि सुधारों के माध्यम से विद्यमान 29 श्रम विधियों को 4 व्यापक श्रम संहिताओं के रूप में समेकित किया गया है : मजदूरी संहिता, 2019 ; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक संरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यकरण परिस्थितियां संहिता, 2020, जिसका उद्देश्य विनियामक ढांचे को सरल करना तथा उसे आधुनिक बनाना था। यद्यपि, उक्त संहिताओं को संसद् द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु उन्हें अभी लागू नहीं किया गया है और उनका क्रियान्वयन अभी लंबित है। संबद्ध प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करके इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य और पणधारी नए उपबंधों और उनकी विवक्षाओं से भलीभांति परिचित हैं। समिति का उद्देश्य नई श्रम संहिताओं के संबंध में ज्ञानवान सुसंगत सामग्रियों को प्रकाशित करना है और साथ ही सीपीई आयोजनों के माध्यम से उनके संबंध में जागरूकता का सृजन करना है।
- सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के साथ एक सकारात्मक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बहु राज्य सहकारी सोसाइटियों (एमएससीएस) की संपरीक्षा के लिए आईसीएआई के सदस्यों में विशेषीकृत कौशल सेट को विकसित करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था। इन परिचर्चाओं के दौरान मुख्य रूप से ध्यान ऐसे प्रमुख प्रस्तावों पर केंद्रित किया गया था, जिनका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के भीतर सुसंगत विधियों और विनियमों के बारे में समझ को बढ़ाना तथा उनके कार्यान्वयन में अभिवृद्धि करना है। यह परस्पर सहयोगात्मक प्रयास विनियामक ढांचे के संबंध में पणधारियों को स्पष्टता उपलब्ध कराएगा और अनुपालन में सुधार करेगा और इस प्रकार इससे महत्वपूर्ण फायदों की प्रत्याशा है।
- 12 जून, 2024 को, एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां सहकारिता और सिविल विमानन राज्य मंत्री को बधाई दी गई और उन्हें आईसीएआई के माननीय अध्यक्ष और दो केंद्रीय परिषद् सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। पुणे से लोक सभा सदस्य के रूप में अपने पहले ही कार्यकाल में केंद्र में नव निर्वाचित सरकार में संघ के मंत्रिमंडल तक पहुंचना और राज्य मंत्री के पद को प्राप्त करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सदस्यों की शिक्षा और सक्षमता निर्माण :

- समिति ने इस अवधि के दौरान दो नए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को आरंभ करके भू-संपदा और फेमा के क्षेत्र में शिक्षा और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भू-संपदा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – विधि और विनियमन तथा साथ ही फेमा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले बैच को नवंबर, 2023 में आनलाइन पद्धति से आरंभ किया गया, जिनके संबंध में वृत्ति में महत्वपूर्ण हलचल हुई और इन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए 250 से अधिक सदस्यों ने अपनी उत्साहपूर्ण रुचि उपदर्शित की।
- समिति ने डिजीटल निजी डाटा संरक्षण अधिनियम पर विशिष्ट रूप से केंद्रित वेबीनारों का आयोजन किया। विधायन के इस नए क्षेत्र के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए समिति ने प्रतिभागियों को अधिनियम के परिधि क्षेत्र और अपेक्षाओं के संबंध में शिक्षित और जानकारी प्रदान करने के लिए अनेक आयोजन किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य डिजीटल निजी डाटा संरक्षण की जटिलताओं को समझने और नए विनियमों का अनुपालन करने के लिए भलीभांति सुसज्जित हैं।

(II) असंरचित सीपीई घंटों को प्रदान किए जाने के लिए वेबीनार :

समिति ने “अपनी विधि को जाने” श्रृंखला का आयोजन आरंभ किया था, जो कि एक साप्ताहिक आयोजन है और इसे गुरुवार को आयोजित किया जाता है। चालू परिषद् वर्ष के लिए इस आयोजन को जारी रखा गया। 30 जून, 2024 तक इसके कुल 64 वेबीनारों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में सम्मिलित किए गए कुछ विषयों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

धनशोधन	ईपीएफ और ईएसआई अधिनियम
विदेशी निवेश	माध्यस्थम्
बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)	वसीयत और नामांकन
एफसीआरए	पूर्त न्यास
श्रम विधियां	डिजिटल निजी डाटा संरक्षण अधिनियम
सहकारी सोसाइटियां	पीएमएलए के अधीन रिपोर्टिंग अस्तित्व
काला धन	उच्चतम न्यायालय के निर्णय
पर्यावरण विधियां	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
मध्यक्ता	उपभोक्ता संरक्षण
फेमा	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
संविदा प्रारूपण और बातचीत	

(III) संरचित सीपीई घंटों को प्रदान किए जाने के लिए भौतिक सीपीई कार्यक्रम

समिति ने सदस्यों के लिए 34 कार्यक्रम भौतिक पद्धति से आयोजन किए, जिनमें वाणिज्यिक विधियों के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, अर्थात् फेमा, रेरा, श्रम विधियां, न्यास और सहकारी सोसाइटी, बौद्धिक संपदा अधिकार, पीएमएलए में हुए हाल ही के संशोधनों का वृत्ति पर प्रभाव, बेनामी संयंत्र, न्यास और एनपीओ, कारबार, अर्थशास्त्र और अन्य विधियां, डिजिटल निजी डाटा संरक्षण अधिनियम, सहकारिता और पीएमएलए को स्पष्ट करना तथा अनुपालन, भू-संपदा विधियां, सहकारिताओं को सशक्त बनाना : भविष्य की ओर अग्रसर होना, विजन 2047 में सहकारिताओं की भूमिका : भारत, एनपीओ (पूर्त संस्थाएं और न्यास), धनशोधन निवारण अधिनियम, डीपीडीपी आदि।

(IV) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

समिति ने अप्रैल, 2023, अगस्त, 2023 और जून, 2024 के मासों में हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्र में “वाणिज्यिक विधियों में वृत्तिक अवसर” विषय पर तीन दिवसीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

(V) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

क्रम सं.	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का नाम	बैच	पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण सदस्यों/रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की संख्या
1	धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ)	धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ) का 24वां बैच - 9 अक्टूबर से 22 नवंबर, 2023 तक। धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ) का 25वां बैच - ऑनलाइन पद्धति से आठवां बैच- 11 मार्च से 9 अप्रैल, 2024 तक। धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ) का 26वां बैच - ऑनलाइन पद्धति से नौवां बैच- 1 मई से 5 जून, 2024 तक।	172 200 64
2	एडीआर (माध्यस्थम्, मध्यक्ता और सुलह) संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	माध्यस्थम्, मध्यक्ता और सुलह संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का 28वां बैच - ऑनलाइन पद्धति में तीसरा बैच - 21	66

		सितंबर से 12 जनवरी, 2024 तक।	
3	आईपीआर विधि (बौद्धिक संपदा अधिकार विधि) संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	आईपीआर विधि (बौद्धिक संपदा अधिकार विधि) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का दूसरा बैच ऑनलाइन पद्धति में - 16 अगस्त से 15 सितंबर 2023 से। आईपीआर विधि (बौद्धिक संपदा अधिकार विधि) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का तीसरा बैच ऑनलाइन पद्धति में - 12 फरवरी से 19 अप्रैल, 2023 से।	105 145
4	सहकारिताओं संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	सहकारिताओं संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का चौबीसवां बैच - ऑनलाइन पद्धति में दूसरा बैच - 5 जून से 26 जुलाई, 2023। सहकारिताओं संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पच्चीसवां बैच - ऑनलाइन पद्धति में तीसरा बैच - 1 जनवरी से 7 फरवरी, 2024। सहकारिताओं संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का छब्बीसवां बैच - ऑनलाइन पद्धति में चौथा बैच - 12 फरवरी से 6 मार्च, 2024।	96 200 200
5	गैर-लाभकारी संगठन संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	ऑनलाइन पद्धति में एनपीओ संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का तीसरा बैच - 6 जून, 2023 से 1 अगस्त, 2023 तक।	92
6	भू-संपदा - विधि और विनियमन संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	ऑनलाइन पद्धति में भू-संपदा - विधि और विनियमन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पहला बैच - 17 नवंबर, 2023 से 15 जनवरी, 2024 ऑनलाइन पद्धति में भू-संपदा - विधि और विनियमन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का दूसरा बैच - 2 मई से 27 जून, 2024	184 182
7	फेमा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	ऑनलाइन पद्धति में फेमा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पहला बैच - 29 नवंबर, 2023 से 24 जनवरी, 2024 ऑनलाइन पद्धति में फेमा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का दूसरा बैच - 1 जून से 5 जुलाई, 2024	98 44

(VI) अंतर्राष्ट्रीय और राज्य दिवसों संबंधी समारोह

समिति ने हमारे भ्रातृसंघ के सदस्यों के ज्ञान को आधुनिक बनाने के लिए सर्वाधिक सुसंगत और समकालीन विषयों के संबंध में पठन और जागरूकता के सृजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राज्य दिवसों को मनाए जाने संबंधी सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस	26 अप्रैल, 2023
मजदूर दिवस	1 मई, 2023

रेरा दिवस	2 मई, 2023
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस	6 जुलाई, 2023
अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस	5 सितंबर, 2023

(VII) प्राधिकरणों/विनियामकों के साथ कार्यक्रम

रेरा नेतृत्व विकास कार्यक्रम एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल थी, जिसे भू-संपदा क्षेत्र में व्यष्टियों के कौशलों में अभिवृद्धि करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को गहन अंतःनिवेश और व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध करके उन्हें सशक्त बनाना था। परस्पर क्रियाशील सत्रों के माध्यम से, जिनमें समूह परिचर्चाएं और प्रस्तुतिकरण शामिल थे, इस कार्यक्रम के माध्यम से भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की जटिलताओं को व्यापक रूप से समझने में सहायता प्राप्त हुई। प्रतिभागियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया गया था, जहां वे रera प्राधिकरणों के सम्मानित पदधारियों द्वारा साझा किए गए व्यापक अनुभवों से अपार फायदा प्राप्त करके रera को समझने और सर्वोत्तम व्यवहारों को लागू करने में समर्थ हो सकें। हैदराबाद, पिंपरी और जयपुर में तीन रera नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(VIII) विभिन्न विधेयकों/विधियों पर मत

समिति ने विभिन्न विधियों/विधेयकों के संबंध में अपने इनपुट/मतों को प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार हैं :

- डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2024 पर सुझाव।
- महाराष्ट्र रera के प्रस्तावित आदेश – विक्रय के करार में संप्रवर्तक द्वारा भू-संपदा परियोजना में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे, के संबंध में सुझाव।
- महाराष्ट्र रera द्वारा रजिस्ट्रीकृत परियोजनाओं द्वारा बनाए रखे गए बैंक खातों और उनके प्रचालन के संबंध में परिचर्चा पत्र के संबंध में सुझाव।

(IX) प्रकाशन

- फेमा के अधीन अनिवासियों की बाध्यताओं और विशेषाधिकारों संबंधी सीए हैंडबुक
- मुख्तारनामे के प्रारूपण संबंधी सीए हैंडबुक
- भारत में बेनामी संव्यवहारों पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए 'मध्यक्ता' के क्षेत्र में वृत्तिक अवसर
- पीएमएलए के अधीन तारीख 3 मई, 2023 की अधिसूचना पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न
- बौद्धिक संपदा अधिकार विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री।

6.8 अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी)

आईसीएआई ने एक सूचना शासक, नियंत्रक, संरक्षक और संपरीक्षा वृत्तिक के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2018 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (सीआईटी) का अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी) के साथ विलयन किया। डीएएबी प्रास्थिति पत्रों और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित लेखों के माध्यम से ज्ञान आधार को विकसित कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट संबंधी प्रक्रिया स्वचालन, ब्लॉकचेन, क्लाउड संगणना और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी वृहत डाटा के भावी प्रभावों के संबंध में अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसका प्रयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उनके ज्ञान में विस्तार करने और आज के डिजिटल युग में नए क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित करने में सहायता करना है।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- न्यायालयिक लेखांकन और अन्वेषण मानकों का सार संग्रह (1 जुलाई, 2023 को यथाविद्यमान)

अंकीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड (डीएएबी) ने न्यायालयिक लेखांकन और अन्वेषण मानकों (एफएआईएस) का सार संग्रह जारी किया था, जिसमें इस क्षेत्र के ढांचे, मूलभूत सिद्धांतों, प्रमुख अवधारणाओं और अनेक ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया था, जो इस क्षेत्र में समनुदेशनों को पूरा करने की संपूर्ण प्रक्रिया को समाविष्ट करते हैं। अगस्त, 2021 में, बोर्ड ने एफएआईएस के एक संपूर्ण सेट को जारी किया था, जिसमें 20 मानक और 3 व्यापक दस्तावेजों को सम्मिलित किया गया। आज के आधुनिक और क्रियाशील युग में न्यायालयिक लेखांकन और अन्वेषण (एफएआई) के क्षेत्र में सतत सुधार और मानकों का अंगीकरण अनिवार्य है। इस आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, आईसीएआई के अंकीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड ने एफएआईएस का पुनरीक्षण किया है तथा उसने 1 जुलाई, 2023 को एफएआईएस के पुनरीक्षित सार संग्रह को जारी किया है। आईसीएआई के सदस्यों द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न समनुदेशनों में इन मानकों की बढ़ती मांग को महसूस करते हुए आईसीएआई की परिषद् ने 1 जुलाई, 2023 से ऐसे सदस्यों के लिए इन मानकों को आज्ञापक बनाया है, जो न्यायालयिक लेखांकन और अन्वेषण संबंधी समनुदेशन कर रहे हैं।

• न्यायालयिक लेखांकन और अन्वेषण मानकों संबंधी क्रियान्वयन गाइड (1 जुलाई, 2023 को यथाविद्यमान)

अंकीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड (डीएएबी) ने एफएआईएस के साथ प्रभावी अनुपालन के समर्थन में सहायता करने के लिए एफएआईएस संबंधी क्रियान्वयन गाइड को जारी किया है। इस क्रियान्वयन गाइड में ऐसे व्यौरों और विभिन्न प्रक्रियाओं को वर्णित किया गया है, जिन्हें वृत्तिक अपने नियोजनों को पूरा करने तथा एफएआईएस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुसंगत और उचित पाएंगे।

• सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम

बोर्ड द्वारा संचालित सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम (डीआईएसए) को वर्ष 2001 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के लिए आरंभ किया गया था, जिसके संबंध में मांग बढ़ती जा रही थी। डीआईएसए पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी, सूचना आश्वासन तथा सूचना प्रबंध विशेषज्ञता को समिश्रित करता है, जो किसी डीआईएसए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक भरोसेमंद सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार बनने तथा सूचना सुरक्षा आश्वासन सेवाओं के प्रदाता के रूप में स्वयं को विकसित करने में समर्थ बनाता है। वर्ष 2001 से आज की तारीख तक 33,566 से अधिक सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित किया है। डीआईएसए का संचालन श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएएसएल) और नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएएन) के लिए भी किया गया था। अंकीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड ने सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता पश्च पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को भी अद्यतन किया है। कुल 45 वर्चुअल/भौतिक बैचों का आयोजन किया गया था, जिनमें श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएएसएल) और नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएएन) में से प्रत्येक के सदस्यों के लिए आयोजित एक-एक बैच भी सम्मिलित है।

• न्यायालयिक लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड, “न्यायालयिक लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” का संचालन करता है और आज की तारीख तक लगभग 13,394 सदस्यों ने इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है। इस विशेषीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों की, लेखांकन, संपरीक्षा, सीएएटी/डाटा माइनिंग उपकरणों संबंधी कौशलों और कपट/वृत्तियों का पता लगाने संबंधी अन्वेषणात्मक कौशलों को अर्जित करने में सहायता करना है। कुल 48 बैचों का आयोजन किया गया था, जिनमें नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएएन) के सदस्यों के लिए आयोजित एक बैच भी सम्मिलित है।

(II) बोर्ड द्वारा आयोजित सम्मेलन, वेबीनार, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पात्रता परीक्षा, निर्धारण परीक्षा, कार्यशाला, संगोष्ठियां

बोर्ड ने, न्यायालयिक लेखांकन के पर्यावलोकन और अन्वेषण मानकों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए डाटा विश्लेषण में अवसर, अंकीय आश्वासन, साइबर सुरक्षा, समुन्नत एक्ससेल और डाटा डैश बोर्ड, वित्तीय रिपोर्टिंग में स्वचालन, सीए वृत्ति में संचालन और रूपांतरण आदि जैसे विषयों पर 73 सम्मेलनों/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पात्रता परीक्षाओं/निर्धारण परीक्षाओं/वीसीएम/वेबीनारों का आयोजन किया।

6.9 नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी)

नैतिकता लेखांकन वृत्ति की रीढ़ की हड्डी है, जो ऐसे ढांचे को उपलब्ध कराती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि चार्टर्ड

अकाउंटेंट अपने कर्तव्यों का निर्वहन ऐसी रीति में करते हैं, जो सभी पणधारियों की आशओं के अनुरूप है। नैतिक मानक, अकाउंटेंटों को ऐसे निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शित करते हैं, जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में सत्य को प्रदर्शित करते हैं। सत्यनिष्ठा, जिसका उल्लेख चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए प्रथम मूलभूत सिद्धांत के रूप में किया गया है, नैतिक आचार के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसमें सभी वृत्तिक और कारबार संबंधों में ईमानदार और सुस्पष्ट होना सम्मिलित है। वृत्तिक सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि रखने से यह अभिप्रेत है कि हित के विरोध से बचा जाए, भ्रामक कार्रवाईयों को दूर रखा जाए तथा सदैव सभी वृत्तिक व्यवहारों में ईमानदारी का प्रदर्शन किया जाए। समाज के विकास के साथ सदस्यों के व्यवहारों में जटिलताओं में वृद्धि हुई है, उसी समय नैतिक मानकों को भी उन्हें समकालीन बनाने के लिए विकसित किया गया है। इन मानकों का पालन करते हुए सदस्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे न केवल विनियामक अपेक्षाओं का पालन करते हैं अपितु वित्तीय उपयुक्तता की प्रत्याशाओं को पूरा करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शित करते हैं और इसके अतिरिक्त इन कार्यों से वे अपनी ख्याति और प्रतिष्ठा को और अधिक समृद्ध करते हैं। नैतिक मानकों के अनुपालन में विधियों और विनियमों के संबंध में अद्यतन जानकारी रखना भी सम्मिलित है। इस प्रकार का सक्रिय दृष्टिकोण सदस्यों को जटिल विनियामक तंत्र में सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि उनके कार्य सदैव समकालीन अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

आईसीएआई का नैतिक मानक बोर्ड सदस्यों की वृत्तिक नैतिकता को सर्वोपरि रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोर्ड का यह पवित्र उत्तरदायित्व है कि वह भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विद्यमान नैतिक संहिता का पुनरीक्षित करे और उसे अद्यतन बनाए। यह नैतिक संहिता एक व्यापक दस्तावेज है और उसे अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन (आईएफएस) के अकाउंटेंटों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सम्यक् रूप से सुमेलित किया गया है। नैतिक मानक बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि नैतिक मानक व्यवसाय और सेवा में सदस्यों के समक्ष आने वाली वृत्तिक परिस्थितियों का समाधान करने के लिए प्रभावी हैं। नैतिक मानक बोर्ड ऐसे विनिर्दिष्ट मुद्दों का भी समाधान करता है, जो व्यवसाय के दौरान तथा नियोजन में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों के समक्ष आ सकते हैं। उदाहरणार्थ, यह हित के विरोध के मामले में अपनाई जाने वाली कार्रवाई के अनुक्रम के संबंध में ब्यौरेवार मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य संभाव्य विरोधाभासों की पहचान कर सकें तथा प्रभावी रूप से उनका प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकें। इसके अतिरिक्त, बोर्ड नैतिक मुद्दों के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंटों को शिक्षित करने और उनकी जागरुकता के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोर्ड सदस्यों को नैतिक सिद्धांतों को समझने और उनके वृत्तिक/नियोजन क्षेत्र में उन्हें लागू करने में सहायता करने के विचार से संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- व्यवसायरत सदस्यों, जो आईपीई/आरवीई कंपनियों में पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक हैं, के लिए नियंत्रण और संतुलनों संबंधी दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान किया गया।
- ईएसबी ने 18 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2023 के दौरान सीए क्रेकट सप्ताह का आयोजन किया। ईएसबी सदस्यों और पणधारियों के बीच इस पोर्टल को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।
- ईएसबी ने आईसीएआई के मासिक सीए जर्नल में 'नो यूअर ऐथिक्स' विषय पर एक जागरुकता स्तंभ जारी किया है।
- नैतिक संहिता को पुनरीक्षित करने की सिफारिश की गई थी। नैतिक संहिता की जिल्द 1 और जिल्द 2 के पुनरीक्षण के संबंध में विचार करने के लिए विभिन्न अध्ययन समूहों का सृजन किया गया था।
- ईएसबी ने नैतिक मुद्दों के संबंध में पांच पुस्तिकाओं को जारी किया, अर्थात् :--
 - दस्तावेजीकरण और वृत्तिक आचार।
 - नैतिक संहिता – सेवा में नियोजित सदस्यों के लिए बाध्यताएं।
 - एनओसीएलएआर – व्यवसायरत और सेवा में लगे सदस्य।
 - प्रौद्योगिकी और चार्टर्ड अकाउंटेंट।
 - वृत्ति और अन्य व्यवसायों की तुलना।
- नैतिक मानक बोर्ड ने सदस्यों द्वारा बहुधा उठाई गई शंकाओं तथा विभिन्न मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के संबंध में स्पष्टीकरणों/उदघोषणाओं को जारी किया है।

- नैतिक मानक बोर्ड ने आईसीएआई की ओर से 18 मई, 2023 को, अकाउंटेंटों की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के अकाउंटेंटों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड द्वारा जारी "कर योजना और संबद्ध सेवाओं" का समाधान बनाने वाली संहिता में प्रस्तावित पुनरीक्षणों संबंधी उद्भासन प्ररूप पर अपनी टीका-टिप्पणियां उपलब्ध कराई थी।
- रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सदस्यों से प्राप्त हुई विभिन्न वृत्तिक नैतिकता संबंधी मुद्दों पर 300 से अधिक शंकाओं का समाधान उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त, विनियामकों, सरकारी अभिकरणों आदि द्वारा नैतिक मुद्दों के संबंध में की गई पूछताछ के संबंध में भी नैतिक मानक बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और उनके उत्तर उपलब्ध कराए गए थे।
- नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी) ने नैतिक संहिता के उपबंधों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सदस्यों के बीच नैतिकता संबंधी मुद्दों को लोकप्रिय बनाने के लिए 20 कार्यक्रमों, 7 वेबीनारों और 1 दो दिवसीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया था।

(II) अन्य क्रियाकलाप

- अकाउंटेंटों की दक्षिण एशियाई फेडरेशन (साफा) की वृत्तिक नैतिकता और निष्पक्षता संबंधी समिति के साथ दो बैठकें।
- सुसंगत अवधि के दौरान, अकाउंटेंटों के अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईइएसबीए) की 7 बैठकों का आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(III) नैतिक मानक बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

नैतिक मानक बोर्ड ने नैतिक मुद्दों के संबंध में विभिन्न स्पष्टीकरणों को जारी किया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान नैतिक मानक बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं :

- तारीख 9.4.2023 की उद्घोषणा (बैंक शाखाओं के समवर्ती संपरीक्षकों द्वारा कतिपय समनुदेशनों को स्वीकार किया जाना)
 - किसी बैंक शाखा के समवर्ती संपरीक्षक/आंतरिक संपरीक्षक प्रमाणन संबंधी कोई समनुदेशन केवल उस समय ग्रहण कर सकते हैं यदि ऐसे प्रमाणपत्रों को बैंक के प्रबंध मंडल को संबोधित किया गया है, अर्थात् कानूनी संपरीक्षक/किसी विनियामक को संबोधित नहीं किया गया है/किसी विशिष्ट व्यक्ति को संबोधित किए बिना।
 - समवर्ती संपरीक्षक/आंतरिक संपरीक्षक न तो किसी बैंक शाखा के वित्तीय विवरणों की कानूनी संपरीक्षा कर सकते हैं और न ही उन्हें संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं।
- किसी ऐसे सदस्य/फर्म, जो किसी बैंक का कानूनी संपरीक्षक है, को एकसाथ उसी बैंक के किसी ग्राहक के एएसएम का समनुदेशन स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। वह एक समय में केवल एक समनुदेशन स्वीकार कर सकता है। तथापि, जहां ऐसे सदस्य/फर्म को किसी बैंक शाखा के कानूनी संपरीक्षक के रूप में चार वर्ष की अवधि पूरी हो गई है और उसके पश्चात् उसे एएसएम के रूप में नियुक्त किया जाता है या जहां वह बैंक का कानूनी संपरीक्षक बने रहने के लिए अपात्र हो जाता है, वहां वह उसी बैंक के एएसएम का समनुदेशन स्वीकार कर सकता है।
- यदि किसी सदस्य ने आईसीएआई से अपने व्यक्तिगत नाम पर व्यवसाय करने की अनुमति प्राप्त की है तो वह फर्म की वेबसाइट से भिन्न अपनी वेबसाइट विकसित कर सकता है। तथापि, उन्हें विहित वेबसाइट संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत समान रूप से लागू होंगे।
- व्यवसायगत किसी सदस्य को एकसाथ किसी संगठन के आंतरिक संपरीक्षक और उपापन अधिकारी के रूप नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- किसी संपरीक्षा ग्राहक के लिए निवेशक संबंध अभिकरण के रूप में कार्य करना प्रबंध मंडल के उत्तरदायित्व के परिधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे नैतिक संहिता के उपबंधों के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है।
- किसी सीए फर्म का कोई भागीदार किसी ऐसी कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों को प्रमाणित/अधिप्रमाणित नहीं कर सकता, जिसमें वह भी एक निदेशक है।
- व्यवसायगत सदस्य, जो कोई कानूनी संपरीक्षक है, को यह अनुमति नहीं है कि वह संपरीक्षा ग्राहकों के लिए कारबार उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) को तैयार करे। तथापि, वह उस संबंध में सलाहकारी

सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, व्यवसायरत सदस्य, जो कोई कानूनी संपरीक्षक है, को यह अनुमति प्राप्त नहीं है कि वह समान ग्राहक के लिए "बीआरएसआर कोर के लिए आश्वासन प्रदाता" बने, (जैसा कि सेबी के तारीख 12.07.2023 के परिपत्र में अधिकथित है)।

- कोई सदस्य किसी एकल व्यक्ति कंपनी का शेयर धारक हो सकता है किंतु उसे नैतिक संहिता के उपबंधों के अनुसार उस कंपनी के दैनिक कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए।

6.10 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)

आज की अर्थव्यवस्था जटिल संव्यवहारों और विकसित होते विनियामक ढांचे का एक जटिल परिवेश है। इस जटिल युग में लेखांकन मुद्दों के संबंध में वास्तविक और विश्वसनीय राय, सत्य तथा निष्पक्ष वित्तीय रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी ऐसी स्वतंत्र राय, जिसके संबंध में गहन अनुसंधान किया गया है, वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों को जटिल लेखांकन परिस्थितियों/संव्यवहारों का समाधान उपलब्ध करके सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति ने अपने प्रारंभ से ही सतत रूप से संस्थान के सदस्यों, जो सभी प्रकार के उद्योगों और साथ ही विनियामकों और शासकीय निकायों जैसे कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) आदि द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों पर अपनी राय उपलब्ध करा रही है।

(I) विशेषज्ञ राय

समिति, सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराती है। नियमों के अनुसार समिति लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराती है और वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों के विधिक निर्वचन संबंधी प्रश्न ही अंतर्वलित होते हैं। समिति ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जो संस्थान की अनुशासन समिति, विधि के किसी न्यायालय, आय-कर प्राधिकरणों या सरकार के किसी अन्य विभाग के समक्ष लंबित मामले से संबंधित हैं। ये नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर <https://www.icaai.org/post/495> हाइपरलिंक के अधीन उपलब्ध हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से अभिप्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा अभिव्यक्त रायें उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर आधारित होती हैं और साथ ही सुसंगत विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा प्रश्न पूछे जाने की तारीख को विद्यमान लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों को विचार में लेते हुए समिति द्वारा राय को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। अतः, समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक ईएसी राय, जिसमें उसे अंतिम रूप प्रदान किए जाने की तारीख अंतर्विष्ट होती है, को उस तारीख के पश्चात् किए गए किन्हीं संशोधनों/अभिवृद्धियों के आलोक में विचार में लिया जाना चाहिए।

(II) ऐसी राय, जिन्हें अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किया गया है

1.4.2023 से 30.06.2024 की अवधि के दौरान, समिति ने, विविध लेखांकन संबंधी मुद्दों पर इकहत्तर (71) रायों को अंतिम रूप प्रदान किया था।

(III) रायों का सार-संग्रह/ज्ञान का प्रसार

रायों में अंतर्विष्ट लेखांकन संबंधी मार्गदर्शनों को सदस्यों और अन्य पणधारियों को उपलब्ध कराने के विचार से, समिति द्वारा जारी रायों को आवधिक रूप से एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् 'रायों का सार-संग्रह'। अभी तक रायों के सार-संग्रह की बयालीस जिल्दों का प्रकाशन किया गया है। इन जिल्दों का व्यापक रूप से वृत्तिकों द्वारा प्रतिनिर्देश किया जाता है तथा अवलंब लिया जाता है। सुगम संदर्भ हेतु इन रायों को संकलित किया गया है तथा आईसीएआई की वेबसाइट पर एक समुन्नत और उपयोक्ता मित्र खोज एप्लीकेशन के रूप में रखा गया है। साधारण वृत्तिक संगतता वाली समिति की कुछ रायों को संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जाता है। समिति की हाल ही की रायों को संस्थान की वेबसाइट पर भी रखा जाता है।

(IV) वेबीनार/संगोष्ठियां

सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच ईएसी की रायों के संबंध में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने और जागरूकता का सृजन करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने 'हाल ही की ईएसी रायों' विषय पर 10 वेबीनारों का आयोजन किया। विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने अपनी प्रथम भौतिक संगोष्ठी का आयोजन मुंबई में 'इंड एएस ढांचे के अधीन हाल ही की ईएसी रायों' विषय पर किया था। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों ने संगोष्ठी की परस्पर क्रियाशील प्रकृति की सराहना की और साथ ही वक्ताओं की विशेषज्ञता की भी अनुशंसा हुई और यह महसूस किया गया कि वे राय, जिनके संबंध में चर्चा की

गई थी, अत्यधिक संगत थी।

(V) किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे

अवधि के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर रायों को अंतिम रूप प्रदान किया गया :

- भारतीय लेखांकन मानक 16, 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर' के अनुसार अनुवर्ती व्यय का लेखांकन उपचार।
- पट्टा प्राप्यों का वर्गीकरण।
- इंड एएस ढांचे के अधीन पट्टाधृत भूमि को फ्री-होल्ड भूमि में बदलने पर राजस्व का लेखांकन उपचार।
- एएस ढांचे के अधीन सीएसआर व्यय के लिए लेखांकन।
- एएस ढांचे के अधीन सरकारी अनुदान का उपचार।
- इंड एएस ढांचे के अधीन मूल और समनुषंगी कंपनी द्वारा धारित समान पट्टाधृत आस्तियों, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा भिन्न है, का लेखांकन उपचार।
- मूल और समनुषंगी कंपनी द्वारा धारित समान पट्टाधृत आस्तियों का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन उपचार।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 की अपेक्षाओं के अनुसार चैनल वित्तपोषण प्रसुविधा के अधीन प्राप्त राशियों की प्रस्तुति।
- एएस ढांचे के अधीन रियायत करार का लेखांकन उपचार।
- पट्टाधृत परियोजना आस्तियों को इंड एएस 116 के अनुसार पहचान की गई आस्तियों के रूप में मान्यता।
- निगम के वित्तों में पूंजी मोचन और वार्षिकी अभिनिश्चित (सीआरएसी) कारबार के वित्तों की प्रस्तुति।
- इंड एएस ढांचे के अधीन वस्तु-सूची या अग्रिम के रूप में भूमि के अर्जन के लिए संदत्त रकम का वर्गीकरण/प्रस्तुति।
- इंड एएस ढांचे के अधीन प्राकृतिक गैस/एलपीजी पारेषण पाइपलाइन का अवशिष्ट मूल्य।
- इंड एएस ढांचे के अधीन किसी कंपनी द्वारा उच्च गति रेल परियोजना के निर्माण के लिए उपगत स्पेक्ट्रम प्रभारों का लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के अधीन कंपनी द्वारा उच्च गति रेल परियोजना के निर्माण के लिए उपगत परियोजना संवर्धन व्ययों का लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के अधीन कंपनी द्वारा उच्च गति रेल परियोजना के निर्माण के लिए उपगत अनुसंधान और विकास व्यय का लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के अधीन वित्तीय विवरणों में बट्टे के बीजकों के माध्यम से वसूल किए गए व्यापार प्राप्यों की प्रस्तुति।
- लाभ और हानि विवरण में परियोजना में अप्रत्याशित घटना के दौरान उपगत स्टैंडबाय, स्टॉपेज और संबद्ध लागतों की प्रस्तुति।
- इंड एएस ढांचे के अधीन अर्हित संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निधियों और क्यूआईपी निर्गम व्ययों से किए गए सावधि निक्षेपों (एफडी) पर अर्जित ब्याज आय के लिए लेखांकन।
- इंड एएस ढांचे के अधीन अन्य आय (रेल मंत्रालय (एमओआर) से प्राप्त अग्रिम में से निवेश किए गए निधियों पर बैंक ब्याज) जिसे बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) कहा जाता है, का लेखांकन उपचार।
- भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रायोजित स्कीमों और निधियों, जिन्हें निगम द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में प्रबंधित किया जाता है, के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति।
- कंपनी की बहियों में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव की प्रयोज्यता।
- इंड एएस ढांचे के अधीन पूर्व परियोजना व्ययों, जिनके लिए निधि से अनुमोदन लंबित है, के लिए लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के अधीन ऊर्जा सेवा परियोजना के लिए लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के अधीन ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) परियोजना अर्थात् स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम/परियोजना के

लिए लेखांकन उपचार ।

- विलयन पर उदभूत होने वाले पूंजी आरक्षिती के नामे अतिशेष का प्रकटन और लेखांकन उपचार ।
- लाभ और हानि विवरण में पूर्व वर्षों के लिए संदेय ब्याज और अवमूल्यन की प्रस्तुति ।
- इंड एएस 19, 'कर्मचारी फायदे', की अपेक्षाओं के अनुसार सामाजिक सुरक्षा स्कीम निधि के मद्दे कंपनी की दायित्व के लिए लेखांकन ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन पूंजी मालों/सेवाओं के लिए संदेयों से उदभूत विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन उपचार ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन आस्थगित ऋण (प्रतिधारण धन) के संबंध में संभावित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) की गणना करते समय धन के समय मूल्य को फैक्टर करना ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन हाइब्रिड वार्षिकी परियोजनाओं का लेखांकन उपचार ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन बंधक गारंटी कंपनी की दशा में राजस्व की मान्यता ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन ईएससीओ परियोजना, अर्थात् इलेक्ट्रिक यान चार्जिंग अवसंरचना (ईवीसीआई) के लिए लेखांकन उपचार ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन तेल और गैस संयुक्त प्रचालनों में कच्चे तेल की अंडरलिफ्ट/ओवरलिफ्ट मात्रा के लिए लेखांकन ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन सरकार की हैसियत में शेयरधारक से प्राप्त अनुदान का लेखांकन ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन नए यूरिया संयंत्र को स्थापित, जो प्रचालन चरण में है, सृजित नई कंपनी की दशा में विलंबित संदाय संबंधी ब्याज व्ययों के लिए लेखांकन उपचार ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) संबंधी व्ययों के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से प्राप्त अनुदान के लिए लेखांकन ।
- एएस ढांचे के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के रूप में परियोजना के पूंजीकरण का समय ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन वित्तीय विवरणों में समझौता गारंटी तंत्र (एसजीएम) [सदस्य बैंकों से 'दायित्व' के रूप में प्राप्त संपार्श्विक और 'संपत्ति' के रूप में प्राप्त आनुषंगिक और आनुषंगिक रकम का 'आस्ति' के रूप में निवेश] का लेखांकन और संबंधित प्रकटीकरण ।
- माध्यस्थम् पुरस्कार के कारण उदभूत होने वाले अतिरिक्त पूंजीकरण का लेखांकन उपचार ।
- 3 मास या कम के अल्पावधि एफडीआर/नमनीय निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज का वर्गीकरण ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन किसी अन्य कंपनी, जिसमें संप्रवर्तक निवेश (4.05% साम्या है) का लेखांकन और प्रकटन ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन चरण 2 के अधीन कैवर्न के संनिर्माण के लिए भूमि के अर्जन हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से प्राप्त अनुदान के लिए लेखांकन ।
- ऐसे सरकारी अनुदान का लेखांकन उपचार, जिसे किसी ऐसे अस्तित्व द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसे तत्पश्चात् कंपनी के रूप में निगमित किया गया था ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन निवेश के उचित मूल्य को अवधारित करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या समेकित वित्तीय विवरणों का बही मूल्य ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन जब्त वीथापालिसा आय को मान्यता प्रदान करने का बिंदु ।
- एएस ढांचे के अधीन परियोजना के लिए उपगत कतिपय व्यय का लेखांकन उपचार ।
- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के रूप में पवनचक्की संयंत्र को मान्यता या आस्तियों के उपयोग के अधिकार के रूप में मान्यता ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन ऊर्जा सेवा परियोजना, अर्थात् सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लेखांकन उपचार।

- इंड एस 115 के अधीन ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व मान्यता ।
- समनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में निवेश संपत्ति के रूप में मूल कंपनी के अधिभोग वाले समान कार्यालय परिसर में भाग का वर्गीकरण ।
- प्रमुख पुर्जों के लिए लेखांकन ।
- इंड एस ढांचे के अधीन भारत सरकार (जीओआई) की ओर से कंपनी द्वारा संप्रभू कच्चे तेल का क्रय, विक्रय और वस्तु-सूची के लिए लेखांकन ।
- इंड एस ढांचे के अधीन खातों में विलंबित भुगतान के लिए अधिभार (एलपीएससी) को मान्यता ।
- इंड एस ढांचे के अधीन पॉलिटिकल महाविद्यालय के कर्मचारिवृंद क्वार्टरों के संनिर्माण के लिए अर्जित भूमि की लागत और संनिर्माण पर उपगत लागत का लेखांकन उपचार ।
- परियोजना के संनिर्माण के लिए कंपनी के संप्रवर्तकों से प्राप्त साम्या के बदले अनुदान का इंड एस ढांचे के अधीन लेखांकन उपचार ।
- तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए इंड एस ढांचे के अधीन लेखांकन उपचार ।
- सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों का इंड एस ढांचे के अधीन लेखांकन उपचार ।
- इंड एस ढांचे के अधीन, प्राप्य सहायिकी के लिए लेखांकन ।
- विकासाधीन अमूर्त आस्ति (ईआरपी) पर देय एटीएस प्रभारों का पूंजीकरण ।
- इंड एस ढांचे के अधीन संयुक्त उद्यम कंपनी को उपलब्ध कराए गए शेयरधारकों के ऋण का लेखांकन उपचार ।
- इंड एस ढांचे के अधीन वस्तु-सूची या निवेश संपत्ति के रूप में परियोजना का वर्गीकरण ।
- इंड एस ढांचे के अधीन सरकार/सरकारी अभिकरणों से प्राप्त अनुदान के अपरिशोधित भाग का लेखांकन उपचार ।
- इंड एस ढांचे के अधीन ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों के लिए लेखांकन ।
- धारा 8 कंपनी का सूचीबद्ध कंपनी के साथ समेकन ।
- सरकारी डिक्री के माध्यम से किसी परियोजना में तत्कालीन संघ का नई कंपनी में परिवर्तन होने पर अधिकारों और बाध्यताओं के अंतरण से संबंधित संक्रमण के लिए लेखांकन ।
- इंड एस ढांचे के अधीन जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए अप्रतिदेय अग्रिम फीस/प्रीमियम को मान्यता और उसकी प्रस्तुति ।
- व्यापार संदेयों या प्रावधानों (चालू) के अधीन कर्मचारियों को प्रोद्भूत मजदूरी और वेतनों का वर्गीकरण और प्रस्तुति ।
- इंड एस ढांचे के अधीन मंजूर करने वाले से अतिशेष वार्षिकी के संदाय (पूरा करने की लागत का 60%) पर ब्याज आय की प्रस्तुति ।
- प्रतिष्ठापन सेवाओं से प्राप्त राजस्व को मान्यता ।
- रखरखाव सेवाओं से प्राप्त राजस्व को मान्यता ।

6.11 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी)

वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी) भारत में विद्यमान वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों के सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बोर्ड का गठन आईसीएआई द्वारा एक गैर-स्थायी समिति के रूप में जुलाई, 2002 में किया गया था और इसका गठन देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में किया गया था। एफआरआरबी विभिन्न उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे यथासंभव सीमा तक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं, विनियामक निकायों, कानूनों/नियमों और उद्यमों से सुसंगत विनियमों द्वारा विहित प्रकटन

अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तथा उद्यम और साथ ही संपरीक्षक की रिपोर्टिंग बाध्यताओं का भी अनुपालन करते हैं। बोर्ड में, आईसीएआई की केंद्रीय परिषद् के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के नामनिर्देशिती भी हैं। इस अवधि के दौरान, बोर्ड को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नीति आयोग से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ।

वर्ष की उपलब्धियां :

(I) किए गए पुनर्विलोकन (स्व:विवेकानुसार या विशेष रूप से चुने गए मामलों का पुनर्विलोकन)

बोर्ड ने स्व:विवेकानुसार चुने गए या विशेष मामलों के रूप में चुने गए 116 मामलों का पुनर्विलोकन किया है। इसके अंतर्गत, 13 ऐसे वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन किया गया, जिन्हें विशेष मामलों के रूप में लिया गया था और साथ ही इंड एएस वित्तीय विवरणों के 86 मामलों का भी पुनर्विलोकन किया गया। इन कुल 116 मामलों में से 18 मामलों को संबद्ध विनियामकों और निदेशक (अनुशासन) को आगे और कार्रवाई हेतु निर्दिष्ट किया गया है तथा 64 मामलों में बोर्ड ने उद्यम के संपरीक्षक को सलाह जारी करने का विनिश्चय किया था।

बोर्ड द्वारा विचार और अंतिम रूप प्रदान किए गए मामले	जहां गंभीर अननुपालनों को पाया गया, वहां आगे और कार्रवाई हेतु आईसीएआई के निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किए गए मामले	(स्तंभ ख के मामलों में से) जहां कंपनियों के संबंध में गंभीर अननुपालनों को पाया गया, वहां विनियामकों (एमसीए, सेबी) को निर्दिष्ट किए गए मामले	वे संपरीक्षक, जिन्हें सलाह जारी की गई
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
116	18	15	64

(II) समाज के प्रति योगदान - राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

विनियामकों का समर्थन करने और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने के अपने प्रयास में एफआरआरबी ने अवधि के दौरान विशेष मामलों के रूप में विभिन्न उद्यमों के 18 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनके संबंध में संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया है जिन्हें विनियामकों द्वारा मीडिया की रिपोर्टों और प्राप्त हुए अन्य निर्देशों के आधार पर निर्दिष्ट किया गया था।

• विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट मामलों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति

- भारत निर्वाचन आयोग ने बोर्ड से यह अनुरोध किया था कि वह छह राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और मान्यताप्राप्त दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन आरंभ करे, जिनकी आय/व्यय 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर आईसीएआई - एफआरआरबी को प्रत्येक वर्ष राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं को अग्रेषित करता है। इस अवधि के दौरान, एक राजनैतिक दल के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं को एफआरआरबी को अग्रेषित किया गया है, जिस पर बोर्ड विचार किया गया है।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से आईसीएआई को ऐसी 42 सीए फर्मों की एक सूची प्राप्त हुई थी, जिनकी "पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के संपरीक्षकों के रूप में असंतोषप्रद कार्यपालन" के रूप में पहचान की गई थी और जिनमें 17 सीए फर्मों को सलाह जारी की गई थी तथा 25 फर्मों को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए व्यवसाय करने हेतु प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। बोर्ड ने यह विनिश्चय किया कि ऐसी फर्मों के मामलों को जिन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई आरंभ किए जाने के लिए आईसीएआई के निदेशक (अनुशासन) को भेजा जाएगा। जहां तक ऐसी सीए फर्मों का संबंध है, जिन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सलाह जारी की गई है, बोर्ड ने उन संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित 6 समुत्थानों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन आरंभ किया है। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने दो समुत्थानों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन पर विचार किया है और शेष चार मामलों में परिषद् वर्ष 2022-23 के दौरान विचार किया गया था। बोर्ड ने सभी समुत्थानों के संपरीक्षकों को सलाह जारी करने का विनिश्चय किया था।

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से प्राप्त परिसमापनाधीन कंपनियों की सूची के आधार पर बोर्ड ने इस अवधि के दौरान चुनी गई 7 कंपनियों के पुनर्विलोकन पर विचार किया है। इनमें से एक मामले को आगे और अन्वेषण हेतु निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किया गया है और तीन मामलों में बोर्ड ने समुत्थान के संपरीक्षक को सलाह जारी करने का विनिश्चय किया है।

(III) एफआरआरबी का वेब पोर्टल : एफआरआरबी के कार्य का नियम आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हुए स्वचालन

एफआरआरबी के कार्य प्रवाह प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने और नियम आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक्सबीआरएल वित्तीय विवरणों के आधार पर सामान्य अननुपालनों की पहचान करने के लिए नीतिगत उपाय के रूप में एफआरआरबी का वेब पोर्टल प्रचालनों को सरल तथा कारगर बनाने तथा एफआरआरबी के कृत्यों में दक्षता स्थापित करने के प्रयोजन को सिद्ध करता है। यह वेब पोर्टल पूर्व वर्षों के पुनर्विलोकन मामलों के आधार पर प्रणाली में डाटा सृजन का कार्य भी करता है, जिसके माध्यम से वह अननुपालनों का एक व्यापक संग्रह तैयार करता है। यह डिजीटल मंच ऐसे प्रगतिशील उपाय को उपदर्शित करता है, जिसके माध्यम से एफआरआरबी की अपने प्रचालनों को आधुनिक बनाने और प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नतियों के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकनों की प्रभाविकता में अभिवृद्धि करने की प्रतिबद्धता को भलीभांति स्थापित करता है।

(IV) गैर-अनुपालन पर सदस्यों को संचार

बोर्ड द्वारा, वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए विभिन्न अननुपालनों के संबंध में सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल आरंभ की गई है। तदनुसार, नियमित रूप से सदस्यों को सामूहिक मेल भेजी जा रही हैं। इस अवधि के दौरान सदस्यों को भेजी गई सामूहिक मेल निम्नानुसार हैं :

- 11 मई, 2023 को बैंकों के वित्तीय विवरणों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में।
- 16 जून, 2023 और 11 अगस्त, 2023 को कंपनियों के वित्तीय विवरणों – संपरीक्षक की रिपोर्ट और कारो, 2016 में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में।
- 19 सितंबर, 2023 को कंपनियों के वित्तीय विवरणों – आस्तियों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में।
- 21 नवंबर, 2023 को कंपनियों के वित्तीय विवरणों – साम्या और दायित्वों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में।

(V) ट्विटर हैंडल – एफआरआरबी

सदस्यों के बीच एफआरआरबी के द्वारा पाए गए अननुपालनों के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने और उसके संबंध में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एफआरआरबी के X अकाउंट, जिसके आज की तारीख तक 4278 फोलोअर्स हैं, पर 'डिड यू नो' शीर्ष से एक श्रृंखला चलाई जा रही है। अवधि के दौरान, लेखांकन मानकों (इंड एस और आईजीएएपी) से संबंधित अननुपालनों के संबंध में पाई गई त्रुटियों से संबंधित 130 ट्वीट पोस्ट किए गए हैं।

(VI) वेबीनार, संगोष्ठियां, वीसीएम और कार्यक्रम

बोर्ड ने क्रमशः 'वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों' और 'वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों' के विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठकों और संगोष्ठियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया।

- पीएचडीसीसीआई के साथ "इंड एस के परिवर्तनशील आयाम और कंपनी अधिनियम, 2013 : कार्यान्वयन में अंतर्वलित मुद्दे और चुनौतियां" पर सेमिनार

तत्कालीन अध्यक्ष, एफआरआरबी ने एनएफआरए के अध्यक्ष के साथ 13 अक्टूबर, 2023 को "इंड एस के परिवर्तनशील आयाम और कंपनी अधिनियम, 2013 : कार्यान्वयन में अंतर्वलित मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में पीएचडीसीसीआई को संबोधित किया। इस संगोष्ठी का आयोजन पीएचडी चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया गया था। इस संगोष्ठी का आयोजन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) और कंपनी अधिनियम, 2013 में हुए हाल ही के परिवर्तनों तथा वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव के संबंध में परिचर्चा करने के प्रयोजन से किया गया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटनों से संबंधित एनएफआरए और एफआरआरबी के प्रमुख संप्रेक्षणों को भी संगोष्ठी के दौरान प्रस्तुत किया गया।

- अप्रैल, 2024 में "इंड एस और कंपनी अधिनियम, 2013 के सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालन" विषय

पर वेबीनार श्रृंखला का आयोजन

इस श्रृंखला का उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों तथा संपरीक्षकों को विनियामक अनुपालनों और सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराना था, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की क्वालिटी में अभिवृद्धि हो सके। इस वेबीनार श्रृंखला को अप्रैल मास में आरंभ किया गया था और इसे उस अवधि के साथ सुमेलित करने का प्रयास किया गया था, जिस समय अधिकांश सूचीबद्ध अस्तित्व अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप प्रदान करता है। 1700 से अधिक प्रतिभागियों के साथ यह आयोजन अत्यंत सफल सिद्ध हुआ था।

- **अमृतसर और मुंबई में तकनीकी पुनर्विलोककों और एफआरआरजी सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन**

तकनीकी पुनर्विलोककों (टीआर) और इंड एस संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह (एफआरआरजी) के सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने तथा उन्हें इंड एस आधारित वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करने के लिए अपेक्षित आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के विचार से 2-3 जून, 2023 के दौरान अमृतसर में तथा 7-8 अक्टूबर, 2023 के दौरान मुंबई में 'तकनीकी पुनर्विलोककों और एफआरआरजी सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन' किया गया। इन कार्यक्रमों को उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी।

- **जागरूकता कार्यक्रम - वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों के संबंध में ज्ञान का संवर्धन**

रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में अनिवार्य मुद्दों के संबंध में सदस्यों के बीच जागरूकता का प्रसार करने और उन्हें बोर्ड द्वारा वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों से अवगत कराने के लिए रिपोर्ट की अवधि के दौरान गोवा, नवी मुंबई, ठाणे, रायपुर, कन्नूर, भरूच, रतलाम, जबलपुर, अमृतसर, भिलाई, लुधियाना, सोनीपत, ईआईआरसी, मुंबई, इलाहाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों ने बह चढ़कर भाग लिया।

6.12 जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी एंड आईडीटीसी)

आईसीएआई की जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी एंड आईडीटीसी) सक्रिय रूप से सरकार द्वारा जीएसटी संबंधी नीति तैयार करने, उसका क्रियान्वयन करने, उसके संबंध में अनुसंधान करने तथा तकनीकी प्रकाशनों, ई-पठन पहलों, न्यूज लैटर, वीडियो आदि के माध्यम से ज्ञान को साझा करने में सहयोग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, समिति आईसीएआई के सदस्यों और करदाताओं के कौशलों को समुन्नत करने के लिए अथक प्रयास करती है और इस प्रयोजन के लिए वह स्वतंत्र रूप से और/या चैम्बर्स आफ कामर्स, व्यापार निकायों, उद्योग संगमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाओं, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त, समिति विशेष रूप से जीएसटी के संबंध में केंद्रीय कर, राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके सक्षमता निर्माण संबंधी पहलों का समर्थन करती है। समिति प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक पणधारी के जीएसटी संबंधी ज्ञान में अभिवृद्धि करने तथा उससे संबंधित मुद्दों का समाधान करने तथा ज्ञान के बीच अंतर को दूर करने के लिए अथक रूप से कार्य कर रही है।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी से संबंधित पहलें

- **राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन**

संस्थान ने, अपनी जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के माध्यम से जुलाई, 2023 में गोवा के राज्य कर विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और साथ ही अक्टूबर, 2023 में जम्मू-कश्मीर के राज्य कर विभाग तथा अप्रैल, 2024 में आंध्र प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार सक्षमता निर्माण, अनुसंधान, नीति तैयार करने में सहायता, परामर्श और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों में परस्पर सहयोग और सहकार्यता को विकसित किया जाएगा। ये समझौता ज्ञापन राज्य कर/वाणिज्य कर विभागों के अधिकारियों के नियमित सक्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगे।

- **जीएसटी नीति निर्धारण, कार्यान्वयन और अनुसंधान की पुनःस्थापना – तकनीकी अंतःनिवेश**

➤ **राजस्व सचिव को अंतःनिवेश**

जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने जाली आईटीसी और जाली रजिस्ट्रीकरणों की बुराई को समाप्त करने के उपायों के संबंध में परिचर्चा करने के लिए 17 जून, 2023 को जीएसटी नीति खंड, केंद्रीय

अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता राजस्व सचिव द्वारा की गई थी।

➤ जीएसटी पोर्टल के संबंध में सुझाव

समिति ने जीएसटी पोर्टल के संबंध में अपने सुझावों को प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 2 अगस्त, 2023 को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा आयोजित 'चिंतन शिविर' में 'प्रौद्योगिकी का अनुकूल उपयोग – (i) करदाता सेवाओं में सुधार, (ii) कर आधार को व्यापक बनाना' विषय पर एक ब्रेकआउट सत्र में भाग लिया तथा इस विषय पर आईसीएआई के सुझावों को प्रस्तुत किया।

➤ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 के अधीन जीएसटी के संबंध में जारी सामूहिक कारण बताओ सूचनाओं के संबंध में अभ्यावेदन

समिति ने 16 अक्टूबर, 2023 को राज्य कर, असम सरकार के प्रधान आयुक्त को, सितंबर, 2023 मास में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 के अधीन जीएसटी के संबंध में जारी सामूहिक कारण बताओ सूचनाओं के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। यह अभ्यावेदन इसलिए प्रस्तुत किया गया था क्योंकि उक्त कारण बताओ सूचनाओं को जल्दबाजी में जारी किया गया था और साथ ही उन्हें अंतिम समय पर एक साधारण रीति में प्रत्येक मामले के व्यष्टिक तथ्यों को विचार में न लेते हुए जारी किया गया था।

➤ केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विधेयक, 2024 के संबंध में सुझाव

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सभी पणधारियों से तारीख 26 जून, 2024 तक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विधेयक, 2024 के प्रारूप के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए थे। तदनुसार, समिति ने 26 जून, 2024 को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विधेयक, 2024 के प्रारूप के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।

➤ बजट पूर्व ज्ञापन, 2024

अध्यक्ष, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति ने 27 जून, 2024 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बजट पूर्व बैठक में सीमाशुल्क के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। पूर्वोक्त सुझावों को अंतर्विष्ट करने वाले बजट पूर्व ज्ञापन, 2024 को भी उसी तारीख को सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

- केंद्र, राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी जीएसटी की यात्रा पर विचार-विमर्श करने तथा इस यात्रा के दौरान हुए अनुभवों का आदान-प्रदान करने में समर्थ बनाना

➤ राष्ट्रीय जीएसटी विचार-गोष्ठी, 2023 – सिनर्जी को पुनः स्थापित करना

समिति ने 20 जनवरी, 2024 को केंद्रीय कर, राज्य कर और संघ राज्यक्षेत्र कर पदधारियों के लिए गुवाहाटी में दूसरी राष्ट्रीय जीएसटी विचार गोष्ठी, 2023 को आयोजित किया, जिसका उद्घाटन आईसीएआई के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा किया गया था। इस विचार गोष्ठी के माध्यम से केंद्रीय कर, राज्य कर और संघ राज्यक्षेत्र के कर अधिकारी एक मंच पर एकत्रित हुए और उन्होंने सिनर्जी को पुनः स्थापित करने, परिचर्चाएं करने, विचारों का आदान-प्रदान करने, मुद्दों को सामने रखने तथा संकल्प करने जैसे क्रियाकलाप किए। साठ से अधिक उच्च रैंक वाले अधिकारियों, जिनमें 22 राज्यों (20 राज्य और 2 संघ राज्यक्षेत्रों) से मुख्य आयुक्तों, अपर आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों ने इस विचार-गोष्ठी में भाग लिया। जीएसटीएन से तीन वरिष्ठ अधिकारियों, अर्थात् कार्यपालक उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जीएसटीएन और सीएफओ ने इस विचार-गोष्ठी में भाग लिया।

- सरकार की सक्षमता निर्माण पहलों को समर्थन देना – राज्य, केंद्र और अन्य सरकारी विभागों के पदधारियों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, समिति ने राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के जीएसटी विभागों और अन्य सरकारी विभागों के 1200 से अधिक अधिकारियों के कौशलों में अभिवृद्धि करने के लिए जीएसटी संबंधी 20 सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

- केंद्रीय और राज्य सरकारों के कृत्यकारियों के साथ बैठक

राज्य कर /जीएसटी के विभिन्न आयुक्तों तथा केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिपोर्ट की अवधि के दौरान 10 बैठकों का आयोजन किया गया था। इन बैठकों का उद्देश्य पदधारियों को आईसीएआई द्वारा जीएसटी के संबंध में की गई विभिन्न पहलों के संबंध में अवगत कराना था और ऐसे मार्गों और उपायों पर परिचर्चा करना था, जिनके माध्यम से जीएसटी और आईडीटी समिति सरकार को जीएसटी के क्षेत्र में सक्रिय समर्थन की प्रस्थापना कर सकती है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति ने 16 जनवरी, 2024 को पालासमुन्द्रम, आंध्र प्रदेश में एनएसीआईएन के नए परिसर के उदघाटन समारोह में भाग लिया, जिसका उदघाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

- **व्यापार संघों के लिए आउटरीच कार्यक्रम**

समिति ने 8 सितंबर, 2023 को बंगलौर में कर्नाटक लघु उद्योग संगम के सहयोग से जीएसटी संबंधी एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

(II) महत्वपूर्ण आयोजन – राष्ट्रीय

जीएसटी संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, समिति ने एर्नाकुलम (2), पुणे (2), इंदौर (2), कोलकाता, नासिक, भुवनेश्वर और मुंबई में जीएसटी/अप्रत्यक्ष करों से संबंधित 10 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें लगभग 4500 सदस्यों ने भाग लिया।

(III) सदस्यों के लिए पहलें

- **जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

प्रणालीगत रीति में जीएसटी में सदस्यों की सक्षमता का निर्माण करने और उनके कौशलों में अभिवृद्धि करने के विचार से समिति ने 28 अप्रैल, 2017 को जीएसटी संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया। तब से, समिति पूरे भारत वर्ष में इस पाठ्यक्रम का नियमित रूप से संचालन कर रही है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, पाठ्यक्रम के 27 बैचों का संचालन किया गया, जिनमें 1010 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए निर्धारण परीक्षाओं का आनलाइन रूप से 6 अगस्त, 2023 तथा 10 फरवरी, 2024 को आयोजन किया गया। कुल 299 सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस निर्धारण परीक्षा को उत्तीर्ण किया।

- **जीएसटी संबंधी सीपीई आयोजन**

जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के संबंध में सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से इस वर्ष अब तक समिति ने 77 सीपीई आयोजनों (कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि) का आयोजन किया, जिनके दौरान 10,000 से अधिक सदस्यों के कौशलों को समुन्नत किया गया।

- **वेबकास्ट/वेबीनार**

अवधि के दौरान, समिति ने जीएसटी में विभिन्न समकालीन विषयों पर 8 वेबीनारों का आयोजन किया, जिनमें 4500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- **जीएसटी संबंधी न्यूज लैटर**

सभी पणधारियों को जीएसटी से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से आईसीएआई ने अप्रैल, 2017 को अपने समर्पित न्यूज लैटर को आरंभ किया था। इस अवधि के दौरान, आईसीएआई – जीएसटी संबंधी न्यूज लैटर के 10 संस्करणों का प्रकाशन किया गया।

- **10 बिन्दु जीएसटी श्रृंखला – जीएसटी संबंधी ज्ञान के प्रचार-प्रसार के प्रति एक नई पहल**

समिति द्वारा सभी पणधारियों के बीच जीएसटी के संबंध में जागरूकता का सृजन करने और ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से “10 बिन्दु जीएसटी श्रृंखला” नामक एक लघु वीडियो श्रृंखला को तैयार किया गया है। इस वीडियो श्रृंखला में जीएसटी विधि के भिन्न-भिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक पहलू को एक वीडियो के माध्यम से 10 बिन्दुओं में स्पष्ट किया गया है। इस अवधि के दौरान, समिति ने 7 ऐसे लघु वीडियो तैयार किए हैं, जो 10 बिन्दु जीएसटी श्रृंखला से संबंधित हैं, जिससे ऐसे लघु वीडियो की कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई है। सभी लघु वीडियो को समिति की वेबसाइट और आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र पर रखा गया है।

- **जीएसटी संबंधी अद्यतन जानकारी**

जीएसटी विधि एक अत्यधिक क्रियाशील विधि है, जिसमें बार-बार बड़ी संख्या में अधिसूचनाएं/परिपत्र/ आदेश/अनुदेश जारी किए जाते हैं। सदस्यों को इस क्षेत्र में तेजी से होने वाले परिवर्तनों से लगातार अवगत कराने के विचार से जीएसटी से संबंधित अद्यतन जानकारी, जिसमें ऐसे परिवर्तनों के सार को उस समय अंतर्विष्ट किया जाता है, जिस समय सीबीआईसी द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना/परिपत्र/आदेश/अनुदेश जारी किया जाता है, संबंधित दस्तावेज समिति द्वारा तैयार किया जाता है तथा उसे समिति की वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत 50000 उपयोक्ताओं को मेल किया जाता है और साथ ही उसे समिति की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है। इस अवधि के दौरान, 52 अद्यतन जानकारियों को तैयार तथा परिचालित किया गया था।

(IV) प्रकाशन

- जीएसटी वार्षिक विवरणी संबंधी तकनीकी गाइड (प्ररूप जीएसटीआर 9)
- जीएसटी सुलह विवरण संबंधी तकनीकी गाइड (प्ररूप जीएसटीआर 9ग)
- जीएसटी संबंधी मांगों और अपीलिय उपचार संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री
- जीएसटी अधिनियम और नियम – बेयर विधि (तीन बार संशोधित)
- जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री (दो बार संशोधित)
- जीएसटी में सीए प्रमाणपत्र संबंधी गाइड
- जीएसटी के अधीन टीडीएस उपबंधों संबंधी पुस्तिका
- बैंककारी क्षेत्र में जीएसटी संबंधी अनुपालन
- जीएसटी अधिकारियों के लिए वीजीएम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.13 आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड (बीआईएमए)

आज के आधुनिक कारबार परिदृश्य में निरंतर बढ़ती जटिलताओं और जोखिमों के परिणामस्वरूप आंतरिक संपरीक्षा के महत्व में वृद्धि हुई है और साथ ही उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठनों के लिए दक्षता में सुधार करने तथा प्रचालनों की प्रभाविकता को बढ़ावा देने, वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करने तथा विनियमों के अनुपालन का संवर्धन करने के लिए आंतरिक संपरीक्षा संबंधी क्रियाकलाप अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड आईसीएआई और उसके सदस्यों को आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से मानक निर्धारणों और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने के माध्यम से सतत सहायता प्रदान कर रहा है, जिसके अंतर्गत जोखिम प्रबंध और शासन से संबंधित मार्गदर्शन भी है और इसके अतिरिक्त, बोर्ड सदस्यों की, उन्हें सभी पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नवप्रवर्तन तथा प्रभावी समाधान और व्यापक रूप से ज्ञान की प्रस्थापना करने के लिए अत्यंत आधुनिक अनुसंधान और शिक्षा भी उपलब्ध कराता है। बोर्ड आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और तकनीकी गाइडों/अध्ययनों/मैनुअलों के रूप में उच्च गुणवत्ता वाला तकनीकी साहित्य जारी करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, जो आंतरिक संपरीक्षकों को ग्राहकों और/या नियोजकों को प्रभावी और दक्ष आंतरिक संपरीक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आईसीएआई का आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड, आईसीएआई और उसके सदस्यों को आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से मानक निर्धारणों और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने के माध्यम से सतत सहायता प्रदान कर रहा है, जिसके अंतर्गत जोखिम प्रबंध और शासन से संबंधित मार्गदर्शन भी है और इसके अतिरिक्त, बोर्ड सदस्यों की, उन्हें सभी पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नवप्रवर्तन तथा प्रभावी समाधान और व्यापक रूप से ज्ञान की प्रस्थापना करने के लिए अत्यंत आधुनिक अनुसंधान और शिक्षा भी उपलब्ध कराता है।

(I) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा

आईसीएआई का आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड, सदस्यों को बैंकों द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन करने में संव्यवहारों की आंतरिक जांच और अन्य सत्यापन करने तथा अधिकथित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में बैंकों के प्रयास को अनुपूरित करने तथा बैंकों में समवर्ती संपरीक्षा प्रणाली की प्रभाविकता में सुधार करने, समवर्ती संपरीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता और उसके अंतर्गत आने वाले विषयों में सुधार करने तथा बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा की

जटिलताओं को समझने में सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बोर्ड ने इस अवधि के दौरान बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के भौतिक रूप से 10 बैचों और वर्चुअल रूप से 4 बैचों का आयोजन किया और लगभग 1004 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम को पूरा किया है।

(II) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आईसीएआई के आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा पूर्णतया पुनरीक्षित किया गया है और इसमें सुधार करते हुए इसमें नए विषयों को सम्मिलित किया गया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी को इसका अभिन्न अंग बनाया गया है और इसे सभी पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक तथा समकालीन रूप में आरंभ किया जा रहा है। आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सदस्यों की, आंतरिक संपरीक्षा में उनकी विशेषज्ञता में अभिवृद्धि करने, शासन प्रबंध तैयार करने, जोखिम प्रबंध और अनुपालनों को उनकी मूल सक्षमताओं में सम्मिलित करने के लिए सहायता करने और साथ ही प्रमाणिक सदस्यों को, उन्हें आंतरिक संपरीक्षा करने वाले अन्य सदस्यों से सुभिन्न बनाने में सहायता करने हेतु विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। बोर्ड ने अवधि के दौरान, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के भौतिक रूप से 2 बैचों और वर्चुअल रूप से 3 बैचों का आयोजन किया और लगभग 417 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम को पूरा किया है।

(III) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा (डीएमबीएफ)

आईसीएआई का आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड, प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा (डीएमबीएफ) नामक एक अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है, जिससे सदस्यों को प्रबंध और कारबार वित्त के क्षेत्रों में बौद्धिक ज्ञान, विशेषज्ञता और गहन जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। बोर्ड ने अभी तक उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम के आनलाइन रूप से 4 बैचों का आयोजन किया और लगभग 40 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(IV) आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और वेबीनार

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने इस अवधि के दौरान, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर 52 वेबीनारों का वर्चुअल पद्धति से आयोजन किया है। बोर्ड द्वारा इस अवधि के दौरान, 16 कार्यक्रमों का भौतिक पद्धति में आयोजन किया गया - आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए), आईसीएआई आंतरिक संपरीक्षकों की परस्पर क्रियाशील बैठक, 2023, आंतरिक संपरीक्षा और नियंत्रण, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, आंतरिक संपरीक्षा की पद्धतियां और उनकी रिपोर्टिंग की तकनीकें, रेड फ्लैग आंतरिक संपरीक्षा आदि।

(V) जारी किए गए प्रकाशन

- आईटी सॉफ्टवेयर उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- बैंकों में जोखिम-आधारित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- भेषजीय उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- अपशिष्ट प्रबंधन की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- आंतरिक संपरीक्षा की जांच-सूची
- कार्यकरण प्रमुखों के साथ आंतरिक संपरीक्षकों के समन्वय संबंधी अध्ययन
- बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी मैनुअल

6.14 उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी)

सीएमआईएंडबी, आईसीएआई की गैर-स्थायी समितियों में से एक है, जो उद्योग और कारबार में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों और आईसीएआई के बीच निकट संबंधों को सुदृढ़ करने तथा उनमें अभिवृद्धि करने के उद्देश्य के प्रति समर्पित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सीएमआईएंडबी, वर्ष 1995 के आरंभ से ही विभिन्न हैसियतों में उद्योग और कारबार में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों और आईसीएआई के बीच निकट संबंधों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, जिससे सदस्यों को ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल के निर्देश निबंधनों का आधार

उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के कारबार संगठनों, उद्योगों, सरकार के अभिकरणों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों और मंत्रालयों के साथ व्यापक और गहन संबंध विकसित करने के माध्यम से ऐसी रीति में व्यक्तिगत कैरियर विकास में सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और शासन जगत के प्रति अधिकतम संभव उदभासन उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही अधिकतम नियोजन अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा सके।

(I) सीएमआईएंडबी के प्रमुख कार्यक्षेत्र

- नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम
- अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैरियर विकास कार्यक्रम
- परामर्शदाता कार्यक्रम
- सीएफओ बैठक
- उद्योग और कारबार में लगे महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने वाले सीए को मान्यता प्रदान करने के लिए वार्षिक पुरस्कार
- उद्योग में सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों को सुकर बनाना
- उद्योग में सदस्यों को प्रारंभ से उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए उनकी सुदृढता को बढ़ावा देना

(II) नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम :

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम (जिनका आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है) नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों (एनक्यूसीए) तथा ऐसे संगठनों, जो अपनी मानव संसाधन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम रूप से उपलब्ध योग्यता को नियोजित करने की वांछा करते हैं, दोनों को एक सामान्य मंच उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम, जो एक एकल समाधान के रूप में कार्य करता है, नियोजकों को एनक्यूसीए के साथ परस्पर क्रिया करने, योग्य वृत्तिकों के एक बहुत बड़े पूल की विशिष्टियों का परिशीलन करने तथा ऐसे उचित वृत्तिक की भर्ती करने, जो सर्वोत्तम से भी बेहतर पाया जाता है, का अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराता है।

• कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का 57वां संस्करण – फरवरी-मार्च, 2023

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 57वें संस्करण में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया, जिन्होंने नवंबर, 2022 की परीक्षाओं में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी और साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया गया था, जिन्होंने तुरंत पूर्ववर्ती आयोजित परीक्षाओं के दौरान फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु उस समय आयोजित किए गए कैम्पस कार्यक्रम के लिए रजिस्टर नहीं किया था, इस नियोजन कार्यक्रम हेतु रजिस्टर करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी। 9 प्रमुख केंद्रों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पुणे) और 17 छोटे केंद्रों (भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयंबटूर, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, नोएडा, पटना, रांची, रायपुर, ठाणे, वदोदरा और विशाखापत्तनम) पर साक्षात्कारों की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम	फरवरी-मार्च, 2022
रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	10228
भाग लेने वाले संगठनों की कुल संख्या	189
भाग लेने वाले संगठनों द्वारा तैयार किए गए साक्षात्कार लेने वाले दलों की संख्या	507
भाग लेने वाले संगठनों द्वारा प्रस्थापित नौकरियों की संख्या	5814
भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकार की गई नौकरियों की संख्या	4249
देशी नौकरी के लिए प्रस्थापित अधिकतम वेतन	28 लाख रुपये (प्रति वर्ष)

(कंपनी को कुल लागत)	
औसत वेतन (कंपनी को कुल लागत)	12.45 लाख रुपये (प्रति वर्ष)
औसत वेतन	10.57 लाख रुपये (प्रति वर्ष)

3 फरवरी से 9 फरवरी, 2023 के दौरान 9 बड़े केंद्रों में भौतिक पद्धति में एक अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और साथ ही 22 से 27 फरवरी, 2023 के दौरान 9 बड़े केंद्रों में मोक साक्षात्कारों का आयोजन किया गया था।

• **कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का 58वां संस्करण – अगस्त-सितंबर, 2023**

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 58वें संस्करण में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया, जिन्होंने मई, 2023 की परीक्षाओं में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी और साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया गया था, जिन्होंने तुरंत पूर्ववर्ती आयोजित परीक्षाओं के दौरान फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु उस समय आयोजित किए गए कैम्पस कार्यक्रम के लिए रजिस्टर नहीं किया था, इस नियोजन कार्यक्रम हेतु रजिस्टर करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी। 9 प्रमुख केंद्रों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पुणे) और 17 छोटे केंद्रों (भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयंबटूर, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, नोएडा, पटना, रांची, रायपुर, ठाणे, वदोदरा और विशाखापत्तनम) पर साक्षात्कारों की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के 58वें संस्करण के संक्षिप्त सांख्यिकी व्यौर निम्नानुसार हैं :--

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम	अगस्त-सितंबर, 2023
रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	10097
भाग लेने वाले संगठनों की कुल संख्या	169
भाग लेने वाले संगठनों द्वारा तैयार किए गए साक्षात्कार लेने वाले दलों की संख्या	383
भाग लेने वाले संगठनों द्वारा प्रस्थापित नौकरियों की संख्या	3395
भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकार की गई नौकरियों की संख्या	2385
देशी नौकरी के लिए प्रस्थापित अधिकतम वेतन (कंपनी को कुल लागत)	23.70 लाख रुपये (प्रति वर्ष) आईटीसी लिमिटेड
अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए प्रस्थापित अधिकतम वेतन (कंपनी को कुल लागत)	49.20 लाख रुपए (प्रति वर्ष) तोलाराम समूह (एक ऐतिहासिक उच्च)
औसत वेतन (कंपनी को कुल लागत)	12.32 लाख रुपये (प्रति वर्ष)

7 से 27 अगस्त, 2023 के दौरान 12 केंद्रों में भौतिक पद्धति में एक अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और साथ ही 10 से 16 अगस्त, 2023 के दौरान 9 बड़े केंद्रों में मोक साक्षात्कारों का आयोजन किया गया था।

(III) अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कैरियर उत्थान कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी अनुभव रखने वाले अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विशेष रूप से तैयार कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों को प्रमुख संगठनों में सुरक्षित कैरियर उत्थान को प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है और साथ ही संगठनों को भी सर्वोत्तम वित्त और लेखा वृत्तिकों की भर्ती करने का उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराता है। इस अभियान को विद्यमान कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के एक विस्तारण आयाम के रूप में आरंभ किया गया है और इसका आयोजन सीएमआईएंडबी द्वारा नियमित रूप से वर्ष में दो बार नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए किया जाता है। उक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के अनुभवों के निम्नलिखित मानदंड के अनुसार निम्नानुसार न्यूनतम सीटीसी प्रस्थापित किए थे।

क्रम सं.	कार्य अनुभव	न्यूनतम सीटीसी
1.	1-5 वर्ष	12 एलपीए
2.	5-10 वर्ष	17 एलपीए
3.	10-20 वर्ष	26 एलपीए
4.	20 वर्ष और उससे अधिक	38 एलपीए

कैरियर उत्थान कार्यक्रम, 2023 का आयोजन जून, 2023 में किया गया था। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है :

कैरियर उत्थान कार्यक्रम, 2023	जून 2023
कुल रजिस्ट्रीकृत सदस्य	3825
संगठनों की कुल संख्या	34
साक्षात्कार दलों की कुल संख्या	84
कुल घोषित रिक्तियां	2200
कुल सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवार	3096
कुल प्रस्थापित उम्मीदवार	418
ऐसे कुल उम्मीदवार, जिन्होंने प्रस्तावों को स्वीकार किया	245

(IV) महिला सीए के लिए पहला नियोजन कार्यक्रम

आईसीएआई प्रभावी रूप से अपनी महिला सदस्यों की सक्षमताओं को विकसित करने के लिए अनेक उपाय कर रहा है, जिससे उनके वृत्तिक ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। महिला सदस्यों को सशक्त करने की भावना से आईसीएआई महिला सदस्य विनिर्दिष्ट पहलों को अपनी कार्यसूची में सर्वोपरि रखता है। सीएमआईएंडबी ने आईसीएआई की इस कार्यसूची को समर्थन प्रदान करने के लिए महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) के साथ संयुक्त रूप से महिला सीए के लिए दूसरे नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) के साथ संयुक्त रूप से महिला सीए के लिए दूसरे नियोजन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन 31 अक्तूबर, 2023 को वर्चुअल पद्धति से 9 बड़े और 12 छोटे केंद्रों पर किया गया। भर्ती करने वाले संगठनों और अभ्यर्थियों को नमनीय समय, अंशकालिक समय और घर से कार्य करने के विकल्प प्रदान किए गए थे। साक्षात्कार पैनल हेतु तैयारी करने में सहायता करने तथा रजिस्ट्रीकृत महिला सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने के लिए 28 अक्तूबर, 2023 को एक अनुकूलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के संक्षिप्त सांख्यिकीय ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

कैरियर उत्थान कार्यक्रम, 2023	जून 2023
कुल रजिस्ट्रीकृत सदस्य	1749
संगठनों की कुल संख्या	20
साक्षात्कार दलों की कुल संख्या	51
कुल घोषित रिक्तियां	257
कुल सूचीबद्ध अभ्यर्थी	920

(V) उद्योग और कारबार में सीए उपलब्धिकर्ताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए वार्षिक पुरस्कार

आईसीएआई ने अपने ऐसे सदस्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए, जिन्होंने सीए वृत्तिक के रूप में ऊंचाई छूने के लिए उत्कृष्टता और एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता को उपदर्शित किया है, वर्ष 2007 में ही आईसीएआई पुरस्कारों को आरंभ किया था। ये

पुरस्कार ऐसे व्यष्टियों को सम्मानित करने के लिए आरंभ किए गए थे, जिनके पास उत्कृष्ट कौशल, समर्पण की भावना, उत्साह, नेतृत्व वाले गुण तथा सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने का सामर्थ्य है और जिनके ऐसे गुणों को पाने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं। इस वर्ष पुरस्कारों की प्रक्रिया 14 सितंबर, 2023 से प्रारंभ हुई जब विभिन्न प्रवर्गों के अधीन नामांकनों की प्रक्रिया को आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सीए कारबार नेता, सीए सीएफओ और सीए सीएक्सओ, सीए उद्यमी – नेता और उभरते सितारे, सीए वैश्विक उपलब्धिकर्ता, सीए शिक्षक और सीए युवा सदस्य – महिला और पुरुष तथा सीए विशेष मान्यता (दिव्यांग)। उपरोक्त प्रवर्गों के लिए कुल 181 नामांकन प्राप्त हुए थे और उनमें से 161 को पात्र पाया गया था और उन्हें नामांकन समिति के समक्ष रखा गया, जो हमारे ख्याति प्राप्त सदस्यों से मिलकर बनी है। ज्यूरी सदस्यों ने 20 दिसंबर, 2023 को मुंबई में आयोजित ज्यूरी की बैठक के दौरान, नामांकनों पर विचार किया तथा नामांकन प्रक्रिया संपरीक्षक, देसाई हरि भक्ति कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया। ज्यूरी ने विभिन्न प्रवर्गों से 27 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया।

(VI) नेतृत्व शिखर सम्मेलन, 2024

नेतृत्व शिखर सम्मेलन, 2024 का आयोजन 6 जनवरी, 2024 को मुंबई में किया गया था, जिसके दौरान “परिवर्तनों के माध्यम से नेतृत्व : भावी वित्त की ओर अग्रसर होना” विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में विख्यात वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपनी अनुभवी अंतर्दृष्टि को साझा किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पहली परिचर्चा “साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एआई डिजीटल नव प्रवर्तनों का पता लगाना और उसमें चुनौतियां” विषय पर की गई थी। इस परिचर्चा के पैनल में हर्षल एंड कंपनी एलएलपी के संस्थापक और प्रबंध भागीदार, अध्यक्ष, कारपोरेट स्ट्रेटिजी एंड डिजीटल ट्रांसफोरमेशन, टाइम्स नेटवर्क, संस्थापक और सीएफओ – कंपनी और कारपोरेट प्रशिक्षक, परामर्शी कोच, संकाय, संस्थापक, केएजीआर ने इस सत्र का संचालन किया, जिसके दौरान एआई, डिजीटल नव प्रवर्तनों और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से संबंधित जटिलताओं के समाधान पर चर्चा की गई। परिचर्चा का दूसरा विषय “कारबार उद्देश्य – सीईओ और सीएफओ डायनामिक्स” था, जिसके दौरान समूह प्रबंध निदेशक – अशोक पीरामल समूह और निदेशक तथा सीईओ – आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी अनुभवी अंतर्दृष्टियों को प्रस्तुत किया। उपाध्यक्ष – गोल्डन सोर्स ने संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीईओ और सीएफओ के बीच जटिल आयामों के विषय पर प्रकाश डाला। दो विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र के दौरान “आगामी आदर्श पहल में सीएफओ” विषय पर जोई फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट के समूह प्रमुख प्रचालन अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित किया गया। दूसरे सत्र के दौरान “राष्ट्र निर्माण में सीए की भूमिका” विषय पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके संबंध में प्रबंध निदेशक और सीईओ, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपनी अंतर्दृष्टि को साझा किया। अंतिम सत्र के दौरान, “पूँजी बाजार – भारत की विकास गाथा” विषय पर अध्यक्ष – आनंद राठी समूह, पूर्व वरिष्ठ निधि प्रबंधक - कोटक एमएफ और सीईओ - कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जैसे वक्ताओं ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। निदेशक, हेम सिक्वोरिटीज लिमिटेड ने भारत के पूँजी बाजार के विकास की कहानी पर आयोजित इस चर्चा का संचालन किया। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से उत्तम परिचर्चाओं और मूल्यवान अंतर्दृष्टियों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से वित्त के उभरते कारबार क्षेत्र के संबंध में व्यापक खोजबीन की गई तथा भविष्य को आकार देने में वित्तीय वृत्तिकों की भूमिका के संबंध में चर्चा की गई।

(VII) 40 वर्ष से कम आयु के 40 सीए कारबार नेताओं को मान्यता – “40 अंडर 40 – सीए कारबार नेता” शीर्षक वाले कार्यक्रम आयोजन

अपने सदस्यों के बीच से युवा उत्कृष्ट कार्यपालनकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदानों को मान्यता प्रदान करने तथा उनकी उपलब्धियों को अभिस्वीकृति देने के लिए उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी) ने सीएनबीसी – टीवी 18 के सहयोग से प्रतिष्ठित सीए कारबार नेता – 40 अंडर 40 सीजन 2 पुरस्कारों का आयोजन किया गया। इस अभियान को 40 वर्ष से कम आयु के ऐसे व्यष्टियों को सम्मानित करने हेतु तैयार किया गया था, जिन्होंने सीए कारबार नेताओं के रूप में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है और साथ ही अडिग प्रतिबद्धता को दर्शित किया है। इस आयोजन के दौरान, हमारे सक्रिय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उत्कृष्टता की भावना का समारोह मनाया गया। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 11 दिसंबर, 2023 को मुंबई में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा सीए कारबार नेताओं को उनके उदाहरणात्मक योगदान और उनके अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा दर्शित प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान करना और उन्हें सम्मानित करना था। इन पुरस्कारों के लिए युवा सदस्यों का चयन उद्योग विशेषज्ञों और नेताओं के एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा किया गया : उपाध्यक्ष, भारती एंटरप्राइजेज, पूर्व एमडी और सीईओ, केईसी इंटरनेशनल, सीईओ/एमडी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईआरएम इंडिया एफिलिएट, स्वतंत्र निदेशक और सलाहकार, सीएफओ, एलआईसी ऑफ इंडिया। इस पुरस्कार समारोह के दौरान युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऐसे

आपवादिक योगदानों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिन्होंने सीए वृत्ति को आगे बढ़ाने के प्रति उत्कृष्टता और समर्पण की भावना को प्रदर्शित किया है। इस समारोह के दौरान "भारत का अमृत काल : एक सतत और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए कार्ययोजना" विषय पर एक विचारोत्तेजक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान न केवल युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की गई अपितु अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराया गया। विख्यात ज्यूरी सदस्यों और निपुण पैनलिस्टों की उपस्थिति ने इस आयोजन को मूल्यवान बनाया और सभी प्रतिभागियों के लिए यह एक यादगार अवसर बन गया।

(VIII) "वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के तुलन-पत्र को तैयार करना" विषय पर एक वर्चुअल टाउनहाल

भारत के वर्तमान विकास में आगे बढ़ने की यात्रा को और मजबूत करने तथा उसमें योगदान करने, जिससे भारत वैश्विक नेतृत्व प्राप्त कर सके, चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) की महत्वपूर्ण भूमिका को विशिष्ट रूप से दर्शित करने के लिए "वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के तुलन-पत्र को तैयार करना" विषय पर एक वर्चुअल टाउनहाल का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान, भारत के आर्थिक विकास, सीए की भूमिका और कारोबारियों द्वारा वित्तीय और कर योजना के निबंधनों में किए गए नीतिगत निर्णयों के बीच महत्वपूर्ण संबंध को विशिष्ट रूप से दर्शित किया गया। यह वर्चुअल टाउनहाल आयोजन एक ऐसे सकल मंच के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम से विचार को उद्योग के विशेषज्ञों और पुरस्कार विजेता सीए ने भारत के वैश्विक नेतृत्व की ओर पथ पर अग्रसर होने संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया तथा आगे की रणनीति तैयार की। आईसीएआई के नेताओं और उद्योग के वृत्तिकों द्वारा साझा की गई अंतर्दृष्टि ने पुरस्कार विजेताओं के समृद्ध अनुभवों के साथ तथा भारत के विकास की गाथा को अग्रसर करने में सीए की अग्रणी भूमिका, वित्तीय योजना और फायदाप्रद नीतियों संबंधी विचार-विमर्श को समृद्ध बनाया। इस आयोजन का समापन आईसीएआई, सीएमआईएंडबी तथा कारबार समुदाय के बीच परस्पर सहयोगात्मक प्रयासों के लिए प्रतिबद्धता के वचनबंध के साथ हुआ, जिससे आने वाले दशक में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के तुलन-पत्र को तैयार किया जा सके।

(IX) उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों को सुकर बनाना

सीएमआईएंडबी ऐसे संगठनों, जिनमें 25 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्य कर रहे हैं, के लिए एक मंच/अध्ययन सर्कल के सृजन को सुकर बनाती है, जिससे सतत वृत्तिक पठन को उनके लिए अग्रसर किया जा सके। यह अध्ययन सर्कल उन्हें अपने कार्यालय के भीतर प्रशिक्षण सत्रों और उनके लिए समकालीन संगतता वाले विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में सहायता करते हैं।

(X) कार्यक्रम और आयोजन

उल्लेखनीय पहलें

- "चार्टर्ड अकाउंटेंट्स – द ग्रोथ गियर्स" शीर्ष वाली टॉक शो श्रृंखला का निर्माण और टीवी चैनल पर टेलीकास्ट

सीएमआईएंडबी ने जी बिजनेस टीवी के लिए एक टॉक शो, "चार्टर्ड अकाउंटेंट्स – द ग्रोथ गियर्स" का निर्माण किया और उसे उक्त चैनल पर प्रसारित किया गया। इस टॉक शो के प्रत्येक एपिसोड में एक विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाया गया, जो उत्तम बुद्धिमता वाला है और जो एक विख्यात व्यक्तित्व का स्वामी है और उसने अपने जीवन में अपने परिश्रम और समर्पण से महान उपलब्धियां हासिल की हैं और जिसकी जीवन यात्रा में अनेक मील के पत्थर रहे हैं तथा जिसने वृत्तिक उपलब्धियों के एक नए स्तर को छुआ है। ऐसे टॉक शो के माध्यम से वृत्तिके सकारात्मक पहलूओं को दर्शाने का अवसर प्राप्त होता है और साथ ही वह सदस्यों को और अधिक ऊंचाई तक जाने के लिए प्रेरित करता है। इस शो से अनेक नए वृत्तिकों ने प्रेरणा प्राप्त की। इस शो (जिसके कुल 14 एपिसोड हैं) का प्रसारण जी बिजनेस टीवी पर प्रत्येक दूसरे और चौथे रविवार को किया जाता था।

- सीए रैंकधारकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम – समिति ने सीए रैंक धारकों के लिए निम्नलिखित एमडीपी का आयोजन किया :

➤ सीएमआईएंडबी ने मई, 2023 की परीक्षाओं के फाइनल रैंक धारकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम के नौवें बैच का आयोजन किया ताकि उनके प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशलों में अभिवृद्धि की जा सके और उन्हें अच्छा वेतन

पैकेज प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाया जा सके। एमडीपी के इस बैच का आयोजन आईआईएम उदयपुर के सहयोग से 1 से 10 अगस्त, 2023 के दौरान किया गया।

- मई, 2023, नवंबर, 2022, मई 2022 और दिसंबर, 2021, सीए फाइनल परीक्षा, 2022 की परीक्षाओं के सीए फाइनल गैर-रैंक धारकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम के पहले बैच का आयोजन किया गया। यह आयोजन भौतिक पद्धति से आईआईएम अमृतसर के सहयोग से 2 अगस्त से 7 अगस्त, 2023 के दौरान किया गया।
- आईसीएआई के साधारण सदस्यों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम के पहले बैच का आयोजन किया गया। यह आयोजन भौतिक पद्धति से आईआईएम रायपुर के सहयोग से 11 से 16 दिसंबर, 2023 के दौरान किया गया।
- गोलमेज बैठक – सीएफओ के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक – समिति ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकों का आयोजन किया :

क्रम सं.	सीएफओ बैठक	तारीख और स्थान	विषय
1	सीएफओ की गोलमेज परस्पर क्रियाशील बैठक	18 अगस्त, 2023 फरीदाबाद में 2 सितंबर, 2023 एर्नाकुलम में 8 सितंबर, 2023 वदोदरा में 6 अक्टूबर, 2023 बेंगलुरु में 20 अक्टूबर, 2023 कोयंबटूर में 30 नवंबर, 2023 पुणे में 10 दिसंबर, 2023 इंदौर में 20 दिसंबर, 2023 मंगलुरु में 29 दिसंबर, 2023 गुरुग्राम में 18 जनवरी, 2024 असम में 23 जनवरी, 2024 अहमदाबाद में 24 जनवरी, 2024 सूरत में 27 जनवरी, 2024 कोलकाता में 3 फरवरी 2024 चेन्नई में	सी-चार्टिंग, एफ-भविष्य, ओ-अवसर
2	सीएफओ की परस्पर क्रियाशील बैठक	19 अगस्त 2023 को दिल्ली में	ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) संबंधी पहलें”
3	सीएफओ की परस्पर क्रियाशील बैठक	19 अगस्त 2023 को जयपुर में	--
4	सीएफओ बैठक	2 दिसंबर 2023 को मुंबई में	सीएफओ की विकसित होती भूमिका - ऊपर की ओर बढ़ना

- एचआर बैठकें – समिति ने 3 एचआर बैठकों, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट – संगठन के विकास के चालक आदि का आयोजन किया।
- उद्योग विनिर्दिष्ट वेबीनार और अन्य कार्यक्रम तथा संगोष्ठियां - समिति ने उद्योग और नेटवर्किंग में वृत्तिक अवसरों के संबंध में आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, उद्योग में लगे सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक, नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए संगोष्ठी, नीतिगत निर्णय लेने में डाटा विश्लेषण की भूमिका विषय पर सम्मेलन, कार्य-जीवन

एकीकरण, भू-संपदा क्षेत्रों, भेषजीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, बैंककारी क्षेत्र, बीमा उद्योग आदि से संबंधित वेबीनारों का आयोजन किया।

(XI) अनुसंधान अध्ययन संबंधी रिपोर्ट : विभिन्न राज्यों में उद्योगों का कार्यपालन – चार्टर्ड प्रबंध संस्थान और कारबार (सीएमआईएंडबी) ने विभिन्न राज्यों में प्रमुख उद्योगों के कार्यपालन का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक अनुसंधान अध्ययन आरंभ किया। इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र के संबंध में मूल्यवान अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराना, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना तथा सुभिन्न निर्णय लेने के उद्देश्य के प्रति योगदान देना था। सीएमआईएंडबी ने प्रतिष्ठित संस्थाओं, अर्थात् सेंट जेवियर्स महाविद्यालय, कोलकाता; प्रबंध विकास संस्थान, हरियाणा; आईआईएम लखनऊ, उत्तर प्रदेश; लोयोला कारबार प्रशासन संस्थान, तमिलनाडु; सिम्बायोसिस प्रबंध संस्थान, मुंबई; और एमिटी विश्वविद्यालय, राजस्थान के साथ इस अध्ययन को करने हेतु सहयोग किया। इस अनुसंधान अध्ययन ने बहु राज्यों में अवस्थित प्रमुख उद्योगों को सम्मिलित किया गया था और अध्ययन के दौरान उनके कार्यपालन, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अध्ययन में सम्मिलित राज्यों का चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक किया गया था, जिससे भारत में विविध औद्योगिक परिस्थितियों के पर्यावलोकन को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। सीएमआईएंडबी और प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य नीति निर्माताओं, उद्योग के पणधारियों तथा जनता को मूल्यवान इनपुट प्रदान करना है।

समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए इस अध्ययन रिपोर्ट को जारी किया, जिसके लिए 30 नवंबर, 2023 को एक समारोह का आयोजन किया गया। इस रिपोर्ट का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिन्होंने इस अवसर की महत्वपूर्ण रूप से शोभा बढ़ाई। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अध्ययन रिपोर्ट का जारी किया जाना इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और समिति भारत में उद्योगों के सकल विकास और सुभिन्न निर्णय लिए जाने के प्रति योगदान करने के अपने प्रयासों को इस अध्ययन के माध्यम से जारी रखेगी।

रिपोर्टें

- **महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में पता लगाना : भिन्न-भिन्न उद्योगों के कार्यपालन का एक विश्लेषण** – यह रिपोर्ट सदस्य तथा अन्य पणधारियों को भारत के सर्वाधिक औद्योगिक रूप से सक्रिय राज्य के आर्थिक आयामों के संबंध में मूल्यवान अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराएगी।
- **तमिलनाडु के जीडीपी के संबंध में अध्ययन : जीएसडीपी में सुधार के प्रमुख क्षेत्र और राजस्व में अभिवृद्धि के लिए ध्यान केंद्रित किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र** – यह रिपोर्ट राज्य में विद्यमान औद्योगिक परिस्थितियों के संक्षिप्त सार को उपलब्ध कराके राज्य में सदस्यों और अन्य पणधारियों की समझ में अभिवृद्धि करने के लिए एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। इस रिपोर्ट में अंतर्विष्ट किए गए अनुसंधान के माध्यम से तमिलनाडु में बढ़े हुए अवसरों का सृजन करने, उद्योगों की दीर्घकालिक संवहनीयता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
- **राजस्थान राज्य में विभिन्न उद्योगों के कार्यपालन के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट** – यह रिपोर्ट उस प्रतिबद्धता का सबूत है, जिसके अंतर्गत भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राजस्थान के आर्थिक आयामों के संबंध में सदस्यों को गहन अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई गई है। यह अग्रणी अध्ययन एक सक्रिय संसाधन सिद्ध होगा, जो संवहनीय विकास के लिए आर्थिक प्रवृत्तियों और अवसरों को उत्पन्न करने के संबंध में एक गहन और व्यापक इनपुट उपलब्ध कराएगा।
- **जीत की कहानियां – सफल चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कहानियां** – इस संस्करण में समिति ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कहानियों पर विचार करती है, जिन्होंने न केवल अपने वृत्तिक कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है, अपितु वे वृत्ति के ऐसे राजदूत बने हैं, जिन्हें चंहू ओर प्रशंसा और सराहना प्राप्त हो रही है। उनकी जीवन यात्राओं में अनेक प्रकार की चुनौतियां और जीत सम्मिलित हैं और ये कहानियां बुद्धिमत्ता का एक विशाल संग्रह है, जिनसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी जगत के अन्य वृत्तिक बहुत कुछ सीख सकते हैं।

6.15 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी)

चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् ने मार्च, 2002 में पियर पुनर्विलोकन बोर्ड को स्थापित करके पियर पुनर्विलोकन तंत्र को आरंभ किया। बोर्ड अपनी स्थापना के समय से ही उत्तरोत्तर समाधानप्रद रूप में कार्य कर रहा है और निरंतर सदस्यों को, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आश्वासन सेवाओं की दक्षता में अभिवृद्धि करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है। पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान के सदस्य आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की

गुणवत्ता को पर्याप्त रूप से उपदर्शित करने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां भली-भांति सुस्थापित हैं। किसी व्यवसायी इकाई के पियर पुनर्विलोकन का संचालन, पियर पुनर्विलोकन के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाता है।

ऐसी फर्मों को, जिनका पियर पुनर्विलोकन किया गया है, विनियामकों द्वारा भी मान्यता प्रदान की जाती है, जैसा कि नीचे कथन किया गया है :-

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यक्षीन किया है और जो संस्थान के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी सीए फर्मों/एलएलपी को पैनलबद्ध करने की और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और 139(7) के अधीन संपरीक्षकों की नियुक्ति और संबद्ध अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कानूनी निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा अनुसरित की जाने वाली नीति को पुनरीक्षित किया है। ऐसी फर्मों को अधिकतम 25 अंक आवंटित किए गए हैं, जिनके पास पैनलबद्ध किए जाने के लिए आवेदन करने की तारीख को एक विधिमान्य पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र मौजूद है।

(I) व्यवसायगत यूनिटों का पियर पुनर्विलोकन :

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024 तक की अवधि के दौरान 2114 मामलों पर विचार किया तथा उन्हें पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए, जिनको सम्मिलित करते हुए पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने आज की तारीख तक कुल 16950 पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए हैं। साथ ही पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने अभी तक एक्यूएमएम के 453 मामलों के पुनर्विलोकन पर विचार किया है, जिनके व्यौरे निम्नानुसार हैं:

व्यवसायी यूनिटों का एक्यूएमएम का स्तर	व्यवसायी यूनिटों की संख्या
स्तर 1	3
स्तर 2	40
स्तर 3	214
स्तर 4	196
योग	453

(II) पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के चरण 2 का आस्थगन

व्यवसायी इकाईयों के लिए पूर्व में पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के दूसरे चरण को 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया जाना था, जिसके अधीन वे 500 करोड़ से अन्यून समादत्त पूंजी वाली असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों या 1000 करोड़ से अन्यून वार्षिक आवर्त कंपनियों या ऐसी कंपनियों, जिनके बकाया ऋण, डिबेंचर और निक्षेप पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व वाले 31 मार्च को 500 करोड़ रुपए से कम नहीं थे या अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करने वाली व्यवसायी यूनिटें, जिनके 5 या अधिक सदस्य हैं, की कानूनी संपरीक्षा करने का प्रस्ताव कर सकती थी। इस बात को विचार में लेते हुए कि कुछ व्यवसायी इकाईयां, जिनके द्वारा पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के दूसरे चरण के अधीन अपना पियर पुनर्विलोकन कराया जाना अपेक्षित है, तैयार नहीं थी इसलिए परिषद् ने आज्ञा के दूसरे चरण को लागू करने की तारीख को तीन मास के लिए आस्थगित करके उसे 1 जुलाई, 2023 से लागू बनाया है। इसे उसके पश्चात् 31 मार्च, 2024 तक विस्तारित किया गया था। तत्पश्चात् इसे 3 मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया गया। अब, आज्ञा का चरण 2, 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा।

(III) पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के चरण 3 का आस्थगन

ऐसे व्यवसायी यूनिटों, जिन्होंने पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान, जनता या बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से 50 करोड़ रुपए से अधिक की निधियां जुटाई हैं या उन्होंने ऐसी निधियां किसी निगम निकाय, जिसके अंतर्गत न्यास भी हैं, जो लोक हित अस्तित्वों के अंतर्गत आते हैं, के लिए पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के चरण 3 को पूर्व में 1 अप्रैल, 2024 से लागू किया जाना था और उक्त आज्ञा को ऐसे व्यवसायी यूनिटों के लिए भी 1 अप्रैल, 2024 से लागू किया जाना था, जो अनुप्रमाणन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और जिनके 4 या अधिक भागीदार हैं। इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि कुछ व्यवसायी यूनिट, जिनसे

पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के चरण 3 के अधीन पियर पुनर्विलोकन कराना अपेक्षित है, अभी उक्त पुनर्विलोकन के लिए तैयार नहीं है, परिषद् ने आज्ञा के तीसरे चरण के लागू किए जाने को 9 मास की अवधि के लिए विस्तारित किया है और अब वे 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे।

(IV) पियर पुनर्विलोककों का प्रशिक्षण और उन्हें पैनलबद्ध करना

- पियर पुनर्विलोककों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड सदस्यों को पियर पुनर्विलोककों के रूप में पैनलबद्ध करने हेतु सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। ये प्रशिक्षण सत्र सदस्यों को पियर पुनर्विलोकन का संचालन करने की पद्धति के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024 तक की अवधि के दौरान बोर्ड ने भौतिक रूप से 105 पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वर्चुअल पद्धति से ऐसे 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

- पियर पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध किए जाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा

बोर्ड के ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और जो पियर पुनर्विलोकक बनने हेतु पात्र हैं, पियर पुनर्विलोककों के रूप में पैनलबद्ध करने के लिए प्रत्येक दूसरे सप्ताह परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अंतिम निर्धारण परीक्षाओं का आयोजन एक शुक्रवार को छोड़कर प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पूर्ववर्ती शुक्रवार को प्रत्येक फाइनल परीक्षा के लिए मोक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं का आयोजन प्रत्येक शुक्रवार को दो बार किया जाता है – एक प्रातः और दूसरी दोपहर में। तदनुसार, 1.4.2023 से 30.06.2024 की अवधि के दौरान 64 अंतिम और 64 मोक परीक्षाओं का आयोजन किया गया। 1.4.2023 से 30.06.2024 की अवधि के दौरान कुल 1620 सदस्य पियर पुनर्विलोकक बने हैं और इस प्रकार 30 जून, 2024 तक पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के साथ पैनलबद्ध सदस्यों की संख्या बढ़कर 3399 हो गई है।

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड

क्षेत्र	समीक्षकों की संख्या
डब्ल्यूआईआरसी	712
एसआईआरसी	428
ईआईआरसी	301
सीआईआरसी	1158
एनआईआरसी	800
योग	3399

(V) अन्य पहलें

बोर्ड पियर पुनर्विलोकन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। पिछले 22 वर्ष के दौरान सृजित जागरूकता के स्तर ने सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता में सकल सुधार किया है। एक समर्थनकारी प्रणाली का सृजन करने के लिए एक व्यापक समावेशी दृष्टिकोण का अनुसरण किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त और सक्षम संसाधनों का विकास ;
- पियर पुनर्विलोककों की गुणवत्ता में सुधार ; और
- पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना, जिससे सक्षमता संबंधी अवरोधों को प्रभावी रूप से दूर किया जा सके।

6.16 वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी)

वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी) की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी, जिसका उद्देश्य हमारे संस्थान के सदस्यों के कौशल सेटों की विद्यमान और नए क्षेत्रों के अनुरूप अभिवृद्धि करना है।

(I) विभिन्न विनियामकों और अन्य बाहरी निकायों के साथ बैठकें :

पीडीसी वृत्तिक अवसरों के लिए अनछुए क्षेत्रों का पता लगाने के अपने प्रयासों में सरकार, विनियामक प्राधिकरणों आदि के साथ परस्पर क्रिया करती है और उनसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का लाभ उठाने का अनुरोध करती है।

- **विशेष सचिव (सहकारिता) और सीआरसीएस के साथ बैठक :** बहुराज्य सहकारी (संशोधन) विधेयक, 2022 के अनुरूप बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में संपरीक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के विषय पर चर्चा करने और साथ ही ऐसी सोसाइटियों की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षकों के पैनल का सृजन करने के लिए विशेष सचिव (सहकारिता) और सीआरसीएस के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
- **सीजीएम प्रभारी और सीजीएम, आरबीआई के साथ बैठक :** 3 अगस्त, 2023 को मुंबई में सीजीएम प्रभारी, आरबीआई और सीजीएम, पर्यवेक्षण विभाग के साथ, संपरीक्षा क्वालिटी मानदंडों सहित वृत्तिक हित के विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के दौरान आरबीआई को, आईसीएआई द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराया गया था, जिसके अंतर्गत एससीए, स्वतंत्र निदेशकों, सीएफओ आदि से आयोजित विभिन्न बैठकें भी हैं। उपरोक्त विचार-विमर्श के साथ, महाप्रबंधक, संपरीक्षा संबंध समूह, आरबीआई के साथ बैंक शाखा संपरीक्षक पैनल के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भी एक बैठक का आयोजन किया गया था।
- **सीजीएम और सीजीएम, संस्थागत विकास विभाग, नाबार्ड के साथ बैठक :** 3 अगस्त, 2023 को मुंबई में नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीजीएम और सीजीएम, संस्थागत विकास विभाग, नाबार्ड के साथ वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों, जिनके अंतर्गत सहकारी बैंकों के लिए संपरीक्षकों का पैनल, आरआरबी, "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों (पीएसीएस)" के लिए ईआरपी के विकास तथा आरआरबी के संपरीक्षकों के लिए फीस में अभिवृद्धि करना है, पर एक बैठक का आयोजन किया गया।
- **आईएस, निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ बैठक :** 31 अगस्त, 2023 को सहकारी बैंकों में अवसरों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और नाबार्ड में विभिन्न अवसरों के विषय पर तथा प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कानूनी संपरीक्षकों के लिए संपरीक्षा फीस के पुनरीक्षण से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए आईएस, निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
- **एसएफआईओ द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को पैनलबद्ध करना :** 4 अक्टूबर, 2023 को सीए फर्मों को पैनलबद्ध करने के प्रस्ताव/न्यायलयिक संपरीक्षा/एसएफआईओ के अन्वेषण दल की सहायता करने के लिए विश्लेषण करने और इस संबंध में केंद्रीय परिषद सदस्यों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए एसएफआईओ के कार्यालय में एक ओपन हाऊस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के दौरान, एसएफआईओ ने निगमों/कंपनियों ने अन्य ऐसे एलएलपी को, जिनके पास न्यायलयिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सुसंगत अनुभव है और साथ ही सीए फर्मों को पैनलबद्ध करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके उत्तर में पीडीसी ने संस्थान के सुस्थापित और अधिकथित अनुशासन तंत्र, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों को शासित करता है, के महत्व को सामने रखा। इसके अतिरिक्त, पीडीसी ने सीएंडएजी के कार्यालय और आरबीआई के संनियमों को भी साझा किया। एसएफआईओ के कार्यालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को पैनलबद्ध करने के लिए एक सूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने केवल ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को पैनलबद्ध किए जाने और एसएफआईओ से संबंधित विभिन्न समनुदेशन करने के लिए मान्यता प्रदान की है और उन्होंने किसी समनुदेशन के लिए फीस की मात्रा को तय करते समय आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को मामला-दर-मामला आधार पर व्यापक रूप से अनुसरित करने की अनुमति दी है।
- **महाप्रबंधक, आरबीआई के साथ बैठक :** 10 नवंबर, 2023 को मुंबई में, आरबीआई के तारीख 6 मार्च, 2023 के पुनरीक्षित संनियमों के अनुसार बैंक संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षकों की पात्रता के संबंध में सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त की गई विभिन्न चिंताओं पर विचार करने के लिए महाप्रबंधक, आरबीआई के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था।
- **कानूनी संपरीक्षकों द्वारा परिवर्तन संबंधी ज्ञापन (एमओसी) पारित करते समय अनुसरित किए जाने वाले व्यवहारों में अंतरों को समझने के लिए आरबीआई के साथ बैठक :** आरबीआई ने आईसीएआई को यह सूचित किया कि उसने पब्लिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में कानूनी संपरीक्षकों द्वारा परिवर्तन संबंधी ज्ञापन (एमओसी) पारित करते समय अनुसरित किए जाने वाले व्यवहारों में अंतरों को समझने के लिए एक अध्ययन आरंभ किया है। इस संबंध में, 10 जनवरी, 2024 को वर्चुअल पद्धति से आरबीआई के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था,

जिसमें महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग और महाप्रबंधक, संपरीक्षा संबद्ध समूह ने दल के सदस्यों के साथ पब्लिक सेक्टर बैंकों और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में कानूनी संपरीक्षकों द्वारा परिवर्तन संबंधी जापन (एमओसी) पारित करते समय अनुसरित किए जाने वाले व्यवहारों में अंतरों से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं को साझा किया था।

- **नाबार्ड के साथ बैठक :** 16 अप्रैल 2024 को मुंबई में नाबार्ड में सीजीएम, नाबार्ड, जीएम, डीजीएम, एजीएम के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान, आरआरबी की संपरीक्षा और सहकारी संपरीक्षाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
- **डाक विभाग (डीओपी) के साथ बैठक :** चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए डाकघर संपरीक्षा के क्षेत्र में वित्तीय अवसरों की खोज करने के लिए संपरीक्षा और विधिक निदेशक, डाक विभाग (डीओपी) के साथ 24 अप्रैल, 2024 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। डीओपी में विद्यमान लेखांकन और संपरीक्षा प्रणालियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था, जिनके अंतर्गत नकद लेखांकन प्रणाली से प्रोदभवन आधारित लेखांकन प्रणाली को अंतरण भी है।
- **वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ बैठक :** 7 मई, 2024 को नई दिल्ली में अतिरिक्त सेवाएं, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के दौरान प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कानूनी संपरीक्षकों के लिए संपरीक्षा फीस के पुनरीक्षण से संबंधित मामले पर विचार-विमर्श किया गया था और साथ ही आईसीएआई के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित आरआरबी के लिए फीस को पुनरीक्षित करके बढ़ाने संबंधी एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था।
- **वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग के साथ बैठक :** 7 मई, 2024 को नई दिल्ली में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के दौरान, आईसीएआई और नीति आयोग डब्ल्यूईपी के बीच महिला उद्यमियों को सशक्त करने के लिए परिचर्चा की गई थी। इस संबंध में डब्ल्यूईपी और आईसीएआई के बीच समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया था। नीति आयोग "प्रत्येक मास महिला उद्यमियों को ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विषयों पर डब्ल्यूईपी से पूछें" श्रृंखला का आयोजन करता है। आयोजित किए जाने वाले सत्रों के लिए आईसीएआई ज्ञान भागीदार के रूप में कार्यक्रम संरचना को साझा करके तथा सुसंगत विषयों पर वक्ता/संचालक उपलब्ध कराके आयोजनों को समर्थन प्रदान कर रहा है।
- **संपरीक्षा संबंध समूह, आरबीआई के साथ बैठक :** 3 जून, 2024 को मुंबई में बैंककारी उद्योग में संपरीक्षा वृत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए संपरीक्षा संबंधी समूह, आरबीआई के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था।
- **वर्ष के दौरान आयोजित राज्यस्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) के साथ बैठकें :** वर्ष के दौरान, आरबीआई द्वारा पूरे भारत वर्ष में 48 एसएलसीसी बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(II) उपलब्धियां

- **सूचना प्रणाली (आईएस) संपरीक्षा के संबंध में संस्था ठहराव स्थापित करने के लिए आरबीआई को प्रस्ताव प्रस्तुत करना**

आरबीआई ने यह सूचित किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) के लिए वित्तीय संपरीक्षाएं करने हेतु एक संस्थागत स्थापन को स्थापित करने (आईसीएआई के समान कोई संस्थान) की आवश्यकता है। यह नया स्थापन वृत्तिकों (सीए और गैर-सीए) के एक पूल को सृजन करने में सक्षम होना चाहिए, जो एक कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आईएस संपरीक्षकों के रूप में पैनलबद्ध किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये वृत्तिक नवीनतम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के संबंध में अद्यतन जानकारी रखते हैं। तदनुसार, आरबीआई को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

- **बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की कानूनी संपरीक्षाओं और समवर्ती संपरीक्षाओं के लिए पात्रता मानदंडों संबंधी प्रारूप पैरामीटर**

विशेष सचिव (सहकारिता) और सीआरसीएस, सहकारिता मंत्रालय के साथ बहुराज्य सहकारी (संशोधन) विधेयक, 2022 के अनुरूप बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों ने संपरीक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और ऐसी सोसाइटियों की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षकों के पैनल का सृजन करने हेतु विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। तदनुसार, बहुराज्य सहकारी (प्रत्यय और गैर-प्रत्यय, दोनों) अस्तित्वों के लिए कानूनी संपरीक्षा और समवर्ती संपरीक्षा

के लिए पात्रता मानदंडों के प्रारूप पैरामीटरों को उसी रूपरेखा के अनुसार तैयार किया गया था जैसा कि आरबीआई के लिए किया गया था। उसमें समुचित उपांतरण किए गए थे तथा उसे विशेष सचिव, सहकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

• नीति आयोग और आईसीएआई के बीच एसओआई पर हस्ताक्षर

नीति आयोग और पीडीसी ने 3 अक्टूबर, 2023 को गोवा में, गोवा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तथा सीईओ, नीति आयोग, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग तथा पीडीसी के तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में इस आशय संबंधी कथन पर हस्ताक्षर किए थे। इस सहयोग का आशय महिला उद्यमियों को विभिन्न परस्पर रूप से सहमत उपायों के माध्यम से समर्थन उपलब्ध कराने के लिए समुचित ज्ञान का प्रसार करना है।

• आईआईएम अहमदाबाद के साथ एमओयू

23 अक्टूबर, 2023 को चार्टर्ड अकाउंटेंटों के ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु विशेषीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए पीडीसी ने आईआईएम अहमदाबाद के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

(III) पीडीसी प्रकाशनों का पुनरीक्षण :

- वीमा क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर
- जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर

(IV) विभिन्न प्राधिकारियों को पैनल प्रस्तुत करना :

विभिन्न प्राधिकारियों/अभिकरणों को चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों का पैनल उपलब्ध कराया जाता है। इसके ब्यौरे नीचे उपलब्ध कराए गए हैं :

क्रम सं.	पैनल प्रस्तुत करने की तारीख	प्राधिकारी/अभिकरण
1	13 अप्रैल, 2023	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यवेक्षण और संपरीक्षा समिति, सहकारी विभाग, गुजरात राज्य, अहमदाबाद
2	2 मई, 2023	रजिस्ट्रार, गुजरात प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, गांधीनगर राजमार्ग, चांदखेडा, अहमदाबाद
3	26 मई, 2023	पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़
4	31 मई, 2023	उप महाप्रबंधक, इंडियन बैंक, चेन्नई
5	6 जून, 2023	निदेशक (प्रशासन), द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), 8 गोखले रोड, कोलकाता
6	15 जून, 2023	उप महाप्रबंधक - मंडल 2, एसईसी वर्टिकल - निवेश प्रबंध विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई
7	23 जून, 2023	उप सचिव, भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), (राष्ट्रीय कौशल विकास निधि), नई दिल्ली
8	6 जुलाई, 2023	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा निदेशालय, ट्रेजरी और अकाउंट भवन, यूनिट- III, भुवनेश्वर
9	20 जुलाई, 2023	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार रोधी शाखा, चेन्नई, 20 जुलाई 2023 को पैनल शाखा प्रमुख, सेंट्रल को सौंपा गया
10	20 जुलाई, 2023	शाखा प्रमुख, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार रोधी शाखा, चेन्नई
11	24 अगस्त, 2023	वरिष्ठ प्रबंधक, निरीक्षण और संपरीक्षा विभाग, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय - सलेम
12	17 नवंबर, 2023	पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, उत्तरी रेंज, सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय, तमिलनाडु आधारित III और IV चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों का चेन्नई

		पैनल
13	23 नवंबर, 2023	निदेशक-सीआईआई और प्रधान-एनएफसीजी, राष्ट्रीय निगम शासन फाउंडेशन (एनएफसीजी) पैनल, दिल्ली स्थित प्रोप्रायटरी कंसर्न 1 पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ
14	14 फरवरी, 2024	मुख्य प्रबंधक - निवेश विभाग, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई
15	16 फरवरी, 2024	महाप्रबंधक, आंध्र प्रदेश राज्य, सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा
16	1 मार्च, 2024	प्रबंधक (वित्त), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली
17	6 मार्च, 2024	आंतरिक संपरीक्षा प्रभाग, "एनएसआईसी भवन" ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली
18	7 मार्च, 2024	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जम्मू और कश्मीर
19	4 अप्रैल, 2024	सहायक महाप्रबंधक (वित्त), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली
20	18 अप्रैल, 2024	आईसीएआई का विधिक अनुभाग, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कोलकाता को आगे और प्रस्तुत करने हेतु।
21	21 मई, 2024	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मुंबई, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) की वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कानूनी संपरीक्षा के लिए अखिल भारतीय संपरीक्षा फॉर्म (राज्यवार)
22	4 जून, 2024	सहायक महाप्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक
23	6 जून, 2024	उप निदेशक, (एनटी/आईटी और प्रशासन), द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)

(V) अन्य क्रियाकलाप

• विभिन्न कार्यक्रम/बैठकें

- **बीमा क्षेत्र में वृत्तिक अवसरों संबंधी आवासीय कार्यक्रम :** पीडीसी ने 3 से 5 नवंबर, 2023 के दौरान, उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से अपने पहले आवासीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में सदस्य मुख्य अतिथि थे और उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया। "जीवन बीमा का पुनर्विलोकन और चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका, पिछले दो दशक में बीमा क्षेत्र में निवेश विनियमों में परिवर्तनों, बीमा उद्योग में विनियामक द्वारा आज्ञापक बनाई गई निवेशों की संपरीक्षा का क्षेत्र, साइबर सुरक्षा जोखिम निर्धारण और विनियामकों द्वारा उन्हें कम करने के उपाय तथा कानूनी संपरीक्षा और जीवन और गैर-जीवन बीमा में अनुपालन तथा बीमा क्षेत्र में वृत्तिक अवसर" जैसे विषयों पर सुविख्यात संकाय ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 55 सदस्यों ने भाग लिया।
- **केंद्रीय कानूनी संपरीक्षक बैठक :** बैंकों के कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों की एक परस्पर क्रियाशील का आयोजन 18 मार्च, 2024 को वृत्तिक विकास समिति द्वारा मुंबई में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक ने मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन की शोभा बढ़ाई थी। अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने आरबीआई की अंतर्दृष्टि को साझा किया और सकल संपरीक्षा क्वालिटी में अभिवृद्धि करने संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "आरबीआई का परिप्रेक्ष्य और कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों से आशय" विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस बैठक को मिश्रित पद्धति से आयोजित किया गया था और इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों, प्राइवेट सेक्टर बैंकों, लघु वित्त बैंकों और विदेशी बैंकों के 150 से अधिक केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों ने भाग लिया था।
- **"भारतीय बैंकारी क्षेत्र के साथ आईसीएआई के 75 वर्षों की परंपरा का जन्म - अमृतकाल के पथ की ओर अग्रसर" विषय पर एक परस्पर क्रियाशील बैठक :** 19 जून, 2024 को मुंबई में सीए निदेशकों, संपरीक्षा समिति के अध्यक्ष और बैंकारी क्षेत्र के सीएफओ के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय

बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस बैठक में 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

• **समिति द्वारा आयोजित/आयोजित किए जाने वाले डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :**

➤ **परियोजना वित्तपोषण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** परिषद् ने 7 और 8 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी 428वीं बैठक में परियोजना वित्तपोषण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया था।

➤ **डीआईआरएम पाठ्यक्रम :** समिति बीमा और जोखिम प्रबंध संबंधी अर्हता-पश्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीआईआरएम) का प्रचालन करती है। यह डीआईआरएम पाठ्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसे किसी अभ्यर्थी को बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु उत्तीर्ण करना होता है।

❖ प्रथम चरण : स्व:अध्ययन और पात्र परीक्षा पत्रों को पूरा किया जाना।

❖ द्वितीय चरण : परीक्षा अनुभाग द्वारा संचालित तकनीकी परीक्षाओं को अर्हित करना, और

❖ अंतिम चरण (आज्ञापक) : दो दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेना, जो सदस्यों को वक्ताओं के साथ परस्पर क्रियाशील तथा अर्थपूर्ण परिचर्चा करने का अवसर उपलब्ध कराता है और इस प्रकार वास्तविक जीवन अनुभवों से पठन के साथ सैद्धांतिक ज्ञान को सुदृढ़ बनाता है।

➤ डीआईआरएम संबंधी रजिस्ट्रीकरण आंकड़ें नीचे दिए गए हैं :

आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण	आज की तारीख तक अर्हित	वे सदस्य, जिन्होंने तकनीकी परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, किंतु अभी तक अनुकूलन कार्यक्रम पूरा नहीं किया है	पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया लेकिन तकनीकी परीक्षा अभी उत्तीर्ण नहीं है	पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है
5556	1043	78	3041	2515

• 5556 रजिस्ट्रीकृत सदस्यों में से, 1043 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित कर लिया है, अन्य 78 सदस्यों ने तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण की है किंतु उन्होंने अभी अनुकूलन कार्यक्रम पूरा नहीं किया है।

• समिति ने, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 24 मई और 28 जून, 2024 को अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम करने वाले सदस्यों के लिए आनलाइन पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था। ये सदस्य अब नवंबर, 2024 और उसके पश्चात् होने वाली तकनीकी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बन गए हैं।

• **संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/वेबीनार**

समिति ने अवधि के दौरान, 54 राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया। समिति ने पीडीसी का डीएनए – नए अवसरों का पता लगाना, शीर्ष के अधीन वेबीनारों की एक श्रृंखला को आरंभ किया है।

6.17 लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति (सीपीएंडजीएफएम)

आईसीएआई ने अपने मिशन और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति (सीपीएंडजीएफएम) का गठन किया है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग और स्थानीय निकायों सहित भारत सरकार के सभी क्षेत्रों में प्रबंध सुधारों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और लोक वित्त संबंधी बेहतर प्रबंध को सुकर बनाने में सहायता करने का अथक प्रयास करती है। स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) को तैयार करने के अलावा, समिति अपना ध्यान मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न टियरों में वित्त से संबंधित पदधारियों की सक्षमता निर्माण पर केंद्रित करती है और इसके लिए समिति विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबीनारों, ई-पठन माड्यूलों आदि का आयोजन। समिति लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का भी संचालन करती है, जिसमें सरकारी पदधारी और मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले स्वायत्त निकायों के पदधारी भी भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीएंडजीएफएम पंचायतों के अकाउंटेंटों और नगरपालिक निकायों के अकाउंटेंटों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (जो आईसीएआई और सीएंडजी की संयुक्त पहल है), जिसका संचालन बोर्ड के माध्यम से आईसीएआई एआरएफ के अधीन

स्थापित स्थानीय निकाय अकाउंटेंट अनुप्रमाणन बोर्ड (बीएलओएसी) द्वारा किया जा रहा है, के लिए अध्ययन सामग्री विकसित करने में भी योगदान करती है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों को कारपोरेट सेक्टर से परे अपनी वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराके तथा साधारण जनता के लिए कार्य करके अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने संबंधी आईसीएआई की यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इस प्रकार वह राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपनी भूमिका के प्रति खरी उतरती है।

(I) सरकार को समर्थन –

- समिति ने निःस्वार्थ आधार पर शासकीय लेखांकन में नकद आधारित अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक (आईपीएसएस) को अंगीकार करने की सीएंडएजी के कार्यालय की परियोजना के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। तथापि, इस परियोजना को अभी सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा रोक कर रखा गया है।
- समिति एमओएचयूए को, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहायता भी उपलब्ध करा रही है, जिन्हें संवहनीय आधार पर नगर वित्त पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। यह कार्य प्रगति पर है और प्रथम जांच सूची को पहले ही एमओएचयूए को प्रस्तुत कर दिया गया है।
- समिति सीएंडएजी के कार्यालय को भारत की पंचायतों और नगरपालिक निकायों के लेखांकन और संपरीक्षा में सुधार लाने के लिए भी सहायता उपलब्ध करा रही है :
 - इन पाठ्यक्रमों का संचालन, स्थानीय निकाय लेखांकन अनुप्रमाणन बोर्ड (बीएलओएसी), जिसे आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) के तत्वाधान में स्थापित किया गया है, के माध्यम से किया जा रहा है।
 - सीपीजीएफएम सीएजी के कार्यालय को इन पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री को तैयार में सहयोग और समन्वयन कर रही है। इन कौशल विकास पाठ्यक्रमों हेतु रजिस्ट्रीकरणों को 1 दिसंबर, 2023 से 590 रुपए (जीएसटी सहित) की मामूली रजिस्ट्रीकरण फीस पर किसी भी स्ट्रीम से उत्तीर्ण हुए 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक समर्पित वेबसाइट (<https://lba.icaiaf.org.in/>) पर आरंभ किया गया है।
 - इसमें पठन की पद्धति आनलाइन है और इस तक 11 भाषाओं में पहुंच बनाई जा सकती है (हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, उडिया, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और असमिया)।
 - परीक्षाओं का संचालन प्रादेशिक भाषाओं में ऑफलाइन पद्धति से किया जाता है, जिसके लिए आईसीएआई की उत्तम परीक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
 - अर्हित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक सूचना के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी।

आईसीएआई के परीक्षा विभाग के समर्थन से पहली स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 18 अप्रैल, 2024 को किया गया था, जिसमें कुल 232 अभ्यर्थी (परीक्षा में बैठने वाले कुल 364 अभ्यर्थियों में से) उत्तीर्ण हुए। लगभग 64.17% अभ्यर्थियों ने पंचायत पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किया और 62.9% अभ्यर्थियों ने नगरपालिक निकाय पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किया। पहले बैच के लिए 29 फरवरी, 2024 तक 609 अभ्यर्थियों ने रजिस्टर किया था तथा 30 जून, 2024 तक दूसरे बैच के लिए 1138 अभ्यर्थियों ने रजिस्टर किया था।

(II) सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी इनपुट

निम्नलिखित को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए :

- संघ के माननीय मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र सरकार के लेखा/वित्त पदधारियों के कौशल विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया गया है।
- असम सरकार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव को असम वित्त विभाग के पदधारियों के कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए।
- लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान और संबद्ध विषयों पर राज्य वित्त विभागों के वित्त पदधारियों के कौशल विकास के लिए राज्य वित्त विभागों के साथ एमओयू करने के लिए।
- इंदौर नगर निगम को, स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के फायदे का मूल्यांकन करने हेतु अग्रणी अध्ययन करने के लिए।

- प्रधानाचार्य, उत्तरी आंचलिक लेखा प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू को, सरकारी पदधारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने के लिए ।
- निदेशक, शहरी विकास विभाग, नागालैंड को, नागालैंड के यूएलबी की सहायता करने के लिए ।
- विशेष सचिव, यूएएंडडीडी, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के यूएलबी के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ।
- आयुक्त एवं सचिव (ग्रामीण विकास), गुजरात को, गुजरात के ग्रामीण स्थानीय निकायों के कर्मचारिवृंद के सक्षमता निर्माण के लिए ।
- आयुक्त एवं सचिव (ग्रामीण विकास), गुजरात को, गुजरात के ग्रामीण स्थानीय निकायों ने लेखांकन सुधार करने के लिए ।
- वरिष्ठ वित्तीय प्रबंध विशेषज्ञ, पोर्टफोलियो, परिणाम और क्वालिटी नियंत्रण यूनिट, दक्षिण एशिया विभाग, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए ।
- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के पदधारियों के कौशल विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए ।
- अध्यक्ष, 16वां केन्द्रीय वित्त आयोग को प्रोद्भव आधारित लेखांकन सुधारों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय संवहनीयता के लिए सिफारिशों का सुझाव ।
- शहरी विकास विभाग, पंचायती राज और ग्रामीण विभाग तथा वित्त विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को पंचायत और नगरपालिक निकायों के अकाउंटेंटों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को लोपप्रिय बनाने हेतु उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए ।
- राज्य वित्त विभाग के निदेशकों को, उनके अपने-अपने राज्यों के वित्त विभागों के कर्मचारिवृंद के कौशल विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए ।
- सरकार के लेखांकन प्रशिक्षण संस्थानों, जो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं, यूएलबी के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए (जिसके अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव भी हैं) ।

➤ पीएमयू-यूकेपीएफएमएस (परियोजना प्रबंध यूनिट – उत्तराखंड लोक वित्त प्रबंध सुदृढीकरण परियोजना) के साथ करार पर हस्ताक्षर

7 जुलाई, 2023, को परियोजना प्रबंध यूनिट – उत्तराखंड लोक वित्त प्रबंध सुदृढीकरण परियोजना के साथ करार पर हस्ताक्षर (पीएमयू-यूकेपीएफएमएस) किए गए, जिससे उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लगभग 200 कर्मचारिवृंद को “प्रोद्भव आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली और उत्तराखंड नगरपालिक लेखांकन मैनुअल, 2021” विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके ।

➤ आईसीएआई और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

9 अगस्त, 2023 को सीएंडएजी के कार्यालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, भारत के माननीय सीएंडएजी ने आईसीएआई के माननीय अध्यक्ष, सीपीजीएफएम और उपाध्यक्ष, सीपीजीएफएम की उपस्थिति में संपरीक्षा दिवस (अर्थात् 16 नवंबर, 2023) को पंचायतों और नगरपालिक निकायों के अकाउंटेंटों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया, जिससे भारत में आधारभूत स्तर पर प्रशिक्षित लेखांकन कार्मिकों के पूल का सृजन किया जा सके ।

(III) प्रस्तुत की गई तकनीकी टीका-टिप्पणियां :

अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएसबी) के निम्नलिखित प्रारूपों के संबंध में :

- उद्भासन प्रारूप 84, रियायती पट्टे और वस्तु रूप में उपयोग के आधार वाली आस्तियां (आई.पी.एस.ए.एस. 43 और आई.पी.एस.ए.एस. 23 में संशोधन) ;
- उद्भासन प्रारूप 85, आई.पी.एस.ए.एस. 23 में सुधार ;

- उदभासन प्रारूप 86, खनिज संसाधनों की खोज और मूल्यांकन संबंधी प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक ;
- उदभासन प्रारूप 87, भूतल खान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागतों संबंधी प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर लेखांकन मानक (आई.पी.एस.ए.एस. 12 में संशोधन);
- उदभासन प्रारूप 88, आस्तियों पर अधिकारों को हस्तांतरित करने संबंधी ठहरावों के संबंध में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक (आई.पी.एस.ए.एस. 47 और आई.पी.एस.ए.एस. 48 में संशोधन);
- उदभासन प्रारूप 89, 'आई.एफ.आर.आई.सी. निर्वाचनों पर विचार करने के लिए संशोधन' ; और
- रणनीति और कार्ययोजना, 2024-2028 के संबंध में परामर्श

निम्नलिखित जीएएसएबी दस्तावेजों / प्रारूप मानकों के संबंध में :

- सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण' संबंधी उपांतरित आईजीएस 2
- पूर्व अवधि समायोजन
- आरक्षित निधियों संबंधी प्रारूप मानक
- 'सम्यक् प्रक्रिया' के प्रारूप के संबंध में पुनरीक्षित टीका-टिप्पणियाँ
- 2023-26 के लिए जीएएसएबी की नीतिगत विकास योजना (एसडीपी)
- नियत आस्तियों के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
- सरकार के लोक ऋण और अन्य दायित्व : प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं' संबंधी प्रारूप आईजीएस 10

(IV) प्रशिक्षण कार्यक्रम :

समिति ने शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रोदभवन आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रोदभवन प्रणाली और उत्तराखंड नगरपालिक लेखांकन मैनुअल (यूएमएएम), 2021, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली, ग्रामीण विकास स्कीमों का लेखांकन, जीएसटी और आय-कर के संबंध में सक्षमता निर्माण कार्यक्रम, पंजाब में नगरपालिक वित्तीय ढांचे में सुधार करने आदि विषयों पर शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 8 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

(V) वेबीनार/वर्चुअल सीपीई बैठक (वीसीएम) :

समिति द्वारा लोक वित्त, पीआईआर ने लेखांकन और संपरीक्षा, नकद आधारित आईपीएसएएस को आरंभ करना: लेखांकन सुधारों के प्रति अग्रसर होना, भारत में आत्मनिर्भर और आत्म संवहनीय नगरपालिक निकाय, लोक वित्त प्रबंध प्रणाली में वैश्विक वित्तीय संकटों का प्रभाव, स्थानीय स्व:शासन में लेखांकन को मजबूत बनाना, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही में अभिवृद्धि करने हेतु आंतरिक नियंत्रणों की भूमिका, वित्तीय रिपोर्टिंग और यूएलबी के लिए कर अनुपालन आदि विषयों पर अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए 18 वेबीनारों/वीसीएम का आयोजन किया था ।

(VI) लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- सरकारी और स्वायत्त निकायों के पदधारियों के लिए खोला जाना – आईसीएआई के सदस्यों और सरकारी पदधारियों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के अनुरोध पर इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सरकारी विभागों तथा किसी सरकारी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों के पदधारियों के लिए खोल दिया गया है ।
- आनलाइन बैच – 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2024 तक की अवधि के दौरान, लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के निम्नलिखित बैचों का आयोजन किया गया ।

क्रम सं.	बैच	तारीख
1.	25वां बैच	21 मई, 2023 से 16 जुलाई, 2023
2.	26वां बैच	6 अगस्त, 2023 से 30 सितंबर, 2023
3.	27वां बैच	3 दिसंबर, 2023 से 27 जनवरी, 2024

4.	28वां बैच	4 फरवरी, 2024 से 30 मार्च, 2024
5.	29वां बैच	28 अप्रैल, 2024 से 22 जून, 2024
6.	30वां बैच	30 जून, 2024 से आरंभ

- आनलाइन परीक्षा – प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की निम्नलिखित 4 आनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

क्रम सं.	परीक्षा	तारीख	सदस्य स्वीकृत/सदस्य उपस्थित हुए
1.	17वां	27 मई, 2023	125 में से 119 सदस्य उत्तीर्ण हुए
2.	18वां	30 सितंबर, 2023	73 में से 73 सदस्य उत्तीर्ण हुए
3.	19वां	27 जनवरी, 2024	106 में से 102 सदस्य उत्तीर्ण हुए
4.	20वां	30 मार्च, 2024	70 में से 65 सदस्य उत्तीर्ण हुए

(VII) विभिन्न पणधारियों के साथ आयोजित बैठकें :

क्रम सं.	गणमान्य व्यक्तियों के नाम	तारीख
1.	महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय	21 अप्रैल, 2023
2.	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, एमओएचयूए	28 अप्रैल, 2023
3.	आईएएस, प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवासन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	1 मई, 2023
4.	आईएएस, उप सचिव और निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्य प्रदेश सरकार	1 मई, 2023
5.	आईआरएस, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के निजी सचिव	8 मई, 2023
6.	आयुक्त और सचिव, वित्त, भू-संसाधन, नागालैंड सरकार	23 मई, 2023
7.	आईएएस, विशेष सचिव, यूए और डीडी, छत्तीसगढ़	11 जुलाई, 2023
8.	आईएएस, विकास आयुक्त, पंचायती राज विभाग, गुजरात	31 जुलाई, 2023
9.	आईएएस, आयुक्त और सचिव, ग्रामीण विकास, गुजरात	31 जुलाई, 2023
10.	आईएएस, सचिव, आर्थिक कार्य, वित्त विभाग, गुजरात	31 जुलाई, 2023
11.	उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रेल और स्थानीय निकाय)	15 सितंबर, 2023
12.	प्रादेशिक नियंत्रक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी यूनाइटेड स्टेट्स अभिकरण (यूएस-एआईडी) अपने दल के साथ	22 सितंबर, 2023, 19 दिसंबर, 2023 और 11 जनवरी, 2024
13.	सीईओ, जन आग्रह और उनका दल	26 सितंबर, 2023
14.	वरिष्ठ वित्तीय प्रबंध विशेषज्ञ, एशियाई विकास बैंक अपने दल के साथ	22 नवंबर, 2023
15.	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश	9 जनवरी, 2024
16.	संयुक्त सचिव, ग्रामीण कौशल, ग्रामीण विकास मंत्रालय	15 जनवरी, 2024
17.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक के पदधारी	30 जनवरी, 2024
18.	स्थानीय निधि संपरीक्षक, पंजाब	26 मार्च, 2024

(VIII) अन्य पहलें**जर्नल के लिए लेख :**

- देश के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में लोक वित्त द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना करते हुए, आईसीएआई के जर्नल के मई, 2023 के अंक में ऐसे लेखों को सम्मिलित किया गया था, जो लोक वित्त के विभिन्न पहलूओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्र में जाने-माने विशेषज्ञों के अलावा इस अंक में झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्य शहरी विकास अभिकरणों के सरकारी पदधारियों ने भी लेखों का योगदान दिया था, जिन्होंने लेखांकन सुधार की यात्रा के दौरान हुए अपने अनुभव को साझा किया।
- आईसीएआई जर्नल के अप्रैल, 2024 अंक में लोक वित्त विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया था (तदनुसार उसे “संवहनीय कल के लिए लोक वित्त में आमूल-चूल परिवर्तन करना” शीर्षक प्रदान किया गया था)। इस अंक में उस महत्वपूर्ण भूमिका को उपदर्शित किया गया है, जो लोक वित्त तथा शासकीय लेखांकन सुधारों द्वारा किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में निभाई जाती है। उक्त अंक में व्यापक पहलूओं पर लेखों को सम्मिलित किया गया था, जिनमें लोक वित्त और शासकीय लेखांकन सुधारों के विभिन्न पहलूओं पर विचार किया गया और इन लेखों को इस क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों द्वारा लेखबद्ध किया गया था। इन लेखों के माध्यम से शासकीय लेखांकन सुधारों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें सुधार के प्रति नव प्रवर्तनकारी दृष्टिकोण सम्मिलित है और साथ ही इस तथ्य को भी दर्शित किया गया था कि आईसीएआई किस प्रकार इन सुधारों को अग्रसर कर रही है। इसके अतिरिक्त, इन लेखों में जलवायु बजटिंग, पंचायतों के वित्त और जवाबदेही, स्थानीय निकायों की संपरीक्षा सम्मिलित थे, जो लोक वित्त प्रबंध प्रणाली की प्रभाविकता और पारदर्शिता में अभिवृद्धि करने हेतु एक सहयोगात्मक प्रयास को उपदर्शित करती है।

(IX) लघु वीडियो

समिति ने निम्नलिखित विषयों पर लघु वीडियो जारी किए हैं :

- स्थानीय निकायों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसर।
- स्थानीय निकायों में लेखांकन मानकों को लागू करना।
- सरकारी लेखांकन का पर्यावलोकन।
- आत्मनिर्भर शहरी भारत के लिए नगरपालिक बंधपत्र।

(X) जारी किए गए प्रकाशन

- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों का सार-संग्रह – जिल्द 3 (8 फरवरी, 2024)
- आईसीएआई (सीपीएंडजीएफएम) और आईसीएआई एआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से नीति आयोग के साथ “नगरपालिका वित्तीय डाटा को किस प्रकार निर्णय लिए जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है” विषय पर अनुसंधान अध्ययन (8 फरवरी, 2024)
- पंचायतों और नगरपालिक निकायों के अकाउंटेंटों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में स्क्रीनिंग परीक्षा अध्ययन सामग्री (8 फरवरी, 2024)

6.18 जन संपर्क समिति (पीआरसी)

जनसंपर्क समिति का उद्देश्य विभिन्न मार्गों और उपायों के माध्यम से, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझा जाए, एक अतिविशिष्ट लेखांकन निकाय और भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के लिए एकमात्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित करना, उसे सुदृढ़ बनाना तथा उसमें अभिवृद्धि करना है। पीआर समिति बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए प्रयास करती है और बेहतर नेटवर्किंग अवसर उपलब्ध कराती है और साथ ही उसका उद्देश्य आईसीएआई की छवि को ऊंचा उठाने हेतु बोद्धात्मक खाई को भरने के लिए अनेक उपाय करना भी है।

महत्वपूर्ण पहलें/उपलब्धियां**(I) नए सीए भारत लोगो का अनावरण**

आज जब संस्थान अपने 75 वर्षों का पूरा होने का जश्न मना रहा है, यह विनिश्चय किया गया था कि यह सीए लोगो में सुधार करने और सभी अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मंचों पर संस्थागत प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग करना उपयुक्त होगा।

इस लोगो में नीले रंग में 'CA' अक्षरों को सम्मिलित किया गया है और उसके ऊपर तिरंगे में टिक का चिह्न लगाया गया है (जिसका ऊपर का हिस्सा निचली तरफ है) और जिसे सफेद पृष्ठभूमि पर रखा गया है। नीला रंग सजृनात्मकता, नवप्रवर्तन, ज्ञान, ईमानदारी, विश्वास, सत्य, स्थिरता और गहराई को उपदर्शित करता है। ऊपर से नीचे की तरफ लगाया टिक का चिह्न तिरंगे में है और उसका उपयोग पारंपरिक रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा संपरीक्षाओं के दौरान किया जाता है और उसे वृत्ति की बुद्धिमता और मूल्य के चिह्न के रूप में सम्मिलित किया गया है। 'INDIA' को भी लोगो में सम्मिलित किया गया है, जो संस्थान के भारत पहले दृष्टिकोण का समर्थन करता है और साथ ही लोक हित में भारतीय अर्थव्यवस्था की सेवा करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शित करता है। यह नया सीए इंडिया लोगो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का सृजन करने में सहायता करेगा और यह वैश्विक मंच पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को एक सुभिन्न पहचान उपलब्ध कराएगा।

इस लोगो का अनावरण गांधी नगर, गुजरात में आयोजित वैश्विक वृत्तिक लेखांकन अभिसमय (जीएलओपीएसी) के दौरान माननीय मुख्य अतिथि भारत के माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण तथा टैक्सटाइल मंत्री की उपस्थिति में किया गया था जो इस समारोह के सम्मानित अतिथि थे। इसके अतिरिक्त, इस समारोह में संसदीय कार्य राज्य मंत्री, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, गुजरात सरकार और अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट फेडरेशन (आईएफएसी) भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, सीए इंडिया लेपल-पिनो को तैयार, विकसित करके आरसी और शाखाओं के सभी पदधारियों को वितरित किया गया था। इस लोगो का उपयोग सभी विपणन संपार्श्विकियों, लेखन सामग्री मदों में किया जा रहा है, जिससे नए लोगो की स्थिति और उसकी दृश्य पहचान को स्थापित किया जा सके।

(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 2023

सीए दिवस 2023 की दृश्यता को बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफार्मों पर एक व्यापक रणनीति लागू की गई थी। प्रचार के लिए, निम्नलिखित गतिविधियां की गई थीं :

- (क) प्रिंट मीडिया : सीए दिवस और 1 जुलाई के महत्व को चिह्नित करने के लिए 1 जुलाई को कुछ वित्तीय/मुख्य प्रकाशनों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया।
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया : सीए दिवस को विभिन्न कारोबारी/समाचार चैनलों पर प्रचार करके भी प्रचारित किया गया था। सीए दिवस समारोह के अंश का दृश्यांकन किया गया और बाद में जी बिजनेस पर आधे घंटे के एपिसोड के रूप में प्रसारित किया गया।
- (ग) सद्भावना संदेश : गणमान्य व्यक्तियों से सद्भावना संदेश आमंत्रित करने वाले ड्राफ्ट पत्र पीआरसी द्वारा तैयार किए गए थे। समिति ने सद्भावना संदेशों के लिए मंत्रालयों के साथ भी समन्वय किया था, जो आईसीएआई जर्नल के विशेष अंक यानी जुलाई, 2023 में प्रकाशित किया गया।
- (घ) राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के वीडियो संदेश - राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के संदेश को रिकॉर्ड किया गया और वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ साझा किया गया और इसे सीए दिवस समारोह के दौरान भी प्रसारित किया गया था।
- (ङ) विपणन कोलेटरल की तैयारी - कार्यक्रम में विज्ञापन और सोशल मीडिया स्टैंडी के लिए रचनात्मकता - सीए दिवस समारोह के दौरान सामग्री यानी पीआरसी द्वारा 75 वर्षों के दौरान आईसीएआई गंभीर यात्रा की उपलब्धियों का मसौदा तैयार किया गया था और स्टैंडी विकसित और प्रदर्शित किए गए थे।

(III) ग्लोबल प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स कन्वेंशन (जीएलओपीएसी) - प्रचार और प्रसार

जीएलओपीएसी के प्रचार और संवर्धन के लिए, समिति द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं :

- जीएलओपीएसी समारोह के लिए सूचना/ब्यौरे साझा करने के लिए अहमदाबाद शाखा में एक प्री-इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और मीडिया को आमंत्रित किया गया। प्रेस के दौरान साझा की गई जानकारी व्यापक रूप से मीडिया द्वारा कवर की गई थी।
- प्रिंट विज्ञापन - आधा और पूर्ण पृष्ठ विज्ञापन 24 नवंबर 2023 को प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय प्रकाशन/संस्करण में प्रकाशित किए गए थे।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अभियान - जीएलओपीएसी को बढ़ावा देने वाला रेडियो अभियान सभी प्रमुख एफएम स्टेशन में प्रसारित किया गया था। प्रोमोस और एल बैंड विकसित किए गए और आज तक पर प्रसारित किए गए।
- पत्रिका विज्ञापन - विज्ञापन इंडिया टुडे पत्रिका में भी प्रकाशित हुए थे।

- 24 और 26 नवंबर, 2023 को मीडिया को उद्घाटन और समापन दिवस की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। समाचार मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था।
- इस कार्यक्रम को विभिन्न रचनाकारों की मेजबानी तस्वीरों और लाइव ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय बनाया गया था।

(IV) एकसमान नामकरण – आईसीएआई की शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों के लिए नामकरण प्रारूप

क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के लिए नामकरण की एकरूपता और मानकीकरण के लिए, पीआर समिति आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के लिए अपने भवनों, पत्र शीर्षों और विजिटिंग कार्ड पर आईसीएआई का नाम प्रदर्शित करने के लिए नामकरण प्रस्तावित किया। सभी ब्रांडिंग उद्देश्यों के लिए इसे सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को परिचालित किया गया था।

(V) आगरा में मीडिया आवासीय बैठक

आईसीएआई की अपनी ब्रांड छवि को बढ़ाने और मीडिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए जनसंपर्क समिति ने 4 जून, 2023 को आगरा में मीडिया पेशेवरों के लिए एक दिवसीय आवासीय बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थान द्वारा समाधान किए गए विभिन्न प्रमुख मुद्दों के बारे में मीडिया को सूचित करना और राष्ट्र निर्माण में एक साझेदार के रूप में आईसीएआई की भूमिका और आर्थिक विकास में इसके योगदान पर जोर देना था। मीडिया आवासीय बैठक अत्यधिक सफल रही, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अग्रणी राष्ट्रीय मीडिया समूहों से लगभग उन्नीस प्रमुख मीडिया व्यक्तियों को आकर्षित किया। कई स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, घटना के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित किया गया और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

(VI) बी20 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ आईसीएआई की प्रमुख साझेदारी को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ

आईसीएआई बी20 के लिए, स्वयं को देश में लेखांकन वृत्ति और अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए लेखा परीक्षा, संवहनीयता रिपोर्टिंग मानकों और डिजिटल एकाउंटेंसी में एक नेता के रूप में स्थापित करने हेतु सीआईआई के साथ एक प्रमुख भागीदार बन गया था। इस साझेदारी के माध्यम से, आईसीएआई ईएसजी एक्शन काउंसिल का एक हिस्सा था और बी20 की विभिन्न नीति-निर्माण पहलों में शामिल था। सीआईआई कार्यक्रमों के दौरान, आईसीएआई के विभिन्न प्रतिनिधियों ने कार्यक्रमों/शिखर सम्मेलनों/सम्मेलनों में भाग लिया और विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर अंतर्दृष्टि दी। आईसीएआई को उनकी प्रचार सामग्री में ब्रांडिंग के अवसर प्रदान किए गए।

(VII) आईसीएआई ने 9 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया - 21 जून 2023

राष्ट्र निर्माण में एक स्थिर भागीदार के रूप में, आईसीएआई 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाता रहा है, जो अपने सदस्यों और छात्रों को अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आईसीएआई ने सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में 21 जून, 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। पिछली परंपराओं के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने और बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के साथ व्यापक संचार, दिशानिर्देश और प्रचार सामग्री साझा की गई थी। एक विशेष योग दिवस संदेश भी रिकार्ड किया गया और सभी सदस्यों को वितरित किया गया। नई दिल्ली में, उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) के सहयोग से इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक प्रमुख योग सत्र आयोजित किया गया था। सम्मानित योग गुरुओं ने सत्र का नेतृत्व किया, 350 से अधिक प्रतिभागियों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया, इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट किया गया था, जो देश भर के दर्शकों तक पहुंचा।

(VIII) लैपल पिन - आरसी और शाखाओं के प्रबंधन समिति के सदस्य

एक विशिष्ट पहचान बनाने, प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने और सभी हितधारकों के मन में एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए एक समान ब्रांडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदनुसार, पीआर समिति द्वारा यूनिफॉर्म लैपल पिन को डिजाइन और विकसित किया गया है और सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के 'प्रबंधन समिति के सदस्यों' को वितरित किया गया है।

(IX) बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड द्वारा आयोजित संवहनीय विश्व सम्मेलन

आईसीएआई भारत में संवहनीयता रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी संस्थान होने के नाते, बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड द्वारा आयोजित संवहनीय विश्व सम्मेलन के तीसरे संस्करण के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में जुड़ा हुआ है। दो दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में 20 और 21 जून 2023 को संपन्न हुआ। "सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञों, उद्योग नेताओं,

नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं के संगम का अवलोकन किया गया, जिसमें "जी-20 अध्यक्षता के साथ भारत की बड़ी छलांग" विषय पर चर्चा की गई।" माननीय केंद्रीय केबिनेट मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार, भारत सरकार। "20 जून, 2023 को पूर्ण सत्रों के मुख्य अतिथि थे। स्थायी विकास प्राप्त करने की दिशा में आईसीएआई पहलों को आगे बढ़ाते हुए, अध्यक्ष पीआर समिति और उपाध्यक्ष, संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी) ने "आईसीएआई : विश्वास का सृजन और संवहनीयता को साध्य बनाने" पर एक प्रमुख सत्र को संबोधित किया।"

(X) "ईएसजी कॉन्क्लेव - इंडिया एट सेंटर स्टेज" के लिए ईटी प्राइम के साथ मीडिया साझेदारी

आईसीएआई ने प्रचार और प्रसार के लिए मीडिया पार्टनर के रूप में ईटी प्राइम के साथ 8 जुलाई 2023 को मुंबई में ईएसजी कॉन्क्लेव - इंडिया एट सेंटर स्टेज का आयोजन किया। इस सहयोग के माध्यम से, आईसीएआई को व्यापक मीडिया कवरेज से लाभ हुआ, जिसमें ईटी प्राइम पर प्री-इवेंट प्रमोशन, आईसीएआई की संवहनीयता पहल पर एक संपादकीय लेखन, और इवेंट के वक्ताओं को चित्रित करने वाली कहानियों का साक्षात्कार शामिल है, जिन्होंने संवहनीयता की दिशा में आईसीएआई के योगदान को उजागर किया। इसके अतिरिक्त, ईटी प्राइम ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम का समर्थन किया और अपने प्लेटफॉर्म पर फिर से ट्वीट किया। इस मीडिया साझेदारी ने न केवल कॉन्क्लेव के लिए व्यापक दृश्यता सुनिश्चित की, बल्कि आईसीएआई को ईटी प्राइम के साथ एक मजबूत, दीर्घकालिक संबंध बनाने में भी मदद की, जो इकाॅनोमिक टाइम्स का एक ऑनलाइन विस्तृत व्यापार मंच है।

(XI) एक नई आईसीएआई कॉर्पोरेट फिल्म (2023-24) विकसित की गई।

विजुअल, सामग्री और लिपि के संदर्भ में दशक पुरानी आईसीएआई कॉर्पोरेट फिल्म को अद्यतन करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, पीआर समिति ने आईसीएआई की एक नई कॉर्पोरेट फिल्म विकसित करने का कार्य किया। पूरी निविदा प्रक्रिया के बाद, परियोजना के लिए एक एजेंसी का चयन किया गया था। विक्रेता के साथ समन्वय में स्क्रिप्ट पर काम किया गया और नई आईसीएआई कॉर्पोरेट फिल्म का निर्माण किया गया। यह आईसीएआई के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान प्रसारित किया गया था।

(XII) ईयर बुक : 2023-24

प्रत्येक वर्ष, आईसीएआई द्वारा वर्ष के दौरान अपनी समितियों/विभागों/क्षेत्रों और शाखाओं के माध्यम से की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रकाशन 'ईयर बुक' में प्रलेखित किया जाता है। पिछली परंपरा का अनुसरण करते हुए, पीआर समिति द्वारा वर्ष के दौरान आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा की गई गतिविधियों के अलावा विभिन्न समितियों/विभागों की सभी प्रमुख गतिविधियों, पहलों और उपलब्धियों का एक संकलन "ईयर बुक : 2023-24" प्रकाशित की गई थी।

(XIII) इंडिया टुडे- कॉफी टेबल बुक (2023-24)

हर वर्ष इंडिया टुडे ग्रुप एक विशेष कॉफी टेबल बुक (सीटीवी) निकालता है जिसे ए-लिस्टर्स, कॉन्क्लेव आमंत्रित व्यक्तियों और अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों को वितरित किया जाता है। इस कॉफी टेबल बुक की प्रतियां एयरपोर्ट लाउंज और प्रमुख बुक स्टोर पर भी रखी जाएंगी। संस्थान के ब्रांड निर्माण और उद्योग/मीडिया और हितधारकों को लक्षित करने के लिए इस संस्करण में आईसीएआई को बढ़ावा देने वाला एक दोहरा प्रसार विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

(XIV) 74वें आईसीएआई वार्षिक समारोह का प्रचार

- **प्रिंट मीडिया** - अर्ध-पृष्ठ रंगीन विज्ञापन प्रकाशित करके प्रिंट मीडिया के माध्यम से पीआर समिति द्वारा 74वें आईसीएआई वार्षिक समारोह का प्रचार प्रमुख प्रकाशनों में किया गया था।
- **आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर ऑडियो विजुअल** - वर्ष 2023-24 के दौरान आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को कवर करने वाले एवी की संकल्पना और विकास पीआर समिति द्वारा किया गया था। इसे आईसीएआई के वार्षिक समारोह के दौरान प्रसारित किया गया था।

(XV) हृदय रोगों की रोकथाम और तनाव प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम पर वेबिनार

"बेहतर निवारक उपायों के माध्यम से एक स्वस्थ समाज बनाने के उद्देश्य से, समिति ने एक विश्व-प्रसिद्ध कार्डियोवस्कुलर और कार्डियोथोरासिक सर्जन द्वारा "हृदय रोगों की रोकथाम और तनाव प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम" पर एक मेगा-मुक्त आभासी राष्ट्रव्यापी वेबिनार का आयोजन किया है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।" उन्होंने अंतर्दृष्टि दी और हृदय रोग/स्ट्रोक, आपातकालीन सहायता, और कार्डियो-पल्मोनरी

रिससिटेशन (सीपीआर) और तनाव प्रबंधन को रोकने के लिए पूर्वावधानी चरणों का प्रदर्शन किया। वेबिनार में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(XVI) बजट -2024 गतिविधियाँ

आज तक (हिंदी) समाचार चैनल पर एल-बैंड का प्रसार - ब्रांड बिलिंग की ओर, आईसीएआई योगदान को कैप्चर करने वाले आईसीएआई एल-बैंड को बजट दिवस पर माननीय वित्त मंत्री के लाइव भाषण के दौरान प्रमुख हिंदी समाचार चैनल-आज तक पर प्रसारित किया गया था। इसने आईसीएआई संचार को एक विविध जनसांख्यिकीय और क्षेत्र तक पहुंचने में मदद की, जो आम जनता के लिए ब्रांड आईसीएआई और पेशे की दृश्यता को बढ़ाता है।

(XVII) 17. नए पथप्रदर्शकों का चुनाव - 12 फरवरी 2024

12 फरवरी 2024 को आयोजित नए पथप्रदर्शकों के चुनाव के दौरान, जनसंपर्क समिति ने सदस्यों, हितधारकों और बड़े पैमाने पर जनता के बीच इस कार्यक्रम का प्रचार किया।

- सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-चुनाव परिणाम और शपथ ग्रहण समारोह वास्तविक समय में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था, इसके परिणामस्वरूप आईसीएआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म - फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड, यूट्यूब आदि पर पहुंच और दर्शक बढ़ गए। समारोह के दौरान फोटोग्राफ और शॉर्ट वीडियो सहित रीयल टाइम सोशल मीडिया पोस्ट भी पोस्ट किए गए।
- नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई की एक प्रेस विज्ञप्ति सभी मीडिया को जारी की गई थी जो हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदू बिजनेस लाइन, दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, ईटीसीएफओ, एनडीटीवी प्रोफिट और कई अन्य आदि जैसे 55 से अधिक प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशनों में कवर किया गया था। व्यापक प्रसार के लिए सभी आरसी और शाखाओं को भी जारी किया गया था।
- सोशल मीडिया के लिए क्रिएटिव बैनर और अखिल भारतीय सदस्यों को सूचना के लिए मास एसएमएस भी किए गए।
- शपथ ग्रहण समारोह के लिए थीम आधारित संपार्श्विक डिजाइन (बैकड्रॉप/स्टैंडी) भी समिति द्वारा विकसित किए गए थे।

(XVIII) वर्ष का पहला प्रेस सम्मेलन - 21 फरवरी 2024

जनसंपर्क समिति ने 21 फरवरी, 2024 को आईसीएआई प्रधान कार्यालय, दिल्ली में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मीडिया बातचीत की व्यवस्था की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द हिंदू बिजनेस लाइन, मिनट, इंडियन एक्सप्रेस, फॉर्च्यून, पीटीआई, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, एनबीटी, सीएनबीसी टीवी 18, आजतक, ज़ी बिजनेस और कई अन्य प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया जैसे 30 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशनों के मीडिया पेशेवरों ने भाग लिया। बातचीत के दौरान अध्यक्ष द्वारा साझा की गई जानकारी को व्यापक रूप से 100 से अधिक प्रकाशनों/ऑनलाइन पोर्टलों और टीवी चैनलों में कवर किया गया था।

(XIX) 9 और 10, मार्च, 2024 को कोलकाता में अखिल भारतीय प्रबंध समिति के सदस्यों की बैठक (एआईएमसीएमएम 2024) का प्रचार और प्रसार

- आईसीएआई ने कोलकाता में 9-10 मार्च, 2024 को 'दृष्टि' - विजन फॉर प्रोफेशन' विषय के अधीन अखिल भारतीय प्रबंध समिति की एक बैठक (एआईएमसीएमएम 2024) की मेजबानी की, जिसमें 180 से अधिक शहरों के 1200 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। सत्र में आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों, शाखाओं, अध्ययन मंडलों और चैप्टरों की पहलों को आईसीएआई के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- पीआर समिति द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक रूप से प्रचार किया गया था :

प्री-इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस - 8 मार्च, 2024 - कोलकाता में एक प्री-इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य 7 मार्च को आयोजित परिषद की बैठकों के दौरान एआईएमसीएमएम और किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देना था। सम्मेलन में 30 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशनों जैसे स्टेट्समैन, टेलीग्राफ, हिंदू बिजनेस लाइन, पीटीआई, एएनआई और विभिन्न अन्य क्षेत्रीय और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तत्पश्चात्, एक प्रेस विज्ञप्ति भी प्रसारित की गई जो व्यापक रूप से प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में कवर की गई थी।

प्रिंट विज्ञापन - घटना की दृश्यता को बढ़ाने के लिए और संस्थान की ब्रांडिंग के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय प्रकाशनों के

कोलकाता संस्करणों में एक आधा पृष्ठ का विज्ञापन जारी किया गया था।

थीम 'दृष्टि' पर ऑडियो विजुअल विकसित किया गया -- सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को वर्ष के लिए दृष्टि कथन 'दृष्टि' को स्पष्ट करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उजागर करने के लिए थीम दृष्टि पर समिति द्वारा एक ऑडियो विजुअल विकसित किया गया था जो डी-आर-आई-एस-एच-टी-आई के 7 स्तंभों के इर्द-गिर्द घूमता था, जिसमें डिजिटलाइजेशन (डी), अनुसंधान (आर), अखंडता (आई), कौशल (एस), हैंडहोल्डिंग (एच), पारदर्शिता (टी), और स्वतंत्रता (आई) से संबंधित अध्यक्ष, आईसीएआई की कार्य योजना और दृष्टि को शामिल किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एवी प्रसारित किया गया और सभी आरसी और शाखाओं के साथ भी साझा किया गया।

आईएमसीएमएम के लिए ब्रांडिंग कोलेटरल की डिजाइनिंग - समिति द्वारा बैकड्रॉप, इवेंट के लिए स्टैंडी भी विकसित की गई थी।

(XX) संस्थान की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों का प्रचार करने के लिए पूरे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया

संस्थान की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों के प्रचार के लिए, जनसंपर्क समिति ने लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जबलपुर और भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सम्मेलनों के दौरान, वर्ष के लिए कार्य योजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मीडिया के साथ साझा किया गया था। बातचीत के दौरान अध्यक्ष द्वारा साझा की गई जानकारी को प्रकाशन/ऑनलाइन पोर्टल और टीवी चैनलों में व्यापक रूप से कवर किया गया था।

(XXI) प्रेस विज्ञप्ति - शाखाओं के लिए अध्यक्ष का दौरा

आईसीएआई द्वारा की गई सभी नवीनतम पहलों को कवर करने वाले प्रेस विज्ञप्ति को अध्यक्ष के दौरे के लिए शाखाओं के साथ साझा किया गया था और समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पीआर समिति के निर्णय के अनुसार, क्षेत्रीय स्तर पर प्रेस बातचीत को आरसी/शाखाओं में संबंधित के साथ समन्वित किया जा रहा है।

(XXII) मीडिया द्वारा गलत रिपोर्टिंग के उत्तर में संपादक को पत्र

हाल के दिनों में, आईसीएआई को कुछ मीडिया रिपोर्टों का पता चला है जिसमें पेशे और उसके सदस्यों को प्रतिकूल ढंग से पेश किया गया है। आईसीएआई ने प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार छापने के तरीके पर कठोर टिप्पणी की, जिससे पेशे की बदनामी हुई। तदनुसार, समाचार पत्रों के संपादकों को पत्र जारी किए गए थे जिन्होंने प्रतिकूल रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती थी और जनता की नजर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे की छवि को धूमिल करती थी। प्रकाशनों को संबंधित मामले में उपयुक्त शुद्धिपत्र जारी करने के लिए कहा गया।

(XXIII) आईसीएआई प्रोफाइल का सुधार - 2023-24

आईसीएआई प्रोफाइल को संस्थान की महत्वपूर्ण पहलों/उपलब्धियों से संबंधित अतिरिक्त मामलों को शामिल करके नया रूप दिया गया था। आईसीएआई के 75 वर्षों के लोगो के अनुसार कवर पेज और प्रोफाइल का विषय बदल दिया गया था। जीएलओपीसी कार्यक्रम के दौरान संशोधित आईसीएआई प्रोफाइल प्रतियां वितरित की गईं।

(XXIV) 100वीं लोक संपर्क समिति की बैठक

जनसंपर्क समिति एक ऐतिहासिक मील के पत्थर तक पहुंच गई और 10 फरवरी, 2024 को अपनी 100वीं बैठक का आयोजन किया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम को मनाने के लिए, समिति की यात्रा का पता लगाने और परिषद वर्ष 2023-24 के दौरान समिति द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियों की पुस्तिका के लिए एक एवी बनाया गया था।

6.19 अनुसंधान समिति

1955 में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अनुसंधान समिति सबसे पुरानी तकनीकी समितियों में से एक है। इसका लक्ष्य एक ऐसी अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना है जो पेशे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाती है। अनुसंधान समिति का प्राथमिक उद्देश्य पेशे और व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति का संवर्धन और बढ़ावा देना है। इसमें पेशे, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, शिक्षा प्रणाली और व्यावसायिक वातावरण से संबंधित विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करना शामिल है। समिति वाणिज्य, व्यापार और उद्योग, अर्थव्यवस्था, लेखांकन और संबद्ध क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में अध्ययन करती है और सूचित नीति ढांचे के लिए सरकार के साथ निष्कर्ष साझा करती है। यह शासन और व्यावसायिक हितों में अनुसंधान-आधारित सुधारों की सिफारिश करके सरकारी मंत्रालयों और संस्थानों का समर्थन करती है। यह लेखांकन और संबद्ध विषयों पर अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता की भी सिफारिश करती है, सरकारी मिशनों की सफलता दरों पर अनुसंधान करती है, और उद्योग-विशिष्ट क्षेत्रों की खोज करती है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए

आईसीएआई के भीतर अन्य समितियों, निदेशालयों और बोर्डों के समर्थन और सहयोग से पेशेवर हित, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि और प्रगति के लिए संयुक्त अनुसंधान आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समिति का उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक वातावरण बनाना है।

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार 2022-23

रिपोर्टिंग व्यवहारों के अत्यधिक महत्व को पहचानने और मूल्यांकन करने के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1958 से रिपोर्टिंग विनियमों, लेखा नीतियों, सिद्धांतों और अन्य प्रकटीकरण प्रावधानों का पालन करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने और पुरस्कृत करने के लिए 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' का आयोजन कर रहा है। निर्दिष्ट श्रेणियों में पुरस्कृत लोगों का चयन एक मजबूत त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 के लिए जूरी की बैठक की अध्यक्षता श्रीमती सोमा मंडल, सदस्य, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा की गई थी। वर्ष 2022-23 के लिए पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह 13 जनवरी, 2024 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे तथा माननीय कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया। कुल 15 पुरस्कार – एक गोल्ड शील्ड, चार चांदी शील्ड और दस प्लेक दिए गए।

(II) अनुसंधान विद्वानों की मान्यता

आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार 2023

"

2020 से, अनुसंधान समिति नवाचार को बढ़ावा देने के लिए "आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार" का आयोजन कर रही है।" ये पुरस्कार लेखांकन, लेखा परीक्षा, अर्थशास्त्र, वित्त और कराधान के क्षेत्र में दुनिया भर के पेशेवरों को मान्यता देते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। पुरस्कारों को दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में माना जा सकता है। 'आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च अवार्ड्स 2023' के लिए जूरी की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, एडिनबर्ग ग्रुप (2023) द्वारा की गई थी। जूरी के अन्य सदस्य थे : उपाध्यक्ष, अनुसंधान मार्गदर्शन और समर्थन, सीपीए कनाडा (2023), सचिव, आसियान लेखाकार महासंघ (2023), अध्यक्ष, आईसीएआई (2023-24) और उपाध्यक्ष, आईसीएआई (2023-24)। पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 19 अक्टूबर, 2023 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। कुल 15 पुरस्कार पांच श्रेणियों में दिए गए थे अर्थात् 5 गोल्ड शील्ड, 5 सिल्वर शील्ड और 5 कांस्य शील्ड।

(III) अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कीमें

आईसीएआई डॉक्टरल स्कॉलरशिप स्कीम

आईसीएआई डॉक्टरल स्कॉलरशिप स्कीम में शैक्षिक योगदान, बौद्धिक जिज्ञासा और शैक्षिक योगदान देने के लिए आवश्यक अनुशासन के साथ पात्र उम्मीदवारों को मासिक छात्रवृत्ति के माध्यम से अपेक्षित सहायता प्रदान करना है। यह योजना आईसीएआई के उन सदस्यों के लिए खुली है जो 40 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हैं, जो अपनी उपस्थिति और कक्षाओं के लिए पीएचडी करते समय विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए और किसी अन्य संस्थान से ऐसी कोई छात्रवृत्ति नहीं लेनी चाहिए। अधिकतम 5 विद्वानों के लिए 3 वर्षों के लिए प्रति माह 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम

2020 में आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम का शुभारंभ समकालीन विषयों पर गहन शोध करने में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए अनुसंधान समिति की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो अंततः लेखांकन और इसके संबंधित विषय के क्षेत्र में प्रगति का संवर्धन करता है। आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसका उद्देश्य या तो व्यवहार में या रोजगार में 10 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले सदस्यों द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अनुभवी अनुसंधान विद्वानों द्वारा किसी भी संदर्भित पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र

होने के लिए की जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं को निधि देना है। अनुसंधान व्यय के रूप में अधिकतम राशि 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुसंधान समिति द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद शोधकर्ताओं को 6 महीने के भीतर अनुसंधान परियोजना को पूरा करना आवश्यक है। यह स्कीम पूरे वर्ष खुली है।

इसके प्रारंभ के पश्चात् से, इस योजना के अधीन विभिन्न परियोजनाओं को निम्नानुसार आरंभ और पूरा किया गया है -

- राज्य के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आंतरिक नियंत्रण मैनुअल तैयार करने के लिए एक अध्ययन
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वित्तीय प्रदर्शन पर डिजिटल परिवर्तन रणनीतियों का प्रभाव
- भारतीय कंपनियां ऑस्ट्रेलिया को आपूर्ति शृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकती हैं?
- कर निश्चितता की ओर इंचिंग : सीमा पार कराधान के लिए आधुनिक घरेलू विवाद तंत्र
- गैर-महानगरीय क्षेत्रों और चयनित महानगरीय क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप का विश्लेषण और मूल्यांकन-एक अनकही कहानी
- भारत में बहु-राज्य शहरी सहकारी ऋण समितियों "के माध्यम से" धन शोधन और घोटाले
- नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी परिपत्रों के कराधान पहलू- आईआरडीए परिपत्रों का एक अध्ययन
- प्रभावहीन कर्मचारी पर वैज्ञानिक ध्यान के प्रभाव का मूल्यांकन करना : एक बहुराष्ट्रीय अध्ययन
- जोखिम प्रबंधन को संबोधित करने में लेखा परीक्षकों और सीएफओ की उभरती भूमिका : एक नया परिप्रेक्ष्य
- स्टार्ट-अप के लिए वित्त और कर साक्षरता
- अनिवासी कलाकारों या खिलाड़ियों पर कराधान - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

इसके अलावा, कुछ परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

आईसीएआई अल्पकालिक अनुसंधान अध्ययन 2023

अनुसंधान समिति ने नवीन और अल्पकालिक अनुसंधान परियोजनाओं की अगुवाई करने के लिए 2023 में अल्पकालिक अनुसंधान अध्ययन योजना शुरू की है जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों में सफलता मिल सकती है। यह योजना विभिन्न समकालीन विषयों पर नए विचारों, नवीन अनुसंधान निष्कर्षों और विचारोत्तेजक अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। अनुसंधान डोमेन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले और पीएचडी धारक आवेदक को वरीयता दी जाएगी। 1,00,000 रुपये का अनुमेय मानदेय किया जाएगा। अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवेदकों को तीन महीने की समय अवधि दी जाएगी। यह योजना पूरे वर्ष खुली है। "इस योजना के अधीन एक नई अनुसंधान पहलू "वन सीए - वन डिस्ट्रिक्ट - वन रिसर्च" नामक अनुसंधान समिति द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों में पिछड़ रहे जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके की जा रही है।" कुछ जिलों की पहचान की गई है और उन जिलों में स्थित आईसीएआई के सदस्यों से अल्पकालिक अनुसंधान अध्ययन योजना के अधीन अनुसंधान अध्ययन करने के लिए संपर्क किया गया है।

निम्नलिखित विषयों पर स्कीम के अधीन चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जो प्रगति पर हैं -

- आरईआईटी एंडएएमपी ; भारत में इसके उभरते दायरे
- एआई संपरीक्षा क्रांति : संपरीक्षा और लेखा व्यवहार में अवसरों और चुनौतियों की खोज करना
- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक मामलों का अध्ययन और अग्रिम पथ
- धुबरी जिले की विकास दुविधा और इसके समावेशी विकास के लिए रोडमैप को डिकोड करना

(IV) क्षमता निर्माण पहलू

- समिति ने अनुसंधान प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के बीच बातचीत और ज्ञान के आदान-प्रदान

के लिए एक मंच की सुविधा हेतु 17 मई 2024 को नई दिल्ली में "विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ शिक्षाविदों की बैठक" का आयोजन किया था। अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह बैठक वृत्ति और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए सामूहिक समझ और वृहद रूप से अग्रिम अनुसंधान प्रयासों को समृद्ध करने का अवसर साबित हुई। इस बैठक में देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक स्कूलों के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, अनुसंधान समिति, आईसीएआई और अन्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों, आईसीएआई की उपस्थिति को चिह्नित किया गया।

- "अनुसंधान प्रगति पर पारस्परिक चर्चा" का आयोजन 29 मई 2024 को आईसीएआई भवन, नई दिल्ली में पीएचडी धारक प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ समग्र रूप से वृत्ति और अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अनुसंधान में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।" अनुसंधान पृष्ठभूमि वाले देश भर के चार्टर्ड एकाउंटेंट अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने वाली वृत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान के नए क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, अनुसंधान समिति, आईसीएआई और अन्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों, आईसीएआई की उपस्थिति को चिह्नित किया गया।
- समिति ने 25 जून 2024 को आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली में "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता पर पारस्परिक चर्चा" का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन रिपोर्टिंग की तैयारी पर मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था कि सामान्य त्रुटियों से कैसे बचा जाए और वित्तीय और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग में उभरती प्रवृत्तियों के साथ अद्यतन किया जाए। इस अवसर पर, यह जोर दिया गया था कि आईसीएआई का मानना है कि रिपोर्टिंग का महत्व संगठन को पर्याप्त मूल्य जोड़ने में निहित है, जिससे देश और उससे परे सम्मान और विश्वास अर्जित होता है। रिपोर्टों की अखंडता और गुणवत्ता बाजार की गतिशीलता, निवेशक विश्वास और आर्थिक संवहनीयता को सीधे प्रभावित करती है। इसलिए, कठोर प्रकटीकरण मानकों का पालन केवल एक नियामक दायित्व नहीं है, बल्कि नैतिक व्यावसायिक व्यवहारों की एक आधारशिला है। इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, अनुसंधान समिति, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, अनुसंधान समिति, आईसीएआई (वर्चुअल) की उपस्थिति दर्ज की गई।

(V) सेमिनार/कार्यशालाएं/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/राष्ट्रीय सम्मेलन/वेबिनार

समिति ने, वृत्तिकों और शोधकर्ताओं की दक्षता के लिए विभिन्न संवादात्मक ज्ञान साझा करने वाली संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, चर्चाओं, बैठकों आदि का आयोजन किया था। 5 सेमिनार, 1 कार्यशाला, 4 आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और 3 राष्ट्रीय सम्मेलन इस अवधि के दौरान समिति द्वारा लेखांकन विचलन को समझने और संभालने जैसे विषयों पर आयोजित किए गए थे : आर्थिक और कानूनी प्रणाली के हितधारकों के बीच के अंतर को पाटना, प्रत्यक्ष कर के क्षेत्रों में अनुसंधान निष्कर्ष, जीएसटी और आयकर के क्षेत्रों में अनुसंधान निष्कर्ष, पूंजी बाजार के क्षेत्रों में अनुसंधान निष्कर्ष आदि। "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता की श्रृंखला - सीखे गए सबक, सर्वोत्तम प्रथाएं और आमतौर पर विभिन्न उद्योगों के लिए पाई जाने वाली त्रुटियां, अनुसंधान कार्यप्रणाली पर श्रृंखला, वित्तीय रिपोर्टिंग सहनशक्ति : वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए सामान्य त्रुटियों को उजागर करना और उत्कृष्टता मार्गदर्शन : उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के डीएनए की जांच करना"।

(VI) लाइव पैनल चर्चा

22 मार्च, 2024 से, समिति समकालीन विषयों पर साप्ताहिक लाइव पैनल चर्चा आयोजित कर रही है जो निरंतर सीखने और विकास को प्रोत्साहित करती है, जो नवाचार को प्रोत्साहित करती है और अनुसंधान के लिए नई संभावनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। ये पहल अनुसंधानकर्ताओं, संस्थानों और उद्योगों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को भी बढ़ावा देती हैं। कवर किए गए विषयों में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग में उभरती प्रवृत्तियां : 2024 अद्यतनीकरण, संवहनीयता रिपोर्टिंग : ईएसजी मेट्रिक्स को वित्तीय प्रकटीकरण में अनुसंधान के संबंध में एकीकृत करना, वित्तीय रिपोर्टिंग में चुनौती और समाधान : एमएसएमई क्षेत्र में एक अनुसंधान परिप्रेक्ष्य, एकीकृत रिपोर्टिंग : वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रदर्शन को जोड़ना, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका : एक अनुसंधान परिप्रेक्ष्य, रिपोर्टिंग व्यवहारों में कर निहितार्थ : एक अनुसंधान परिप्रेक्ष्य, प्रकटीकरण परिदृश्य का मार्गदर्शन करना : वार्षिक रिपोर्ट, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण में सर्वोत्तम व्यवहार : वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय खंडों को डिजाइन करने में वार्षिक रिपोर्ट प्रकटीकरण, रुझानों और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना, वार्षिक रिपोर्ट में गैर-वित्तीय प्रकटीकरण की खोज करना, चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए अर्थव्यवस्था में शिक्षा की भूमिका और भविष्य के लिए मानव पूंजी का निर्माण करना (एक अनुसंधान परिप्रेक्ष्य) आदि।

(VIII) प्रगतिशील परियोजना

- भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग व्यवहार
- परिसमापन लेखांकन
- डिजिटल आस्तियों के लिए लेखांकन
- सार्वजनिक खरीद के लिए संसाधन सामग्री
- सूक्ष्म उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने में मुद्रा और पीएमएमवाई का एक खोजपूर्ण विश्लेषण
- आरईआटी और भारत में इसके उभरते दायरे
- एआई संपरीक्षा क्रांति : संपरीक्षा और लेखांकन व्यवहार में अवसरों और चुनौतियों की खोज करना
- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक मामलों का अध्ययन और अग्र मार्ग
- धुबरी जिले की विकास दुविधा और इसके समावेशी विकास के लिए रोडमैप को डिकोड करना

(VII) वर्ष के दौरान जारी प्रकाशन

- वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता पर केस स्टडीज
- रिपोर्टिंग व्यवहारों में आमतौर पर पाई गई त्रुटियां
- अनिवासी कलाकारों या खिलाड़ियों पर कराधान - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर (आईसीएआई अनुसंधान परियोजना योजना के अधीन)
- भारत में सामाजिक वित्त में क्रांति लाने के लिए सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) की उत्प्रेरक क्षमता का उपयोग करने और रणनीतिक रूप से उपयोग करने के लिए उपकरणों की जांच करना (अल्पकालिक अनुसंधान अध्ययनों के अधीन)

6.20 संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की सतत और आर्थिक विकास की दिशा में देश की सेवा की एक मजबूत परंपरा है। आईसीएआई सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में संवहनीयता रिपोर्टिंग और सोच को मुख्यधारा के व्यावसायिक व्यवहारों के भीतर लाने का प्रयास करता है। आईसीएआई एसआरएसबी के माध्यम से न केवल संवहनीयता रिपोर्टिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अवसरों की पहचान करने और विकसित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है, बल्कि कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करके सदस्यों को ज्ञान, अपस्किल और प्रशिक्षित करने के लिए भी सक्रिय कदम उठा रहा है, संवहनीयता डोमेन के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी साहित्य प्रकाशित कर रहा है। इसके अलावा, देश में संवहनीयता रिपोर्टिंग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, जिससे हरित निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था होगी, संस्थान दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर रहा है। सबसे पहले, मौजूदा लेखांकन और संवहनीयता से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को बढ़ावा देना। दूसरे, संवहनीयता से संबंधित जोखिमों और कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग के बीच एक ठोस पुल बनाने के लिए आश्वासन ढांचे को मजबूत करना।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदार की दिशा में पहल

प्रतिभूति बाजार के भीतर जिम्मेदार और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने की खोज में, हमारे सम्मानित बोर्ड पूरे परिषद वर्ष में कई पहलों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हमने ईएसजी विचारों पर सेबी के परामर्श पत्र पर व्यापक रूप से प्रतिक्रिया दी, जो चल रहे प्रवचन में विचारपूर्वक योगदान देता है। लेखांकन वृत्ति और संवहनीयता/ईएसजी पहलुओं में लैंगिक समानता पर सर्वेक्षण प्रस्तुत किए गए, जो अंकटाड के नेतृत्व में वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित थे। सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर गैर-लाभकारी संगठनों के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से नाबाई और सेबी सहित प्रमुख विनियामकों के साथ रणनीतिक बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, हमारे अध्यक्ष ने संवहनीयता मानक सलाहकार मंच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वैश्विक रूप से स्वीकृत संवहनीयता प्रकटीकरण मानकों के विकास के लिए इनपुट में योगदान देता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पारस्परिक सत्र और प्रभावशाली प्रस्तुतियां वित्तीय परिदृश्य के भीतर नैतिक, जिम्मेदार और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को

रेखांकित करती हैं। ये प्रयास सामूहिक रूप से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एक सच्चा भागीदार होने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं।

• **प्रस्तुत टिप्पणियां :**

"सेबी ने "प्रतिभूति बाजार के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रेटिंग प्रदाताओं" और "ईएसजी प्रकटीकरण, रेटिंग और निवेश" पर परामर्श पत्र जारी किया है।" इस पहल के उत्तर में, हमारे सम्मानित बोर्ड ने परिश्रम से कागजात पर अपनी टिप्पणियां प्रदान की हैं। इन टिप्पणियों को प्रतिभूति बाजार के भीतर ईएसजी विचारों के अभिन्न मामले के आसपास चल रहे प्रवचन और विचार-विमर्श में योगदान देने के लिए विचारपूर्वक व्यक्त किया गया है।

• **सर्वेक्षण :**

- लेखांकन वृत्ति में लैंगिक समानता पर सर्वेक्षण प्रस्तुत किया - भारत का सर्वेक्षण जहां यूएनसीटीएडी सभी क्षेत्रों के प्रमुख समकक्षों तक पहुंच रहा है और उन्हें सर्वेक्षणों का उत्तर देने के लिए आमंत्रित कर रहा है। इसके अलावा, यूएनसीटीएडी अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से संपर्क कर रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षणों को प्रासंगिक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या वैश्विक समकक्षों के साथ साझा करके सहायता प्रदान कर सकते हैं जो सर्वेक्षणों का उत्तर दे सकते हैं।
- बोर्ड ने आईसीएआई - एसआरएसबी संवहनीयता यात्रा के हिस्से के रूप में आईसीएआई सदस्यों और एसएएफए सदस्यों के लिए संवहनीयता और ईएसजी पहलुओं पर एक सर्वेक्षण साझा किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य सीए वृत्तिकों की व्यवसायी भूमिकाओं में संवहनीयता और ईएसजी विचारों के बारे में जागरूकता, दृष्टिकोण और व्यवहारों का आकलन करना था।

• **विनियामकों और अन्य वृत्तिक निकायों के साथ बैठक**

- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर पंजीकृत एनपीओ के क्षमता निर्माण के लिए एक समूह बनाने के लिए 11 सितंबर 2023 को नाबार्ड के साथ एक बैठक की थी।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक पारस्परिक बैठक भी की थी।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी संवहनीयता मानक सलाहकार मंच (एसएसएएफ) का सदस्य है और सार्वजनिक हित में, उच्च-गुणवत्ता, समझे जाने योग्य, लागू करने योग्य और वैश्विक रूप से स्वीकृत संवहनीयता प्रकटीकरण मानकों के विकास के लिए इनपुट साझा करने के लिए हर तिमाही में फोरम की बैठकों में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में एक बैठक में भाग लिया और आईसीएआई से क्षेत्र संवहनीयता से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का अनुरोध भी किया गया है।

• **क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने सामाजिक संपरीक्षा और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर व्याख्यान दिए।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने 04 जून, 2023 को आगरा में आईसीएआई की जनसंपर्क समिति द्वारा आयोजित मीडिया आवासीय बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने 6 जून, 2023 को संवहनीयता रिपोर्टिंग और आश्वासन पर समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की।

• **पारस्परिकता सत्र**

"एसआरएसबी ने संवहनीयता और संबंधित क्षेत्रों अर्थात् एशिया-प्रशांत जलवायु और संवहनीयता रिपोर्टिंग शिखर सम्मेलन, पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन रिपोर्टिंग पर प्रस्तुतियां तैयार की थीं : स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप और वित्तीय रिपोर्टिंग की खोज करना, सामाजिक लेखा परीक्षा संस्थान स्थापित करने में आईसीएआई का अनुभव, "संवहनीयता रिपोर्टिंग कार्यान्वयन मुद्दों, क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन मार्गदर्शन पर आईएफएएसएस पैनल चर्चा, अपने क्षितिज का विस्तार करें- एसआरएसबी और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित इनपुट और एसआरएसबी की पहल और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बैठक में भाग लेने वाले सीसीएम के लिए जलवायु कार्रवाई।"

(II) महत्वपूर्ण कार्यक्रम (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय)

अंतर्राष्ट्रीय

- उपलब्धि : आईसीएआई को विश्व निवेश मंच 2023 में प्रतिष्ठित यूएनसीटीएडी आईएसएआर सम्मान पुरस्कार की प्राप्ति

संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी) को अबू धाबी में 17 अक्टूबर 2023 को विश्व निवेश मंच पर यूएनसीटीएडी आईएसएआर सम्मान समारोह में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ। आईसीएआई को पूरे विश्व से 70 वैश्विक पहलों में आईएसएआर सम्मान के इस वर्ष के सत्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। आईएसएआर सतत विकास के लिए 2030 के की कार्यसूची के कार्यान्वयन और इस क्षेत्र में अच्छे व्यवहारों को सुकर बनाने के लिए उद्यमों को उनके योगदान पर डेटा प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए नीति, संस्थागत और क्षमता-निर्माण पहल को सम्मानित करता है।

राष्ट्रीय

- आईसीएआई संवहनीयता रिपोर्टिंग पुरस्कार 2022-23

आईसीएआई संवहनीयता रिपोर्टिंग पुरस्कार 2022-23 और अंतर्राष्ट्रीय संवहनीयता रिपोर्टिंग पुरस्कार 2022-23: एसआरएसबी ने 20 दिसंबर, 2023 को मुंबई में आयोजित एक शानदार समारोह में 'आईसीएआई संवहनीयता रिपोर्टिंग पुरस्कार एंड अंतर्राष्ट्रीय संवहनीयता रिपोर्टिंग अवाइर्स' नामक वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता के माध्यम से व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग, संवहनीयता रिपोर्टिंग नेतृत्व और सर्वोत्तम संवहनीयता रिपोर्टिंग संव्यवहारों की दिशा में कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए पुरस्कार प्रस्तुति समारोह का आयोजन किया। पुरस्कार प्रस्तुति समारोह से पहले संवहनीयता में नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यक्रम किया गया था। मुंबई के जीवंत शहर में आयोजित समारोह ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग, संवहनीयता रिपोर्टिंग नेतृत्व, और अनुकरणीय संवहनीयता रिपोर्टिंग संव्यवहारों के लिए कंपनियों द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और सम्मानित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों की एक श्रृंखला शामिल थी, प्रत्येक ने संवहनीयता के क्षेत्र में व्यवसायों द्वारा किए गए विभिन्न योगदान को स्वीकार किया। इनमें व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग, संवहनीयता रिपोर्टिंग नेतृत्व, जलवायु कार्रवाई रिपोर्टिंग और लिंग समानता में उत्कृष्टता शामिल थी - कॉर्पोरेट दुनिया में संवहनीय व्यवहारों की बहुआयामी प्रकृति का एक विधान।

कुल 113 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से 19 कंपनियों को ऊपर उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया था। 500 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लेने वाले पुरस्कार प्रस्तुति समारोह में स्थायी व्यवहारों के लिए व्यवसायों की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया गया। संस्थान ने इस वर्ष 'आईसीएआई संवहनीयता रिपोर्टिंग अवाइर्स एंड अंतर्राष्ट्रीय संवहनीयता रिपोर्टिंग अवाइर्स' नामक वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता के माध्यम से व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्टिंग, संवहनीयता रिपोर्टिंग नेतृत्व और सर्वोत्तम संवहनीयता रिपोर्टिंग व्यवहारों की दिशा में कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को पहचानने के लिए पुरस्कार प्रस्तुति समारोह का आयोजन किया। पुरस्कार जूरी में एमडी और सीईओ, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (जूरी अध्यक्ष), पद्मा श्री., क्षेत्रीय अध्यक्ष - जॉन कोकरिल गुप, जीआरआई क्षेत्रीय हब दक्षिण एशिया, प्रबंध निदेशक - एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सह-संस्थापक और एमडी, हीरानंदानी गुप, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री, निदेशक निवेश अनुसंधान, यूएनसीटीएडी, निवेश और उद्यम के आर्थिक मामलों के अधिकारी डिवीजन, यूएनसीटीएडी जैसे दुनिया भर में प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने परिश्रमपूर्वक और सर्वसम्मति से पुरस्कार विजेताओं के नामों को अंतिम रूप दिया।

पुरस्कार प्रस्तुति समारोह के मुख्य अतिथि एमडी और सीईओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार समारोह में स्थायी व्यवहारों के लिए व्यवसायियों द्वारा किए गए विविध योगदान को स्वीकार करने वाली श्रेणियों की एक श्रृंखला शामिल थी। आईसीएआई संवहनीयता रिपोर्टिंग पुरस्कार और प्रथम सीए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में अपने संबोधन में, उन्होंने पूंजीवाद के स्तंभ के रूप में लेखांकन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने विश्वास के महत्व को स्पष्ट किया, इस बात पर जोर दिया कि कंपनी की संपत्ति और मुनाफे की स्पष्ट समझ विश्वास के निर्माण और अनुरक्षण के लिए मौलिक है। सहयोग के समर्थक के रूप में, उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और आईसीएआई को आपसी समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने संवहनीयता और देश के विकास के बीच अभिन्न संबंध के बारे में भावनात्मक रूप से बात की। उन्होंने पर्यावरणीय कारकों के महत्व पर प्रकाश डाला, यह आग्रह करते हुए कि वे देश जो अपनी जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने में सक्षम हैं, दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए तैयार हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी पुनर्परिचालित अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की भूमिका को स्वीकार करते हुए, उन्होंने हमारे देश में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करते हुए, समावेशी होने की आवश्यकता पर जोर दिया।

• संवहनीयता में नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यक्रम | महिला और पूंजी बाजार

"एनएसई एक्सचेंज प्लाजा, बीकेसी मुंबई में 20 दिसंबर 2023 को "संवहनीयता और पूंजी बाजार में नेतृत्व" पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।" विषय था संवहनीयता : ईएसजी | जैव विविधता | गोलाकार अर्थव्यवस्था | वैश्विक रिपोर्टिंग | आश्वासन | प्रतिष्ठित वक्ता जैसे - ग्लोबल हेड, ऑडिट रिस्क एंड ईएसजी, वोकहार्ट लिमिटेड, ओएसडी, सीएसआईआर और पूर्व निदेशक, सीएसआईआर - नीरी, सीएफओ, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, सीएफओ, यस बैंक लिमिटेड, उपाध्यक्ष-एसआरएसबी, अध्यक्ष- आईएसएआई और तत्काल पूर्व अध्यक्ष - आईसीएआई के साथ सीएसजी के लिए अवसर एक पैनल मॉडरेटर के रूप में और ट्रेक 2- वर्तमान अस्थिर परिदृश्य में पूंजी बाजार में स्मार्ट निवेश जैसे कि प्रबंध संपादक, जी बिजनेस, एमडी और सीईओ, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और केंद्रीय परिषद के सदस्य- पैनल मॉडरेटर जहां 300 से अधिक सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए।

• ईएसजी कॉन्क्लेव

ईएसजी कॉन्क्लेव- भारत केंद्र स्तर पर 8 जुलाई, 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीआरआई ढांचे, डीमिस्टिफाइंग बीआरएसआर, सतत निवेश और हरित वित्त, स्थायी आपूर्ति श्रृंखला और गोलाकार अर्थव्यवस्था का निर्माण, ईएसजी रेटिंग, ईएसजी और संवहनीयता में सीए की भूमिका आदि के बारे में सदस्यों के बीच ज्ञान और जागरूकता का प्रसार करना था। लोक उद्यम चयन बोर्ड, भारत के सदस्य ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जहां इस कार्यक्रम के लिए 100 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण किया है और दुनिया भर के विभिन्न प्रतिष्ठित वक्ताओं ने उपरोक्त विषयों पर अपनी मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की।

• ईएसजी गोलमेज बैठक

ईएसजी और संवहनीयता पर ईएसजी गोलमेज बैठक : सीए के लिए अवसर 30 मार्च 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया था। आउटरीच कार्यक्रम में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर), कार्बन तटस्थता के लिए रोडमैप, दुनिया भर में एसआरएसबी और ईएसजी की पहल और जीसीआई पर तकनीकी सत्र शामिल थे। अध्यक्ष एसआरएसबी ने भारत में संवहनीयता रिपोर्टिंग की पहल के बारे में अवगत कराया। पैनल चर्चा के लिए प्रख्यात वक्ता उपाध्यक्ष, एसआरएसबी, उपाध्यक्ष, सीएपीए और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, निवेश अनुसंधान यूएनसीटीएडी और वीपी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थे। निदेशक, निवेश अनुसंधान यूएनसीटीएडी ने आबू धाबी में अक्टूबर में विश्व निवेश मंच पर बोलने का स्थान और एक मानार्थ स्टॉल की पेशकश की है।

(III) सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें

संगोष्ठियां/वेबीनार

बोर्ड ने संवहनीयता को स्पष्ट करने संबंधी विषयों - ईएसजी, एसएसजी और सामाजिक लेखा परीक्षा में अवसर, संवहनीयता : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नवोदित क्षेत्र, संवहनीयता और ईएसजी का विकास और अवलोकन, सीए की भूमिका, सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर सामाजिक उद्यमों का रजिस्ट्रीकरण और उन्हें सूचीबद्ध करना, संवहनीयता रिपोर्टिंग परिदृश्य और नए विकास, कार्बन लेखांकन और ऑफसेटिंग, भारत में संवहनीयता परिदृश्य को प्रभावित करने वाले वैश्विक ढांचे, स्काई-हाई सिम्पोजियम 95- ग्रीनहाउस गैस लेखांकन पर एक गतिशील ऑनलाइन वेबीनार आदि से 4 संगोष्ठी और 6 वेबीनार आयोजित किए।

• संवहनीय जागरूकता अभियान

- आईसीएआई के 75 वें वर्ष के अवसर पर, बोर्ड ने 1 जुलाई 2023 को "हर घर संवहनीयता" नामक एक वीडियो लॉन्च किया, ताकि यह जागरूकता फैलाई जा सके कि एक परिवार अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में कैसे संवहनीयता को अपना सकता है।
- बोर्ड संवहनीयता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संवहनीयता सप्ताह मनाते हुए जहां स्थायी विकास के प्रमुख स्तंभों के आसपास केंद्रित गतिविधियों की एक श्रृंखला - 5 पीएस (ग्रह, जनता, समृद्धि, शांति, साझेदारी) जिसमें रक्तदान शिविर, संवहनीयता स्किट, वृक्षारोपण और शाखाओं/आरसी में वस्त्र और खाद्य वितरण शामिल है।

- संवहनीयता की तलाश में, बोर्ड एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वीडियो आरंभ करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें हरित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय संस्कृति के सार को जोड़ा गया है। यह पहल एक स्थायी और जीवंत कल के लिए परंपरा और नवाचार के सामंजस्य के लिए हमारे समर्पण को दर्शाएगी।
- आईसीएआई की पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यूआईआरसी) ने 15 और 16 दिसंबर, 2023 को नेस्को, गोरेगांव, मुंबई में “37वें क्षेत्रीय सम्मेलन” और “सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन” में संवहनीयता और ईएसजी पर संवहनीयता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया, जहां क्रमशः 1500 से अधिक सदस्य और 3000 छात्र उपस्थित थे।

- **एसडीजी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम**

- योग और ध्यान अभियान
- वृक्षारोपण अभियान
- कपड़े और खाद्य वितरण अभियान

- **संवहनीयता और बीआरएसआर संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

बोर्ड ने सेबी की नवीनतम अपेक्षाओं के अनुसार संवहनीयता और बीआरएसआर रिपोर्टिंग में विभिन्न विकास के बाद संवहनीयता और बीआरएसआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। पाठ्यक्रम की अवधि को भी 5 दिन से बढ़ाकर 8 दिन कर दिया गया है (20 घंटे से बढ़ाकर 30 घंटे कर दिया गया है)। बोर्ड ने क्रमशः 139, 64 और 166 प्रतिभागियों के साथ संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार संवहनीयता और बीआरएसआर के ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 20वें, 21वें और 22वें बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब तक, 22 बैच सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं और लगभग 1900 प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया है। इसके अलावा, बीआरएसआर पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम सामग्री में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

(IV) बोर्ड द्वारा वस्तुओं की तकनीकी विधीक्षा

शैक्षिक कठोरता और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और क्षेत्र के भीतर ज्ञान को आगे बढ़ाने और गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्पण के हिस्से के रूप में, बोर्ड आईसीएआई के प्रतिष्ठित संपादकीय बोर्ड द्वारा साझा किए गए लेखों की तकनीकी विधीक्षा में सक्रिय रूप से लगा है।

उद्देश्य : इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे मंच के माध्यम से प्रसारित विद्वतापूर्ण सामग्री उच्चतम तकनीकी गुणवत्ता की है और हमारे अनुशासन के संवर्धन में सार्थक योगदान देती है।

डोमेन की छानबीन : संवीक्षा के अधीन लेख तकनीकी डोमेन की एक विविध श्रृंखला को सम्मिलित करते हैं, जो संवहनीयता क्षेत्र के भीतर बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन डोमेन में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

- **हरित वित्त और संवहनीयता :**

- हरित वित्त : कम कार्बन के संक्रमण में तेजी लाना
- यूरोपीय संघ का कार्बन कर और भारतीय उद्योग पर इसका प्रभाव
- आईएफआरएस - एस2 : जलवायु परिवर्तन आपकी वित्तीय रिपोर्टिंग को कैसे प्रभावित कर सकते हैं
- भारत में कार्बन क्रेडिट बाजार : पर्यावरणीय संवहनीयता प्राप्त करने की दिशा में एक पहल

- **ईएसजी रिपोर्टिंग और अनुपालन :**

- ईएसजी एकीकरण के माध्यम से कारबार के मूल्यांकन को बढ़ाना
- कॉर्पोरेट संवहनीयता का आश्वासन : बीएसई-सेंसेक्स कंपनियों का एक अध्ययन
- कारबारों में ईएसजी का बढ़ता महत्व : ईएसजी रिपोर्टिंग और भारत में अनुपालन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका

- **संवहनीय व्यावसायिक व्यवहार :**
 - ग्रीन सीमेंट : संवहनीयता के लिए मार्ग
 - लाभ से परे : हरित वित्त का उदय
 - एसएमई में संवहनीयता प्रबंधन लेखांकन : एक प्रबंधन अकाउंटेंट परिप्रेक्ष्य
- **नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय पहल :**
 - नवीकरणीय ऊर्जा : भारत ऊर्जा संक्रमण में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है ।
- **आर्थिक विकास और उद्यमिता :**
 - उद्यमिता और आर्थिक विकास के बीच संबंध

कार्यप्रणाली : तकनीकी पुनरीक्षण प्रक्रिया में इन विविध तकनीकी डोमेन के भीतर प्रस्तुत लेखों की सावधानीपूर्वक विधीक्षा शामिल है, जिसमें कार्यप्रणाली, डेटा विश्लेषण और समग्र तकनीकी वैधता की गहन समीक्षा शामिल है । हमारे बोर्ड के सदस्य, जो अपने संबंधित तकनीकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में ज्ञान और अनुभव की संपदा लाते हैं ।

प्रभाव : हमारे बोर्ड द्वारा आयोजित कठोर तकनीकी विधीक्षा प्रक्रिया हमारे संगठन की विश्वसनीयता और तकनीकी स्थायित्व में योगदान देती है । यह तकनीकी उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय के भीतर अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

(V) संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड के नाम पर व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण

एसआरएसबी को हाल ही में 3 फरवरी, 2024 को एक सूचना मिली है, जिसमें व्यापार चिह्न के सफल रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि की गई है । "व्यापार चिह्न अब आधिकारिक तौर पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के "संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड" से संबंधित है ।" यह मील का पत्थर संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड की अखंडता और पहचान की रक्षा करने, संवहनीयता रिपोर्टिंग के क्षेत्र में इसके निरंतर प्रभाव और मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है ।

(VI) प्रकाशन

- संवहनीयता रिपोर्टिंग परिपक्वता मॉडल (एसआरएसएम) संस्करण 2.0

6.21 वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति (सीएफएम एंड आईपी)

वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति सरकार और विनियामकों को वित्तीय बाजारों से संबंधित विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, परामर्श पत्रों और अन्य दस्तावेजों पर सुझाव प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, समिति नियमित रूप से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, गैर-वित्त कंपनियों (आरबीआई की गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के विभाग), फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ वित्तीय बाजारों से संबंधित मुद्दों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और निवेशकों की सुरक्षा की भूमिका पर बातचीत करती है ।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदार

बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने आईसीएआई की विभिन्न कार्यक्रम आयोजन इकाइयों के माध्यम से 128 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए । कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईपीएफए) के तत्वावधान में वित्तीय बाजारों के व्यापक विकास को समझने के लिए निवेशकों की क्षमता बढ़ाने के लिए शाखाएं/क्षेत्रीय परिषद/अध्ययन मंडल ।

(II) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) पर टिप्पणियां/सुझाव

- तारीख 12 मई 2023 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आरईआईटी (एमएसएम आरईआईटी) के लिए विनियामक ढांचे पर परामर्श पत्र ।
- 20 मई 2023 को संभावित बाजार दुरुपयोग और कपटपूर्ण संव्यवहारों के निवारण के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनियों के लिए संस्थागत तंत्र पर परामर्श पत्र ।

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) से अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य करने के लिए ढांचे पर परामर्श पत्र जो कतिपय उद्देश्य मानदंडों को पूरा करता है, जैसे 1) न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता ("एमपीएस") के संभावित प्रवंचना से बचना और 2) तारीख 31 मई 2023 के प्रेस टिप्पण 3 ("पीएम3") की अपेक्षाओं के संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए एफपीआई पथ के संभावित दुरुपयोग के प्रति सुरक्षोपाय।"
- सेबी विनियमित संस्थाओं के लिए समेकित साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचे पर तारीख 4 जुलाई 2023 का परामर्श पत्र।
- सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर ढांचे में लचीलेपन पर सेबी द्वारा 29 अगस्त 2023 के परामर्श पत्र पर समिति द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।
- आईआईटी और आईएनवीआईटी और इसके अधीनस्थ इकाइयों और कर्मचारी लाभ के लिए ढांचे पर तारीख 09 दिसंबर, 2023 का परामर्श पत्र।
- 28 दिसंबर, 2023 को बाजार की अफवाहों के सत्यापन के संबंध में सेबी विनियमों में संशोधन पर परामर्श पत्र।
- सेबी (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के विनियम 7(2) के अधीन निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रमाणन परीक्षा के रूप में आईसीएआई द्वारा इक्विटी अनुसंधान (एफएटीए) सहित स्टॉक के मौलिक और तकनीकी विश्लेषण पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए समिति ने 1 फरवरी 2024 को सेबी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
- समिति ने 1 फरवरी 2024 को सेबी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एमएसएमई क्षेत्र के लिए सलाहकार और परामर्श उद्देश्य के लिए श्रेणी IV व्यापारी बैंकों के रूप में अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। समिति ने मल्टी क्मोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अनुमति देने की मांग की गई थी, जिन्होंने उक्त एक्सचेंज की आंतरिक संपरीक्षा करने के लिए वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति कानूनों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को पहले ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) द्वारा परिपत्र संख्या 77/2022 तारीख 14 अक्टूबर 2022 के माध्यम से उक्त आंतरिक संपरीक्षा के लिए पात्रता मानदंड के रूप में मान्यता दी गई है।

(III) सदस्यों के लिए पहलें

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

हमारे सदस्यों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें उपयुक्त रूप से सशक्त बनाने के लिए, समिति 4 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित करती है जो इस प्रकार हैं :

- विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंधन (एफएक्सटीएम) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- व्युत्पन्नी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- इक्विटी अनुसंधान सहित स्टॉक के मौलिक और तकनीकी विश्लेषण संबंधी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति कानूनों (एफएमएसएल) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, व्युत्पन्नी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति कानूनों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और इक्विटी अनुसंधान सहित स्टॉक के मौलिक और तकनीकी विश्लेषण पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के डिजिटल लर्निंग हब के माध्यम से 5 ऑनलाइन बैच सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, जिसमें आईसीएआई के कुल 429 सदस्यों ने नामांकन किया है।

(IV) सदस्यों के वृत्तिक संवर्धन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला/वेबकास्ट/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी)

समिति ने 45 वर्चुअल सीपीई बैठकों और वेबीनारों के माध्यम से ज्ञान का सदस्यों के बीच प्रचार प्रसार किया है। वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षण संबंधी समिति ने तीन राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 संगोष्ठियों का आईसीएआई की शाखाओं के सहयोग से आयोजन किया है।

6.22 संपरीक्षा समिति

संस्थान की संपरीक्षा समिति का गठन परिषद द्वारा शासित होता है। यह संस्थान की विभिन्न इकाइयों में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्रता और निष्ठा सुनिश्चित करती है। यह संपरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करती है, संपरीक्षा विभागों/इकाइयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करती है, लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करती है और संस्थान की विभिन्न इकाइयों के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है।

6.23 डिजिटल री-इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन निदेशालय (डीआरएंडटीडी)

डिजिटल पठन केंद्र पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है और पठन केंद्र के माध्यम से आभासी और भौतिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आईसीएआई प्रक्रियाओं के विभिन्न अनुकूलन/संरक्षण को सक्षम किया गया है। आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र वर्तमान में उक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किए जा रहे प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, अर्हता पत्र पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सीपीई इवेंट और ऑनलाइन सेल्फ पैड पाठ्यक्रम के लिए केंद्रीय समितियों का उपयोग किया जा रहा है और आईसीएआई शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों को उनके वर्चुअल सीपीई इवेंट और वेब व्याख्यान आयोजित करने के लिए विस्तारित किया गया है।

डिजिटल पठन केंद्र मोटे तौर पर अपने हितधारकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है,

- वृत्तिक और शैक्षणिक पठन के लिए ज्ञान भंडार
- पाठ्यक्रम, व्याख्यान और अन्य सीखने की सामग्री तक पहुंच प्रदान करके सामग्री वितरण।
- प्रत्येक शिक्षार्थी के अनुरूप कई प्रारूपों (दस्तावेज, पीपीटी, वीडियो, ऑडियो, स्कोरम) में सीखने की सामग्री।
- लीडरबोर्ड सुविधा प्राप्त क्रेडिट को प्रदर्शित करती है।
- आईसीएआई सदस्यों के लिए संरचित और असंरचित सीपीई घंटे क्रेडिट।
- सीपीई द्वारा अर्जित घंटों के आधार पर सदस्यों को बैज।
- विचारों को साझा करने के लिए समुदाय।
- सरकारी अधिकारियों, बैंक अधिकारियों, एमआरए/एमओयू/एसएएफए सदस्यों तक पाठ्यक्रम पहुंच।
- गैर-सदस्यों के लिए स्किल इंडिया पाठ्यक्रम।
- शिक्षार्थियों को उनकी समझ और प्रगति का आकलन करने में सहायता करने के लिए प्रश्नोत्तरी, मूल्यांकन, असाइनमेंट के लिए टूल की पेशकश करके मूल्यांकन और प्रतिक्रिया।
- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और योग्यता के पश्चातवर्ती पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर शिक्षार्थियों के लिए सृजित प्रमाणपत्र।

डीएलएच सांख्यिकी – 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक	
डीएलएच पर सक्रिय शिक्षार्थी	43973
डीएलएच के माध्यम से संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की संख्या	152
नामांकित शिक्षार्थी - प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	15881
किए गए मूल्यांकनों की कुल संख्या	87
कुल सृजित ऑनलाइन प्रमाणपत्र (क्यूआर सक्षम)	10433
स्व-पुस्तक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीपीई क्रेडिट अर्जित करने वाले सदस्यों की गिनती (संरचित)	10934
स्व-पुस्तक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीपीई क्रेडिट अर्जित करने वाले सदस्यों की गिनती (असंरचित)	13142

6.24 प्रबंधन समिति

परिषद की गैर-स्थायी समिति के रूप में 2015 में गठित प्रबंधन समिति को शाखाओं के गठन, विदेशों में अध्यायों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ एमओयू/एमआरए, आईसीएआई के केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान

के वार्षिक खाते, केंद्रीय सरकार और अन्य नियामक निकायों द्वारा संदर्भित मामले, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में संशोधन के लिए प्रस्ताव, क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के मामले, सदस्य/सीए फर्मों/एलएलपी/विलय/निर्विलयन/नेटवर्किंग से संबंधित मामलों और प्रशासनिक और नीतिगत निहितार्थ वाले संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों और जहां कहीं आवश्यक हो, परिषद को अपनी सिफारिशें करने से संबंधित मामलों पर विचार करना अनिवार्य है।

6.25 दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड

आईसीएआई के दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईएंडवीएसबी) का गठन वर्ष 2024-25 के लिए किया गया है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता और मूल्यांकन मानक बोर्ड की समिति को 19 फरवरी 2024 से विलय कर दिया गया है ताकि दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड बनाया जा सके।

(I) दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईएंडवीएसबी)

दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईएंडवीएसबी) की स्थापना इस वर्ष वृत्ति के सशक्तिकरण के लिए एक साधन के रूप में कार्य करने के लिए की गई है और इसका उद्देश्य दिवाला और मूल्यांकन के क्षेत्र में सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ एक निष्पक्ष कारपोरेट शासन की सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा, आईसीएआई मूल्यांकन मानकों 2018 की विरचना, कार्यान्वयन और मान्यता के लिए गतिविधियों की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईएंडवीएसबी) दिवाला और मूल्यांकन के क्षेत्रों में पारदर्शी और सुसंगत मानकों की स्थापना और बढ़ावा देकर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित पूर्व-विधायी परामर्श के लिए नीति के अधीन कंपनी नियमों और एलएलपी नियमों का सरलीकरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा गठित पूर्व-विधायी परामर्श की नीति के अधीन कंपनी अधिनियम 2013, एलएलपी नियमों और आईबीसी के अधीन नियमों की व्यापक समीक्षा कर रहा है। आईएंडवीएसबी ने व्यापक रूप से कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 की समीक्षा की और उसी पर मसौदा सुझाव विकसित किए। कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 पर सुझाव कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं।

- आईबीबीआई द्वारा "सूचना उपयोगिता (आईयू) द्वारा व्यतिक्रम के अभिलेख (आरओडी) जारी करने की प्रक्रिया को मजबूत करना" विषय संबंधी चर्चा पत्र पर सुझाव।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने सूचना उपयोगिता (आईयू) द्वारा व्यतिक्रम अभिलेख (आरओडी) जारी करने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर एक चर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें प्रस्तावों और मसौदा नियमों पर टिप्पणियां मांगी गई हैं। इस संबंध में, आईसीएआई (आईएंडवीएसबी) के दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा गोलमेज का आयोजन किया गया है और सुझाव तैयार किए गए हैं। सुझाव जल्द ही आईबीबीआई को प्रस्तुत किए जाएंगे।

- आईबीबीआई को प्रस्तुत सीआईआरपी के दौरान आस्तियों के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आईसीएआई से सीआईआरपी के दौरान आस्तियों के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश विकसित करने का अनुरोध किया। दिशानिर्देशों को विकसित किया गया है और इसमें मूल्यांकन की जाने वाली आस्तियों की एक विस्तृत सूची शामिल है। दिशानिर्देशों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे सभी आस्ति वर्गों के लिए सामान्य दिशानिर्देश और तीन आस्ति वर्गों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश। परिषद द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश आईबीबीआई को प्रस्तुत किए गए हैं।

- "प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों" के अलावा अन्य दो आस्तियों के वर्ग अर्थात् "संयंत्र और मशीनरी" और "भूमि और भवन" के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों का विकास।"

आईएंडवीएसबी ने प्रतिभूतियों और वित्तीय आस्तियों के अलावा संपत्ति वर्गों, अर्थात् भूमि और भवन और संयंत्र और मशीनरी के लिए मूल्यांकन मानकों को विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। आस्ति वर्गों के लिए मूल्यांकन मानक तैयार करने के लिए अवधारणा पत्र - संयंत्र और मशीनरी और भूमि और भवन निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

- आस्ति वर्ग “संयंत्र और मशीनरी” और “भूमि और भवन” पर मूल्यांकन मानकों के विकास के लिए दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड में प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट करने के लिए 14 आरवीओ से नामांकन मांगा गया।”

आईसीएआई के दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड में चौदह रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठनों (आरवीओ) के प्रतिनिधियों के नामांकन की मांग की है। इसका उद्देश्य आस्ति वर्ग “संयंत्र और मशीनरी” और “भूमि और भवन” पर मूल्यांकन मानकों की चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने में व्यापक भागीदारी को सक्षम करना है क्योंकि इन संगठनों के पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। तदनुसार, निम्नलिखित संगठनों से बोर्ड को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं :

संगठन का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्य
आईओवी आरवीएफ	निदेशक, आईओवी आरवीएफ
आईओवी आरवीएफ	संकाय पीएंडएम, आईओवी आईवीएफ

- आईसीएआई के दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए विभिन्न विनियामकों से नामांकन मांगा गया

मूल्यांकन मानकों की चर्चा में व्यापक भागीदारी के लिए और व्याख्या, मार्गदर्शन और तकनीकी सामग्री प्रदान करने के लिए दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों के नामांकन की मांग की है। तदनुसार, निम्नलिखित संगठनों से बोर्ड को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं :

संगठन का नाम	नामित सदस्य
आईबीए	वरिष्ठ सलाहकार, दबावग्रस्त आस्तियां
एफआईसीसीआई	वरिष्ठ भागीदार, एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
एसोचैम	सह-अध्यक्ष, एसोचैम, आईबीसी और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय परिषद, प्रबंध भागीदार, आरएनसी वैल्यूकॉन एलएलपी
सीआईआई	सदस्य, सी.आई.आई.

- रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं से ली जाने वाली मूल्यांकन सेवाओं के संबंध में मुख्य न्यायाधीश बंबई उच्च न्यायालय के साथ बैठक।

न्यायिक/अर्ध-न्यायिक क्षेत्र में आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं संगठन (आईसीएआई आरवीओ) के रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के कार्य के दायरे का विस्तार करने के लिए, आईसीएआई आरवीओ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सभी उच्च न्यायालयों को पत्र भेजे थे। निमंत्रण पर, 19 दिसंबर, 2023 को बंबई उच्च न्यायालय के माननीय रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई और आईसीएआई आरवीओ के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। इसके क्रम में, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए 22 अप्रैल 2024 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय के साथ बैठक का दूसरा दौर आयोजित किया गया था। इस बैठक में अध्यक्ष, आईएंडवीएसबी, उपाध्यक्ष, आईएंडवीएसबी के साथ-साथ सचिव, आईएंडवीएसबी और कार्यवाहक सीईओ आईसीएआई आरवीओ ने भाग लिया। बैठक के दौरान, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध करने से पहले आईसीएआई आरवीओ की वैधानिक मान्यता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

- तिमाही ई-न्यूजलेटर “वैल्यूएशन एज”

दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड अपने त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर “वैल्यूएशन एज” को जारी करता है। यह पहल हमारे सदस्यों को लगातार सूचित करने और मूल्यांकन और दिवाला कानूनों के विकसित परिदृश्य में अच्छी तरह से परिचित रखने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। मार्च और जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर “वैल्यूएशन एज” जारी किया गया है और आईसीएआई की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

- दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा मासिक ज्ञान कोना

दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, एनसीएलएटी और एनसीएलटी के निर्णयों के आधार पर महत्वपूर्ण मामला विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए मासिक आधार पर समाचार अपडेट और मामला लॉ अपडेट के रूप में नॉलेज कॉर्नर जारी करने के साथ जारी है। फरवरी, 2024 से जून, 2024 तक के महीनों के लिए नॉलेज कॉर्नर को आईसीएआई वेबसाइट पर जारी और होस्ट किया गया है।

• आईबीसी पर मासिक प्रश्नोत्तरी और मूल्यांकन

दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड ने सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने और सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतिक पहल के एक भाग के रूप में एक मासिक प्रश्नोत्तरी शुरू की है। सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहन के रूप में, शीर्ष तीन प्रतिभागियों को बोर्ड के प्रकाशन के साथ पुरस्कृत किया जा रहा है। यह पहल न केवल सीखने को बढ़ावा देती है बल्कि सदस्यों को दिवाला और मूल्यांकन के क्षेत्र में वर्तमान विकास के साथ अपडेट रहने और उसमें नियोजित रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। मार्च, 2024 से जुलाई, 2024 तक के महीनों के लिए मासिक प्रश्नोत्तरी जारी की गई है।

• आईसीएआई (आईआईआईपीआई) के भारतीय दिवाला वृत्तिकों के भारतीय संस्थान के साथ संयुक्त रूप से दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड, आईसीएआई द्वारा आयोजित आईसीएआई-साफा वेबीनार

➤ 20 मार्च, 2024 को आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय दिवालियापन - सर्वोत्तम व्यवहार" विषय पर पहला आईसीएआई-एसएएफए वेबीनार।

दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र पर एसएएफए सदस्य देशों को ज्ञान का प्रसार करने के लिए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईएंडवीएसबी) और भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान के साथ संयुक्त रूप से दक्षिण एशियाई अकाउंटेंट संघ (साफा) आईसीएआई (आईआईआईपीआई) ने 20 मार्च, 2024 को "अंतर्राष्ट्रीय दिवालियापन - सर्वोत्तम व्यवहार" विषय पर एक वेबीनार आयोजित किया है। पहले आईसीएआई - एसएएफए वेबीनार को एक भारी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 15 अलग-अलग देशों के 15 सदस्यों सहित 860 से अधिक सदस्यों की भागीदारी थी, जो वास्तव में वैश्विक जुड़ाव को दर्शाती है।

➤ 24 जून 2024 को आयोजित "आईबीसी के अधीन सीमा पार दिवाला ढांचा" विषय पर दूसरा आईसीएआई-एसएएफए वेबीनार।

"दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड ने 24 जून 2024 को "आईबीसी के अधीन क्रॉस बॉर्डर इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क" विषय पर दूसरा आईसीएआई-साफा वेबीनार आयोजित किया। वेबीनार का उद्देश्य दिवाला कानूनों की समझ और कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए वृत्तिक नेटवर्किंग, तिर्यक-क्षेत्राधिकार ज्ञान साझा करने और साफा सदस्य देशों के बीच सहयोग का समर्थन करना है।" वेबीनार ने 650 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया, जो महत्वपूर्ण भागीदारी और एक भारी प्रतिक्रिया का संकेत था।

• आईबीबीआई के सहयोग से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के महत्व और उसमें वृत्तिक अवसरों को देखते हुए, बड़े पैमाने पर सदस्यों के लाभ के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके लिए, दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईएंडवीएसबी) ने मार्च 2024 से जून 2024 तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के तीन बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

• आईसीएआई की एनआईआरसी की जम्मू-कश्मीर शाखा द्वारा आयोजित 31 मई और 1 जून को दो दिवसीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

आईसीएआई मूल्यांकन मानकों 2018, मूल्यांकन, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के बारे में प्रचार और जागरूकता का सृजन करने की दृष्टि से, दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड ने दिवाला और मूल्यांकन विषय पर दो दिवसीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया है। यह पाठ्यक्रम 31 मई 2024 और 1 जून 2024 को श्रीनगर में आईसीएआई की एनआईआरसी की जम्मू और कश्मीर शाखा द्वारा आयोजित किया गया था। इस दो दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने मूल्यांकन और दिवाल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए विभिन्न अवसरों की खोज की, दिवाला और मूल्यांकन के बीच परस्पर क्रिया की जांच की, और दिवाला संदर्भों में स्टार्टअप और

उभरती प्रौद्योगिकी के आलोक में आस्तियों के अधीन मूल्यांकन का गहन अध्ययन किया। इन चर्चाओं ने दिवाला और मूल्यांकन के गतिशील क्षेत्रों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की।

- भारत मंडपम, नई दिल्ली में 12 से 13 जुलाई 2024 को दिवाला समाधान और मूल्यांकन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "संकल्प- 2024"।

"आईसीएआई के दिवाला और मूल्यांकन मानक बोर्ड ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान और आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन के सहयोग से दिवाला समाधान और मूल्यांकन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 12 से 13 जुलाई 2024 को "एनेबल रिज़ॉल्यूशन मैक्सिमाइजिंग वैल्यू" विषय पर सफलतापूर्वक आयोजित किया है।" इस कार्यक्रम का आयोजन आईसीएआई की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा किया गया था। संकल्प 2024 के दूसरे संस्करण में भारत और अन्य विदेशी न्यायालयों के लगभग 500 प्रतिभागियों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। संकल्प 2024 में कई तकनीकी सत्र और पैनल चर्चा दो दिनों तक चली, जिसमें दिवाला समाधान और मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे प्रासंगिक और समकालीन विषयों को शामिल किया गया था और 50 से अधिक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विचार नेताओं द्वारा संबोधित किया गया था।

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018 पर संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबीनार

बोर्ड ने आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018, मूल्यांकन और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के बारे में प्रचार और जागरूकता का सृजन करने के विचार से 7 राष्ट्रीय सम्मेलन/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित करने का आयोजन/योजना बनाई थी।

(II) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति (अप्रैल 2023-फरवरी 2024)

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पर विशिष्ट ध्यान देने के लिए आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति का गठन किया गया है। यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है, और इसने सदस्यों के लिए एक नया वृत्तिक अवसर पैदा किया है। समिति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर सदस्यों के लिए दिवाला समाधान क्षेत्र में व्यवहार के इस नए क्षेत्र के बारे में जागरूकता लाना और कानून के व्यावहारिक पहलुओं और प्रक्रियाओं पर सदस्यों को शिक्षित करने में सुविधा प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

- आईबीबीआई द्वारा प्रकाशित विभिन्न चर्चा पत्रों पर आईबीबीआई को आईसीएआई के सुझावों को प्रस्तुत करना।
 - समाधान की संभावना, समाधान स्कीम के मूल्य को बढ़ाने और समय पर समाधान को सक्षम करने के उपायों पर आईबीबीआई चर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए गए।
 - दिवाला वृत्ति में प्रवेश में आसानी के लिए नामांकन और रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण संबंधी आईबीबीआई चर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए गए।
 - आरपी की नियुक्ति, व्यक्तिगत प्रत्याभूतिकर्ता के साथ आरपी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को साझा करने और लेनदारों की बैठक को अनिवार्य करने संबंधी आईबीबीआई चर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए गए।
 - स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने संबंधी आईबीबीआई चर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए गए।
 - दिवाला समाधान प्रक्रिया में दिवाला वृत्तिक संस्थाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विनियामक ढांचे के युक्तिकरण संबंधी चर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए गए।
 - परिसमापन प्रक्रिया को मजबूत करने संबंधी आईबीबीआई चर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए गए।
 - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट प्रक्रिया के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन पर आईबीबीआई चर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए गए।
 - भू-संपदा संबंधित प्रस्ताव - सीआईआरपी और परिसमापन संबंधी आईबीबीआई चर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए गए।

- **आईबीसी पर नॉलेज कॉर्नर**

समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, एनसीएलएटी और एनसीएलटी के निर्णयों के आधार पर महत्वपूर्ण मामला विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए मासिक आधार पर समाचार अपडेट और मामला लॉ अपडेट के रूप में आईबीसी संबंधी नॉलेज कॉर्नर लाने की पहल की है। समिति ने अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक नॉलेज कॉर्नर निकाला है।

- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के महत्व और उसमें वृत्तिक अवसरों को देखते हुए, समिति ने बड़े पैमाने पर सदस्यों के लाभ के लिए वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जारी किया है।

समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के आठ बैच ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए हैं। तीसरे बैच से, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के सहयोग से समिति द्वारा पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

- **जारी प्रकाशन**

- परिसमापन प्रक्रिया- दिवाला वृत्तिकों के मार्गदर्शन के लिए एक हैंडबुक
- स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया- दिवाला वृत्तिकों के मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तिका
- कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया - दिवाला वृत्तिकों के मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तिका

- **वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित संगोष्ठियां/सम्मेलन/वेबीनार/कार्यशालाएं**

समिति ने, आईबीसी-महत्वपूर्ण व्यावहारिक अंतर्दृष्टि के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, आईबीसी के अधीन हाल ही में न्यायिक घोषणाएं, आईबीसी के अधीन परिसमापन प्रक्रिया - पहलुओं, विकास और चुनौतियों, सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी आदि के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 विषयों पर 2 संगोष्ठियों, 2 सम्मेलनों, 4 संगोष्ठियों, 10 वेबीनार और 3 कार्यशालाओं का आयोजन किया।

(III) मूल्यांकन मानक बोर्ड (अप्रैल 2023-फरवरी 2024)

भारत में सुसंगत लागू कानूनों, परंपराओं, आचार और व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मूल्यांकन व्यवहारों को सुसंगत बनाने के लिए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने वर्ष 2017 में मूल्यांकन मानक बोर्ड का गठन किया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने 2018 में प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के आस्ति वर्ग के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक जारी किए हैं जो भारत में अपनी तरह का पहले प्रकार का है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

- **अन्य आस्ति वर्गों अर्थात् संयंत्र और मशीनरी और भूमि और भवन के लिए मूल्यांकन मानक**

आईसीएआई आरवीओ को प्रतिभूतियों और वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य दो आस्ति वर्गों, अर्थात् भूमि और भवन और संयंत्र और मशीनरी के लिए प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए आईबीबीआई से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। 2018 में, वीएसबी ने प्रतिभूतियों और वित्तीय संपत्ति वर्ग पर मूल्यांकन मानक जारी किए थे। मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ, मूल्यांकन मानक बोर्ड ने सभी तीन आस्ति श्रेणियों में व्यापक और मानकीकृत व्यवहारों को प्रदान करने के उद्देश्य से आस्ति वर्गों, भूमि और भवन और संयंत्र और मशीनरी के लिए विशिष्ट मूल्यांकन मानक तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की।

- **सरकारी, आईबीबीआई और अन्य विनियामकों को अभ्यावेदन/तकनीकी इनपुट**

आईबीबीआई से प्राप्त अनुरोध पर, आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने आस्तियों के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य, सामने आई चुनौतियों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण, तुलनीयता के लिए मान्यताओं को सुव्यवस्थित करना और सीआईआरपी प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं के बीच लगातार जानकारी के लिए एक सारणीबद्ध प्रारूप पेश करना है।

- **आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018 संबंधी ई-लर्निंग मॉड्यूल/वीडियो व्याख्यान का विकास**

विभिन्न मूल्यांकन विषयों को विशेष रूप से सदस्यों को सम्मिलित करने वाले वीडियो व्याख्यान आईसीएआई के डीएलएच पोर्टल पर होस्ट किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान के सफल समापन पर, सदस्य 2 निरंतर व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) घंटे के लिए पात्र होंगे। यह पहल मूल्यवान शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि हमारे सदस्य मूल्यांकन के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं से अद्यतन रूप से अवगत बने रहें।

- **त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर - "वैल्यूएशन एज"**

आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर- "मूल्यांकन एज" आरंभ किया था जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्य बोर्ड की गतिविधियों और मूल्यांकन के क्षेत्र में विकास के बारे में अवगत रहें, मूल्यांकन के निरंतर विकसित क्षेत्र में आवश्यक अद्यतन, रुझान और सर्वोत्तम व्यवहार प्रदान करता है।

- **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ नेपाल (आईसीएएन) के सदस्यों के लिए मूल्यांकन और मूल्यांकन मानकों संबंधी ऑनलाइन व्यापक पाठ्यक्रम**

मूल्यांकन मानक बोर्ड ने नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सहयोग से मूल्यांकन और मूल्यांकन मानकों संबंधी एक व्यापक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया है, जो विशेष रूप से नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्यों के लिए तैयार किया गया है। यह 5 दिनों का पाठ्यक्रम 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

- **आईसीएआई, बीकेसी, मुंबई के डब्ल्यूआईआरसी में सेबी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

मूल्यांकन मानक बोर्ड ने जुलाई, 2023 में सेबी अधिकारियों के लिए "मूल्यांकन और वित्तीय मांडलिंग" पर सफलतापूर्वक एक प्रशिक्षण आयोजित किया है। कार्यक्रम को मूल्यांकन के क्षेत्र के प्रख्यात संकायों द्वारा संबोधित किया गया था और इसमें सेबी के 37 अधिकारियों ने भाग लिया था। सत्र का उद्देश्य सेबी के अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और वृत्तिक तरीके से मूल्यांकन और वित्तीय विश्लेषण करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना था।

- **वेबीनार/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी**

मूल्यांकन मानक बोर्ड ने मूल्यांकन मंथन सत्र 3-42 में, आयकर अधिनियम की धारा 56 के नियम 11पक के अधीन मूल्यांकन और मूल्यांकन में सीए के लिए अवसर, व्यापार मूल्यांकन-दृष्टिकोण और विधियाँ, विभिन्न कानूनों के अनुसार मूल्यांकन और प्रयोज्यता, मूल्यांकन-व्यावहारिक चुनौतियों और समाधान, मूल्यांकन मानकों पर 2 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, व्यापार मूल्यांकन-दृष्टिकोण और विधियाँ आदि विषयों पर 40 वेबीनार और 7 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियों का आयोजन किया।

- **वर्ष 2023-2024 के दौरान जारी किए गए प्रकाशन**

प्रत्येक वर्ष "मूल्यांकन में न्यायिक घोषणाएं" नामक एक प्रकाशन जारी किया जा रहा है जो मूल्यांकन संबंधी न्यायिक निर्णयों का संकलन है। आईसीएआई का मूल्यांकन मानक बोर्ड 'मूल्यांकन श्रृंखला में न्यायिक घोषणाएं-3' शीर्षक से प्रकाशन की तीसरी श्रृंखला लाया है, जो सरलीकृत रूप में महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का एक संग्रह है। यह संकलन ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों की एक व्यापक और अंतर्दृष्टि खोज का प्रतिनिधित्व करता है जिसने मूल्यांकन वृत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

6.26 कराधान लेखा परीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (टीएक्यूआरबी)

विभिन्न कराधान विधियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के अधीन अनुपालन की रिपोर्टिंग में सुधार के लिए संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में कराधान लेखा परीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि बोर्ड द्वारा किया गया पुनर्विलोकन, यह सुनिश्चित करेगी कि सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के अधीन निर्धारित विभिन्न रिपोर्टों को प्रमाणित करते समय अधिक परिश्रम करेंगे और लंबे समय में उनके द्वारा की गई समग्र रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण में सुधार करेंगे।

गतिविधियाँ/पहल

(I) चयनित कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पुनर्विलोकन की स्थिति :

स्थापना के बाद से, बोर्ड ने विभिन्न कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया और पुनर्विलोकन के आधार पर :

- सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की जा रही है कि ऐसी त्रुटियां पुनः नहीं की जाएं।
- कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट ई-फाइलिंग उपयोगिता में परिवर्तन के लिए सीबीडीटी को सूचित करने के लिए सुझावों की पहचान की गई है।
- सुझावों की पहचान की गई है जिन्हें कर लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण के नवीनतम संस्करण में शामिल किया गया था।
- सदस्यों के बीच जागरूकता का सृजन करने के उद्देश्य से कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय आमतौर पर पाई गई अनियमितताएं/गैर-अनुपालन।
- **परिषद वर्ष 2023-24 के दौरान चयनित कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति** - परिषद वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड ने 111 कंपनियों को अपनी कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित) के पुनर्विलोकन के लिए स्व:विवेक के आधार पर चुना है।
- **परिषद वर्ष 2024-25 के दौरान चयनित कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति** - परिषद वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड ने स्व:विवेक पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित अपनी कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पुनर्विलोकन के लिए 100 कंपनियों का चयन किया और 23 कंपनियों को अतिरिक्त रूप से चुना गया जिसमें 31 मार्च, 2023 तक सलाह जारी की गई थी। वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और कर लेखा परीक्षकों के विवरण को साझा करने का अनुरोध करने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों को पत्र जारी किए जा रहे हैं।

(II) सदस्यों के लिए पहल

संगोष्ठी/वेबीनार

बोर्ड ने धारा 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा, कर लेखा परीक्षा में सामान्य गैर-अनुपालन और मुद्दों, आयकर लेखा परीक्षा, कर लेखा परीक्षा और कर लेखा परीक्षा गुणवत्ता में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सुरक्षा, कर लेखा परीक्षा के अधीन मुद्दों पर चर्चा, प्रत्यक्ष कर और अन्य कर मामलों पर 14 संगोष्ठियां आयोजित की। बोर्ड ने कर लेखा परीक्षा अर्थात् कर लेखा परीक्षा कार्यक्रम, कर लेखापरीक्षा में लेखा परीक्षा विचार संबंधी मानक, कर लेखा परीक्षा दस्तावेज़ीकरण, आमतौर पर प्ररूप संख्या 3गघ, खंड 1-20, 21, 22-31, 32-34 में पाई गई अनियमितताएं कर संपरीक्षा रिपोर्ट और कर संपरीक्षा में जीएसटी अपलोड करने में सावधानियां, कर संपरीक्षा में विशिष्ट मुद्दे आदि का संचालन करते समय अनुपालन पर सदस्यों को जागरूक करने के लिए श्रृंखला - कर लेखा परीक्षा अभ्यास सत्र से 17 वेबीनार आयोजित किए।

(III) अनुकूलन कार्यक्रम

बोर्ड ने कराधान लेखापरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन समूहों के सदस्यों और कराधान लेखापरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के तकनीकी समीक्षकों के लिए 2 अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए।

(IV) बोर्ड के आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर नियमित अपडेट

बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर खाते यानी @ Taqrbaicai को कर संपरीक्षा रिपोर्ट का संचालन और दाखिल करते समय सदस्यों को अनुपालन के बारे में जागरूक करने के लिए अपनी 'कर संपरीक्षा टिप्स' श्रृंखला के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

(V) प्रकाशन

उनके द्वारा की गई कर लेखा परीक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में संस्थान के सदस्य का मार्गदर्शन करने के लिए, बोर्ड ने 'आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा के लिए सुगम संदर्भिका' नामक एक प्रकाशन जारी किया।

(VI) अन्य गतिविधियां

24-26 नवंबर 2023 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित जीएलओपीएसी 2023 में आईसीएआई के अन्य विनियामक बोर्डों जैसे क्यूआरबी, एफआरआरबी, पीआरबी और सीएक्यू के साथ टीएक्यूआरबी की उपस्थिति को आईसीएआई मंडप में शामिल किया गया था।

6.27 आईसीएआई में एआई

" आईसीएआई में एआई" संबंधी समिति एक नई समिति है जिसका गठन पहली बार परिषद वर्ष 2024-25 में किया गया है और इसका उद्देश्य आईसीएआई के संचालन में एआई को एकीकृत करना, सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों के लिए सेवाओं में अभिवृद्धि करना है। यह डिजिटल सामग्री, वेबिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से एआई जागरूकता को बढ़ावा देती है, और एआई विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ जुड़ती है। समिति एआई उपकरणों की पहचान करेगी, स्टार्टअप के साथ सहयोग करेगी और एआई अनुसंधान प्रयोगशाला विकसित करेगी। इसके अतिरिक्त, यह अंतरराष्ट्रीय एआई साझेदारी की ईप्सा करती है, एआई में सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों की खोज करती है, और समुन्नत वित्तीय रिपोर्टिंग और अनुपालन समाधानों के लिए शैक्षिक सामग्री में एआई उपकरणों को शामिल करती है। समिति ने सदस्यों और छात्रों के लिए एक आईसीएआई सीए जीपीटी आरंभ किया है जो लेखांकन, लेखा परीक्षा, कर और अनुपालन से संबंधित जटिल प्रश्नों के त्वरित, एआई-संचालित समाधान प्रदान करके सदस्यों और छात्रों, दोनों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। यह छात्रों के लिए एक अध्ययन सहायता के रूप में कार्य करके सीखने को बढ़ावा देता है और प्रमुख अवधारणाओं, मानकों और विनियमों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। सदस्यों के लिए यह अनुसंधान को सरल बनाती है, तकनीकी शंकाओं के संबंध में सहायता करती है और शैक्षिक तथा वृत्तिक, दोनों परिणामों में सुधार करके नवीनतम उद्योग संबंधी प्रवृत्तियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराती है। समिति ने एआई एआईसीए स्तर 1 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है, जो अनेक प्रमुख फायदे प्रस्थापित करता है :

- **मूलभूत एआई ज्ञान :** लेखांकन और वित्त के लिए प्रासंगिक एआई अवधारणाओं की एक मजबूत समझ उपलब्ध करता है।
- **व्यावहारिक एआई एप्लीकेशन :** वास्तविक दुनिया के एआई उपयोग के मामलों का अध्यापन करता है।
- **कैरियर उन्नति :** सदस्यों को इन-डिमांड एआई कौशल से लैस करता है, वृत्तिक अवसरों को बढ़ाता है।
- **हैंड्स-ऑन लर्निंग :** परस्पर क्रियाशील सत्रों और मामला अध्ययनों के माध्यम से एआई टूल और प्लेटफॉर्म के संपर्क में आने की पेशकश करता है।
- **प्रमाणन :** प्रतिभागियों को एआई-कुशल के रूप में पहचानता है, वृत्ति में विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

क्रम सं.	विवरण
1	चैटजीपीटी, कोपीलोट पर डिजिटल प्रकाशन प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार के और प्रकाशन पाइपलाइन में हैं।
2	आईसीएआई में एआई पर समिति एआई पर वेबिनार, संगोष्ठी और एआई पर कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। अब तक कुल 41 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
3	समिति द्वारा आरसी और शाखा प्रबंधन समिति के सदस्यों, विदेशी अध्यायों के साथ एआई नेताओं की लाइव बातचीत आयोजित की गई है।
4	आईसीएआई ने सदस्यों के लिए सीए दिवस 2024 पर आईसीएआई सीए जीपीटी लॉन्च किया है, जिसमें समितियों/विभागों के विभिन्न विषयों के 18 जीपीटी शुरू में 7500 सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। धीरे-धीरे इसे सभी सदस्यों को जारी कर दिया जाएगा।
5	आईसीएआई कर्मचारियों के लिए 4 घंटे की कार्यशाला-700+ कर्मचारियों ने 21 मार्च 2024 को आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
6	एआई संकाय के रजिस्ट्रीकरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई है और विक्रेताओं को प्रक्रिया के अनुसार ऑनबोर्ड किया जाएगा
7	समिति हैदराबाद में 16 और 17 जुलाई 2024 को आईसीएआई एआई इनोवेशन समिट 2024 का आयोजन कर रही है।
8	समिति की वेबसाइट ai.icaai.org लॉन्च की गई है और जो जोर-शोर से चल रही है
9	समिति के लिए ट्विटर अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल सक्रिय है

10	आईसीएआई में एआई के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण स्वीकार और विज्ञापित है।
11	एआई फैकल्टी मीट 29 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई थी
12	आईसीएआई ई-जर्नल का मई 2024 संस्करण, जो एआई पर केंद्रित है, में एआई संकाय और हैकथॉन प्रतिभागियों द्वारा योगदान किए गए 3-4 लेख जारी किए गए हैं।
13	सदस्यों के लिए एआई पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा।
14	आईसीएआई कर्मचारियों के लिए आईसीएआई एआई इनोवेट चैलेंज का संचालन 24 मई 2024

6.28 महिला सदस्य उत्कृष्टता समिति (डब्ल्यूएमईसी)

राष्ट्र निर्माण में एक सच्चे भागीदार के रूप में, आईसीएआई ने महिला सदस्य उत्कृष्टता समिति (पूर्ववर्ती महिला और युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति) की स्थापना की है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक प्रावधानों के अधीन गठित आईसीएआई की एक गैर-स्थायी समिति है। डब्ल्यूएमईसी विशेष रूप से क्षमता निर्माण पहल, कौशल विकास गतिविधियों के माध्यम से महिला सदस्य की क्षमता को पूरा करने को बढ़ावा देने, वृत्तिक और रोजगार के अवसरों के लिए मंच प्रदान करने की दिशा में काम करती है।

कार्यकलाप

- **सीए महिला नेतृत्व सम्मेलन** : समिति ने 29 जून 2024 को मुंबई में सीए महिला नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया। सभा में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, वृत्तिकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक सभा हुई, जो वैश्विक अवसरों में प्रवेश करने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और दुनिया भर में प्रमुख महिला नेताओं के साथ मूल्यवान नेटवर्क स्थापित करने के लिए महिला वृत्तिकों के लिए एक मंच के रूप में सेवा करते हैं। यह सभा फाल्कन-वीर, असीम और उससे आगे की भावना से आयोजित की जाती है। सम्मेलन का उद्घाटन अध्यक्ष, आईसीएआई, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, डब्ल्यूएमईसी, उपाध्यक्ष, डब्ल्यूएमईसी द्वारा आईसीएआई के केंद्रीय परिषद के सदस्यों के साथ किया गया था। सम्मेलन में 500 से अधिक महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भाग लिया।
- **नमनीय और अंशकालिक कार्य विकल्पों के लिए महिला पोर्टल का पुनर्भारंभ** : समिति ने 29 जून 2024 को मुंबई में सीए महिला नेतृत्व सम्मेलन में महिला पोर्टल <https://wmec.icai.org/> नमनीय और अंशकालिक कार्य विकल्पों के लिए महिला पोर्टल को पुनः आरंभ किया। यह पोर्टल नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों को रजिस्ट्रीकरण करने, बेहतर नौकरी मिलान और नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल की एक प्रमुख विशेषता एसएसपी पोर्टल के साथ इसका एपीआई एकीकरण है, जो नौकरी चाहने वालों को एसएसपी पोर्टल से आवश्यक डेटा कैप्चर करके जल्दी से फॉर्म पूरा करने की अनुमति देता है, इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक समय को कम करता है।
- **स्वतंत्र निदेशकों का सम्मेलन** : कॉरपोरेट कानूनों और कारपोरेट प्रशासन समिति के साथ संयुक्त रूप से महिला सदस्य उत्कृष्टता समिति ने 6 जून 2024 को मुंबई में "प्रभावी कारपोरेट प्रशासन के भविष्य को आकार देना" विषय पर पहले स्वतंत्र निदेशकों के सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो हमारे कारपोरेट परिदृश्य की अखंडता और स्थिरता के लिए सर्वोपरि है। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि - ग्रुप सीएफओ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई में कारपोरेट कार्य प्रमुख, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, डब्ल्यूएमईसी, उपाध्यक्ष, डब्ल्यूएमईसी द्वारा किया गया था। सम्मेलन में 150 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भाग लिया। अहमदाबाद में 20 जून 2024 को स्वतंत्र निदेशकों के सम्मेलन की दूसरी शृंखला आयोजित की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि - क्षेत्रीय निदेशक (एनडब्ल्यूआर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, तत्काल पिछले अध्यक्ष, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई के अध्यक्ष, अध्यक्ष, डब्ल्यूएमईसी, केंद्रीय परिषद के सदस्य और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्षों द्वारा किया गया था। सम्मेलन में 150 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भाग लिया।
- **"यशस्विनी : एक मूर्ति- समावेशिता | विविधता | उत्कृष्ट | नेतृत्व"**। समिति ने 30 जून 2024 तक अपनी बुधवार शृंखला के अधीन 15 वेबिनारों का आयोजन किया, जिसमें प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा प्रासंगिक तकनीकी के साथ-साथ गैर-तकनीकी विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। यह न केवल तकनीकी अद्यतन और गैर-तकनीकी कौशल पर अपने सदस्यों को जानकारी प्रसारित करने के लिए समिति की पहलों में से एक है, बल्कि उन्हें सबसे आगे आने और

सार्वजनिक मंच पर अपने मौखिक कौशल का एहसास करने के लिए सशक्त और प्रेरित करने के लिए भी है। सम्मिलित किए गए सत्र आंतरिक लेखापरीक्षा प्रथाओं और अवसरों में वर्तमान प्रवृत्तियां, परिवर्तन, बीएफएसआई क्षेत्र में आंतरिक लेखा परीक्षा, स्थिरता और वृत्तिक अवसरों में आंतरिक लेखा परीक्षक की भूमिका, टीडीएस/टीसी में हाल के विकास और मुद्दे, रिपोर्ट लेखन-एक कला, आयकर अधिनियम की धारा 43 ख(ज) - कर और लेखा मुद्दे, राजकोषीय 2024 के लिए प्रमुख संदेश, आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्ति और विदेशी आय का प्रकटीकरण और आपके संगठन की लेखा परीक्षा - आईटी बुनियादी ढांचा (उपकरण, नीतियां और प्रक्रियाएं), आईबीसी 2016 के अधीन स्वैच्छिक विघटन और प्रदर्शन प्रबंधन और मूल्यांकन - क्या, क्यों और कैसे, पुराना कर शासन बनाम नया कर शासन और अनुमानात्मक कराधान, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण आदि के मुद्दे थे। कार्यक्रमों के समन्वय के लिए महिला सदस्यों को भी अवसर प्रदान किए गए।

- **सीए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार :** समिति ने विभिन्न वृत्तिक क्षेत्रों में महिला सदस्यों के अनिवार्य योगदान को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए दिसंबर 2023 में पहले सीए महिला उत्कृष्टता पुरस्कारों का आयोजन किया। सीए महिला सामाजिक सेवा में, सीए महिला मूल्य निर्माता, सीए महिला स्वतंत्र निदेशक, वर्ष की सीए महिला स्टार्ट अप और सीए महिला आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किए गए। सीए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार पहली बार संस्थान के इतिहास में प्रदान किए गए और न केवल जागरूकता का सृजन किया और मान्यता दी बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिला सदस्यों की कड़ी मेहनत और मूल्यवान कार्य को भी स्वीकार किया। भारत भर से लगभग 100 महिला सदस्यों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में नामित किया गया था। एनएसई परिसर, बीकेसी मुंबई में एक उपयुक्त पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि श्री आशीष चौहान, प्रबंध निदेशक (एमडी) और भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को ट्रॉफियां दीं।
- **एसएएफए महिला नेतृत्व पुरस्कार 2024 :** समिति ने एसएएफए से प्राप्त मूल्यांकन मापदंडों के अनुसार विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में प्राप्त नामांकनों की समीक्षा करने और सबसे योग्य अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने के लिए महिला सदस्यों के बीच अधिकतम भागीदारी के लिए इसे लोकप्रिय बनाकर एसएएफए महिला नेतृत्व पुरस्कार 2024 में योगदान दिया।
- **महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से लिए घर के नौकरी के अवसरों से लचीलेपन/अंशकालिक/काम के लिए नियोजन कार्यक्रम :** समिति ने अनुभवी महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उद्योग और व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए संयुक्त रूप से नियोजन अभियान का आयोजन किया, जो लचीलेपन से काम करना चाहते हैं। सुविधा में समय/अंशकालिक/घर से काम करना। नमनीय समय/अंशकालिक/घर से कार्य करने के विकल्प शामिल थे और महिला सदस्यों के लिए पूर्णकालिक सीओपी नहीं रखने और 1 वर्ष से अधिक समय तक खड़े होने का एक उत्कृष्ट अवसर था, ताकि उनकी आसानी और आराम के अनुसार नौकरी के अवसरों का पता लगाया जा सके। यह अभियान वस्तुतः भारत भर में रजिस्ट्रीकृत 14 कैंपस केंद्रों, 1749 महिला अभ्यर्थियों और 20 संगठनों में आयोजित किया गया था। संगठनों द्वारा भारत भर में घर से नौकरी विकल्पों से लचीले/अंशकालिक/कार्य के लिए 257 रिक्तियां पेश की गईं। वास्तविक साक्षात्कार तारीखों से पहले महिला सदस्यों को आवश्यक साक्षात्कार/चयन कौशल से लैस करने के लिए आयोजित वर्चुअल अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- **संवहनीयता और महिला नेतृत्व पर संगोष्ठी :** समिति ने मुंबई में आईसीएआई के डब्ल्यूआईआरसी द्वारा आयोजित 20 दिसंबर 2023 को स्थिरता और महिला नेतृत्व पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें महिला सदस्यों के लाभ के लिए “व्यवहार में अद्वितीय अवसर, उद्योग, स्टार्ट अप्स, सफलता की कहानियां - उद्योग में सीए नेताओं के साथ बातचीत” पर एक समानांतर सत्र आयोजित किया गया था। सत्र के प्रख्यात वक्ताओं में भारतीय जीवन बीमा निगम में पूर्व कार्यकारी निदेशक (एफएंडए) और सीएफओ, सिंगापुर सीपीएएएस कंपनी- वीक्लाउडएक्स प्राइवेट लिमिटेड (EnableX.io) के मुख्य व्यवसाय अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान (आईआईए) के अध्यक्ष - बंबई चैप्टर शामिल थे।
- **स्काई हाई सिम्पोजियम एंड यूथ एक्सीलेंस सिम्पोजियम वेबीनार :** स्काई हाई सिम्पोजियम वेबीनार संस्थान की महिला सदस्यों के लिए समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की बुधवार श्रृंखला थी। यह न केवल तकनीकी अद्यतनीकरण और गैर-तकनीकी कौशल पर सदस्यों को जानकारी का प्रसार करने के लिए समिति की पहलों में से एक था, बल्कि उन्हें सबसे आगे आने और सार्वजनिक मंच पर उनके मौखिक कौशल का एहसास करने के लिए सशक्त और प्रेरित करने के लिए भी था। समिति ने संस्थान के युवा सदस्यों को उनके वृत्तिक विकास में समर्थन देने और

उनका मार्गदर्शन करने और वृत्ति में नवीनतम विकास के साथ युवा सदस्यों का कौशल बढ़ाने के लिए शुक्रवार को यूथ एक्सिलेंस सिम्पोजियम वेबीनार का आयोजन किया। उच्च स्तरीय संगोष्ठी और युवा उत्कृष्टता संगोष्ठी आभासी साप्ताहिक श्रृंखला के अधीन लगभग 80 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें लगभग 150 महिलाओं/युवा सदस्यों को तकनीकी/गैर-तकनीकी विषयों पर वक्ता बनने और 250 से अधिक महिलाओं/युवा सदस्यों को कार्यक्रम में समन्वयक बनने का अवसर प्रदान किया गया था।

- **आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी) :** समिति ने सदस्यों के क्षमता निर्माण, कौशल वृद्धि, नेटवर्किंग और उत्कृष्टता के लिए 7 आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी) आयोजित किए।
- **आपकी क्षमता को उजागर करने पर वर्चुअल सीरीज... लर्न-अपस्किल-एक्सेल :** समिति ने आपकी क्षमता को उजागर करने पर एक वर्चुअल सीरीज का आयोजन किया... लर्न-अपस्किल-एक्सेल। यह श्रृंखला वर्तमान में उद्योग/कारपोरेट में काम करने वाले सदस्यों के ज्ञान और समग्र विश्वास निर्माण को बढ़ाने के लिए समिति की पहलों में से एक थी, जिसका उद्देश्य अभ्यास करना है, जो सदस्य कैरियर ब्रेक पर हैं लेकिन अपने वृत्तिक कैरियर को फिर से शुरू करना चाहते हैं या सदस्य अपने क्षेत्र संबंधित वृत्तिक डोमेन में विशेषज्ञता को वृहद करने का लक्ष्य रखते हैं। यह श्रृंखला विविध क्षेत्रों में नवीनतम संशोधनों के साथ तालमेल बिठाकर अपने ज्ञान और समग्र आत्मविश्वास निर्माण को समृद्ध करने में बड़े पैमाने पर सदस्यों के लिए सहायक थी। इस श्रृंखला के अधीन प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर मॉड्यूल को सम्मिलित करने वाले 9 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- **"आईसीएआई गतिविधि के 75वें वर्ष का समारोह :** समिति ने 25 अक्टूबर, 2023 को "आईसीएआई चैंपियंस वुमन एक्सीलेंस" विषय पर वेबीनार का आयोजन किया और 8 दिसंबर, 2023 को "नए युग के अवसरों को खोलना" विषय पर वेबीनार का आयोजन किया, जिसका सीधा प्रसारण विभिन्न आरसी, शाखाओं और विदेशी चैप्टरों में किया गया था।" समूह सीएफओ, नारायण स्वास्थ्य और एक एफसीए सहित प्रख्यात वक्ताओं को प्रासंगिक विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह :** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात् 8 मार्च, 2024 को मनाने के लिए महिला सदस्य उत्कृष्टता समिति ने निम्नलिखित गतिविधियों की :
 - 1) देश भर में महिला सदस्यों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए मानदंडों के अनुसार अध्यक्ष आईसीएआई, उपाध्यक्ष आईसीएआई, अध्यक्ष, डब्ल्यूएमईसी और उपाध्यक्ष, डब्ल्यूएमईसी के वीडियो बाइट्स को रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, समिति पेज और महिला पोर्टल पर अपलोड किया गया।
 - 2) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च, 2024 के अवसर पर सभी महिला सदस्यों को उनके विशेषाधिकार और योगदान को स्वीकार करने के लिए उत्सव संदेश।
 - 3) महिला सदस्यों की उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई की पहलों को प्रचारित करने और बढ़ावा देने के लिए संस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सूचनात्मक सोशल मीडिया क्रिएटिव और महिला सदस्य उत्कृष्टता समिति को डिज़ाइन और साझा किया गया।
 - 4) 74 शाखाओं ने डब्ल्यूएमईसी के तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया।
- **राष्ट्रीय महिला सम्मेलन :** समिति ने दो राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें शामिल विषयों में - कार्यस्थल पर उत्पीड़न और हमले से संबंधित, महिला नेताओं की अनूठी ताकत की खोज करना, बाधाओं को तोड़ना : पुरुषों के प्रभुत्व वाले उद्योगों में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियां, कर्मचारी से उद्यमशीलता की ओर - शिफ्ट को नेविगेट करना, टीम वर्क का विकास : डिजिटल युग में रुझान और चुनौतियां, रोजगार अधिकार : पृष्ठ 5 भेदभाव का समाधान करना, उत्पीड़न और कार्यस्थल के मुद्दों को समझना, सर्वाइकल कैसर को समझना : कारण, जोखिम कारक और लक्षण, कार्य और जीवन संतुलन को एकीकृत करना, व्यक्तिगत कल्याण और स्व-देखभाल, संवहनीयता में सीए के लिए अवसर- एक रोड मैप, एमएसएमई विकास के लिए एआई सशक्तिकरण, नेताओं से पैनल चर्चा- सीखने - नेतृत्व कौशल - कारपोरेट जीवन पाठ, - सोशल मीडिया का उपयोग आदि विषय शामिल थे।
- **मानव संसाधन रणनीतियों और संबंध प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम :** समिति ने 7 और 8 जुलाई 2023 को मुंबई में नेटवर्किंग कार्यक्रम और 2 दिनों के "मानव संसाधन रणनीतियों और संबंध प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिला सदस्यों को उद्यमी के रूप में या मानव संसाधन रणनीतियों और संबंध प्रबंधन में सीए फर्मों/कॉर्पोरेट्स/एसएमई की सेवा के लिए या अपने स्वयं के कार्यालयों के मानव संसाधन

समारोह को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रेरित करना था।" भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और विकास, मानव संसाधन योजना, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली और नेटवर्किंग के तरीके आदि जैसे विषय आदि उक्त कार्यक्रम के दौरान सम्मिलित किए गए थे।

- **यूथ एक्सीलेंस कॉन्क्लेव** : समिति ने 15 जुलाई 2023 को मुंबई में यूथ एक्सीलेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृत्ति को आगे बढ़ाने और उभरते वृत्तिक क्षेत्रों में युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में युवा सीए के योगदान को स्वीकार करना था। मार्च 2024 के महीने के दौरान महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अलावा, समिति ने महिला वृत्तिकों के लिए कार्य जीवन संतुलन पर 19 भौतिक कार्यक्रम/समारोह भी आयोजित किए- वृत्तिक और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना, महिला सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसर, महिला लीडर्स की अनूठी ताकत की खोज करना, कर्मचारी से उद्यमी - अंतरण, शारीरिक और मानसिक कल्याण, कौशल विकास, महिला सीए के लिए अवसर, वृत्तिकों के लिए असाधारण शिष्टाचार, बैंकिंग क्षेत्र में महिला सीए के अवसरों पर पैनल चर्चा, वृत्तिक स्वास्थ्य स्वच्छता और महिला वृत्तिक सेट के लिए खुशी।

6.29 एमएसएमई और स्टार्टअप संबंधी समिति

एमएसएमई और स्टार्टअप संबंधी समिति आईसीएआई की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसे भारत में एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से इन क्षेत्रों के लिए बनाए गए स्थायी ढांचे के विकास के माध्यम से क्षमता को बढ़ाना है। प्रशिक्षण, समर्थन और नीतिगत सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित करके, समिति का उद्देश्य भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप के विकास और लचीलेपन को मजबूत करना है, जिससे उद्यमिता और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिले।

(I) पहलें

आईसीएआई स्टार्टअप गेटवे

स्टार्टअप के क्षमता निर्माण उपायों को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने एमएसएमई और स्टार्टअप समिति के माध्यम से स्टार्टअप पर विभिन्न पहलें आरंभ कीं।

- **आईसीएआई स्टार्टअप मंथन और संवाद**

एमएसएमई और स्टार्टअप पर समिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा और डब्ल्यूटीओ (सीडीआईटीएसडब्ल्यूटीओ) के विकास के लिए समिति के साथ आईसीएआई स्टार्टअप मंथन और संवाद मंच का आयोजन किया जो एक छत के नीचे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से प्रमुख नवाचारकों, स्टार्टअप, इन्क्यूबेटर, अकादमियों और निवेशकों को लाता है। उक्त अवधि के दौरान लगभग 100 शाखाओं ने आईसीएआई स्टार्टअप मंथन और संवाद का आयोजन किया है।

- **स्टार्टअप क्षेत्र 2023**

स्टार्टअप क्षेत्र नामक एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन स्टार्टअप समुदाय के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचार, सहयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम 27 से 28 जून, 2023 को मुंबई में विश्व जियो केंद्र में हुआ। इस अत्यधिक प्रतिष्ठित समारोह स्टार्टअप समुदाय, भागीदारों, यूनिकॉर्न, इंफ्लुएंसर, संस्थापक, निवेशक, नेता और उद्यमियों को एक साथ लाया, जिसमें स्टार्टअप से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की गई। देश भर के 7000 उपस्थित लोगों द्वारा देखा गया। इस कार्यक्रम में 120 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों के सत्र शामिल थे जो उद्यमियों को सशक्त बनाने के बारे में उत्साही हैं। लगभग 60 स्टार्टअप को निवेशकों की पिच पर अपने अनूठे विचारों को रखने का अवसर दिया गया, जिससे निवेशकों का आपस में आमना-सामना हुआ। सबसे अभिनव विचारों में निवेश करने के लिए 20 से अधिक मेगा वेंचर फंड ने भाग लिया। 150 स्टार्टअप ने प्रदर्शनकारियों के रूप में भाग लिया और समान विचार वाले व्यक्तियों, साथी उद्यमियों, एंजेल निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों और संभावित भागीदारों के विविध समुदाय से जुड़ने के अवसर प्राप्त हुआ।

- **स्टार्टअप पोर्टल यानी, <https://startup.icai.org/>**

समिति ने घटकों के भीतर विभिन्न विनिमय सेवाओं की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल <https://startup.icai.org/> लॉन्च किया है, अर्थात् - स्टार्टअप, चार्टर्ड अकाउंटेंट (व्यापार सलाहकार),

सलाहकार, उद्यम पूंजीवादी और ऊष्मायन केंद्र। वेब पोर्टल की विशेषताओं में स्टार्टअप को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक और हमारे पोर्टल पर उनका पैनलमेंट, स्टार्टअप को वित्तपोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूंजीपति उद्यम, कारपोरेट कानून, मूल्यांकन, अप्रत्यक्ष कर आदि जैसी विभिन्न व्यावसायिक परामर्श सेवाएं और हमारे पोर्टल पर उनका पैनलमेंट, आईसीएआई के सदस्य एक व्यापार सलाहकार के रूप में प्रदान करने के लिए शामिल हैं। आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत स्टार्टअप के लिए, आईसीएआई स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्टार्टअप सफलता कहानियों को प्रेरित करने और अन्य सदस्यों को लीग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कई और सुविधाओं के लिए स्टार्टअप पोर्टल पर लगभग 100 स्टार्टअप, 65 निवेशक और 232 मेंटर रजिस्ट्रीकृत हैं।

- **स्टार्ट-अप ऊष्मायन केंद्र**

आईसीएआई के भीतर स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उद्यमी भावना और क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में विचारों को आरंभ करने की सुविधा के लिए स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर शुरू किए हैं। आईसीएआई द्वारा स्थापित विभिन्न शहरों में 10 स्टार्टअप ऊष्मायन केंद्र हैं।

- **स्टार्टअप पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

समिति स्टार्टअप पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है, जिसका उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वृत्तिक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ स्वयं स्टार्टअप क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सुसज्जित करके राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आईसीएआई के सदस्यों को स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक व्यवसाय समाधान प्रदाता बनाता है। स्टार्टअप पर प्रमाणन पाठ्यक्रम में लगभग 800 सदस्यों ने भाग लिया।

- **स्टार्टअप समिट**

एमएसएमई और स्टार्ट-अप समिति ने 8 अक्टूबर 2022 को होटल शंगरी-ला इरोस, नई दिल्ली में एक स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन में, जहां आईसीएआई के सदस्यों ने स्टार्ट-अप, भागीदारों, इंफ्लुएंसर, संस्थापकों, निवेशकों और उद्यमियों के समुदाय के साथ भाग लिया, इस बात पर चर्चा की कि कैसे वीसी निवेशकों के लिए पिच डेक तैयार करने का कौशल+ एमवीपी के लिए स्टार्ट-अप - आइडिया जनरेशन, स्टार्टअप इंडिया योजना और इसके लाभ और मूल्यांकन के साथ-साथ एंगल निवेशकों के साथ 2 मिनट की आइडिया पिच, स्टार्ट-अप का भविष्य, उद्यम पूंजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और स्टार्टअप के अन्य पहलुओं पर चर्चा की। उक्त शिखर सम्मेलन में लगभग 250 प्रतिभागी भौतिक रूप से उपस्थित हुए।

- **स्टार्टअप क्षेत्र 2024**

एमएसएमई और स्टार्टअप पर समिति ने कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ), बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवा और डब्ल्यूटीओ निदेशालय के विकास के साथ संयुक्त रूप से उद्योग और व्यवसाय में सदस्यों के लिए 27 जून 2024 से 29 जून 2024 तक "स्टार्टअप सिनर्जी : सहयोग, बनाने, विजेता" विषय पर एक मेगा स्टार्टअप क्षेत्र कार्यक्रम का आयोजन किया।" इन तीन दिनों के कार्यक्रम में सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र, निष्कर्षों के स्रोत, नए रास्ते, मूल्यांकन, डिजिटल मार्केटिंग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस और एमएसएमई और स्टार्टअप के समकालीन मुद्दों पर विभिन्न समवर्ती सत्रों के साथ-साथ प्रतिष्ठित स्टार्टअप की प्रदर्शनियों को भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में विकास भारत में मुख्य योगदानकर्ताओं के रूप में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में क्षमता निर्माण और हितधारकों को प्रोत्साहित करने में आईसीएआई की भूमिका को प्रदर्शित किया गया। स्टार्टअप स्फीयर 2024 का उद्देश्य स्टार्टअप समुदाय, भागीदारों, यूनिकॉर्न, इंफ्लुएंसर, संस्थापक, निवेशक, नेता और उद्यमियों को एक सामान्य मंच पर स्टार्टअप से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है। कार्यक्रम में शामिल किए गए कुछ प्रमुख विषयों में स्टार्टअप के लिए सरकारी समर्थन, वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत, जैसे राजस्व वित्तपोषण, ऋण और हेजिंग, स्टार्टअप में नए रास्ते, स्टार्टअप मूल्यांकन की कला और विज्ञान, टर्म शीट, शेयरधारक समझौते, कानूनी दस्तावेज और प्रमुख खंड शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में जेटवर्क, ओपन टेक्नोलॉजी, क्रेड, कॉइडक्स, स्विगी, कार्डडेवो, मैट्रा, पर्फियोस, लीडस्क्वायर्ड, जेप्टो और कई अन्य सहित 15 यूनिकॉर्न के संस्थापकों/सीएफओ/वरिष्ठ प्रबंधन की उपस्थिति देखी गई। ऋषिहुड विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सह-संस्थापक और सीएमओ, बोट लाइफ स्टार्टअप ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस घटना ने संभावित निवेशकों को आकर्षित किया, जबकि प्रतिभागियों

को गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवीनतम रुझानों और नवाचारों के बारे में सूचित किया। धन की निकासी, यूनिकॉर्न बनने के मार्ग और वेब 3.0 में स्टार्टअप विकास और अवसरों के लिए एक एंजेल निवेशक या उद्यम पूंजीवादी और डिजिटल मार्केटिंग बनने के तरीके पर सत्र थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपाध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई; पिछले अध्यक्ष, एमएसएमई और स्टार्टअप पर समिति, उपाध्यक्ष, एमएसएमई और स्टार्टअप पर समिति, सरकारी नामिती, केंद्रीय परिषद के सदस्यों और आईसीएआई के क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया था।

आत्मनिर्भर भारत के विजन को बढ़ावा देने, आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा का भी उद्घाटन किया गया। यात्रा बस 100 दिनों में 100 शहरों की यात्रा करेगी, जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विविध प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा। 'वित्तीय और कर साक्षरता अभियान' पर समर्पित ध्यान देने के साथ, यात्रा का उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप के बीच वित्तीय और कर साक्षरता को बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल चर्चा की मेजबानी करेगा, जिसमें स्टार्टअप के लिए सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र में समृद्ध होना, भारत 2.0 के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करना और आश्चर्यजनक सफलता हासिल करना शामिल है। स्टार्टअप क्षेत्र 2024 भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआई की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उज्वल दिमाग और प्रभावशाली खिलाड़ियों को बुलाकर, आईसीएआई एक ऐसा वातावरण बनाता है जो सहयोग को बढ़ावा देता है, विचारों को पोषित करता है, और देश भर में स्टार्टअप के विकास में तेजी लाता है। स्टार्टअप परिदृश्य में भविष्य की प्रगति के लिए एक आधारशिला के रूप में स्थित, यह घटना भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप कर्नाटक, एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब, एसटीपीआई (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया) और आई-हब, स्टार्टअप स्फीयर द्वारा समर्थित, स्टार्टअप के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है जो नवीनतम रुझानों और नवाचारों की खोज करते हुए समकक्षों, उद्योग विशेषज्ञों और संभावित निवेशकों से जुड़ने के लिए है।

- **अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस**

एमएसएमई और स्टार्टअप पर समिति ने भारत के एमएसएमई की विभिन्न जरूरतों और आईसीएआई स्टार्टअप क्षेत्र 2024 के माध्यम से 27 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर एमएसएमई की उन जरूरतों को पूरा करने में सीए विरादरी द्वारा निभाई गई भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया।

(II) आईसीएआई एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र

एमएसएमई के क्षमता निर्माण उपायों को बढ़ाने के लिए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने एमएसएमई और स्टार्टअप समिति के माध्यम से एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विभिन्न पहलों की व्यवस्था की।

- **आईसीएआई एमएसएमई कनेक्ट और निर्यात और सहयोग**

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने एमएसएमई और स्टार्टअप समिति के माध्यम से 20 अक्टूबर 2023 से 10 फरवरी 2024 तक भारत भर के 140 शहरों में आईसीएआई एमएसएमई कनेक्ट और निर्यात और सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया।

- **आईसीएआई एमएसएमई यात्रा**

आईसीएआई एमएसएमई यात्रा को एमएसएमई की जरूरतों का समर्थन, सुविधा और प्रतिक्रिया देने की एक पहल के लिए मुंबई से 18 अगस्त 2022 को हरी झंडी दिखाई गई थी। यह पहल एमएसएमई के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ एमएसएमई को अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने और विभिन्न राज्य और केंद्रीय सरकार की योजनाओं, सन्सिडी और उसके उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में जागरूकता फैलाकर समर्थन करने की आकांक्षा रखती है। एमएसएमई यात्रा, इसके शुभारंभ के बाद से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा राज्यों में 80 से अधिक शहरों को सम्मिलित किया। यात्रा अवधि के दौरान लगभग एक लाख उद्यम रजिस्ट्रीकरण में वृद्धि हुई।

- **आईसीएआई एमएसएमई सेतु/साथी कार्यक्रम : आईसीएआई एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से एमएसएमई का रूपांतरण**

यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान देता है, सुधार के लिए असहनीय परिणामों की पहचान करता है, और आईसीएआई एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से उनकी जरूरतों का समर्थन करके सरकारी योजनाओं के अभिसरण और एमएसएमई के सहयोग की सहायता से प्रगति को मापता है। विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा के जिले आईसीएआई एमएसएमई सेतु के दौरान सम्मिलित किए गए हैं।
- **एमएसएमई एक्सचेंज**

एमएसएमई के विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न आयामों में मूल्य निर्माण के लिए एक मजबूत मंच की सुविधा हेतु एमएसएमई एक्सचेंज की अवधारणा की गई है। यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को उत्कृष्ट नेटवर्किंग, ज्ञान साझाकरण, कौशल विकास, शंका समाधान के अवसर और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **सीए सर्विसेज एक्सचेंज**

सीए सर्विसेज एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कोई भी भारतीय एमएसएमई आईसीएआई एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषज्ञ सेवाओं की श्रृंखला से खोज सकता है।
- **एमएसएमई हेल्पडेस्क**

आईसीएआई के विस्तारित विंग वाली शाखाएं और क्षेत्रीय परिषदें शाखा परिसर में एमएसएमई हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान करेंगी जहां समर्पित विशेषज्ञ (योग्य और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट) स्थानीय एमएसएमई क्लस्टर के मुद्दों का समाधान करेंगे।
- **एमएसएमई रोशनी**

एमएसएमई रोशनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञों द्वारा एमएसएमई के सामने आने वाले सामान्य मुद्दों का समाधान किया गया। एमएसएमई विशेषज्ञ सलाह की मांग करने वाले विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।
- **आईसीएआई एमएसएमई पोर्टल यानी <https://msme.icaai.org/>**

समिति के पास नेटवर्किंग, ज्ञान साझाकरण, प्रश्न समाधान तंत्र और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल है जहां कोई भी एमएसएमई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की विशेषज्ञता से लाभान्वित हो सकता है। पोर्टल पर 334 एमएसएमई रजिस्ट्रीकृत हैं।
- **एमएसएमई पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

समिति ने एमएसएमई पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वृत्तिक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं एमएसएमई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार करना था। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आईसीएआई के सदस्यों को एमएसएमई क्षेत्र के लिए व्यवसाय समाधान प्रदाता बनाता है। एमएसएमई पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए लगभग 1700 सदस्य उपस्थित हुए।
- **आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा 2024**

समिति वित्तीय और कर साक्षरता निदेशालय के साथ संयुक्त रूप से “आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा” का आयोजन कर रही है, जिसका उद्घाटन 27 जून, 2024 को अध्यक्ष, आईसीएआई और बोट के सह-संस्थापक द्वारा किया गया था। यात्रा को 29 जून 2024 को केटीपीओ, बेंगलुरु से रवाना किया गया था और 7 अक्टूबर, 2024 तक यात्रा करेगा, जो राज्यों में सड़क मार्ग से यात्रा है ताकि लोगों को एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और उसके विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूक किया जा सके। आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा पिछले वर्ष एमएसएमई यात्रा 2022 जैसी एमएसएमई और

स्टार्टअप के लिए तैयार की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लगभग 19000 किलोमीटर के लिए होगी। "यह अभियान भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के "हमारा संकल्प विकसित भारत" अभियान के हिस्से के रूप में "वित्तीय और कर साक्षरता" विषय के साथ आरंभ किया गया है। एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा @ 100 दिन 100 कार्यक्रम 100 शहर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि एमएसएमई और स्टार्टअप स्थायी भारतीय उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैसे तैयार करते हैं और "वित्तीय कर और साक्षरता" में योगदान देने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।

विक्रेता द्वारा वित्तीय बोली में प्रदान की गई वाहन की लागत 3149850/- रुपए है, जो पिछली बार के प्रायोजकों जैसे एसबीआई, सिडबी आदि से प्रायोजन से सम्मिलित होने की उम्मीद है।

(III) समझौता ज्ञापन

- आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर, नोएडा, गुजरात छात्र स्टार्टअप, और इनोवेशन हब (आई-एचयूबी) और बिल-रायरसन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंक्यूबेटर फाउंडेशन, एआईसी-नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, भुवनेश्वर, ओडिशा, एआईसी महामना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईएमबीएचयू, वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन आईसीएआई स्टार्टअप गेटवे के माध्यम से स्टार्टअप की क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन

एमएसएमई और स्टार्टअप समिति के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर, नोएडा, गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-एचयूबी), बिल-रायरसन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इनक्यूबेटर फाउंडेशन, एआईसी-नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, भुवनेश्वर, ओडिशा, एआईसी महामना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईएमबीएचयू, वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि "मस्तिष्क-से-बाजार" से मार्ग बनाकर उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में एक एंड-टू-एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम विकसित किया जा सके। उक्त व्यवस्था का उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उद्यमिता विकास, नवाचार संस्कृति और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के पारस्परिक एकीकरण के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करना है।

- आईसीएआई एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से एमएसएमई की क्षमता निर्माण के लिए एमएसएमई सरकार को सुविधा प्रदान करने वाली स्वायत्त एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने एमएसएमई और स्टार्टअप समिति के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में क्षमता निर्माण के लिए तमिलनाडु में एमएसएमई सरकार को सुविधा प्रदान करने वाली स्वायत्त एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- केरल राज्य में आईसीएआई एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से एमएसएमई के क्षमता निर्माण के लिए उद्योग और वाणिज्य निदेशालय और उसके अधीन विभिन्न बोर्डों और उपक्रमों के हस्तक्षेप के माध्यम से केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने एमएसएमई और स्टार्टअप समिति के माध्यम से केरल राज्य में आईसीएआई एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए 01.04.2023 को एर्नाकुलम में उद्योग और वाणिज्य निदेशालय और उसके अधीन विभिन्न बोर्डों और उपक्रमों के हस्तक्षेप के माध्यम से केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ओडिशा राज्य में आईसीएआई एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से एमएसएमई के क्षमता निर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के हस्तक्षेप के माध्यम से ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने एमएसएमई और स्टार्टअप समिति के माध्यम से ओडिशा राज्य में क्षमता निर्माण के लिए भुवनेश्वर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एमएसएमई के क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन

समिति ने एमएसएमई के क्षमता निर्माण का कार्य किया है, हालांकि परस्पर हित के क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास पर नीति निर्धारण और अनुसंधान में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकार के साथ आईसीएआई के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य विशिष्ट में एमएसएमई की क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान आधार प्रयास प्रदान करना ; राज्य विशिष्ट में एमएसएमई के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों और

अवसरों की पहचान करने के लिए औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के विकास को प्रोत्साहित करना; एमएसएमई विनिमय कार्यक्रम प्रदान करना अर्थात् राज्य विशिष्ट में एमएसएमई के लिए एमएसएमई हेल्प डेस्क, एमएसएमई रोशनी और सीए एक्सचेंज सेवाएं; पारस्परिक हित के क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास के लिए कोई अन्य प्रयास ;

- विश्वविद्यालयों, आईआईएमएस, आईआईटी, राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकार, प्रतिष्ठित संगठनों और अन्य संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन ।

समिति ऊष्मायन केंद्रों की सुविधा प्रदान करती है और विश्वविद्यालयों, आईआईएमएस, आईआईटी, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकार, प्रतिष्ठित संगठनों और अन्य संस्थाओं के साथ प्रस्तावित गठजोड़ की सुविधा प्रदान करती है ।

(IV) अन्य पहलें

- एमएसएमई पर राज्य विशिष्ट पुस्तकें

समिति ने एमएसएमई पर राज्य विशिष्ट पुस्तकें जारी की हैं । ये पुस्तकें एमएसएमई योजनाओं, एमएसएमई के लिए प्रासंगिक औद्योगिक योजनाओं, विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध प्रोत्साहन, विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध सब्सिडी, विशिष्ट राज्य में विभिन्न समूहों में योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है । उक्त पुस्तकें में उभरते उद्यमियों को विशिष्ट राज्य में उद्यमशीलता के उद्देश्यों के साथ-साथ विशिष्ट राज्य में सीए के लिए उपलब्ध अवसरों को बढ़ावा देने में नई और स्थापित फर्मों की मदद करने के लिए अंतर्दृष्टि शामिल है ।

- एमएसएमई पर राज्य विशिष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

समिति ने एमएसएमई पर राज्य विशिष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया है । उक्त पाठ्यक्रम ने राज्य विशिष्ट एमएसएमई के ज्ञान आधार को बढ़ाया ।

- एशिया रिकॉर्ड की पुस्तकों में आईसीएआई एमएसएमई यात्रा और सेतु

अधिकतम शहरों में एमएसएमई कार्यक्रमों को सम्मिलित करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रदान किए गए । आईसीएआई एमएसएमई यात्रा और सेतु की स्थापना एमएसएमई और स्टार्टअप समिति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए समिति द्वारा की गई थी । संस्थान ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' की पृष्ठभूमि में एक राष्ट्रव्यापी 'आईसीएआई एमएसएमई सेट' और 'आईसीएआई एमएसएमई यात्रा' आयोजित की । उक्त कार्यक्रम संयुक्त रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप, आईसीएआई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ के विकास के लिए समिति द्वारा आयोजित किया जाता है ।

(V) कार्यक्रम/वेबीनार

समिति ने आईसीएआई/एमएसएमई/स्टार्टअप के सदस्यों के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठी, सम्मेलन, आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है । समिति ने एमएसएमई और स्टार्टअप के उन्नयन, तकनीकी और वृत्तिक विकास और क्षमता निर्माण के लिए 20 विभिन्न गतिविधियां आयोजित कीं अर्थात् एमएसएमई और स्टार्टअप को निहितार्थ और उपचार, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण बीआरएसआर- एमएसएमई और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए विकास पथ, स्टार्टअप में सीए के लिए अवसर, एमएसएमई-स्टार्ट अप इकोसिस्टम, वृत्तिकों के लिए चुनौतियां और अवसर, एमएसएमई सारांश, एमएसएमई के महत्वपूर्ण कराधान और वित्तीय पहलुओं सहित एमएसएमई, एमएसएमई सीमा शुल्क और एमएसएमई और सीमा पार अवसरों आदि से संबंधित व्यापार मुद्दे आदि ।

6.30 सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए समिति

सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए समिति का गठन फर्मों से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए ठोस प्रयास करने के दृष्टिकोण के साथ किया गया है, जैसे कि घरेलू और विदेशी नेटवर्किंग, विलय और डिमर्जर, एमडीपी, प्रबंधन परामर्श सेवाएं (एमसीएस) कारपोरेट रूप में सत्यापित और गैर-सत्यापित कार्यों के लिए अन्य लोगों के बीच संज्ञान में वर्तमान परिचालन वातावरण के साथ । इसका उद्देश्य अभ्यास करने में आसानी प्रदान करना और भारतीय सीए फर्मों को बड़ा होने की सुविधा प्रदान करना है । समिति की पहली बैठक 1 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी ।

6.31 वृत्तिक कौशल संवर्धन समिति

अपनी तरह की पहली पहल में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने वृत्तिक कौशल संवर्धन समिति की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपनी पूरी क्षमता का आभास करने में सक्षम बनाना, आवश्यकताओं को समझने के लिए, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच वर्तमान कौशल अंतर का आकलन हितधारकों के बीच उनकी क्षमता बढ़ाने और उनकी दृश्यता में सुधार करने के लिए कार्रवाई करना और सक्षम करना है।

वृत्तिक कौशल संवर्धन समिति वर्ष 2024-25 के दौरान कौशल संवर्धन कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव करती है। सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रमुख कौशल ब्रांडिंग कौशल, संचार कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल, डिजाइन सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उद्यमशीलता कौशल, अंतर-व्यक्तिगत कौशल, नेतृत्व कौशल, सुनने का कौशल, बातचीत कौशल, नेटवर्किंग कौशल, समस्या समाधान कौशल, सार्वजनिक बोलने का कौशल, टीम निर्माण कौशल, समय प्रबंधन, कार्य नैतिकता कोई अन्य कौशल और नया युग, समकालीन और अन्य वृत्तिक, तकनीकी और तकनीकी कौशल हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कौशल सेट को समृद्ध करने पर जोर दिया गया है।

वृत्तिक कौशल संवर्धन समिति (पीएसईसी), आईसीएआई की पहलें

- पीएसईसी@100- आईसीएआई के सदस्यों के लिए कौशल संवर्धन पर केंद्रित एक परस्पर कार्यशाला श्रृंखला:

यह एक मंच है, जिसमें आईसीएआई के सदस्यों को शामिल होने के लिए वे क्या सोच रहे हैं यह कना और कार्यशाला श्रृंखला में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह एक संरचित कार्यक्रम है जो सप्ताह में तीन दिन चलता है, प्रत्येक डेढ़ घंटे तक चलता है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच वृत्तिक कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह पहल वृत्तिक विकास के लिए हमारी चल रही प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हमारे सदस्यों को लेखांकन और वित्त के गतिशील क्षेत्र में आगे रहने के लिए आवश्यक नवीनतम उपकरणों और तकनीकों से लैस करना है। कार्यशाला श्रृंखला विशेषज्ञों/संकायों के नेतृत्व में व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र प्रदान करती है, जिसमें सार्वजनिक भाषण, संचार कौशल और सॉफ्ट कौशल पर कई और विषयों को शामिल किया जाता है।

इन परस्पर सत्रों के माध्यम से, एक सहयोगी और सहायक वातावरण के भीतर सदस्यों के पास अपने कौशल को बढ़ाने, सार्थक चर्चा में संलग्न होने और साथियों के साथ नेटवर्क बनाने का अवसर होगा।

- चार्टर्ड अकाउंटेंट के कौशल संवर्धन के विभिन्न पहलुओं पर वेबकास्ट श्रृंखला :

यह वेबकास्ट श्रृंखला चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरैक्टिव के कौशल संवर्धन में एक लंबी छलांग लगाती है। वेबकास्ट श्रृंखला के दौरान, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल की एक व्यापक श्रृंखला पर चर्चा करके विभिन्न पहलुओं में एक लंबी छलांग लगाएंगे।

प्रत्येक शनिवार को निर्धारित वेबकास्ट सत्रों को शामिल करना, प्रति माह कुल पांच सत्र, जुलाई, 2024 के महीने में विश्व युवा कौशल दिवस के दौरान प्रत्येक 10 वेबकास्ट और अगस्त, 2024 में कौशल संवर्धन महीने में प्रति सत्र 2 सीपीई (निरंतर वृत्तिक शिक्षा) घंटे प्रदान करते हैं, जिसमें कैरियर प्रगति का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।

यह श्रृंखला उभरते वित्तीय नियोजन कौशल, नेतृत्व विकास आदि सहित तकनीकी और नरम कौशल दोनों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को सम्मिलित करेगी। वक्ताओं/संकायों द्वारा दिए गए, ये वेबकास्ट निरंतर सीखने के लिए एक लचीला और सुलभ मंच प्रदान करते हैं। प्रतिभागी नवीनतम उद्योग प्रवृत्तियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे, नई दक्षताएं प्राप्त करेंगे, और व्यावहारिक अनुप्रयोग और चर्चा को प्रोत्साहित करने वाले परस्पर सत्रों में शामिल होंगे। यह पहल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उत्कृष्टता और कैरियर विकास की खोज में सहायता करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उद्यमी कौशल कार्यक्रम को समृद्ध करना :

26 और 27 जून 2024 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उद्यमशीलता कौशल पर आयोजित लगभग 100 भौतिक कार्यक्रम, प्रतिभागियों को व्यावसायिक नवाचार और नेतृत्व विकास के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और रणनीतियों के

साथ प्रदान करते हैं। उद्यमिता के क्षितिज का विस्तार करके, हम उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कौशल संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

ये कार्यक्रम विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो अपनी उद्यमशीलता क्षमताओं का विस्तार करने की इच्छा रखते हैं। यह कार्यक्रम सदस्यों को व्यवसाय और उद्यमिता की गतिशील दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए तैयार है। रणनीतिक योजना, वित्तीय प्रबंधन, नवाचार और नेतृत्व कौशल जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, कार्यक्रम उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

परस्पर कार्यशालाओं, रियल-वर्ल्ड मामला स्टडी और सफल उद्यमियों से परामर्श के माध्यम से, प्रतिभागी व्यवसाय शुरू करने और बढ़ने की चुनौतियों को आत्मविश्वास से संचालित करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और उपकरण प्राप्त करेंगे। यह पहल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो उन्हें न केवल वित्तीय विशेषज्ञ बल्कि सफल व्यावसायिक लीडर बनने में सक्षम बनाती है।

• चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए योग सत्र :

आपकी समग्र भलाई और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वर्चुअल योग सत्र की व्यवस्था करेंगे। हमारा लक्ष्य तनाव को कम करना, लचीलेपन और ताकत में सुधार करना, एकाग्रता बढ़ाना, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना और इन आभासी योग सत्रों के माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना है। हमारे योग सत्र सभी स्तरों के लिए उपयुक्त होंगे, शुरुआती से उन्नत अभ्यासियों तक। ये योग सत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या तो योग में नए या अनुभवी योगी के लिए फायदेमंद होंगे।

यह सत्र प्रतिभागियों को तनाव का प्रबंधन करने, एकाग्रता में सुधार करने और योग अभ्यास के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है। अनुभवी प्रशिक्षकों के नेतृत्व में, सत्र में विभिन्न प्रकार की योग तकनीकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें मानसिक अभ्यास, सांस लेने की तकनीक और पीओएस शामिल हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जो एक अभ्रणशील कार्य वातावरण में लंबा समय बिताते हैं।

योग को अपनी दिनचर्या में एकीकृत करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, और एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रख सकते हैं। यह पहल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे न केवल अपने करियर में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफल हों, हमारे सदस्यों की समग्र भलाई का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

• समिति के प्रकाशन :

चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कार्य-जीवन संतुलन नामक पुस्तकों की एक श्रृंखला के प्रकाशन में बहुत गर्व महसूस करती है, जिसमें कार्य-जीवन संतुलन और जीवन की गुणवत्ता, आपके संतुलन की जांच करना, कार्य जीवन की गुणवत्ता आदि शामिल हैं। "सक्रिय श्रवण" में दक्ष होने के महत्व, सिद्धांत, रणनीतियों की खोज करता है, "महत्वपूर्ण सोच और निर्णय लेने" में समस्या को हल करने की प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक कौशल, समस्या को हल करने में रचनात्मकता, निर्णय लेने आदि का उल्लेख करते हुए, "वित्त वृत्तियों के लिए भावनात्मक बुद्धि" में स्व-जागरूकता, कार्यस्थल में आत्म-अनुशासन के लिए तकनीक, व्यावहारिक अनुप्रयोग आदि शामिल हैं, "सार्वजनिक बोलने की कला" सार्वजनिक बोलने की शक्ति और प्रभाव की पड़ताल करता है, डर और घबराहट, अपने भाषण को संरचित, शारीरिक भाषा और गैर-मौखिक संचार आदि, "अनलॉकिंग वेल्यू : द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन" पुस्तक वार्ताकारों के प्रकारों की पड़ताल करती है, बातचीत करने के लिए तैयार होना, बातचीत की रणनीतियां, यह भविष्यवाणी करना कि दूसरा पक्ष कैसे प्रतिक्रिया करेगा, "उद्यमशीलता कौशल" में विश्लेषणात्मक कठोरता शामिल है।" महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक सोच, उद्यमशीलता की भावना, नैतिक नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि जो हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामूहिक ज्ञान, विशेषज्ञता और समर्पण को दर्शाती है।

ये कार्य हमारे सदस्यों के बीच व्यापक अनुसंधान और सहयोग का परिणाम हैं, जो प्रत्येक परियोजना के लिए विविध प्रकार के दृष्टिकोण और अनुभव लाते हैं। इन प्रकाशनों के माध्यम से, हमारा उद्देश्य बहुमूल्य अंतर्दृष्टि का योगदान देना,

अकादमिक और वृत्तिक संभाषण को बढ़ावा देना और ऐसे संसाधन प्रदान करना है जो हमारे समुदाय के भीतर चल रही शिक्षा और विकास का समर्थन करते हैं। प्रत्येक पुस्तक को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को पूरा करती है, जिससे यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के लिए एक विश्वसनीय संदर्भ बन सके।

7. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ निदेशालय (डीआईटी और डब्ल्यूटीओ) (अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अधीन) का विकास

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ निदेशालय के विकास को पूर्व में आईसीएआई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ के विकास के लिए समिति के रूप में जाना जाता था, जिसका उद्देश्य पीएम मोदी के दृष्टिकोण और स्पॉटलाइटिंग लेखांकन और वित्त के साथ संरेखित करने के लिए वैश्विक सेवा व्यापार और भारत के विस्तारित एफटीए के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना है, जो महत्वपूर्ण निर्यात सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण है। इस जोर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को विविध अवसरों की पेशकश की, जो आईसीएआई के वैश्विक पदचिह्न में स्पष्ट है, उनकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच को दर्शाता है। ब्रांडिंग से परे, निदेशालय सहायता प्राप्त व्यापार संचालन, विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है, वृत्तियों को जोड़ता है और नीति को प्रभावित करता है। इसकी भूमिका एक मजबूत वैश्विक नेटवर्किंग मंच प्रदान करने के लिए विस्तारित है, जो विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों के भीतर लेखांकन को बढ़ाने के भारत के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। सहयोग और विशेषज्ञता के माध्यम से, निदेशालय ने सीएएस के हितों को उन्नत किया, जो भारत की वैश्विक व्यापार आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदार के लिए पहल

आईसीएआई निदेशालय के तत्वावधान में वैश्विक स्तर पर लेखांकन और वित्त सेवाओं को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करने के लिए; हमारा उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लेखांकन और वित्त सेवाओं को बढ़ावा देना है। यह प्रयास न केवल हमारे सदस्यों के लिए इन क्षेत्रों में सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करने के लिए नए रास्ते खोलेगा, बल्कि हमें रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों को भुनाने में भी सक्षम करेगा।

- **25 अक्टूबर, 2023 को ईओयू और एसईजेड के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीईएस) के साथ हस्ताक्षरित एमओयू (विस्तार) -** ईओयू और एसईजेड (ईपीसीईएस) के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का नवीनीकरण 25 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में हुआ। यह पुष्टिकरण बढ़े हुए सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पण को रेखांकित करता है। इन संस्थाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण साझेदारी ने न केवल ईओयू और एसईजेड में वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा व्यवहारों के सुधार की सुविधा प्रदान की है, बल्कि भारत में समग्र व्यावसायिक वातावरण को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **24 नवंबर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए -** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए हस्ताक्षर समारोह 24 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद में जीएलओपीएसी, 2023 में हुआ।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन विशिष्ट वित्तीय सेवाओं की मान्यता-** आईएफएससीए के आईसीएआई प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (वित्तीय बाजार प्रभाग) ने वित्तीय सेवाओं की परिभाषा में विशिष्ट वित्तीय सेवाओं की मान्यता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 के अधीन 18 जनवरी, 2024 अधिसूचना जारी की थी :
 - बही-कीपिंग सेवाएं
 - लेखांकन सेवाएं
 - कराधान सेवाएं
 - वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं

आईएफएससीए द्वारा यह ऐतिहासिक निर्णय वित्तीय सेवाओं के उभरते दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) के भीतर एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास

में लेखांकन, बुककीपिंग, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन द्वारा निर्भाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है।

सरकार का समर्थन और सहायता करना

- आईएएस, निदेशक (डीईए) के साथ 16 जून 2023 को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के अधीन लेखांकन, लेखा परीक्षा, बही रखरखाव, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाओं को 'वित्तीय सेवाएं' के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव पर बैठक।
- 9 अगस्त, 2023 को भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के महानिदेशक और सीईओ के साथ बैठक और दो संगठनों के बीच सहयोग के अस्थायी क्षेत्रों पर चर्चा की।
- प्रस्तावित समझौता ज्ञापन और लेखा और वित्त सेवाओं पर संयुक्त अध्ययन के दायरे के लिए 18 अगस्त, 2023 को आईएएस, अध्यक्ष, आईएफएससीए के साथ बैठक।
- संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्रीय परिषद के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ के विकास के लिए पूर्ववर्ती समिति सहित प्रमुख प्रतिनिधि के साथ 28 अगस्त, 2023 को भारत-यूके एफटीए में जटिलताओं पर चर्चा करने के लिए बैठक।
- संयुक्त सचिव, एमओसीआई के साथ 9 नवंबर, 2023 को यूके एफटीए के लिए मोड 3 के अधीन लेखा, बही रखरखाव और संपरीक्षा सेवाओं में भारत के संशोधित सूचीकरण पर और 18 दिसंबर, 2023 को भारत के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर बैठक - ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए।
- बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना 2021-सीएसएसएस के अधीन लेखा और वित्त सेवाओं के अधीन एक पात्र एजेंसी के रूप में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की मान्यता के लिए 1 मार्च, 2024 को वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के साथ बैठक।
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का पता लगाने के लिए 1 मार्च, 2024 को आईआरएस, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी के साथ बैठक।
- आईसीएआई द्वारा आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए 13 मार्च, 2024 को विदेश मंत्रालय के निदेशक के साथ बैठक।
- भारत-यूके एफटीए के अधीन लेखांकन और बही रखरखाव से संबंधित भारत के प्रस्ताव में प्रस्तावित परिवर्तनों पर अंतर्दृष्टि साझा करने पर आईएएस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ 3 अप्रैल, 2024 को आयोजित आभासी बैठक।
- सेवा निदेशक, व्यापार बातचीत विंग - द्विपक्षीय, वाणिज्य विभाग के साथ 5 जून, 2024 को आस्ट्रेलिया के साथ मौजूदा एमआरए में संपरीक्षा एक्सेस राइट प्रस्ताव पर आईसीएआई की सिफारिश के स्पष्टीकरण पर आयोजित आभासी बैठक।

सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी इनपुट (कराधान क्षेत्र के अलावा)

- एमआरए पर बातचीत करने के लिए वृत्तिक निकायों की भारत-यूई सीईपीए उपयोग करार।
- भारत-यूके एफटीए वार्ता में टीआई-आरईजी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण।
- भारत-जापान सीईपीए और भारत-कोरिया सीईपीए के अधीन वृत्तिक सेवाओं में एमआरए – आगे मार्ग के संबंध में।
- मलेशिया के साथ व्यापार और निवेश और एमआरए पर पहला इंडोनेशिया भारत कार्य समूह
- टीआईएस में जेंडर : भारत कनाडा ईपीटीए
- "न्यायिक व्यक्ति" शब्द की परिभाषा : भारत कनाडा ईपीटीए"
- भारत का 11 वां सत्र - सेवाओं में व्यापार पर चर्चा के लिए स्लोवाक जेईसी
- भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग (जेटीएससी) की 5वीं बैठक

- भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता - लेखांकन, बुक कीपिंग और लेखा परीक्षा सेवाओं के संबंध में
- व्यावसायिक सेवाओं में मॉरीशस के साथ एमआरए पर स्थिति अद्यतनीकरण : भारत पर अनुवर्ती कार्रवाई-मॉरीशस सीईसीपीए
- आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के अधीन लेखांकन, लेखा परीक्षा, बही रखरखाव, कराधान सेवाओं और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवा को "वित्तीय सेवाएं" के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव पर आईसीएआई प्रारंभिक टिप्पणियां
- इंडिया-ईएफटीए टीईपीए वार्ता - संशोधित सेवा प्रस्ताव - लेखा और बुककीपिंग और डीओ पत्र - पीपीआर - निवेश उदारीकरण - सेवाओं में व्यापार से संबंधित उपाय - भारत-यूरोपीय संघ एफटीए
- भारत यूएस टीपीएफ सर्विसेज वर्किंग ग्रुप - एक अपडेट
- अपने एफटीए भागीदारों- यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेवाओं में व्यापार पर चल रही बातचीत में लेखा, बही रखरखाव और संपरीक्षा सेवाओं (सीपीसी 862) में भारत के प्रारूप बाजार पहुंच आमंत्रण पर टिप्पणियां
- भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 6 वीं बैठक पर इनपुट
- भारत-यूके एफटीए वार्ता पर इनपुट - लेखांकन और लेखा परीक्षा सेवाओं के संबंध में एमएफएन पर यूके अनुरोध ।
- इंडिया-ईएफटीए टीईपीए वार्ता - संशोधित सेवा प्रस्ताव - लेखा और बही रखरखाव और डीओ पत्र - पीपीआर - निवेश उदारीकरण - सेवाओं में व्यापार से संबंधित उपाय - भारत-यूरोपीय संघ एफटीए
- भारत श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ईटीसीए) : सेवाओं में व्यापार - के संबंध में ।
- व्यावसायिक सेवाओं का गठन कार्य समूह - भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के संबंध में
- भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक
- भारत - ओमान एफटीए सेवा बातचीत- संदर्भित
- भारत पेरू सेवा वार्ता - संदर्भित
- भारत-अमेरिका टीपीएफ सेवाएं कार्य समूह मुद्दे
- भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए कार्यान्वयन - आईसीएआई से संपरीक्षा पहुंच अधिकार आदि से प्रस्ताव के संबंध में ।
- भारत-चिली संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) - एमआरएएस-आरईजी पर इनपुट
- भारत - रूस व्यापार सेवाओं में बैठक 4 जनवरी 2024 को आयोजित - अनुवर्ती कार्रवाई और एक अपडेट
- 21 मार्च, 2024 को आईजेसीईपीए के अधीन जापान के साथ सेवाओं के व्यापार पर 5वीं उप-समिति की बैठक में आईसीएआई की भागीदारी
- भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (आईजेसीईपीए) के लिए संपर्क बिंदु
- भारत-यूके एफटीए के अधीन लेखांकन और बुकिंग से संबंधित भारत के प्रस्ताव पर आईसीएआई इनपुट
- भारत-मॉरीशस उच्च शक्ति संयुक्त व्यापार आयोग (एचपीजेटीसी) की बैठक के दूसरे सत्र के लिए इनपुट
- भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए कार्यान्वयन - आईसीएआई से संपरीक्षा पहुंच अधिकार आदि से प्रस्ताव के संबंध में ।

(II) सदस्यों/छात्रों के लिए पहल

सदस्यों के बीच विदेशी भाषा को बढ़ावा देना


आईसीएआई ने हमारे सदस्यों और छात्रों को विदेशी अवसरों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए ऑनलाइन विदेशी भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारत में विदेशी दूतावासों के लिए आधिकारिक सांस्कृतिक भाषा केंद्र के साथ गठजोड़ किया है। स्थापना के बाद से अब तक किए गए पाठ्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :

- इंस्टीट्यूटो सर्वेट्स के माध्यम से ऑनलाइन स्पेनिश भाषा पाठ्यक्रम, स्पेनिश दूतावास सांस्कृतिक केंद्र - ए1.1 स्तर के 720 अभ्यर्थियों के साथ 39 बैच और ए1. 2 स्तर के 130 अभ्यर्थियों के साथ 13 बैच ।

- एलायंस फ्रांसिस डी दिल्ली के माध्यम से ऑनलाइन फ्रांसीसी भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम - ए1 स्तर के लिए 394 अभ्यर्थियों के साथ 16 बैच ।
- जापान फाउंडेशन के माध्यम से ऑनलाइन जापानी भाषा सीखने का पाठ्यक्रम- ए1 कतसुदू स्तर के लिए 408 अभ्यर्थियों के साथ 20 बैच, ए1 रिकर्ड स्तर के लिए 107 अभ्यर्थियों के साथ 6 बैच, ए2-1.1 के लिए 38 अभ्यर्थियों के साथ 2 बैच । कतसुदू और रिकर्ड और ए2-1.2 कतसुदू रिकर्ड के लिए 13 अभ्यर्थियों के साथ 1 बैच ।
- ऑनलाइन व्यवसाय अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम- 488 अभ्यर्थियों के साथ 7 बैच ।
- मैक्स मुलर भवन/गोएथ संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन जर्मन भाषा पाठ्यक्रम - ए1 स्तर के 17 अभ्यर्थियों के साथ पहला बैच ।

आईसीएआई सदस्यों और छात्रों से विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के लिए वरीयता प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण

आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए 27 फरवरी को सर्वेक्षण आरंभ किया गया था, जिसकी विदेशी भाषा सीखने के लिए अपनी वरीयता देने के लिए अंतिम तारीख 30 जून, 2024 थी । 2086 सदस्यों/छात्रों ने विदेशी भाषाओं को सीखने के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे आईसीएआई को विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के भविष्य के बैच खोलने में मदद मिलेगी ।



(III) सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, उपरोक्त पहलों के अलावा, पूर्ववर्ती समिति ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वैश्विक वृत्तिक अवसरों पर 6 वेबीनार/संगोष्ठी का आयोजन किया था, भारत नीदरलैंड निवेश परिदृश्य - इनबाउंड और आउटबाउंड दृष्टिकोण, विदेशी भाषा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, स्टार्टअप को सशक्त बनाना : मॉरीशस में एंजेल निवेशकों का निर्माण और इनबाउंड और आउटबाउंड निवेश के अवसर - अफ्रीका के गेटवे ।

• आईएएस अधिकारियों के लिए कार्यशाला

आईसीएआई प्रधान कार्यालय में 20 सितंबर, 2023 को "लेखा सेवा क्षेत्र का निर्यात : चुनौतियां और अवसर" पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आईएएस अधिकारियों (2021 बैच) के लिए आयोजित कार्यशाला में 6 आईएएस अधिकारियों और 6 उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया ।

• व्यापार अधिकारी गोलमेज सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं पर व्यापार अधिकारियों का गोलमेज सम्मेलन 25 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में हुआ । इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ (सीडीआईटीएसडब्ल्यूटीओ) के विकास के लिए पूर्ववर्ती समिति द्वारा किया गया था, इस कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्ववर्ती समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा किया गया था । यह 19 दूतावासों के व्यापार अधिकारियों और विदेशी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों सहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं में विशेषज्ञों को एक साथ लाया। प्रतिष्ठित मेहमानों में आईएएस और आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल थे ।

• “अमेरिकी बाजार को खोलना : अंतरराष्ट्रीय आउटसोर्सिंग फर्मों के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों” पर संगोष्ठी

28 और 29 जून, 2024 को बेंगलुरु में स्टार्टअप स्फीयर इवेंट के दौरान “यूएस मार्केट को खोलना : इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग फर्मों के लिए सर्वोत्तम व्यवहार” नामक एक भौतिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एक-डेढ़ दिन की संगोष्ठी के दौरान, स्टार्टअप क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए छह अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए।

• अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आईसीएआई की उपस्थिति

- लेखांकन व्यवसाय एक्सपो (एबीई) मेलबोर्न में वक्ता के रूप में आईसीएआई की भागीदारी 14 से 15 मार्च, 2023 को “लेखांकन और वित्त का भविष्य जहां से यहां और कैसे नवाचार को बढ़ावा देना है” और “एंजेल निवेश और निगरानी अंतर्दृष्टि” विषय पर आयोजित की गई।
- एस्टोनिया और नीदरलैंड के लिए एक प्रतिनिधिमंडल दौरे का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह दौरा 23 से 29 मई 2023 तक 13 प्रतिनिधियों के समूह के साथ हुआ। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीडीआईटीएसडब्ल्यूटीओ के एक प्रतिष्ठित केंद्रीय परिषद सदस्य और अध्यक्ष द्वारा किया गया था। एस्टोनिया के लिए प्रतिनिधिमंडल दूर उन व्यक्तियों को आकर्षित करता है जो मुख्य रूप से विभिन्न पहलुओं जैसे व्यवसाय वित्त, स्टार्टअप पर्यावरण, एंजेल निवेश, स्टार्ट-अप मेंटरिंग, रक्षा, क्लीन टेक (ग्रीन एनर्जी), रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा और डिजिटलीकरण में रुचि रखते हैं। एस्टोनियन दूतावास ने प्रतिनिधिमंडल के लिए करार की एक श्रृंखला को कुशलतापूर्वक समन्वित किया, जिसमें रक्षा डेमो के साथ एक बैठक, ई-एस्टोनिया ब्रीफिंग सेंटर में एक व्यापक ब्रीफिंग, टैलिन में भारतीय दूतावास के साथ एक सार्थक बातचीत, अक्षांश 59 में सक्रिय भागीदारी, बीमलाइन एक्सीलरेटर के साथ जुड़ना, और 24 और 25 मई 2023 को अक्षांश कार्यक्रम के मौके पर नेटवर्किंग अवसर। इसके अलावा, आईसीएआई नीदरलैंड चैप्टर और आईडीएफसी संयुक्त रूप से भारत और नीदरलैंड के बीच “मोबिलाइजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम” नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जो 26 मई 2023 के लिए निर्धारित है।
- अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ के विकास के लिए पूर्ववर्ती समिति और केंद्रीय परिषद के सदस्य ने 12 से 15 सितंबर, 2023 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित डब्ल्यूटीओ पब्लिक फोरम 2023 में “यह कार्रवाई का समय है” विषय पर भाग लिया।
- मंत्री (सीमा शुल्क) और सलाहकार (सेवाएं), भारत के स्थायी मिशन के साथ डब्ल्यूटीओ के साथ 12 सितंबर, 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बैठक।
- जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 13 सितंबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के मंत्री (टीए) और महावाणिज्य दूतावास, स्थायी मिशन के साथ बैठक और संयुक्त राष्ट्र में आईसीएआई सदस्यों के लिए अवसर पर चर्चा की ताकि आईसीएआई हमारे युवा और गतिशील चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से आवश्यकता को पूरा कर सके।
- 14 सितंबर, 2023 को महासचिव आईसीसी स्विट्जरलैंड के साथ बैठक और राष्ट्र निर्माण में आईसीएआई की पहल - एक अवलोकन, डिजिटल (सुरक्षा टोकन पेशकश) बुनियादी ढांचा और इसका विनियमन - भारत में इसके प्रसार के लिए कदम, भारत के साथ सहयोग के अवसर, यूरोप में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समझना पर चर्चा की गई।
- जेनेवा में आईसीएआई सदस्यों के साथ प्रतिनिधि कार्यालय बनाने के लिए बैठक और सदस्यों के लिए आईसीएआई पहल, वैश्विक उपस्थिति और अवसरों पर चर्चा की।
- प्रतिनिधि कार्यालय को चैप्टर में बदलने के लिए 15 सितंबर, 2023 को ज्यूरिख में आईसीएआई सदस्यों के साथ बैठक।
- अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ के विकास के लिए पूर्ववर्ती समिति ने विश्व निवेश मंच 2023 में भाग लिया, 15 से 18 अक्टूबर, 2023 तक दुबई में अबू धाबी में आईएसएआर अंकटाड और गिटेक्स ग्लोबल 2023 में एक पैनल स्पीकर के रूप में भाग लिया।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ के विकास के लिए पूर्ववर्ती समिति (सीडीआईटीएसडब्ल्यूटीओ) ने आईसीएआई बीकेसी कार्यालय में 30 नवंबर, 2023 को अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए उपायुक्त, एनवाईसी मेयर के कार्यालय की विशेषता वाले एक ऐतिहासिक उद्योग बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वित्तीय

सेवाओं, परिसंपत्ति प्रबंधन, पॉलिमर, स्टार्टअप और अन्य जैसे विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग के नेताओं से उत्साही जुड़ाव देखा गया।

- संयोजक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ निदेशालय का विकास, उप संयोजक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ निदेशालय के विकास के साथ, 15 से 16 मई 2024 को अकाउंटैक्स लंदन में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया। पहली बार, आईसीएआई ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में एक स्टाल का प्रदर्शन किया।
- यूके (लंदन) चैंप्टर सदस्यों की बैठक 17 मई, 2024 को लंदन चैंप्टर के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें हिल्टन लंदन टॉवर ब्रिज में छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप को सशक्त बनाना विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ के विकास के लिए पूर्ववर्ती समिति ने सरकारी नामिती, आईसीएआई के साथ मोरक्को में 29 से 2 नवंबर, 2023 तक और सियोल, कोरिया में क्रमशः 9 से 13 जून, 2024 तक भारतीय खाद्य निगम की 55 वीं और 56 वीं वार्षिक बैठक 2023 में भाग लिया।

• आईसीएआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रत्यायोजन

अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ निदेशालय के विकास ने मॉरीशस के वित्तीय सेवा और सुशासन मंत्री के नेतृत्व में मॉरीशस के आर्थिक विकास बोर्ड (ईडीवी मॉरीशस) के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की, जो 14 मार्च, 2024 को उनके भारत व्यापार मिशन के हिस्से के रूप में दिल्ली में था। परस्पर बैठक मॉरीशस में व्यापार करने के नियामक पहलुओं पर केंद्रित थी।

• विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (यूएस मार्केट)

विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (अमेरिकी बाजार) 8 फरवरी 2024 को आयोजित परिषद की बैठक में शुरू किया गया था। विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं को व्यावसायिक कार्यों की आउटसोर्सिंग की जटिलताओं को संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में सदस्यों को अर्थव्यवस्था में विकसित आउटसोर्सिंग सेवाओं से परिचित कराने, सदस्यों को विदेशी आउटसोर्सिंग परिदृश्य में भविष्य के कौशल आदि से लैस करने और सार्वजनिक हित की रक्षा में मदद करने के लिए बदलते वातावरण में प्रथाओं की परिकल्पना की गई है। अब तक, विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं (यूएस मार्केट) पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीन बैच पूरे हो चुके हैं, जिसमें लगभग 450 सदस्य विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं में कुशल और प्रशिक्षित हैं। निदेशालय जल्द ही प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के चौथे बैच के लिए आगामी तारीख की घोषणा करेगा।

• एमएसएमई और स्टार्टअप समिति और सदस्यों और उद्योग समिति के सहयोग से आईसीएआई स्टार्टअप क्षेत्र 2024

एमएसएमई और स्टार्टअप पर समिति और आईसीएआई के सदस्यों और उद्योग समिति के सहयोग से निदेशालय ने 27 जून 2024 से 29 जून, 2024 तक बेंगलुरु में कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ) में स्टार्टअप क्षेत्र 2024 का आयोजन किया। इस समावेशी कार्यक्रम को स्टार्टअप परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए जीवंत स्टार्टअप समुदाय, प्रभावशाली भागीदारों, सम्मानित यूनिकॉर्न, विचार-अग्रणी इंफ्लुएंसर, अग्रणी संस्थापक, कुशल निवेशक, गतिशील लीडर और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को एकजुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम में जेटवर्क, ओपन टेक्नोलॉजी, क्रेड, कॉइंडक्स, स्विगी, कार्डेखो, मैट्रा, पर्फियोस, लीडस्क्वायर्ड, जेप्टो और कई अन्य सहित 15 यूनिकॉर्न के संस्थापकों/सीएफओ/वरिष्ठ प्रबंधन की उपस्थिति देखी गई। बिगबॉस की आवाज से सह-संस्थापक और सीएमओ, वोट लाइफ स्टाइल से फायरसाइड चैट आयोजन के पहले दिन प्रतिभागियों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। इस घटना ने संभावित निवेशकों को आकर्षित किया, जबकि प्रतिभागियों को गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवीनतम रुझानों और नवाचारों के बारे में सूचित किया। फंडिंग पर सत्र, यूनिकॉर्न बनने के मार्ग और वेब 3.0 में स्टार्टअप विकास और अवसरों के लिए एक एंजेल निवेशक या उद्यम पूंजीवादी और डिजिटल मार्केटिंग बनने के तरीके थे।

(IV) ई-न्यूजलेटर

उक्त अवधि के दौरान ग्लोबल गेटवे पर 5 त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर लॉन्च किया गया था।

8. अन्य गैर स्थायी समितियों के कार्यकलाप

8.1 उद्यमशीलता और सार्वजनिक सेवाओं में सदस्यों के लिए समिति (सीएमई एंड पीएस)

उद्यमिता और सार्वजनिक सेवा में सदस्यों के लिए समिति आईसीएआई और उन सदस्यों के बीच एक लिंक प्रदान करती है जो उद्यमिता या सार्वजनिक सेवा में हैं। समिति सफल उद्यमी या सिविल सेवा के इच्छुक सदस्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों पर काम कर रही है; समिति उन सदस्यों की उपलब्धियों को भी मान्यता देती है जिन्होंने अपने संबंधित करियर में अच्छा प्रदर्शन किया है जैसे कि सफल उद्यमी, या सांसद, न्यायपालिका, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईसीओएस, आईआरएस, आईआरएस, आईआरपीएस के रूप में, विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभाग जैसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीबीआई, अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों जैसे अन्य आईटीएटी, एनसीएलटी, अन्य नियामक निकायों सेबी, आईआरडीए, आरबीआई आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीएस राष्ट्र के विकास में लगातार योगदान दे रहा है। समिति का मुख्य उद्देश्य आईसीएआई और उद्यमिता या सार्वजनिक सेवाओं में सदस्यों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद लाइव कनेक्ट बनाना है, जिसका उद्देश्य विभिन्न कार्य कार्यक्रमों को आयोजित करके आईसीएआई की प्रभावकारिता को बढ़ाना और संस्थान के सदस्यों के लिए नए रास्ते और अवसर तलाशना है। समिति राष्ट्रीय महत्व के मामलों की पहचान करने और इस पर विभिन्न अनुसंधान करने के लिए सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई सदस्यों के सुझाव मांगने के उद्देश्य से सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई सदस्यों के लिए आवासीय बैठक/शिखर सम्मेलन का आयोजन करती है। अब तक सीएमईपी द्वारा 12 आवासीय बैठकें और 5 क्षेत्रीय आवासीय बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, समिति अपने सदस्यों के लिए उद्यमशीलता में निहित विभिन्न अवसरों की लगातार खोज कर रही है। उद्यमशीलता और सार्वजनिक सेवाओं में महत्वाकांक्षी सीए को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमईपीएस समिति समय-समय पर सीए सदस्यों के लिए विभिन्न मेंटरशिप/अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम/वेबीनार/संगोष्ठी/क्षेत्रीय बैठकों/परस्पर बैठकों का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सीए सदस्यों को देश में नए उद्यमों, क्षमता निर्माण और उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और मार्गदर्शन प्रदान करना है।

(I) सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई सदस्यों के लिए आवासीय और क्षेत्रीय आवासीय बैठकें

- लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की आवासीय बैठक 17 से 19 जून 2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई थी, जिसमें लोक सेवा में लगभग 100 सदस्य (अब तक आयोजित किसी भी आवासीय बैठक की संख्या में सबसे अधिक) शामिल थे, जिसमें संसद सदस्य (सीए) शामिल थे। न्यायपालिका, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईसीओएस, आईआरएस, आईआरएस, आईआरपीएस, विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभाग जैसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीबीआई, अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य जैसे आईटीएटी, एनसीएलटी, अन्य नियामक प्राधिकरण, सेबी आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, श्रीनगर में उक्त आवासीय बैठक में भाग लिया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू और कश्मीर, मुख्य अतारीख के रूप में इस अवसर पर उपस्थित हुए और उद्घाटन सत्र के दौरान सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई सदस्यों को संबोधित किया। बैठक का आयोजन सदस्यों के इस विशिष्ट खंड की दिशा में संस्थान की पहल के पुनर्गठन और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की पहचान करने के लिए लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों के सुझावों का अनुरोध करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे आईसीएआई अनुसंधान और आगे के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकता है।
- 29 और 30 जुलाई 2023 को फरीदाबाद में लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की पहली क्षेत्रीय आवासीय बैठक (उत्तरी क्षेत्र), जिसमें उत्तरी क्षेत्र से लोक सेवा में लगभग 30 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें वे सदस्य शामिल थे जो सीएफओ (सीएफओ पंजाब नेशनल बैंक, सीएफओ ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर नेटवर्क), आईएएस (उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, आईआरपीएस, आईआरपीएस, आरएस, आईसीओएस, आईबीबीआई जैसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्त मंत्रालय, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, व्यय विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग सूरज कुंड में उक्त क्षेत्रीय आवासीय बैठक में शामिल हुए। अध्यक्ष, सीएमईपी, उपाध्यक्ष, सीएमईपी, परिषद के सदस्य, सरकार के नामिती और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई ने भी इस अवसर पर भाग लिया और सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की पहली उत्तरी भारत क्षेत्रीय आवासीय बैठक के दौरान आईसीएआई के सदस्यों को सार्वजनिक सेवा में संबोधित किया। बैठक का आयोजन सदस्यों के इस विशिष्ट खंड की दिशा में संस्थान की पहल के पुनर्गठन और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की पहचान करने के लिए लोक सेवा में

आईसीएआई सदस्यों के सुझावों का अनुरोध करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे आईसीएआई अनुसंधान और आगे के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकता है।

- **26 और 27 अगस्त 2023 को इंदौर में आयोजित सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की दूसरी क्षेत्रीय आवासीय बैठक (केंद्रीय क्षेत्र)**, जिसमें केंद्रीय और उत्तरी क्षेत्र से सार्वजनिक सेवा में लगभग 30 सदस्यों ने, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरपीएस, आरएस, आईसीओए हैं, जो वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सेबी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यय विभाग, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन जैसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंदौर में उक्त क्षेत्रीय आवासीय बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष, सीएमईपी, उपाध्यक्ष, सीएमईपी, परिषद के सदस्यों ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई और सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की दूसरी क्षेत्रीय आवासीय बैठक (केंद्रीय क्षेत्र) के दौरान आईसीएआई के सदस्यों को सार्वजनिक सेवा में संबोधित किया। बैठक का आयोजन सदस्यों के इस विशिष्ट खंड की दिशा में संस्थान की पहल के पुनर्गठन और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की पहचान करने के लिए लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों के सुझावों का अनुरोध करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे आईसीएआई अनुसंधान और आगे के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकता है।
- **7 और 8 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की तीसरी क्षेत्रीय आवासीय बैठक (दक्षिणी क्षेत्र)**, जिसमें दक्षिण, मध्य और उत्तरी क्षेत्र से सार्वजनिक सेवा में 50 से अधिक सदस्यों ने, जिनमें आईपी (गृह मंत्रालय), सीएफओ (टिडको), आईटीएटी (उपाध्यक्ष, विधि और न्याय मंत्रालय, हैदराबाद), आरएस, आईसीओए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सेबी, इरडाई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोषागारों और खातों के आयुक्तालय, वित्त मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नीति आयोग) जैसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, महाबलीपुरम में उक्त क्षेत्रीय आवासीय बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष, सीएमईपी, उपाध्यक्ष, सीएमईपी, परिषद के सदस्यों और पिछले अध्यक्षों ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई और लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की तीसरी क्षेत्रीय आवासीय बैठक (दक्षिणी क्षेत्र) के दौरान आईसीएआई के सदस्यों को लोक सेवा में संबोधित किया। बैठक का आयोजन सदस्यों के इस विशिष्ट खंड की दिशा में संस्थान की पहल के पुनर्गठन और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की पहचान करने के लिए लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों के सुझावों का अनुरोध करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे आईसीएआई अनुसंधान और आगे के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकता है।
- **मुंबई में 18 और 19 नवंबर 2023 को लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की चौथी क्षेत्रीय आवासीय बैठक (पश्चिमी क्षेत्र)** आयोजित की गई : - 18 और 19 नवंबर 2023 को आयोजित सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की चौथी क्षेत्रीय आवासीय बैठक (पश्चिमी क्षेत्र) मुंबई जिसमें पश्चिमी क्षेत्र से सार्वजनिक सेवा में लगभग 28 सदस्यों, जिसमें आईआरएस, सीएफओ/ईडी, आरएस, आईसीओएस, प्रबंधक शामिल थे, जो वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आरबीआई, सेबी, इरडाई, नाबार्ड जैसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करते थे, महाबलीपुरम में उक्त क्षेत्रीय आवासीय बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष, सीएमईपी, उपाध्यक्ष, सीएमईपी, परिषद के सदस्यों ने भी भाग लिया। बैठक का आयोजन सदस्यों के इस विशिष्ट खंड की दिशा में संस्थान की पहल के पुनर्गठन और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की पहचान करने के लिए लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों के सुझावों का अनुरोध करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे आईसीएआई अनुसंधान और आगे के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकता है।
- **लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की 5वीं क्षेत्रीय आवासीय बैठक (पूर्वी क्षेत्र) 3 फरवरी 2024 को कोलकाता में आयोजित की गई-** 3 फरवरी 2024 को कोलकाता में सार्वजनिक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की 5वीं क्षेत्रीय आवासीय बैठक (पूर्वी क्षेत्र) जिसमें सार्वजनिक सेवा में लगभग 20 सदस्यों ने, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस सदस्य शामिल थे जो वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग, रेल मंत्रालय, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, विधि और न्याय मंत्रालय, आईआरडीएआई, दूरसंचार विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करते थे, कोलकाता में उक्त क्षेत्रीय आवासीय बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष, सीएमईपीएस, उपाध्यक्ष, सीएमईपीएस, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, परिषद के सदस्य भी उपस्थित थे। बैठक का आयोजन सदस्यों के इस विशिष्ट खंड की दिशा में संस्थान की पहल के पुनर्गठन और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की पहचान करने के लिए लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों के सुझावों का अनुरोध करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे आईसीएआई अनुसंधान और आगे के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकता है।

(II) लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की उद्यमशीलता/परस्पर बैठकों में आईसीएआई सदस्यों की परस्पर बैठकें

क्रम सं.	बैठक	तारीख और स्थान	विषय	भागीदारों की संख्या
क. उद्यमशीलता पर आईसीएआई सदस्यों की पारस्परिक बैठक				
1	उद्यमशीलता पारस्परिक बैठक	1 मई, 2023 को श्रीनगर में	एक वैश्विक वृत्तिक होने के लिए कौशल प्राप्त करना, एक उद्यमी के रूप में, व्यवसायी के रूप में, सीईओ के रूप में	55
2	पारस्परिक बैठक	18 मई, 2023 को नई दिल्ली में	वैश्विक उद्यमशीलता और व्यावसायिक अवसर	20
3	उद्यमशीलता पारस्परिक बैठक	19 मई, 2023 को गोवा में	एक वैश्विक वृत्तिक होने के लिए कौशल प्राप्त करना - एक उद्यमी के रूप में - वृत्तिक के रूप में - व्यवसायी के सीईओ के रूप में	17
4	उद्यमशीलता कार्यक्रम	21 अगस्त, 2023 को दिल्ली में	विश्व उद्यमशीलता दिवस, 2023	250
5	उद्यमशीलता कार्यक्रम	30 दिसंबर, 2023 को तमपानूर, तिरुवनंतपुरम में	संपरीक्षा गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल, अभ्यास और उद्यमिता के अवसर कैसे बढ़ाएं	100
6	3 दिवसीय (आवासीय/गैर आवासीय कार्यक्रम)	28 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2023 को उत्कृष्टता केंद्र, आईसीएआई, हैदराबाद में	उद्यमशीलता	200
7	उद्यमशीलता आईसीएआई सदस्यों की उद्यमशीलता बैठक	3 फरवरी, 2024 को कोलकाता में	उद्यमशीलता	--
B. लोक सेवा में आईसीएआई सदस्यों की पारस्परिक बैठक				
1	आईसीएआई सदस्यों के साथ पारस्परिक बैठक	24 मई, 2023 को नई दिल्ली में	सिविल सेवाओं के लिए सीए सदस्यों और सीए अभ्यर्थियों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त और वृद्धि	31
2	आईसीएआई सदस्यों के साथ पारस्परिक बैठक	8 जून, 2023 को मुंबई में	समिति की कई पहलें	15
3	आईसीएआई सदस्यों के साथ पारस्परिक बैठक (दिल्ली/एनसीआर)	7 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में	उद्योग विशिष्ट अनुसंधान गतिविधियाँ, संकाय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम	--

4	आईसीएआई सदस्यों के साथ पारस्परिक बैठक	12 जुलाई, 2023 को मुंबई में	--	--
सीए सिविल सेवा के इच्छुक अभ्यर्थियों और सीए सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए पारस्परिक बैठक, जो उद्यमशील होना चाहते हैं				
1	पारस्परिक बैठक	18 मई, 2024 को नई दिल्ली में (आईआरएस, प्रिंसिपल सीआईटी, आईसीओएस, निदेशक, एलिट आईएस अकादमी, निदेशक, डायडेमी आईएस, संस्थापक, एकेएमवी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे सार्वजनिक सेवा में प्रख्यात संकायों और सदस्यों द्वारा संबोधित किया गया। लिमिटेड, अध्यक्ष, टोबू साइकिल्स एंड एमकेएम ग्रुप, और प्रमोटर, रेमोटोस प्राइवेट लिमिटेड।	--	175
2	पारस्परिक बैठक	1 जून, 2024 को नई दिल्ली में (सार्वजनिक सेवा आईएस, संयुक्त सचिव, बंदरगाह, जलमार्ग और शिपिंग मंत्रालय, आईआरएस, प्रधान सीआईटी, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात), और संस्थापक, एकेएमवी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में प्रख्यात संकायों और सदस्यों द्वारा संबोधित किया गया।	--	160
3	पारस्परिक बैठक	22 जून, 2024 को फरीदाबाद में (सार्वजनिक सेवा आध्यात्मिक अर्थशास्त्री और उद्यमी (उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण में पूर्व न्यायाधीश), आईआरएस, विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग, सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, आईसीओएस, उप निदेशक एफआईयू, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, वरिष्ठ संकाय (अर्थशास्त्र), अगले आईएस, निदेशक, रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड में आयकर के उपायुक्त और "निरोगस्ट्रीट" और संस्थापक और पूर्व मुख्य एंकर "टीपीओटी" के संस्थापक और	--	150

		सीओओ में प्रख्यात संकायों और सदस्यों द्वारा संबोधित ।		
न्यायिक सेवाओं में रुचि रखने वाले सीए सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए पारस्परिक बैठक :-				
1	पारस्परिक बैठक	28 जून, 2024 को नई दिल्ली में (दृष्टि आईएस और महत्वाकांक्षा कानून संस्थान, नई दिल्ली के प्रख्यात संकायों द्वारा संबोधित)	--	--

(III) भागीदारी/बैठक में भाग लिया गया- सार्वजनिक सेवाएं

- नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी में 24 मई 2023 को (सलाहकार), उप निदेशक, सहायक निदेशक, आईआरएस उप निदेशक आयकर (जांच) के साथ सार्वजनिक सेवा में सदस्यों के साथ बैठक और बातचीत ।
- एसएफआईओ, प्रदीप बलियान, नई दिल्ली के साथ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में 7 जुलाई 2023 को आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में सार्वजनिक सेवा में सदस्यों के साथ बैठक और बातचीत ।
- एनआईएफएम संस्थान और मानव रचना संस्थान, फरीदाबाद के साथ 20 जुलाई 2023 को बैठक और बातचीत ।
- एनएफआरए कार्यालय, सरकारी ई बाजार कार्यालय में (जीईएम) बाजार प्रमुख, विभाग प्रमुख, डीजीएफटी कार्यालय के अतिरिक्त डीजीएफटी के साथ और 21 जुलाई 2023 को अन्य सहयोगियों के साथ पीएमएलए कार्यालय में बैठक और बातचीत ।
- सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (डीओपीटी) सरकार में लोक सेवा में सदस्यों के साथ लेखा और वित्त, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), नई दिल्ली 26 जुलाई 2023 को बैठक और बातचीत ।
- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय और एसपीयूडब्ल्यूएसी कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय में 27 जुलाई 2023 को सार्वजनिक सेवा में सदस्यों के साथ बैठक और बातचीत ।
- आईटीएटी इंदौर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में 4 अगस्त 2023 को सार्वजनिक सेवा में सदस्यों के साथ बैठक और बातचीत । केंद्रीय जीएसटी, इंदौर के उपायुक्त के साथ बैठक । अतिरिक्त आयुक्त, जीएसटी इंदौर, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, मध्य प्रदेश, इंदौर के साथ बैठक।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय में 18 अगस्त 2023 को सार्वजनिक सेवा में सदस्यों के साथ होटल ले मेरिडियन, ई मोबिलिटी इंडिया फोरम में 64वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में बैठक और बातचीत ।

(IV) भागीदारी/बैठक में भाग लिया गया- उद्यमशीलता

- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) और मानव रचना विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ 20 जुलाई 2023 को बैठकें आयोजित की गईं ।
- 27 जुलाई को, वैश्विक रसायन और पेट्रोरसायन विनिर्माण केंद्र (जीसीपीएमएच 2023) नई दिल्ली में 27-28 जुलाई 2023 को आयोजित ।
- 20 जुलाई 2023 को, सिविल सेवाओं और उद्यमिता कार्यक्रम पर प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, मानव रचना विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के संकायों के अधिकारियों के साथ बैठकें
- जीईएम के साथ उद्यमिता कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए 21 जुलाई 2023 को दिल्ली में जीईएम के अधिकारी, सरकारी ई मार्केटप्लेस के साथ 21 जुलाई को बैठक ।
- 26 जुलाई को सिविल सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सिविल सेवा कार्यक्रमों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी ।

- नई दिल्ली में 25-26 सितंबर 2023 को सीपीएसई गोलमेज और प्रदर्शनी 2023 ।
- आईसीएआई भवन, प्रेमचंद नगर कॉलोनी, वाराणसी में शनिवार, 26 अगस्त 2023 को आयोजित बुध दिवस मनाने के लिए उद्यमिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम ।

(V) संगोष्ठी/वेबीनार

समिति ने उद्यमिता पर अवधि के दौरान 11 संगोष्ठी और 64 वेबीनार आयोजित किए- 'अभ्यास विकास' के लिए मूल्य निर्माण और मूल्य कैप्चर के दृष्टिकोण, उद्यमिता की जरूरतें और चुनौतियां, एक वैश्विक वृत्तिक होने के लिए कौशल प्राप्त करना, सिविल सेवा के आकांक्षी को सशक्त बनाना : लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति, प्रभावी व्यावसायिक लेखन का A से Z, डिजिटल परिवर्तन की शक्ति : व्यवसाय और वृत्ति के आधुनिकीकरण के लिए रणनीतियां' आदि।

8.2 विधि निदेशालय

- (I) शाजी पॉलोस बनाम आईसीएआई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तारीख 17.05.2024 - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन सीए द्वारा संपरीक्षा की संख्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए आईसीएआई द्वारा दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति को बरकरार रखना।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाजी पॉलोस बनाम आईसीएआई में तारीख 17.05.2024 के अपने निर्णय में इस सवाल पर विचार किया है कि क्या संस्थान की परिषद कर लेखा परीक्षाओं की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए सक्षम है, जो आयकर अधिनियम की धारा 44कख के अधीन एक वर्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा आयोजित किया जा सकता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन है और क्या इस तरह के प्रतिबंध अनुचित हैं और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन गारंटीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वृत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करते हैं। आईसीएआई द्वारा दायर एक अंतरण याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 09.12.2022 के आदेश द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित 74 रिट याचिकाओं और मामलों का निपटारा किया गया। उक्त आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने नोट किया कि शामिल प्रश्न सार्वजनिक महत्व का था और कानून के प्रश्न के व्यापक निपटान की आवश्यकता थी और आईसीएआई द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका की अनुमति दी थी।

139-पृष्ठ के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :-

“क) परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित तारीख 08.08.2008 के दिशानिर्देशों का खंड 6.0, अध्याय VI आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा की संख्या को प्रतिबंधित करना वैध है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वृत्ति का अभ्यास करने के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है और संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अधीन संरक्षित या उचित है।”

ख) तथापि, उक्त खंड 6.0, दिशानिर्देशों का अध्याय VI तारीख 08.08.2008 और इसके बाद के संशोधनों को 01.04.2024 तक प्रभावी नहीं माना जाता है।

ग) परिणामस्वरूप, रिट याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के संबंध में लगाए गए दिशानिर्देश के अनुसार आरंभ की गई सभी कार्यवाही रद्द हो गई है।

घ) यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कार्य कर सकता है, तो संपरीक्षा की निर्दिष्ट संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तरदाता-संस्थान को स्वतंत्रता आरक्षित है।

ङ) स्वतंत्रता रिट याचिकाकर्ताओं या उत्तरदाता-संस्थान के किसी अन्य सदस्य के लिए भी आरक्षित है जो उपरोक्त संदर्भ में एक प्रतिनिधित्व करने के लिए है, जिसे उस घटना में ध्यान में रखा जा सकता है उत्तरदाता-संस्थान बिंदु संख्या के अनुसार दिशानिर्देश में संशोधन करने का आशय रखता है।

- (II) हरिंदरजीत सिंह बनाम अनुशासनात्मक समिति (पीडब्ल्यूसी मामले) दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय कि आईसीएआई पूरी सीए फर्म के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है यदि व्यक्तिगत सीए को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरिंदरजीत सिंह बनाम अनुशासनात्मक समिति में अपने निर्णय तारीख 03.07.2024 को नियम दिया है कि आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है यदि किसी व्यक्ति को उनके विरुद्ध शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर

दिया कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार की जांच की प्रक्रिया और मामलों के संचालन) नियम, 2007 के नियम 8 के अधीन 'संबंधित सदस्य' के रूप में नामित व्यक्ति ही कदाचार का आरोप लगाने वाली किसी भी शिकायत के संबंध में आईसीएआई के प्रति जवाबदेह हैं।

अपने निर्णय में न्यायालय ने नियम बनाया है कि "न्यायालय ने आज नियमों के नियम 8 की व्याख्या की है और यह माना है कि जब डीसी की राय है कि किसी एक व्यक्ति को आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, तो अनुशासनात्मक समिति पूरी तरह से फर्म के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।" न्यायालय ने देखा कि नियम यह स्पष्ट करते हैं कि फर्म को नोटिस उन सभी सदस्यों को नोटिस दिया जाएगा जो शिकायत के रजिस्ट्रीकरण की तारीख को फर्म के कर्मचारियों के भागीदार हैं। इसने स्पष्ट किया कि जहां आरोप फर्म द्वारा किए गए समझौते के संबंध में हैं, केवल एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं हो सकता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि "ऐसे मामले में जहां किसी एक घटना या किसी सदस्य के कार्य के संबंध में कोई शिकायत या आरोप हैं, फर्म उस विशेष व्यक्ति को नामित कर सकती है, जो उक्त अधिनियम से जुड़ा था, जिसे कथित रूप से कदाचार माना जाता है।" हालांकि स्थिति समान नहीं होगी, ऐसे मामले में जहां आरोप अन्य अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ फर्मों द्वारा की गई व्यवस्था के संबंध में हैं, जो दशकों और कई समझौतों में फैला हुआ है। शिकायत का जवाब देने के लिए उत्तरदायी होने के लिए ऐसी स्थितियों में एक भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि दोषी पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में फर्म को समग्र रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, जिसमें विफल होने पर अधिनियम को सत्य नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी देखा कि यदि आईसीएआई की अनुशासनात्मक समिति की राय है कि कोई सदस्य आरोपों के लिए गलत रूप से उत्तरदायित्व ले रहा है, जो व्यापक हैं, तो वैधानिक निकाय पूरी तरह से उत्तरदायी होने के रूप में फर्म को पकड़ने के लिए सक्षम है। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि "उनकी फर्मों सहित याचिकाकर्ताओं को आईसीएआई द्वारा जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाता है और उनकी उपस्थिति के लिए सुनवाई की तारीख तय की जाती है।" चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वृत्ति के महत्व पर जोर देते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है :-

"कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी चूक या शिथिलता से बड़े पैमाने पर नुकसान और वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। सीए न केवल अपने ग्राहकों के लिए बल्कि उनकी सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए भी एक जिम्मेदारी है कि कानून का अनुपालन करना है। उक्त पेशा देश के साथ-साथ समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए भी एक कर्तव्य है। इस प्रकार, आईसीएआई जैसे नियामक निकाय की स्थापना द्वारा सीए के वृत्ति का विनियमन उक्त वृत्ति की ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि निम्नलिखित कार्य करने की प्रख्यात आवश्यकता है :-

- 2022 के संशोधन अधिनियम द्वारा पारित संशोधनों को शीघ्रता से अधिसूचित करके आईसीएआई को मजबूत करना;
- बहु-राष्ट्रीय लेखा फर्म जिस ढांचे में काम कर सकती हैं, उसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए परामर्श करना;

न्यायालय ने अपने निर्णय के दौरान, बहु-राष्ट्रीय लेखा फर्मों के संदर्भ में निम्नानुसार टिप्पणी की :-

"ऐसी फर्म युवाओं के लिए अपार अवसरों के साथ भारत में वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों को लाने में भी योगदान करती हैं।" वे वैश्विक स्तर पर भी भारतीय व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार, लाइसेंसिंग समझौतों, ब्रांड उपयोग आदि से संबंधित प्रावधानों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।"

याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 1,00,000/- रुपये लागत लगाई। दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील पर उपरोक्त निर्णय पर रोक लगा दी है। मामला अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है।

(III) दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा के आम चुनावों को देखते हुए मई, 2024 में निर्धारित सीए परीक्षा को स्थगित करने के लिए छात्रों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल, 2024 को अप्रैल-जून, 2024 में हुए लोकसभा चुनावों को देखते हुए सीए परीक्षाओं को जून, 2024 तक स्थगित करने की मांग करने वाले 27 अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। रिट याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की :

यह तथ्य कि परीक्षा लेने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में कठिनाई हो सकती है, न्यायालय के लिए परीक्षा को पटरी पर लाने का आधार नहीं हो सकता है, जिसे लगभग 436246 अभ्यर्थियों द्वारा लिया जाना है। यह न्यायालय आश्चर्यचकित है कि ऐसा अनुरोध किया गया है।”

इसके अलावा, निर्णय के पैरा 13 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की :-

इसलिए, प्रतिवादी (आईसीएआई) सक्रिय रहा है और यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षाओं को करने वाले अभ्यर्थियों का अधिकार, अपने वोट डालने के लिए, परीक्षा आयोजित करने से प्रभावित नहीं हो। परीक्षा का समय-निर्धारण ऐसा किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक व्यक्तिगत उम्मीदवार सक्षम है, तो उसे अपना वोट डालने और परीक्षा देने की इच्छा होनी चाहिए। प्रतिवादी से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के लिए अब अपने कार्यक्रम तैयार करने और तदनुसार अपने यात्राक्रम को समायोजित करने के लिए है।

छात्रों के एक अन्य समूह ने मई और जून, 2024 के महीने में होने वाले आम लोकसभा चुनावों के कारण मई, 2024/जून, 2024 के महीने में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा को स्थगित करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल, 2024 को रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है :

“कोविड 19 महामारी के दौरान की गई व्यवस्थाएं पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं क्योंकि देश को तब अभूतपूर्व अनुपात के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ा था। मांगी गई राहत नियमों के विपरीत है और इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है।”

8.3 अवसंरचना विकास समिति (आईडीसी)

अवसंरचना विकास समिति का गठन संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया है। स्थापना के बाद से, आईसीएआई के पास एक मजबूत बुनियादी ढांचा नीति है, जो वित्तीय विवेक और अनुशासन सुनिश्चित करती है। इस वर्ष, समिति ने शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों/कार्यालयों के लिए बुनियादी ढांचा नीति में संशोधन किया है। नीति परिभाषित करती है कि क्या सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, स्थानीय बुनियादी ढांचा समितियों की संरचना, भूमि/भवन के अधिग्रहण के लिए नीति और प्रक्रिया, सांकेतिक क्षेत्र, प्रधान कार्यालय से अनुमेय अनुदान, शक्तियां और संस्थान के भीतर विभिन्न प्राधिकरणों के साथ निहित प्रतिनिधिमंडल।

आईसीएआई द्वारा अब तक स्थापित कुल 176 शाखाओं में से 102 शाखाओं का अपना परिसर है। 13 शाखाएँ (वर्तमान में किराए के परिसर से कार्य कर रही हैं) जिन्होंने उस भूमि की खरीद की है जिस पर या तो निर्माण आरंभ होना बाकी है या निर्माण चल रहा है। 11 शाखाओं (अपने परिसर से कार्यरत) ने भूमि की खरीद की है जहां या तो निर्माण आरंभ होना बाकी है या निर्माण चल रहा है। 61 शाखाओं के पास भूमि या भवन नहीं है। क्षेत्रवार ब्रेक-अप निम्नानुसार है :

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पणियां					योग
		डब्ल्यूआई आरसी	एसआई आरसी	ईआई आरसी	सीआई आरसी	एनआई आरसी	
1	शाखाओं की कुल संख्या	36	45	13	57	25	176
2	अपने परिसर वाली शाखाओं की संख्या	21	34	6	31	10	102
3	भूमि पर स्थित शाखाओं की संख्या, जिस पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है या अभी शुरू होना है (किराए के परिसर से संचालित)	1	2	0	5	5	13
4	शाखाओं की संख्या, जिनके पास स्वयं के परिसर के अलावा भूमि है जिस पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है या अभी शुरू होना है (स्वयं के परिसर से कार्य कर रहे हैं)	3	2	1	5	0	11

5	भूमि या भवन वाली शाखाओं की कुल संख्या	14	9	7	21	10	61
---	---------------------------------------	----	---	---	----	----	----

हाल ही में, एनबीसीसी पूरे भारत में आईसीएआई की परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी लगा हुआ है। तथापि, एनबीसीसी नोएडा सेक्टर सी1 कार्यालय का नवीनीकरण कर रहा है।

8.4 अंतर्राष्ट्रीय मामले समिति (आईएसी)

(I) विदेश में वृत्तिक अवसरों की पहचान के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति की पहल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पंखों को फैलाने के लिए, आईसीएआई सदस्यों की योग्यता को पहचानने के लिए विश्व स्तर पर लेखा निकायों के साथ योग्यता पारस्परिकता समझौते में दोनों छोरों पर प्रवेश कर रहा है। ये करार दो लेखा संस्थानों के बीच कार्य संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ये समझौते दोनों छोर पर वृत्तिकों के लिए बढ़ती गतिशीलता में एक कदम आगे हैं और वैश्विक स्तर पर व्यापार के लिए एक नए आयाम का आरंभ करते हैं। आईसीएआई ने इंग्लैंड और वेल्स में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ अपने समझौते को नवीनीकृत किया।

• आईसीएआई के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण

आईसीएआई और आईसीएआई के बीच संबंध 2008 से पहले है जब दोनों निकायों के बीच पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) को 24 अप्रैल, 2023 को लंदन में नवीनीकृत किया गया। तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई ने आईसीएआई के अन्य परिषद सदस्यों, आईसीएआई और आईसीएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किसी भी संस्थान के उचित रूप से योग्य सदस्यों को उनकी मौजूदा अकाउंटेंसी योग्यता के लिए उचित क्रेडिट प्राप्त करके अन्य संस्थान में शामिल होने में सक्षम बनाना जारी रखेगा और यूके में भारतीय सीए के लिए बहुत सारे वृत्तिक अवसर लाएगा। दोनों पक्षों के बीच, शिक्षा और परीक्षा में सर्वोत्तम व्यवहारों सहित पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई; जैसे संवहनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दिवाला जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और कैसे दोनों संस्थान बी20 की बैठकों में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकते हैं।

• आईसीएआई सदस्य को आईएससीए के सहयोगी सदस्य के रूप में मान्यता

आईसीएआई और इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (आईएससीए) दोनों संस्थानों के बीच एमआरए की संभावना की खोज कर रहे हैं। एक और विकास में, आईएससीए ने आईसीएआई योग्यता को आईएससीए की सहयोगी सदस्यता के लिए मान्यता प्राप्त वृत्तिक योग्यता में से एक के रूप में मान्यता दी है। यह सिंगापुर में रहने वाले सभी आईसीएआई सदस्यों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, जिनके पास सिंगापुर में कम से कम 6 महीने का स्थानीय कार्य अनुभव है। आईसीएआई के पास कुछ निकायों के साथ एकतरफा मार्ग और कार्यक्रम हैं, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अंतर्राष्ट्रीय मार्ग कार्यक्रम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएआई), मलेशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बोत्सवाना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और फिजी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स।

(II) आईसीएआई के वैश्विक पदचिह्नों को बढ़ाना

• आईसीएआई विदेशी चैप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से विश्व स्तर पर ब्रांड सीए को बढ़ाना

आईसीएआई हमेशा विदेशों में स्थित अपने सदस्यों की प्रभावी और कुशलता से सेवा करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है। आईसीएआई के पास अब 47 देशों में 81 वैश्विक शहरों में 50 चैप्टर और 31 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, इस प्रकार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अधिक वृत्तिक रास्ते पैदा करने के लिए दुनिया भर में 'सीए इंडिया' को 'ब्रांड' के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आईसीएआई ने फिलाडेल्फिया, मिशिगन, एरिजोना और सीटल में 6 चैप्टरों का उद्घाटन किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैरो (मिस्स) और एडेलाइड (ऑस्ट्रेलिया) और रॉटरडैम (नीदरलैंड) में एक प्रतिनिधि कार्यालय को भी मंजूरी दी गई थी। विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालय खोले जाते हैं जहां वर्तमान में आईसीएआई चैप्टर नहीं बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार विदेशों में आईसीएआई सदस्यों को एक साथ लाया जा सकता है और अपने सदस्यों तक प्रभावी पहुंच और सेवा को सक्षम किया जा सकता है, इस प्रकार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अधिक वृत्तिक अवसर पैदा करने के लिए 'भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट' को दुनिया भर में एक 'ब्रांड' के रूप में स्थापित करने में सहायता करता है।

• आईसीएआई सर्वश्रेष्ठ विदेशी अध्याय पुरस्कार 2023

वर्ष 2013 से, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति (आईएसी) विदेशों में अपने चैप्टरों के लिए आईसीएआई सर्वश्रेष्ठ चैप्टर पुरस्कार का आयोजन कर रही है, जो हर साल आईसीएआई वार्षिक समारोह में 'सीए इंडिया' ब्रांड को बढ़ाने में अध्याय प्रबंधन समिति के प्रयासों की सराहना करने और सदस्यों को एक मंच प्रदान करने के लिए सम्मानित किया जाता है। नेटवर्किंग के लिए इस प्रकार विदेशी मिट्टी में सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना पैदा करता है। वे चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के क्षितिज को आगे बढ़ाने में चैप्टरों के विशिष्ट प्रयासों और अनुकरणीय उपलब्धियों को पहचानते हैं। सर्वोत्तम विदेशी चैप्टरों का चयन समय-समय पर अनुमोदित परिभाषित मापदंडों के आधार पर किया जाता है। आईसीएआई के वार्षिक दिवस समारोह में 2023 के लिए पुरस्कार वितरित किए गए।

• अंतरराष्ट्रीय निकायों पर आईसीएआई के प्रतिनिधि

समय-समय पर, आईसीएआई के प्रतिनिधि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लेखा निकायों के नेतृत्व पदों पर रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आईसीएआई उभरती प्रवृत्तियों और ज्ञान विकास में सबसे आगे रहे। वर्तमान में, आईसीएआई का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित बोर्ड/समिति में किया जा रहा है :-

- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट (आईएफएसी) - बोर्ड सदस्य ; तकनीकी सलाहकार ; और सलाहकार समूह सदस्य
- सार्वजनिक हित निरीक्षण बोर्ड (पीआईओबी) - सदस्य
- एशियाई और प्रशांत लेखाकार परिसंघ (सीएपीए) - अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य और समिति सदस्य
- दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एसएएफए) - सलाहकार, बोर्ड और सभा सदस्य, तकनीकी सलाहकार, समिति अध्यक्ष और समिति के सदस्य
- दुनिया भर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीएडब्ल्यू) - बोर्ड सदस्य, तकनीकी सलाहकार, संचालन समूह सदस्य और टास्क फोर्स सदस्य।
- एडिनबर्ग ग्रुप - उपाध्यक्ष (वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में), तकनीकी सलाहकार
- आईएफआरएस फाउंडेशन - समितियों के सदस्य/सलाहकार फोरम, कार्यान्वयन समूह
- आसियान फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट (एएफए) - सहयोगी सदस्य और कार्य समिति के सदस्य
- पैन अफ्रीकन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (पीएएफए) - संबद्ध सदस्य
- यूएनसीटीएडी – आईएसएआर - अध्यक्ष
- एक्सबीआरएल, अंतर्राष्ट्रीय - बोर्ड सदस्य
- आईसीएआई के ब्रांड औचित्य का वैश्वीकरण
 - आईएफएसी, अध्यक्ष के साथ गोलमेज वार्ता

आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई के तत्कालीन उपाध्यक्ष, एमआईए द्वारा मेजबान किए गए आईएफएसी, अध्यक्ष के साथ 12 जून, 2023 को "गोलमेज वार्ता" में उपस्थित हुए। यह आईएफएसी के साथ नेटवर्क बनाने के लिए आईसीएआई और अन्य पीएओ, दोनों स्थानीय और अंतरा स्त्रीम निकायों के साथ वार्ता करने का एक अवसर था। तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई ने आयोजन में एक प्रस्तुति दी थी, जिसमें उसने व्यवसाय की भावी संगतता के लिए आईसीएआई द्वारा किए गए विभिन्न क्षमता और सक्षमता निर्माणकारी प्रयासों की प्रतिभागियों को जानकारी दी।

➤ आईसीएआई संयोजनकारी समारोह

आईसीएआई ने 12 जून, 2023 को मलेशिया में आईसीएआई संयोजनकारी समारोह का आयोजन किया था, जिसमें मलेशिया के महामहाम, भारतीय उच्चायुक्त, उद्यम विकास और सहकारिता उप मंत्री, अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई तथा आईसीएआई की मलेशिया (कुवालालंपुर) शाखा की प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित थे। यह "आईसीएआई संयोजनकारी" समारोह मलेशिया में लेखाशास्त्र व्यवसायियों की बढ़ती हुई

संख्या के माध्यम से भारतीय लेखाशास्त्र विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए एक उचित अवसर था। प्रतिभागियों द्वारा समारोह की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई थी।

➤ एमआईए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

“भविष्य अनुकूल व्यवसाय : उन्नत भविष्य की रूपरेखा तैयार करना” थीम पर एमआईए अंतर्राष्ट्रीय लेखा सम्मेलन कुवालालंपुर में 13 जून, से 14 जून, 2023 तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 16 सत्र थे, जिसमें 80 वक्ताओं तथा 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, दो परिषद् सदस्य, आईसीएआई पेनल सत्र “सीएसआईसी : पोषणीयता के लिए एसएमई का सजीकरण” – एसएमपी की भूमिका में पेनलीकृत व्यक्तियों ने भाग लिया। आईसीएआई ने एमआईए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ सहभागिता की और सम्मेलन में आईसीएआई का मंडप था, जहां इसने वैश्विक पीएसी तथा वैश्विक सुसंगता की और इसकी विभिन्न पहलों को बढ़ावा दिया था। आईसीएआई ने मंडप में अपने प्रकाशनों का भी प्रदर्शन किया। इसने मलेशिया में आईसीएआई के आधार को सुदृढ़ करने के लिए आईसीएआई की सहायता की और आईसीएआई को प्रतिनिधियों से अच्छा उत्तर मिला।

➤ अफ्रीका लेखाकार कांग्रेस (एसीओए) 2023 में आईसीएआई की सहभागिता

आईसीएआई ने 7वीं अफ्रीकी लेखाकार कांग्रेस (एसीओए) के साथ सहयोजित हुआ, 15-18 मई, 2023 तक अबीदजान, आईवोरी तट में सर्व अफ्रीका लेखाकार परिषद का प्रमुख समारोह आयोजित हुआ। 54 देशों से 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में भाग लिया, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई, भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, आईसीएआई की परिषद् के एक सदस्य ने विभिन्न सत्रों में संबोधन दिया था। आईसीएआई को एसीओए में विशालतम मंडप को संप्रदर्शित करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें आईसीएआई की नवीनतम पहलों को प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शित किया गया और उनका मूल्यांकन किया गया।

➤ लंदन में आईसीएआईडब्ल्यू - आईसीएआई समारोह

आईसीएआई ने आईसीएआईडब्ल्यू के साथ मिलकर “लेखाशास्त्र का वैश्वीकरण : डिजिटल युग में भारत – यूनाइटेड किंगडम” पर 25 सितंबर, 2023 को एक संयुक्त समारोह आयोजित किया। तत्कालीन अध्यक्ष ने तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई के साथ और अध्यक्ष, आईसीएआईडब्ल्यू ने फायर साइड चैट में भाग लिया और दो संस्थाओं के बीच संबंध तथा उनकी किसी भी सिरे पर व्यवसाय की उन्नति के लिए भावी योजनाओं पर बोले। “सहक्रिया प्रवर्तन : लेखाशास्त्र आउटसोर्सिंग में सहयोगात्मक अवसर और वैश्विक क्षमता केंद्र” विषय पर एक उच्च स्तरीय पेनल परिचर्चा भी आयोजित किया गया था, जिसमें प्रमुख आउटसोर्सिंग फर्मों को सहयोगात्मक अवसरों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

➤ आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के भाग के रूप में आईसीएआई

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए, जीआईएफटी आईएफएससी और विदेश में निवेशकर्ताओं को इसका फायदा, आस्ट्रेलिया में लेखांकन और लेखापरीक्षा व्यवसाय पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 28 अगस्त, 2023 से 1 सितंबर, 2023 तक आस्ट्रेलिया का दौरा किया। आईएफएससी में लेखाशास्त्र और बहीखाता के महत्व पर विचार करते हुए, इस दौरे में आईसीएआई की सहभागिता अनिवार्य थी और तदनुसार आईएफएससी ने तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई को इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का भाग होने के लिए आमंत्रित किया था। तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने आस्ट्रेलिया इंडिया विसिनेस काउंसिल, बलूमबर्ग द्वारा सिडनी में 28 अगस्त 2023 में संयुक्त रूप से आयोजित बैंकों, बीमा और पूंजी बाजार संस्थाओं के साथ गोलमेज अन्यान्य क्रिया में भाग लिया। उन्होंने मेलबोर्न में 31 अक्टूबर, 2023 को आईएफएससी में आस्ति प्रबंधक (सुपर निधियों सहित) संबंधी अवसरों पर एक अन्य गोलमेज अन्यान्यक्रिया में भाग लिया। साथ-साथ, सिडनी और मेलबोर्न में आईसीएआई कीशाखाओं ने बलूमबर्ग, गिफ्ट सिटी और कंसुलेट जनरल आफ इंडिया के साथ सिडनी और मेलबोर्न में संयुक्त रूप से 28 अगस्त, 2023 और 31 अगस्त, 2023 को सिडनी और मेलबोर्न स्थित इंडियाज मेडन आईएफएससी गिफ्ट सिटी में कारबार अवसर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित

किया था। इसके अतिरिक्त, सीपीए आस्ट्रेलिया ने भी मेलबोर्न में 30 अगस्त, 2023 को “मीट एंड ग्रीट इवेन्ट” आयोजित किया था, जिसमें आईसीएआई और सीपीए आस्ट्रेलिया से लगभग 50 सदस्यों ने भाग लिया था।

➤ विश्व निवेश मंच में आईसीएआई की उपस्थिति

आईसीएआई की पहल “पोषणीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)” ने आबूधाबी में 17 अक्टूबर, 2023 को विश्व निवेश मंच पर आईएसएआर सम्मान समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया था। आईसीएआई ने संपूर्ण विश्व से आई 70 पहलों में आईएसएआर सम्मान के इस वर्ष के सत्र में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। आईएसएआर आनर्स ऐसी नीति, संस्थागत या क्षमता निर्माण पहलों को मान्यता प्रदान करता है, जो पोषणीय संबंधी 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में अपने योगदान पर आंकड़े प्रकाशित करने के लिए, पोषणीयता मुद्दों पर, जिनमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जैसे मुद्दों को, कंपनियों के रिपोर्टिंग चक्र में पोषणीयता सूचना के एकीकरण का संवर्धन करना भी है, सम्मिलित है, कंपनियों की रिपोर्टिंग में सुधारों को सुकर बनाने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहन देती हैं और सहायता करती है। आईसीएआई का अपना भी मंडप था, जिसमें आईसीएआई प्रकाशन, जीएलओ पैक और आईसीएआई की अन्य पहलों को भी प्रदर्शित किया गया था और मंडप की प्रतिनिधियों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई थी। इससे आईसीएआई के लिए वैश्विक ब्रांडिंग बनाने में मदद मिली।

(III) आईसीएआई का दौरा करने वाले प्रतिनिधि

• मुंबई में सीआईआई की साइडलाइन में आईसीएआई डब्ल्यू कृत्यकारियों के साथ बैठक

अध्यक्ष, आईसीएआई ने प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय – आईसीएआई डब्ल्यू और सामरिक सलाहकार – भारत – आईसीएआई डब्ल्यू के साथ 13 मार्च, 2024 को मुंबई में सीआईआई अधिवेशन की साइड लाइनों के दौरान मुलाकात की थी। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि प्रौद्योगिकी और पोषणीयता पहलों में वैश्विक लेखाशास्त्र व्यवसाय के विकास के लिए दो संस्थान कैसे सहक्रिया कर सकते हैं।

• सीए मालदीव से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दो परिषद् सदस्य और शैक्षणिक समिति सभापति से मिलकर बने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने आईसीएआई का 18 दिसंबर, 2023 को दौरा किया था। विशेषज्ञता प्राप्त ज्ञान और कौशल वाले मालदीव में वित्त व्यवसायियों को समझौता ज्ञापन के तत्वाधान में सशक्त करने के लिए, सीए मालदीव से आए प्रतिनिधि मंडल ने आईसीएआई से सहायता मांगी और एक ऐसी सहयोगात्मक पहल का प्रस्ताव किया, जो मालदीव में वित्त व्यवसायियों की वृत्तिक क्षमताओं को बढ़ाने वाले लक्ष्यित विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों को परिदत्त करने में आईसीएआई की विशेषज्ञता की प्रभावना क्षमता रखती हो। तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई उन्हें आईसीएआई की तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन दिया और प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में आईसीएआई की अत्यधिक प्रशंसा की थी।

• इंग्लैंड और वेल्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई डब्ल्यू) से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

निदेशक नीति ने नई दिल्ली स्थित आईसीएआई भवन का दौरा किया और तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई तथा तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई से 16 मार्च, 2023 को मुलाकात की थी। बैठक का उद्देश्य इस बात पर विचार-विमर्श करना था कि दो संस्थान ईएसजी, दिवाला, शोध आदि जैसे व्यवसायों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में आगे और कैसे सहयोग कर सकते हैं।

• सीपीए आस्ट्रेलिया से प्रतिनिधि मंडल का आईसीएआई का दौरा

हैड ग्लोबल ग्रोथ और ब्रांड स्ट्रेटजी आस्ट्रेलिया, हैड इंडिया और उसकी टीम ने आईसीएआई का दौरा किया और नई दिल्ली में 12 मार्च, 2024 को अध्यक्ष, आईसीएआई से मुलाकात की। बैठक ने कृत्रिम आसूचना, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी), कारपोरेट शासन, एमएसएमई, अनुसंधान इत्यादि के क्षेत्रों में प्रत्येक दृष्टि से सदस्यों के फायदे के लिए दो संस्थानों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रों पर चर्चा करना था।

(IV) तकनीकी सहयोग करार

• मालदीव में एसएफए – आईएफआरएस – आईएसए मंच, 2023 पर आईसीएआई और सीए मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना

आईसीएआई ने मालदीव के माननीय भारत के उच्चायुक्त की उपस्थिति में 20 अगस्त, 2023 को सीए मालदीव द्वारा मेजबानी किए गए एसएफएआई एफआरएस और आईएसए मंच, 2023 के दूसरे दिन मालदीव में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन पर तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और अध्यक्ष, मालदीव चार्टर्ड अकाउंटेंट

संस्थान ने हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लेखांकन ज्ञान, वृत्तिक की उन्नति और बौद्धिक विकास, उनके अपने-अपने सदस्यों के हितों को अग्रसर करने और मालदीव तथा भारत में लेखांकन व्यवसाय के विकास में सकारात्मक रूप से योगदान करने के लिए पारस्परिक सहयोग स्थापित करना। इसके अतिरिक्त, मालदीव के माननीय भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के अनुरोध पर, आईसीएआई ने अपने प्रकाशन, जिनमें नए पाठ्यचर्या की पुस्तकें भी हैं, मालदीव को उपहार में दिए हैं।

(V) 24-26 नवंबर, 2023 तक “कनेक्टिंग दि ग्लोब क्रिएटिंग वेल्थ” थीम पर आईसीएआई ग्लोबल वृत्तिक लेखाकार सम्मेलन (ग्लोपैक)

भारतीय चार्टर्ड बही खाता व्यवसाय के विज्ञान को लेकर वित्त और लेखांकन के लिए भारत को ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से, आईसीएआई ने 24 नवंबर, 2023 से 26 नवंबर, 2023 तक गांधी नगर, गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में अपनी पहली प्रकार की ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन (ग्लोपैक) का आयोजन किया था। कन्वेंशन का उद्घाटन भारत के माननीय उप राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के प्रतापी करों से दीप प्रज्वलित करके किया गया और साथ में सम्मानित अतिथि, माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा टेक्सटाइल मंत्री, भारत सरकार, सम्मानित अतिथि माननीय संसदीय कार्य प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ शिक्षा, उच्चतर शिक्षा मंत्री, गुजरात सरकार, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ (आईएफएसी), तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई, भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और सचिव, आईसीएआई भी थे। कन्वेंशन ने लेखांकन और लेखापरीक्षा समुदाय के भीतर विभिन्न सेक्टरों से वृत्तिकों और अग्रजनों के लिए अभिसरण बिन्दु के रूप में विचारों तथा अंतर्दृष्टि के गत्यात्मक आदान-प्रदान का प्रसार करते हुए कार्य किया है। समारोह के दौरान, चार्टर्ड लेखा बही खाता व्यवसाय “सीए इंडिया” का नया चिह्न का भी अनावरण मुख्य अतिथि द्वारा किया गया था। भारत के संभलते हुए वैश्विक वित्तीय परिदृश्य की ओर आगे बढ़ते हुए, आईसीएआई द्वारा समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) गुजरात इंटरनेशनल फाइनांस टेक सिटी कंपनी लि. (गिफ्ट सिटी) के साथ किया गया था।

(VI) अन्य समारोह

• **एमओयू/एमआरए भागीदारों के साथ समारोह**

सीपीए आस्ट्रेलिया, आईसीएआईडब्ल्यू और सीपीए, कनाडा के साथ जागरुकता सत्र

समय-समय पर, आईसीएआई अपने एमओयू/एमआरए भागीदारों के सहयोग से संयुक्त रूप से जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करती है। इस वर्ष, जागरुकता सत्र सदस्यों के लिए उनके साथ हस्ताक्षरित अर्हता पारस्परिक करारों के आदेश के अधीन सीपीए आस्ट्रेलिया, आईसीएआईडब्ल्यू और सीपीए कनाडा के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किए गए थे, जिससे उन्हें इन एमआरए की स्कीम तथा फायदों के बारे में जागरुक बनाया जा सके। इनकी सदस्यों द्वारा प्रशंसा की गई थी। सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त कार्यक्रम लगभग प्रत्येक मास में एक बार आयोजित किए जा रहे हैं।

(VII) एसएएफए समारोह :

• **पाकिस्तान में एसएएफए समारोह**

पाकिस्तान के लागत और प्रबंधन लेखाकार संस्थान ने 18 मार्च, 2023 को एसएएफए समिति की बैठकों और एसएएफए बोर्ड की बैठक की मेजबानी की थी। भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन अध्यक्ष, एसएएफए, तत्कालीन केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने 18 मार्च, 2023 को एसएएफए बोर्ड की बैठक में भाग लिया। तत्कालीन केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने भी एसएएफए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन अध्यक्ष, एसएएफए भी एसएएफए की बैठकों की साइडलाइनों पर आईसीएमएपी द्वारा मेजबानी किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार कन्वेंशन में “ईएसजी पोषणीयता : लेखांकन दृष्टिकोण” पर आयोजित सत्र में पैनलीकृत व्यक्ति थे। तत्कालीन केंद्रीय परिषद् सदस्य 18-19 मार्च, 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार कन्वेंशन में “जलवायु महा आपत्ति और आर्थिक मंदी से बचने में लेखाकारों की भूमिका” विषय पर मुख्य वक्ता थे।

• **24 जून, 2023 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एसएएफए बोर्ड की बैठक**

79वीं एसएएफए बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 24 जून, 2023 को आयोजित की गई थी और उसमें तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई, दो केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने भाग लिया। भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन अध्यक्ष, एसएएफए ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठक में, यह विनिश्चय किया गया कि सीए मालदीव को 1 जुलाई, 2023 से एसएएफए को पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाए।

- **मालदीव में एसएएफए समारोह**

- **एसएएफए आईएफआरएस तथा आईएसए मंच (19 अगस्त, 2023 से 20 अगस्त, 2023)**

मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने 19-20 अगस्त, 2023 को एसएएफए आईएफआरएस तथा आईएसए मंच की मेजबानी की थी। इस दो दिन के मंच ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) तथा अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षक मानकों (आईएसए) की जटिलताओं पर विचार किया। भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन अध्यक्ष, एसएएफए ने एसएएफए आईएफआरएस और आईएसए मंच पर संबोधित किया था। तत्कालीन केंद्रीय परिषद् सदस्य ने “आईएफआरएस-17 को कार्यान्वित करने की चुनौतियां” और सीए पर प्रस्तुति की थी। केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई “संपरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन की उन्नति : लेखापरीक्षकों के लिए सामरिक और उत्तम पद्धतियां” पर तकनीकी सत्र में पैनलीकृत व्यक्ति थे।

- **एसएएफए समिति की बैठकें और बोर्ड की बैठकें (21 अगस्त, 2023)**

सीए मालदीव ने भी 21 अगस्त, 2023 को विभिन्न एसएएफए समिति की बैठकों तथा एसएएफए बोर्ड की बैठक की मेजबानी की थी। केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी पर एसएएफए समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बैठक को उप सभापति के रूप में एक अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने भाग लिया, तत्कालीन केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी एसएएफए की बैठक की अध्यक्षता की थी और एक अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने एसएएफए की लघु और पद्धति समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बैठक के उप सभापति के रूप में एक अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने भी भाग लिया था। एक केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने भी पारदर्शिता जवाबदेही और शासन के सुधार के लिए एसएएफए समिति की बैठक में भाग लिया। एक अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने भी वृत्तिक नैतिक और स्वतंत्रता संबंधी एसएएफए की बैठक में भाग लिया, एक अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई लेखांकन मानकों संबंधी एसएएफए समिति में भाग लिया, एक केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने एनपीओ और सहकारिता सेक्टर संबंधी एसएएफए की बैठक में भाग लिया, एक अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने धन शोधन निवारण संबंधी एसएएफए की बैठक में भाग लिया था और एक केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने एसएएफए अंतर्राष्ट्रीय संबद्ध समिति की बैठक में भाग लिया। तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई ने भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन अध्यक्ष एसएएफए के साथ 21 अगस्त, 2023 को एसएएफए बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

- **एसएएफए स्थापना दिवस समारोह और आईएफएसी कार्यशाला (22 अगस्त, 2023)**

सीए मालदीव ने 22 अगस्त, 2023 को एसएएफए स्थापना दिवस समारोह की भी मेजबानी की थी, जिसमें भूतपूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन अध्यक्ष, एसएएफए ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई ने “दक्षिणी एशिया में लेखाशास्त्र व्यवसाय पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव” पर पैनल चर्चा में भाग लिया। आईएफएसी एसएएफए कार्यशाला का भी 22 अगस्त, 2023 को आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने भाग लिया था।

- **एसएएफए बोर्ड और समिति की बैठकें**

तत्कालीन आईसीएआई उपाध्यक्ष, और आईसीएआई भूतपूर्व अध्यक्ष तथा भूतपूर्व एसएएफए अध्यक्ष ने सार्क क्षेत्र में व्यवसाय के विकास के लिए कार्ययोजना पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए 18 जनवरी, 2024 को एसएएफए की 82वीं बोर्ड की बैठक में भाग लिया था।

- **18 दिसंबर और 19 दिसंबर, 2023 को “लेखाशास्त्र व्यवसाय का भविष्य” थीम पर एसएएफए वर्चुअल सम्मेलन**

एसएएफए की शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी संबंधी समिति ने 18-19 दिसंबर, 2023 को “लेखाशास्त्र व्यवसाय का भविष्य” थीम पर एसएएफए वर्चुअल सम्मेलन का भी आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने की थी। इस समारोह में लेखाशास्त्र व्यवसाय की भावी परिदृश्य पर विचार किया गया, जिसकी विशेषता प्रौद्योगिकी व्यवधान पर चर्चा करना और सदस्यों तथा छात्रों के लिए लेखाशास्त्र में नेतृत्व की पुनः परिभाषा की। विभिन्न दक्षिणी एशियाई देशों से सम्मानित वक्ताओं ने इस क्षेत्र में प्रवृत्तियों को विकसित करने पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य की प्रस्थापना करते हुए अपनी अंतर्दृष्टि को साझा किया था। समारोह में सार्क देशों से आए 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

- **एसएएफए पुरस्कार, 2022**

आईसीएआई ने प्रतिष्ठित साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट (एसएएफए) की मेजबानी की, वेस्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में कारपोरेट रिपोर्टिंग और कारपोरेट शासन प्रकटन में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान

करने के लिए कारपोरेट शासन प्रकटन के लिए वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार, एकीकृत रिपोर्टिंग पुरस्कार तथा और सार्क वर्षगांठ पुरस्कार, 2022 भेंट किए थे। इस वर्ष के पुरस्कार समारोह के लिए 16 प्रवर्गों के अधीन बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से नामनिर्देशन प्राप्त हुए थे। समारोह में तत्कालीन अध्यक्ष, एसएएफए, उपाध्यक्ष, एसएएफए तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई, तत्कालीन सभापति और उप सभापति, अनुसंधान समिति, आईसीएआई, सभापति पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन में सुधार संबंधी समिति एसएएफए और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति समिति उपस्थित थे। पुरस्कार जगमगाहटपूर्ण सायंकाल में वितरित किए गए थे, जहां एसएएफए सदस्य देशों से आए 250 से अधिक व्यवसायियों ने भाग लिया।

• आईसीएआई – एसएएफए संयुक्त सीएफओ बैठक

एक अंतर्दृष्टिपूर्ण और विचारोत्तेजक अन्योन्यक्रिया सीएफओ बैठक 2 दिसंबर, 2023 को मुंबई में साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) के साथ संयुक्त रूप से सीएमआईएंडबी द्वारा आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी ने की थी। इस समारोह में वित्त अग्रणी, उद्योग विशेषज्ञ, रणनीतिक विचारक “सीएफओ की विकासशील भूमिका - उदीयमान” थीम पर खोज करने और विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए, जिससे ऐसे वित्त अग्रणियों के समुदाय को प्रोत्साहन दिया जा सके, जो साउथ एशियन रीजन में वित्त के भविष्य को सक्रिय रूप से संवारने के लिए तैयार हैं। तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई ने मुंबई से आए केंद्रीय परिषद् सदस्यों के साथ समारोह में भाग लिया।

• पोखरा, नेपाल में 1 मार्च, 2024 को एसएएफए प्रश्नोत्तरी और वाग्मिता प्रतियोगिता, 2023

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, नेपाल ने 1 मार्च, 2024 को एसएएफए प्रश्नोत्तरी और वाग्मिता प्रतियोगिता, 2023 की मेजबानी की थी। आईसीएबी, आईसीएमबी, आईसीएआई, आईसीएएन, सीए श्रीलंका और सीएमए श्रीलंका ने इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। वाग्मिता प्रतियोगिता में, 2 प्रतिभागियों, आईसीएबी, आईसीएमबी, आईसीएआई, आईसीएएम, सीए श्रीलंका और सीएमए श्रीलंका से एक-एक प्रतिभागी ने भाग लिया।

• एसएएफए महिला दिवस समारोह और एसएएफए महिला नेतृत्व पुरस्कार, 2024

एसएएफए की महिला नेतृत्व समिति ने एसएएफए महिला दिवस समारोह का आयोजन किया और नेपाल नेतृत्व पुरस्कार, 2024 का उद्घाटन 1 मार्च, 2024 नेपाल में किया। समारोह ने संपूर्ण सार्क क्षेत्र में लेखाशास्त्र व्यवसाय के भीतर महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने तथा मनाने के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य किया था। संपूर्ण सात श्रेणियों में नौ पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें लेखाशास्त्र व्यवसाय में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई थी।

• पोखरा, नेपाल में 1-2 मार्च, 2024 को एसएएफए की बैठक

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, नेपाल ने पोखरा में 1 मार्च, 2024 को विभिन्न एसएएफए समिति की बैठकों तथा 2 मार्च, 2024 को एसएएफए बोर्ड की बैठक की मेजबानी की थी। एक केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने एसएएफए देशों में राजवित्तीय व्यवस्थाओं और कारबार की अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अध्ययन करने के लिए एसएएफए समिति की बैठक में भाग लिया था और केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने धन शोधन निवारण पर एसएएफए समिति और सहकारी तथा एनपीओ सेक्टर संबंधी एसएएफए समिति की बैठक में भाग लिया। एक अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्य आभासी रूप से एसएएफए महिला नेतृत्व समिति की बैठक में शामिल हुआ और केंद्रीय परिषद् सदस्यों में से एक सदस्य आभासी रूप से वृत्तिक नैतिक और स्वतंत्रता संबंधी एसएएफए समिति की बैठक में शामिल हुआ। अध्यक्ष, आईसीएआई ने उपाध्यक्ष, आईसीएआई के साथ 2 मार्च, 2024 को एसएएफए बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

8.5 रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरिंग समिति (एसपीपीएंडएमसी)

रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरिंग समिति (एसपीपीएंडएमसी), आईसीएआई की गैर-स्थायी समिति है, जो आईसीएआई के दीर्घकालिक विजन तथा लक्ष्यों को रूप देने में एक अहम भूमिका निभाती है। एसपीपीएमसी का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए रणनीतिक योजना में लगना है कि आईसीएआई अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करे।

आईसीएआई 2049 विजन दस्तावेज का तैयार किया जाना

10 मार्च, 2023 को (हैदराबाद में आयोजन) परिषद् सदस्यों की रणनीतिक बैठक के परिणामस्वरूप, एसपीपीएमसी ने विभिन्न पणधारियों से विचार एकत्रित करना शुरू किया और उनको निम्नलिखित छह व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया :

- अवसंरचना विकास संपत्ति और भवन तथा सूचना प्रौद्योगिकी
- मानवीय मूल्य तथा शासन पारिस्थितिक प्रणाली
- क्षमता निर्माण, कौशल निर्माण तथा पुनः कौशल निर्माण (सदस्य और फर्म)
- शिक्षा, प्रशिक्षण और परीक्षा
- विनियामक, कार्य ढांचा तथा मानक निर्धारक
- ब्रांड महत्व - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

इसका अनुसरण करते हुए कंपनी की धारा 8 के अधीन अनुशासन समितियों में सरकारी नामनिर्देशितियों तथा बोर्ड के सदस्यों का समागम, स्टेट्यूट आफ यूनिटी, केवादिया में 1 अगस्त और 2 अगस्त, 2023 को आयोजित हुआ था। आईसीएआई 2049 विजन दस्तावेज, आईसीएआई के लिए सामरिक विजन विकसित करने तथा रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय कार्ययोजना का कार्य आईआईएमए को दिया गया था। आईआईएमए ने आईसीएआई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय परिषद् सदस्यों, सचिव, संकाय, अध्ययन बोर्ड, वरिष्ठ अधिकारियों और सदस्यों के साथ बातचीत की थी। सदस्यों, छात्रों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को विस्तृत प्रश्नावली परिचालित करके सर्वेक्षण किया गया था। उसके उत्तर में, प्रश्नावली में प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रश्नों का 899 व्यक्तियों ने उत्तर दिया था, जो कुल मिलकर 25000 उत्तर थे। भूतपूर्व अध्यक्षों द्वारा 21 अप्रैल, 2024 और 21 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में विचार व्यक्त किए थे और भूतपूर्व परिषद् सदस्यों द्वारा 27 अप्रैल, 2024 को आयोजित बैठक में अभिव्यक्त विचारों को एकत्रित किया गया था और आईआईएमए द्वारा अध्ययन किया गया था। तारीख 25 जून, 2024 को आईआईएमए से प्राप्त प्रारूप रिपोर्ट पर इस समय एसपीपीएमसी और परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है। आईसीएआई 2049 विजन दस्तावेज का कवर माननीय केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री के कर कमलों द्वारा 1 जुलाई, 2024 को भारत मंडप, नई दिल्ली में आयोजित सीए दिवस समारोह पर विमोचन किया गया था।

8.6 यूडीआईएन निदेशालय

आज के कारबार और विनियामक परिदृश्य में विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा आरंभ किया गया है, अत्यंत सुसंगत और महत्व रखता है। यूडीआईएन, व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा जारी प्रत्येक प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट या अन्य अनुप्रमाणनों के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता को उपबंध करके कपटपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों के प्रसार का मुकाबला करने में एक मुख्य साधन के रूप में कार्य करता है। यह कड़ी अपेक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी प्रमाणित दस्तावेजों को आनलाइन सत्यापित किया जा सकता है, जिसका परिणाम उनकी अधिप्रमाणिकता और वैधता की गारंटी देना है।

इसके अतिरिक्त, यूडीआईएन वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में विश्वास और विश्वसनीयता को संभालने में निर्णायक भूमिका निभाता है। निवेशकर्ता, विनियामक प्राधिकरण और सरकारी अभिकरण जैसे पणधारी दस्तावेजों की वैधता का तीव्रता से सत्यापन कर सकते हैं, जिससे गलत सूचना का मिथ्याकरण से जुड़े जोखिमों को कम करता है। लेखापरीक्षा मानकों और नैतिक पद्धतियों के पालन को बढ़ावा देकर, यूडीआईएन ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों में जवाबदेही को प्रबलित करता है, जो उनके दस्तावेजों के लिए जिम्मेदार है, जिनको वे सत्यापित करते हैं। यह जवाबदेही, लेखांकन व्यवसाय के भीतर जिम्मेदारी तथा व्यवसायवाद की संस्कृति को बढ़ावा देती है, वैश्विक उततम व्यवसायों तथा विनियामक प्रत्याशाओं के साथ तालमेल बैठाती है। यूडीआईएन प्रणाली ने व्यवसायिक पद्धतियों में उल्लेखनीय अंगीकरण और एकीकरण देखा है।

इसके अतिरिक्त, यूडीआईएन दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए मानकीकृत पद्धति का उपबंध करके सरल और कारगर विनियामक प्रक्रियाओं को सुकर बनाता है। यह डिजिटल दृष्टिकोण न केवल लेखापरीक्षा और अनुपालन जांचों में दक्षता को बढ़ाता है बल्कि सूचना सत्यापन और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ संरेखित होता है। चूंकि कारबार, मिश्रित विनियामक वातावरण का मार्गनिर्देशन करता है और अधिक पारदर्शिता की मांग करता है, यूडीआईएन वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरा है, जिसका परिणाम पणधारियों के हितों की सुरक्षा करना और मजबूत आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देता है।

सारतः आईसीएआई द्वारा यूडीआईएन वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठ सुनिश्चित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल का द्योतक है। प्रौद्योगिकी और कड़े सत्यापन प्रोटोकालों को अपनाकर यूडीआईएन न केवल कपट को रोकता है बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित वित्तीय दस्तावेजों की शुद्धता और विश्वास्यता में भरोसे को भी मजबूत करता है, जो भारत के गत्यात्मक बाजार स्थल में पोषणी कारबार तथा विनियामक अनुपालन में योगदान देता है।

(I) यूडीआईएन – विनियामकों, बैंकों और अन्य पणधारियों के लिए निर्णयकारी पैरामीटर

- नाइजीरिया (आईसीए नाइजीरिया) के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक नाइजीरिया में यूडीआईएन के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया और प्रोटोकाल पर चर्चा करने के लिए 18 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई थी।
- सीजी – रेरा की अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी-रेरा) के साथ एक बैठक 10 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई थी। सीजी रेरा ने यूडीआईएन निदेशालय से अनुरोध किया है कि वह तत्काल आधार पर यूडीआईएन का सत्यापन करने के लिए अपने तात्र के लिए एपीआई उपलब्ध कराए। तत्पश्चात् कार्य की परिधि और सीजी रेरा अपेक्षाओं में परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए कार्य की परिधि में पुनरीक्षण से 30 मई, 2024 को एक बैठक बुलानी आवश्यक हो गई थी।
- चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू), भारतीय रेलवे, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मुंबई जैसी सरकारी अस्तित्व और अन्य सरकारी अभिकरण दस्तावेज की अधिप्रमाणिकता का सत्यापन करने के लिए यूडीआईएन पोर्टल सेवा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में, विभिन्न राज्य सरकारों जैसे पीएचईडी और मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन (जेजेएम), असम सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार, महाराष्ट्र सरकार और ओडिशा सरकार ने उन के द्वारा प्राप्त दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता के सत्यापन के माध्यम से मान्यता प्रदान की है।

(II) सदस्यों के लिए पहल

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. 7/2023 तारीख 21.02.2023 के अनुसार यूडीआईएन के पोर्टल पर नए प्रारूप 10ख और 10खख को समरूप बनाना :

प्रारूप 10ख और 10खख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचना सं. 07/2023 तारीख 21.02.2023 द्वारा पुनः अधिसूचित किए गए थे। संशोधित नियम 16गग और 17ख के अनुसार नए पुनः अधिसूचित प्रारूप 10ख और 10खख 01.04.2023 से लागू होंगे। टीपीएल से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार वित्त मंत्रालय ने ऐसे नियमों में संशोधन किया, जो भूतलक्षी रूप से लागू नहीं थे। पुराना प्रारूप 10ख और 10खख निर्धारण वर्ष 2022-23 तक लागू रहेंगे और नए अधिसूचित प्रारूप निर्धारण वर्ष 2023-24 से आगे के लिए लागू होंगे। तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2022-24 से आगे नया प्रारूप 10ख और 10खख यूडीआईएन पोर्टल पर यूडीआईएन उत्पत्ति के समरूप बनाया गया है।

- यूडीआईएन का पुरालेख –

परिषद् ने 23-24 मार्च, 2023 को हुई अपनी 420वीं बैठक में यह निर्णय किया कि यूडीआईएन को सर्वरों पर लोड को कम करने के लिए अपनी उत्पत्ति के एक वर्ष के पश्चात् अभिलेखित किया जा सकेगा। ऊपर उल्लिखित कार्यात्मकता का कार्यान्वयन 25 अक्टूबर, 2023 की मध्य रात्रि से यूडीआईएन लाइव सरवर पर प्रभावी किया गया था। यूडीआईएन के अभिलेखीकरण के कार्यान्वयन के पहले चरण में वर्ष 2019 के लिए होने वाली शुद्ध चरणबद्ध रीति में अधिसूचित किया गया है, जिसका तत्पश्चात् वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023 के लिए अनुसरण किया है। कलेंडर वर्ष 2019, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए यूडीआईएन को यूडीआईएन पोर्टल पर पुरालेखित किया गया है।

- यूडीआईएन सृजन के दौरान पिन कोड को कैपचर करना :

यूडीआईएन उत्पत्ति के दौरान पिन कोड को कैपचर करने के उपबंध को 9 फरवरी, 2024 से यूडीआईएन पोर्टल पर समर्थ बनाया गया है। ऐसी जानकारी का प्रयोग यूडीआईएन के भौगोलिक वितरण पर रिपोर्ट जनरेट करना है, जिसमें किसी विशिष्ट शहर/जिला/राज्य में यूडीआईएन की अधिकतम/निम्नतम जनरेशन भी है।

(III) यूडीआईएन का प्रभाव


विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) प्रणाली का वर्तमान दृश्य लेख में वृत्तिक प्रलेखीकरण परिदृश्य, विशिष्टतया पारदर्शिता अधिप्रमाणिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आरंभ किए गए यूडीआईएन चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणन और अनुप्रमाणन की कूटकरण और दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण साधन बन गया है। अधिक विस्तृत जानकारी रिसोर्सिस और यूडीआईएन पर अद्यतन जानकारी के लिए शासकीय पोर्टल udin.icai.org पर जा सकते हैं।

यूडीआईएन उन अति महत्वपूर्ण प्रभावों में एक प्रभाव दस्तावेज कूटकरण को समाप्त करने में इसकी भूमिका है। सीए द्वारा प्रमाणित प्रत्येक दस्तावेज को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करके, प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक दस्तावेज को इसकी अधिप्रमाणिकता के लिए सत्यापित किया जा सकता है। इसके कूटकरण दस्तावेजों के उदाहरणों में आमूल रूप से कमी आई है, जिसका परिणाम वृत्तिक अनुप्रमाणनों की सत्यनिष्ठा को सुरक्षित करना है। यूडीआईएन पोर्टल के माध्यम से


दस्तावेजों का सत्यापन करने की समर्थता ने वृत्ति संभवहारों में पारदर्शिता और विश्वास मुख्यतः लेखांकन व्यवसाय की विश्वसनीयता को बढ़ाने के उच्चतर स्तर को प्रोत्साहन दिया है।

विनियामक अधिकार क्षेत्र में, यूडीआईएन ने अनुपालन प्रक्रियाओं का सरल और कारगर बनाया है। विनियामक दक्ष रूप से दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता का सत्यापन कर सकते हैं, जिससे कपट की संभावना में कमी आएगी और अनुपालन अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित होगा। इसका परिणाम अधिक दक्ष विनियामक वातावरण है, जिसका फायदा वृत्तिकों और विनियामकों दोनों को होता है। प्रत्येक दस्तावेज, जिसे वे प्रमाणित करते हैं, के लिए यूडीआईएन जनरेट करने के लिए सीए के लिए अपेक्षा ने वृत्तिकों में जवाबदेही बढ़ा दी है, क्योंकि उनका कार्य अब खोजा जा सकता है और सत्यापित किया जा सकता है। इस बड़ी हुई जवाबदेही का परिणाम उद्योग के भीतर वृत्तिकवाद और नैतिकता संबंधी आचरण के उच्चतर मानक है।

क्योंकि यूडीआईएन का जनरेशन सभी व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उनके द्वारा जारी किए गए सभी दस्तावेजों के लिए अनिवार्य है, 4 जुलाई, 2024 तक 1.46 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने यूडीआईएन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराया है और शुरू से लेकर आज की तारीख तक तीन प्रवर्गों अर्थात् लेखापरीक्षा और आश्वासन कार्य, प्रमाणपत्र और जीएसटी तथा कर लेखापरीक्षा में 6.77 करोड़ यूडीआईएन से अधिक यूडीआईएन सृजित किए हैं।



यूडीआईएन संबद्ध सांख्यिकी इस तथ्य का सांकेतिक है कि मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप शीर्ष तीन राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र,



गुजरात, दिल्ली द्वारा इसके आरंभ से 27 मई, 2024 तक किए गए हैं। यूडीआईएन सृजित करने वाले शीर्ष दस राज्यों, इसके आरंभ से आज की तारीख (24 मई, 2024) तक के चित्रात्मक प्रतिरूपण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

अतः यूडीआईएन नीति निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि नीति निर्माता इन नंबरों का प्रयोग आवश्यक नीति व्यवधानों जैसे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट सेक्टर में उनके विनिधिकरण के लिए आर्थिक खिलाड़ियों को जागरूक बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

(IV) प्रकाशन

- विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) पर एफएक्यू (पुनरीक्षित 2024)
- यूडीआईएन (2023-24) पर रिपोर्ट

8.7 प्रकाशन और सीडीएस निदेशालय

प्रकाशन और सीडीएस निदेशालय, आईसीएआई विभिन्न समूह प्रकाशनों के मुद्रण तथा इन्हें इसके छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों को प्रेषित करने का कार्य करता है। आईसीएआई ने आनलाइन स्टोर पोर्टल अर्थात् सीडीए पोर्टल विकसित किया है। सभी सुसंगत प्रकाशनों और शिल्प तथ्यों को आनलाइन क्रय करने के लिए विभिन्न पणधारियों को विकल्प दिया गया है। हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं खाता सृजित कर सकता है और निदेशालय द्वार पर सेवा उपलब्ध कराकर अपने सीडीएस पोर्टल की सहायता से अपने छात्रों और सदस्यों की मांग को पूरा कर रहा है।

संस्थान का प्रकाशन निदेशालय मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है :-

- छात्र और सदस्य संबद्ध प्रकाशनों के लिए अध्ययन सामग्री का प्रकाशन।
- केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली (सीडीएस) के माध्यम से प्रकाशनों का विक्रय और वितरण।
- स्टॉक लेखा, विक्रय लेखा तथा स्टॉक का मिलान बनाए रखना।

(I) प्रकाशित नए प्रकाशन

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान, प्रकाशन निदेशालय ने अध्ययन बोर्ड (शैक्षणिक) और अन्य समितियों की ओर से विभिन्न नए प्रकाशन मुद्रित किए हैं, जिन्हें सीडीएस के पोर्टल पर भी डाल दिया गया है।

(II) केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली

जुलाई, 2017 से ही आईसीएआई के सभी प्रकाशन, जिनमें अध्ययन सामग्री पुनरीक्षण टेस्ट पेपर और सदस्य संबद्ध प्रकाशन भी है तथा विभिन्न प्रकार के स्मृति चिह्न जैसे टाइज, टाई पिन, कफ लिंक्स और लेपल पिन्स सीडीएस पोर्टल पर प्राप्त आदेशों के आधार पर छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों को केंद्रीय वितरण प्रणाली पोर्टल (www.icai-cds.org) के माध्यम से केंद्रीय रूप से प्रेषित किए जाते हैं।

(III) छात्र संबद्ध प्रकाशन

अवधि पुस्तकें	रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकें	विक्रित पुस्तकें
01-04-2023 से 31-03-2024	पुस्तकों की किस्म - 118 विक्रय के लिए भेजी गई कुल पुस्तकें - 32,11,722	पुस्तकों की किस्म - 184 विक्रय के प्रति प्रेषित कुल पुस्तकें - 31,368

(IV) सदस्य संबद्ध प्रकाशन और स्मृति चिह्न

अवधि	सदस्य प्रकाशन	स्मृति चिह्न
01-04-2023 से 31-03-2024	पुस्तकों की किस्म - 285 विक्रय के लिए भेजी गई कुल पुस्तकें - 10,938	स्मृति चिह्न के प्रकार - 18 विक्रय के लिए भेजे गए स्मृति चिह्न - 1,905 nos.

(V) भावी प्रयास

निदेशालय के भावी प्रयास में सीडीएस पोर्टल का पुनः नवीकरण और उन्नयन करना और आदेशों के परिदान के लिए टर्न ए राउंड टाइम को कम करना भी सम्मिलित है।

8.8 लेखापरीक्षा क्वालिटी निदेशालय केंद्र**(I) सीएक्यू द्वारा विकसित यूटिलिटीज**

सीएक्यूडी क्वालिटी लेखापरीक्षा और आश्वासन के सहज संचालन को सुकर बनाने के लिए लेखाकारों/लेखांकन फर्मों के लिए सस्ती डिजीटल और आनलाइन संसाधनों को विकसित करता है और इन तक पहुंच का उपबंध करता है। निम्नलिखित यूटिलिटीज के सदस्यों/लेखाकारों/लेखांकन फर्मों के फायदे के लिए सीएक्यूडी द्वारा विकसित किए गए हैं।

- **बैंक शाखा लेखापरीक्षा, 2024 संस्करण के लिए यूटिलिटीज**

बैंक शाखा लेखापरीक्षा के सहज संचालन में सदस्यों की सहायता करने के लिए सीएक्यूडी ने एक्सल यूटिलिटी जारी की है। इसके विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संपादन और समुत्थान क्षेत्रों को प्रास्थिति का पता लगाने में सहायता मिलेगी। इस अद्यतन साधन में अनेक सुधार जैसे एमओसी शीट, प्रमाणपत्र सूची नियंत्रण, आईएफसीओएफआर की मानीटरी टीम सदस्यों की दिनवार उपस्थिति, एसबीएए द्वारा न किए किंतु एससीए द्वारा किए क्रियाकलापों का सूचीकरण एसए 700 श्रृंखला अनुपालन और प्रलेखीकरण की सहजता के लिए प्रिंटआउट को समर्थ बनाना भी है। बैंकों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण तथा दीर्घ प्ररूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर तकनीकी गाइड के साथ संरेखन करने के लिए इस यूटिलिटी का उद्देश्य इसमें प्रगणित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में लेखापरीक्षा प्रगति और प्रलेखीकरण का दक्षतापूर्वक प्रबंध करने में सदस्यों की सहायता करना है।

- **भौतिकता का अवधारण करने के लिए यूटिलिटी**

सीएक्यूडी ने लेखा परीक्षा के सहज संचालन में फर्मों की सहायता करने के लिए हैंड होल्डिंग उपाय के रूप में भौतिकता का अवधारण करने के लिए यूटिलिटी विकसित की है। इस दासे का उद्देश्य यूजर को किसी अस्तित्व कानूनी लेखापरीक्षा निष्पादन करने में यूजर को समर्थ बनाना है। यह यूटिलिटी निम्न, मध्यम या उच्च के रूप में जोखिम निर्धारण पैरामीटरों को प्रवर्गीकृत करती है और सकल भौतिक गलत विवरणों के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् लेखापरीक्षा राय को विरचित करने में सहायता करती है।

- **लेखापरीक्षा अनुपालन संबंधी मानकों पर पुनर्विलोकन और मानीटरी साधन**

यह साधन, एसए का अनुपालन करने में फर्मों की सहायता करने के लिए उपाय के रूप में लेखापरीक्षा संबंधी सभी मानकों पर जांच सूची को कवर करता है। इससे यह अथक रूप से एसए अनुपालन के पुनर्विलोकन, मानीटरी और प्रलेखीकरण हो सकता है। यह साधन डैश बोर्ड में सारांशीकृत "कार्य प्रास्थिति" ड्रापडाउन का प्रयोग करके प्रगति का पता लगाता है।

- **नियुक्ति पत्रों पर यूटिलिटी**

यह महत्वपूर्ण यूटिलिटी आश्वासन ग्राहकों के लिए नियुक्ति पत्र सृजित करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने/सरल और कारगर बनाने के लिए तैयार किया गया है। लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षक फर्म इस यूटिलिटी का प्रयोग करके एकल क्लिक से बहु नियुक्ति पत्र निर्बाध सृजित कर सकती हैं। इस यूटिलिटी से मूल्यवान समय की बचत होती है और नियुक्ति पत्र तैयार करने से सहयुक्त प्रायिक जटिलताओं को उन्मूलन होता है। यह एक व्यापक दासा प्रदान करती है, जिसे प्रैक्टिस यूनिटों द्वारा अनुकूल बनाया जा सकता है।

- **यूटिलिटीज की डाउनलोड की प्रास्थिति निम्नानुसार है :-**

क्रम सं.	साधन/यूटिलिटी का नाम	डाउनलोड की संख्या
1	भौतिकता का अवधारण करने के लिए यूटिलिटी	7299
2	लेखापरीक्षा अनुपालन संबंधी मानकों पर पुनर्विलोकन और मानीटरी साधन के लिए यूटिलिटी	2234
3	नियुक्ति पत्रों पर यूटिलिटी	10073

4	बैंक शाखा लेखापरीक्षा – 2024 संस्करण के लिए यूटिलिटी	13671
---	--	-------

(II) कार्यक्रम/सेमिनार

निदेशालय के क्वालिटी केफे सेशन – लेखापरीक्षा क्वालिटी पर मासिक वर्चुअल सिरीज, बैंक शाखा लेखापरीक्षा – 2024 संस्करण के लिए यूटिलिटी का डेमो, लेखापरीक्षा क्वालिटी पहलुओं पर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम, आपकी लेखापरीक्षा को इष्टतम बनाने पर जागरूकता कार्यक्रम : अनुपालन और लेखापरीक्षा क्वालिटी पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए साधन और यूटिलिटीज पर 10 कार्यक्रम आयोजित किए थे।

(III) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – व्यापक मास्टर कार्यक्रम – नवयुग के लेखापरीक्षक

अवधि के दौरान, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – व्यापक मास्टर कार्यक्रम – नवयुग के लेखापरीक्षक का सातवां बैच वर्चुअल मोड के माध्यम से संचालित किया गया था और उक्त पाठ्यक्रम का। बैच वदोदरा में भौतिक रूप से संचालित किया गया था। कोर्स का सभी सदस्यों द्वारा उसकी अंतर्वस्तु तथा वक्ताओं की क्वालिटी के संबंध में प्रशंसा की गई थी। भौतिक पाठ्यक्रम के संबंध में, सदस्यों ने प्रौद्योगिकी संबंधी अधिगम पर लेखापरीक्षा तथा हैंड पर मानकों पर समूह चर्चा रखने वाले फोरमेट को भी पसंद किया। प्रतिभागियों ने यह अभिस्वीकार किया कि पाठ्यक्रम सुआयोजित था। सूचनात्मक सत्रों में उनकी डिजिटल युग के ज्ञान में तथा लेखापरीक्षा एवं आश्वासन में इसकी प्रासंगिकता में वृद्धि की है। पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन परीक्षा 10 फरवरी, 2024 को आयोजित किया गया था। 31 प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। ऐसे सदस्य, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे डीएलएच प्लेटफार्म के माध्यम से प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

(IV) अन्य पहलें

• X (टिविटर) सीएक्यू का हैंडल

एक पृथक् 'X' (टिविटर) सदस्यों के साथ कनेक्टर करने के लिए सीएक्यू के लिए लेखापरीक्षा क्वालिटी के विभिन्न तत्वों के संबंध में जागरूकता और समझ के स्तर को उठाने में उनकी मदद करने के लिए सृजित किया गया है। लेखापरीक्षा के विभिन्न तत्वों पर जागरूकता और समझ के स्तर को बढ़ाने के लिए 'एक्स' (टिविटर) खाते पर प्रश्न और उत्तर के रूप में 'क्या आप जानते हैं?' श्रृंखला के माध्यम से नियमित पोस्ट किए जाते हैं।

• व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 के अंतर्गत लेखापरीक्षा क्वालिटी केंद्र का रजिस्ट्रीकरण

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नाम में "लेखापरीक्षा क्वालिटी केंद्र (सीएक्यू)" चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया है अपने स्वामित्व यूजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया है। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (सं. 4711659, तारीख 21.10.2020) व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त हो गया है।

(V) प्रकाशन

- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले
- फर्म मैनुअल माडल रेफेन्सर
- उपांतरित रायों का विश्लेषण

8.9 उत्कृष्टता केंद्र निदेशालय

आईसीएआई ने फरवरी, 2024 में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) निदेशालय स्थापित किया, जो शोध, निरंतर अधिगत और वृत्तिक विकास की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए अपने विज्ञान और मिशन को आगे बढ़ता है। सीओई निदेशालय लेखांकन व्यवसाय के भीतर नवाचार, उत्कृष्टता और सामरिक महत्व के विकास के बीकन के रूप में विद्यमान है। शाश्वित सुधार और पथ प्रदर्शककारी पद्धतियों का वातावरण विकसित करके, सीओई निदेशालय, लेखांकन व्यवसाय के मानकों का उन्नयन करने के लिए है, जो इसे विचार नेतृत्व और उत्कृष्टता के लिए एक हब बनाता है। वर्तमान में, आईसीएआई के 2 सीओई हैदराबाद और जयपुर में हैं। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई शोध, नवाचार और कौशल निर्माण का विकास करने के लिए अगले 3 वर्ष में पूरे देश में 9 और सीओई खोलने की योजना बनाता है।

(I) पहलें

- उत्कृष्टता केंद्र पर नीतिगत दस्तावेज

सीओई निदेशालय ने उत्कृष्टता केंद्र पर नीतिगत दस्तावेज तैयार किया है, जो परिषद् द्वारा 25 और 26 अप्रैल, 2024 को हुई अपनी 431वीं बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। सीओई नीतिगत दस्तावेज का अनुमोदन शोध, नवाचार, अधिगम को विकसित करने का एक चरणबद्ध निर्णय है और यह लेखांकन व्यवसाय के भविष्य को बनाने के लिए ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगा। उत्कृष्टता केंद्र संबंधी नीतिगत दस्तावेज एक ऐसी सामरिक महत्व की योजना का प्रस्ताव करता है, जो विजन, मिशन, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति कार्य तथा मानीटरी बेंचमार्क को सम्मिलित करती है। यह सामरिक महत्व की योजना शोध योगदान, वित्तीय माडल को दर्शाने के लिए केंद्र, भौतिक अवसंरचना, शोध गत्यात्मक, डैशबोर्ड मैट्रिक्स की प्रक्रिया और आईसीएआई के गौरमयी अतीत तथा प्रेरणादायी भविष्य को दर्शाने वाले पुरालेख के लिए अनुसरण किए गए स्टाफिंग पैटर्न द्वारा समर्थित है।

(II) अन्य क्रियाकलाप

- संस्थान की विभिन्न समितियों/बोर्डों/निदेशालयों द्वारा क्रमशः सीओई हैदराबाद और जयपुर में 50 और 3 आवासीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

8.10 संपदा विकास निदेशालय (बुनियादी ढांचा विकास समिति के अधीन)

पूँजी अनुदान की प्रक्रिया करने तथा संवितरण संबंधी नीति 30 जून, 2022 से परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई थी। संपदा विकास निदेशालय आईसीएआई (क्षेत्रीय परिषद्/शाखाओं/डीसीओ/सीओई) की यूनिटों को पूँजी अनुदान जारी करने से संबंधित विषयों, जिनमें मुख्य मरम्मत कार्य और नवीकरण संकर्म (स्वामित्वाधीन और किराए पर दोनों के लिए परिसर), लघु संनिर्माण/परिवर्धन, 200 लाख रुपए तक लागत वाले विद्यमान भवन आदि में आंतरिक उपांतरण भी हैं, पर कार्रवाई करता है।

संपदा विकास निदेशालय (ईडीडी) द्वारा मुख्य निर्णयों का ब्रीफ

- ब्रांड बिल्डिंग – आईसीएआई @75
 - आईसीएआई मुख्यालय भवन, मुख्यालय आईपी मार्ग, नई दिल्ली, विश्वास नगर, नई दिल्ली में, सी-1, सेक्टर-नोएडा और ए-29, सेक्टर-62, नोएडा में (जी 20 और बी 20 ग्लो साइनेज) का संस्थापन
 - आईसीएआई भवन पैन इंडिया का रंग रोगन
 - ग्लो साइनेज (आईसीएआई संप्रतीक और नाम) का संस्थापन, पैन इंडिया
- पूँजीगत बजट के प्रति अग्रिम/अंतिम अनुदान को अनुमोदित करना/जारी करना, जिसमें पूर्वत्तर वर्षों के लिए लंबित मामले भी हैं।
- ईडीडी साफ्टवेयर
 - पूँजी अनुदान के लिए साफ्टवेयर
 - भूमि और भवन अभिलेखों के लिए डीएमएस
 - ग्रीन बिल्डिंग और स्वच्छ भवन अवार्ड के लिए डैश बोर्ड
- विशेष अनुदानों का अनुमोदन
- वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए संपत्ति कर का संवितरण
- तारीख 10.04.2024 तक पूँजी अनुदानों का अनुमोदन

8.11 टेंडर मानीटरी निदेशालय

चार्टर्ड अकाउंटेंटों की व्यवसायिक सेवाओं के लिए मानीटर, विश्लेषण करने और टेंडरिंग को सरल और कारगर बनाने के लिए, एक निदेशालय अर्थात् "टेंडर मानीटरिंग निदेशालय" वर्ष 2023-24 के दौरान परिषद् द्वारा गठित किया गया था। निदेशालय टेंडरिंग की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए तथा सभी अनुज्ञेय टेंडरों में सीए द्वारा कोट की गई बोलियों को मानीटर करने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रयास कर रहा है। निदेशालय समुचित स्तरों पर विचलनों को निर्दिष्ट करता है।

महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- निदेशालय ने वृत्तिक सेवाओं पर अपना ही पोर्टल सृजित किया है, जो 1 जुलाई, 2023 को www.tmdicai.org पर परिषद् द्वारा आरंभ किया गया था। पोर्टल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :--
 - टेंडर अवसर
 - सदस्यों के लिए नवीनतम जानकारी
 - टेंडरों पर परिषद् मार्गदर्शी सिद्धांत
 - फीस के न्यूनतम अनुशंसित पैमाने के ब्यौरे
 - सदस्यों को प्रस्तुत की जाने वाली लागत पत्र का फोरमेट
 - नैतिक संहिता के सुसंगत उपबंधों से उद्धरण
 - निदेशालय द्वारा निविदाकारों को किए गए अभ्यावेदन
 - बारम्बार पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
 - पहचान बनाकर या बताए बिना शिकायत पोस्टिंग तंत्र
- जहां न्यूनतम फीस लेखापरीक्षा और अनुप्रमाणन सेवाओं के संबंध में विहित नहीं की गई है या जहां पात्रता शर्तें अयुक्तियुक्त रूप से प्रतिबंधात्मक प्रतीत होती है या जहां निविदा सेवाएं "स्वतंत्र" मुद्दे सृजित करती हैं, वहां अभ्यावेदन निविदाकारों को किए जा रहे हैं। कार्यात्मक वर्ष 2023-24 के दौरान, ऐसे 169 अभ्यावेदन निविदाकारी संगठनों को भेजे गए थे। कार्यात्मक वर्ष 2024-25 के दौरान, अब तक 71 अभ्यावेदन भेज दिए गए हैं।
- टीएमडी संपूर्ण भारत से व्यवसायिक सेवाओं के लिए निविदाएं भी एकत्रित करती है और इसके टीएमडी पोर्टल में इसे डालते हैं। कार्यात्मक वर्ष 2023-24 के दौरान, 1411 निविदाओं का अध्ययन किया था, जिनमें से 1263 निविदाएं टीएमडी पोर्टल पर डाल दी गई थी क्योंकि इन्हें सभी बाबत उपयुक्त पाया गया था। चालू कार्यात्मक वर्ष के दौरान, अब तक 550 निविदाओं का अध्ययन किया गया था, जिनमें से 480 निविदाएं टीएमडी पोर्टल पर डाल दी गई हैं।
- सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों का अध्ययन किया गया है और लागत पत्रों की वहां मांग की जाती है, जहां कहीं यह महसूस किया जाता है कि बोली कम रकम के लिए है। कार्यात्मक वर्ष के दौरान, 57 निविदाओं की जांच की गई थी, जिन पर 239 सीए फर्मों को नोटिस भेजे गए थे। चालू कार्यात्मक वर्ष के दौरान, अब तक 20 निविदाओं की जांच की गई है और 128 सीए फर्मों को नोटिस भेज दिए गए हैं। पिछले वर्ष की शुरुआत से ही, 37 सीए फर्मों के मामले अन्वेषण के लिए निदेशालय (अनुशासन) को निर्दिष्ट किए गए हैं। 56 सीए फर्मों की बाबत समकक्ष पुनर्विलोकन का आदेश दिया गया है। 129 सीए फर्मों से संबंधित मामले बंद कर दिए गए हैं क्योंकि लागत पत्र संतोषजनक पाया गया था। शेष मामलों की जांच चल रही है।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक, टेंडर मानीटरीनिदेशालय और उप सभापति, वृत्तिक विकास समिति से मिलकर एक प्रतिनिधि मंडल बाद वाले कार्यालय में 18 मई, 2023 को मुख्य सतर्कता आयुक्त से मिला था और इस पर विस्तार से चर्चा हुई कि चयन की कम से कम लागत पद्धति से चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्तिक सेवाओं को किराए पर लेने से कैसे बचा जा सकता है और इसके साथ ही, क्वालिटी को कैसे बनाए रखा जा सकता है। इस बैठक में, सीवीसी के साथ सतर्कता आयुक्त, सचिव सीवीसी, सीटीई और निदेशक, सीवीसी थे।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने परामर्श और अन्य सेवाओं के उपापन हेतु मैनुअल (जून, 2023 तक अद्यतन) जारी किया है, जिसमें उन्होंने उसके "मूल्य आधारित प्रणाली – न्यूनतम लागत चयन (एलसीएस) नामक पैरा 3.8 के अंतर्गत मानक या नैतिक प्रकृति के समनुदेशनों के वर्णन से "लेखापरीक्षा" को निकाल दिया है। इस प्रकार, न्यूनतम लागत चयन अर्थात् एल-1 लेखापरीक्षकों को विनियोजित करने के लिए अधिक समय तक उपयुक्त नहीं समझा गया है।
- गत कार्यात्मक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों को उनसे यह अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन भेज दिए गए थे कि वे, अन्य बातों के साथ, अपने नियंत्रण के अधीन

संगठनों द्वारा प्रक्रिया करने में औचित्य सुनिश्चित करे। इसके अनुसरण में, निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई थीं :-

- 8 जनवरी, 2024 को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्य सचिव। मुख्य सचिव ने राज्य में किसी भी वृत्तिक सेवा के लिए आईसीएआई के पीडीसी से पैनल का उपयोग करने के लिए राज्य में सभी विभागों को अनुदेश जारी किए हैं।
- अपर मुख्य सचिव (वित्त) गुजरात सरकार 19 फरवरी, 2024 को गांधीनगर में।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में 17 मई, 2024 को।
- इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में 22 मई, 2024 को।
- अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलौर में 12 जून, 2024 को।
- वित्त सचिव, झारखंड सरकार, रांची में 13 जून, 2024 को।
- वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर 18 जून, 2024 को।
- टीएमडी निविदाकारी संगठनों और सीए बोलिदाताओं, दोनों के द्वारा संदर्भ के लिए फीस संगणक लेकर आया है। परिषद् द्वारा 2 और 3 जुलाई को आयोजित अपनी 432वीं बैठक में उक्त एप्लीकेशन लांच किया गया था। यह फीस परिषद् फरवरी, 2020 में परिषद् द्वारा जारी फीस के न्यूनतम अनुशंसित पैमाने पर आधारित है। इसे <https://tmdicai.org/fees-calculator.php> पर देखा जा सकता है।

8.12 मानव संसाधन निदेशालय (एचआरडी)

मानव संसाधन निदेशालय की भूमिका योजना बनाने और सभी मानव संसाधन कृत्यों (सिवाय उन कृत्यों के, जो ईसी द्वारा विनिश्चित किए जाने हैं) जिनके अंतर्गत जन शक्ति योजना, भर्ती, अंतरण, जॉब चक्रानुक्रम, निष्पादन प्रबंधन, एचआर नीति, कर्मचारी संबंध, आचरण संहिता, प्रशिक्षण एवं विकास, एचआर सूचना प्रणाली, संस्था विकास, उत्तरोत्तर योजना, प्रतिकर मामले, अनुपालन/विधिक, कर्मचारी प्रबंधन आदि भी हैं, को निष्पादित करने के लिए है। मानव संसाधन निदेशालय का संयोजक, उपाध्यक्ष, आईसीएआई है।

अवधि के दौरान संचालित प्रशिक्षण

हैंडस-आन-ट्रेनिंग के माध्यम से और कौशल विकास पहलों के माध्यम से वांछित लक्षणों और कौशलों पर कर्मचारियों के सक्षमता स्तर को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के चार बैच आईआईएम, अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ जैसे विख्यात बिजनेस स्कूलों के माध्यम से सहायक सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए प्रबंधकीय कौशल विकास पर कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यालय ने विभिन्न विषयों जैसे आईटी (एमएस एक्सल, साइबर सुरक्षा, ई-आफिस, कृत्रिम आसूचना और चैट जीपीटी) जेम पोर्टल, स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन, क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं का कार्यक्रम, सीपीई मार्गदर्शी सिद्धांत और विनियमों पर कर्मचारियों के लिए अवधि के दौरान 36 आंतरिक प्रशिक्षण भी आयोजित किए हैं।

8.13 शिकायत समाधान निदेशालय (जीआरडी)

आईसीएआई का हाल ही में आरंभ किया गया शिकायत समाधान निदेशालय दक्ष शिकायत समाधान तंत्र सुनिश्चित करने तथा आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के समय पर, उच्च क्वालिटी की सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल संचार को केंद्रीयकृत करने, शिकायतों तथा जांचों के निपटान में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित की गई है कि प्रत्येक समिति, विभाग, बोर्ड और निदेशालय शीघ्रता से मामलों का समाधान और सुलझाए। यह पहल आईसीएआई की प्रतिबद्धता को इसके सदस्यों और छात्रों के लिए रेखांकित करती है जो, उनकी आवाजों को, जो उनकी आवाजों को जो सुनी जाती हैं और उनकी समस्याओं, जिनका समयबद्ध रीति में समाधान किया जाता है, सुनिश्चित करती है।

शिकायत समाधान चैनल : निदेशालय शिकायतों का समाधान करने के लिए विभिन्न चैनलों, जिनमें ई-सहायता (e-Tickets-<https://eservices.icai.org>), काल सहायता-9997599975 (वायस सपोर्ट) और ई-मेल (member@icai.in & student@icai.in) भी हैं, का उपयोग करता है।

संक्षेप में, शिकायत समाधान निदेशालय पणधारियों (छात्र/सदस्य) तथा आईसीएआई पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करता है, जो पृच्छाओं और शिकायतों के दक्ष संचार और संतोषजनक सभाधान को सुनिश्चित करता है।

8.14 विनिर्दिष्ट विधि प्रबंधन निदेशालय (एसएफएमडी)

विनिर्दिष्ट निधि प्रबंध निदेशालय संबंधित निधियों की प्रबंधन समिति के निदेशों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन तथा निरीक्षण करेगा तथा संसाधनों की बढ़ोतरी के संबंध में सुझाव देने के लिए, तीन निधियों अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याण निधि (सीएबीएफ), दि एस. वैद्यनाथ अय्यर मेमोरियल निधि (एसवीएएमएफ), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ) के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यकरण से संबंधित फायदाग्राहियों और संवितरणों के लिए पात्रता मानदंड और कोई अन्य निधि, जो बाद में जोड़ी जाएगी।

(I) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट हितकारी निधि

चार्टर्ड अकाउंटेंट हितकारी निधि (सीएबीएफ) की स्थापना दिसंबर, 1962 में संस्थान के जरूरतमंद सदस्यों को और साथ ही साथ उनके आश्रितों को निर्धारित मानदंडों को पूरा करने, उनकी आकस्मिक शैक्षिक और चिकित्सा आवश्यकताओं आदि के पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। कोविड -19 महामारी काल के दौरान, संस्थान ने उन पात्र सदस्यों या उनके आश्रितों की मदद करने की भी कोशिश की है जो संकट में थे और कोरोना रोग के उपचार के लिए वित्तीय सहायता जारी की और मृत सदस्यों के आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह/मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां इस प्रकार हैं :

सदस्यता का विवरण

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2023 को कुल आजीवन सदस्य	1,40,306
2.	31 मार्च, 2024 को कुल आजीवन सदस्य	1,40,473
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (2023.24 के दौरान)	167

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)
1. दी गई कुल वित्तीय सहायता	1,50,90,000	3,66,51,000
2. वर्ष के दौरान निधि का अधिशेष/घाटा	84,67,016	(1,37,93,000)
3. निधि का अतिशेष	84,67,016	(4,85,86,000)
4. कोरपस का अतिशेष	19,60,05,148	19,32,27,000

(II) एस. वैद्यनाथ अय्यर मेमोरियल फंड

31 मार्च 2024 को निधि की आजीवन सदस्यता की संख्या 10,939 है। कॉर्पस फंड में शेष राशि 31 मार्च 2024 को रु. 80,35,150/- की तुलना में 31 मार्च, 2023 को 79,61,000/- थी।

(III) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र हितकारी निधि (सीएएसबीएफ)

इस कोष की स्थापना अगस्त, 2008 में आईसीएआई के साथ पंजीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य और उद्देश्य से की गई थी। 31 मार्च, 2024 को सामान्य निधि में जमा अतिशेष रु. 19,04,71,085 रहा, जबकि रु. 31 मार्च, 2023 को 18,27,83,000/-

8.15 वित्तीय और कर साक्षरता निदेशालय (एफटीएलडी) (वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा पर समिति के अधीन)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने 1 जुलाई 2021 को वित्तीय और कर साक्षरता समूह (एफटीएल समूह) की स्थापना की। एफटीएल समूह का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में वित्तीय और कर जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना था। भारत सरकार के वित्तीय साक्षरता (वित्तीय साक्षरता) संबंधी राष्ट्रीय मिशन के साथ समर्पित एक विंग के रूप में, समूह का जनादेश लोगों को वित्तीय प्रबंधन, जिसमें कर कानून, लेखांकन और व्यक्तिगत वित्त भी हैं, के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित था। ज्ञान के अंतर को पाटकर, यह कर विनियमों के अनुपालन में वृद्धि करना और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। वर्ष 2024 में, इसे एक पूर्ण निदेशालय बना दिया गया। जबकि कार्य की मूल कार्यकरण वैसा ही रहता है, यह वृहद जनसंख्या तक अपनी पहुंच बढ़ाने का और प्रयास करता है। एफटीएल निदेशालय का आदर्श वाक्य, "हर जन, हर मन, वित्तीय ज्ञान से संपन्न" इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने के कौशल से सशक्त करे। विभिन्न पहलों के माध्यम से, यह वित्तीय अवधारणाओं और कर से संबंधित विषयों को आम आदमी के लिए स्पष्ट करता है, जिससे एक अधिक वित्तीय रूप से सूचित समाज का निर्माण होता है। व्यक्तियों को ज्ञान से सशक्त बनाकर, एफटीएल निदेशालय उनके वित्तीय कल्याण और देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है।

आईसीएआई की वित्तीय और कर साक्षरता अभियान (वित्तीय ज्ञान - आईसीएआई का अभियान) को माननीय वित्त मंत्री द्वारा मान्यता और सराहना मिली है। एफटीएल निदेशालय की स्थापना ने आईसीएआई की "राष्ट्र निर्माण में सच्चे साझेदार" के रूप में प्रतिबद्धता को मजबूत किया। एफटीएल निदेशालय ने व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने का ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों की हैं, जो उनके वित्तीय कल्याण और देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। एक प्रमुख पहल राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का विकास है, जो भारत में वित्तीय और कर साक्षरता का एक प्रकाश स्तंभ है, जिसका उद्देश्य वित्तीय ज्ञान के अंतर को पाटना और भारत सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करना है। एफटीएल निदेशालय ने भारत में वित्तीय और कर साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके प्राथमिक प्रयासों में से एक प्रयास में राष्ट्रीय जागरूकता अभियानों का आयोजन शामिल है। ये अभियानों का उद्देश्य वित्तीय विनियमों का अनुपालन बढ़ाना और कर परिवर्जन को कम करना है, दोनों देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एफटीएल निदेशालय ने सफलतापूर्वक अनेक अभियानों का आयोजन किया है, जो जनता तक पहुंचे और उन्हें वित्त और कराधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया।

वित्तीय और कर साक्षरता (एफटीएल) निदेशालय ने 2023-2024 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया :

- आईसीएआई पेन इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में 150 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कार्यशालाएं, सेमिनार, जागरूकता पहलों, वेबीनार, क्विज प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, पद यात्रा आदि भी शामिल हैं।
- भारत में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में वित्तीय और कर साक्षरता के विभिन्न विषयों पर 65 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- एक रेडियो अभियान सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया, जो तीन चरणों में 44 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), आयकर, डिजिटल भुगतान आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभियान ने 12 क्षेत्रीय भाषाओं में 3.93 करोड़ दर्शकगणों तक पहुंचने के लिए जिंगल और आरजे उल्लेखों का उपयोग किया।
- www.vitiyagyan.icai.org वेबसाइट लॉन्च की गई, जो वित्तीय और कर संबंधी जानकारी तक सहज पहुंच प्रदान करती है और ज्ञान का भंडार के रूप में कार्य करती है। वेबसाइट 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और 115,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया है। वर्तमान में, वेबसाइट पर 6 विषयों पर मॉड्यूल उपलब्ध हैं, अर्थात्, बैंकिंग सिस्टम और सरकारी ऋण योजनाएं, वित्तीय संकट से निपटना, डिजिटल भुगतान - प्रक्रिया और सुरक्षा, सेवानिवृत्ति योजना और उत्तराधिकार, बचत और खर्च, और क्रेडिट कार्ड का उपयोग।
- बैंकिंग, वित्तीय संकट पर निपटारा, डिजिटल भुगतान, जीएसटी, आयकर, बीमा, म्यूचुअल फंड, पूंजी बाजार, सेवानिवृत्ति और उत्तराधिकार योजना, बचत और खर्च, क्रेडिट कार्ड का उपयोग, और डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा के विषयों पर दैनिक ट्विटर पोस्ट के साथ 12 श्रृंखलाओं को कवर किया।

- 2000 से अधिक सीए सदस्यों और सीए छात्रों "मैं प्रतिज्ञा करता हूँ - 2024" पहल के माध्यम से एफटीएल निदेशालय के प्रतिनिधि बनने के लिए संकल्प/प्रतिज्ञा ली है और वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं।
- एफटीएल निदेशालय ने विभिन्न वित्तीय विषयों पर मासिक वर्चुअल इवेंट आयोजित करने के लिए एफआईसीसीआई महिला संगठन (एफएलओ) के साथ सहयोग किया।
- आईसीएआई ने अपने एफटीएल निदेशालय के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को भारतीय क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ ज्ञान साझेदारी के लिए एक आशय कथन किया। तत्पश्चात, एफटीएल निदेशालय विभिन्न वित्तीय और कर साक्षरता के विषयों पर एक इरादे का बयान सीबीसी के लिए सामग्री और ई-लर्निंग वीडियो विकसित करेगा।
- एफटीएल निदेशालय ने वित्तीय सोशल मीडिया प्रभावकारों के साथ सहयोग किया, ताकि शैक्षिक अंतर्वस्तु का सृजन और प्रसार किया जा सके, बातचीत सत्र आयोजित किए जा सकें, और सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ संपर्क किया जा सके।

8.16 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा गारंटीकृत किया गया है। तथापि, नागरिकों को अधिकार के मुद्दे पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से, भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य इसी लोक प्राधिकार के कार्यकरण में नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) एक कानूनी निकाय है जिसे अधिनियम अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित किया गया है, जो आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) के अधीन यथा प्रकल्पित सार्वजनिक प्राधिकरण है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, आईसीएआई के अधिकारियों को केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) के रूप में पदाभिहित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन पदाभिहित प्रकटीकरण

इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार, आवश्यक प्रकटन संस्थान द्वारा उसकी वेबसाइट www.icai.org पर होस्ट करके किए गए हैं और इन्हें समय-समय पर अपडेट किया जाता है। इस अवधि के दौरान, कुल 1,82,371 (एक लाख बयासी हजार तीन सौ इकतालीस) आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आईसीएआई द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं की प्रमाणित प्रतियों के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन शामिल हैं।

8.17 एक्सबीआरएल

विनियामकों, तकनीकीविदों, कॉर्पोरेट्स और शिक्षाविदों की प्रभावी प्रतिभागिता एक्सबीआरएल को भारत में बढ़ावा देने के लिए संस्थान का प्रयास है, संस्थान ने एक्सबीआरएल इंडिया को कंपनी अधिनियम की धारा 25 कंपनी के रूप में सुकर बनाए है (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन) जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक्सबीआरएल के अंगीकरण को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है, ताकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारबार रिपोर्टिंग के लिए मानक के रूप में उपयोग किया जा सके। इसके लिए करों, शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, एक्सबीआरएल इंडिया ने एक्सबीआरएल अंतर्राष्ट्रीय की सदस्यता ली है ताकि वैश्विक स्तर पर एक्सबीआरएल फ़ाइलिंग के अद्यतनों की सुविधा मिल सके। एक्सबीआरएल इंडिया एक्सबीआरएल अंतर्राष्ट्रीय के अधीन स्थापित भारतीय न्यायिक क्षेत्र है। वर्तमान में, एक्सबीआरएल इंडिया कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के लिए एक्सबीआरएल टैक्सोनामी का विकास और रखरखाव कर रहा है।

(I) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फ़ाइलिंग अपेक्षाएं

वर्तमान में, कंपनियों के लिए दो टैक्सोनामी लागू हैं :

- इंड AS टैक्सोनामी
- वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) टैक्सोनामी

एक्सबीआरएल इंडिया सदैव अपने संचालन के प्रमुख क्षेत्र, अर्थात् कंपनी अधिनियम के अधीन वित्तीय विवरणों की फ़ाइलिंग के लिए टैक्सोनामी का विकास और रखरखाव पर केंद्रित रहा है। उस अनुसार, एक्सबीआरएल इंडिया ने एमसीए के लिए 2022 में प्रस्तुत करोनि टैक्सोनामी का परीक्षण करने के लिए नमूना उदाहरण दस्तावेज और व्यवसाय नियम प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, एक्सबीआरएल इंडिया इंड एएस टैक्सोनामी में आवश्यक संशोधनों को अंतिम रूप दे रहा है, जो एमसीए द्वारा 31 मार्च 2023 को अधिसूचित कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियमों 2023 के कारण आवश्यक हैं। टैक्सोनामी के विकास के अतिरिक्त, फाइलकर्ताओं द्वारा टैक्सोनामी द्वारा सामना की गई प्रश्नों/मुद्दों, वित्तीय विवरणों को एक्सबीआरएल प्रारूपों में परिवर्तित करते हुए का समाधान किया गया है।

(II) नई टैक्सोनामी का विकास

इंड एएस और सीएंडआई टैक्सोनामी के अलावा, जो विशिष्ट वर्ग की कंपनियों पर लागू होती हैं, एक्सबीआरएल इंडिया विभिन्न क्षेत्रों के लिए टैक्सोनामी के विकास के लिए भी पहलों को अपनाने की योजना बना रहा है -

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज)
- बीमा संस्थाएँ (जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों, दोनों के लिए अलग-अलग)
- नगर निगम क्षेत्र

(III) नए सदस्य का प्रवेश

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एक नए सदस्य को प्रवेश दिया गया है जिससे एक्सबीआरएल इंडिया की सदस्यता का विस्तार हुआ है।

(IV) अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी

एक्सबीआरएल अंतरराष्ट्रीय का सदस्य बनने के एक भाग के रूप में, एक्सबीआरएल इंडिया का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। एक्सबीआरएल इंडिया के बोर्ड के सदस्य नियमित रूप से एक्सबीआरएल अंतरराष्ट्रीय की विभिन्न बैठकों/इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष के दौरान, बोर्ड के सदस्यों ने एक्सबीआरएल अंतरराष्ट्रीय सदस्य सभा की बैठक; टोक्यो में 12वां एक्सबीआरएल एशिया राउंड टेबल और "डाटा एम्प्लीफाइड 2023" एक्सबीआरएल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में भाग लिया।

8.18 आईसीएआई- लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (एआरएफ)

आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) को जनवरी 1999 में स्थापित किया गया था ताकि यह लेखांकन व्यवसाय से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अधिगम, शिक्षा, और समझ को प्रदान करने, प्रसार करने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक अकादमी के रूप में विकसित किया जा सके। आईसीएआई एआरएफ द्वारा प्रबंधन में ली गई परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :

• भारतीय रेल : पिछले एक वर्ष में कार्य पूरा

- सीडब्ल्यूआईपी का निपटारा करने और एफएआर में स्थानांतरण के लिए एक ढांचे का विकास करने के लिए पायलट अध्ययन एनआर के आधार पर किया जाएगा, जो 31 मार्च 2017 को एफए-13 में प्राप्त सीडब्ल्यूआईपी डाटा के आधार पर।
- भारतीय रेल के लिए एबीएफएस वर्ष 2021-22 प्रस्तुत किया गया।

कार्य प्रगति पर :

- भारतीय रेल के लिए एबीएफएस वर्ष 2022-23।
- डाटा सत्यापन, ट्रैक के एफएआर का सत्यापन, रोलिंग स्टॉक का एफएआर तैयार करना, और वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एफएआर डाटा की समीक्षा।
- प्रमाणित प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी (सीपीए पीएनजी) के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय जोखिम प्रबंधन पर अध्ययन सामग्री का तैयार किया जाना : आईसीएआई एआरएफ ने सीपीए पीएनजी को आईएफआरएस, अंतरराष्ट्रीय कराधान, डेरिवेटिव, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्यवसाय वित्त आदि के क्षेत्रों में पीएनजी के

नागरिकों और अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय जोखिम प्रबंधन पर माँड्यूल विकसित करने में सहायता की। माँड्यूल सीपीए पीएनजी को प्रस्तुत किए गए थे।

- **खजाना और लेखा विभाग, तमिलनाडु सरकार :** आईसीएआई एआरएफ ने तमिलनाडु खजाना कोड (खंड I और II); तमिलनाडु खाता कोड (खंड I, II और III) और तमिलनाडु वेतन और लेखा कार्यालय के मैनुअल की समीक्षा और संशोधन करने का कार्य सभी परिवर्तनों के ट्रेल के साथ वर्तमान पद्धतियों और आईएफएचआरएमएस के आधार पर साथ ही साथ आरंभ किया है। वर्ष के दौरान, अंतिम ड्राफ्ट खजाना और लेखा के आयुक्त को प्रस्तुत किया गया जो अनुमोदन के अधीन है।
- **भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) :** आईसीएआई एआरएफ को 2021 के महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम और एमपीए (लेखा और संपरीक्षा) नियमों के अनुपालन के लिए 11 महा पत्तनों के लिए सामान्य लेखांकन ढांचे को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। महा पत्तनों के लिए वार्षिक खातों के तैयार करने के लिए सामान्य ढांचे पर अंतिम रिपोर्ट आईपीए को प्रस्तुत की गई है। सभी पत्तनों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
- **हथकरघा विभाग, तमिलनाडु सरकार :** आईसीएआई एआरएफ ने तमिलनाडु में बुनकर सहकारी समितियों के परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक प्रक्रिया मैनुअल का मसौदा तैयार करने में सहायता करने हेतु तमिलनाडु सरकार के हथकरघा विभाग के लिए एक परियोजना का जिम्मा लिया, जिनका प्रस्ताव किया गया है या जो परिसमापन के लंबित तमिलनाडु सरकार के अधीन चल रही हथकरघा सहकारी समितियों को परिसमापन पद्धति मानक प्रचालन पद्धति प्रस्तुत कर दी गई है।
- **पंचायती एवं नगरपालिका निकायों के लेखापालों के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम :** आईसीएआई एआरएफ ने आईसीएआई एआरएफ के अधीन स्थापित स्थानीय निकाय लेखापालों के प्रमाणन (अर्थात्, बीएलओएसी) के माध्यम से पंचायती और नगरपालिका निकायों के लेखापालों के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की परियोजना को लागू किया है। आईसीएआई की सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन पर समिति (सीपीजीएफएम) पाठ्यक्रम सामग्री के विकास और पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए समन्वय में सक्रिय रूप से शामिल है। ये पाठ्यक्रम 16 नवंबर 2023 (संपरीक्षा दिवस) को औपचारिक रूप से लॉन्च किए गए और इन पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण 1 दिसंबर 2023 को एक विशेष वेबसाइट <https://lba.icaiaf.org.in/> के माध्यम से शुरू किया गया।

8.19 आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन एक धारा 8 की निजी कंपनी है जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं या मूल्यांकनकर्ता सदस्य को कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकक) नियम, 2017 और आनुषंगिक कार्यों के अनुसार नामांकित और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है।

(I) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन द्वारा 50 घंटे का शैक्षिक पाठ्यक्रम, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककर्ता बनने के लिए एक पूर्व-शर्त है :

- आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन ने अपनी सदस्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है और अपने मूल्यांकनकर्ता सदस्यों के लिए 50 घंटे का शैक्षिक पाठ्यक्रम आयोजित भी किया है, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता बनने के लिए और शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए एक पूर्व शर्त है।
- इस दिशा में, 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक, संपूर्ण देश में सदस्यों के लिए आईसीएआई आरवीओ ने 'प्रतिभूतियों या वित्तीय संपत्तियों' के लिए 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के 12 ऑनलाइन बैच आयोजित किए हैं और 'भूमि और भवन' के लिए 2 ऑनलाइन बैच आयोजित किए हैं।
- 30 जून 2024 के अंत तक, शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए कुल 78 बैच (76 बैच प्रतिभूति या वित्तीय संपत्तियों के लिए और 2 बैच भूमि और भवन के लिए) आयोजित किए गए हैं।
- 30 जून 2024 तक, 4535 सदस्यों को 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है (4525 सदस्य प्रतिभूतियों या वित्तीय संपत्तियों के अंतर्गत और 10 सदस्य भूमि और भवन के अंतर्गत)।

(II) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन द्वारा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककर्ता बनने की पूर्व-शर्त के रूप में शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे) की ऑनलाइन कक्षाएं :

- कोविड-19 के प्रकोप के कारण, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने 29 मार्च 2022 के मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए, जिससे शैक्षिक पाठ्यक्रम की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की अनुमति दी गई। आईबीबीआई ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की वैधता को अगले आदेशों तक 30 सितंबर 2022 के संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया।
- 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 की अवधि में, आईसीएआई आरवीओ ने 12 ऑनलाइन बैच आयोजित किए और प्रतिभूति या वित्तीय संपत्तियों के लिए 550+ सदस्यों को प्रशिक्षित किया और भूमि और भवन के लिए 2 ऑनलाइन बैच आयोजित किए और 10 सदस्यों को प्रशिक्षित किया।

(III) आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण :

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने प्रतिभूति या वित्तीय संपत्ति के अंतर्गत कुल 2213 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत किया है, जिनमें से 1097 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता 30 जून 2024 तक आईसीएआई आरवीओ के सदस्य हैं।

और, भूमि और भवन के अंतर्गत, आईबीबीआई ने कुल 2820 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत किया है, जिनमें से 1 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता 30 जून 2024 तक आईसीएआई आरवीओ के सदस्य हैं (आईसीएआई आरवीओ ने हाल ही में इस संपत्ति वर्ग में प्रवेश किया है)।

(IV) आईसीएआई आरवीओ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का लॉन्च और नियमित अद्यतन

आईसीएआई आरवीओ ने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जो एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को अध्ययन सामग्री के रूप में और बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्ररूप में पूर्व परीक्षा का परीक्षण प्रदान करता है। यह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आईसीएआई आरवीओ के प्राथमिक सदस्यों को आईबीबीआई मूल्यांकन परीक्षा की तैयारी में सुविधा प्रदान करता है।

एलएमएस को नियमित रूप से नए वीडियो, प्रस्तुति और प्रश्नों के साथ अद्यतन किया जाता है, और, भूमि और भवन और संयंत्र और मशीनरी के अन्य 2 संपत्ति वर्गों के लिए हमारी हाल की शुरुआत के साथ, उसके सदस्यों के लाभ के लिए इन संपत्ति वर्गों के लिए भी गुणवत्ता शैक्षिक सामग्री विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं।

(V) निरंतर शैक्षणिक कार्यक्रम

अपने निरंतर शैक्षणिक कार्यक्रम के भाग के रूप में, आईसीएआई आरवीओ ने 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 की अवधि के लिए अपने रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न विषयों पर 48 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(VI) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को सीओपी प्रदान करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

आईसीएआई आरवीओ ने 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट (सीओपी) प्रदान करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स पर 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(VII) आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित वेबकास्ट/वेबीनार

आईसीएआई आरवीओ ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार लाइव वेबकास्ट और वेबीनार आयोजित किए :

- 13 जुलाई 2023 को 2022-23 के मूल्यांकन रिपोर्ट के पीयर्स समीक्षा से सीखने पर लाइव वेबकास्ट।
- 28 दिसंबर 2023 को आईसीएआई आरवीओ द्वारा स्टार्ट-अप मूल्यांकन - कला और भविष्य के रुझानों पर वेबीनार।
- 12 जनवरी 2024 को आईसीएआई आरवीओ द्वारा आईबीसी, 2016 के अधीन मूल्यांकन की मानकीकरण पर वेबीनार।
- 21 जून 2024 को मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वृत्तिक अवसरों पर लाइव वेबकास्ट।
- 28 जून 2024 को आईसीएआई आरवीओ द्वारा भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) के सहयोग से आईबीसी के अधीन मूल्यांकन - सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर वेबीनार।

(VIII) आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित सम्मेलन

- 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, आईओवी आरवीएफ और आईसीएमएआई आरवीओ के सहयोग से नई दिल्ली में आईआईसी में मूल्यांकन दिवस सम्मेलन ।
- 8 मार्च 2024 को "सततता और मूल्यांकन : लिंग समानता और सशक्तिकरण" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का वर्चुअल सम्मेलन ।
- 31 मई से 1 जून 2024 तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईवीवीआई), आईसीएआई आरवीओ, आईवीवीआई, आईआईआईपीआई और आईसीएआई आरवीओ के सहयोग से आईसीएआई की एनआईआरसी की जम्मू-कश्मीर शाखा द्वारा आयोजित दिवालियापन और मूल्यांकन पर आवासीय रिक्रेशर कोर्स ।

(IX) आईसीएआई आरवीओ की 5वीं स्थापना दिवस

सार्वजनिक हित की पांच वर्षीय यात्रा के पूरा होने के अवसर पर, आईसीएआई आरवीओ ने 14 से 15 मई 2023 को आईसीएआई के साथ मिलकर "मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक हित की पोषणीयता" विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया ।

यह कार्यक्रम हाइब्रिड और वर्चुअल मोड, दोनों में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य अतिथि के रूप में और सम्पूर्ण सदस्य, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था । सम्मेलन में नीति निर्माता, विनियामक, न्यायपालिका सदस्यों, उद्योग और विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ मूल्यांकन, लेखांकन, वित्त और दिवाला वृत्तिकों के विभिन्न हितधारकों को एकत्रित हुए थे ।

(X) प्रकाशन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन ने निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए हैं :

साल 2023-2024 के लिए

- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (संस्करण-3) अप्रैल 2023
- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (संस्करण-4) जुलाई 2023
- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (संस्करण-5) अक्टूबर 2023
- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (संस्करण-6) जनवरी 2024
- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (संस्करण-7) अप्रैल 2024
- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (संस्करण-8) जुलाई 2024

8.20 भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई)

भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) भारत की पहली दिवाला वृत्तिक अभिकरण है, जिसे 28 नवंबर 2016 को दिल्ली में तत्कालीन माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया गया था। आईआईआईपीआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार, अधिवक्ताओं और प्रबंधन वृत्तिकों सहित विविध विधाओं से सदस्यों को आकर्षित किया है । आईआईआईपीआई ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ नेटवर्क बनाकर एक ओर हितधारकों की क्षमता/ज्ञान निर्माण में मदद की है और दूसरी ओर आईवीसी के विकासशील विधि और अभ्यास के लिए मूल्यवर्धित नीति इनपुट प्रदान की हैं । 30 जून 2024 तक, आईवीवीआई के पास कुल 4435 दिवाला वृत्तिक रजिस्ट्रीकृत हैं, जिनमें से 2794 सदस्य, अर्थात् 63% आईआईआईपीआई से हैं । आईआईआईपीआई के सदस्यों ने अब तक सीआईआरपी/परिसमापन/स्वैच्छिक परिसमापन के कुल कार्यों का 75% संभाला है, जिसमें कई बड़े मामले भी शामिल हैं ।

प्रमुख पहल

(I) शोध पहल

- 6 अध्ययन किए गए हैं और पूर्ण किए गए हैं, और 4 प्रकाशन जारी किए गए हैं । ये हैं : प्रारंभिक चरण से लेकर पञ्च समाधान तक समाधान की चेन में आईपी के भूमिका, समाधान प्रक्रिया में आईपी की सकारात्मक भूमिकाएँ, रियल एस्टेट समाधान में सुधार, केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आईपी का योगदान, परिवर्जन लेनदेन के लिए टेम्पलेट और सफल सीआईआरपी/लिक्विडेशन केस अध्ययन ।

- अभी तक त्रैमासिक अनुसंधान पत्रिका (समाधान वृत्तिक) के 5 संस्करण जारी किए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ई-सर्कुलेट किया गया है, और सदस्यों और हितधारकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है।
- अनुसंधान समिति का गठन किया गया है, जो आईपीए में अपनी किस्म की प्रथम पहल एक ऐसे अनुसंधान कोष के साथ है जिसकी प्रारंभिक राशि 25 लाख रुपये बनाई गई है। दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 28 की पहचान किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 100 से अधिक संस्थाओं को सूचित किया गया है। योजना के अधीन, 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-दिल्ली के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, जिसमें आईबीसी पर अनुसंधान करने के लिए एनएलयू-दिल्ली में पीएचडी सीट को प्रायोजित करने का प्रावधान है, अगले 3 वर्षों में इसकी लागत 12 लाख रुपये होगी।
- हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है ताकि आईपी के साथ कानूनी प्राधिकारियों और प्रवर्तन अभिकरणों के साथ निपटने के दौरान सामना की जाने वाली चुनौतियों को जानने के लिए फीडबैक प्राप्त किया जा सके।
- 'आईबीसी के अधीन रियल एस्टेट समाधान में सुधार और रेरा के साथ समन्वय' पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित और वितरित की गई है। इससे पहले आईआईआईपीआई का लखनऊ में अखिल भारतीय रेरा चेयरमैन के फोरम के साथ बातचीत हुई थी।

(II) क्षमता निर्माण पहल

- 23 फरवरी 2024 को, आईबीसी के अधीन हितधारकों के संतुलनकारी अधिकारों पर 'भौतिक सम्मेलन' आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आईआईआईपीआई के सहयोग से आईबीबीआई और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शामिल हैं।
- एसौचेम के सहयोग से आईबीसी सम्मेलन 2024 का आयोजन 3 फरवरी 2024 को हुआ।
- 'एमएसएमईज के लिए प्रेपैक दिवाला कार्य ढांचे' पर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एमएसएमईज (डब्ल्यूएसएमई) के साथ 12 जनवरी 2024 को एक कार्यक्रम (वर्चुअल) आयोजित किया गया।
- 'स्ट्रेस समाधान - वृत्तिकों की भूमिका' पर एक भौतिक कार्यक्रम हाल ही में चंडीगढ़ में 6 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें माननीय एनसीएलटी न्यायिक सदस्य, चंडीगढ़ बेंच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
- आईपीएस के लिए निरंतर व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) के लिए तीन कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रदान किए जा रहे हैं जैसे कि
 - सीआईआरपी के अधीन प्रबंधन कौशल
 - आईबीसी के अधीन न्यायालय प्रक्रियाओं पर कानूनी कौशल
 - आईबीसी के अधीन परिवर्जन लेनदेन पर फॉरेंसिक कौशल।
- इस अवधि के दौरान, आईआईआईपीआई ने 60 से अधिक संख्या में शैक्षिक/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें संगोष्ठियाँ, वेबीनार, कार्यशालाएँ, गोल मेज चर्चा शामिल हैं, जिन्हें विश्व बैंक, यूकेएफसीडीओ, अंतरराष्ट्रीय दिवाला संस्थान, यूएसए जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर आयोजित किया गया।
- आईएनएसओएल अंतर्राष्ट्रीय-यूके के साथ एक संधि को औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे आईआईआईपीआई के सदस्यों को आईएनएसओएल-यूके की सह-सदस्यता बहुत ही रियायती शर्तों पर प्रदान की जा सके। लगभग 330 सदस्यों ने स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया है।
- "रियल एस्टेट सीआईआरपी - चुनौतियाँ और समाधान" पर एक वर्चुअल सम्मेलन 23 जून 2023 को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में, रेरा (बिहार राज्य) के अध्यक्ष उपस्थित हुए थे।
- एक आईपी सम्मेलन (आईबीबीआई के सहयोग से आईआईआईपीआई, सीआईबीसी-आईसीएआई और अन्य आईपीए के द्वारा) मुंबई में 15 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया।

- 'भारत में तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार विकसित करना' पर एक भौतिक सम्मेलन 22 सितंबर 2023 को दिल्ली में आईआईआईपीआई द्वारा आयोजित किया गया। आईबीबीआई की अध्यक्षता ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- आईबीबीआई के साथ चार सार्वजनिक चर्चा सत्र नवंबर-दिसंबर 2023 के दौरान चार विषयों पर आयोजित किए गए : -
 - सीआईआरपी संबंधित मुद्दों
 - परिसमापन संबंधित मुद्दों
 - आईपी/आईपीई नियमावली संबंधित मुद्दों
 - परिवर्जन लेनदेन - परिणाम में सुधार
- सदस्यों के लिए वृत्तिक प्रकृति के प्रश्न उठाने/जवाब देने के लिए चर्चा मंच (वेब-आधारित पोर्टल) शुरू किया गया।
- प्रेषक ढांचे (पीपीआईआरपी) पर एमएसएमई हेल्पलाइन संचालित की गई, जिसमें विशेषज्ञ आईपी का पैनल शामिल है।
- मेंटोरशिप कार्यक्रम और ऑनलाइन पोर्टल संचालित किए गए।
- पीयर रिव्यू कार्यक्रम और ऑनलाइन पोर्टल संचालित किए गए।

(III) ब्रांड निर्माण पहल

- आईबीसी पर राष्ट्रीय क्विज़ को लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य विधि/प्रबंधन संस्थानों के छात्रों को लक्षित करना था।
- 7वीं स्थापना दिवस दिसंबर 2023 में एक भौतिक कार्यक्रम के माध्यम से मनाया गया जिसमें डब्ल्यूटीएम-आईबीबीआई, मुख्य कार्यकारी-आईबीआई, पूर्व अध्यक्ष आईबीबीआई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति थी।
- अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में, दो कार्यक्रम यूकेएफसीडीओ के साथ सीमा पार कार्य ढांचे पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए। इनमें से एक में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
- मार्च 2023 में परिवर्जन लेनदेन - परिणाम में सुधार पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (वेबीनार) आयोजित किया गया, जिसमें यूके, हांगकांग, सिंगापुर और भारत से विशेषज्ञ वक्ता शामिल हुए। यूके और भारत के विनियामक भी शामिल हुए।
- "आईबीसी के अधीन उभरती चुनौतियों को पार करना - आईपीए और आईपी की तैयारियाँ" पर नई दिल्ली में 16 जून, 2023 को भौतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एनसीएलटी के सदस्य, संयुक्त सचिव, एमसीए, एमडी-एसबीआई और ईडी-आईबीबीआई सहित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
- पिछले वर्षों में एनसीएलटी के अध्यक्ष, एनसीएलटी के सदस्यों, एमसीए के सचिव, एमसीए के संयुक्त सचिव, एमएसएमई के सचिव, आरबीआई के ईडी, एसबीआई के एमडी, सेबी के क्षेत्रीय निदेशक, रेरा (यूपी) के अधिकारियों के साथ बैठकें/चर्चाएँ की गईं।
- दिल्ली, मुंबई और बिहार के रेरा अध्यक्ष के साथ आईबीसी और रेरा से संबंधित मुद्दों पर बातचीत के लिए संपर्क किया गया। इसके अलावा, 'आईबीसी के अधीन रियल एस्टेट समाधान में सुधार और रेरा के साथ समन्वय' पर एक अध्ययन समूह गठित किया गया है और यह आईबीसी और रेरा अधिनियम के अधीन परिणाम सुधारने के लिए सिफारिशों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अध्ययन समूह के सदस्यों की महाराष्ट्र रेरा के अध्यक्ष के साथ 21 फरवरी 2024 को एक वर्चुअल बातचीत की गई। उसके बाद, आईआईआईपीआई द्वारा लखनऊ में 19 मार्च 2024 रेरा अध्यक्ष के अखिल भारतीय फोरम के समक्ष रियल एस्टेट अध्ययन समूह की रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति दी गई।
- प्रवर्तन अभिकरणों सहित प्रवर्तन निदेशालय, विशेष धोखाधड़ी जांच कार्यालय ('एसआईएफओ'), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - हैदराबाद, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, कस्टम प्रवर्तन अकादमी को एक परस्पर सेमिनार के लिए उनके अधिकारियों के नामांकन के लिए संपर्क किया गया है। सीबीआई अकादमी ने भी अपने अधिकारियों के लिए उनके नियमित प्रशिक्षण में आईबीसी पर सत्र शामिल करने के लिए सहमति दी है,

जिसमें आईआईआईपीआई विषय वस्तु पर विशेषज्ञों/वक्ताओं का नामनिर्देशन कर सकती है। ऐसा पहला प्रशिक्षण सत्र 15 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया।

- 'भारत में सीमा पार और समूह दिवालापन : चुनौतियाँ और अवसर' पर एक भौतिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 13 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व अध्यक्ष एनसीएलएटी मुख्य अतिथि थे। अन्य गणमान्य अतिथियों में एनसीएलटी के सदस्य और डब्ल्यूटीएम-आईबीवीआई शामिल थे।
- साफा सदस्यों के लिए 'अंतरराष्ट्रीय दिवाला - सर्वोत्तम प्रथाएँ' पर 20 मार्च 2024 को एक वेबीनार आयोजित किया गया।
- 'आईबीसी के अधीन रियल एस्टेट समाधान में सुधार और रेरा के साथ समन्वय' विषय पर आईआईआईपीआई के अध्ययन समूह की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आवास और शहरी मामले मंत्रालय के साथ एक भौतिक बैठक आयोजित की गई।

8.21 भारतीय सामाजिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईएसएआई)

भारतीय सामाजिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईएसएआई) 07 अक्टूबर 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन आईसी के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। स्व-विनियामक संगठन के रूप में आईसीएआई का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, नैतिक और विश्व स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षकों की वृत्ति को विकसित करना है जो हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का प्रत्युत्तर दे सके। आईएसएआई स्वतंत्र और पारदर्शी रीति से सामाजिक लेखापरीक्षकों को रजिस्ट्रीकृत, विनियमित और विकसित करेगा और इसके साथ ही सामाजिक लेखापरीक्षकों की क्षमता निर्माण पर निरंतर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य करेगा।

(I) सामाजिक लेखापरीक्षकों का अवधारणा

वित्त मंत्री ने 2019-2020 के बजट भाषण में पहली बार सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के अवधारणा का उल्लेख किया, जो "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियामक परिधि के अंतर्गत सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों के सूचीकरण के लिए है और जो सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि वे इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट के रूप में पूंजी जुटा सकें।

इसके बाद, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने 25 जुलाई 2022 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से सेबी (पूँजी इश्यु और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (एलओडीआर विनियम), सेबी (बाध्यताएं सूचीकरण और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 में संशोधन किया ताकि सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक व्यापक कार्य ढांचा पेश किया जा सके। सेबी (पूँजी इश्यु और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 सामाजिक लेखापरीक्षकों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अंतर्गत स्व-नियामक संगठन के साथ रजिस्ट्रीकृत हैं या ऐसी किसी अन्य अभिकरण के साथ, जिसे बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा संचालित एक प्रमाणन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अर्हित किया है और पास होने का एक वैध प्रमाण पत्र रखता है।

(II) आईएसएआई का प्रशासनिक बोर्ड

आईएसएआई अपने प्रशासनिक बोर्ड के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें कम से कम बारह निदेशकों से मिलकर बनता है, अर्थात् :-

- अध्यक्ष, जिसके पास सामाजिक सेक्टर/समाघात मूल्यांकन में अच्छा अनुभव हो या वह किसी प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान से हो।
- आईसीएआई के केंद्रीय परिषद के पांच सदस्य/सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के सदस्य जिनके पास प्रासंगिक अनुभव हो।
- एक व्यक्ति जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा नामित किया जाएगा।
- एक व्यक्ति द्वारा नामित किया जाएगा, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय (एमएचए)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

- एक व्यक्ति जिसे क्षमता निर्माण निधि द्वारा नामित किया जाएगा।
- एक व्यक्ति जिसे सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नामित किया जाएगा।
- सामाजिक सेक्टर के विषयगत क्षेत्रों से एक सदस्य।
- सामाजिक सेक्टरों में क्रॉस सेक्टरल अनुभव रखने वाले एक सदस्य।

(III) शासी बोर्ड की बैठकें

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में 3 (तीन) शासी बोर्ड की बैठकें बुलाई गईं। कंपनी की पहली वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम 30 सितंबर 2023 को आयोजित हुई। वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण एमसीए के पास फाइल कर दिए गए हैं।

(IV) आईएसएआई की उप- समितियाँ

कंपनी की उपविधियों के अनुसार, कंपनी के कामकाज को विनियमित करने के लिए अति पारदर्शी और दक्ष रीति में 7 उप-समितियाँ गठित की गई हैं। इन उप समितियों में शासी बोर्ड के सदस्य और सलाहकारी भूमिका में बाजार विशेषज्ञ भी शामिल हैं। आईएसएआई की निम्नलिखित उप समितियाँ हैं :

- सलाहकार समिति
- सदस्यता समिति
- निगरानी समिति
- शिकायत निवारण समिति
- अपील समिति
- अनुशासन समिति
- संस्तुति बोर्ड

तीन सदस्यता समिति की बैठकें 24 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023 और 05 जनवरी 2024 को वर्चुअल/भौतिक मोड के माध्यम से आयोजित की गईं, जिसमें आईएसएआई की सदस्यता आवंटन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 05 जनवरी 2024 को एक खोज समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आईएसएआई के शासी बोर्ड पर लंबित नामांकन पर चर्चा की गई और विचार-विमर्श किया गया।

(V) सामाजिक समाघात मूल्यांकनों का रजिस्ट्रीकरण (पूर्वतर सामाजिक लेखापरिक्षक)

आईएसएआई ने 28 अप्रैल 2023 को अलग रजिस्ट्रीकरण पोर्टल <http://registration.isai.ca.in/> का शुभारंभ किया और अपनी वेबसाइट <https://isai.ca.in/> पर सामाजिक लेखापरिक्षकों को रजिस्ट्रीकृत करना शुरू किया।

एनआईएसएम श्रृंखला-XXIII : सामाजिक समाघात मूल्यांकनों (पूर्वतर सामाजिक लेखापरिक्षक) की प्रमाणन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद, आवेदक को आईएसएआई के साथ नामांकन करना आवश्यक है। आईएसएआई ने 550 से अधिक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनों को रजिस्ट्रीकृत किया है, जिनका विवरण इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(VI) "एनआईएसएम श्रृंखला XXIII : सामाजिक समाघात मूल्यांकनकर्ता (पूर्वतर सामाजिक लेखापरिक्षक) प्रमाणन परीक्षा" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

आईएसएआई ने "एनआईएसएम श्रृंखला XXIII : सामाजिक समाघात मूल्यांकनकर्ता (पूर्वतर सामाजिक लेखापरिक्षक) प्रमाणन परीक्षा" की तैयारी में सहायता के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है। ऑनलाइन कक्षाएँ 21 अध्ययन घंटों में एनआईएसएम अध्ययन सामग्री के सभी 11 अध्यायों को कवर करती हैं, जिसमें विशेषज्ञ फैकल्टी, प्रत्येक अध्याय के लिए सामान्य प्रश्न, केस अध्ययन और व्याख्यात्मक उदाहरण शामिल हैं। आईएसएआई ने "एनआईएसएम श्रृंखला XXIII : सामाजिक समाघात मूल्यांकनकर्ता (पूर्वतर सामाजिक लेखापरिक्षक) प्रमाणन परीक्षा" के लिए 297 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करते हुए चार (4) बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

(VII) वेबीनार :

आईएसएआई ने क्षमता निर्माण और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक लेखापरीक्षा और हितधारकों तथा आम जनता को सामाजिक समाघात मूल्यांकन के बारे में जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित वेबीनार आयोजित किए हैं :

क्रम सं.	विषय	प्रतिभागियों की संख्या
1	सामाजिक उद्यमों की सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रीकरण और सूचीकरण	800 से अधिक प्रतिभागी
2	सामाजिक समाघात मूल्यांकन- दृष्टिकोण	400 से अधिक प्रतिभागी
3	सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज वार्षिक समाघात रिपोर्ट का एक अवलोकन	120 से अधिक प्रतिभागी
4	सामाजिक समाघात मूल्यांकन की प्रक्रिया	200 से अधिक प्रतिभागी

8.22 गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी)

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन धारा 28A के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने 28 जून 2007 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा देश में प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी) का गठन एक स्वतंत्र निकाय के रूप में किया, और इसकी समीक्षा प्रक्रिया देश में एक अधिक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की दिशा में योगदान करती है। क्यूआरबी का गठन एक अध्यक्ष और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्यों तथा आईसीएआई के परिषद से नामांकित पांच सदस्यों से मिलकर बना है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28B के अनुसार, गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में परिषद को सिफारिशें करना।
- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करना, जिसमें संपरीक्षा सेवाएँ शामिल हैं।
- संस्थान के सदस्यों को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और विभिन्न वैधानिक और अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में मार्गदर्शन करना।
- संस्थान के सदस्यों या फर्मों द्वारा विभिन्न कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के अननुपालन के मामलों को, जिन्हें यह अपनी समीक्षाओं के दौरान नोटिस करता है, अनुशासनात्मक निदेशालय को उसकी समीक्षा के लिए अग्रेषित करना।

क्यूआरबी को आईसीएआई के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है, हालांकि वर्तमान में बोर्ड केवल संपरीक्षा सेवाओं की समीक्षा में अंतर्बलित है। केंद्रीय सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन के बाद, क्यूआरबी को नियम 3 के अधीन न आने वाले संस्थाओं के लिए संपरीक्षा सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है, साथ ही 2018 के एनएफआरए नियमों के नियम 9(4) के अधीन क्यूआरबी को निर्दिष्ट कंपनियों की भी समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

रिपोर्ट के दौरान, क्यूआरबी ने संपरीक्षा गुणवत्ता की 47 समीक्षाएँ पूरी की है। इन 47 समीक्षाओं में :

क्रम सं.	विवरण	संपरीक्षा गुणवत्ता की समीक्षाएँ
1.	उन मामलों की संख्या, जिनमें क्यूआरबी ने संबंधित संपरीक्षा फर्मों को संपरीक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के धारा 28ख के उपधारा (ग) की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सलाह दी	37
2	वे मामले जिन्हें क्यूआरबी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के धारा 28B के उपधारा (घ) की अपेक्षाओं के अनुसार जांच के लिए अनुशासनात्मक निदेशालय को भेजे हैं	5
3	दायर किए गए मामले अर्थात्, वे मामले जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई	5

कुल समीक्षाएँ	47
---------------	----

9. अन्य मामले

9.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस - 1 जुलाई, 2023

75 वें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस का महत्वपूर्ण अवसर 1 जुलाई, 2023 को देश और दुनिया भर में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया था। ऐतिहासिक अवसर पर, एक स्मारक लोगो और आईसीएआई की 75 साल की उत्कृष्टता की यात्रा को दर्शाने वाला एक आईसीएआई स्टैम्प का अनावरण किया गया था, जो राष्ट्र के आर्थिक विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के उल्लेखनीय योगदान, राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में अटल अखंडता, सक्षमता और व्यावसायिकता का उदाहरण है। मुख्य अतिथि-भारत के माननीय राष्ट्रपति, और माननीय कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री, की सम्मानित उपस्थिति और आशीर्वाद इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था। समारोह के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित नई शिक्षा और प्रशिक्षण योजना का अनावरण किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा "आर्थिक शासन के स्तंभ" के रूप में निभाई जा रही सहयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने सीएएस समर्पण और कड़ी मेहनत को अभिस्वीकार किया, और आगे कहा, "सीए बनने की यात्रा असाधारण वृत्तिकों के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। माननीय मंत्री ने वर्षों से आईसीएआई की उल्लेखनीय यात्रा को अभिस्वीकार किया, देश की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास में इसके योगदान पर जोर दिया और देश की उम्मीदों को पूरा करने में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए वृत्ति को प्रोत्साहित किया।

9.2 केंद्रीय परिषद पुस्तकालय

संस्थान का केंद्रीय परिषद पुस्तकालय अपने हितधारकों की सूचना अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसका उद्देश्य आईसीएआई के वर्तमान और प्रत्याशित सदस्यों/छात्रों, अनुसंधान विद्वानों और अधिकारियों को प्राथमिक और माध्यमिक प्रिंट और गैर-प्रिंट सामग्री का व्यापक और अद्यतन संग्रह प्रदान करना है। पुस्तकालय ने पुस्तकों, ई-पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डेटाबेस, प्रिंट समाचार पत्रों के साथ-साथ ई-समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञान और मूल्यवान जानकारी प्रदान करने में सेवारत समितियों, विभागों की अधिक जिम्मेदारियां ग्रहण की हैं। केंद्रीय परिषद पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित पत्रिकाओं और पुस्तकों को अद्यतन और प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

केंद्रीय परिषद पुस्तकालय पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और स्वतंत्रता-पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम कर रहा है। पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के डेटाबेस सहित पुस्तकालय सामग्री को विषय, लेखक, शीर्षक, विषय, कीवर्ड और प्रकाशक वार के माध्यम से खोजा जा सकता है। "ये रिकॉर्ड इंटरनेट ऑनलाइन सेवाओं www.icai.org पर "सैंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी" के अधीन - ऑनलाइन सर्च ओपेक-पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों आदि के लिए स्वतंत्रता।" पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

"अकाउंटेंट्स ब्राउजर" कॉलम के अधीन, लेखा वृत्ति से सुसंगत लेखों का एक सूचकांक प्रत्येक मास "चार्टर्ड अकाउंटेंट" पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति ध्यान दे सकता है कि "अकाउंटेंट ब्राउजर" पिछले लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों का एक सूचकांक है।" पुस्तकालय से संदर्भ सेवा शोधकर्ताओं और विद्वानों, संकायों, छात्रों और सदस्यों को भी प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय द्वारा कई ऑनलाइन डेटाबेस प्राप्त किए गए हैं, जिनका विवरण www.icai.org - केंद्रीय परिषद पुस्तकालय पर उपलब्ध है। ये ऑनलाइन ज्ञान डेटाबेस केंद्रीय परिषद पुस्तकालय में स्थापित किए गए हैं और सदस्यों, संकायों और शोध विद्वानों द्वारा अपेक्षित सामग्री के लिए शोध की सुविधा के लिए केवल घर में ही एक्सेस किया जा सकता है। पुस्तकालय में कई ई-पत्रिकाओं के भी ग्राहक बनाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः प्रधान कार्यालय के केंद्रीय परिषद पुस्तकालय और नोएडा पुस्तकालय में जोड़े गए नए संसाधनों का विवरण निम्नानुसार है।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय (मुख्यालय)

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	24

2.	ऑनलाइन संसाधन	18
3.	इस अवधि के दौरान जोड़ी गई नई पुस्तकों की संख्या	320

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय, सेक्टर 62, नोएडा

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	13
2.	ऑनलाइन संसाधन	17
3.	इस अवधि के दौरान जोड़ी गई नई पुस्तकों की संख्या	279

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन कर रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों और अन्य हितधारकों को नवीनतम और अद्यतन ज्ञान और जानकारी प्रदान की जा सके।

9.3 संपादकीय बोर्ड

संपादकीय बोर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की एक विशेष गैर-स्थायी समिति है, जो जर्नल, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से वृत्तिक ज्ञान और प्रासंगिक मामलों के साथ सदस्यों को लगातार प्रदान करने के मिशन को समर्पित है। यह जर्नल सदस्यों को उनके वृत्तिक ज्ञान को बढ़ाकर सशक्त करता है और ई-जर्नल और मुद्रित दोनों प्रतियों सहित 400,000 से अधिक परिचालन के साथ, अपने पाठकों के बीच अपार मूल्य प्राप्त करता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट मुख्य वृत्तिक पत्रिकाओं में से एक पत्रिका है, जो आईसीएआई की बौद्धिक कौशल को दर्शाती है और सदस्यों, छात्रों और अन्य हितधारकों में संस्थान की मजबूत ब्रांड इकटिरी को मजबूत करती है। संपादकीय बोर्ड पाठकों और आईसीएआई सदस्यों को लेखा वृत्ति में नवीनतम प्रगति के बारे में सूचित करने, वृत्तिक ज्ञान को बढ़ावा देने और आईसीएआई और लेखांकन क्षेत्र के बारे में नए विचारों, अंतर्दृष्टि और जानकारी का प्रसार करने के अपने जनादेश के लिए प्रतिबद्ध है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

(I) राष्ट्र के विकास की दिशा में पहल

वृत्तिक ज्ञान का प्रसार करके, साथ ही अंतरराष्ट्रीय रुझानों को शुरू करके और अपनी मासिक पत्रिका, 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' के माध्यम से पद्धतियों को विकसित करके, संपादकीय बोर्ड ने अपने घटकों की सक्षमता और क्षमता में सुधार करके राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में तीव्रता से काम किया है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लेखों के माध्यम से ज्ञान संवर्धन :**

इस अवधि के दौरान वृत्तिक हित की अन्य नियमित विशेषताओं के अलावा, आईसीएआई जर्नल में विविध और समकालीन वृत्तिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए गए थे। सदस्यों को नवीनतम वृत्तिक ज्ञान से अवगत रखने के आशय से, वित्तीय साक्षरता स्टार्टअप, एमएसएमई, जीएसटी, स्थिरता, आईबीसी और अन्य तकनीकी विषयों पर विशेष अंक प्रकाशित किए गए।

(II) सदस्य/छात्र पहल

संपादकीय बोर्ड अपनी मासिक पत्रिका, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से सदस्यों और छात्रों के ज्ञान उन्नयन और वृत्तिक संवृद्धि के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:

चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में गुणात्मक कवरेज :

- **कवर किए गए विषयों का मिश्रण :** अवधि के दौरान, आईसीएआई पत्रिका में विभिन्न विषयों और वृत्तिक प्रसंगों पर 196 लेख शामिल किए गए थे। इसके अलावा, जर्नल में अन्य नियमित विशेषताएं भी शामिल थीं जो विभिन्न आईसीएआई समितियों के साथ समन्वय करके आईसीएआई और इसकी गतिविधियों के बारे में अपडेट को कवर करती थीं।
- **जुलाई 2023 के अंक को विशेष संस्करण के रूप में प्रकाशित किया गया :** जुलाई 2023 का अंक, सीए दिवस के एक ही समय पर पड़ने के साथ ; आईसीएआई को अपने 74 वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए कलेक्टर के संस्करण के रूप में प्रकाशित किया गया था, विशेष रूप से आईसीएआई ने अपने 75 वर्षों के विश्वास में प्रवेश किया और

मनाया। इस विशेष अंक में सरकार, उद्योग और विनियामकों से राष्ट्रीय व्यक्तियों द्वारा पत्रिका के लिए विशेष रूप से लिखे गए लगभग 19 लेखों को प्रकाशित करके राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष के विश्वास को मनाने की भावना सन्निविष्ट थी, नए भारत और वृत्ति के दृष्टिकोण और विजन को साझा करते हैं। चूंकि भारत 2047 तक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

इसके अलावा, जर्नल ने 19 प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों, जिनमें भारत के राष्ट्रपति, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री, माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, माननीय महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल, गोवा के माननीय राज्यपाल, नागालैंड के माननीय राज्यपाल, पुडुचेरी के माननीय उपराज्यपाल, राजस्थान के माननीय राज्यपाल शामिल थे, से प्रेरक सीए दिवस संदेशों को भी प्रेषित किया। इसके अलावा, आईसीएआई के पूर्व राष्ट्रपतियों और सीए जो वैश्विक अग्रणी हैं, के विजन के विशेष कवरेज को राष्ट्र निर्माण में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लेखाशास्त्र वृत्ति की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया था।

इस अंक की विशेष विशेषता डाउन दी मेमोरी थी, जिसमें एक शानदार भारतीय लेखा वृत्ति पर प्रतिबिंब : एक फोटो यात्रा, आईसीएआई स्टाम्प, उत्कृष्टता की यात्रा, 'चार्टर्ड' के पदनाम के लिए संघर्ष पर आलेख, भारत के पहले राष्ट्रपति का भाषण, उद्धरणों में - दिग्गजों की दृष्टि के माध्यम से और आईसीएआई के आधारों एवं प्रतीकों का पता लगाना शामिल था। पत्रिका के कवर पेज ने नए भारत के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले 74 वर्षों के दौरान गतिशील भावना लेखांकन व्यवसायों और आईसीएआई के योगदान का नेतृत्व करते हुए 75 वर्षों पर नए लोगो को चित्रित किया।

चार्टर्ड अकाउंटेंट के डिजिटल संस्करणों के कई पहलू- सदस्यों और छात्रों की सुविधा के लिए अपग्रेड की गई पत्रिका :

- पीडीएफ फोरमेट में जर्नल : पाठकों के लिए एक मूल्यवर्धित अनुकूल्य के रूप में, विशेष रूप से अलग-अलग अंतर्वस्तु-वार डाउनलोड के लिए, जर्नल पीडीएफ फोरमेट में होस्ट किया जाना जारी है। डिजिटल जर्नल का अभिलेखागार आईसीएआई की वेबसाइट पर जुलाई, 2002 से उपलब्ध है।
- डिजिटल लर्निंग हब पर जर्नल : जर्नल का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर उपयोगकर्ता-अनुकूल ई-पत्रिका के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध है, डिजिटल लर्निंग हब में शामिल किया गया है। इसने आईसीएआई के संवहनीयता अभियान का समर्थन करने के अलावा, आईसीएआई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने में मदद की।
- जर्नल हाइलाइट ईमेलर : कैप्सूल फॉर्म में जर्नल के प्रत्येक अंक की मुख्य विशेषताएं और जर्नल में राष्ट्रपति का संदेश सभी सदस्यों को बड़े पैमाने पर ईमेल किया जाता है।
- मोबाइल पर जर्नल : ई-जर्नल भी मोबाइल पर उपलब्ध है, आईओएस पर संगत (आईपीएडी/आईफोन आदि) और एंड्रॉयड उपकरण। इसे <http://www.icai.org/under> 'ई-जर्नल' टैब पर एक्सेस किया जा सकता है। ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

10. सदस्य

10.1 सदस्यता

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, आईसीएआई द्वारा 24,998 नए सदस्यों को नामांकित किया गया था, जिनकी कुल सदस्यता 1 अप्रैल, 2024 को 4,03,617 थी। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, 3,595 सहयोगी सदस्यों को पिछले वर्ष में 2,559 के आंकड़ों की तुलना में फेलो के रूप में भर्ती कराया गया था।

01.04.2024 तक सदस्यों की कुल सदस्य

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहबद्ध (2)	स्तंभ (1) और (2) का योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	95232	55877	151109
अंशकालिक व्यवसाय में	2017	5095	7112
जो व्यवसाय में नहीं हैं	18468	226928	245396
योग	115717	287900	403617

10.2 दीक्षांत समारोह

नवंबर 2008 से, संस्थान नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान, आईसीएआई ने मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, गाजियाबाद, इंदौर, जयपुर, लुधियाना और नई दिल्ली में 12 स्थानों पर 1 अक्टूबर, 2022 से 20 अक्टूबर, 2023 तक नामांकित सदस्यों को आमंत्रित करते हुए "दीक्षांत समारोह 2023" का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

1.4.2023 को यथाविद्यमान सदस्यों के आंकड़े

अध्येता :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	95232
	अंशकालिक व्यवसाय में	2017
	जो व्यवसाय में नहीं है	18468
		115717
सहबद्ध :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	55877
	अंशकालिक व्यवसाय में	5095
	जो व्यवसाय में नहीं है	226928
		287900
		403617

कुल सदस्यता :

403617

क्षेत्र	अध्येता				सहबद्ध				सकल योग
	व्यवसाय में				व्यवसाय में				
	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं है	योग	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं है	योग	
पश्चिमी	28044	517	5265	33826	18492	1766	77986	98244	132070
दक्षिणी	20135	551	4299	24985	10555	1277	50249	62081	87066
पूर्वी	8313	148	1579	10040	3572	319	15135	19026	29066
मध्य	20054	345	2834	23233	12628	713	41496	54837	78070
उत्तरी	18686	456	4491	23633	10630	1020	42062	53712	77345
योग	95232	2017	18468	115717	55877	5095	226928	287900	403617

11. अध्ययन बोर्ड

अध्ययन बोर्ड आकांक्षी सीए छात्रों को शैक्षिक इनपुट प्रदान करके, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट स्किल्स पर प्रशिक्षण प्रदान करके, उन्हें अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के उनके लक्ष्य में मार्गदर्शन करने और ज्ञानगुरु बनाकरके उनके प्रेरणादायी करियर निर्माण में एक सहायक भूमिका निभाता है। व्यावसायिक ज्ञान, वृत्तिक कौशल और वृत्तिक मूल्यों की मजबूत नींव प्रदान करने के अपने प्रयास में, बीओएस अपने छात्रों को गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री, पुनरीक्षण परीक्षण पत्र और सीए पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय के लिए मॉक टेस्ट पेपर प्रदान करता है। लाइव लर्निंग क्लासेज और एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस डैशबोर्ड बीओएस की कुछ डिजिटल पहल हैं ताकि छात्रों को उनकी परीक्षाओं के लिए सीखने और तैयारी की सुविधा मिल सके।

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम को अध्ययन वाले छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षिक इनपुट विकसित करने के अलावा, अध्ययन बोर्ड ओरिएंटेशन कोर्स, सूचना प्रौद्योगिकी, उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन और संचार कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बैच का संचालन करता है ताकि सीए छात्रों को दक्षताओं और वृत्तिक सतत विकासशील व्यावसायिक वातावरण के

मद्देनजर व्यवसायिक घरों द्वारा पता लगाकर कौशल सेट से लैस किया जा सके। सीए छात्रों के समग्र विश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक सरल कौशल को आत्मसात करने के लिए बोर्ड विभिन्न अन्य गतिविधियों जैसे सम्मेलन, सेमिनार, राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता, छात्रों के उत्सव, खेल गतिविधियों आदि का भी आयोजन करता है। आईसीएआई के मध्यवर्ती और अंतिम वर्ष छात्रों को छात्रवृत्ति अनुदान भी दिया जा रहा है। वर्तमान में, छात्र स्वयं सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर लॉगिन करके छात्रवृत्ति अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है।

वर्ष 2024- 2025 में, छात्र कौशल संवर्धन बोर्ड (अध्ययन बोर्ड - प्रचालन) को अध्ययन बोर्ड में मिला दिया गया था।

(I) छात्रों के लिए पहल


- आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल का शुभारंभ : सेल्फ पेड ऑनलाइन मॉड्यूल (एसपीओएम) सेट ए और सेट बी

आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड ने 7 मई, 2024 को आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल लॉन्च किया है। यह शिक्षा और प्रशिक्षण की नई योजना के साथ संरेखित छात्रों को एक समृद्ध और नम्य अधिगम का अनुभव प्रदान करता है, जिसमें छात्रों को सेट ए : कॉर्पोरेट और आर्थिक विधियों और सेट बी : रणनीतिक लागत और निष्पादन प्रबंधन दोनों में सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के न्यूनतम निर्धारित 40 सीखने के घंटों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जो आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस <https://lms.icai.org/login> पर उपलब्ध है।

एसपीओएम की मुख्य विशेषताएं :


- **अनन्य एक्सेस :** केवल अंतिम पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्र ही एसपीओएम पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं, जिससे कभी भी और कहीं भी अपनी गति से सीखने की अनुमति मिलती है।
- **कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं :** एसपीओएम पाठ्यक्रम बिना किसी अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध हैं।
- **प्रगति ट्रैकिंग :** सीखने की यात्रा की निगरानी करता है और आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति को ट्रैक करता है।
- **खरीद की गई शिक्षा :** आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस पाठ्यक्रमों की अखंडता बनाए रखने के लिए एक खरीदी गई सीखने का वातावरण सुनिश्चित करता है।

छात्रों द्वारा पूर्ण किए गए सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल लर्निंग के वर्तमान शिक्षण आँकड़े निम्नानुसार हैं :



• बहु विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड

परिषद की 422वीं बैठक के दौरान 1 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा बहु-विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को इस विषय में प्रत्येक अध्याय पर उनकी समझ और स्पष्टता का स्व-मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करना है। डैशबोर्ड की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :



- यह बीओएस नॉलेज पोर्टल (<https://boslive.icai.org/>) और आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप में छात्रों को सभी स्तरों - नींव, मध्यवर्ती और अंतिम पर एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच प्रदान करता है।
- पेपर-वार/अध्याय-वार निष्पादन को छात्रों द्वारा ट्रैक किया जा सकता है।
- छात्र अपनी तैयारी के अनुसार सरल, मध्यम और कठिन एमसीक्यू/केस परिदृश्यों का चयन कर सकते हैं।
- 20 एमसीक्यू का प्रयास 20 मिनट में किया जाना है। अतिरिक्त समय, यदि लिया जाता है, तो निष्पादन रिपोर्ट में परिलक्षित होगा।
- समय-समय पर अपलोड किए गए नए एमसीक्यू/केस परिदृश्य।

30 जून 2024 को एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

• लाइव वर्चुअल कक्षाएं

दूरस्थ अधिगम अंतर को पाटने के लिए और साथ ही हमारे छात्रों की परीक्षाओं के लिए सीखने और तैयारी के अनुपूरित करने के लिए, अध्ययन बोर्ड फाउंडेशन, मध्यवर्ती और अंतिम पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए सीए परीक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त लाइव वर्चुअल कक्षाएं (LVC) आयोजित कर रहा है। ये कक्षाएं 101+ अतिथि संकाय, 3,678+ विषय-विशिष्ट रिकॉर्ड किए गए व्याख्यानों से सहायता प्राप्त हैं, और इन्हें कभी भी, कहीं भी, (<https://boslive.icai.org/>) और आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड/आईओएस) पर किसी भी स्थान पर देखा जा सकता है। ये व्याख्यान आईसीएआई सीए ट्यूब <https://www.youtube.com/@theicai/playlists> पर भी उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय विशेषताएं

- निःशुल्क लाइव कक्षाएं
- कक्षाएं हस्तगत उपकरणों जैसे स्मार्ट फोन, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट आदि के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान के रूप में लाइव या बाद में कभी भी कहीं भी देखी जा सकती हैं।
- असीमित पहुंच के साथ रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान।
- प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए सत्र

- नोट/असाइनमेंट/एमसीक्यू का अलग खंड।
- परीक्षा उन्मुख केंद्रित दृष्टिकोण
- वास्तविक समय के आधार पर संदेह का समाधान किया जाता है।

लाइव लर्निंग कक्षाओं के आंकड़े इस प्रकार हैं :

विशिष्टियां	नवंबर/दिसंबर, 2023 परीक्षा		मई/जून, 2024 परीक्षा		सितंबर/नवंबर, 2024 परीक्षा	
	बैच	दर्शकों की संख्या	बैच	दर्शकों की संख्या	बैच	दर्शकों की संख्या
फाउंडेशन	12 जून, 2023 को 7वां बैच	7,13,781	18 दिसंबर, 2023 को पहला बैच	6,65,630	27 अप्रैल, 2024 को 2वां बैच	1,17,455
मध्यवर्ती	10 मार्च, 2023 को 7वां बैच	13,98,656	25 दिसंबर, 2023 को पहला बैच	15,68,424	27 अप्रैल, 2024 को 2वां बैच	2,06,141
फाइनल	10 अप्रैल, 2023 को 6वां बैच	6,90,904	25 दिसंबर, 2023 को पहला बैच	4,16,862	27 अप्रैल, 2024 को 2वां बैच	66,912

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई योजना के अधीन, इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए लाइव लर्निंग कक्षाओं का पहला बैच 25 सितंबर 2023 को शुरू हुआ और फाउंडेशन के लिए लाइव लर्निंग कक्षाओं का पहला बैच 18 दिसंबर, 2023 को शुरू हुआ।

• आईआईटीएसएस और एआईसीएसएस पाठ्यक्रम

सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट स्किल्स पर एकीकृत पाठ्यक्रम (आईसीआईटीएसएस) जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अभिविन्यास पाठ्यक्रम (ओसी) और सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट स्किल्स पर उन्नत एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीएसएस), जिसमें उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी (उन्नत आईटी) और प्रबंधन और संचार कौशल (एमसीएस) पाठ्यक्रम शामिल हैं। 15 दिनों की प्रत्येक अवधि चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण घटक में से एक बनाता है, जिसे प्रत्येक छात्र को क्रमशः चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के मध्यवर्ती और अंतिम स्तर पर पूरा करना पड़ता है। इस अवधि के दौरान आईआईटीएसएस और एआईसीएसएस पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित छात्र निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम	बैचों की संख्या	प्रशिक्षित छात्रों की संख्या
एमसीएस कोर्स	1,006	40,372
उन्नत आईटीटी	1,316	42,455
सूचना प्रौद्योगिकी	1,765	56,500
अभिविन्यास पाठ्यक्रम	1,418	59,869
कुल योग	5,505	1,99,196

• अध्ययन बोर्ड ट्विटर हैंडल

बोर्ड ने 25 जुलाई, 2023 से शुरू करके <https://twitter.com/Bosaicai> पर सुलभ अपने शासकीय ट्विटर हैंडल की स्थापना करके संचार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह मंच छात्रों, सदस्यों और अन्य हितधारकों को बीओएस (ए) की नवीनतम पहलों के बारे में सूचित करने के लिए एक अवसर के रूप में कार्य करता है। आज की तारीख में, बीओएस ट्विटर हैंडल तक 25,800+ अनुयायी लगे हैं और सहायक टीम द्वारा शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है।

• मॉक टेस्ट पेपर (एमटीपीएस)

अध्ययन बोर्ड मई/जून और नवंबर/दिसंबर परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों के लिए भौतिक और साथ ही आभासी मोड में मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में मॉक टेस्ट पेपर आयोजित करता है। ये मॉक टेस्ट छात्रों को उनकी तैयारी के स्तर का आकलन करने में सक्षम बनाते हैं। बोर्ड ने, हाल ही में प्रश्न पत्रों और उत्तरों की सहज

पहुंच के लिए छात्रों के और साथ ही शाखाओं/क्षेत्रों के लिए अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट मॉड्यूल में सुधार किया है। सभी 3 स्तरों के छात्रों के पास मॉक टेस्ट सीरीज के लिए अपना डैशबोर्ड (<https://boslive.icai.org/>) और साथ ही आईसीएआई बॉस मोबाइल ऐप है जहां वे मॉक टेस्ट सीरीज की अनुसूची तक पहुंच सकते हैं। आवंटित समय अवधि के भीतर अपलोड किए गए प्रश्न पत्र और उत्तर, छात्रों द्वारा डैशबोर्ड से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मई/जून 2023, नवंबर/दिसंबर, 2023 और मई/जून 2024 परीक्षाओं के लिए क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट पेपर्स के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

मई/जून 2023 की परीक्षा के लिए :

मॉक टेस्ट सीरीज-I	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक मोड में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल	131	14,826	4,941
मध्यवर्ती	110	20,687	8,229
फाउंडेशन	117	42,995	8,732

मॉक टेस्ट सीरीज-II	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक मोड में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल	102	15,404	6,405
मध्यवर्ती	105	21,665	11,556
फाउंडेशन	112	34,845	6,984

नवंबर/दिसंबर, 2023 परीक्षा के लिए :

मॉक टेस्ट सीरीज-I	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक मोड में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल	101	21,617	3,132
मध्यवर्ती	110	32,015	6,464
फाउंडेशन	113	38,488	14,347

मॉक टेस्ट सीरीज-II	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक मोड में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल	101	22,276	6,502
मध्यवर्ती	110	32,809	16,865
फाउंडेशन	109	39,812	6,268

मई/जून, 2024 परीक्षा के लिए :

मॉक टेस्ट सीरीज-I	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक मोड में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल	103	30,812	4,941
मध्यवर्ती	109	59,155	8,229

फाउंडेशन	86	28,753	8,732
----------	----	--------	-------

मॉक टेस्ट सीरीज-II	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक मोड में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल	97	27,700	6,502
मध्यवर्ती	105	51,144	16,865
फाउंडेशन	91	24,015	6,268

मॉक टेस्ट सीरीज-III	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी का प्रयास करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक मोड में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाउंडेशन	84	23,006	6,502

• सीए में सफलता परीक्षा : बीओएस संकाय द्वारा लिए गए सत्र

मॉक टेस्ट पेपर के संचालन के बाद, बीओएस संकाय छात्रों को सभी स्तरों पर प्रत्येक पेपर के संबंध में विषय-विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि उनके शैक्षणिक मार्ग को सुचारू और सरल बनाया जा सके। इन सत्रों का विवरण निम्नानुसार है :

पाठ्यक्रम	परीक्षा	इन सत्रों को देखने वाले छात्रों की संख्या
मध्यवर्ती और फाइनल	मई 2023	16,000 +
फाउंडेशन	जून 2023	13,000 +
मध्यवर्ती और फाइनल	नवंबर 2023	19,000 +
फाउंडेशन	दिसंबर 2023	12,400 +
मध्यवर्ती और फाइनल सीरीज-I और सीरीज-II	मई 2024	24,158+

• पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों का जारी किया जाना

पुनरीक्षण परीक्षण पत्र (आरटीपीएस) जनवरी/फरवरी के महीने में मई परीक्षा के लिए और जुलाई/अगस्त नवंबर परीक्षा के लिए वेबहोस्ट किए जाते हैं। आरटीपी में विशिष्ट परीक्षा के लिए प्रासंगिक नवीनतम अपडेट/संशोधन होते हैं। आरटीपी संशोधन के संबंध में प्रश्नों सहित, पुनरीक्षण में छात्रों की सहायता के लिए प्रत्येक विषय में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है। उन विषयों में जहां मूल्यांकन आंशिक रूप से एमसीक्यू आधारित होता है, वहां आरटीपी में केस परिदृश्य और एमसीक्यू भी सम्मिलित किए जाने हैं। आरटीपी हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

• सुझाए गए उत्तरों का जारी किया जाना

सुझाए गए उत्तर शिक्षा में छात्रों की सहायता करने और आगामी परीक्षा की तैयारी करने के लिए तैयार किए जाने हैं। तदनुसार, मई परीक्षा के लिए सुझाए गए उत्तरों को सितंबर के महीने में वेबहोस्ट किया जाता है और नवंबर परीक्षा के लिए सुझाए गए उत्तरों को मार्च के महीने में वेबहोस्ट किया जाता है। सुझाए गए उत्तर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

• आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप और बीओएस नॉलेज पोर्टल उपयोगकर्ता

आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप और बीओएस नॉलेज पोर्टल एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है, जो हमारे छात्रों को शैक्षिक संसाधनों का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है। 6,50,725 छात्र मोबाइल ऐप और बीओएस नॉलेज

पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। अब तक, बीओएस संकाय ने छात्रों के 23,141 विषय-विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके अलावा, छात्र आईसीएआई बीओएस मोबाइल ऐप में अपने पिछले प्रश्नों को ट्रेक और देख सकते हैं। छात्र गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से इस मोबाइल ऐप के एंड्रॉइड और आईओएस संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं।

(II) छात्रों के कौशल निर्माण की दिशा में पहल

• सीए छात्रों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा द्वारा मेजबानी किए गए सत्यनिष्ठा और नवाचार के साथ नए क्षितिजों पर विजय पाने के विषय पर 29-30 दिसंबर, 2023 "आरोहण" विषय पर को अहमदाबाद में छात्र कौशल संवर्धन बोर्ड द्वारा सीए छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया था और प्रख्यात प्रेरक वक्ताओं ने भी उक्त सम्मेलन में पेपर प्रेजेंटर या प्रतिभागियों के रूप में श्रीलंका और बांग्लादेश के सीए छात्रों सहित देश भर के सीए छात्रों को संबोधित किया था।

ओआईसीएआई ने अध्ययन बोर्ड (बीओएस) के माध्यम से, 22 और 23 जून 2024 को कोलकाता में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में सीए छात्रों के दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 3600 से अधिक छात्रों की भागीदारी देखी गई, जिसमें सीए छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज की गई। सम्मेलन ने भारत और विदेशों से संयुक्त अकाउंटेंसी छात्रों को विविध देशों के समकक्ष व्यक्तियों के साथ जुड़ने की अनुमति दी। प्रतिभागियों ने अपने शोध और अंतर्दृष्टि को विषयों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम पर पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। सम्मेलन का विषय, दृष्टि से सृष्टि, लेखांकन समुदाय के भीतर छात्रों के क्षितिज का विस्तार करने के उद्देश्य से नवीन दृष्टिकोण पर बल दिया गया था। सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति एक विशिष्ट अतिथि थे।

दो दिनों के पाठ्यक्रम के दौरान, प्रतिभागी ज्ञानवर्धक सत्रों और चर्चाओं की एक श्रृंखला में लगे हुए थे। कराधान जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले तकनीकी सत्र (जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग डिमिस्टिफिंग, डिजिटल आस्तियों का कराधान और ई-इनवॉइसिंग का वर्तमान और भविष्य शामिल है), संपरीक्षा (जिसमें संपरीक्षा प्रक्रियाओं में ईएसजी कारकों के एकीकरण में नवाचार पर विषय शामिल थे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज-विकास भारत की तुलना में सीए और वैश्विक आउटसोर्सिंग प्रवृत्ति की उभरती भूमिका), कृत्रिम आसूचना और डिजिटल मेटामॉर्फोसिस (जिसमें वित्त वृत्तिको के लिए साइबर सुरक्षा पर विषय शामिल थे, वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने में एआई की भूमिका और एआई- एक डिजाइनर के मित्र या शत्रु का पता लगाने में एआई की भूमिका) और लेखांकन से परे क्षितिज - सीएएस (जिसमें फिनटेक क्रांति पर विषय शामिल थे- चुनौतियां और अवसर, डिजिटल लेखापरीक्षा में नैतिक विचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कैनवास पर भारतीय एमएसएमई कार्यसूची पर थे। विशेष सत्रों में विषय शामिल थे :- बुद्धि और मनोभाव को उत्तेजित करना, सीए परीक्षा क्यों पास करना पहली प्राथमिकता है और इसे कैसे करना है, निवेश यात्रा शुरू करने का सही समय और अच्छी तरह से जिया एक जीवन : भिन्न रूप से सोचना, भिन्न होना, भिन्न रूप से सफल होना। सम्मेलन की मेजबानी आईसीएआई के ईआईआरसी और ईआईसीएएसए द्वारा की गई थी।

• पूरे देश में सीए छात्रों के लिए सम्मेलन

पूरे देश में बोर्ड द्वारा सीए छात्र सम्मेलन आयोजित किए गए थे। सीए छात्र सम्मेलन में सीए छात्र समकालीन विषयों पर अपने ज्ञान को सुस्पष्ट करने के लिए एक पेपर प्रस्तुतकर्ता, एक स्वयंसेवक या एक प्रतिभागी के रूप में भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ समकालीन विषयों अवसर और आगे आने वाली चुनौतियां पर प्रख्यात वक्ताओं और वृत्ति के अग्रणी की बुद्धिमता के शब्दों को सुन सकते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सीए छात्रों को भावी अग्रणियों के रूप में तैयार करने के लिए, बोर्ड ने पूरे भारत में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की संबंधित शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अलावा, 14 राष्ट्रीय सम्मेलन, 19 मेगा सम्मेलन और 17 राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए गए।

बोर्ड द्वारा 14 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया और एर्नाकुलम शाखा, इंदौर शाखा, मंगलोर शाखा, आईसीएआई (कोलकाता), जयपुर शाखा के ईआईआरसी, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर शाखा, विशाखापत्तनम शाखा, आईसीएआई (नई दिल्ली) के एनआईआरसी, आईसीएआई (चेन्नई) के एसआईआरसी, हैदराबाद शाखा, लुधियाना शाखा, आईसीएआई (मुंबई) के डब्ल्यूआईआरसी और पुणे शाखा द्वारा मेजबानी की गई। बोर्ड द्वारा 19 मेगा सम्मेलन आयोजित किए गए थे और गुवाहाटी शाखा, नागपुर शाखा, औरंगाबाद शाखा, पिंपरी चिंचवाड शाखा, गाजियाबाद शाखा, कोझीकोडे शाखा, वसई शाखा, भुवनेश्वर शाखा, बेंगलुरु शाखा, जालंधर शाखा, चंडीगढ़ शाखा, कोयंबटूर शाखा, फरीदाबाद शाखा, ठाणे शाखा, सूरत शाखा, आईसीएआई के सीआईआरसी (कानपुर), भीलवाड़ा

शाखा, रांची शाखा और भोपाल शाखा द्वारा आयोजित किए गए। बोर्ड द्वारा 17 राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनकी मेजबानी अमरावती शाखा, मेरठ शाखा, जामनगर शाखा, आगरा शाखा, नासिक शाखा, सलेम शाखा, अहमदनगर शाखा, कल्याण डोम्बिवली शाखा, कोल्हापुर शाखा, जबलपुर शाखा, राजकोट शाखा, कुंभकोणम शाखा, मदुरै शाखा, पांडिचेरी शाखा, जलगांव शाखा, पटना शाखा और बीकानेर शाखा द्वारा की गई।

• शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों में छात्र गतिविधियां

छात्र गतिविधि पोर्टल छात्रों की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न छात्रों के कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने में मदद करता है। यह कार्यक्रम आयोजन करने वाली इकाइयों और अध्ययन बोर्ड के स्तर पर छात्र गतिविधि के क्रमबद्ध प्रबंधन में मदद करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान पोर्टल पर 1130 कार्यक्रम पंजीकृत किए गए हैं।

• सभी पीओयू में उन्नत प्रौद्योगिकी वाली स्मार्ट कक्षा कक्ष धारणा में आईटी, ओसी, एमसी और उन्नत प्रौद्योगिकी की मौजूदा कक्षाओं का उन्नयन

पूरे विश्व में शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ और आईसीएआई की सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में सीए छात्रों को सॉफ्ट स्किल और आईटी प्रशिक्षण के मानकीकरण और समान वितरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कमीशनिंग, संस्थापन और आईसीएआई की सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में स्मार्ट क्लासरूम के लिए प्रशिक्षण के संबंध में, जिसमें विद्यमान आईटी और सॉफ्ट स्किल्स केंद्रों में ओपीएस (सीपीयू) और ऑडियो वीडियो उपकरणों के साथ 75 इंच का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल (आईएफपी) संस्थापित किए गए थे। चरण 1 के अधीन, 81 स्मार्ट क्लासरूम उपकरण स्थापित करके 20 अवस्थानों को कवर किया गया था और चरण 2 के अधीन, 156 स्मार्ट क्लासरूम उपकरण स्थापित करके 75 अवस्थानों को कवर किया गया था।

• सीए छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल

सीए छात्रों के लिए प्रासंगिक विषयों के व्यावहारिक पहलुओं पर शुक्रवार को शाम 5.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक छात्र कौशल संवर्धन बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्टडीज-ऑपरेशंस) द्वारा लाइव वेबीनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था, जिस पर प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया था। लाइव वेबीनार 21 अप्रैल, 2023, 26 मई, 9 जून, 23 जून, 7 जुलाई, 21 अगस्त, 4 दिसंबर, 2023, 8 दिसंबर, 2023 और 12 जनवरी, 2024 को आयोजित किए गए थे। ये लाइव वेबीनार सीए छात्रों के लिए डिजिटल विकर्षण के युग में सीएआरओ व्यावहारिक मुद्दों और रिपोर्टिंग, भीड़ भरे कैफे खाली पुस्तकालयों और शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए तीव्र पठन की कला पर मॉड्यूल को कवर करते हुए आयोजित किए गए थे। रील जैसी पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाए, आइए वित्तीय कार्यों के साथ एक्सेल कोर्ट को खेलते हैं "एक्सेल में वित्तीय मॉडलिंग के लिए वित्तीय कार्यों का उपयोग", पावर बीआई के माध्यम से विश्लेषणात्मक कौशल को सशक्त बनाना, आओ एक्सेल ग्राउंड में 10 कठिन गेंदों को छह हिट करते हैं, पावर बीआई का उपयोग करके डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, राष्ट्रीय स्तर पर सीए छात्र प्रतिभा की खोज की साइडलाइनों पर युवा दिवस उत्सव के अवसर पर वैश्विक सद्भाव के लिए झांकी का उपयोग करके डेटा विज़ुअलाइज़ेशन इंदौर में आयोजित किया गया। ये वेबीनार रिकॉर्ड किए गए और अब आईसीएआई डीएलएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।

• काठमांडू, नेपाल में आईसीएएन द्वारा आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन में आईसीएआई छात्रों की भागीदारी

नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, आईसीएएन, नेपाल द्वारा 29 जून, 2023 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सीए परीक्षा के रैंक धारकों और सीए छात्र प्रतिभा प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं में से आईसीएआई द्वारा 4 छात्रों को नामित किया गया था। इन 4 छात्रों में से 2 छात्रों ने उक्त अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत किए थे।

• उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर और हैदराबाद में आयोजित चार सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम

व्यावसायिक कौशल विकास पर चार सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम के बैच बोर्ड द्वारा संचालित किए गए थे, जिसका उद्देश्य वृत्तिक सेवाएं प्रदान करते समय कारबार संगठनों में प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक वृत्तिक कौशल को आत्मसात करने में सीए छात्रों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करना था। कार्यक्रम का परिवेश संचार, अंतरव्यक्तिगत, टीम वर्क, समस्या समाधान और भाग लेने वाले छात्रों के नेतृत्व कौशल के विकास पर केंद्रित है। बोर्ड

द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान सीओई हैदराबाद में छात्राओं के लिए और लड़के छात्रों के लिए सीओई जयपुर में चार सप्ताह के आवासीय कार्यक्रमों के छह बैच आयोजित किए गए आयोजित किए गए।

• **सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता, 2023-24 का राष्ट्रीय स्तर – भाषण शैली प्रतियोगिता और पिच डेक प्रतियोगिता**

एसएसईबी द्वारा 28 जून, 2023 को मुंबई में सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता, 2023 का राष्ट्रीय स्तर (शानदार समाधान) – भाषण शैली प्रतियोगिता और पिच डेक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीए स्टूडेंट्स नेशनल टैलेंट कॉन्टेस्ट, 2023 के बैनर तले पहली बार पिच डेक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और बोर्ड को छात्रों से भारी प्रतिक्रिया मिली। ये प्रतियोगिताएं तीन स्तर पर आयोजित की गईं, पहले शाखा स्तर पर, शाखा स्तर के दूसरे स्तर के विजेताओं ने क्षेत्रीय स्तर पर पांच क्षेत्रीय परिषदों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया और अंत में क्षेत्रीय स्तर के विजेताओं ने 28 जून, 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। भाषण शैली प्रतियोगिता के शीर्ष दो विजेताओं और पिच डेक प्रतियोगिता की शीर्ष दो टीमों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई में 27-28 जून, 2023 को एमएसएमई समिति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ के विकास के लिए समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्टार्टअप क्षेत्र कार्यक्रम में पिच डेक प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सुविधा प्रदान की गई है।

• **सीए छात्रों का राष्ट्रीय स्तर (शानदार समापन) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज - प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं**

27 अगस्त, 2023 को कोलकाता में बोर्ड/एसएसईबी द्वारा सीए छात्रों की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, 2023 - प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का राष्ट्रीय स्तर (शानदार समापन) आयोजित किया गया था। ये प्रतियोगिताएं तीन स्तर पर आयोजित की गईं, पहली बार 26 जुलाई से 10 अगस्त, 2023 तक शाखा स्तर पर, शाखा स्तर के दूसरे स्तर के विजेताओं ने 16 से 21 अगस्त, 2023 तक पांच क्षेत्रीय परिषदों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय स्तर पर भाग लिया और अंत में क्षेत्रीय स्तर के विजेताओं ने 27 अगस्त, 2023 को एसएसईबी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर में भाग लिया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शीर्ष दो विजेता टीमों और वाद-विवाद प्रतियोगिता के शीर्ष चार विजेताओं (दो 'के पक्ष में' और दो 'के विरुद्ध') को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

• **सीए छात्रों का राष्ट्रीय स्तर (शानदार समापन) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, 2023 - डैशबोर्ड विजुअलाइज़ेशन और स्केचिंग प्रतियोगिताएं**

बोर्ड द्वारा 12 जनवरी, 2024 को इंदौर में डैशबोर्ड विजुअलाइज़ेशन और स्केचिंग प्रतियोगिताओं का राष्ट्रीय स्तर (शानदार समापन) आयोजित किया गया। इसके अलावा, डैशबोर्ड विजुअलाइज़ेशन और स्केचिंग प्रतियोगिताओं के राष्ट्रीय स्तर के अवसर पर, बोर्ड द्वारा स्वामी विवेकानंद वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त एक प्रतिवर्ती दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता की जयंती के अवसर पर युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जो 12 जनवरी, 2024 को आता है। डैशबोर्ड विजुअलाइज़ेशन और स्केचिंग प्रतियोगिताओं और युवा दिवस के शानदार समापन के अवसर पर, 12 जनवरी, 2024 को बोर्ड द्वारा समारोह का आयोजन किया गया था। लोकसभा के माननीय पूर्व अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इंदौर में आईसीएआई द्वारा आयोजित डैशबोर्ड विजुअलाइज़ेशन एंड स्केचिंग प्रतियोगिताओं और युवा दिवस समारोह के राष्ट्रीय स्तर (शानदार समापन) का उद्घाटन किया और सीए छात्रों की बिरादरी को संबोधित किया।

• **सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, 2024 - पिच डेक और निबंध प्रतियोगिताएं**

वर्ष 2024 के लिए, सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, 2024 के बैनर के नीचे बोर्ड द्वारा पिच डेक और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष लगभग 51 शाखाओं ने पिच डेक का आयोजन किया और 31 शाखाओं ने 22 से 30 मई, 2024 तक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया और इन गतिविधियों का क्षेत्रीय स्तर भी 8 से 13 जून, 2024 तक पांच क्षेत्रीय परिषदों द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। बोर्ड द्वारा 27 से 29 जून, 2024 तक पिच डेक और निबंध प्रतियोगिताओं का राष्ट्रीय स्तर (शानदार समापन) बंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है।

• **सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, 2024 - प्रश्नोत्तरी और भाषण शैली प्रतियोगिता**

सीए छात्रों के बैनर के नीचे बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, 2024, प्रश्नोत्तरी और भाषण शैली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। दोनों गतिविधियों का शाखा स्तर अर्थात् देश भर में आईसीएआई की शाखाओं द्वारा 27 मई, 2024 - 10 जून, 2024 तक प्रश्नोत्तरी और भाषण शैली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इन गतिविधियों का

क्षेत्रीय स्तर आईसीएआई की पांच क्षेत्रीय परिषदों द्वारा 25 जून, 2024 से 6 जुलाई, 2024 तक आयोजित किया जा रहा है।

• **पोखरा, नेपाल में आयोजित एसएएफए भाषण शैली और प्रश्नोत्तरी, 2023**

वर्ष 2023-24 के दौरान अध्ययन बोर्ड (एसएसईबी) द्वारा आयोजित सीए छात्र प्रतिभा खोज, 2023 के राष्ट्रीय स्तर (शानदार समापन) के विजेताओं ने एसएएफए भाषण शैली और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 2023 में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया, जिसे 1 मार्च, 2024 को पोखरा, नेपाल में एसएएफए सचिवालय द्वारा आयोजित किया गया।

• **शिक्षक दिवस समारोह – 2023**

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक की जयंती को मनाने के लिए, बोर्ड द्वारा शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई के एनआईआरसी द्वारा 5 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में की गई थी। शिक्षक दिवस समारोह के इस अवसर पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया जिसमें उत्तरी क्षेत्र के 300 छात्रों ने भाग लिया और आईसीएआई की 95 शाखाओं को भी आभासी रूप से जोड़ा गया। प्रधान कार्यालय में शिक्षक दिवस समारोह के अलावा, बोर्ड ने देश भर में आईसीएआई की शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से शिक्षक दिवस के अवसर पर "मेरे प्रधानाचार्य - मेरे शिक्षक से सीखने" विषय पर एक व्याख्यान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया।

• **अतिरिक्त वाचनालय की स्थापना**

बोर्ड द्वारा रोहतक (हरियाणा), राउरकेला (ओडिशा), बारगाह (ओडिशा), पठानकोट, नारनौल (हरियाणा), पिंपरी चिंचवाड, देवघर (झारखंड), हिसार, फिरोजपुर, पोरबंदर, जूनागढ़, दावनगेरे (कर्नाटक), बागलकोट (कर्नाटक), बोलंगीर (ओडिशा), आइजोल (मिजोरम), बीड (महाराष्ट्र), जालना (महाराष्ट्र), बुलढाना (महाराष्ट्र) और ठाणे पश्चिम में अतिरिक्त वाचनालय स्थापित किए गए थे।

(III) सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत

पूरे भारत में सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत भौतिक या आभासी मोड में आयोजित की गई है। बातचीत के दौरान, जबकि बीओएस द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में संकाय होने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करने वाले सदस्यों को निर्देशित किया गया था और छात्रों को सीए परीक्षा में सफल होने के बारे में निर्देशित किया गया था। इस दिशा में, अध्ययन बोर्ड ने छात्रों और सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए भौतिक या आभासी मोड में 32 सत्र आयोजित किए हैं। छात्रों के सत्रों में इस बात पर जोर दिया गया कि सीए परीक्षा को कैसे क्रैक और पास किया जाए। इन सत्रों ने नींव, मध्यवर्ती और अंतिम स्तर पर विभिन्न विषयों के लिए परीक्षा की तैयारी को बढ़ाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकों और योजना रणनीतियों पर प्रकाश डाला। परीक्षाओं में समय प्रबंधन के सुझाव और परीक्षाओं में उत्तर प्रस्तुत करने के महत्व को छात्रों के साथ साझा किया गया था। सदस्यों के सत्रों ने सीए शिक्षा में अवसरों पर जोर दिया :- कक्षाएं - संकाय - अंतर्वस्तु विकासकर्ता - विदेशी शिक्षा। इन सत्रों का उद्देश्य सदस्यों को सीए शिक्षा में अवसरों के बारे में जागरूक करना तथा छात्रों को पढ़ाने में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना था और इस अवधि के दौरान 32 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वेबकास्ट/वेबीनार

क्रम सं.	तारीख	वेबकास्ट
1	6 मार्च, 2023	प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के पदाधिकारियों और प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ एक परस्पर क्रियाशील सत्र आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि मुख्य सीए परीक्षा से पहले अधिकतम संख्या में शाखाएं माँक परीक्षा पत्रों की दोनों श्रृंखलाओं का संचालन कर सकें।
2	16 अप्रैल, 2023	मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए "योजना, तैयारी और प्रदर्शन" संबंधी एक लाइव वेबीनार आयोजित किया गया था।

3	5 जुलाई, 2023	नए पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं और इसकी संक्रमण प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए नई स्कीम संबंधी एक राष्ट्रीय आउटरीच बैठक का आयोजन किया गया था।
4	23 अगस्त, 2023	नई स्कीम के विभिन्न पहलुओं, पुरानी स्कीम के अधीन छात्रों के लिए संपरिवर्तन/संक्रमण योजना के साथ-साथ नई स्कीम के अधीन छूट प्रदान करने के लिए छात्र भ्रातृसंघ के साथ एक राष्ट्रीय आउटरीच बैठक का आयोजन किया गया था।
5	5 th अक्टूबर, 2023	छात्रों के लिए आईसीएआई अनुपालन और दस्तावेजीकरण संबंधित मामलों पर एमएंडएसएस निदेशालय के साथ संयुक्त रूप से एक लाइव वेबकास्ट आयोजित किया गया।
6	8 अक्टूबर, 2023	नवंबर 2023 परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए "योजना, तैयारी और प्रदर्शन" के लिए एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया।
7	25 जून 2024	आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) ने संयुक्त रूप से "एडॉप्टिंग टू चेंज : इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अकाउंटिंग प्रोफेशन" शीर्षक से एक व्यावहारिक वेबीनार का आयोजन किया। आईसीएआई के उपाध्यक्ष ने वक्ताओं और प्रतिभागियों को अपने प्रेरक संबोधन से सत्र की शोभा बढ़ाई। इसके अतिरिक्त, बीओएस अध्यक्ष के स्वागत नोट और परिचयात्मक भाषण के अलावा, अन्य सम्मानित वक्ताओं- परिषद के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष, आईसीए बांग्लादेश, उपाध्यक्ष, आईसीए नेपाल और परिषद के सदस्य और शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी संबंधी समिति के अध्यक्ष, आईसीएपी ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों के प्रभाव पर अपनी विशेषज्ञता साझा की, वृत्ति के विकसित परिदृश्य पर चर्चा की, निरंतर अनुकूलन और सीखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता और पाठ्यक्रम में आईईएस को अपनाने में उनके देश विशिष्ट अनुभव पर चर्चा की।

(IV) आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया और छात्रवृत्ति अनुदान का वितरण

छात्र स्व:सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर लॉगिन करके छात्रवृत्ति अनुदान के लिए आनलाइन रूप से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्रों के लिए, छात्रवृत्ति हेतु उनके चयन के लिए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आनलाइन रूप से आवेदन प्रस्तुत किए जाने को सुकर बनाया गया है। स्वचालित छात्रवृत्ति प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रवर्गों, अर्थात् योग्यता, योग्यता-सह-आवश्यकता और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियों के प्रवर्गों के अधीन छात्रों का चयन किया गया। कुल 11047 छात्रों को इस स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रवृत्ति स्कीम का फायदा प्राप्त हुआ है और फायदाग्राहियों को त्रैमासिक आधार पर छात्रवृत्ति की किस्तों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है।

(V) संकाय विकास कार्यक्रम

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम को 1 जुलाई, 2023 से कार्यान्वित किया गया था और आईसीआईटीएसएस/एआईसीआईटीएसएस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, जिसमें मध्यवर्ती स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी/अनुकूलन पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं तथा फाइनल स्तर पर समुन्नत आईटी और प्रबंध तथा संसूचना कौशलों की पाठ्यचर्या को, आईसीआईटीएसएस और एआईसीआईटीएसएस की नई पाठ्यचर्या में आईटी और साफ्ट कौशलों के नए विषयों को सम्मिलित करके पुनरीक्षित किया गया है। आईसीआईटीएसएस और एआईसीआईटीएसएस की नई पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करने के विचार से बोर्ड द्वारा आईटी और समुन्नत आईटी संबंधी एक विशेषज्ञ समूह का सृजन किया गया था, जिसमें अध्ययन योजना, विषयवार घंटों आबंटन सहित, को अंतिम रूप प्रदान किया और साथ ही आईटी तथा साफ्ट कौशलों के संकाय के लिए एफडीपी के संचालन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण को भी अंतिम रूप प्रदान किया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड द्वारा आईटी और एडवांस आईटी संकायों के लिए 12 संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए और अभिविन्यास और प्रबंधन एवं संचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संकायों के लिए 10 संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए:

स्मार्ट बोर्ड पर आईटी और समुन्नत आईटी के संकायों के लिए आनलाइन प्रशिक्षण सत्र

साफ्ट कौशलों और आईटी के संकायों को स्मार्ट कक्षाओं से भलीभांति परिचित कराने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें स्मार्ट बोर्डों पर सत्रों का संचालन करने में कोई कठिनाई न आए, संकायों के लिए बोर्ड द्वारा आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्हें कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। साफ्ट कौशलों और आईटी के संकायों के लिए ऐसे आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 22 मार्च, 2024, 12 अप्रैल, 2024, 26 अप्रैल, 2024, 10 मई, 2024, 24 मई, 2024 और 7 जून, 2024 को किया गया था और इन आनलाइन प्रशिक्षण सत्रों को संकाय से सकारात्मक सराहना प्राप्त हुई थी।

(VI) सदस्यों के लिए पहले

सदस्यों के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ – “आईसीएआई - बीओएस”

बोर्ड ने 1 जुलाई, 2022 को आईसीएआई के सदस्यों के लिए सीमित फीचर पहुंच के साथ अपनी मोबाइल ऐप्लीकेशन “आईसीएआई - बीओएस” का शुभारंभ किया है, जहां सदस्य रिकार्ड किए गए व्याख्यानों, शैक्षिक अंतर्वस्तु, त्वरित पूर्वाभ्यास के लिए संदर्भिका, महत्वपूर्ण परीक्षाओं और बीओएस की उद्घोषणाओं तक पहुंच बना सकते हैं। वर्तमान में, 18,801 सदस्यों ने गूगल और ऐपल प्ले स्टोर के माध्यम से आईसीएआई बीओएस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है।

(VII) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की ओर

• वाणिज्य और लेखांकन संबंधी पश्चिमी शिक्षा शिखर सम्मेलन, 2024 (डब्ल्यूईएस-सीए 2024)

अध्ययन बोर्ड ने 24 और 25 मई, 2024 के दौरान, आईसीएआई टावर, बीकेसी, मुंबई में वाणिज्य और लेखांकन संबंधी पश्चिमी शिक्षा शिखर सम्मेलन, 2024 (डब्ल्यूईएस-सीए 2024) का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम लेखांकन, संपरीक्षा, लागत निर्धारण, वित्त और वाणिज्य में डिजीटल नवप्रवर्तन था। डब्ल्यूईएस-सीए 2024 का उद्देश्य ऐसे डिजीटल नवप्रवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना था, जो लेखांकन, संपरीक्षा, लागत निर्धारण, वित्त और वाणिज्य के शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर रहे हैं। इस प्रादेशिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से प्रमुख शिक्षाविद्, अनुसंधानकर्ता और अध्येता एकसाथ एक मंच पर आए और उन्होंने हमारे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की संपरिवर्तनकारी संभावनाओं का पता लगाया और उन पर परिचर्चा की। इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में विभिन्न वाणिज्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, जो देश के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हैं, के कुलपतियों, निदेशकों, संकायाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, विभागाध्यक्षों और प्रोफेसरो ने भाग लिया। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में अवस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 70 से अधिक प्रतिभागी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। शिखर सम्मेलन में चार्टर्ड लेखांकन की वृत्तिक शिक्षा – आगे की कार्ययोजना, संपरीक्षा और वित्तीय आश्वासन में भावी प्रवृत्तियां : छात्रों को उद्योग में होने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करना, कारबार निर्णय लेने हेतु डाटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वाणिज्य में मशीन लर्निंग उपयोजन, पैडागोगी : अध्यापन वृत्ति पठन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी और संपरीक्षा तथा वित्तीय संव्यवहारों में उसकी भूमिका तथा ई-वाणिज्य कारबार में अद्वितीय चुनौतियां विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था।

• विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर

आईसीएआई ने बी.काम, बी.काम (आनर्स), एम.काम और वाणिज्य शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयू परस्पर सहयोगात्मक और फायदाप्रद कार्यक्रमों के विकास को बढ़ावा देते हैं और उन्हें सुकर बनाते हैं, जिससे आईसीएआई और संबंधित संस्थाओं, दोनों के बौद्धिक जीवन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ये एमओयू भारत में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के लेखांकन और वाणिज्य शिक्षा की पाठ्यचर्या को पुनः परिभाषित किए जाने को सुकर बनाएंगे जिससे उक्त शिक्षा में एकसमानता आएगी। इस प्रकार के शैक्षिक सहयोग संकाय विकास कार्यक्रमों (एफडीपी) के कार्यान्वयन और विश्वविद्यालयों के साथ परस्पर फायदे और हित के क्षेत्रों में पारिणामिक संस्थागत दौरों को भी सुकर बनाएंगे। ये समर्थन वाणिज्य और लेखांकन के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या के सृजन और साथ ही संकाय के सदस्यों को विषय संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सम्मिलित करता है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और लेखांकन में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए व्यवसाय संकाय में प्रोफेसरो को समर्थन प्रदान किया जाएगा। आईसीएआई ने 30 जून, 2024 तक देश भर में कुल 67 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के माध्यम से देश

में, वाणिज्य और लेखांकन की शिक्षा के विकास में आईसीएआई का यह योगदान पुनः 'राष्ट्र निर्माण में' आईसीएआई की भूमिका को दर्शित करता है।

• सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता – पीएचडी कार्यक्रम करने हेतु

137 भारतीय विश्वविद्यालयों, 7 आईआईएम और 2 आईआईटी (मद्रास और बंबई), कुल 146 संस्थाओं ने देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी अर्हता को उनके अपने-अपने विश्वविद्यालयों के पीएचडी कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की है :

क्षेत्र	संस्थानों की संख्या
पश्चिमी क्षेत्र	30
दक्षिणी क्षेत्र	39
उत्तरी क्षेत्र	21
पूर्वी क्षेत्र	19
मध्य क्षेत्र	37
योग	146 (137 विश्वविद्यालय + 2 आईआईटी + 7 आईआईएम)

• विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/प्रत्यायित संस्थाओं के संकायों के लिए वर्चुअल संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) श्रृंखला

बीओएस (ए) ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के साथ किए गए एमओयू के अनुसरण में 12 दिसंबर, 2023 को, उक्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और साथ ही विभिन्न प्रत्यायित संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लिए "जीएसटी – पर्यावलोकन और नवीनतम घटनाएं" विषय पर वर्चुअल संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) श्रृंखला के पहले सत्र का आयोजन किया। इस श्रृंखला में इसी विषय पर दूसरे सत्र का आयोजन 2 जनवरी, 2024 को किया गया। उक्त दूसरे सत्र में "वित्तीय विवरण और उसका विश्लेषण" विषय को भी सम्मिलित किया गया था। इस सत्र में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य बिन्दुओं पर बल दिया गया और साथ ही इस बात का विश्लेषण किया गया कि वित्तीय विवरण किस प्रकार उपयोक्ताओं को सुभिन्न निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इसे अतिरिक्त, 12 अप्रैल, 2024 को "प्रौद्योगिकी 4.0 और लेखांकन : ब्लॉक चेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग" विषय पर एक संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एफडीपी श्रृंखला के अगले सत्र के रूप में 17 मई, 2024 को "बजट : इसका निर्वचन और विवक्षाएं" विषय पर संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य बजट के निर्वचन से संबंधित मुख्य बिन्दुओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना था। इस सत्र के दौरान, लोक वित्त डाटा बेस और लोक डाटा बे में विद्यमान इम्पीरिकल मुद्दों पर भी विचार किया गया।

• बीओएस द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के साथ संयुक्त संगोष्ठियों का आयोजन

क्रम सं.	तारीख	संगोष्ठी	स्थान
1	29 नवंबर, 2023	"लेखांकन और वित्त में हाल ही की प्रवृत्तियां : आत्मनिर्भर भारत के प्रति एक दृष्टिकोण" विषय पर नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी द्वारा की गई।	कोलकाता
2	9 जनवरी, 2024	"लेखांकन और वित्त में हाल ही की प्रवृत्तियां : वृत्तिक सफलता के प्रति एक दृष्टिकोण" विषय पर भवानीपुर शिक्षा सोसाइटी महाविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी द्वारा की गई।	कोलकाता

3	1 अप्रैल, 2024	“नए युग की प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र पर इसका प्रभाव” विषय पर भवानीपुर शिक्षा सोसाइटी महाविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी द्वारा की गई।	कोलकाता
---	----------------	--	---------

- दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भारतीय वाणिज्य संघ के 74वें वार्षिक अखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन (एआईसीसी) में भाग लेना

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने 13 दिसंबर, 2023 से 15 दिसंबर, 2023 के दौरान – दिवस 1 दिल्ली विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद् ; दिवस 2 और 3 ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत में, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भारतीय वाणिज्य संघ के 74वें वार्षिक अखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन (एआईसीसी) में भाग लिया। सम्मेलन में भारत और विदेश से लगभग 2,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने कैरियर परामर्श संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से एक प्रदर्शक के रूप में उक्त सम्मेलन में एक स्टाल लगाई, जिसके माध्यम से सीए पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया गया, बीओएस के प्रकाशनों को प्रदर्शित किया गया और इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से आए शिक्षाविदों से परस्पर क्रिया की और उन्हें आईसीएआई के साथ एमओयू परहस्ताक्षर करने के परस्पर फायदों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया।

12. कैरियर परामर्श समिति

आईसीएआई की कैरियर परामर्श समिति को कक्षा आठवीं, माध्यमिक, उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक के और स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वाणिज्यिक शिक्षा के संवर्धन के लिए गठित किया गया है। समिति का मुख्य उद्देश्य कक्षा 8 से स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए कैरियर संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

(I) गिनीज विश्व रिकार्ड -

आईसीएआई ने अपनी कैरियर परामर्श समिति के माध्यम से विश्व में “सबसे बड़े लेखांकन पाठ” का आयोजन करने के लिए एक नया गिनीज विश्व रिकार्ड कायम किया। यह मील का पत्थर 8 सितंबर, 2023 को जयपुर में सबसे बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा एकसाथ इस पाठ में भाग लेने के कारण प्राप्त हुआ। गिनीज विश्व रिकार्ड की ज्यूरी ने उसी दिन, अर्थात् 8 सितंबर, 2023 को जयपुर में आईसीएआई को अपनी कैरियर परामर्श समिति के माध्यम से विश्व में “सबसे बड़े लेखांकन पाठ” का आयोजन करने के लिए एक नया गिनीज विश्व रिकार्ड कायम करने के लिए सम्मानित किया।

(II) कैरियर परामर्श केंद्रों का खोला जाना -

आईसीएआई ने 21 जुलाई, 2023 को युगांतर पब्लिक स्कूल, राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) में, अपनी निकटवर्ती शाखा प्रबंध समिति, अर्थात् आईसीएआई की सीआईआरसी की भिलाई शाखा की उपस्थिति तथा स्कूल के प्रबंध मंडल, प्रधानाध्यापक, अध्यापकों और छात्रों की उपस्थिति में कैरियर परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया। ऐस अवस्थानों पर, जहां आईसीएआई की कोई शाखा विद्यमान नहीं है, कैरियर परामर्श केंद्रों की स्थापना न केवल आईसीएआई की भौगोलिक उपस्थिति को विस्तारित करती है अपितु विभिन्न क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के संवर्धन में उसकी भूमिका को भी सुदृढ़ करती है और इस प्रकार समिति और अधिक प्रभावी रूप से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ होती है।

(III) कैरियर/वृहत्त कैरियर परामर्श कार्यक्रम

समिति ने नियमित आधार पर आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के समर्थन से अखिल भारत में 3,158 कैरियर परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस दौरान उसने 6,29,450 छात्रों को परामर्श उपलब्ध कराया। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 8 से स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के संबंध में और साथ ही उसकी कैरियर संबंधी संभावनाओं से संबंधित भलीभांति जानकारी उनकी शिक्षा के प्रारंभिक प्रक्रम से ही हो।

(IV) संकाय विकास कार्यक्रम

कैरियर परामर्शी समिति प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करने की परिकल्पना करती है, जिन्हें संकाय विकास कार्यक्रम/परामर्शी कार्यक्रम/कैरियर परामर्शी सशक्तिकरण बैठक आदि जैसे शीर्षक प्रदान किए गए हैं और ये कार्यक्रम ऐसे पैनलबद्ध कैरियर परामर्शियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जो आईसीएआई के कैरियर परामर्शी बनने के इच्छुक हैं। संकाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सभी पीओयू में एकसमान परामर्शी सत्र प्रस्तुत करने के लिए उसका मानकीकरण करना है। देश भर में कुल 52 कार्यक्रमों/बैठकों का आयोजन किया गया था।

(V) प्रधानाचार्यों की सभा का आयोजन

समिति ने अपनी प्रादेशिक परिषदों और आईसीएआई की शाखाओं के माध्यम से प्रधानाचार्यों की सभा का आयोजन किया। प्रधानाचार्यों की सभा/बैठकों का उद्देश्य प्रधानाचार्यों को सीएएफवाई और सुपर मेगा कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों और आईसीएआई के बारे में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराना था। विचार-विमर्श के दौरान वित्तीय साक्षरता और आईसीएआई की शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी नई स्कीम पर परिचर्चा की गई तथा अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई गई। इस अवधि के दौरान, समिति द्वारा प्रधानाचार्यों की कुल 5 सभाओं का आयोजन किया गया।

(VI) कैरियर मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

आईसीएआई ने देश भर के विभिन्न नगरों में आयोजित शिक्षा और कैरियर मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन शिक्षा और कैरियर मेलों के दौरान शिक्षाविदों, अध्यापकों, छात्रों और अन्य पणधारियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। इस अवधि के दौरान, समिति ने कुल 43 कैरियर मेलों में भाग लिया।

(VII) एमओयू पर हस्ताक्षर

आईसीएआई ने 4 जनवरी, 2024 को नवोदय विद्यालय समिति के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य पक्षकारों के बीच वाणिज्य शिक्षा, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया हो, को बढ़ावा देने के लिए पक्षकारों के बीच परस्पर सहयोग को स्थापित किया जा सके।

(VIII) सीएएफवाई और सुपर मेगा कैरियर परामर्शी कार्यक्रम का आयोजन

8 सितंबर, 2023 को युवाओं के लिए लेखांकन और वित्त में कैरियर (सीएएफवाई) और सुपर मेगा कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का अखिल भारत में आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य सीए पाठ्यक्रम के प्रचार-प्रसार के साथ वृत्ति के रूप में लेखांकन के बारे में ज्ञान का प्रसार करने हेतु अखिल भारत में प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के समर्थन से अधिकतम कार्यक्रमों का आयोजन करना था। देश भर में, लगभग 600 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लगभग 1.61 लाख छात्रों ने भाग लिया। इससे यह तथ्य उपदर्शित होता है कि आईसीएआई की विभिन्न प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के बीच लेखांकन और वित्त के क्षेत्र में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा कैरियर का संवर्धन करने और उसे सुकर बनाने के लिए प्रभावी सहयोग और प्रयास विद्यमान है।

(IX) कक्षा 8 से स्नातक तक के छात्रों के लिए आईसीएआई वाणिज्य ओलंपियाड का आयोजन

समिति ने 3 दिसंबर, 2023 को कक्षा 8 से लेकर स्नातक स्तर के छात्रों के लिए आईसीएआई वाणिज्य ओलंपियाड का आयोजन किया। आईसीएआई वाणिज्य ओलंपियाड अपने किस्म की एक ऐसी पहल है, जिसे संस्थान द्वारा छात्रों की वाणिज्य के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक कौशलों को विकसित करने और अनुभव प्राप्त करने में सहायता करने हेतु आरंभ किया गया है। यह पहल आईसीएआई की युवा योग्यता को बढ़ावा देने और लेखांकन, वित्त और वाणिज्य में उन्हें उनके भावी कैरियरों हेतु तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शित करता है। एक लाख से अधिक छात्रों ने इस ओलंपियाड के लिए रजिस्टर किया, जिससे यह उपदर्शित होता है कि छात्रों के बीच विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर उच्च स्तरीय दिलचस्पी विद्यमान है।

13. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं (आरबीए निदेशालय)**(I) प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं**

आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्, जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में स्थित हैं। प्रादेशिक परिषद की शाखाओं की कुल संख्या 176 है।

(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र संघों की शाखाएं

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों के बीच सक्रिय रूप से भ्रातृत्व की भावना को विकसित करने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास का संवर्धन करने के विचार से संस्थान की परिषद् ने सदैव चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र संघों की शाखाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रक्रिया में अभी तक छात्र संघों की 138 शाखाओं को स्थापित किया गया है।

सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2023 के लिए ये पुरस्कार 8 फरवरी, 2024 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को प्रदान किए गए :-

वर्ग	पुरस्कार	विजेता का नाम
प्रादेशिक परिषद्	प्रथम पुरस्कार	डब्लूआईआरसी एवं एसआईआरसी (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	ईआईआरसी
सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ	प्रथम पुरस्कार	डब्लूआईआरसी एवं एसआईआरसी (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	सिकासा
प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मेगा श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	इंदौर
	द्वितीय पुरस्कार	बैंगलोर, अहमदाबाद और पुणे (संयुक्त रूप से)
प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा (बड़ी श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	एर्नाकुलम
	द्वितीय पुरस्कार	लुधियाना और नागपुर (संयुक्त रूप से)
प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मध्यम श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	कालीकट
	द्वितीय पुरस्कार	औरंगाबाद और अमृतसर (संयुक्त रूप से)
प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा (लघु श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	सलेम
	द्वितीय पुरस्कार	भिलाई और अहमदनगर (संयुक्त रूप से)
प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा (सूक्ष्म श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	रतलाम
	द्वितीय पुरस्कार	धुले
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मेगा श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	अहमदाबाद
	द्वितीय पुरस्कार	बैंगलोर और पुणे (संयुक्त रूप से)
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (बड़ी श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	नागपुर और कालीकट (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	इंदौर और वसई (संयुक्त रूप से)
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मध्यम श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	सलेम
	द्वितीय पुरस्कार	मैंगलोर और आगरा (संयुक्त रूप से)
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (छोटी श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	अहमदनगर और जलगांव (संयुक्त रूप से)

	द्वितीय पुरस्कार	सिलीगुडी और भिलाई (संयुक्त रूप से)
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (सूक्ष्म श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	आनंद और पिंपरी चिंचवाड (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	चेंगलपट्ट और संबलपुर (संयुक्त रूप से)

(IV) अखिल भारतीय प्रबंध समिति सदस्य वार्षिक बैठक (एआईएमएम) -2024

प्रादेशिक परिषद् सदस्यों और शाखाओं के प्रबंध समिति सदस्यों की अखिल भारतीय प्रबंध समिति सदस्य वार्षिक बैठक (एआईएमएम) -2024 का आयोजन 9 और 10 मार्च, 2024 के दौरान कोलकाता में किया गया ताकि प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, अध्ययन सर्कलों और अध्ययन चैप्टरों के प्रयासों को आईसीएआई के विजन और परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुमेलित किया जा सके। यह एक अत्यंत सफल कार्यक्रम था, जिसमें 5 प्रादेशिक परिषदों, 176 शाखाओं, 131 अध्ययन सर्कलों और अध्ययन चैप्टरों का लगभग 1300 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। कोलकाता में एआईएमएम 2024 ने, परिषद् 2024-25 के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान, अनुकूलन और नीतिगत योजना तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया, जिसके दौरान अंकीकरण, अनुसंधान, सत्यनिष्ठा, कौशलों, एक-दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना, पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर आधारित गहन "दृष्टि" विजन से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

इस दो दिवसीय आयोजन के दौरान, केंद्रीय परिषद् सदस्यों ने विभिन्न समितियों/ निदेशालयों के क्रियाकलापों और कार्यकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, अध्ययन सर्कलों और चैप्टरों की पहलों को केंद्रीय समितियों के उद्देश्यों और कार्ययोजना के साथ सुमेलित करने की रणनीतियों को भी विस्तार से वर्णित किया। एक समर्पित वेबसाइट <https://aimcmm.icaei.org/> को आरंभ किया गया, जिससे प्रतिभागियों को वास्तविक समय में आयोजनों के संबंध में अद्यतन जानकारी तथा अन्य संबद्ध जानकारी प्राप्त हो सके। आईसीएआई ने क्रियोस्क भी प्रदर्शित किए, जिनके माध्यम से ऐसी विभिन्न समितियों और विभागों को दर्शाया गया, जो सूचना केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रत्यक्ष परस्पर क्रिया के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रतिभागियों ने अपनी शंकाओं का समाधान करने तथा आवश्यक मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सुसंगत अधिकारियों से बातचीत की और इस प्रकार पणधारियों के लिए प्रचालनों और सेवाओं का विस्तार किया गया।

इस आयोजन को माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण, टैक्सटाइल मंत्री और राज्य सभा में सदन के नेता ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। उनकी अंतर्दृष्टि ने आईसीएआई और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों से 'विकसित भारत' के विजन के प्रति प्रत्याशाओं पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, विख्यात प्रेरक वक्ताओं ने भी सहयोग संस्कृति : सहयोग की भावना की शक्ति का उपयोग, विषय पर प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत किए। साथ ही 9 मार्च की शाम को संगीतमय प्रस्तुति की गई, जिसके माध्यम से प्रत्येक भारतवासी की प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजली दी गई।

14. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो परिषद् द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित है, इसमें इसके पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं।

15. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और वह प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों तथा गैर-सदस्यों, जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में परिषद् की सहायता की, के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों में केंद्रीय और विभिन्न प्रादेशिक राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

परिषद्, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

सांख्यिकी एक दृष्टि में
सदस्य रजिस्ट्रीकरण
(1 अप्रैल, 2007 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	अध्येता	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	योग	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	अध्येता	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	योग	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	अध्येता	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	योग	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	अध्येता	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	योग	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	अध्येता	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	योग	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	अध्येता	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	योग	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1 अप्रैल, 2016	सहयुक्त	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	अध्येता	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	योग	87935	50414	23269	41424	50295	253337

1 अप्रैल, 2017	सहयुक्त	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	अध्येता	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	योग	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1 अप्रैल, 2018	सहयुक्त	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	अध्येता	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	योग	97419	55013	24518	48588	56655	282193
1 अप्रैल, 2019	सहयुक्त	72296	34352	15547	33522	37129	192857
	अध्येता	28747	21437	9418	18337	20895	98841
	योग	101043	55789	24965	51859	58024	291698
1 अप्रैल, 2020	सहयुक्त	74285	38405	15735	38453	40877	207755
	अध्येता	28860	21495	9295	19017	20816	99483
	योग	103145	59900	25030	57470	61693	307238
1 अप्रैल, 2021	सहयुक्त	79234	42606	16436	41589	43479	223344
	अध्येता	30022	22393	9485	20199	21638	103737
	योग	109256	64999	25921	61788	65117	327081
1 अप्रैल, 2022	सहयुक्त	83875	47065	17363	46271	46301	240875
	अध्येता	31960	23559	9791	21580	22673	109563
	योग	115835	70624	27154	67851	68974	350438
1 अप्रैल, 2023	सहयुक्त	91043	54155	18856	52092	50351	266497
	अध्येता	32736	24136	9916	22318	23016	112122
	योग	123779	78291	28772	74410	73267	378619
1 अप्रैल, 2024	सहयुक्त	98244	62081	19026	54837	53712	287900
	अध्येता	33826	24985	10040	23233	23633	115717
	योग	132070	87066	29066	78070	77345	403617

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

वर्ष (को यथाविद्यमान)	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438

1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974
1 अप्रैल, 2016 को	1,71,327	82,010	2,53,337
1 अप्रैल, 2017 को	1,81,585	88,722	2,70,307
1 अप्रैल, 2018 को	1,90,104	92,089	2,82,193
1 अप्रैल, 2019 को	1,92,857	98,841	2,91,698
1 अप्रैल, 2020 को	2,07,755	99,483	3,07,238
1 अप्रैल, 2021 को	2,23,344	1,03,737	3,27,081
1 अप्रैल, 2022 को	2,40,875	1,09,563	3,50,438
1 अप्रैल, 2023 को	2,66,497	1,12,122	3,78,619
1 अप्रैल, 2024 को	2,87,900	1,15,717	4,03,617

रजिस्ट्रीकृत छात्र

(31 मार्च, 2010 से)

वर्ष के दौरान	फाउंडेशन/सीपीटी		पीसीसी/आईपीसीसी और आईआईपीसीसी/मध्यवर्ती			फाइनल/नया फाइनल		एटीसी	योग
	फाउंडेशन	सीपीटी	फाइनल	नया फाइनल	मध्यवर्ती	फाइनल	नया फाइनल		
2009-10	-	1,67,073	1,860	80,745	-	24,172	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	1,55,217	329	67,984	-	57,175	-	1,906	2,82,611

2011-12	-	1,61,712	-	85,053	-	47,515	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	1,61,084	-	1,02,406	-	45,102	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	1,54,742	-	96,285	-	39,348	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	1,41,241	-	66,570	-	36,950	-	881	2,45,642
2015-16	-	1,25,140	-	77,962	-	31,669	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	1,07,392	-	81,886	-	27,611	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	73,804	-	22,657	63,693	26,291	14,056	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	-	-	53,654	-	27,966	-	1,26,668
2019-20	63,228	-	-	-	87,949	-	67,090	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	-	-	46,563	-	26,366	-	1,82,897
2021-22	1,21,365	-	-	-	69,967	-	32,527	-	2,23,859
2022-23	1,25,460	-	-	-	77,652	-	21,944	-	2,25,056
2023-24	1,38,378	-	-	-	98,791	-	34,719	-	2,71,888

परिषद् की संरचना

परिषद् के सदस्य

अध्यक्ष निर्वाचित सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल

सीए. (डॉ.) राजकुमार सत्यनारायण अदूकिया

मुंबई

सीए. छाजेड पीयूष सोहनराजजी

मुंबई

A. 1.1 सीए. चिताले चन्द्रशेखर वसंत

पुणे

A. 1.2 सीए. विशाल दोशी

वडोदरा

उपाध्यक्ष सीए. दुर्गेश कुमार काबरा

A. 1.3 मुंबई

सीए. चरणजोत सिंह नंदा

सीए. धीरज कुमार खंडेलवाल

मुंबई

सीए. पुरुषोत्तमलाल हुकमीचंद खंडेलवाल

A. 1.4 अहमदाबाद

सीए. मंगेश पांडुरंग किनारे

ठाणे

सीए. प्रीति सावला

मुंबई

सीए. उमेश रामनारायण शर्मा

औरंगाबाद

सीए. अनिकेत सुनील तलाती

अहमदाबाद

दक्षिणी क्षेत्र

सीए. दयानिवास शर्मा

हैदराबाद

सीए. श्रीधर मुप्पाला

हैदराबाद

सीए. प्रसन्ना कुमार डी

विशाखापत्तनम

	सीए. राजेंद्र कुमार पी.	चेन्नई
परिषद् के सचिव	सीए. कोथा एस श्रीनिवास	बेंगलुरु
सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. श्रीप्रिया कुमार	चेन्नई
सचिव	पूर्वी क्षेत्र	
	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	कोलकाता
	सीए. सुशील कुमार गोयल	कोलकाता
	सीए. (डॉ.) देवाशीष मित्रा	गुवाहाटी
	मध्य क्षेत्र	
	सीए. रोहित रुवतिया	जयपुर
	सीए. अभय कुमार छाजेड़	भोपाल
	सीए. (डा.) अनुज गोयल	गाज़ियाबाद
	सीए. ज्ञान चंद्र मिश्रा	वैशाली
	सीए. प्रकाश शर्मा	जयपुर
	सीए. केमिशा सोनी	इंदौर
	उत्तरी क्षेत्र	
	सीए. संजय कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
	सीए. (डॉ.) राज चावला	नई दिल्ली
	सीए. हंसराज चुघ	नई दिल्ली
	सीए. प्रमोद जैन	नई दिल्ली
	सीए. चरणजोत सिंह नंदा	नई दिल्ली
	सीए. (डॉ.) संजीव कुमार सिंघल	नई दिल्ली
	सरकार के नामनिर्देशिती	
	श्री संजय कुमार	नई दिल्ली
	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
	श्री ऋत्विक् रंजनम पांडे	नई दिल्ली
	संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय	
	श्री मनोज पांडे, अपर सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	नई दिल्ली
	श्री दीपक कपूर, महानिदेशक (वाणिज्यिक-II) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय	नई दिल्ली
	श्री राकेश जैन,	जयपुर

आईए एंड एएस, उप सी एंड एजी (सेवानिवृत्त)	
डॉ. पी. सी. जैन, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य	नई दिल्ली
एसआरसीसी, दिल्ली विश्वविद्यालय	
अधिवक्ता विजय कुमार झालानी	नई दिल्ली
श्री चंद्र वाधवा	नई दिल्ली
सीएमए, भूतपूर्व अध्यक्ष (आईसीओआई)	
अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
105, एफएफ, साउथ एक्स. प्लाजा - 1, 389,	मित्तल हाउस,
मस्जिद मोठ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II,	ई-29, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II,
नई दिल्ली - 110049	नई दिल्ली - 110049

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

परिषद्, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणों की संपरीक्षा की है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी भी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जिसमें संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संगमों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के शाखा संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित विवरणियों/वित्तीय विवरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (आज की तारीख तक यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित रीति में अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है और वे भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तारीख 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति और उसके अधिशेष तथा नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अपनी संपरीक्षा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पूरा किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों संबंधी खंड में वर्णित किया गया है। हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार-संहिता के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधमंडल ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हैं। इस उत्तरदायित्व में संस्थान की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा कपटों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; ऐसे निर्णय लेना और प्राक्कलन करना, जो सुसंगत और विवेकपूर्ण हों तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता को सुनिश्चित करने के

लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, को तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत हैं, जो संस्थान के कार्य के संबंध में सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हैं तथा जो सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे किसी कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधमंडल, एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने संबंधी संस्थान के सामर्थ्य का निर्धारण करने, यथा लागू प्रकटन करने, गोईंग कर्न्सन से संबंधित विषयों का निर्धारण करने और लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधमंडल का आशय या तो संस्थान का परिसमापन करना है या उसके प्रचालनों को बंद करना है या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

जो शासन के लिए प्रभारी हैं, वे संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यावलोकन करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सकल रूप से सारवान मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे कपट के कारण आए हों या त्रुटिवश और साथ ही हमारा उद्देश्य संपरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई संपरीक्षा सदैव सारवान मिथ्या कथनों का पता लगाएगी, जब वे विद्यमान हों। मिथ्या कथन कपट या त्रुटिवश उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें उस समय सारवान समझा जाता है, यदि वे व्यष्टिक रूप से या सकल रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार की जाने वाली संपरीक्षा के भागरूप में, हम अपने वृत्तिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण संपरीक्षा के दौरान वृत्तिक संदेहों को भी बनाए रखते हैं। हम:

- कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों की पहचान करते हैं और उनसे संबंधी जोखिमों का निर्धारण करते हैं, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में संपरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त करते हैं, जो हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी कपट के परिणामस्वरूप होने वाले किसी सारवान मिथ्या कथन की पहचान न करने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप आए सारवान मिथ्या कथन से कहीं अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, मिथ्या प्रस्तुतियां या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना अंतर्वलित हो सकती है।
- संपरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ को प्राप्त करते हैं, जिससे ऐसी संपरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, किंतु जो संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता के संबंध में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं है।
- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधमंडल द्वारा दिए गए लेखांकन प्राक्कलनों और संबद्ध प्रकटनों के औचित्य का भी मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधमंडल द्वारा लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा प्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है, जो एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने के संस्थान के सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है तो हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को उपांतरित करें। हमारे निष्कर्ष, हमारे संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां यह प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं कि संस्थान एक गोईंग कर्न्सन के रूप में अपना कार्यकरण जारी रखना बंद कर दे।
- वित्तीय विवरणों की सकल प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करना, जिसके अंतर्गत प्रकटन भी है और यह सुनिश्चित करना कि क्या वित्तीय विवरण ऐसी रीति में आधारभूत संव्यवहारों और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति के उद्देश्य की पूर्ति हो।

सारवानता, किन्हीं वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनों की वह मात्रा है, जो व्यष्टिक रूप से या सकल रूप से संभव बनाती है कि युक्तियुक्त रूप से वित्तीय विवरणों के किसी ज्ञानवान उपयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावी होंगे। हम (i) हमारे संपरीक्षा

कार्य के विस्तार क्षेत्र की योजना तैयार करने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में ; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक सारवानता और गुणवाचक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उनसे, जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है, अन्य विषयों के साथ, संपरीक्षा के योजनाबद्ध समय और विस्तार क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रणों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जिनकी हमने संपरीक्षा के दौरान पहचान की है, परस्पर संसूचना का आदान-प्रदान करते हैं।

हम ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर शासन संबंधी प्रभार है, ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमने उन्हें अपने ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य विषयों की संसूचना प्रदान की है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह संभावना उत्पन्न हो सकती है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहाँ कहीं लागू है हमने संबद्ध सुरक्षोपायों के संबंध में भी संसूचित किया है।

अन्य विषय

क) संस्थान द्वारा भारत और विदेशों में प्रचालन के लिए अनेक अध्ययन सर्कलों और अध्ययन चैप्टरों को प्राधिकृत किया गया है। संस्थान द्वारा यह अभ्यावेदन किया गया है कि ये अध्ययन सर्कल/चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और तदनुसार उनके वित्तीय विवरणों को समेकित किया जाना अपेक्षित नहीं है। हमने, इस अभ्यावेदन पर विश्वास किया है।

ख) हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और विदेशी शाखाओं सहित उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 1,19,001 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 17,890 लाख रुपए का कुल राजस्व और 31 मार्च, 2024 को कुल 3,980 लाख रुपए के नकद और नकद समतुल्यों को उपदर्शित करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारी की संपरीक्षा शाखा संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

हमारी राय को उपरोक्त मामलों के संबंध में उपांतरित नहीं किया गया है।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;
- क) हमारी राय में, जहां तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए शाखाओं, जहां हमने दौरा नहीं किया है, से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;
- ख) संस्थान की शाखाओं के लेखाओं, जिनकी संपरीक्षा शाखा संपरीक्षकों द्वारा की गई है, संबंधी रिपोर्टों को हमें अग्रेषित किया गया है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनके संबंध में उपयुक्त रूप से कार्यवाही की है ;
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान का तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है और वे ऐसी शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के भी अनुरूप है, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एफआरएन : 003917N	कृते एस के मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एफआरएन : 001135N
ह./-	ह./-

सी.ए. लोकेश कुमार गर्ग भागीदार सदस्यता सं. 413012 यूडीआईएन: 24413012बीकेडीजेडएनएच2258	सी.ए. एस. मूर्ति भागीदार सदस्यता सं. 072290 यूडीआईएन: 24072290बीकेबीएलयूके3791
स्थान : नई दिल्ली तारीख : 17 सितंबर, 2024	

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

(लाख रुपए में)

	विशिष्टियां	टिप्पण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
I	निधियों के स्रोत :			
	1. एनपीओ निधियां			
	(क) अप्रतिबंधित निधियां			
	i) साधारण निधि	03	1,87,599	1,83,171
	ii) अभिहित निधियां	04	1,40,024	1,24,819
	ख प्रतिबंधित निधियां	05	789	710
			3,28,412	3,08,700
	2. गैर चालू दायित्व			
	क अन्य दीर्घकालिक दायित्व	06	3,320	1,965
	ख दीर्घकालिक प्रावधान	07	6,503	5,786
			9,823	7,751
	3. चालू दायित्व			
	क देय	08	6,408	4,209
	ख अन्य चालू दायित्व	09	34,547	28,111
	ग अल्पकालिक प्रावधान	07	3,130	3,489
			44,085	35,809
	योग		3,82,320	3,52,260
II	निधियों का उपयोजन			
	1. गैर चालू आस्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियां			
	(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	10	72,863	70,427
	(ii) अमूर्त आस्तियां	11	40	235

	(iii) चालू पूंजी संकर्म	12	4,896	3,588
	(iv) विकास के अधीन अमूर्त आस्ति	12	487	10
(ख)	गैर-चालू निवेश	13	1,83,390	1,99,955
(ग)	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	15	1,382	1,430
(घ)	अन्य गैर चालू आस्तियां	16	296	-
			2,63,354	2,75,645
2. चालू आस्तियां				
(क)	चालू निवेश	13	5,557	5,443
(ख)	वस्तु-सूचियां	14	1,270	792
(ग)	प्राप्य	17	4,106	2,822
(घ)	नकद और बैंक अतिशेष	18	94,695	50,685
(ङ)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	15	6,584	6,317
(च)	अन्य चालू आस्तियां	19	6,754	10,556
			1,18,966	76,615
योग			3,82,320	3,52,260

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. चरणजोत सिंह	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल
अपर सचिव	सचिव	नंदा उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में
कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003917N

कृते एस के मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001135N

ह./-
सीए. लोकेश कुमार गर्ग
सदस्यता सं. 413012
भागीदार
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 सितंबर, 2024

ह./-
सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 072290
भागीदार

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां		टिप्पण	2023-24	2022-23	
I	आय				
	(क) संदान		-	101	
	(ख) सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त फीस	20	84,207	81,795	
	(ग) प्रकाशन एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री	21	2,393	934	
	(घ) निर्बंधित निधियों से आय	22	39	36	
	(ङ) अन्य आय	23	19,497	23,136	
	कुल आय (I)		1,06,136	1,06,002	
II	व्यय				
	(क) प्रकाशनों की लागत	24	6,870	4,060	
	(ख) कर्मचारी फायदा	25	14,555	15,668	
	(ग) अवक्षयण और परिशोधन	26	3,411	3,281	
	(घ) वित्तीय लागतें	27	15	41	
	(ङ) निर्बंधित निधियों से व्यय	28	23	20	
	च) अन्य व्यय	29	61,956	54,227	
	कुल व्यय (II)		86,830	77,297	
III	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता (I-II)		19,306	28,705	
	विनियोग : निधियों का अंतरण [देखें टिप्पण 30.12]				
	क) भवनों के लिए प्राप्त संदान [देखें टिप्पण 2.06(i)]		-	101	
	ख) शिक्षा निधि [देखें टिप्पण 2.06(ii)]		7,773	7,621	
	ग) कर्मचारी कल्याण निधि [देखें टिप्पण 2.06(iii)]		98	100	
	घ) अवसंरचना आरक्षिती [देखें टिप्पण 2.06(iv)]		409	534	
	ङ) अभिहित निधियां (व्ययों का शुद्ध) [देखें टिप्पण 2.06 (vi)]		7,897	7,460	
	च) निर्बंधित निधियां (व्ययों का शुद्ध) [देखें टिप्पण 2.06 (vi)]		16	16	
	छ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरक्षितियां [देखें टिप्पण 2.06(vii)]		1,282	1,410	
	ज) सिंकिंग निधि [देखें टिप्पण 2.06(viii)]		1,831	1,761	
	झ) साधारण निधि से/को अंतरित अतिशेष		-	9,702	
		योग		19,306	28,705

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव अपर सचिव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा सचिव	सीए. चरणजोत सिंह नंदा उपाध्यक्ष	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 003917N

कृते एस के मित्तल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001135N

ह./-

सीए. लोकेश कुमार गर्ग

सदस्यता सं. 413012

भागीदार

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 17 सितंबर, 2024

ह./-

सीए. एस. मूर्ति

सदस्यता सं. 072290

भागीदार

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	2023-24	2022-23
I. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	19,306	28,705
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	3,411	3,281
ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	(397)	(4,342)
कर्मचारी सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्रावधान	828	(17,457)
शाखा कर्मचारी स्कीम के लिए प्रावधान	(310)	(5,036)
संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	(269)	(609)
अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	145	45
भवन के लिए संदान रसीद	-	(101)
व्याज संबंधी आय	(18,279)	(17,354)
कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	4,435	(12,868)
कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :		

	प्रचालन संबंधी आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन:		
	वस्तु सूचियां	(478)	9
	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	48	(1,359)
	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	478	(911)
	अन्य चालू आस्तियां	(1,160)	650
	प्रचालन संबंधी दायित्वों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	1,355	127
	दीर्घकालिक प्रावधान	-	(1,681)
	व्यापार संबंधी देय	2,199	(556)
	अन्य चालू दायित्व	6,359	3,371
	अल्पकालिक प्रावधान	237	4,734
		13,473	(8,484)
	आय-कर (संदत्त)/प्राप्त (शुद्ध)	(745)	539
	प्रचालन क्रियाकलापों से जनित आय (अ)	12,728	(7,945)
II.	निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
	गैर-चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	16,565	(9,842)
	चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	(114)	8,989
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय [सीडब्ल्यूआईपी सहित (शुद्ध)]	(7,844)	(6,294)
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम	484	141
	प्राप्त व्याज आय	21,785	15,823
	निवेश संबंधी क्रियाकलापों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	30,876	8,817
III.	वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
	भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	101
	प्राप्त अभिदाय	406	47
	वित्तीय क्रियाकलापों से नकद (इ)	406	148
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	44,010	1,020
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	50,685	49,665
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	94,695	50,685

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 34 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव
अपर सचिव

ह./-
सी.ए. (डा.) जय कुमार बत्रा
सचिव

ह./-
सी.ए. चरणजोत सिंह
नंदा उपाध्यक्ष

ह./-
सी.ए. रंजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में
कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003917N

कृते एस के मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001135N

ह./-
सी.ए. लोक्ेश कुमार गर्ग
सदस्यता सं. 413012
भागीदार
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 सितंबर, 2024

ह./-
सी.ए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 072290
भागीदार

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई"), जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन और विकास करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली में प्रत्येक में एक और कुल 5 प्रादेशिक परिषदों, 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 2 उत्कृष्टता केंद्रों, 175 शाखाओं और दुबई तथा सिंगापुर में 2 विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.01 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय संबंधी कथन तथा नकद प्रवाह संबंधी कथन, उन पर टिप्पणों के साथ सम्मिलित हैं, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों सहित, के अनुसार तैयार किया जाता है। यहां भारतीय जीएएपी में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक और अन्य उद्घोषणाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

2.02 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं। प्रबंध मंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है/ वे कार्यान्वित किए जाते हैं।

2.03 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशन, अध्ययन सामग्रियां, लेखन सामग्रियां और अन्य भंडार सम्मिलित होते हैं। इन वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा

जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अनुषंगी प्रभार भी हैं।

2.04 नकद और नकद समतुल्य

नकद में, हाथ में नकदी अंतर्विष्ट है। नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। ऐसे सावधि निक्षेपों को नकद और नकद समतुल्यों के रूप में माना जाता है, जिनकी मूल परिपक्वता की अवधि तीन मास से कम है। तीन मास से अधिक किंतु 12 मास से कम की मूल परिपक्वता वाले निक्षेपों को 'अन्य बैंक अतिशेषों' के अधीन बैंक निक्षेप माना जाता है।

2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

2.06 आरक्षितियों में विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

i) भवनों के लिए प्राप्त संदानों का विनियोग आय और व्यय लेखा में किया जाता है और उसके पश्चात् उसे अवसंरचना आरक्षिती खाते में जमा किया जाता है।

ii) दूरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।

iii) सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को प्रोदभवन आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

iv) प्रवेश और दाखिला फीस :

-- सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस के भाग को अवसंरचना निधि खाते में डाला जाता है।

v) अभिहित निधियों से शिक्षा निधि खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

(क) अनुसंधान भवन निधि लेखांकन से	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से संबंधित भवन निधियों में अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत
----------------------------------	---

(ख) शिक्षा निधि से	नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत
--------------------	--

vi) निवेश से होने वाली आय को प्रारंभिक अतिशेष के आधार पर, भारित औसत का आधार बनाते हुए अभिहित और निर्बंधित निधियों को आबंटित किया जाता है।

vii) वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस के 25 प्रतिशत को कंप्यूटरों तथा अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना के प्रतिस्थापन हेतु अन्य निधियों में अंतरित किया जाता है।

viii) वर्ष के लिए अवक्षयण के समतुल्य राशि (आईटीटी निधि को अंतरित रकम को छोड़कर) को आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन हेतु सिंकिंग निधि में अंतरित किया जाता है।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब यह संभावना हो कि मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे संस्थान को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का कथन संचयी अवक्षयण और संचयी हानिकरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में उसकी क्रय कीमत, किन्हीं व्यापार बट्टों और छूटों के शुद्ध, आयात शुल्कों और अन्य करों (कर प्राधिकारियों से पश्चातवर्ती रूप से वसूलनीय से भिन्न) सहित सम्मिलित होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाले व्यय से प्रत्यक्षतः जोड़ा जा सकता है। आशयित उपयोग हेतु आस्ति को तैयार किए जाने की तारीख तक अर्हित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अर्जन के संबंध में होने वाले अन्य अनुषंगी व्ययों और उसके संबंध में लिए गए उधारों पर ब्याज का भी पूंजीकरण किया जाता है।

2.08 अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, संचयी परिशोधन और संचयी हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत, छूट और बट्टों के शुद्ध के रूप में सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है तथा किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर ब्याज भी है। अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

2.09 चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण/विकास पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

2.10 अवक्षयण और परिशोधन

क) आस्तियों के संबंध में अवक्षयणीय रकम आस्ति की लागत या लागत के रूप में प्रतिस्थापित अन्य रकम है।

संपत्ति/संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण को संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर मासिक रूप से अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है।

	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वर्ग	अवक्षयण की दर
i)	भवन	5%
ii)	लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन और फिटिंग्स	10%
iii)	कंप्यूटर	60%
iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
v)	वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
vi)	वाहन	20%
vii)	वर्ष के दौरान क्रय की गई पुस्तकालय की पुस्तकों पर 100% अवक्षयण दिया जाता है।	

ख) पट्टाधृत भूमि पर भवनों की अग्रणीत रकम का परिशोधन पट्टे की अवधि के आधार पर किया जाता है।

ग) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर तीन वर्ष तक स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया जाता है।

2.11 राजस्व मान्यता

राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

- i) छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रमों की अवधि के आधार पर अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।
- ii) कक्षा प्रशिक्षण फीस में प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम ("एमसीएस"), सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("आईसीआईटीएसएस"), समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("एआईसीआईटीएसएस") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है। कक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं संबंधी आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।
- iii) परीक्षा फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
- iv) संगोष्ठी फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।
- v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुनः स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :
 - (क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है। सदस्य के नाम को पुनः प्रविष्ट करने संबंधी फीस को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।
 - (ख) प्रवेश और दाखिला फीस :

सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस को प्रवेश के समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- vi) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से प्राप्त राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।

2.12 अन्य आय

- क) प्रकाशन और अन्य सबद्ध मदों के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यतः माल के परिदान के समय होता है।
- ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय की अवधि के अनुसार अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।
- ग) कैम्पस साक्षात्कारों और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।
- घ) व्याज संबंधी आय को अनुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।
- ङ) वर्ष के दौरान भवनों के लिए प्राप्त संदानों को उनकी प्राप्ति के वर्ष में मान्यता प्रदान की जाती है।
- च) छात्रों से छात्र पंजीकरण फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् पंजीकृत छात्रों की बाबत 250/- रुपए प्रति छात्र की राशि चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र कल्याण निधि में जमा की जाती है।
- छ) सदस्यों से चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याण निधि (सीएबीएफ) के मद्दे प्राप्त संदानों को संदेय के रूप में लेखबद्ध किया जाता है और इसी प्रकार सदस्यों को उनके दावों के मद्दे उसकी ओर से संदत्त वित्तीय सहायता को प्राप्यों के रूप में लेखबद्ध किया जाता है। सीएबीएफ के साथ लेखाओं का नियमित आधार पर सुमेलन किया जाता है।

ज) प्रमाणपत्र/अर्हता-पत्र पाठ्यक्रम/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व उसके रद्द हो जाने की दशा में 10% फीस की कटौती की जाती है और पाठ्यक्रम के प्रारंभ हो जाने की दशा में किसी भी प्रकार से फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाता है किंतु सदस्य को यह विकल्प दिया जाता है कि वह पश्चातवर्ती बैचों में पाठ्यक्रम के शेष भाग को पूरा कर सकता है।

2.13 निवेश

क) संस्थान के निवेशों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लिखतें, भारत में अधिवासी अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप और लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के शेयर सम्मिलित होते हैं।

ख) निवेशों को एएस 13, निवेशों के अनुसार चालू और दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश वे हैं, जिन्हें सुगमता से वसूल किया जा सकता है और उन्हें, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि तक धारित करने का आशय रखा जाता है। दीर्घकालिक निवेश कोई ऐसा निवेश है, जो चालू निवेश से भिन्न है।

ग) निवेशों को प्रारंभिक रूप से लागत पर लेखबद्ध किया जाता है और इस लागत में अर्जन की लागतें, जैसे दलाली, फीस और शुल्क सम्मिलित होते हैं। क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत व्याज का मुजरा व्याज की प्राप्ति के प्रति किया जाता है।

घ) केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश का उपयोग मुक्त रूप से परिषद् के विवेक पर उपलब्ध है, सिवाय उद्दिष्ट निधियों के योग की सीमा तक।

ङ) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को चालू निवेशों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर अग्रणीत किया जाता है। उचित मूल्य का अवधारण व्यष्टिक आधार पर किया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को प्रायः लागत पर अग्रणीत किया जाता है। तथापि, जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न कोई कमी होती है तो कमी को मान्यता प्रदान करने के लिए अग्रणीत मूल्य को कम किया जाता है। क्रय के समय संदत्त प्रीमियम का परिशोधन निवेशों की शेष परिपक्वता की अवधि हेतु किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों से व्याज' शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

2.14 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा धनीय मदों को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर पुनः कथित किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय और व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.15 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदे सम्मिलित हैं।

i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बट्टा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के बारह मास के भीतर उत्पन्न होते हैं, जिसमें पात्र कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है:

क) संचयित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं; और

ख) गैर-संचयित एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

ii) नियोजन पञ्च फायदे

नियोजन पञ्च फायदे कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे फायदे हैं, जो सेवा समापन फायदों से भिन्न हैं और जो नियोजन के पूरा होने के पश्चात् संदेय होते हैं। नियोजन पञ्च फायदों का लेखांकन, सुसंगत योजनाओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि उन्हें या तो परिभाषित फायदा योजना (डीबीपी) या परिभाषित अभिदाय योजना (डीसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नियोजन पञ्च फायदा योजनाएं, जहां संस्थान किसी पृथक् अस्तित्व या निधि को किन्हीं नियत अभिदायों का संदाय करता है और वह उस दशा में किन्हीं अन्य अभिदायों को करने की बाध्यताओं के अधीन नहीं होगा यदि पृथक् अस्तित्व या निधि के पास चालू और पूर्व अवधि में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी फायदों का संदाय करने के लिए पर्याप्त आस्तियां विद्यमान नहीं हैं। दूसरी ओर, डीसीपी के रूप में वर्गीकृत योजनाओं से भिन्न नियोजन पञ्च फायदा योजनाओं को डीबीपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिभाषित फायदा योजनाएं

क) उपदान

उपदान और सेवानिवृत्ति पञ्च पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उदभूत होते हैं। पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो। इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

ख) भविष्य निधि

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भविष्य निधि न्यास ('न्यास') को भविष्य निधि स्कीम के मद्दे किए गए अभिदाय को चालू वर्ष के लिए परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे एक ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जो किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदाय की रकम पर आधारित है, जब पात्र कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस न्यास का प्रबंध संस्थान द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है और वह ऐसे दावों का समाधान करता है, जब कभी वे उदभूत होते हैं। भविष्य निधि न्यास के बीमांकिक दायित्व से उदभूत किसी कमी और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान निवेश से फायदों में किसी कमी का न्यास द्वारा दावा किया जाता है तथा उसका संदाय संस्थान द्वारा किया जाता है।

इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) - 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है।

ग) पेंशन स्कीम

संस्थान अपने पात्र कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। पेंशन संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तपोषित किया जाता है।

घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी को सेवानिवृत्ति पञ्च चिकित्सा स्कीम फायदा

संस्थान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा स्कीम के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है।

ड) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे – प्रतिपूरित अनुपस्थिति

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् बारह मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को वीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.16 पट्टे

संस्थान लेखांकन और प्रकटन प्रयोजनों के लिए पट्टों को वित्त और प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत करता है। ऐसे पट्टों को, जहां संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टों को, जहां पट्टाकर्ता और न कि संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के अधीन पट्टा किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। वित्तीय पट्टे की दशा में, आस्तियों को पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा संदाय के वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा संबंधी संदायों को वित्तीय प्रभार और पट्टा दायित्व के पुनः संदाय के बीच परिशोधित किया जाता है। पट्टाधृत आस्तियों का अवक्षयण पट्टे की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन के निम्नतर पर किया जाता है।

2.17 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमृत आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रणीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। वसूलनीय रकम, शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है। उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.18 आय पर कर

संस्थान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन आय-कर से छूट के लिए रजिस्ट्रीकृत है। इस प्रकार, चालू आय-कर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

2.19 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उदभूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उदभूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

टिप्पण # 03 साधारण निधि (रुपए लाख में)

विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथाविद्यमान	साधारण निधि	शिक्षा निधि	अवसंरचना निधि	आईटीटी निधि	अन्य निधि	योग
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	2024	1,11,024	54,031	8,112	8,967	1,037	1,83,171
	2023	96,772	51,006	7,448	7,557	1,116	1,63,899
जोड़ें: आय और व्यय विवरण से विनियोग:	2024	-	-	409	1,282	-	1,691
	2023	9,702	-	534	1,410	-	11,646
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना निधि और अन्य निधि से/(को) अंतरण	2024	(35)	-	25	-	10	-
	2023	50	-	29	-	(79)	-
अभिहित निधियों से/(को) अंतरण	2024	(15)	2,752	-	-	-	2,737
	2023	4,500	3,025	-	-	-	7,525
भवन के लिए प्राप्त संदान	2024	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	101	-	-	101
वर्ष के अंत में अतिशेष	2024	1,10,974	56,783	8,546	10,249	1,047	1,87,599
	2023	1,11,024	54,031	8,112	8,967	1,037	1,83,171

टिप्पण # 04 अभिहित निधियां

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च को यथा विद्यमान	अनुसंधान निधियां	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	शिक्षा निधि	छात्र कौशल संवर्धन बोर्ड (बीओएस छात्रवृत्ति)	आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	अन्य निधियां	योग
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	2024	3,639	1,278	62,446	11,531	36,844	1,613	7,468	1,24,819
	2023	3,382	1,187	53,734	11,222	32,587	1,410	11,878	1,15,400
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	2024			7,773		1,831	98		9,702
	2023			7,621		1,761	100		9,482
आरक्षितियों और अतिशेष से/(को) अंतरण	2024	-	-	(2,752)	-	-	-	15	(2,737)
	2023	-	-	(3,025)	-	-	-	(4,500)	(7,525)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/ परिवृद्धि	2024	-	-	-	-	-	-	343	343
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय	2024	262	114	4,455	823	2,630	115	59	8,458
	2023	257	91	4,116	800	2,496	108	90	7,958
वर्ष के दौरान उपयोगित	2024	-	-	-	(560)	-	(1)	-	(561)
	2023	-	-	-	(491)	-	(5)	-	(496)
वर्ष के अंत में अतिशेष	2024	3,901	1,392	71,922	11,794	41,305	1,825	7,885	1,40,024
	2023	3,639	1,278	62,446	11,531	36,844	1,613	7,468	1,24,819

टिप्पण # 05 निर्बंधित निधियां

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च को यथाविद्यमान	पदक और पुरस्कार निधि	छात्र छात्रवृत्ति निधि	योग
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	2024	420	290	710
	2023	378	269	647
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/ परिवृद्धि	2024	19	44	63
	2023	39	8	47
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय	2024	22	17	39
	2023	21	15	36
वर्ष के दौरान उपयोजित	2024	(15)	(8)	(23)
	2023	(18)	(2)	(20)
आरक्षित निधियों और अधिशेष से/(को) स्थानांतरण	2024	-	-	-
	2023	-	-	-
वर्ष के अंत में अतिशेष	2024	446	343	789
	2023	420	290	710

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 06 : अन्य दीर्घकालिक दायित्व	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) दूरस्थ शिक्षा फीस	2,290	1,166
(ख) सदस्यता फीस	1,169	892
घटाएं:-सदस्यता शुल्क छूट	(139)	(93)
योग अन्य दीर्घकालिक दायित्व	3,320	1,965

टिप्पण # 07 : प्रावधान	दीर्घकालिक		अल्पकालिक	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान				
(i) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	6,503	5,786	681	570
(ii) उपदान के लिए प्रावधान	-	-	39	-
(iii) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान	-	-	254	564
(iv) वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान	-	-	-	388
(ख) अन्य प्रावधान				
(i) गैर पूंजीगत व्यय	-	-	2,156	1,967
कुल प्रावधान	6,503	5,786	3,130	3,489

टिप्पण # 08 : व्यापार संबंधी देय	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुल बकाया शोध्य	2,019	1,125
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों के कुल बकाया शोध्य	4,389	3,084
कुल देय	6,408	4,209
इकाई के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित प्रकटीकरण		
विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि :		
मूल	2,019	1,125
ब्याज	0.25	
(ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों के अनुसार क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय की राशि ।	111	407
(ग) संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात् किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ।	-	-
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित तथा असंदत्त ब्याज की राशि।	0.73	0.84
(ङ) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को संदत्त नहीं कर दी जाती ।	-	-

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 09 : अन्य चालू दायित्व	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) अग्रिम में प्राप्त फीस		
(i) दूरस्थ शिक्षा फीस	15,931	11,717
(ii) सदस्यता फीस	714	599
घटाएं:-सदस्यता शुल्क छूट	(84)	(60)
(iii) परीक्षा फीस	8,897	7,777
(iv) जर्नल अभिदाय	-	7
(v) संगोष्ठी फीस :		
क) सदस्य	161	153
ख) छात्र	5	7
(vi) पुनरीक्षण कक्षाएं	118	105
(vii) कक्षा प्रशिक्षण फीस :		
क) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	585	486
(ख) सामान्य प्रबंधन और संचार कौशल	196	167
ग) अनुकूलन	295	179
(viii) अर्हता पश्च पाठ्यक्रम	94	101
(ix) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	128	163
(x) अनुशासनात्मक शुल्क	11	10
(xi) अन्य	156	114
कुल योग (अ)	27,207	21,525
(ख) अन्य दायित्व		
(क) पूंजी मदों के लिए देय	152	75
(ख) देय भविष्य निधि और वृत्तिक कर	272	468
(ग) देय वस्तु एवं सेवा कर	1,288	984
(घ) देय टीडीएस	732	708
(ङ) उपदान और पेंशन के लिए देय [टिप्पण 2.15(ii)(क और ग) देखें]	2,971	2,316
(च) प्रतिभूति और जमा किया गया बयाना धन	1,247	983
(छ) सीएएसबीएफ और एसवीएएमएफ को देय	129	105
(ज) अन्य देय	549	947
कुल योग (आ)	7,340	6,586
कुल अन्य चालू दायित्व	34,547	28,111

(लाख रुपए में)

टिप्पण # 10 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

विशिष्टियां/आस्तियां	मूर्त आस्तियां										योग	
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	कंप्यूटर	कार्यालय उपस्कर और वातानुकूलक	फर्नीचर और फिक्सचर	लिफ्ट, इलेक्ट्रीकल प्रतिष्ठान और फीटिंग्स	यान	पुस्तकालय की पुस्तकें			
सकल ब्लॉक												
1 अप्रैल, 2023 को यथाविद्यमान	21,196	13,611	46,117	8,109	6,988	6,107	2,812	189	1,122	1,06,251		
परिवृद्धियां	538	2,366	* 5,344	357	807	555	255	1	20	10,243		
कटौतियां/समायोजन	(752)	*(3,927)	-	(13)	(20)	(16)	(22)	-	-	(4,750)		
1 अप्रैल 2022 को यथाविद्यमान	19,602	12,846	44,019	7,509	6,433	5,878	2,696	153	1,101	1,00,237		
परिवृद्धियां	1,658	765	2,098	636	628	251	124	78	24	6,262		
कटौतियां/समायोजन	(64)	-	-	(36)	(73)	(22)	(8)	(42)	(3)	(248)		
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	20,982	12,050	51,461	8,453	7,775	6,646	3,045	190	1,142	1,11,744		
31 मार्च 2023 को यथाविद्यमान	21,196	13,611	46,117	8,109	6,988	6,107	2,812	189	1,122	1,06,251		
अवमूल्यन/समायोजन												
1 अप्रैल, 2023 को यथाविद्यमान	-	1,608	15,698	7,432	4,706	3,435	1,715	108	1,122	35,824		
परिवृद्धियां	-	186	1,665	510	397	288	121	16	20	3,203		
कटौतियां/समायोजन	-	-	(140)	(2)	(3)	(1)	-	-	-	(146)		
1 अप्रैल 2022 को यथाविद्यमान	-	1,426	14,021	7,054	4,381	3,163	1,597	125	1,101	32,868		
परिवृद्धियां	-	182	1,677	413	352	278	118	19	24	3,063		
कटौतियां/समायोजन	-	-	-	(35)	(27)	(6)	-	(36)	(3)	(107)		
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	-	1,794	17,223	7,940	5,100	3,722	1,836	124	1,142	38,881		
31 मार्च 2023 को यथाविद्यमान	-	1,608	15,698	7,432	4,706	3,435	1,715	108	1,122	35,824		
शुद्ध ब्लॉक												
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	20,982	10,256	34,238	513	2,675	2,924	1,209	66	-	72,863		
31 मार्च 2023 को यथाविद्यमान	21,196	12,003	30,419	677	2,282	2,672	1,097	81	-	70,427		

*परिवृद्धियों में पट्टाधृत भूमि से भवन को अंतरित की गई रकम सम्मिलित है।

(रुपए लाख में)

टिप्पण #11. अमूर्त आस्तियां (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)	
विशिष्टियां/आस्तियां	योग
सकल ब्लॉक	
1 अप्रैल 2023 को यथाविद्यमान	1,436
परिवृद्धियां	13
कटौतियां/समायोजन	(3)
1 अप्रैल 2022 को यथाविद्यमान	1,400
परिवृद्धियां	38
कटौतियां/समायोजन	(2)
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	1,446
31 मार्च 2023 को यथाविद्यमान	1,436
परिशोधन/समायोजन	
1 अप्रैल 2023 को यथाविद्यमान	1,201
परिवृद्धियां	208
कटौतियां/समायोजन	(3)
1 अप्रैल 2022 को यथाविद्यमान	986
परिवृद्धियां	217
कटौतियां/समायोजन	(2)
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	1,406
31 मार्च 2023 को यथाविद्यमान	1,201
शुद्ध ब्लॉक	
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	40
31 मार्च 2023 को यथाविद्यमान	235

टिप्पण #12. चालू संकर्म

क) चालू पूंजी संकर्म	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रारंभिक अतिशेष	3,588	3,559
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	3,156	5,865
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत रकम	(1,848)	(5,836)
अंतिम अतिशेष	4,896	3,588
ख) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रारंभिक अतिशेष	10	10
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	477	-
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत रकम	-	-
अंतिम अतिशेष	487	10

टिप्पण # 13. निवेश

(रुपए लाख में)

अ-1) गैर चालू निवेश (ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित जब तक अन्यथा न कहा जाए)	अंकित मूल्य	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
		यूनिट/शेयर	बही मूल्य	यूनिट/शेयर	बही मूल्य
I) व्यापार निवेश - उद्धृत					
(क) साम्या लिखतों में निवेश					
i) आईसीएआई का दिवाला वृत्तिक संस्थान	100	10,00,000	1,000	10,00,000	1,000
100 रुपये प्रति के साधारण शेयर					
ii) निवेश आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	100	10,000	10	10,000	10
iii) निवेश आईसीएआई सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया	100	1,99,990	200	1,99,990	200
कुल योग		12,09,990	1,210	12,09,990	1,210
(ख) सरकारी या ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश					
i) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां					
1 6.67% भारत सरकार 2050 (1)	98.80	25,00,000	2,470	25,00,000	2,469
2 6.67% भारत सरकार 2050 (2)	96.09	30,00,000	2,883	30,00,000	2,878
3 6.67% भारत सरकार 2050 (3)	94.72	20,00,000	1,894	20,00,000	1,890
4 6.67% भारत सरकार 2050 (4)	96.90	10,00,000	969	10,00,000	968
5 6.67% भारत सरकार 2050 (5)	95.52	75,00,000	7,164	75,00,000	7,151
6 6.67% भारत सरकार 2050 (6)	96.42	30,00,000	2,893	30,00,000	2,889
7 6.67% भारत सरकार 2050 (7)	93.23	50,00,000	4,661	50,00,000	4,649
8 6.67% भारत सरकार 2050 (8)	93.22	15,00,000	1,398	15,00,000	1,394
9 6.67% भारत सरकार 2050 (9)	93.22	50,00,000	4,661	50,00,000	4,648
10 6.76% भारत सरकार 2061	97.33	10,00,000	973	10,00,000	973
11 6.99% भारत सरकार 2051	93.45	25,00,000	2,336	25,00,000	2,330
12 7.16% भारत सरकार 2050	107.33	10,00,000	1,073	10,00,000	1,076
13 7.26% जीएसईसी जनवरी 2029	103.42	75,00,000	7,757	75,00,000	7,810
14 7.40% भारत सरकार 2035 (1)	105.37	5,00,000	527	5,00,000	529
15 7.40% भारत सरकार 2035 (2)	106.87	5,00,000	534	5,00,000	537
16 7.54% भारत सरकार 2036 (1)	101.94	20,00,000	2,039	20,00,000	2,042
17 7.54% भारत सरकार 2036 (2)	101.94	15,00,000	1,529	15,00,000	1,531
18 7.57% जीएस 2033	107.73	50,00,000	5,386	50,00,000	5,428
19 7.69% भारत सरकार 17/06/2043	110.22	30,00,000	3,307	30,00,000	3,322

20 7.69% भारत सरकार 2043	108.86	25,00,000	2,722	25,00,000	2,733
21 7.72% भारत सरकार 2049	108.63	50,00,000	5,432	50,00,000	5,449
22 7.73% भारत सरकार 2034	110.02	5,00,000	550	5,00,000	555
23 8.17% भारत सरकार 2044	114.33	25,00,000	2,858	25,00,000	2,876
24 8.17% सरकारी स्टॉक 2044	113.82	50,00,000	5,691	50,00,000	5,725
25 8.24% भारत सरकार 2033	112.55	5,00,000	563	5,00,000	569
26 8.24% सरकारी स्टॉक नवंबर, 2023	112.44	50,00,000	5,622	50,00,000	5,687
27 8.30% भारत सरकार 2042 (1)	114.66	20,00,000	2,293	20,00,000	2,309
28 8.30% भारत सरकार 2042 (2)	114.42	10,00,000	1,144	10,00,000	1,152
29 8.30% भारत सरकार 2042 (3)	114.56	5,00,000	573	5,00,000	577
30 8.30% जीएस 2042 (1)	115.13	35,00,000	4,030	35,00,000	4,058
31 8.30% जीएस 2042 (2)	115.11	15,00,000	1,727	15,00,000	1,739
32 8.30% भारत सरकार -2040	114.08	45,00,000	5,133	45,00,000	5,172
33 8.33% भारत सरकार 2036 (1)	115.19	10,00,000	1,152	10,00,000	1,164
34 8.33% भारत सरकार 2036 (2)	115.21	19,00,000	2,189	19,00,000	2,213
35 8.33% भारत सरकार 2036 (3)	112.07	25,00,000	2,802	25,00,000	2,826
36 8.83% भारत सरकार 2041 (1)	119.20	10,00,000	1,192	10,00,000	1,203
37 8.83% भारत सरकार 2041 (2)	119.18	15,00,000	1,788	15,00,000	1,804
38 8.83% सरकारी स्टॉक 2041	122.16	10,00,000	1,222	10,00,000	1,234
39 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (1)	123.59	10,00,000	1,236	10,00,000	1,248
40 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (2)	123.60	10,00,000	1,236	10,00,000	1,248
41 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (3)	124.97	50,00,000	6,248	50,00,000	6,312
42 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (4)	124.28	20,00,000	2,485	20,00,000	2,510
कुल योग		10,69,00,000	1,14,342	10,69,00,000	1,14,877

टिप्पण # 13. निवेश

(रुपए लाख में)

अ-1) गैर चालू निवेश (ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित जब तक अन्यथा न कहा जाए)	अंकित मूल्य	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
		यूनिट/शेयर	बही मूल्य	यूनिट/शेयर	बही मूल्य
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां					
1 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	-	-	-	30,00,000	3,017
2 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	-	-	-	20,00,000	2,011
3 8.18% हरियाणा एसडीएल उदय 2024	-	-	-	45,000	45
4 9.01% कर्नाटक एसडीएल 2024	-	-	-	5,00,000	507

5 6.61% मध्य प्रदेश एसडीएल 2037	99.15	5,00,000	496	5,00,000	495
6 6.68% हरियाणा एसडीएल	97.90	25,00,000	2,447	25,00,000	2,444
7 7.88% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2031	106.04	10,00,000	1,060	10,00,000	1,069
8 6.80% जम्मू-कश्मीर एसडीएल 2035	100.38	5,00,000	502	5,00,000	502
9 6.99% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2036	101.34	5,00,000	507	5,00,000	507
10 7.08% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2035	100.70	10,00,000	1,007	10,00,000	1,008
11 7.43% हरियाणा 09/03/2041	100.86	5,00,000	504	5,00,000	505
12 6.96% तमिलनाडु एसडीएल 2056	97.63	10,00,000	976	10,00,000	976
13 7.86% असम एसडीएल 2032 2	99.99	20,80,000	2,080	20,80,000	2,080
14 7.94% हरियाणा एसडीएल 2034 2	100.08	19,50,000	1,951	19,50,000	1,952
15 7.50% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2036 1	100.31	20,00,000	2,006	20,00,000	2,007
16 7.50% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2036 2	100.26	10,00,000	1,003	10,00,000	1,003
17 7.85% मध्य प्रदेश एसडीएल 2032 3	102.15	25,00,000	2,554	25,00,000	2,560
18 7.70% बीआर एसजीएस 2031	100.05	50,00,000	5,003	-	-
19 7.62% बिहार एसजीएस 2031	99.63	10,00,000	996	-	-
20 7.76% मध्य प्रदेश एसडीएल 2037	100.56	2,94,300	296	-	-
21 7.74% राजस्थान एसडीएल 2039	100.43	26,61,100	2,673	-	-
22 7.76% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2037	100.64	20,51,600	2,065	-	-
23 7.75% टीएस एसडीएल 2037	100.62	44,19,100	4,447	-	-
24 7.46% एमएच 13/09/2033	98.81	50,00,000	4,940	-	-
25 7.81% गुजरात एसजीएस 2032	101.13	50,00,000	5,056	-	-
26 7.77% आंध्र प्रदेश एसजीएस 2035	100.27	9,00,000	902	-	-
27 7.75% राजस्थान एसजीएस 2036	100.20	24,00,000	2,405	-	-
28 7.70% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2035	99.73	17,85,000	1,780	-	-
29 7.70% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2035	99.87	11,60,000	1,159	-	-
30 7.75% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2034	100.17	2,58,100	259	-	-
31 7.75% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2034 1	100.20	5,00,000	501	-	-
32 7.75% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2034	100.21	10,00,000	1,002	-	-
33 7.71% जम्मू-कश्मीर एसजीएस 2048	99.31	42,50,000	4,221	-	-
34 7.72% जम्मू-कश्मीर एसजीएस 2043	99.60	2,00,000	199	-	-
35 6.63% तमिलनाडु एसडीएल 2035	91.81	30,00,000	2,754	-	-
36 7.93% तमिलनाडु एसडीएल 2034	101.36	5,00,000	507	-	-
37 7.70% उत्तर प्रदेश एसडीएल 2034	100.17	5,00,000	501	-	-
कुल योग		5,89,09,200	58,759	2,25,75,000	22,688

			-		-
कुल व्यापार निवेश - उद्धृत	-	16,70,19,190	1,74,311	13,06,84,990	1,38,775
II) व्यापार निवेश – उद्धृत नहीं					
(क) सरकारी या ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश					
1 8% भारत सरकार कराधेय बांड-संचयी	-	-	-	1,12,00,000	11,200
2 8% बचत (कराधेय) बांड 2003-गैर संचयी	-	-	-	4,40,00,000	44,000
कुल व्यापार निवेश - उद्धृत नहीं	-	-	-	5,52,00,000	55,200
क-1) कुल गैर-चालू निवेश (I + II)	-	16,70,19,190	1,74,311	18,58,84,990	1,93,975
वर्ष के अंत में कुल बाजार मूल्य:					
उद्धृत निवेशों की कुल रकम और उसका बाजार मूल्य			1,77,512		1,09,537
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल रकम			-		55,200
	-	-	1,77,512	-	1,64,737

टिप्पण # 13. निवेश

(रुपए लाख में)

अ-II) गैर चालू सावधि जमा	अंकित मूल्य	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
		यूनिट/शेयर	बही मूल्य	यूनिट/शेयर	बही मूल्य
(क) एक वर्ष से अधिक के लिए उद्धृत बैंक जमा			109		-
(ख) एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा			8,970		5,980
अ-II) कुल गैर चालू सावधि जमा	-	-	9,079	-	5,980
कुल गैर-चालू निवेश (आ + आII)		16,70,19,190	1,83,390	18,58,84,990	1,99,955
आ) चालू निवेश	अंकित मूल्य	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
		यूनिट/शेयर	बही मूल्य	यूनिट/शेयर	बही मूल्य
I) व्यापार (लागत या बाजार मूल्य में से कम पर मूल्यांकित) - उद्धृत					
(क) सरकारी या ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश					
i) राज्य सरकार प्रतिभूतियां					
1 7.93% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2024	-	-	-	15,00,000	1,504
2 8.25% उत्तर प्रदेश उदय बंधपत्र 2023	-	-	-	5,00,000	500

3	8.27% जस्थान एसडीएल एसपीएल 2023	-	-	-	1,92,000	192
4	8.45% गुजरात एसडीएल 2023	-	-	-	25,00,000	2,508
5	8.51% उत्तर प्रदेश उदय 2023	100.30	-	-	7,36,800	739
6	8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	100.23	30,00,000	3,007	-	-
7	8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024 2	100.22	20,00,000	2,004	-	-
8	8.18% हरियाणा एसडीएल उदय 2024	100.07	45,000	45	-	-
9	9.01% कर्नाटक एसडीएल 2024	100.26	5,00,000	501	-	-
शुद्ध चालू निवेश - उद्धृत			55,45,000	5,557	54,28,800	5,443

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 14 वस्तु सूची	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) प्रकाशन एवं अध्ययन सामग्री	1,342	995
घटाएँ : अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	(104)	(249)
(ख) लेखन सामग्री और स्टोर	32	46
योग	1,270	792

टिप्पण # 15 ऋण और अग्रिम	दीर्घकालीन		अल्पकालीन	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) ऋण और अग्रिम				
(i) कर्मचारी	1,225	1,206	359	402
(ii) अन्य	-	-	147	1,143
कुल योग-(क)	1,225	1,206	506	1,545
(ख) अन्य ऋण और अग्रिम				
(i) पूर्वसंदत्त व्यय	-	14	940	841
(ii) स्रोत पर कर कटौती प्राप्य	-	-	2,234	1,489
(iii) सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी	157	122	156	219
(iv) जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्राप्य	-	-	2,122	1,831
(v) प्रतिभूति निक्षेप	-	88	626	392
कुल योग-(ख)	157	224	6,078	4,772
योग (क+ख)	1,382	1,430	6,584	6,317

टिप्पण # 16 अन्य गैर-चालू आस्तियां	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं		
i) प्रोदभूत ब्याज - कर्मचारिवृंद	296	-
योग	296	-

टिप्पण # 17 प्राप्य	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) ग्राहकों से प्राप्य	1,466	1,376
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	(950)	(681)
(ख) सीएबीएफ से प्राप्य	289	300
(ग) इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट (जीएसटी)	2,695	1,261
(घ) अन्य	606	566
योग	4,106	2,822

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 18 नकद और नकद समतुल्य	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अ नकद और नकद समतुल्य		
(क) तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले सावधि निक्षेप	-	3,000
(ख) हाथ में नकदी	23	21
कुल योग (अ)	23	3,021
आ अन्य बैंक शेष		
(क) उद्दिष्ट बैंक निक्षेप	6,645	6,369
(ख) 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले निक्षेप	80,416	32,741
(ग) बैंक अतिशेष	7,611	8,554
कुल योग (ख)	94,672	47,664
योग (अ + आ)	94,695	50,685

टिप्पण # 19 अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(क) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज किंतु जो देय नहीं		
i) प्रोदभूत ब्याज-निवेश	3,956	9,597
(ख) निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज किंतु जो देय नहीं		
i) प्रोदभूत ब्याज-बैंकों के साथ सावधि निक्षेप	2,732	650
ii) प्रोदभूत ब्याज-कर्मचारिवृंद	66	309
योग	6,754	10,556

टिप्पण # 20 : सेवाओं के प्रतिपादन से शुल्क	2023-24	2022-23
क) दूरस्थ शिक्षा फीस	33,097	31,301
ख) कक्षा प्रशिक्षण :		
i) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	5,372	5,043
ii) साधारण प्रबंधन और संसूचना कौशल	2,464	2,031
iii) अनुकूलन	2,969	3,349
ग) पुनरीक्षण कक्षाएं	976	823
घ) परीक्षा	17,173	16,171
ङ) सदस्यता	14,258	13,854
घटाएं :- ई जर्नल पर बढ़ा	(1,761)	(1,651)
च) सदस्यों के लिए प्रवेश और दाखिला : टिप्पण संख्या 2.11 (v)(ख) देखें	590	743
छ) फर्मों से आय	88	98
ज) योग्यता पत्र पाठ्यक्रम	367	291
झ) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	919	737
ञ) कैंपस साक्षात्कार आय	962	1,560
ट) संगोष्ठी आय :		
i) सदस्य	5,920	6,805
ii) छात्र	697	503
ठ) विशेषज्ञ सलाहकार	72	58
ड) अनुशासनात्मक मामले फाइल करने के लिए शुल्क	44	79
योग	84,207	81,795

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 21 : प्रकाशन और अन्य मदों की बिक्री	2023-24	2022-23
1. प्रकाशन	2,302	811
i) माल	8	3
ii) जर्नल :-		
(क) सदस्य	3	2
(ख) छात्र	10	19
iii) रद्दी वस्तुएँ	70	99
योग	2,393	934

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 22 : निर्बंधित निधियां	2023-24	2022-23
i) पदक और पुरस्कार निधि पर ब्याज	22	21
ii) छात्र छात्रवृत्ति निधि पर ब्याज	17	15
योग	39	36

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 23 : अन्य आय	2023-24	2022-23
i) बैंक निक्षेप पर ब्याज	3,575	2,332
ii) निवेश पर ब्याज	5,732	6,942
iii) अभिहित निधियों पर ब्याज :-		
क) अनुसंधान निधि	266	253
ख) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	95	90
ग) शिक्षा निधि	4,655	4,116
घ) छात्र कौशल संवर्धन बोर्ड (बीओएस छात्रवृत्ति)	860	800
ङ) आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि	2,747	2,496
च) कर्मचारी कल्याण निधि	120	108
छ) अन्य अभिहित निधियां	93	93
iv) कर्मचारी ऋण पर ब्याज	97	88
v) निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ	-	-
vi) विज्ञापन आय	230	141
vii) निर्वाचन आय	-	1
viii) आयकर प्रतिदाय पर ब्याज	72	261
ix) नियत आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-	528
x) प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	397	4,342
xi) पूर्व अवधि शुद्ध आय	213	87
xii) प्रकीर्ण आय	345	458
योग	19,497	23,136

टिप्पण # 24 : प्रकाशन की लागत	2023-24	2022-23
(अ) स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	7,362	4,055
(आ) स्टॉक-इन ट्रेड की वस्तु-सूची में परिवर्तन		
i) वर्ष के आरंभ में वस्तु-सूची	746	751

ii) वर्ष के अंत में वस्तु-सूची	1,238	746
स्टॉक-इन-ट्रेड की माल-सूची में (वृद्धि)/कमी (इ = I - II)	(492)	5
योग (अ + आ)	6,870	4,060

टिप्पण # 25 : कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	2023-24	2022-23
क) वेतन, मजदूरी, बोनस और अन्य भत्ते	13,231	14,046
ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	912	1,225
ग) उपदान संबंधी व्यय	207	216
घ) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	205	181
योग	14,555	15,668

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 26 : अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	2023-24	2022-23
(क) मूर्त आस्तियों पर (नोट 10 देखें)	3,203	3,064
(ख) अमूर्त आस्तियों पर (नोट 11 देखें)	208	217
योग	3,411	3,281

टिप्पण # 27 : वित्त लागत	2023-24	2022-23
क) विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि (शुद्ध)	15	41
योग	15	41

टिप्पण # 28 : निर्बंधित निधियां	2023-24	2022-23
1. पदक और पुरस्कार निधि के लिए संदाय	15	18
2. छात्र छात्रवृत्ति निधि के लिए संदाय	8	2
योग	23	20

(रुपए लाख में)

(टिप्पण # 29 : अन्य व्यय	2023-24	2022-23
1. संगोष्ठी व्यय		
i) सदस्य	7,628	8,035

ii) छात्र	2,546	1,971
2. कक्षा प्रशिक्षण व्यय :		
i) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	2,371	1,904
ii) साधारण प्रबंधन और संचार कौशल	1,556	1,339
iii) अनुकूलन	1,425	1,477
3. पुनरीक्षण कक्षाओं संबंधी व्यय	765	705
4. बैठक व्यय	3,068	2,329
5. कार्यालय व्यय	1,566	1,119
6. शक्ति और ईंधन	1,307	1,264
7. मरम्मत और रखरखाव	2,392	2,005
8. बीमा	172	93
9. किराया, दर और कर	6,598	5,668
10. यात्रा और वाहन	479	445
11. विदेशी व्यय :		
i) सदस्यता फीस	857	775
ii) यात्रा	436	203
iii) अन्य	390	168
12. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक :		
i) प्रधान कार्यालय	18	16
ii) अन्य कार्यालय	90	78
13. मुद्रण और लेखन सामग्री	3,318	3,406
14. संचार व्यय	3,794	2,895
15. इंटरनेट और वेब रखरखाव शुल्क	2,802	2,381
16. विधिक और वृत्तिक शुल्क	8,941	8,318
17. जनशक्ति और अन्य सेवाएं	6,085	3,344
18. विज्ञापन	790	559
19. बैंक कमीशन	289	272
20. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	45	9
21. संदिग्ध ऋणों और अग्रिम के लिए प्रावधान	368	634
22. उद्दिष्ट निधियों को संदाय		
क) छात्र कौशल संवर्धन बोर्ड (बीओएस छात्रवृत्ति)	560	491
ख) कर्मचारी कल्याण निधि	1	5
23. योग्यता छात्रवृत्ति	9	196

24. निर्वाचन व्यय	2	183
25. व्याज व्यय	17	9
26. जीएसटी व्यय	736	1,196
27. पत्रिकाएं और पत्र-पत्रिका	64	45
28. प्रकाशन के लिए अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान	10	274
29. सीएसबीएफ में अभिदाय [नोट 2.12 (एफ) देखें]	255	201
30. अन्य संस्थाओं के व्यय	206	215
योग	61,956	54,227

लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

30. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण

30.01 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :

(लाख रुपए में)

क. आकस्मिक दायित्व

2023-24

2022-23

i) संस्थान के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है

1,844

987

ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में, संस्थान को अपर महानिदेशक, माल और सेवाकर सतर्कता से वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, संगोष्ठी फीस और कोचिंग कक्षा फीस आदि के संबंध में सेवाकर के संदाय के लिए 15,797 लाख रुपए की मांग संबंधी दो कारण बताओ सूचनाएं प्राप्त हुईं। संस्थान की यह राय है कि वह सेवाकर का दायी नहीं है और उसने अप्रैल, 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 3957/2019 फाइल की। अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, कोच्चि ने अक्टूबर, 2019 में पूर्वोक्त रिट याचिका में प्रति शपथपत्र फाइल किया था और उसके विरुद्ध संस्थान ने दिसंबर, 2019 में प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया था। कोविड 19 महामारी के कारण यह मामला न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगित हुआ और उसके पश्चात् जुलाई, 2022 में इसकी सुनवाई की गई, जिसके दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिए कि प्रत्यर्थी को चार सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र और उसके पश्चात् प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया जाना चाहिए तथा अगली सुनवाई 21 नवंबर, 2024 के लिए नियत की गई है।

ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं :

2023-24

2022-23

पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)

11,403

8,506

30.02 टिप्पण # 17 अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं।

अपील संख्या 38 और 39/2014 में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे ने अपने तारीख 3 जुलाई, 2023 के निर्णय द्वारा तारीख 3 अगस्त, 2012 के अनुपूरक विक्रय करार, जिसे तारीख 17 सितंबर, 2012 को रजिस्ट्रीकृत किया गया, पर स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के मद्दे 152.66 लाख रुपए और 46.75 लाख रुपए के पूर्ण प्रतिदाय का आदेश दिया है। तथापि, 44.34 लाख रुपए के दावे को भूमि में पट्टा-धृति अधिकारों के समनुदेशन के विरुद्ध हकदारी न होने के कारण नामंजूर कर दिया गया था।

2024 की रिट याचिका सं. 2987 (जिसके द्वारा 2014 की अपील सं. 39 को चुनौती दी गई थी) और 2024 की रिट याचिका सं. 2988 (जिसके द्वारा 2014 की अपील सं. 38 को चुनौती दी गई थी) को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया था।

वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र स्टाम्प नियम, 1939 के नियम 22क के अनुसार 10% कटौती करने के पश्चात् अपील सं. 39/2014 के प्रति 42.07 लाख रुपए का प्रतिदाय प्राप्त हुआ था, जिसे व्यय समाप्त कर दिया गया है।

- 30.03 वर्ष के दौरान, विभिन्न आरक्षित निधियों और उद्दिष्ट निधियों का और संबद्ध उद्दिष्ट निवेशों के ब्यौरेवार पुनर्विलोकन की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुनः संरचित करने के लिए उसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है।
- 30.04 शासकीय प्रतिभूतियों में कोट किए गए निवेशों को दीर्घकाल हेतु किया गया है। इन बंधपत्रों का बाजार मूल्य दैनिक आधार पर ऊपर-नीचे होता है और चूंकि संस्थान का आशय दीर्घकाल तक इन प्रतिभूतियों को धारण करने का है, इसलिए इन प्रतिभूतियों के मूल्य में इनकी लागत के प्रति अस्थायी कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंध मंडल को यह विश्वास है कि दीर्घकाल में इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य इनकी लागत से अधिक होगा।
- 30.05 आस्तियों और दायित्वों से संबंधित अंतःयूनिट लेखाओं की दशा में, असुमेलित अंतर का योग नामे में 456 लाख रुपए तथा जमा में 346 लाख रुपए है। 110 लाख रुपए के शुद्ध अंतर को अन्य प्राप्यों में सम्मिलित किया गया है। प्रबंध मंडल को यह विश्वास है कि सुमेलन किए जाने पर वित्त पर नगण्य प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- 30.06 अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं का समेकन नहीं किया जाता है।
- 30.07 अपात्र इनपुट कर प्रत्यय, छूट प्राप्त प्रदायों के कारण उदभूत इनपुट प्रत्यय को 'जीएसटी संबंधी व्ययों' शीर्ष के अधीन आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है।
- 30.08 किसी इकाई के लिए भूमि की पट्टा अवधि का अवसान हो गया है, जिसके नवीकरण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सुसंगत प्राधिकारियों से अभिपुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् नवीकरण पट्टा प्रीमियम शोध्य हो जाएगा।
- 30.09 संस्थान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसलिए चालू आय-कर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान करना अपेक्षित नहीं समझा गया है।
- 30.10 सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन से संबंधित प्रक्रिया, जिसे पूर्व में आरंभ किया गया था, के भागरूप में संस्थान को प्रधान कार्यालय स्थित कतिपय विक्रेताओं से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी प्रास्थिति को सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रेता के रूप में दर्शित किया गया है।
- शाखाओं और अन्य अवस्थानों पर विद्यमान विक्रेताओं के लिए, विक्रेताओं की पहचान आदि को स्थापित करने के लिए पहले ही उपाय आरंभ कर दिए गए हैं और प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् शीघ्र ही उनका अनुपालन किया जाएगा।
- 30.11 1 जुलाई, 2023 से दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा की नई नीति के मद्दे, सीए पाठ्यक्रम के संबद्ध स्तर में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से नियत छात्र के प्रथम प्रयास के आधार पर आय की मान्यता के लिए अवधि। उपरोक्त परिवर्तन के प्रभाव के परिणामस्वरूप चालू वर्ष की आय में 1843 लाख रुपए की कमी आई है और साथ ही अग्रिम में प्राप्त फीस में तत्समान वृद्धि हुई है।
- 30.12 विभिन्न निधियों को यथा अनुपात में विनियोग किया जाता है, उन्हें उपलब्ध अतिशेष तक निर्बंधित रखते हुए।
- 30.13 एसआईआरसी की तृतीकोरिन शाखा के क्षेत्र में बाढ़ के कारण दिसंबर, 2023 से पूर्व के सभी अभिलेख नष्ट हो गए हैं और अब केवल जनवरी, 2024 के पश्चात् के ही अभिलेख हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- 30.14 प्रबंध मंडल ने सचिव, आईसीएआई की, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 16(1)(क) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, एएस 18 के अधीन रिपोर्टिंग किए जाने हेतु मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पहचान की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उसे संदत्त सकल पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत पीएफ का अभिदाय भी है, 61.16 लाख रुपए है और इस संबंध में 31.03.2024 को कोई बकाया अतिशेष नहीं है।

31. कर्मचारी फायदे**परिभाषित अभिदाय योजनाएं**

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 912 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 913 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

31.01 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(लाख रुपए में)

वर्णन	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1. बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान				
क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता	4,346	4,250	4,480	4,003
ख. चालू सेवा लागत	507	464	449	429
ग. ब्याज लागत	306	292	284	257
घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(296)	(271)	(422)	180
ङ. संदत्त फायदे	(372)	(389)	(541)	(389)
च. वर्ष के अंत में बाध्यता	4,491	4,346	4,250	4,480
2. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,777	3,705	3,695	4,172
ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	276	266	255	268
ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	17	3	13	6
घ. संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय	417	224	140	49
ङ. संदत्त फायदे	(348)	(421)	(398)	(800)
च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,139	3,777	3,705	3,695
3. योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान				
क. बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4,491	4,346	4,250	4,480
ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,139	3,777	3,705	3,695
ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	(352)	(569)	(545)	(785)
4. वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
क. चालू सेवा लागत	507	464	449	429
ख. ब्याज लागत	306	292	284	257

	ग. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(276)	(266)	(255)	(268)
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(313)	(274)	(435)	174
	ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	224	216	43	592
5.	निवेशों के ब्यौरे	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क. अन्य - भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	100	100	100	100
6.	पूर्वानुमान				
	क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)	7.23%	7.36%	7.20%	6.75%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	7.36%	7.20%	7.16%	7.07%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	मूल/डीए : 10%	मूल/डीए : 10%	मूल/डीए 10%	मूल/डीए 10%
	घ. संनिघर्षण दर	2%	2%	2%	2%
	ङ. नश्वरता सूची	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा

31.02 सेवानिवृत्ति पञ्च पेंशन योजना के ब्यौरे

	वर्णन	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	10,405	17,196	15,529	14,840
	ख. ब्याज लागत	750	954	1,027	980
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	202	335	1,304	351
	घ. संदत्त फायदे	(563)	(8,080)	(664)	(642)
	ङ. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	10,794	10,405	17,196	15,529
2.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
	क. वर्ष के प्रारम्भ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	8,140	-	-	-
	ख. योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	556	72	-	-
	ग. बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	15,600	-	-
	घ. संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय	(563)	(7,532)	-	-
	ङ. संदत्त फायदे	41	-	-	-
	च. वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	8,174	8,140	-	-

3.	योजना आस्तियों और दायित्व के उचित मूल्य का समाधान				
	क. दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,794	10,405	17,196	15,529
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	8,174	8,140	-	-
	ग. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकम	(2,620)	(2,265)	(17,196)	(15,529)
4.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. ब्याज लागत	750	954	1,027	980
	ख. योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	(556)	(72)	-	-
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	202	335	1,304	351
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	396	1,217	2,331	1,331
5.	पूर्वानुमान				
	क. बढा दर (प्रतिवर्ष)	7.41%	7.26%	7.25%	6.75%
	ख. नश्वरता सूची	एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा	एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा	एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा	एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा

31.03 कर्मचारी फायदे (जारी..)

छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे

	वर्णन	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	6,356	6,071	5,638	5,535
	ख. चालू सेवा लागत	417	390	403	397
	ग. ब्याज लागत	459	426	369	366
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	199	(248)	10	(434)
	ङ संदत्त फायदे	(247)	(283)	(349)	(226)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	7,184	6,356	6,071	5,638
2.	योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	7,184	6,356	6,071	5,638
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	(7,184)	(6,356)	(6,071)	(5,638)
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. चालू सेवा लागत	417	390	403	397
	ख. ब्याज लागत	459	426	369	366
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	199	(248)	10	(434)
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	1,075	568	782	329

4. पूर्वानुमान				
क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)	7.36%	7.23%	7.20%	6.75%
ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल/डीए : 10%	मूल/डीए : 10%	मूल/डीए : 10%	मूल/डीए : 10%
ग. संनिघर्षण दर	2%	2%	2%	2%
घ. नश्वरता सूची	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा

32. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम

1 जून, 2018 को या उसके पश्चात् नियोजित सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

33. खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के विनियमन और विकास" तक सीमित हैं और यह मुख्यतः भारत में प्रचालन करता है। अतः, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस) - 17 खंड रिपोर्टिंग के अर्थात्गत एकल खंड के अधीन आते हैं।

34. इस वर्ष से, संस्थान ने गैर-लाभकारी संगठनो (एनपीओ) के लिए लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप का अनुसरण किया है। पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव अपर सचिव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा सचिव	सीए. चरणजोत सिंह नंदा उपाध्यक्ष	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में
कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003917N

कृते एस के मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001135N

ह./-
सीए. लोकेश कुमार गर्ग
सदस्यता सं. 413012
भागीदार
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 सितंबर, 2024

ह./-
सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 072290
भागीदार

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./531/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2024

F. No. 1-CA(5)/75/2024.—In pursuance of sub-Section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the audited accounts and the Report of Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year ended 31st March 2024 is hereby published for general information.

75th Annual Report

The Year 2023-24, is a milestone in the annals of the ICAI and the Indian Chartered Accountancy Profession, as the esteemed profession started celebrations for its 75 years of Legacy of Trust and Excellence that has profoundly influenced the nation's economic landscape. As ICAI Celebrates its past, it is equally focused on the future, poised to navigate the next 25 years with ambition and innovation, making it “The Golden Period of Profession”. As a profession and as largest accounting body the ICAI, shall work with commitment and renewed zeal to lead into the path of prosperity, harnessing the power of technological advancements like AI, Analytics and Automation, fostering an ecosystem for Green Economy promoting Sustainable Development, nurturing professionals of tomorrow with advanced skills for the digital economy as well as supporting development of accounting practices and frameworks strengthening governance holistically which elevates the development of society and nation.

As India progresses towards becoming a \$30 trillion economy, the nation is rapidly emerging as a global growth leader. ICAI is dedicated to supporting India's economic advancement, continuing its role as a guardian of public interest and a Partner in Nation Building. The Institute is globally acclaimed for its high standards in technical and ethical domains, as well as its rigorous education and examination processes. Chartered Accountants have played a crucial role in India's growth story, significantly contributing to the economy and being recognized by all community stakeholders. As we advance, the ICAI will continue to be a beacon of integrity, innovation, and professional excellence, contributing significantly to the rise of the Indian economy amidst global technological advancements.

During its sagacious, 75 years journey of Trust and Excellence, ICAI has played a transformative role in India's economic development, becoming synonymous with financial excellence and integrity. The Institute's commitment to high standards in technical and ethical education has empowered Chartered Accountants to be key drivers of economic progress. The profession has been instrumental in fostering a robust financial ecosystem and supporting India's growth trajectory. As the nation aspires to become a \$30 trillion economy, ICAI's future role will be pivotal. The Institute is poised to lead with innovation, uphold rigorous ethical standards and adapt to global economic trends, ensuring that Chartered Accountants continue to be indispensable to the nation's economic advancement and stability.

The Council of ICAI proudly presents its 75th Annual Report for the year ended 31st March 2024. Established on 1st July 1949 by an Act of Parliament with around 1,700 members, the Indian Chartered Accountancy profession has expanded to become the largest Global Accounting body in the World 4.0 lakhs members and more than 9 lakhs students, having its presence in 81 global cities across 47 Countries, during the last 75 years fuelled by values of Credence, Accountability, Reliability and Excellence in the service to the nation. This report highlights the significant activities of the Council and its Committees during the year 2023-2024, alongside the Institute's financial statements for the year ending 31st March 2024. The Council applauds the contributions of its members and students for maintaining the Chartered Accountancy profession's esteemed status through their pursuit of excellence, independence, integrity, ethical practices, innovation, sustainability, and technological advancement, which have collectively elevated the profession globally.

This annual report not only chronicles the past achievements but also lays out a roadmap for the future, highlighting the strategic initiatives that will guide as ICAI continues to build on its legacy of excellence. A brief summary of the important achievements during the years are given as under:

1. 75th CA Day Celebrations – Chief Guest Hon'ble President of India

On 1st July 2023, the momentous occasion of 75th Chartered Accountants' Day was celebrated with great enthusiasm and zeal across the Country and Globe. On the historic occasion a commemorative Logo and an ICAI Stamp signifying ICAI's 75 years journey of excellence was unveiled recognizing the remarkable contributions of Chartered Accountants in the economic development of the nation, exemplifying unwavering integrity, competence, and professionalism as Partner in Nation Building.

The esteemed presence and blessings of the ‘Chief Guest’ Hon'ble President of India Smt. Draupdi Murmu and Guest of Honour, Hon'ble Minister of State for Corporate Affairs, was the highlight of the event. During the celebration, the new Education and Training Scheme, aligned with the International Standards and National Education Policy 2020, was unveiled. The Hon'ble President of India lauded the collaborative and pivotal role being played by the Chartered Accountants as “Pillars of economic Governance”. She acknowledged CAs dedication and hard work, and further

added, "The journey to becoming a CA is a testament to the dedication and hard work of our exceptional professionals. It further fills me with delight to witness the rising percentage of women pursuing the CA profession".

2. Global Professional Accountants Convention (GloPAC) – 2023

Referring to the GST as the "Tryst with Modernity", the Hon'ble Vice-President of India Shri Jagdeep Dhankar remarked at the Global Professional Accountants Convention (GloPAC) organized by the ICAI at Gandhinagar, Gujarat that it stands as the largest tax reform since independence, completely transforming the country's Indirect taxation landscape. He also praised the Chartered Accountants fraternity for their role in shaping Goods and Services Tax into the user-friendly 'Good and Simple Tax.'

3. Supporting the Government in GST capacity building initiatives

ICAI with its requisite expertise and knowledge has been working closely with the State Governments and its various constituents to support their capacity building initiatives. In this direction, the Institute conducted programmes in 7 states relating to GST during the year and more than 2000 government officers were trained in such programmes. Further, MoUs were signed with state governments of Goa and Jammu & Kashmir to facilitate imparting training on GST to officers of these Departments through capacity building programmes on a regular basis as also to extend technical co-operation in research, assistance in policy making, consulting etc.

4. MoU with State Governments

(i) The Institute, through its GST & Indirect Taxes Committee, has entered into Memorandum of Understanding (MoU) with Department of State Taxes, Goa and State Taxes Department, Jammu & Kashmir to facilitate imparting training on GST to officers of these Departments through capacity building programmes on a regular basis as also to extend technical co-operation in research, assistance in policy making, consulting etc. The MoU with Goa was signed and exchanged in the presence of Hon'ble Chief Minister of Goa, and Hon'ble Minister of Goa. The MoU with Jammu & Kashmir was signed and exchanged in the presence of Hon'ble Lieutenant Governor, J&K, and senior officials from the Government of J&K.

(ii) Further, the Institute collaborated with the State Taxes Department of J&K Government, in organising Tax Awareness initiative - KARTAVYA (Kar Yogdaan, Rashtra Nirmaan), GST symposium for industries, traders' association & other stakeholders on March 1, 2023 to further stimulate the rate of compliance and productive capacity in the state. On the occasion, the Chief Guest Shri Manoj Sinha Hon'ble Lieutenant Governor, J&K applauded the role of ICAI in nation building.

(iii) Strengthening Governance at grass root level, ICAI joined hands with various State govt./ ULBs to provide training to officials in vernacular language on latest accounting tools and practices including accrual accounting namely Urban Development Directorate, Uttarakhand, Directorate of Municipal Administration, Maharashtra and Nagaland and Commissioner of Treasuries and Accounts, Govt. of Tamil Nadu.

5. Agreement with Finance Department, Government of Uttarakhand

In another heartening development, ICAI through, Committee on Public and Government Financial Management (CPGFM) has entered into an agreement with the Project Management Unit - Uttarakhand Project Management Strengthening (PMU - UKPFMS) working under the aegis of the Finance Department, Government of Uttarakhand to impart training to newly recruited and existing account staff of Urban Local Bodies of Uttarakhand on Accrual Based Double Entry Accounting System and Uttarakhand Municipal Accounting Manual (UMAM), 2021 jointly with Urban Development Directorate (UDD). The agreement was exchanged in the presence of Hon'ble Minister, Urban Development & Finance, Government of Uttarakhand, Director, Urban Development Directorate, Government of Uttarakhand and other senior officials from UDD, UKPFMS & ICAI.

6. ICAI Partners Commissionerate of Rural Development, Gujarat

With rural development being an important part of nation's growth and prosperity, it is imperative that accounting professionals in these areas are equipped with latest tools and practices. ICAI through its Committee on Public and Government Financial Management (CPGFM) in partnership with Commissionerate of Rural Development, Gujarat has started a comprehensive training programme series on the 'Effective Implementation of Accounting Guidelines of Various Rural Development Schemes'. This two-days training programme was specifically designed for the accounting staff working within Rural Development Agencies in Gujarat and about 700 accounting officers in Gujarat will be benefitted from it.

7. MOU with GIFT City

(i) ICAI has entered MoUs with the GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City Ltd.) and IFSCA (International Financial Services Centres Authority), to promote financial excellence and enhance professional skill sets related to International Financial Services Centre (IFSC) business and regulations. Further, with a view to promote the Indian economy globally and the export of accountancy services from India, ICAI conducted the Ambassadors Meet and Trade Officers Conclave, as well as MoUs were renewed with Invest India and the Export

Promotion Council for EOU & SEZ (EPCES) aimed to encourage sustainable economic growth and promote India as an investment friendly destination.

Services namely Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services notified as financial services under the IFSCA Act. This notification came after the ICAI proposed the above amendment. This notification would bring enormous opportunities to professionals to provide services in the IFSC.

(ii) ICAI representatives visited Australia as a part of high-level delegation from the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) from August 28 to September 1, 2023, with an aim to promote International Financial Services Centres (IFSCs), export of services including accounting and finance and to attract overseas investors. The delegation engaged in roundtable discussions with banks, insurance companies, and capital market institutions in Sydney and Melbourne on August 28, & August 31, 2023 respectively, to explore opportunities for investments in IFSCs.

(iii) An interactive meeting convened at IFSCA GIFT City on 12th May, 2023 of Hon'ble Prime Minister with the stakeholders and market participants to collaborate and work together in developing GIFT City as Global Financial Hub. During the meeting, the ICAI assured its support and made various suggestions on promoting export of services and establishing India as a preferred destination globally for Accounting and Financial services. Also about the role ICAI has been playing in the areas of strengthening MSME ecosystem, Financial and Tax Literacy, training of GST Officials in states etc.

8. Indian Railways in migration from cash basis to Accrual basis system of accounting

The ICAI ARF is assisting Indian Railways in migration from cash basis to Accrual basis system of accounting. The Accrual Based Financial Statements of Indian Railways for the financial year 2021-22 was handed over to IRAS, Chief Administrative officer/ Accounting Reforms, Northern Railways, at an event organized on June 5, 2024 in the presence of President, ICAI/Chairman, ICAI-ARF, Vice-President, ICAI/Vice-Chairman, ICAI-ARF, Project Mentor and few Council Members, ICAI. IRAS, Chief Administrative officer sought assistance of the ICAI ARF on how Green Initiatives of Indian Railways - Identification of Green Assets & its disclosure and the carbon emissions done by Indian Railways through several initiatives like usage of solar power plant, waste-water treatment, etc. can be financially shown in the Financial Statements to enhance the utility of accrual based financial statements. The President, ICAI/Chairman, ICAI-ARF apprised the initiatives being undertaken by ICAI in this direction through its Sustainability Reporting Standards Board and assured that ICAI and ICAI ARF shall provided necessary assistance in this regard.

9. CA. Run for Viksit Bharat

The Institute is the world's largest accountancy body, commemorated its 75 years of service to the nation with the grand 'CA Run for Viksit Bharat' on 30th June, 2024. This event underscored ICAI's commitment to Prime Minister Narendra Modi's vision of transforming India into a developed nation by 2047. Participants, including members and students from across the globe, began the run at 6:00 AM from 5 Regional Councils, 176 Branches, and various foreign chapters. In New Delhi, the run commenced from ICAI Headquarters and concluded at Major Dhyan Chand National Stadium. The event was graced by the presence of Hon'ble Minister of State of Corporate Affairs, who praised ICAI's contributions to the nation's financial standards and robust reporting ecosystem.

10. Financial and Tax Literacy Drive

For the promotion of the Government of India's national mission on Vitiya Saksharta, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is running a Financial and Tax Literacy Drive "Vitiya Gyan-ICAI Ka Abhiyaan" to propagate and promote financial and tax literacy- nationwide amongst various strata of the public including Housewives, Senior Citizens, Students, Salaried /Retired Persons, Start-ups/ Businessmen & Entrepreneurs, Law Enforcement Personnel, Defence People, Teachers & Academicians, Farmers & Rural Households, Professionals such as lawyers, doctors, engineers etc. Financial & Tax Literacy Drive "Vitiya Gyan – ICAI Ka Abhiyaan" is the biggest national drive by ICAI as a partner in nation-building. \

This extensive initiative aims to equip individuals with essential financial knowledge, enabling them to make informed decisions and contribute to the economic development of India. Through workshops, seminars, and educational resources, ICAI's campaign reaches diverse sections of society, fostering a culture of financial awareness and responsibility. By empowering citizens with financial acumen, ICAI continues to strengthen its commitment to creating a financially literate and economically robust nation. The initiative underscores ICAI's commitment to fostering a financially literate and responsible society.

11. MoU with FICCI Ladies Organisation (FLO)

The ICAI through its Group for Promoting Financial & Tax Literacy has renewed its collaboration with the FLO for the second consecutive year. Both the organisations shall be working together to create financial & tax literacy awareness amongst the women by way of knowledge dissemination and skill development to empower them and achieve the goal of financial inclusion in true essence.

12. Agreements with various Accounting bodies

After due approval from the Union Cabinet, ICAI also into MoU with the Institute of Chartered Accountants of Maldives (CA Maldives) on 20th August 2023, during the SAFA IFRS and ISAs Forum 2023 hosted by CA Maldives. These MoUs aim to establish a platform for mutual co-operation, aiming at the advancement of Accounting Knowledge, Professional and Intellectual Development, and the progress of their respective members. ICAI also renewed its qualification reciprocity agreement with the Institute of Chartered Accountants in England & Wales on April 24, 2023 in London. The renewal of this MoU would continue to enable appropriately qualified members of either institute to join the other institute by receiving appropriate credit for their existing accountancy qualification and bring a lot of professional opportunities for Indian CAs in UK.

13. Recognition of ICAI member as Associate member of Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)

ISCA, Singapore has recognized ICAI qualification as one of the professional qualifications for taking associate membership of ISCA, another testimony of increasing brand equity of the profession globally. The recognition will be beneficial for all those members who are residing in Singapore and have six months of local work experience in Singapore.

14. Strengthening India's entrepreneurial landscape – MSME & Startup Initiatives

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), through Committee on MSME and Startups has been intensely committed to fostering India's entrepreneurial ecosystem, particularly through initiatives focusing on startups and Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs).

(a) As part of our commitment to extend assistance to MSMEs, ICAI, has forged meaningful partnerships by entering Memorandums of Understanding (MOUs) with the Governments of Odisha, Chhattisgarh, and Kerala. In line with these collaborations, dedicated help desks were established at ICAI branches in these states. These help desks serve as vital resources, offering guidance and support to MSMEs, aiding in their understanding of the array of available schemes and benefits, including facilitation for registration processes.

(b) Another significant move involves signing Memorandums of Understanding (MoUs) with AIC-Mahamana Foundation for Innovation and Entrepreneurship IM BHU, Varanasi, and AIC-Nalanda Institute of Technology Foundation, Bhubaneswar, Odisha. These agreements aimed to bolster Startup Capacity Building through the ICAI Startup Gateway. The objective was to establish these institutions as core hubs for startup stakeholders, nurturing a comprehensive innovation and entrepreneurial ecosystem and facilitating the journey from ideation to market realization. These partnerships strongly aligned with the government of India's vision for entrepreneurship development, innovation culture, and the integration of the startup ecosystem.

(c) Alongside these collaborations, ICAI actively engaged in realm awareness about government schemes targeting the strengthening of Indian MSMEs. Notably, the MSME Yatra initiative achieved recognition in the Asia Book of Records. This accolade was a result of nationwide campaigns - 'ICAI MSME SETU' and 'ICAI MSME YATRA' - conducted in 75 cities across 22 states within 75 days. These campaigns aimed to promote entrepreneurship, stimulate job creation, and contribute to overall economic development. ICAI's steadfast commitment to empowering MSMEs and the startup sector remained a cornerstone of their efforts towards economic growth.

(d) To further reinforce this commitment, ICAI this year introduced two significant initiatives: the *ICAI MSME Connect Program* involving *MSME Sahayog* and *MSME Niryat* program and the ICAI Startup Yatra. The former, conducted from October 20, 2023, to February 10, 2024, aimed to support members advising Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) in international trade and export promotion. These program aims at providing support across various aspects including skills enhancement, quality improvement, market access, finance availability, and technology know-how. Simultaneously, the *ICAI Startup Yatra*, operating from October 20, 2023, to February 10, 2024, had the goal of building capacity and fostering enabling ecosystems for startups across 140 cities. The initiative included programs like the *ICAI Startup Manthan* and *ICAI Startup Samvad*, focusing on fostering innovation, facilitating registrations, and enhancing capacity for startups. These endeavors aimed to bridge the gap between tier I and tier II city ecosystems, nurturing an inclusive and thriving entrepreneurial culture across the nation.

(e) Moreover, the Institute organised the *StartUp Sphere 2023* event in Mumbai from 27-28 June, 2023, aimed to bring together the startup community, investors, and entrepreneurs. The event attracted 7,000 attendees from across the country and featured over 120 industry specialists who shared their knowledge and insights. Hon'ble Former President of India gave special address at the event and the same was inaugurated by the Minister of Industries, Government of Maharashtra. The success of the event not only benefited the participants but also augmented the entrepreneurial ecosystem in the country.

(f) An Interactive Ambassadors' meet was organized to promote inbound and outbound investment, make India investment friendly destination, collaborate with International accounting bodies for strengthening global financial

ecosystem, promote accounting profession globally in alignment with the Government's vision to boost services export potential. The event was graced by Hon'ble Minister of State for External Affairs and was attended by delegates from more than 25 embassies. During the event, the MoU (extension) was signed with Invest India in continuation to the earlier MoU entered on 4th February, 2019 aimed to promote sustainable economic growth and investments in India, collaborate and promote India as an investment friendly destination. On the occasion, ICAI got inducted into Asia Book of Records for its ICAI MSME Yatra and MSME SETU initiatives which were earlier made to India Book of Records.

15. Stakeholders Consultation Meetings on MCA 21 V3

MCA21 V3 marks a transformative shift in digital corporate governance, promoting efficient compliance and transparent access to corporate information. ICAI through its Corporate Laws & Corporate Governance Committee played a crucial role in supporting the initiative by organizing Stakeholders' consultation meetings in various cities like Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Guwahati, Ahmedabad, and Mumbai. These meetings facilitated open dialogue, allowing stakeholders to address challenges and find solutions for the seamless implementation of MCA 21 V3. The Ministry expressed deep appreciation for ICAI's valuable assistance in this significant government initiative.

16. Pravasi Bhartiya Divas and Global Investors Summit

The ICAI as partner in Nation's development joined hands with Madhya Pradesh Government and participated in the Pravasi Bhartiya Divas and Global Investors Summit in Indore from 8-12 January, 2023. The ICAI Pavilion provided instant expert advice to the NRIs and delegates. The ICAI showcased robots and AI/VR enabled applications which were a major attraction. The Institute curated a session on "Access Madhya Pradesh - Complete Business Solution" in the Global Investors Summit where renowned experts shared their knowledge about ease of doing business, compliances, infrastructure, accountancy & taxation to promote investment and growth of the state of Madhya Pradesh. The Hon'ble Finance Minister of Madhya Pradesh graced the session.

17. Capacity Building Initiatives for ICLS Officials

The ICAI is being recognised for its knowledge prowess and it is matter of pride that the Institute, as per the request of ICLS Academy, provided training to the Indian Corporate Law Service (ICLS) officials wherein knowledge has been imparted about the functioning of the institute, standard setting boards and also about disciplinary process.

All these developments reflect the continuous trust and faith bestowed by the government and its constituents in the contribution being made by the ICAI and further strengthen our position as 'Partner in Nation Building' and 'Pillars of Economic Development'.

18. Certificate Course for Accountants of Panchayats and the Certificate Course for Accountants of Municipal Bodies

ICAI, in collaboration with the Comptroller & Auditor General of India, launched two online courses: the Certificate Course for Accountants of Panchayats and the Certificate Course for Accountants of Municipal Bodies. These initiatives aim to strengthen local governance and accounting, impacting 2.66 lakh Panchayats and municipal bodies by promoting financial discipline and creating local jobs in process. Enhanced accounting and reporting practices will foster rural inclusivity, aid in achieving SDGs, and improve the quality of life and societal development in urban and rural areas.

19. Training for officials from National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania

Under the aegis of the MoU between ICAI & National Board of Accountants and Auditors (NBAA) to establish mutual co-operation framework in the areas of mutual interest; ICAI conducted a 5-day training commencing February 20, 2023 for the four-member delegation from NBAA on areas such as Examination system, functioning of Members and Students Directorate, UDIN & Digital Learning Hub, Career Counselling for students, CPE, Sustainability and Ethics. The training was highly appreciated by the delegates.

20. Trade Officers Round Table Conclave

Chartered Accountants plays a pivotal role in boosting global trade in services and ICAI partners with the government to enhance international recognition of Indian accountants. The ICAI undertakes various initiatives to promote export of goods and services aligned with the nation's economic policies. In this context, a Trade Officers' Roundtable Conclave was held in New Delhi on October 25, 2023, which witnessed the participation of 35 trade officials from various embassies along with representatives from Export Promotion Councils and Overseas Chamber of Commerce. The ICAI's role in facilitating global trade, bilateral trade enhancement, investment promotion, and capacity-building for accounting professionals was highlighted along with exchange of MoU (renewal) with Export Promotion Council for EOUs and SEZs.

21. Supporting Women Entrepreneurship – Statement of Intent (SOI) with NITI Aayog

The Institute continuing its support to Women Entrepreneurship in the country has signed a Statement of Intent (SOI) with NITI Aayog, through its Professional Development Committee (PDC) on 3rd October, 2023 in Goa in the

presence of Hon'ble Chief Minister of Goa, CEO, NITI Aayog and Senior Advisor, NITI Aayog. Under the said arrangement, the ICAI shall provide its professional expertise through a panel of experts to the women entrepreneurs registered with the Women Entrepreneurship Platform (WEP) of the NITI Aayog, as well as its infrastructure and resources across the country for creating awareness about WEP.

22. Export of Accountancy Services - Training of Civil Servants

With export of accountancy services identified as one of the Champion services by the Government of India, a workshop in association with Ministry of Commerce & Industry, was organised at ICAI Headquarters for the newly recruited IAS officers in the Ministry to acquaint them about the Accountancy Service Sector and related Challenges and Opportunities. Our profession being a 'pillar of economic development' is committed to support India's rise as a self-reliant global economy.

23. ICAI as a Prime partner for B20

Taking forward India's economic growth story, the ICAI has become a prime partner with B20 dialogue. The partnership of ICAI with B20 as a Prime Partner reflects our commitment to support the Government in making India a *Vishwaguru*. Today the global economy requires transparent, robust accounting standards and practices for sustainable development to provide for a better future. Business 20 (B20) is the official G20 dialogue forum with the global business community. Established in 2010, B20 is among the most prominent engagement Groups in G20, with companies and business organizations as participants. The B20 leads the process of galvanizing global business leaders for their views on global economic and trade governance issues and speaks in a single voice for the entire G20 business community. Under the partnership, the ICAI activity participated in programmes.

24. Shaping Education Landscape

(i) **National Education Summit on Commerce & Accountancy 2024:** The Institute organised a National Education Summit on Commerce & Accountancy (NESCA) on January 22nd and 23rd, 2024, in New Delhi under the aegis of the Board of Studies (Academic), with an aim to synergize University Education with Professional Accountancy Education through an inclusive approach. The event was inaugurated by Hon'ble Vice Chairman, University Grant Commission, as the Chief Guest. The Summit drew participation from Vice Chancellors, Directors, Deans, Principals, HODs and professors from various commerce colleges and universities from over 20 States in India.

(ii) **MoU between ICAI & Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS):** The ICAI has entered into a MoU with Navodaya Vidyalaya Samiti on 4th January 2024, to promote Commerce Education with special focus on the CA course amongst the students of Jawahar Navodaya Vidyalaya across the country.

(iii) **Nurturing Talent - MoU entered with Educational Institutions:** Being in the forefront of Commerce & Accountancy education, it has been the constant endeavor of Board of Studies (Academic) of ICAI to work towards enhancing the quality of Commerce & Accountancy education in India by collaborating with various educational institutions. Continuing in this direction, the ICAI through BoS (Academic) has entered into 56 MoUs with educational institutions from all over the country this year. These MoUs aspire to provide a holistic learning experience to the Commerce & Accountancy students in the country. ICAI has also renewed the Memorandum of Understanding (MoU) with Indira Gandhi National Open University (IGNOU) and under this renewed MoU, ICAI students will be eligible for credit transfer for courses they have completed through ICAI, up to 50% of the total credits of the IGNOU programme. Credit transfers will be facilitated on a course-to-course basis for Foundation, Intermediate and Final level courses.

25. Reshaping Examination System for the Future of Accountancy Profession

In line with global best practices and to better serve our students, starting this year, the Intermediate & Foundation course examinations will be conducted thrice annually, offering students more opportunities to excel. Exams will now take place in January, May/June, and September, as opposed to the previous schedule of twice a year. Meanwhile, the CA Final exam will continue to follow the traditional biannual format. This decision aims to reduce waiting times and provide ample chances for students to showcase their skills as also pursue their dreams. The institute is committed to supporting the aspirations of our students and look forward to their continued success.

26. ICAI Global footprints

During the Period under report, broadening global horizon 2 new Representative offices namely Netherlands (Rotterdam) and USA (Kansas) were opened. ICAI inaugurated six chapters namely USA (Arizona), USA (Seattle), Australia (Adelaide), USA (Philadelphia), USA (Michigan), and Egypt (Cairo), bringing the global footprint to 51 Chapters and 30 Representative offices in 81 cities across 47 countries.

27. Expanding ICAI Network

ICAI further strengthened and expanded its network in the country with the formation of new branches namely Satna (MP), Gandhinagar (Gujarat), Rajsamand (Rajasthan), Mandi Gobindgarh (Punjab), Mandasaur (Madhya Pradesh),

Darbhanga (Bihar), Neemuch (Rajasthan), Muzaffarpur(Bihar), Bhagalpur (Bihar), Tonk (Rajasthan) & Raigarh (Chhattisgarh). With these new branches, ICAI national network will have 176 branches. These branches are pivotal at the local level to promote accountancy and support society and institutions in their growth and development as well as work towards the betterment of services to members and students at local level.

28. Launch of CA India Logo

Epitomizing the Institute's dedication to India First approach and commitment to serve the Indian economy in public interest, the ICAI launched New CA India Logo. Each element of the new CA India logo tells a story of its profession's dedication to excellence, transparency and accountability during the Global Professional Accountant's Convention, 2023 held in November, 2023 in the august presence of Hon'ble Vice President of India.

29. AI in ICAI

To ride the AI & technology wave and revolution, the Institute has constituted the Committee AI in ICAI, with a vision to make the members and students competent in leveraging AI as a tool and contribute meaningfully to the growth story.

30. Aggregation of Firms

To support the vision of Viksit Bharat and develop India into a Global Hub for Accounting and Financial services, the ICAI has form the Committee for Aggregation of Firms with a vision to build global and large accounting Firms from India to serve global markets. ICAI is working to take constructive measures in building large Indian accounting Firms and provide all possible support in terms of resources and policy measures

31. Forensic Accounting and Investigation Standards

With the Dawn of Digital age and technological advancements, ICAI is leading the movement by being the first Accounting body to develop Forensic Accounting and Investigation Standards globally and making them mandatory since 1st July, 2023.

32. Sustainability Reporting Standards

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), through its Sustainability Reporting Standards Board (SRSB), has made significant strides in integrating sustainability reporting into its mission, creating opportunities for Chartered Accountants while upskilling and training its members via workshops, seminars, certificate courses, and technical literature on key sustainability topics. The SRSB also successfully organized the 3rd ICAI Sustainability Reporting Awards, honoring 19 companies for their leadership in Business Responsibility & Sustainability Reporting. Additionally, ICAI, through the SRSB and Public Relations Committee (PRC), launched the ICAI#75 Green Mahotsav initiative, celebrating ICAI's 75th anniversary by planting 100,000 trees across India as part of the national India Van Mahotsav and 'Ek Ped Ma Ke Naam' campaign, with 10,500 trees already planted by branches and 2400 by individual members, demonstrating its dedication to environmental stewardship and sustainability.

33. Implementation of eOffice Platform

ICAI Advances into Digital Era with e-Office: Embracing the digital age to improve our operational efficiency and service delivery, on 5th April, 2024, the e-Office platform, developed in collaboration with the National Informatics Centre and implemented by RailTel was launched. The e-Office initiative is aimed at enhancing productivity, ensuring transparency, and reducing the environmental impact of our operations. By moving to paperless transactions and enabling remote work capabilities, ICAI is not only optimizing its processes but also supporting sustainability.

34. Awards and Recognition

(i) **ICAI receives Prestigious UNCTAD ISAR Honours Award at World Investment Forum:** The ICAI's initiative "*Sustainability Reporting Standards Board (SRSB)*" received an Award in UNCTAD ISAR Honours Ceremony at the World Investment Forum on 17th October 2023 at Abu Dhabi. ICAI received the highest score in this year's session of ISAR HONOURS among 70 initiatives from all over the world.

(ii) **ICAI creates Guinness World Records - Igniting the Aspirations of Future Finance Leaders:** The Institute has etched its impression by setting the Guinness World Record for conducting the '*Largest Accounting Lesson*' ever held at a single location in the world. ICAI achieved this incredible milestone during the mega event 'Career in Accounting & Finance for Youth (CAFY) and Super Mega Career Counseling Programme- Bhavishya ki Raah' organized by Committee on Career Counselling of ICAI on 8th September, 2023 at JECC, Jaipur. The event witnessed the gathering of more than 5000 comprising students, teachers, principals & others participating in the event and left an indelible mark on the enthusiastic young minds of India.

(iii) **ICAI enters in Asia Book of Records for Maximum Number of Students Participation in Super Mega Career Counselling Programme:** ICAI was inducted in Asia Book of Records for this feat and the jury of Asia Book of Records felicitated the Institute on 18th January, 2023 for setting the record for 'Maximum Number of Students Participation in Super Mega Career Counselling Programme'. The First Drive of Programme was organized

on October 31, 2022 and the Second Drive was held on November 26, 2022. A total of 1,60,648 students of classes IX till Graduation participated in the programme along with the Principals, Teachers and Career Counsellors. The programmes were conducted by 5 Regional Councils and 124 Branches. The Institute is the first organisation in Asia to set a record for counselling maximum number of students in one go.

(iv) ICAI Conferred with Green Ribbon Champions Award: ICAI has been at the forefront for leading the ESG drive in India with its pioneering initiatives like bringing out Social Audit Framework & Social Audit Standards, Standard on Assurance Engagements (SAE) 3410 - “Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements”, coming out with Sustainability Reporting Maturity Model (SRMM) Version 2.0, ICAI Sustainability Reporting Awards, and Certificate Course on BRSR, etc.

ICAI has been conferred with the Green Ribbon Champions Award by Network 18 for its commitment to Sustainable Accounting, Leadership role and commitment towards sustainability and inspiring work in making the world a greener place, in Delhi. The Award was presented by Secretary, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India.

35. Other achievements

(i) ICAI RVO has received approval from IBBI to provide certification for the other two asset classes, namely Land & Building and Plant & Machinery in addition to Securities and Financial Assets creating further professional opportunities for members.

(ii) As part of ICAI’s 75th year celebrations, ICAI organized 100 Income Tax Clinics with the publication support of Income tax Department to encourage tax compliance. The Tax Clinics not only assisted taxpayers in understanding intricacies of law but also raised awareness among the public regarding the importance of filing income tax returns and increase tax-payer’s base of the Country.

(iii) ICAI introduced the concept of Unique Document Identification Number (UDIN), a universal verification mechanism for ascertaining the authenticity of the documents signed by Chartered Accountants to create an environment of trust, transparency, and accountability necessary for obtaining long-term investment, financial stability, and sustainable growth. ICAI made it mandatory for various certificates and audits with effect from various dates in 2019. Till date over 6.6 crore UDINs have been generated, aiding in public trust and can support in economic analysis across districts for focused policy formulation.

(iv) The Board of Studies of ICAI has launched ICAI Digital Learning Campus Portal on 7th May, 2024 which now features Self-Paced Online Modules (SPOM). This initiative represents a significant leap forward in enhancing the learning experience of students, providing flexibility and enriched content aligned with the New Scheme of Education and Training.

Index to the Report

S. No.	Particulars
1.	The Council
2.	Committees of the Council
3.	Auditors
4.	Standing Committees
4.1	Executive Committee
4.2	Finance Committee
4.3	Examination Committee
5.	Disciplinary Directorate
6.	Technical and Professional Development
6.1	Accounting Standards Board
6.2	Auditing and Assurance Standards Board
6.3	Committee for Members in Practice
6.4	Continuing Professional Education Committee
6.5	Corporate Laws and Corporate Governance Committee
6.6	Direct Taxes Committee

6.7	Committee on Economic, Commercial Laws and Economic Advisory & NPO Cooperative
6.8	Digital Accounting and Assurance Board
6.9	Ethical Standards Board
6.10	Expert Advisory Committee
6.11	Financial Reporting Review Board
6.12	GST and Indirect Taxes Committee
6.13	Board of Internal Audit and Management Accounting
6.14	Committee for Members in Industry and Business
6.15	Peer Review Board
6.16	Professional Development Committee
6.17	Committee on Public and Government Financial Management
6.18	Public Relations Committee
6.19	Research Committee
6.20	Sustainability Reporting Standards Board
6.21	Committee on Financial Markets and Investors' Protection
6.22	Audit Committee
6.23	Digital Re-Engineering and Transformation Directorate
6.24	Management Committee
6.25	Insolvency & Valuation Standards Board
6.26	Taxation Audits Quality Review Board
6.27	AI in ICAI
6.28	Women Members Excellence Committee
6.29	Committee on MSME & Start-up
6.30	Committee for Aggregation of CA Firms
6.31	Professional's Skill Enrichment Committee
7.	Development of International Trade, Services and WTO Directorate (Under International Affairs Committee)
8	Activities by Other Non Standing Committees
8.1	Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services
8.2	Legal Directorate
8.3	Infrastructure Development Committee
8.4	International Affairs Committee
8.5	Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee
8.6	UDIN Directorate
8.7	Publication & CDS Directorate
8.8	Centre for Audit Quality Directorate
8.9	Centre of Excellence Directorate
8.10	Estate Development Directorate (under Infrastructure Development Committee)
8.11	Tender Monitoring Directorate
8.12	Human Resources Directorate

8.13	Grievance Resolution Directorate
8.14	Specific Fund Management Directorate
8.15	Financial & Tax Literacy Directorate (under Committee on Financial Markets and Investors' Protection)
8.16	Right to Information Act, 2005
8.17	XBRL
8.18	ICAI- Accounting Research Foundation
8.19	ICAI Registered Valuers Organisation
8.20	Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI
8.21	The Institute of Social Auditors of India
8.22	Quality Review Board
9.	Other Matters
9.1	Chartered Accountants' (CA) Day – 1 st July, 2023
9.2	Central Council Library
9.3	Editorial Board
10.	Members
10.1	Membership
10.2	Convocation 2022-23
11	Board of Studies
12.	Committee on Career Counselling
13.	Regional Councils and their Branches (RBA Directorate)
14.	Finance and Accounts
15.	Appreciation
	Composition of the Council (2024-2025)
	Audited Annual Accounts

1. THE COUNCIL

The Twenty-Fifth Council was constituted on 12th February 2022. It comprises of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. Composition of the 25th Council is disclosed separately. 13 Council meetings were held during duing financial year 2023-24.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949 constitutes every year on 12th February; various Standing and Non-Standing Committees/Boards and Groups to regulate and develop the profession of Chartered Accountancy. During the financial year ended 31st March 2024, 536 meetings of the said Standing and Non-Standing Committees / Boards and Groups were held.

3. AUDITORS

M/s Arun K Agarwal & Associates & M/s S.K. Mittal & Co were the joint auditors of the Institute for the financial year 2023-24 appointed from the panel maintained by Comptroller and Auditor General of India. The Council wishes to place on records its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

The Council of ICAI has the following Standing Committees:

4.1 Executive Committee

4.2 Finance Committee

4.3 Examination Committee

4.1 Executive Committee

The functions of this Committee include matters relating to articulated and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. Executive Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the Institute's offices. The Executive Committee met 8 times during the year.

4.2 Finance Committee

This Finance Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both Revenue and Capital Nature. The Finance Committee met 5 times during the year.

4.3 Examination Committee

All functions of the Council of ICAI relating to the Examination are being performed by the Examination Committee. The Committee conducted the Chartered Accountancy Exams through out the Country as well as abroad in flawless manner. The details of the examinations are given below:

(I) Examination

May/June 2023

The Chartered Accountants May Examinations for Intermediate, Final Course and International Taxation Assessment Test (INTT-AT) under Post Qualification Course were smoothly conducted all over the country and abroad in 553 centres with social distancing norms and following the Covid Guidelines from 2nd May 2023 to 18th May 2023 and Foundation exam was held on 24th, 26th, 28th and 30th June 2023. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate, and Final Examination and passed, were as follows:

Main (Intermediate, Final and PQC) Exams:

	Appeared and Passed Group I		Appeared and Passed Group II		Appeared and Passed Both Groups	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate	100781	19103	81956	19208	39195	4014
Final	57067	6795	61844	19438	25841	2152

	Appeared	Passed
INTT – AT held in May 2023	141	50

Foundation Exam:

	Appeared	Passed
Foundation Examination, June 2023	103517	25860

November/December 2023

The Chartered Accountants November Examinations for, Intermediate, Final and International Taxation Assessment Test (INTT-AT) and Insurance and Risk Management Technical Examination (IRM) under Post Qualification Course were smoothly conducted all over the country and abroad in 566 centres with social distancing norms from 1st November 2023 to 17th November 2023 and Foundation exam was held on 31st December 2023 and 2nd, 4th and 6th January 2024. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate and Final Examination and passed, were as follows:

Main (Intermediate, Final and PQC) Exams:

	Appeared and Passed Group I		Appeared and Passed Group II		Appeared and Passed Both Groups	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed

Intermediate	117304	19686	93638	17957	53459	5204
Final	65294	6176	62679	13540	32907	3099

The Insurance and Risk Management Technical Examination and International Taxation-Assessment Test (INTT-AT) for members was held successfully in November 2023. The total numbers of candidates, who appeared and passed in this examination, were as follows:

	Appeared	Passed
IRM – Technical Examination, November, 2023	21	3
INTT – AT held in November 2023	165	96

OPEN BOOK METHOD EXAMS FOR INTERNATIONAL TAXATION ASSESSMENT TEST (INTT AT) UNDER POST QUALIFICATION COURSE:

W.e.f. November 2022, International Taxation Assessment Test (INTT – AT) of Post Qualification Course Examination is of 4 hours which is held on open book methodology. In this regard, it was decided as follows:

- Under the Open Book Method for International Taxation (INTT -AT) exam, Candidates are permitted to bring their own material to the exam hall and consult them for answering the questions in the exam. Such material may include study materials, practice manuals, revisionary test papers supplied by ICAI, textbooks, bare Acts, notes by students or any other reference material.
- Candidates are not permitted to bring mobile phones, I pads, or any other electronic devices into the exam hall.
- Exchange of any material amongst candidates are not permitted inside the examination hall/room.

Foundation Exam:

	Appeared	Passed
Foundation Examination, December 2023	137153	41132

ISA –AT

Information Systems Audit Assessment Test (ISA -AT) for post qualification course was held successfully in July 2023 and January 2024 all over the country. The total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were as follows:

	Appeared	Passed
ISA – AT, July 2023 (New Course)	3066	315
ISA – AT, January 2024 (New Course)	2767	221

ADVANCED ICITSS TEST

During the year Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS) were successfully conducted as per details given below:

AICITSS-AITT Date	No of Examination Centres	No of Places (cities) where Examination Centre were set up	No. of candidates appeared	No. of candidates passed
24-Jun-23	86	75	6325	6319
30-Jul-23	86	81	4047	4030
26-Aug-23	74	74	2256	2254
23-Sep-23	83	76	4185	4174
23-Dec-23	78	76	3874	3871
20-Jan-24	74	73	3134	3119
24-Feb-24	86	82	4975	4803
30-Mar-24	107	93	7936	7790

Statistics of Number of Examination Centers and Students

The Institute has continuously been improving its Examination Process right from the question paper setting up to declaration of results so that the integrity and sanctity of the examination system, which is well known for around seven decades, are maintained and further strengthened and developed. The Institute's examinations test the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the expectations of the stakeholders of the profession. By focusing on analytical abilities of the students and by avoiding predictability of questions, Institute's examinations continue to ensure that those qualifying are well groomed professionals.

NUMBER OF EXAMINATION CENTRES WHERE CHARTERED ACCOUNTANT EXAMINATIONS WERE CONDUCTED DURING 2023 - 2024 IN INDIA AND ABROAD

Examinations	May / June 2023	November / December 2023
Foundation Course	500	562
Main i.e., Final & Intermediate	552	566
Post Qualification Course – International Taxation – Assessment Test	98	104
Post Qualification Course – Insurance and Risk Management (IRM)	--	35
Post Qualification Course – Information System Audit – Assessment Test	116 (July 2023)	55 (Jan 2024)

STATISTICS OF STUDENTS ADMITTED IN THE EXAMINATIONS OF THE INSTITUTE HELD IN THE YEAR 2023

Examinations	May / June 2023	November / December 2023
Foundation Course	117068	152595
Intermediate	173462	185289
Final	110519	110841
Post Qualification Course – International Taxation – Assessment Test	291	309
Post Qualification Course – Insurance and Risk Management (IRM)	--	37
Post Qualification Course – Information System Audit – Assessment Test	3801 (July 2023)	3715 (January 2024)

(II) Integration of ICAI Examination Application Forms with Self Service Portal (Ssp)

The ICAI Examination Application Forms are integrated with Self Service Portal (SSP) from the other standalone portal. The integration was continued in CA May and November 2023 examinations. The integration enables the students to effortlessly fill the CA exam forms at Self Service Portal (SSP) where student details i.e photograph, signature, exemption etc are auto filled and it helps in establishment of eligibility of student to appear for the exam (as per ICAI eligibility criteria for exams) at form filling stage itself. Apart from applying for the exam, student can change his city/group/medium of examination (via Correction window) and can download his/her admit card for the exams as these activities are also integrated in the Self Service Portal (SSP).

(III) Special Exam Under MRA/MoU/OCI Scheme

The Chartered Accountant Special Examination for Members of Institutions with whom ICAI had entered into Mutual Recognition Agreement (MRAs) / Memorandum of Understanding (MOUs) was held smoothly from 12th to 14th June, 2023. Special Examination for Overseas Citizens of India (OCI) Scheme was held on 16th June 2023.

(IV) Web-Interface on Students Exam Life Cycle Management

ICAI embarked on an integrated web-interface called Student Exam Life Cycle Management Project, where CA students using a single user ID and password, can access various examination related services, including application

for duplicate marksheets/pass certificates/transcripts, change of centre/medium/group, downloading admit cards, checking results, and applying for verification/seeking certified copies of answer books post result etc. from exam to exam.

(V) Digital Marking/Digital Evaluation

Continuing on the path of 100% Digitalization approx. 33.48 lakh answer books were digitally evaluated in the year 2023-2024. Complete Digitization has resulted in faster evaluation, error-free result and as well as ease and convenience for examiners.

(VI) Digital Workshop/ Webcast For Examiners

Continuing on the path of conducting examiners workshop in Digital Mode, Approx 9000 examiners attended Digital Workshop in the year 2023-2024. Digital Workshop had resulted in huge cost savings as well as ease and convenience for examiners helping them to attend the Workshops from their place of living who otherwise had to travel from long distances to attend the physical workshop. Programme(s) for enhancing the quality & consistency of evaluation of answer books through webcast for examiners were successfully conducted for May/June 2023 and November/December 2023 Examinations. This initiative is expected to go a long way in improving the quality of evaluation.

(VII) Eligibility Test for Existing and New Examiners

Eligibility test were conducted for existing examiners whereby only those existing examiners are allotted examinership assignment who pass the mandatory eligibility test. Similarly new applicants have to pass the mandatory eligibility test who want to empanel as an examiner. A large exercise was carried out in year 2023-24 to empanel large number of new examiners as well as to renew the examinership of those examiners whose 3 years validity period was getting completed. As a result of this exercise approx. 2484 new and existing examiners passed the test and became part of examiners panel.

(VIII) Webcast for Examination Functionaries / Webcast for Centres & Observers

Webcast on guidelines for observers, examination centres, Bank of Baroda, Examination Co-ordinators were successfully done for May/June 2023 and November/December 2023 Examinations.

(IX) Observer Web Portal & Mobile App (Android/IOS)

A web portal <http://observers.icaiaexam.icaai.org> for facilitating all activities relating to Observers, appointed in examination centres, including registration, hosting of details of assignments allotted, submission of acceptance letters/daily reports/claims for honorarium etc, development of Observer Portal and Mobile App was put in place. Introduction of Mobile app became very helpful in ensuring collection of sealed packets of correct code meant for the day.

(X) Centre Web Portal

A web portal <http://centres.icaiaexam.icaai.org> was put in place for capturing of absentee data online, on the day of the exam, on a daily basis.

(XI) Online Examination Application Form for PQC Exams

For appearing in the Post Qualification Course Examinations i.e. International Taxation – Assessment Test (INTT – AT) and Insurance and Risk Management (IRM) Technical Examination (which is open to the members of the Institute), the members are applying online at pqc.icaiaexam.icaai.org by remitting examination fee on-line by using VISA or MASTER or MAESTRO Credit / Debit Card / Rupay Card / Net Banking / Bhim UPI.

5. Disciplinary Directorate

The Disciplinary Directorate, the regulatory wing of ICAI, investigates into matters of Professional and/or Other Misconduct alleged against members, received either in the form of a — Formal Complaint in Form I or through the Information route as provided under the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases), Rules, 2007.

Under the disciplinary mechanism, a mandatory duty has been cast upon the Disciplinary Directorate of ICAI to look into any alleged lapses/irregularities committed by its members across the country so that not only the stakeholders and public at large continue to repose its trust on the profession but also provide a yardstick of acceptable professional conduct to the members of the profession at large. While most of the members of the profession are providing selfless dedicated services through their professional expertise and experience to the society and world at large, yet through its robust Disciplinary mechanism there is a constant need to caution and to correct the negligible few who inadvertently fall on the wrong side of the law.

In terms of the amendments made in the Chartered Accountants Act, 1949 in the year 2006, the disciplinary mechanism of ICAI underwent certain important and path-breaking changes in the provisions of procedures for

conduct of disciplinary cases so as to speed up the process of disposal of disciplinary cases. Accordingly, as on date, the disciplinary mechanism functions through its two quasi-judicial arms constituted as per the provisions of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 namely:

- Board of Discipline and
- Disciplinary Committee

The disciplinary mechanism and the processes involved are designed in such a manner which ensures transparency and thereby, enhances the confidence of the stakeholders and the public at large and at the same time, provides fair and equitable justice to the members charged with allegations of Professional and/or Other Misconduct.

In order to further strengthen the accountability of the practitioners and firms and to ensure that justice is delivered in a reasonable span of time, the Chartered Accountants Act, 1949 has been further amended in 2022. However, the date with effect from which the disciplinary provisions shall be applicable is yet to be notified.

During the current Council year i.e. 2024-2025, five Benches of the Disciplinary Committee i.e. Bench I, Bench II, Bench III, Bench IV and Bench V (MNAF cases) and one Bench of the Board of Discipline were constituted to have an expeditious disposal of cases under enquiry apart from the consideration of the Prima Facie Opinion formed by the Director (Discipline). In addition, the Disciplinary Committee under Section 21D headed by the President, ICAI was also constituted to look into any residual old cases that are/may be referred back.

(I) SALIENT INITIATIVES/ACHIEVEMENTS

- Successful conduct of E-hearings with the effective participation of the members of the Board of Discipline/Disciplinary Committee. It has acted as a boon as besides being time and cost-effective, it has ensured that parties to the case appear before the Board of Discipline/Disciplinary Committee without having to worry about the travel costs. The effectiveness of e-hearing is clearly reflected in the volume of cases that has been disposed of in the meetings of the Board of Discipline and Disciplinary Committee as stated in subsequent paras.
- The details of disciplinary cases decided by the Board of Discipline/Disciplinary Committee as well as the Cause list of cases amongst other things are also being hosted on the dedicated web portal of Disciplinary Directorate so as to create more awareness amongst various stakeholders and to provide a one stop point for dissemination of information pertinent to the Disciplinary Directorate.
- For digitisation of the records of Disciplinary Directorate, the scanning of the physical records of the Disciplinary Directorate is already in place providing access to even old disciplinary records.
- As on date, all residual cases under old Disciplinary mechanism (under Section 21D) stands heard and concluded by the Disciplinary Committee barring one case which is currently before Council in view of recent order of Hon'ble Supreme Court.

(II) BOARD OF DISCIPLINE

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of Professional and Other Misconduct by members falling under First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and/or cases wherein the members are held prima facie NOT Guilty of any misconduct by Director (Discipline). During the period (i.e. 1st April, 2023 to 30th June, 2024), the Board of Discipline held 55 meetings at various places including meetings through physical/video conference. In these meetings, the Board concluded its enquiry in 126 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below:

Sl. No.	Particulars	No. of Cases
a)	No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period	55
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was Formed (including cases considered under Rule 6/Rule 12)	418
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years)	126
d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years.	63
e)	Number of miscellaneous matters considered (under Rule 5(6), jurisdiction issue, etc.)	1691

(III) Disciplinary Committee

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of Professional Misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule or both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949. During the period (i.e. 1st April, 2023 to 30th June, 2024), Disciplinary Committee (all benches) held 133 meetings including meetings through physical/video conference mode. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 309 cases, which included cases referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:


Sl. No.	Particulars	No. of Cases
a)	No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period	133
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed	183
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	309
d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	142

(IV) Disciplinary Committee under Section 21D

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006.

Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21D]

Since all the residual cases were already heard and concluded by the Disciplinary Committee in 2018, during the period under review, no meeting of this Committee was held. During the aforesaid period, except in one case referred back by the Honorable Supreme Court of India, no other report of the Disciplinary Committee was pending for consideration before the Council. Further, during reporting period, in respect of misconduct falling under First Schedule, an order has been passed by the Council after providing an opportunity of hearing (could not be taken earlier due to stay in the matter) to the Respondent under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949 (unamended).

**6. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT****6.1 Accounting Standards Board (ASB)**

The Accounting Standards Board (ASB), established by ICAI in 1977, aims to develop Accounting Standards to ensure a robust, reliable, and high-quality accounting and financial reporting system in India. Its primary goals include harmonizing accounting policies and practices across the country and aligning standards with the International

Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB). Over the years, the ASB has continuously updated and revised existing standards while formulating new ones to meet evolving business landscapes, economic conditions, and regulatory requirements. Additionally, to ensure consistent application of these standards in a complex business environment, the ASB issues various guidance materials periodically. ICAI, through the ASB, formulates Accounting Standards for Companies under Section 133 of the Companies Act, 2013,. Furthermore, ICAI also formulates and issues Accounting Standards that are applicable to non-company entities.

The following are the major activities undertaken by the Accounting Standards Board (ASB) during the period under Report:

(I) Financial Reporting Standards:

- **Amendments to Ind AS - Companies (Indian Accounting Standards) Amendments Rules, 2023** has been notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) on March 31, 2023, as recommended by ICAI under section 133 of the Companies Act, 2013. These amendments to Ind AS are effective for annual reporting periods starting on or after April 1, 2023.
- As a part of Ind AS Implementation initiatives, Educational Material on Ind AS 12, Income Taxes, was released. Also, fifteen (15) batches of online courses of Certificate Course on Ind AS have been conducted through the Digital Learning Hub (DLH) platform of ICAI.
- Amendments to the Ind AS and AS on the following subjects have been recommended by the ICAI u/s 133 of the Companies Act 2013 during the year
 - Lease Liability in a Sale and Leaseback – Amendments to Ind AS 116, *Leases*.
 - Classification of Liabilities as Current or Non-current and Non-current Liabilities with Covenants - Amendments to Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*.
 - Supplier Finance Arrangements - Amendments to Ind AS 7 and Ind AS 107.
 - International Tax Reform—Pillar Two Model Rules - Amendments to Ind AS 12, Income Taxes.
 - International Tax Reform—Pillar Two Model Rules - Amendments to AS 22, Accounting for Taxes on Income.
 - Lack of Exchangeability - Amendments to Ind AS 21, The Effects of Difference in Foreign Exchange Rates.
- Recommendations regarding Accounting Standards for Limited Liability Partnerships have been submitted as per section 34A of the Limited Liability Partnership (Amendment) Act, 2021.

(II) International initiatives: Forging long lasting partnership

- In order to play an active role in standard setting at global level, comments are submitted on the various Consultative Documents/Exposure Drafts/Discussion Papers/Tentative Agenda Decisions), issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and IFRS Interpretations Committee IFRS (IC) and other international bodies. Following are the details of the submissions during the period:
 - **Comments submitted on the following consultative documents issued by IASB and other international bodies:**
 - ❖ Exposure Draft on International Tax Reform—Pillar Two Model Rules—Proposed Amendments to the IFRS for SMEs Standard.
 - ❖ Exposure Draft on Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments (Proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7).
 - ❖ Request for Information (RFI) on Post-Implementation Review (PIR) of IFRS 9 Financial Instruments Impairment.
 - ❖ Request for Information (RFI) on Post-Implementation Review (PIR) of IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers.
 - ❖ Exposure Draft on International Non-Profit Accounting Guidance (INPAG)- Part 1
 - ❖ Exposure Draft on International Non-Profit Accounting Guidance (INPAG)- Part 2
 - ❖ Exposure Draft on Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Volume 11
 - ❖ Exposure Draft on Financial Instruments with Characteristics of Equity - Proposed amendments to IAS 32, IFRS 7 and IAS 1.

➤ **Comments submitted to IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) on its following Tentative Agenda Decisions (TAD):**

- ❖ Guarantee over a Derivative Contract (IFRS 9)
 - ❖ Homes and Home Loans Provided to Employees
 - ❖ Premiums Receivable from an Intermediary (IFRS 17 and IFRS 9)'
 - ❖ Merger between a Parent and Its Subsidiary in Separate Financial Statements (IAS 27)'
 - ❖ Payments Contingent on Continued Employment during Handover Periods (IFRS 3).
 - ❖ Climate-related Commitments (IAS 37)
 - ❖ Disclosure of Revenues and Expenses for Reportable Segments (IFRS 8)
- ICAI representatives actively participated in meetings of various international standard setting forums, such as, the Emerging Economies Group (EEG), International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS), and Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). The following papers raising Indian concerns were also presented:
 - At the 15th Annual AOSSG meeting, As a part of panel discussion with Australia and Korea, the Chairman, ASB, presented on the implementation issues in IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers in Indian jurisdiction.
 - At the Meeting of IFASS held on April 17-19, 2024, Hon'ble Vice President, ICAI presented on topic "Accounting of Financial Instruments" wherein the issue involved in implementation of Indian Accounting Standard on Financial Instruments i.e. Ind AS 109 were presented.
 - At the Meeting of IFASS held on September 26-27, 2023, Vice-Chairman, ASB, participated as a panelist in the panel discussion on "Sustainability reporting implementation issues, capacity building, and implementation guidance".

(III) Building robust relationship with Regulatory Bodies

- ASB continued working towards views on the various accounting issues referred by various Regulators (such as, Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India, SEBI, IRDAI, etc.) and, wherever felt appropriate, various accounting issues were taken up with the relevant Regulators.

(IV) Webcasts/Webinars/Outreach Meetings

- Conducted of 16 webcasts/webinars/outreach meetings to create awareness and dissemination of necessary knowledge on Accounting Standards and Ind AS formulated by the ASB.

(V) Other Initiatives:

- The 2nd Accounting Standards Day was celebrated on April 22, 2024 in New Delhi, with discussions on the framework, formats, and applicability of Accounting Standards, along with addressing critical aspects concerning standards related to assets, expenses, and revenue.
- A revamped website was launched at the 300th Meeting of ASB to share with members the latest developments on accounting aspects and knowledge dissemination activities.
- Short videos were developed on Formats of Financial Statements for Non-Corporate Entities & LLPs, Accounting for NPOs. A short video on Journey of ASB has also been released.
- A Monthly Accounting Quiz was created and launched this year as an educational tool to simplify accounting & finance topics so that stakeholders can learn and propel their understanding on the same.

(VI) Publications released

- Guidance Note on Financial Statements of Non-Corporate Entities
- Guidance Note on Financial Statements of Limited Liability Partnerships
- Accounting Standards: Quick Referencer (As on February 2024)
- Indian Accounting Standards (Ind AS): An Overview (Revised 2023)
- Technical Guide on Preparation of Financial Statements under Cash basis of accounting
- Indian Accounting Standards (Ind AS): Disclosures Checklist (Revised April 2024)

- Technical Guide on Accounting for Not-for-Profit Organisations (NPOs) (Revised 2023)

6.2 Auditing and Assurance Standards Board (AASB)

Audit plays an important role in serving and protecting the public interest by strengthening accountability and reinforcing trust and confidence in financial reporting. Audit helps enhancing the economic prosperity, expanding the variety, number and value of transactions that people enter into. However, in the recent years, due to growing complexity of business environment and business models and their geographical spread, the auditing profession is witnessing a quantum leap in the expectations from the various stakeholders. The ICAI recognizes the pressing need to respond to these expectations proactively.

ICAI through its Auditing and Assurance Standards Board develops high quality standards on auditing, review, other assurance, quality control and related services. These Standards not only codify the best practices in audit, they also provide the benchmark against which the performance of the auditors can be measured. The Board also develops Guidance Notes on generic as well as industry specific issues in auditing, with the prime objective of providing guidance to the auditors. These documents, after a rigorous due process of the Board, are issued under the authority of the Council of the ICAI. The auditing standards issued by the ICAI are harmonized with the International Standards issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). The Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers which are issued under its own authority for the guidance of the members. To provide guidance to the members in the implementation of Standards on Auditing, the Board also brings out Implementation Guides to those Standards.

The following is a comprehensive overview of important achievements of the Board till date:

(I) Standards issued

- SA 800(Revised), Special Considerations—Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks.
- SA 805(Revised), Special Considerations - Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement.
- SA 810(Revised), Engagements to Report on Summary Financial Statements.

(II) Representations/ suggestions to Ministries, Regulators

- On request of SEBI, the Board developed the “Format of Statement of Management Disclosures on Digital Assurance and Auditor’s Report”. The Format has been submitted to SEBI.
- The Board has collaborated with Indian Banks’ Association (IBA) to develop a common platform for balance confirmation for banking sector. ICAI has entered into a tri-party MOU with IBA and PSB Alliance Private Limited on the matter. Development of the platform is in progress.
- The Board finalised seven Engagement and Quality Control Standards [SQM 1, SQM 2, SA 220(Revised), SA 250(Revised), SA 315(Revised), SA 540(Revised), SRS 4400(Revised)]. Out of these Standards, four revised Standards on Auditing [SA 220(Revised), SA 250(Revised), SA 315(Revised), SA 540(Revised)] have been submitted to NFRA for notification of Standards on Auditing under Companies Act, 2013.

(III) Contribution at International Platform

- Vice-Chairman, AASB has been appointed as a Board member of the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), with effect from January 1, 2024, for a term of three years.
- Vice-Chairman, AASB attended the IAASB meeting held in March 2024 at New York, USA.
- Vice-Chairman, AASB attended the IAASB meeting held in June 2024 at Madrid, Spain.

(IV) Announcements Issued

- Amendment to the “Clarification Regarding Authority Attached to Documents Issued by the Institute” and Consequential Amendment to the “Preface to the Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services” .

(V) Initiatives for the Members

- The Board organized various seminars, conferences, workshops, webcasts on Engagement and Quality Control Standards, bank audit and other auditing aspects for awareness and professional enhancement of the members. The Board constituted an online panel of experts to address Bank Branch Audit related queries of the members for financial year 2023-24. The Panel addressed queries from 1st April 2024 to 30th April 2024.

- The Board constituted an online panel of experts for addressing queries related to statutory audit pertaining to auditing aspects for financial year 2023-24. The Panel will address queries from 16th April 2024 to 30th September 2024.

(VI) Publications issued

- Technical Guide on Audit of Non-Banking Financial Companies (Revised 2023 Edition).
- Implementation Guide on Reporting on Audit Trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (Revised 2024 Edition).
- Guidance Note on Audit of Banks 2024 edition.
- Guidance on Non-Compliances Observed by Quality Review Board During Quality Reviews (Volume 1).

6.3 Committee for Members in Practice (CMP)

The Committee for Members in Practice (CMP) of the Institute of Chartered Accountants of India is a non-standing Committee formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949 to address the issues of profession and challenges faced by the CA Firms & Members in Practice. It aims to encourage and enhance close links between the Institute and the Chartered Accountants, so as to provide them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in their professional growth. The Committee works towards enhancing the capacity building of members in practice and CA firms, empowering practicing members by developing and upgrading their professional competence and enhancing their professional skills and knowledge, enabling them to provide top-tier services to clients both within India and globally.

To support ICAI's mission of developing skilled professionals who can meet global demands, the CMP organizes various initiatives such as workshops, conferences, seminars, certificate courses, brainstorming sessions, and interactive sessions. These activities aim to expand the knowledge base of members in practice, helping them manage their practices more efficiently and identify emerging and specialized service areas. Through these dedicated endeavors, the CMP strives to equip members with the technical skills and cross-cultural understanding necessary to excel in a globalized market.

The Committee has undertaken the following Activities/Initiatives during the year:

(I) List of arrangements under “Member Benefit” of ICAI

Insurance Products

- Term Insurance scheme through HDFC (Group Poorna Suraksha)
- Group Term Insurance scheme through LIC
- Health Insurance by New India Assurance Company
- Personal Accident Policy by New India Assurance Company
- House Holder Insurance Policy by New India Assurance Company
- Motor Vehicle Insurance by New India Assurance
- Professional Indemnity Insurance by New India Assurance
- Office Protection Shield Policy by New India Assurance

Software Products

- Tally Prime Software at special price
- Quick Heal Antivirus Software
- Microsoft Office 365 Licenses (M365 Business Basic and M365 Business Standard) on discounted prices
- GST Software by Microvita
- TDS Software by Express TDS
- Accounting Software by ZOHO
- All-in-One Accounting and Compliance Software
- Automating Account Confirmations and Reconciliation Software
- Simplify Practice Management Software

- GST Annual Return Software
- XBRL Software
- Access to NeSL IU for Audit (free access of IU in respect of client company)
- Accounting Automation Software Suvit
- Video Conferencing Software Mymeet
- Billing Software My bill book
- AI Audit Automation tool Assure AI
- GST Software Bill Mantra
- TDS Software- TDSMan
- App for Balance Confirmation and Other Digital Communications by Click2confirm
- Best offers on GST Software by SAG Infotech
- Billing and Accounting app by Fynone
- Easy office Income Tax, TDS, CMA, GST Software
- Digital Confirmation/Reconciliation | 15CA/CB Automation | MCA Struck Wraptax

Publications

- Special offer on Budget Publications & Other Publications

Loan Facilities

- SME Finance for Chartered Accountants under CLP by SBI
- BOB Credit Cards
- Online PSB Loans

Healthcare Services

- Discounted diagnostic and related healthcare tests by Dr. Lal Pathlabs
- Discounted healthcare services by Medanta
- Healthy Benefit Plan -by Truworth Wellness (Specially curated health plan for CAs on Discounted Rates)
- Discounted Healthcare Benefits by Max Health care
- Discounted Health Care Services provided by Fortis Healthcare Limited for the Members, Students, Employees of ICAI & their dependents.
- Discounted Health Care Services provided by Appollo Pro Health Limited for the Members, Students, Employees of ICAI & their dependents
- Healthy Benefit Plan -by Truworth Wellness (Specially curated health plan for CA's on Discounted Rates)

Other Benefits

- Exclusive offer on Products from Samsung Electronics

(II) Capacity Building Measures

Development of Digital Audit Tools

ICAI envisions the technology empowerment of its members, transforming them into future-ready accountants with the ability to lead, create and innovate in the digital era.

Practice Management Software

To enhance operational efficiency, ICAI launched an advanced Practice Management Software on January 21, 2023, available free of cost to its members. This software is designed for CA practitioners and firms to aid in serving their clients and managing daily office activities. It includes features such as jobs and billing, capacity planning, documentation, a centralized client database, and time sheets, providing technological advantages to all firms. Practitioners and firms can register for the Practice Management Software at <https://cacloud.ca.in/>.

Total No. of Registrations of Practicing Management Software were 8077. The region wise users of said software are as follows:

Particulars	Northern Region	Western Region	Eastern Region	Southern Region	Central Region	Total
Proprietor	6	15	1	70	3	95
Partnership	991	3103	373	1790	1725	7982
Total	997	3118	374	1860	1728	8077

(III) Virtual Certificate Courses

- Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning (WMFP)
- Certificate Course on Working Paper Management
- Certificate Course on Preparation of Appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies

Promoting Networking & other consolidation measures of CA firms-

Networking of Firms is a facility provided to CA Firms for collective association to share collective resources for providing better professional services making it available at multi location places. The Committee is promoting Merger, Networking, Practice in Corporate Form for Practitioners/CA Firm spreading knowledge by conducting Two Days National Networking Summit on Accelerating & Maximizing Practice at Regional Councils and Workshop on Accelerating & Maximizing Practice in the Branches of ICAI.

(IV) Programmes/Seminar/Conference/Orientation Programmes/National Networking Summit/Networking Workshop

The Committee has conducted various Workshops/Programmes/Conferences/Seminars/Orientation Programmes/National Networking Summit/VCM/Webinar on GST & capacity Building, Current issues in Practice, Accelerating & Maximizing Practice, CA Practice Growth Strategies, Networking: Connect Share and Grow Domestic, International, Corporate form of Practice, CA Connect, etc., Sunrise Areas of Practice: GST/IBC /Valuation/ Forensic/ Govt. Accounting/ Internal Audit/KPO/ Cooperatives/ System Audit etc, Min fees Recommendations, Fees as per New Code of Ethics, Tender Guidelines, Role of Tender Monitoring Group, Cost Sheet etc, Capacity Building of the Firm: Firm to Smart Firm, and Panel Discussion Young Practice Members, Woman Practice Members, Middle Practice Members Large Firms Partnerships, Senior Practice Members etc.

6.4 Continuing Professional Education Committee (CPEC)

ICAI through its Continuing Professional Education Committee (CPEC) has been constantly endeavoring to provide adequate opportunities to our members. Thus, the Continuing Professional Education (CPE) is not merely a requirement but an investment in the professional journey of a CA that pays dividends in the form of enhanced skills, expanded networks, and the confidence to tackle the complex challenges that lie ahead. As the financial and business environment is undergoing rapid transformations, new accounting standards, evolving regulatory frameworks, and technological disruptions necessitate that our Members remain updated and well-informed. The CPE Committee of ICAI provides the tools to navigate these complexities, enabling our Members to deliver value to their clients and organizations with the highest level of expertise.

(I) Significant Achievements and Recent Initiatives of the CPE Committee:-

- **Issuance of CPE Statement, 2023: Guidelines on Continuing Professional Education for undergoing CPE Activities by Members of ICAI**

The Committee has always been working with a constructive thought process and proactively empowers members through training and programmes with a very comprehensive CPE calendar. Therefore, as decided by the Council at its 426th meeting, members were requested to give their inputs/suggestions on the Exposure draft on the proposed guidelines “Consequential Provisions for non-compliance with CPE hours requirement on yearly basis” from Calendar year 2024 onwards and to be operational w.e.f. 1/1/2025 for non-compliances arising from Calendar year 2024. The exposure draft was hosted on the ICAI website and Committee’s page. Also, round of mass mails was sent to members to create awareness amongst them for sending inputs on Exposure Draft. The CPE Committee also invited comments/ views on the Exposure Draft seeking comments of the Members for finalization of the same.

Further, in exercise of the powers conferred by the section 15(2) (fa) of the Chartered Accountants Act 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2022 (No. 12 of 22), “Statement on Continuing

Professional Education, 2023” is issued on 30.01.2024 for undergoing CPE activities by the members and the mechanism to implement the same by POUs. This includes consequential provisions for non-compliance with CPE hours’ requirements applicable to various categories of members on yearly basis from Calendar Year 2024 onwards as decided by the Council of ICAI. These consequential provisions are applicable w.e.f. 1st January, 2025 for non-compliance arising from the Calendar Year 2024.

Detailed Statement on Continuing Professional Education, 2023 is hosted on ICAI portal and accessible at <https://www.icai.org/post/issuance-of-cpe-statement-2023>

Also, from Calendar Year 2023 onwards, CPE hours requirements are to be fulfilled by the members on Calendar Year Basis (from 1st January till 31st December every year) only and the block/rolling period concept of three years is done away with. Therefore, the members are required to complete their CPE hours requirements on the calendar yearly basis from the year 2023 onwards in accordance with the CPE hours requirements.

- **Organisation of Web-Lectures for grant of Unstructured CPE hours by Regional Councils/Branches and Foreign Chapters of ICAI**

To promote organisation of the CPE Learning Activities as well as for betterment of members at large, on recommendations of the CPE Committee, the Council has approved the organisation of Web-Lectures for grant of Unstructured CPE hours by Regional Councils/Branches and Foreign Chapters of ICAI. For attending Web-lectures, the attendance would be uploaded by Regional Councils/Branches/Foreign Chapters for grant of unstructured CPE hours. Therefore, members need not to claim unstructured CPE learning by their own for attending these Web Lecture. This facility will enhance the compliance of CPE Hours requirements especially for Members who are in Industry and are required to comply with CPE Hours requirements by completing Unstructured Learning Activities.

- **“Train the Trainer (TTT)” programmes for development of faculty database by CPE Committee**

With an objective to provide the Country with trained faculties and speakers, CPE Committee has organised ‘Train the Trainer’ programmes on PAN India basis in offline mode to train the faculty to provide quality learning in Programmes of the Committee. “Train the Trainer” programme provides an effective strategy to equip faculties/ subject matter experts with new knowledge on how to teach others, how to foster an environment where everybody feels welcome to improve their skills, enhancing Communication & Presentation Skills, Art of Public Speaking, etc. The programmes are primarily focusing on:

- Understanding the audience
- How to master the subject for session delivery
- Creating Impactful Sessions
- Activities & Handholding Creating Impactful Sessions
- How to Prepare speech
- Types of Public Speaking
- How to improve Public Speaking

Two TTTs programmes on "How to be a Global Speaker in One's Chosen Area" were organised in Physical Mode during the last Council year.

- (II) **Re-constitution of CPE Regional Monitoring Committee (RMC) in all five Regions for the Council year 2024-25**

The CPE Committee has re-constituted the Regional Monitoring Committee (RMC) for the Council year 2024-25 in all five Regions to carry out the tasks with the objective to review of monthly reporting to the Central Office including uploading of Programme details and the attendance on the CPE Portal by the various CPE POUs, to address the issues raised/problems faced by the Regional Councils/Branches/CPE Study Chapters/CPE Study Circles and CPE Study Groups, review of the functioning of CPE Study Chapters/CPE Study Circles, Nomination of monitors and supervisors for all CPE POUs, to submit the quarterly report on the functioning of the POUs, to obtain feedback for the programmes organized by POUs on test check basis and to compile the suggestions of the members, to ensure that the feedback form for each programme must be obtained from the participants and to submit the compilation of feedback to the CPEC Secretariat etc. The Regional Monitoring Committees will hold at least one meeting of the RMC every quarter and will send the report on the proceedings of each meeting of the CPE Regional Monitoring Committee to the CPE Committee.

(III) IT Initiatives undertaken by the CPE Committee for Members & CPE Programme Organising Units (CPE POU)s

- **Issuance of customized mail by CPE Committee to each Member informing CPE hours compliance status**

From Calendar year 2023 onwards, the CPE Hours requirements to be complied by various categories of Members have been changed from the three-year rolling period to calendar-year wise. Therefore, to make members aware about their CPE Hours compliance status for Calendar year 2023 and to maximise the CPE compliance level, the CPE Committee the first time is able to develop such a system that customized mail could be sent to Members informing their CPE hours status as completed by them till date and the balance to be completed during the current Calendar year.

- **Addition of New Feature in CPE Portal**

A new feature is added in CPE Portal that Committees will upload the unstructured CPE hours of the members who attended Webcast/Webinar after completion of the programme. This functionality of uploading ULA attendance in CPE portal is developed and activated for the webcast/webinar events organized from 1st Feb 2024 onwards. This facility will enhance the compliance of CPE Hours requirements by Members and especially for those members who are required to comply with CPE Hours requirements by completing Unstructured Learning Activities.

- **Upgradation of CPE Portal by making it more User & Techno Friendly**

CPE Portal manages entire gamut of CPE of ICAI for grant of Structured and Unstructured CPE Hours to members. In pursuit of excellence, the CPE Committee is focusing majorly on integration of IT tools in CPE activities including redesigning/revamping of CPE Portal, single sign-in facility into portal and improved monitoring of attendance system. CPE Portal is meant to develop the knowledge hub providing information regarding latest developments relating to the profession and to promote various ICAI initiatives for Chartered Accountants. The CPE Portal is upgraded in terms of :-

- Member & POU dashboard
- Improvement in faculty feedback process
- Improvement in faculty management system & mapping of faculty with Event ID and topics
- Seamless Integration of CPE Portal with ICAI digital learning hub for updating of structured and unstructured learning Hours, etc.

(IV) Initiative towards Partner in Nation Building

- **Connecting with Members:-**

21 more CPE POU's were opened for helping members to undergo CPE activities in their nearby places, reaching to a strong network base of 679 CPE POU's (including 176 Branches, 50 Foreign Chapters, 48 Central Committees of ICAI, 144 CPE Study Circles, 82 CPE Study Chapters etc.) spread in all over India and Abroad for organization of CPE programmes and for helping the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities. For better dissemination of knowledge and to reach every Member of ICAI, the Committee is requesting members to come together and volunteer themselves for opening new CPE POU's while to identifying the areas where CPE POU's (CPE Study Circles, CPE Study Chapters and CPE Study Groups) may be opened.

- **Knowledge dissemination:-**

- **Seminars/ Webinars/workshops/RRCs:**

For continuous learning and to update the knowledge of members, CPE Committee is organising programmes on traditional and non-traditional areas on regular basis. In addition to imparting training on technical topics, the Committee is also focusing on updating public speaking skills of members and mentoring them to become thought leader. The programmes being organised revolves around:

- ❖ Disseminating knowledge on the theory and practice on various Technical and current professional topics.
- ❖ Enhancing role of members in diversified areas of profession.
- ❖ Providing networking opportunity to members.

- **Interactive meet with :**

- **All India Management Committee Members Meet (AIMCMM)-2024**

All India Management Committee Members Meet (AIMCMM)-2024 was organised jointly by CPE Committee and RBA Directorate from on 9th – 10th March 2024 at Kolkata, wherein for the first time the Convenors and Deputy Convenors of CPE Study Circles and CPE Study Chapters from all regions were invited to attend orientation programme. With approximately 200 participants in attendance representing 131 Study Circles & Study Chapters and approximately 1100 participants representing 5 Regional Councils, 171 Branches, AIMCMM 2024 in Kolkata served as a platform for knowledge exchange, orientation and strategic planning for the Council Year 2024-25, guided by the profound vision of "DRISHTI".

- **Chairmen & Vice-Chairmen of Regional Councils & Branches and Convenor & Deputy Convenor of CPE Study Circle/Chapter/Group of all the regions of ICAI**

The CPE Committee has organised various interactive meetings with the Chairmen & Vice-Chairmen of Regional Councils & Branches and also with the Convenor & Dy. Convenor of all CPE Study Circles, CPE Study Chapters and CPE Study Groups, Region-wise in Online mode, seeking suggestions for further improvement in the Continuing Professional Development policies and programmes, to educate them about various policies, guidelines and initiatives of CPE Committee as well as to understand expectation/to get feedback of CPE POU's for improvisation of CPE Programmes etc.

The CPE Committee had organised four Interactive meetings with the Chairmen and Managing Committee Members of Regional Council and Branches and Convenor and Deputy Convenor of CPE Study Circles, CPE Study Chapters & CPE Study Groups of WIRC and SIRC of ICAI respectively. Further, based on the suggestions received from the Members during these online interactive meets, the CPE Committee has organised the Orientation Programmes cum Interactive meetings for the Convenor and Deputy Convenor of CPE Study Circles and CPE Study Chapters of Gujarat State in physical mode at Ahmedabad.

- **CPE Bulletin:**

The Committee has issued its E-newsletter to create awareness on the recent developments in CPE hours compliances and other decisions amongst its members and showcase the initiatives of the Committee and details of its programmes etc which is hosted on the CPE page of Institute's Website and also on CPE Portal at the link <https://www.icaai.org/post/e-newsletter-of-the-continuing-professional-education-committee>

(V) **Major Events undertaken directly by CPE Committee:-**

- **Online CPE Learning events-** As a part of CPEC's initiative to provide an apt platform for the exchange of knowledge and ideas on emerging topics amongst the CA fraternity and with an aim to keep them well-informed about the changes taking place in relevant areas, the CPE Committee is organising online CPE events regularly and continuously for the learning and upgradation of members for grant of Unstructured CPE hours.
- **National Conferences-** The Committee organised 17 National Conferences on Gyan ka Amrit Mahotsav, Emerging India, Gyan Trishna: The Thirst for Knowledge" on Anti-Money Laundering Laws, Latest Judgement & Controversies in ITC and How to Start Tribunal Practice, National Conference on "Income Tax, GST, Forensic Audit and Code of Ethics, IKSHA on "Capital Market, AI and Income Tax etc
- **Residential Refresher Course (RRC):-** The Committee organised 13 Residential Refresher Course on Taxation, CFO Services and Auditing Standards, Recent Issues in Trust, Overview of Valuation and Notices u/s 148 & 148A, Income Tax Return, GST Audit and Corporate Law Returns, Audit Report & CARO etc
- **Webinars and Seminars/Workshops:-** The Committee organised 189 Webinars/Workshops/Seminars/Webcasts on Emerging Capital Market Trends and Burning Issues related to Disallowance of MSE Expenses u/s 43B(h), Professional Opportunities for CA, GST and Capital Market", Income Tax - Tax Audit (Sec. 43B) and Disciplinary Case Studies & Guidelines on Certification, Financial Statements Format of Non Corporate Entities and UAE & India: Cross-border Tax Trends, GST Litigation – How to Handle Scrutiny and Income Tax - Important TDS Provisions, Code of Ethics and Standards on Auditing, Audit and Accounting Standards etc.

(VI) **Members Education and Capacity Building:-**

- **CPE Programmes directly by the CPE Committee-** 173 Physical and Virtual Programmes were organised for the Members to empower and enhance learnings in diversified fields by adding to their skillsets they can offer:-

Sl. No.	Details of CPE Programmes	Number
1.	National Conference	17
2.	Seminar & Workshop	77

3.	Residential Refresher Course	13
4.	Virtual Programmes (Webinar)	64
5.	Train the Trainers	02

- **Details of CPE Programmes organised by its POU's-** The CPE Committee has a strong network base of 679 CPE POU's (176 Branches, 50 Foreign Chapters, 48 Central Committees of ICAI, 144 CPE Study Circles etc.) spread in all over India and Abroad for organisation of CPE programmes and also for helping the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities.

Sl. No.	Particulars	Figures*
1.	Total CPE Events (Physical and Virtual)	9083
2.	Total Number of Members Participated	828961
3.	Total CPE Hours granted	40179
4.	Total CPE Hours generated	4268034
*Data from 1.4.2023 to 30.6.2024		

- **Total CPE Programmes for the benefit of Members-** 9083 CPE Programmes were organised for the Members across the country (includes 6006 CPE Programmes in Physical mode from 1st April, 2023 to 30th June, 2024), by the CPE Programme Organising Units of ICAI on various topics of professional interest.

➤ **National Level Programmes and other Important Events**

Sl. No.	Type of CPE Programme organized	(from 1.4.2023 to 30.6.2024)
1.	Live Webcasts/Webinars by various POU's of ICAI	1135
2.	Certificate Courses for the Members by Central Committees of ICAI	160
3.	Post-Qualification Courses by the Central Committees of ICAI	53
4.	National level by Central Committees/Board of ICAI and hosted by the Regional Councils/Branches of ICAI	64
5.	Foreign Languages in online mode –Japanese, Spanish and French	14
6.	Batches of Pre-registration Education Course by ICAI RVO	12
7.	Batches of Pre-registration Education Course by IIIPI	4

(VII) Supporting Society – Commitment to Nation :- ICAI organises various other programmes supporting the initiatives of the Government for effective implementation of the same in various parts of the Country through its strong network base of CPE Program Organising Units. Following are the topic wise details of these CPE Programmes being organised in Physical mode and in Virtual Mode

Sl.No.	Topic of CPE Programme	(from 1.4.2023 to 30.6.2024)
1	GST and GST Audit	1432
2	Ethical Standards, Code of Ethics, Professional Ethics	558
3	MSME, Ease of doing Business in India, Start-ups	281
4	Standards on Auditing	174
5	RERA	136
6	Ind AS	122
7	Business, Banking and Insurance, Financial Services	118
8	Companies Act	116
9	Blockchain Technology, Artificial Intelligence, Robotics, Digital & Crypto Currency	50

10	Business Responsibility and Sustainability Reporting	48
11	Soft Skill Stress Management, Lifestyle Management where Yoga is way of life, Work Life Balance	37
12	Investor Awareness	25
13	Faceless Assessments	25
14	CARO 2020	23
15	Insolvency and Bankruptcy Code	13
16	Demonetization, Black Money, Benami Transactions and Undisclosed Income	09

6.5 Corporate Laws and Corporate Governance Committee (CL&CGC)

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee aspires to empower the profession and promote a fair corporate regime through global best practices. Collaborating with the government, the Committee actively strengthens the regulatory framework by engaging with the Ministry of Corporate Affairs and providing regular representations and suggestions on matters pertaining to the Companies Act 2013. With a focus on knowledge enhancement, the Committee ensures its members stay updated on corporate laws, enabling them to navigate the evolving landscape of corporate governance successfully.

Significant Achievements and Initiatives

(I) Representations/Suggestions/Recommendations to MCA/SEBI during the year 2023-24 (April 2023 to June 2024)

The Committee regularly interacts with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act 2013. The Committee submitted the following representations/ inputs/ opinions/ suggestions to the Ministry of Corporate Affairs.

- Suggestions to the Ministry of Corporate Affairs on Simplification of Companies Rules under the policy for pre-legislative consultation.
- Representation submitted in relation to data requirements of Companies to analyse requirement of Independent Directors and Women Directors and enable compliance.
- Suggestion submitted to the Ministry of Corporate Affairs to enhance the CSR framework.
- Suggestion submitted to the MCA regarding the letter concerning the extension of the applicability of Rule-9A of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, to larger private companies in relation to the dematerialization of securities.
- Suggestions submitted to the Ministry of Corporate Affairs regarding sensitization of professionals regarding provisions of section 90 of the Companies Act 2013 read with Companies (Significant Beneficial Owners) Rules 2018.
- Representation submitted to IICA regarding system updated to implement exemption for the Online Assessment Test for the Independent Directors as provided under Rule 6 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2021 to the Chartered Accountants having more than 10 years of experience in practice.

(II) Simplification of Companies Rules and LLP Rules under the policy for pre-legislative consultation formed by the Ministry of Corporate Affairs

As a part of its initiative of the comprehensive review of Company Law Rules and LLP Rules the Ministry of Corporate Affairs requested the Institute of Chartered Accountants of India to provide valuable suggestions and insights. After a thorough review, ICAI submitted recommendations for simplifying the Companies Rules, 2014 to the Ministry of Corporate Affairs on April 1, 2024. The submission covers the following Rules:

- Chapter IX: The Companies (Accounts) Rules, 2014
- Chapter X The Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014
- The Companies (Auditor's Report) Order, 2020
- The National Financial Reporting Authority Rules 2018
- Chapter V- The Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014

- The Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014
- The Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015
- Chapter II The Companies (Incorporation) Rules, 2014
- Chapter I -The Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014
- The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014
- Companies (Arrests in connection with Investigation by Serious Fraud Investigation Office) Rules, 2017
- Chapter XV-The Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016
- The Companies (Listing of equity shares in permissible jurisdictions Rules, 2024)
- Chapter XXVI-Nidhi Rules, 2014

(III) Independent Directors' Conclave organized on 6th June 2024 at Mumbai and on 20th June 2024 at Ahmedabad by CL&CGC jointly with WMEC

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee, in collaboration with the Women Members Excellence Committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), organized an Independent Directors' Conclave at Mumbai and Ahmedabad. Both the Conclaves successfully provided a platform for in-depth deliberations on corporate governance and the pivotal role of independent directors in today's dynamic business environment.

- The Independent Directors' Conclave took place on June 6, 2024 at Mumbai. The event was graced by the presence of Group CFO & Head Corporate Affairs, National Stock Exchange, who attended as the Chief Guest. The event was also honoured by the presence of President of ICAI, Vice President of ICAI, Past President of ICAI and Chairman CL&CGC. The program featured an exceptional roster of speakers and panellists, including esteemed Past Presidents of ICAI and distinguished Independent Directors from Listed Companies, Public Companies, and Multi-National Corporations and was highly appreciated by all for its insightful discussions and valuable networking opportunities.
- The Independent Directors' Conclave took place on June 20, 2024 at Ahmedabad. The event was graced by the presence of Regional Director (NWR) MCA, and was also honoured by the presence of Chairman CL&CGC, Immediate Past President of ICAI and two Past Presidents of ICAI. The program offered an unparalleled opportunity to hear from esteemed Past Presidents of the Institute of Chartered Accountants of India and distinguished independent directors.

(IV) Supporting Ministry of Corporate Affairs in smooth transition and functioning of MCA 21 V3 Portal

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee of ICAI is working closely with the Ministry of Corporate Affairs for enabling smooth transition from MCA 21 V2 to V3. This project signifies a unique collaboration between the ICAI and the Ministry of Corporate Affairs, working closely on a daily basis to facilitate a seamless transition. In this direction, Committee's Key Initiatives for the MCA 21 Version 3 project are as follows:

- User Acceptance Testing of MCA Forms in various Lots.
- Addressing post-production Issues of Members: Till now, ICAI team has addressed approx. 15000+ issues
- Conducted Awareness Webinars with the MCA - to educate members about Company Forms
- Taking forward initiative of Hon'ble Finance Minister and Support in conducting Stakeholders' Consultation Meetings on MCA 21 Version 3 Portal across the Country.

(V) Suggestion sent to the Ministry of Corporate Affairs seeking inputs to review and improve CSR Framework

In response to the Ministry of Corporate Affairs' request, the Corporate Laws & Corporate Governance Committee provided its recommendations to enhance the CSR Framework. The Committee organized Round Table Meetings to gather insights from CSR experts and conducted a survey via Google Form to engage Chartered Accountants in corporate sectors. Suggestions gathered were integrated into their response. The Committee's finalized recommendations were subsequently submitted to the Ministry of Corporate Affairs.

(VI) Suggestions sent to the Ministry of Corporate Affairs to review the Applicability of Provisions relating to Dematerialisation of Securities to Bigger Private Companies

In response to MCA's letter seeking inputs for extending the applicability of Rule 9A of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 to bigger private companies, the CL&CGC of ICAI submitted its suggestions to the Ministry of Corporate Affairs. In this regard, Committee had organized a Virtual Round Table

Meeting of various experts and Committee members to deliberate on the matter and gather rich experience of the experts.

(VII) Workshop on Business Reporting & Sustainability Reporting (BRSR) organized by IICA in association with ICAI and UNICEF

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee of ICAI, received a proposal from the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), a premier institution of the MCA for conducting a series of workshop on Business Reporting and Sustainability Reporting (BRSR) across various regions in India, in association with ICAI and UNICEF. In view of the request received, the central regional workshop was organised by IICA in association with ICAI and UNICEF at the premise of Indore Branch of CIRC of ICAI and members actively participated in the workshop on BRSR.

(VIII) Certificate Course on CSR Reporting and Impact Assessment

Looking at the importance of CSR the Corporate Laws & Corporate Governance Committee of ICAI decided to launch the Certificate course on Corporate Social Responsibility which intends to equip the participants with the knowledge and skills required for understanding the rules and regulations pertaining to CSR trends and challenges associated with CSR, and learn how to assess, strategize, and implement CSR projects. Towards this the Committee has successfully organized six batches of the Certificate Course on CSR Reporting and Impact from April 2023 to June 2024. The Course is conducted under the guidance of faculty members who were widely recognized and respected for their expertise in the CSR field. These faculty members are known for their significant contributions and accomplishments, which have garnered them a reputation of eminence in the academic and professional communities

(IX) Publications released by the Committee

- Implementation Guide on Maintenance of Property, Plant and Equipment (PPE) Register - Best Practices
- Handbook on Dematerialisation of Securities for Private Companies & Shareholders
- Background Material for the Certificate Course on Corporate Social Responsibility Reporting and Impact Assessment

(X) Programmes/Conferences/Webcast/Courses

Sl.No.	Programmes/Conferences/Webcast/Courses	No.
1	National Conferences on Comapany Law and Corporate Laws	2
2	Webinars on Financial Statements-The Fraud Angle , Mergers and Acquisitions and Corporate Governance for MSME- Role of Chartered Accountants as Advisor, Sensitization of Companies to abide the provisions of Section 90 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereunder relating to Significant Beneficial Ownership	4
3	Series of Webinars-Manthan	5
4	Seminar /Refresher Course/Workshops on Independent Director's Conclave, Corporate Law Conclave, Company Audit, Corporate Laws, Companies Act, Corporate Learning, CARO 2020, Schedule III & Company Act 2013, Audit Trail & its Practical Implication, on Recent Amendments under Companies Act, 2013, Annual Filing related to ROC, Issues in Gift City from Corporate law compliance and opportunities for CA, RRC etc	25

6.6 Direct Taxes Committee (DTC)

The Direct Taxes Committee (DTC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is one of the important Committees of the ICAI which is engaged in the matters related to direct taxes and makes representations to the Government, Central Board of Direct Taxes and at other appropriate forums from time to time on various legislative amendments and issues concerning direct taxes. One of the main activities of the Committee is to disseminate knowledge and honing skills of the membership in the area of direct taxation by way of bringing out new publications and revise the existing publications, organizing seminars, webinars, conference programs etc.

(I) Representations/ interactions with Government

- Appointment of Accountant Member in Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) – Tribunal Reforms Act, 2021 read with Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021. Request to lower the minimum practice period of 25 years applicable to Chartered Accountants to be eligible as Accountant Member to 10 years to be on par with Advocates for appointment as Judicial Member & reduction of minimum age limit of 50 years.
- Submission of ICAI's comments on the draft Rule 11UA.

- Request to expedite the release of e filing online utility of Form Nos. 3CD, 10B, 10BB, Form ITR-6 & Issuance of Instructions for filling out various ITR forms (A.Y. 2023-24).
- Form No. 6C for implementing the amendment made by the Finance Act, 2023 w.r.t Sub-section (2A) of the section 142 of the Income-tax Act, 1961 regarding inventory valuation.
- Request to provide adequate/suitable relief to assessee liable to furnish Form 10B/10BB and ITR 7 for AY 2023-24 within the statutory timelines.
- Concerns of ICAI on Form No. 10B and 10BB for AY 2023-24 and related provisions.
- Request to provide adequate/suitable relief due to difficulties faced by stakeholders in e-filing the returns/reports - non-availability of internet in certain areas affected by curfews being imposed in those places in Maharashtra.
- Concerns of ICAI on the issuance of notice(s) to tax deductors' due to short deduction of tax from deductees' on account of either non-linking of PAN with Aadhaar or non-filing of ITRs in past years.
- Request for allowing condonation to concerned assessee in case of incorrect furnishing of Form No. 10B or Form No. 10BB or allowing an option to rectify the error.
- Concerns of ICAI on implementation of provisions of section 43B(h) of the Income-tax Act, 1961.
- Concerns of ICAI on certain issues faced while furnishing ITR Forms.
- Request for introducing mandatory ITR filing requirements and/or suitable audit reporting requirements for entities and individuals availing exemptions from income tax under Income-tax Act, 1961.
- Inputs of ICAI on Annual Information Statement (AIS).
- Concerns of taxpayers governed by Portuguese Civil Code in respect of communication received for mismatch in income as per Annual Information Statement (AIS) and Income Tax Return (ITR).
- Submission of Pre-Budget Memorandum – 2024.
- Request to address genuine concerns of assessee relating to the time of filing of Form No.10-ID for availing benefit of section 115BAB.
- Concerns faced by taxpayers regarding intimation received to rectify the defect with respect to the capital gain computation under section 50C.
- Concerns in relation to Form 26AS/TIS/AIS and in e-filing the ITR Forms.

(II) Conferences/Seminars/Workshops/VCM/Webinars/Refresher Course

The Direct Taxes Committee organized 31 Seminars/Conferences and 24 VCMs/Webcasts on topics related to Direct Taxes i.e Latest Developments in Income Tax Act including Sec 43B(h)Tax Conclave, Audit Trail & MSE Transaction, Discussion on Finance Bill, 2024 and Taxation of Non-resident Artistes or Sportspersons, Controversial Issues in Income Tax and Issues in TDS Provisions of Income Tax, Presumptive taxation and Taxation of Non-Corporate Entity, Critical Aspects in Tax Audit Reporting, Overview on Taxation of NRI's, Overview of Finance Act, 2023, Recent Amendments in Charitable Trusts & Compliances, Cryptoassets- India and Global tax landscape, Demystifying UAE Corporate Tax and e-verification Scheme, 2021, Recent Developments in International Taxation – Locally and Globally, Navigating the Aftermath: Analysing the Supreme Court's Decision on Most Favoured Nation Clause etc during the period.

(III) Post Qualification Diploma in International Taxation/Certificate Course on UAE Corporate Tax

The Committee has conducted following batches of Diploma Course in International Taxation :

Diploma in International Taxation through Online Mode

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
Tenth	Online	20.03.2023	182	Completed
Eleventh	Online	01.04.2024	199	Completed

Diploma in International Taxation - Physical Mode

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
26 th	Ahmedabad	28.01.2023	40	Completed
27 th	Delhi	29.04.2023	65	Completed
28 th	Mumbai	05.08.2023	64	Completed
29 th	Hyderabad	14.10.2023	41	Completed
30 th	Gautam Budh Nagar	16.12.2023	46	Completed
31 st	Surat	17.12.2023	48	Completed

The Committee has launched Certificate Course on UAE Corporate Tax in February, 2023.

Certificate Course on UAE Corporate Tax – Physical Mode (Batches since commencement of course)

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
1 st	Abu Dhabi	4.02.2023	16	Completed
1 st	Dubai	5.02.2023	41	Completed
2 nd	Dubai	24.09.2023	44	Completed
3 rd	Dubai	13.01.2024	36	Completed
4 th	Dubai	01.06.2024	37	Ongoing

Certificate Course on UAE Corporate Tax – Online Mode

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
1 st	Online	19.06.2023	193	Completed
2 nd	Online	03.10.2023	171	Completed
3 rd	Online	08.01.2024	197	Completed
4 th	Online	03.07.2024	200	Ongoing

(IV) Other Initiatives

- The Committee had three meetings with Chairman, Central Board of Direct Taxes and the senior officials. The first meeting was on 6th March, 2024, and the second on 24th April, 2024. In the second meeting on 24th April, 2024, the Committee presented the Pre-budget suggestions and submitted the Pre-Budget Memorandum 2024 for the year 2024-25. The third meeting on 27th June, 2024 was also a Pre-budget meeting attended by Chairman, Direct Taxes Committee and Chairman, GST and Indirect Taxes Committee, wherein additional suggestions were given on direct taxes and suggestions on customs law.
- As a new initiative this year, the Committee commenced Revisionary Classes for the benefit of candidates appearing in Post Qualification Diploma in International Taxation in May, 2024 Examination. The revisionary classes were conducted on 27th and 28th April, 2024 (2 sessions of 3 hours each on Saturday and Sunday) and these sessions were delivered by experts in international taxation and transfer pricing.
- The proposal to launch UAE Corporate Tax course in India has been approved by the Council.

- The Committee has, on request, sent 40 copies of the Study Material on Direct Taxes and International Taxation and Accounting for Orientation/Training Program for new members of ITAT.
- Responses to questions on Direct Taxes in the World Bank's Survey on Ease of Living and Ease of Doing Business were submitted to Department of Revenue by Chairman, Direct Taxes Committee, an expert representative nominated on behalf of ICAI. Response of members were invited through mass mail on select questions and these responses were incorporated in the responses sent to the Department of Revenue.

(V) Publications Released

- Implementation Guide on Revision in Form No.3CD and Form No.3CEB
- Guidance Note on reports of audit under section 12A/10(23C)

6.7 Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative (CCLEA&NPO)

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) plays a pivotal role in shaping the global economy by nurturing professionals into experts in diverse areas through rigorous education and training. Within ICAI, the Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative (CCLEANC) stands out as a vital entity. This Committee trains Chartered Accountants about diverse professional opportunities and provides insightful guidance to the members in commercial & economic laws. Focused on professional development, CCLEANC offers programmes and Certificate Courses in Commercial Laws, engages with the government regularly, imparts legal knowledge, and explores non-traditional areas of practice. Committed to contributing to India's economic growth, the Committee diligently offers informed suggestions on economic and commercial laws, aligning with ICAI's overarching goal of enhancing its members' expertise and impact on the nation's economy. In its relentless pursuit of excellence, CCLEANC remains integral to ICAI's mission, fostering a community of experts capable of navigating complex landscapes and making meaningful contributions to India's economic development.

(I) Significant Achievements and Initiatives

Partner in Nation Building:-

- In the Council Year 2023-24, the CCLEA&NC from ICAI assisted the FATF Cell of the Ministry of Finance/Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) in India's Mutual Evaluation by FATF. From March 2023, CCLEA&NC participated in meetings with the Ministry of Finance, aligning national frameworks with international standards. On November 14, 2023, ICAI officials presented India's AML/CFT framework to FATF, w.r.t. Accounting professionals showcasing the nation's commitment to international best practices and collaboration in maintaining financial integrity.
- New Initiative under the Committee - a comprehensive training programme "Understanding Business Environments and Accounting systems in crime investigations- A case study-based approach" has been conducted on 3rd May, 2023 to equip Crime Branch Police Officers in Chennai with the necessary knowledge and skills to understand the intricate relationship between business environments and accounting systems in the context of crime investigations, hosted by SIRC of ICAI. This pioneering effort signifies the first of its kind, demonstrating a proactive collaboration between finance and law disciplines to enhance the investigative capabilities of government officials.
- India's labour law reforms consolidated 29 existing labour laws into four comprehensive labour codes: The Code on Wages, 2019; The Industrial Relations Code, 2020; The Code on Social Security, 2020; and The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. with an aim to simplify and modernize the regulatory framework. Although passed by Parliament, their implementation is pending. Efforts are underway to engage with concerned authorities to ensure that members and stakeholders are well-informed about the new provisions and their implications. The Committee aims to publish relevant knowledgeable material on the new labour codes and at the same time, creating awareness through CPE Events.
- A productive meeting was held with the Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) w.r.t developing specialized skill-set to the members of ICAI for audit of Multi State Co-operative Societies (MSCS) .The discussions primarily focused on key proposals aimed at enhancing the understanding and implementation of relevant laws and regulations within the cooperative sector. This collaborative effort is expected to significantly benefit stakeholders by providing clarity and improving compliance with the regulatory framework.
- On 12th June, 2024, a meeting took place where the Minister of State for Cooperation and Civil Aviation in the Ministry of Cooperation and Ministry of Civil Aviation was congratulated and felicitated by the Hon'ble President of ICAI and two Central Council Members. Making it to the Union Cabinet (Minister of State) in his first term as Lok Sabha MP from Pune, he, as Minister of State, is allocated the Ministries of Cooperation and Civil Aviation in the newly constituted government at the Centre.

Members Education and Capacity Building:-

- The Committee has taken significant strides in advancing education and expertise in the realm of Real Estate and FEMA with the introduction of two new Certificate Courses. Launched 1st batch in November 2023 in online mode, Certificate course on Real Estate - Laws & Regulations as well as Certificate Course on FEMA, have garnered remarkable attention, drawing in a diverse cohort of over 250 enthusiastic members registered for these courses.
- The Committee has organized webinars focused on the Digital Personal Data Protection Act. Recognizing the importance of this new area of legislation, the Committee has conducted events to educate and inform participants about the nuances and requirements of the Act. These efforts aim to ensure that members are well-equipped to navigate the complexities of digital personal data protection and comply with the new regulations

(II) Webinars for grant of Unstructured CPE hours

The Committee organized the "Know Your Laws" series, which was held weekly on Thursdays and continues in the current Council year. As of 30th June, 2024, a total of 64 webinars have been conducted. Some of the topics covered in these sessions include:

Money Laundering	EPF and ESI Acts
Overseas Investment	Arbitration
Intellectual Property Rights (IPR)	Wills & Nominations
FCRA	Charitable Trusts
Labour Laws	Digital Personal Data Protection Act
Cooperative Societies	Reporting Entity under PMLA
Black Money	Supreme Court Judgements
Environmental Laws	Indian Partnership Act, 1932
Mediation	Consumer Protection
FEMA	Negotiable Instruments Act, 1881
Contract Drafting and Negotiation	

(III) Physical CPE Programme for grant of Structured CPE hours

The Committee organized 34 physical events for members, focusing on areas of commercial laws i.e FEMA, RERA, Labour Laws, Trust and Cooperative Society, Intellectual Property Rights, Impact of Recent Amendment in PMLA on Profession, Benami Transactions, Trust and NPO's, Business, Economics, and Other Laws, Digital Personal Data Protection Act, Cooperative & Decoding PMLA and Compliance, Real Estate Laws, Empowering Cooperatives: Navigating the Future, Role of Co-operatives in Vision 2047: INDIA, NPOs (Charitable Institutions and Trusts), Prevention of Money Laundering Act, PMLA, DPDP etc.

(IV) Refresher Courses

Three Days Residential Refresher Course on "Professional Opportunities in Commercial Laws were organised in the months of April 2023, August 2023 and June 2024 at Centre of Excellence, Hyderabad.

(V) Certificate Courses

Sl.No	Name of Certificate Course	Batches	No of members passed/registered for course
1	Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (AML) Specialist	24 th batch of Certificate Course on Anti-Money Laundering Laws, (Anti- Money Laundering) Specialist from 9 th October to 22 nd November 2023 25 th Batch of Certificate Course on Anti- Money Laundering Laws, (Anti- Money Laundering) Specialist – 8 th Batch in online mode from 11 th March to 9 th April 2024 26 th Batch of Certificate Course on Anti- Money	172 200 64

		Laundering Laws , (Anti- Money Laundering) Specialist – 9 th Batch in online mode from 1 st May to 5 th June 2024	
2	Online Certificate Course on ADR (Arbitration, Mediation & Conciliation)	28 th batch of Certificate Course on Arbitration, Mediation & Conciliation – 3 rd in online mode - from 21 st September to 12 th January 2024	66
3	Online Certificate Course on IPR Laws (Intellectual Property Rights laws)	2 nd Batch of Certificate Course on IPR Laws (Intellectual Property Rights Laws) in online mode from 16 th August to 15 th September 2023 3 rd Batch of Certificate Course on IPR Laws (Intellectual Property Rights Laws) in online mode from 12 th February to 19 th April 2023	105 145
4	Online Certificate Course on Cooperatives	24 th batch of Certificate Course on Cooperatives - 2 nd online batch – from 5 th June to 26 th July ,2023 25 th batch of Certificate Course on Cooperatives - 3 rd online batch from 1 st January to 7 th February 2024 26 th batch of Certificate Course on Cooperatives - 4 th online batch – 12 th February to 6 th March, 2024	96 200 200
5	Online Certificate Course on Not-For-Profit Organizations	3 rd Batch of Certificate Course on NPO in online mode – from 6 th June 2023 to 1 st August 2023	92
6	Online Certificate Course on Real Estate - Laws & Regulations	1 st Batch of Certificate Course on Real Estate - Law & Regulations in online mode from 17 th November 2023 to 15 th January 2024 2 nd Batch of Certificate Course on Real Estate - Law & Regulations in online mode from 2 nd May to 27 th June, 2024	184 182
7	Certificate Course on FEMA	1 st Batch of Certificate Course on FEMA in online mode from 29 th November 2023 to 24 th January 2024 2 nd Batch of Certificate Course on FEMA in offline mode from 1 st June 2024 to 5 th July 2024	98 44

(VI) Celebrating International & State Days

The Committee had organised CPE programmes to mark International & State days, given below, to provide focused learning and creating awareness on most relevant and contemporary topics for modernizing knowledge of members of our fraternity:

World Intellectual Property Day	April 26, 2023
Labour Day	May 1, 2023
RERA Day	May 2, 2023
International Day of Co-operatives	July 6, 2023
International Day of Charity	September 5, 2023

(VII) Programs with Authorities/Regulators

The RERA Leadership Development Programme was a significant initiative designed to enhance the skills of individuals in the real estate sector. This program aimed to empower participants by providing them with deep insights and practical knowledge. Through interactive sessions that included group discussions and presentations, the programme fostered a comprehensive understanding of the complexities of the Real Estate Regulatory Authority (RERA). Participants were given a platform to engage, learn, and apply best practices, benefiting from the extensive

experience shared by esteemed officials of RERA authorities. 3 RERA Leadership Development Programmes were organised at Hyderabad, Pimpri and Jaipur

(VIII) Views on various Bills/Laws

The Committee submitted its inputs/views on various Laws/Bills, which are as follows: -

- Suggestions on Digital Competition Bill, 2024
- Suggestions in respect of Proposed Order of MahaRERA - Details of amenities to be provided in the real estate Project by the promoter in the agreement to sale.
- Suggestions on Discussion Paper issued by MahaRERA Regarding Maintenance and Operation of Bank Accounts of Registered Projects.

(IX) Publications

- CAs' Handbook on Obligations and Privileges of Non-Residents under FEMA
- CAs' Handbook on drafting of Power of Attorney
- FAQs on Benami Transactions in India
- Professional Opportunities in 'Mediation' for Chartered Accountants.
- FAQs on Notification dated 3rd May, 2023 under PMLA
- Background material of Certificate course on Intellectual Property Rights Laws.

6.8 Digital Accounting and Assurance Board (DAAB)

Strengthening the role of Chartered Accountants as information governance, control, security and audit professionals, ICAI in the year 2018 merged Committee on Information Technology (CIT) with Digital Accounting and Assurance Board (DAAB). DAAB is developing knowledge base through position papers and articles on issues related to impact of technology on accounting and assurance. Research on potential impact of Artificial Intelligence, Robotic Process Automation, Blockchain, Cloud Computing and Big Data on accounting and assurance is being undertaken to develop concept papers. The purpose is to help chartered accountants expand their knowledge and enhance their skills in new areas of digital era.

(I) Significant Achievements

- **Compendium of Forensic Accounting and Investigation Standards (As on 1st July, 2023)**

The Digital Accounting and Assurance Board (DAAB) had issued the Forensic Accounting & Investigation Standards (FAIS) which outline the framework, the fundamental principles, key concepts and a range of subjects covering the whole process of conducting assignments in this area. In August 2021, the Board released a complete set of FAIS comprising of 20 standards and three Over-Arching documents. The continuous improvement and adaptation of standards are essential in the dynamic domain of Forensic Accounting and Investigation (FAI). Recognizing this need, the Digital Accounting and Assurance Board has revised the FAIS and released the revised Compendium of FAIS on 1st July, 2023. Realizing the increasing demands of these standards in various assignments undertaken by the members of ICAI, the Council of ICAI has made these standards mandatory from 1st July, 2023 for members conducting forensic accounting and investigation assignments.

- **Implementation Guide on Forensic Accounting and Investigation Standards (As on 1st July, 2023)**

The Digital Accounting and Assurance Board (DAAB) has issued the Implementation Guide on FAIS to help support the effective compliance with FAIS. Implementation Guide outlines in detail the various procedures which the professionals may find relevant and suitable to complete the engagement and fulfil the requirements of FAIS.

- **Post Qualification Course on Information Systems Audit**

Post Qualification Course on Information System Audit (DISA), conducted by the Board, was started in the year 2001 to upskill Chartered Accountants in Information Systems Audit which was in increasing demand. DISA course combined technology, information assurance and information management expertise that enabled a DISA qualified Chartered Accountant to become trusted Information Technology advisor and provider of Information Security Assurance services. From 2001 till date, 33566 members have qualified this course. DISA was also conducted at The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) and The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN). The Digital Accounting and Assurance Board has also updated the syllabus for the Post Qualification Course on Information Systems Audit. A total of 45 Virtual/ Physical

batches were organized including one batch each for members of The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) and The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL).

- **Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection**

The Board conducts a Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection and till date, 13394 members have qualified this course. The objective of this specialized course is to help the Chartered Accountants attain skills of utilizing accounting, auditing, CAATs/ Data Mining Tools, and investigative skills to detect frauds/ mistakes. 48 Virtual/ Physical batches were organized including one batch for members of The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN).

(II) Conferences, Webinars, Refresher Courses, Training Programmes, Eligibility Test, Assessment Test conducted by the Board

The Board conducted 73 Conferences/Refresher Course/Training Programmes/Eligibility Test/Assessment Test/VCM/Webinars on Overview of Forensic Accounting and Investigation Standards, Opportunities in Data Analytics for Chartered Accountants, Digital Assurance, Cyber Security, Advance Excel and Data Dashboard, Automation in Financial Reporting, Automation and Transformation in CA profession etc.

6.9 Ethical Standards Board (ESB)

Ethics forms the backbone of the accountancy profession, providing a framework that ensures that the chartered accountants conduct their duties in a manner which is in sync with the expectations of all the stakeholders. Ethical standards guide the accountants in making decisions that reflect what is right in all kinds of situations. Integrity, which is mentioned as the first fundamental principle for chartered accountants, is one of the critical cornerstone of ethical behavior. It involves being honest and straightforward in all professional and business relationships. Upholding professional integrity means avoiding conflicts of interest, refraining from misleading actions, and consistently demonstrating honesty in all professional dealings. With the evolution of society and the complexity of its transactions, the ethical standards have also evolved to make them contemporary. By adhering to these standards, the members ensure that they do not only comply with the regulatory requirements, but also give a positive note of addressing expectations of financial propriety and further enriching the reputation and dignity in the process. Compliance with the ethical standards also involves staying updated with the laws and regulations. This proactive approach helps the members to navigate the complex regulatory landscape, ensuring that their actions are always in line with the contemporary requirements.

The Ethical Standards Board of the ICAI plays a pivotal role in upholding the professional ethics of the members. The Board has the onerous responsibility of revising and updating the Code of Ethics for Chartered Accountants in India. This Code of Ethics is comprehensive and aligned with international standards, set by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) of International Federation of Accountants (IFAC). The Ethical standards Board ensures that the ethical standards are effective to address the professional situations faced by the members in practice and in service. The Ethical Standards Board also addresses specific issues that Chartered Accountants may face during the practice and in employment. For example, it provides detailed guidance on the course of action to be adopted in case of conflict of interest, ensuring that members can identify potential conflicts and take appropriate measures to manage them effectively. Further, it plays a crucial role in educating and raising awareness among Chartered Accountants about ethical issues. The Board organizes seminars, workshops, and training programs to help members understand and apply ethical principles in their professional/employment domain.

(I) Significant Achievements

- Finalized checks and balances for members in practice being Whole Time Director/Managing Director in IPE/RVE Companies
- ESB organized CA Connect week from 18th December to 23rd December 2023. ESB is taking various measures to make the portal popular amongst members and stakeholders.
- ESB has issued awareness column 'Know your Ethics' in the ICAI Monthly CA Journal.
- Revision of the Code of Ethics was recommended. Various study groups were formed to consider the revision in Volume-I and Volume-II of Code of Ethics.
- ESB issued 5 booklets on ethical issues namely:
 - Documentation and Professional Ethics.
 - Code of Ethics - Obligations for Members in Service.
 - NOCLAR- Members in practice and service
 - Technology and chartered accountants.

➤ Encompassing of Profession and Other Occupations

- The Ethical Standards Board has issued clarifications/announcements and FAQs on the queries raised frequently by the members and questions posed on various issues.
- Ethical Standards Board on behalf of ICAI has provided Comments on the Exposure draft on proposed revisions to the Code addressing Tax Planning and Related Services” on 18th May 2023 issued by International Ethics Standards Boards for Accountants (IESBA) of International Federation of Accountants.
- More than 300 queries of members on various professional ethical issues were addressed and resolved in the given period. Further, replies to enquires on ethical issues made by the Regulators, Government Agencies etc. were also considered by Ethical standards Board and given to them.
- The Ethical Standards Board (ESB) has organized 20 programmes, 7 Webinars and 1 Residential refresher Course for 2 days for bringing awareness of provisions on Code of Ethics and ethical issues among the members in the given period.

(II) Other Activities

- Two Meetings of Committee on Professional Ethics and Independence of South Asian Federation of Accountants (SAFA)
- Seven Meetings of International Ethics Standards Board (IESBA) were held and attended by ICAI representatives in the relevant period.

(III) Important clarifications by Ethical Standards Board

The Ethical Standards Board has issued various clarifications on ethical issues. Some of the significant clarifications issued during the period by Ethical Standards Board are as under:-

- Announcement dt. 09.04.2023 (Acceptance of certain assignments by the Concurrent Auditor of Bank Branches)
 - The concurrent auditor/Internal Auditor may undertake the assignment of certification for a Bank branch only if the certificates are addressed to the Bank's management i.e not addressed to the statutory auditor/a regulator/ without being addressed to anyone in particular.
 - The Concurrent Auditor/ Internal Auditor can neither perform Statutory Audit of the financial statements of a Bank Branch, nor certify them as audited financial statements.
- It is not permissible for a member/ firm being the statutory Auditor of a Bank to accept the assignment of ASM of a customer of the same Bank simultaneously. He can accept either of the Assignments at one time. However, where the member/ firm is appointed as ASM after the date of completion of a period of four years as Statutory Auditor of a Bank Branch or has become ineligible to continue as Branch Statutory Auditor, he may undertake assignment of ASM of the same bank.
- If a member has taken permission from ICAI to practice in his individual name then he can develop the website different from the firm's website. However, the prescribed website guidelines will be applicable to them equally.
- A member in practice cannot be appointed as an Internal Auditor and Procurement officer simultaneously in an organization.
- Acting as Investor Relations Agency for an audit client may fall under the ambit of Management Responsibility , which is prohibited under the provisions of Code of Ethics.
- The partner of a CA Firm cannot certify/attest financial documents of a company wherein he is also a Director.
- It is not permissible for member in practice being a statutory auditor to prepare Business Responsibility & Sustainability Reporting (BRSR) to Audit Clients. However, he may provide advisory services on the same. Further, it is permissible for member in practice being a statutory auditor to be “Assurance provider of BRSR core” (as used in SEBI circular dt. 12.07.2023) for the same client.
- A member can be a shareholder of the One Person Company, but he should not be involved in day to day affairs of that Company in line with the provisions of Code of Ethics.

6.10 Expert Advisory Committee (EAC)

Today's economy is a complex landscape of intricate transactions and evolving regulatory framework. In this complex era, authentic and reliable opinions on accounting issues are crucial for ensuring true and fair financial reporting. The intensively researched and independent opinions issued by the Expert Advisory Committee plays a significant role in

assisting preparers of financial statements by providing solutions to complicated accounting situations/transactions. Since its inception, the Committee has been continuously providing opinions on the issues referred to it by the members of the Institute across all industries as well as by the regulatory and government bodies such as, Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Securities and Exchange Board of India (SEBI) etc.

(I) Expert Opinions

The Committee answers queries in accordance with Advisory Service Rules, as per which queries relating to accounting and/or auditing principles are answered by the Committee and it does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments. The Committee also does not answer queries involving professional misconduct or on a matter pending before the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the Government. These Rules are available on the website of the ICAI, at its link, <https://www.icai.org/post/495> or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi. The opinions are finalised by the Expert Advisory Committee on the basis of the specific facts and circumstances of the query, as supplied by the querist in the light of the relevant laws/ statutes and considering the applicable accounting/auditing principles. Each EAC Opinion contains the date of its finalisation and should be read in the light of any amendments/developments subsequent to such date.

(II) Opinions finalised during the period

From 01.04.2023 to 30.06.2024, the Committee has finalised opinion on Seventy one (71) queries on diverse accounting issues.

(III) Compendium of Opinions/Dissemination of knowledge

In order to make available the accounting guidance contained in the opinions to the members and other stakeholders, the opinions issued by the Committee are periodically published as a Compendium of Opinions. So far, Forty-two volumes of the Compendium of Opinions have been published. These volumes are extensively referred to and relied on by the professionals. For easy reference, these opinions have also been compiled and hosted in the form of an advanced and user-friendly search application on the website of the ICAI. Some of the opinions of general professional relevance are published in every issue of the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the website of the Institute.

(IV) Webinars/Seminars

With an objective to disseminate knowledge and to create awareness amongst the members and other stakeholders about EAC opinions, the Expert Advisory Committee organised 10 Webinars on 'Recent EAC Opinions'. The Expert Advisory Committee organised its *first ever physical seminar on 'Recent EAC Opinions under Ind AS Framework'* at Mumbai. The participants appreciated the interactive nature of the Seminar and the expertise of the Speakers and felt that the opinions discussed were of immense relevance.

(V) Activities in Detail

The opinions on the following subjects have been finalised during the period:

- Accounting treatment of subsequent expenditure as per Ind AS 16, 'Property, Plant and Equipment'.
- Classification of Lease Receivables.
- Accounting treatment of revenue on conversion of leasehold land to freehold land under Ind AS framework.
- Accounting for CSR Expenditure under AS framework.
- Treatment of Government Grant under AS framework.
- Accounting treatment of similar leasehold assets held by parent and subsidiary company with different functional currencies under Ind AS framework.
- Accounting treatment of similar leasehold assets held by parent and subsidiary company in consolidated financial statements.
- Presentation of amounts received under Channel Financing Facility as per the requirements of Schedule III to the Companies Act, 2013.
- Accounting treatment of Concession Agreement under AS framework.
- Recognition of Leased Project Assets as Identified Assets as per Ind AS 116.
- Presentation of financials of Capital Redemption and Annuity Certain (CRAC) Business, in the financials of the Corporation.

- Classification/Presentation of amount paid for acquisition of Land as Inventory or Advance under Ind AS framework.
- Residual Value of Natural Gas/ LPG Transmission Pipeline under Ind AS framework.
- Accounting treatment of Spectrum Charges incurred for construction of High Speed Rail Project by the Company, under Ind AS framework.
- Accounting treatment of Project Promotion Expenses incurred for construction of High Speed Rail Project by the Company, under Ind AS framework.
- Accounting treatment of Research & Development Expenditure incurred for construction of High Speed Rail Project by the Company, under Ind AS framework.
- Presentation of Trade Receivables realised by way of discounting of bills in the Financial Statements under Ind AS framework.
- Presentation of standby, stoppage and allied costs incurred during force majeure in the project in the Statement of Profit and Loss.
- Accounting for interest income earned on fixed deposits (FD) made out of Qualified Institutional Placement (QIP) funds and QIP issue expenses, under Ind AS framework.
- Accounting treatment of other income (Bank Interest on Funds invested out of advance received from Ministry of Railways (MoR) termed as External Aided Project (EAP)) under Ind AS framework.
- Presentation of financials of the schemes and funds sponsored by the Government of India (GoI) and managed by the Corporation in its financial statements.
- Foreign Exchange fluctuation applicability in the books of the Company.
- Accounting treatment of pre-project expenses for which fund approval is pending under Ind AS framework.
- Accounting treatment for Energy Service Project under Ind AS framework.
- Accounting Treatment for Energy Service Company (ESCO) Project i.e. Smart Metering Program/Project under Ind AS framework.
- Accounting treatment and disclosure of Debit Balance of Capital Reserve arising on merger.
- Presentation of interest payable and depreciation for earlier years in the Statement of Profit and Loss.
- Accounting for Company's Liability towards Social Security Scheme Fund as per the requirements of Ind AS 19, 'Employee Benefits'.
- Accounting treatment of foreign exchange gain/loss arising out of payables for capital goods/services under Ind AS framework.
- Factoring time value of money while calculating Expected Credit Losses (ECL) on deferred debt (retention money) under Ind AS framework.
- Accounting treatment of Hybrid Annuity Projects under Ind AS framework.
- Revenue recognition in case of a Mortgage Guarantee Company under Ind AS framework.
- Accounting Treatment for ESCO Project i.e. Electric Vehicle Charging Infrastructure (EVCI) under Ind AS framework.
- Accounting for underlift/overlift quantity of crude oil in oil and gas joint operations under Ind AS framework.
- Accounting of Grant received from a Shareholder acting in the capacity of Government under Ind AS Framework.
- Accounting treatment for late payment interest expenses in case of a new Company formed for setting up of new Urea Plant and is under operation phase under Ind AS framework.
- Accounting for grant received from Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) for operation and maintenance (O&M) expenditure under Ind AS framework.
- Timing of capitalisation of the project as Property, Plant and Equipment under AS framework.

- Accounting and related disclosure of Settlement Guarantee Mechanism (SGM) in Financial Statements - [Collateral received from Member Banks as 'Liability' and Investment in Fixed Deposits of the collateral amount as 'Asset'] under Ind AS framework.
- Accounting treatment of additional capitalisation arisen due to arbitration award.
- Classification of accrued interest on short term FDR/flexi deposits of 3 months or less.
- Accounting and disclosure of Promoter Investment in another company (having 4.05% equity) under Ind AS framework.
- Accounting for grant received from the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) for acquisition of land for construction of caverns under Phase II under Ind AS Framework
- Accounting treatment of Government Grant received by an entity which was subsequently incorporated as a Company.
- Method to be adopted to determine Fair Value of Investment under Ind AS Framework – Book Value of Standalone Financial Statements or Consolidated Financial Statements.
- Point of recognition of forfeited veethapalisa income under Ind AS framework.
- Accounting treatment of certain expenditure incurred for the project under AS framework.
- Recognition of windmill plant as a property, plant and equipment or as Right of Use Assets.
- Accounting treatment for Energy Service Project i.e. Solar Power Projects under Ind AS framework.
- Revenue recognition from Contracts with Customers under Ind AS 115.
- Classification of portion in the common office complex, occupied by Parent Company, as investment property in the subsidiary company's financial statements.
- Accounting for major spares.
- Accounting for sovereign crude oil purchase, sale and inventory by the Company on behalf of Government of India (GoI) under Ind AS framework.
- Recognition of late payment surcharge (LPSC) in accounts under Ind AS framework.
- Accounting treatment of cost of land acquired and cost incurred on construction of staff quarters of polytechnic college under Ind AS framework.
- Accounting treatment under Ind AS framework of Grant in lieu of Equity received from promoters of the Company for construction of the project.
- Accounting treatment under Ind AS framework of grant for technical Assistance.
- Accounting treatment under Ind AS framework of interest free Subordinate Debts received from the Government.
- Accounting for subsidy receivable, under Ind AS framework.
- Capitalisation of ATS Charges due on Intangible Asset under development (ERP).
- Accounting Treatment of Shareholder's Loan provided to Joint Venture Company under Ind AS framework.
- Classification of the Project as Inventory or Investment Property under Ind AS framework.
- Accounting treatment of unamortised portion of grant from government/ government agencies under Ind AS framework.
- Accounting for interest-free subordinate debts under Ind AS framework.
- Consolidation of Section 8 Company with listed Company.
- Accounting for transition in the project upon transfer of rights and obligations of the erstwhile consortium to a new company by way of government decree.
- Recognition and presentation of non-refundable upfront fee/premium for development of hydroelectric project under Ind AS framework.
- Classification and Presentation of accrued wages and salaries to employees to be under Trade Payables or Provisions (Current).

- Presentation of interest income on Balance Annuity Payment (60% of completion cost) from grantor under Ind AS framework.
- Recognition of revenue from installation services.
- Recognition of revenue from maintenance services.

6.11 Financial Reporting Review Board (FRRB)

The Financial Reporting Review Board (FRRB) is playing a paramount role in improving the financial reporting practices prevailing in India. It was constituted in July 2002, by the ICAI as its non-standing committee as a proactive measure to improve the financial reporting practices in the Country and to improve the quality of audit by the Chartered Accountants. The FRRB reviews the general-purpose financial statements of various enterprises with a view to determine, to the extent possible, compliance with the generally accepted accounting principles in preparation and presentation of financial statements, compliance with the disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes/rules and regulations relevant to the enterprise and compliance with the reporting obligations of the enterprise as well as the auditor. The Board comprises of members of the Central Council of the ICAI including Government of India nominee. The Board also had the privilege of the representations from the office of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Central Board of Indirect taxes and Customs (CBIC), Central Board of Direct taxes (CBDT), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Central Electricity Authority (CEA), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and Niti Aayog during this period.

Accomplishments of the year:

(I) Undertaken review (Review of Cases selected on suo motto basis or as Special)

The Board has completed the review of 116 cases selected on suo motto basis or as special case. It includes review of 13 financial statements undertaken as special cases and 86 Ind-AS Financial Statements. Out of these 116 cases, 18 cases have been referred to concerned regulators and Director (Discipline) for further action, and in 64 cases, Board decided to issue advisory to the auditor of the enterprise.

Cases considered and finalised by the Board	Cases referred to Director (Discipline) of ICAI for further action where serious non-compliances observed	Cases referred to Regulators (MCA, SEBI) for serious non-compliances observed on companies (out of the cases in (B))	Issued advisories to the auditors
(A)	(B)	(C)	(D)
116	18	15	64

(II) Contribution to Society – Commitment to Nation

In its endeavour to support regulators as well as to bring transparency in financial reporting, the FRRB has undertaken, as special cases, review of 18 general purpose financial statement and auditor's reports thereon of various enterprises as referred by regulators, based on media reports and other references received.

• Status of review of cases referred by Regulators

- The Board was requested by the Election Commission of India to undertake review of the annual audited accounts of 6 National political parties and recognized parties with income/ expenditure exceeding Rs. 10 Crore. Accordingly, ECI sends financial statements of political parties from time to time to ICAI-FRRB for review. During the period, the financial statement of a political party has been sent by ECI to FRRB for review which has been considered by the Board.
- The list of 42 CA firms was shared by Office of the Comptroller & Auditor General of India with ICAI, which were identified as "Unsatisfactory Performance as auditors of Public Sector Undertakings" and wherein advisory has been issued to 17 CA firms and 25 firms have been debarred for a specific period by C&AG. The Board decided that the firms which have been barred by C&AG, would be sent to Director (Discipline) of ICAI for initiating appropriate action as per Chartered Accountant Act, 1949. With regard to CA firms to whom advisory has been issued by C&AG, the Board has undertaken review of the general purpose Financial Statements of 6 enterprises audited by the same auditor. During the period, the Board has considered the review of general-purpose Financial Statements of 2 enterprises and remaining 4 enterprises were considered in Council Year 2022-23. The Board decided to issue advisory to the auditor of all the enterprises.
- Based on the list of companies under liquidation received from Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI), the Board has considered the review of 7 selected companies during the period. Out of these cases,

1 case has been referred to Director (Discipline) for further investigation and in 3 cases, Board decided to issue advisory to the auditor of the enterprise.

(III) Web Portal of FRRB: Automation of FRRB workflow using Rule based Analytics

As a strategic move towards automating workflow processes and leveraging rule-based analytics for the identification of common non-compliances based on XBRL financial statements, the web portal of FRRB serves the purpose of streamlining operations and establishing efficiency in the FRRB's functions. The web portal also involves creating data in the system on the basis of past years' review cases, forming a comprehensive repository of non-compliances. This digital platform signifies a progressive step in the FRRB's commitment to modernizing operations and enhancing the effectiveness of financial reporting reviews through technological advancements.

(IV) Communication to Members on Non- Compliance

A new initiative has been taken by the Board to update the members on various non-compliances observed during the review of the Financial Statements. Accordingly, regular mass mails are being sent to members. Mass mails have been sent to members as follows:

- ‘‘Commonly found Non-compliances in Financial Statements of Banks’’ on 11th May 2023,
- ‘‘Commonly found Non-compliances in Financial Statements of Companies – Auditor’s Report and CARO, 2016’’ on 16th June 2023 and 11th August 2023,
- ‘‘Commonly found Non-compliances in Financial Statements of Companies – Assets’’ on 19th September 2023.
- ‘‘Commonly found Non-compliances in Financial Statements of Companies – Equity and Liabilities’’ on 21st November 2023.

(V) Twitter Handle-FRRB

In order to spread awareness among the members regarding the non-compliances observed by FRRB and to give regular updates on the same, 'Did you know?' series is going on at FRRB's X account with 4,278 followers as on date. During the period, 130 tweets have been posted on the errors observed on the compliance related to Accounting Standards (Ind AS and IGAAP).

(VI) Webinars, Seminars, VCMs and Programme

The Board conducted Virtual CPE Meeting and Seminars/Programme on ‘Commonly Found Non-compliances of Financial Reporting Requirements’ and Financial Reporting Practices’’ respectively.

- **Seminar on The changing dynamics of the Ind AS and Companies Act, 2013: Issues and Challenges in Implementation with PHDCCI**

The Then Chairman, FRRB along with Chairman, NFRA addressed in the seminar on "The changing dynamics of the Ind AS and Companies Act, 2013: Issues and Challenges in Implementation" held on October 13, 2023. The event was organized by the PHD Chamber of Commerce and Industry. The purpose of the seminar was to discuss the recent changes in the Indian Accounting Standards (Ind AS) and Companies Act, 2013, and their impact on financial statements. Additionally, key observations of NFRA and FRRB relating to disclosures in the financial statements were highlighted during the seminar.

- **A Webinar Series on ‘Commonly found Non-Compliances of Ind AS and Companies Act, 2013’ was held in April 2024.**

This series aimed to provide preparers and auditors of financial statements with insights into regulatory compliances and common non-compliances, thereby enhancing the quality of financial reporting. The webinar series was initiated in the month of April, coinciding with the period when most of the listed entities finalise their financial statements. With over 1700 participants, the program was a resounding success.

- **2 Day Training Programme for Technical Reviewers and FRRG Members at Amritsar and at Mumbai**

To update the Technical Reviewers (TRs) and members of Financial Reporting Review Group (FRRGs) on Ind ASs and equip them with the necessary skills required to review the Ind AS based financial statements ‘2 Day Residential Workshop for Technical Reviewers and FRRG Members’ were organized by FRRB on June 2-3, 2023, at Amritsar and October 7-8, 2023, at Mumbai. The programmes were well appreciated by the participants.

- **Awareness programmes- Upskill Knowledge on Financial Reporting Practices**

To spread the awareness amongst the members about the pertinent issues in the areas of reporting as well as to apprise them about the common non-compliances observed by the Board during review of financial statements various programmes were held during the period at Goa, Navi Mumbai, Thane, Raipur, Kannur, Bharuch,

Ratlam, Jabalpur, Amritsar, Bhilai, Ludhiana, Sonipat, EIRC, Mumbai, Ahmedabad These programmes were well attended by the participants.

6.12 GST and Indirect Taxes Committee (GST & IDTC)

The GST & Indirect Taxes Committee of ICAI actively supports the Government in GST policy making, implementation, research and knowledge sharing through its technical publications, e-learning initiatives, newsletter, videos etc. Further, the Committee works to upgrade the skills of the members of ICAI and the taxpayers by organising workshops, certificate courses, seminars etc. on GST & other indirect taxes independently and/or jointly with chambers of commerce, trade bodies, industry associations. Furthermore, the Committee supports the capacity building initiatives of the Government by organising customised training programmes on GST for the Officers of the Central Tax, State Tax/Union Territory Tax and other Government departments. The Committee is diligently working to address and bridge the GST Knowledge Gap in every sector and of every stakeholder.

(I) Initiatives towards Partner in Nation Building

- **Memorandum of Understanding with State Governments**

The Institute, through its GST & Indirect Taxes Committee, has entered into Memorandum of Understanding (MoU) with Department of State Taxes, Goa in July, 2023, State Taxes Department, Jammu & Kashmir in October, 2023 and Commercial Taxes Department, Andhra Pradesh in April, 2024 to develop co-operation and collaboration in capacity building, research, assistance in policy making, consulting and other related activities. The MoUs will ensure regular capacity building of the officers of the State Tax/Commercial Tax Departments.

- **Reinforcing GST policy making, implementation and research – Technical inputs**

- **Inputs to Revenue Secretary**

The Chairman and Vice-Chairman, GST & Indirect Taxes Committee attended the meeting convened by GST Policy Wing, Central Board of Indirect Taxes and Customs on 17th June, 2023 to discuss the measures to curb the menace of fake ITC and fake registrations. The meeting was chaired by the Revenue Secretary.

- **Suggestions on the GST Portal**

The Committee submitted its suggestions on GST Portal. Further, the Chairman and the Vice-Chairman, GST & Indirect Taxes Committee attended a breakout session on '*Leveraging of Technology –(i) Improvement of Taxpayer services, and (ii) Widening of tax base*' in the 'Chintan Shivir' organized by the Department of Revenue, Ministry of Finance on 02.08.2023 and presented the suggestions of ICAI on the subject.

- **Representation on mass show cause notices on GST issued under section 73 for the Financial Year 2017-18**

The Committee submitted a representation on 16th October, 2023 to the Principal Commissioner of State Tax, Government of Assam on mass show cause notices on GST issued under section 73 for the Financial Year 2017-18 in the month of September 2023. The representation was submitted as the notices were issued in haste and at the last moment in a generic manner without considering the individual facts of each case.

- **Suggestions on Central Excise Bill, 2024**

The Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) had invited suggestions on draft 'Central Excise Bill, 2024' from stakeholders by 26.06.2024. Accordingly, the Committee submitted its suggestions draft 'Central Excise Bill, 2024' on 26th June, 2024.

- **Pre-Budget Memorandum, 2024**

The Chairman, GST & Indirect Taxes Committee presented suggestions on customs at the Pre-Budget Meeting convened by Department of Revenue, Ministry of Finance on 27th June, 2024 at North Block, New Delhi. The Pre-Budget Memorandum, 2024 containing the aforesaid suggestions was submitted to the Government on the same date.

- **Enabling Centre, States and Union Territories to deliberate and share experiences of GST journey**

- **National GST Symposium 2023 - Reinforcing Synergy**

The Committee organized its 2nd National GST Symposium for Central Tax, State Tax and Union Territory Tax Officials at Guwahati, which was inaugurated by the then Vice-President, ICAI on 20th January, 2024. The Symposium brought together the Central Tax, State Tax and the Union Territory Tax Officers on one platform to foster synergy, discussions, exchange of ideas, flag issues and brainstorm resolutions. More than 60 high-ranking officers including Chief Commissioners, Commissioners, Additional Commissioners, Joint Commissioners from twenty-two States (22) [20 States & 2 Union Territories] participated in the Symposium.

From GSTN, three senior officers viz., Executive Vice President, Vice President, GSTN and CFO participated in the Symposium.

- **Supporting the capacity building initiatives of the Government - Capacity Building Programmes for Officials of States, Centre and Other Government Departments**

During the period, the Committee organised twenty Capacity Building Programmes on GST for the GST Department of State Governments, Central Government and Other Government Departments upskilling more than 1,200 officers.

- **Meetings with functionaries of the Central and State Governments**

10 meetings were held during the period with various Commissioners of State Tax/GST and the other senior officers of Central and State Governments. The objective of the meetings was to apprise the Officials about the various initiatives taken by the ICAI with regard to GST and discuss ways and means through which the GST & IDT Committee can offer proactive support to the Government in the area of GST. Further, the Chairman, GST & Indirect Taxes Committee attended the inaugural ceremony of the new campus of NACIN in Palasamudram, Andhra Pradesh on 16th January, 2024, which was inaugurated by Hon'ble Prime Minister of India.

- **Outreach Programme for Trade Association**

The Committee organized an outreach programme on GST in association with Karnataka Small Scale Industries Association on 8th Sept, 2023 at Bangalore which was attended by 150 participants.

(II) Important Events -National

- **National Conference on GST**

During the period, the Committee organised ten National Conferences on GST/Indirect Taxes at Ernakulam (2), Pune (2), Indore (2), Kolkata, Nashik, Bhubaneswar and Mumbai which were attended by approx. 4500 members.

(III) Initiatives for Members

- **Certificate Course on GST**

With a view to build the capacities of the members in GST in a systematic manner and enhancing their skills, the Committee launched a Certificate Course on GST on 28th April, 2017. Since then, the Committee has been regularly organising the Course across India. During the period, twenty-seven batches of the Course were organised which were attended by 1010 members. Further, Assessment Tests for the Certificate Course on GST was conducted online on 6th August, 2023 and 10th February, 2024. A total of 299 members successfully passed the Assessment Test.

- **CPE events on GST**

With a view to update the members with the latest developments in GST & other indirect taxes, so far this year, the Committee has organised 77 CPE events (workshops, seminars etc.) upskilling more than 10,000 members.

- **Webcasts/Webinars**

During the period, the Committee organised 8 webinars on various contemporary topics in GST which were attended by more than 4500 delegates.

- **ICAI Newsletter on GST**

With a view to provide updated information of GST to all stakeholder(s), ICAI launched its dedicated Newsletter on GST in April 2017. During the period, ten Editions of the ICAI –Newsletter on GST were published.

- **10 Point GST Series – An initiative towards GST Knowledge Dissemination**

“10 point GST Series”, a short video series, is being developed with the objective of creating awareness and spreading knowledge of GST amongst all stakeholders. Different aspects of GST law are being covered in this video series, with each aspect being explained in 10 points in one video. During the period Committee has developed seven such short videos for the 10 Point GST Series taking the total tally of the short videos to 19. All the short videos developed have been hosted on the Committee website and the ICAI Digital Learning Hub.

- **GST Updates**

GST law is an extremely dynamic law with multitude of notifications/ circulars/ orders/ instructions being issued frequently. With a view to keep the members abreast with such frequent changes, GST Updates containing the summary of such changes are prepared by the Committee as and when any notification/circular/order/instruction etc. is being issued by the CBIC and mailed to over 50 thousand users registered on the website of the Committee as also uploaded on the website of the Committee. During the period, 52 updates were prepared and circulated.

(IV) Publications

- Technical Guide on GST Annual Return (Form GSTR 9)
- Technical Guide on GST Reconciliation Statement (Form GSTR 9C)
- Background Material on GST Demands & Appellate Remedies
- GST Act (s) and Rule(s)- Bare Law (revised thrice)
- Background Material on GST (revised twice)
- Guide to CA Certificates in GST
- Handbook on TDS Provisions under GST
- Compliances of GST in Banking Sector
- BGM on Training Programme for GST Officers

6.13 Board of Internal Audit and Management Accounting (BIAMA)

Today's increasingly complex and risky business landscape has resulted in both elevating the importance of internal audit as well as subjecting it to significant challenges. Internal audit activities have become more critical for organizations for improving efficiency and effectiveness of operations, increasing reliability of financial reporting and promoting compliance with regulations. Considering these developments, the Board of Internal Audit and Management Accounting of the Institute of the Chartered Accountants of India provides continuous support to ICAI and its members through proactive standard setting and guidance in the area of internal audit, including guidance related to risk management and governance and to conduct cutting edge research and education to help members offer innovative and effective solutions and comprehensively serve needs of all stakeholders.

The Board is working relentlessly to bring out high quality technical literature in the form of Standards on Internal Audit and Technical Guides/ Studies/ Manuals, which constitute an important tool in helping internal auditors to provide effective and efficient internal audit services to the clients and/ or employers. The Board of Internal Audit and Management Accounting, ICAI has wide mission to provide continuous support to ICAI and its members through proactive standard setting and guidance in the area of internal audit, including guidance related to risk management and governance and to conduct cutting edge research and education to help members offer innovative and effective solutions and comprehensively serve needs of all stakeholders.

(I) Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Board of Internal Audit and Management Accounting of the ICAI is conducting Certificate Course on Concurrent Audit of Banks¹ to enable members to supplement the effort of the banks in carrying out internal check of the transactions and other verifications and compliance with the procedures laid down, improve the effectiveness of concurrent audit system in banks, improve quality and coverage of concurrent audit reports and understand the intricacies of concurrent audit of banks. The Board had organised 10 batches of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks in Physical and 4 batches in Virtual mode during the period and around 1004 participants have successfully completed the course.

(II) Certificate Course on Internal Audit

Certificate Course on Internal Audit has been completely revamped by Board of Internal Audit and Management Accounting, ICAI with new topics and heavy dose of information technology, being launched in a contemporary format to serve the needs of all stakeholders. The Certificate Course on Internal Audit has been designed to help the members to enhance the expertise of the Chartered Accountant in Internal Audit, Build Governance, Risk and Compliance as one of their core competencies and help certified members to distinguish themselves from others conducting internal audits. The Board had organised 2 batches of Certificate Course on Internal Audit in Physical and 3 batches in Virtual mode during the period and around 417 participants have successfully completed the course.

(III) Post Qualification Course - Diploma on Management and Business Finance (DMBF)

The Board is running Post Qualification Course - Diploma on Management and Business Finance (DMBF) to enable the members to gain acumen, expertise and in-depth knowledge in the areas of Management and Business Finance. The Board has conducted 4th batch of the said Course in online mode and as of now, 40 members have successfully completed the Course.

(IV) Programmes, Seminars, Conferences and Webinars on Awareness on Internal Audit

With a view to provide platform of dissemination of knowledge among members, the Board has organized 52 webinars on Internal Audit on various topics in virtual mode during the period. 16 programs have been conducted by the Board in physical mode during the period- Standards on Internal Audit (SIAs), ICAI Internal Auditors Interactive

Meet 2023, Internal Audit and Control, Residential Refresher Course on Internal Audit, Internal Audit Methodology and Reporting Techniques, Red Flags Internal Audit etc.

(V) Publication Issued

- Technical Guide on Internal Audit of IT Software Industry
- Technical Guide on Risk-based Internal Audit in Banks
- Technical Guide on Internal Audit of Pharmaceutical Industry
- Technical Guide on Auditing Waste Management
- Technical Guide on Internal Audit of Not-for-Profit Organisations (NPOs)
- Internal Audit Checklist
- Study on Co-ordination of Internal Auditor with Functional Heads
- Manual on Concurrent Audit of Banks

6.14 Committee for Members in Industry and Business (CMI&B)

CMI&B is one of the non-standing Committees of the ICAI dedicated to fostering and strengthening the bonds between Chartered Accountants in Industry & Business and the Institute. In pursuit of this objective, since its inception in 1995, its mission is to encourage and enhance close links between the ICAI and the Chartered Accountants in industries in various capacities so as to provide for them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with business organizations, Industries of various sectors, agencies of the Government, Departments and Ministries of the Central and State Government in such manner as to provide the maximum possible exposures to the world of trade, commerce, industry and Governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

(I) Major areas of work of CMI&B

- Campus placement Programmes for newly qualified Chartered Accountants
- Career Ascent Programme for placement of experienced Chartered Accountants
- Mentorship Programme
- CFO Meet
- Annual Awards to recognise CA achievers in industry and business
- Facilitating CPE Study Circles for Members in Industry
- Enhancing the strength of the Members in Industry from Initial to Top level

(II) Campus Placement Programmes for newly qualified Chartered Accountants

Campus Placement Programme (held twice a year) provides a platform to both the Newly Qualified Chartered Accountants (NQCAs) and the organizations looking to hire the best available talent to fulfil their Human Resource requirement. This programme, being a one stop solution, offers a unique opportunity to the employers to interact with the NQCAs, peruse the particulars of a huge pool of promising professionals and recruit the suitable one(s) who is found to be better than the best.

• **57th edition of Campus Placement Programme – February March 2023**

The 57th edition of Campus placement Programme covered the candidates who have passed final examination held in Nov 2022 examinations and Candidates who passed final examination at the immediate previous examination, but did not register for the then campus programme, were allowed to register. The interviews were successfully completed at 9 major (Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Delhi, and Pune) and 17 smaller centres (Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Durgapur, Ernakulam, Indore, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Noida, Patna, Ranchi, Raipur, Thane, Vadodara, and Visakhapatnam).

The statistical information of (57th edition) is as under:

Campus Placement Programme	February-March 2023
Number of Candidates registered	10228
Total No. of Organizations participated	189

Total Number of Interview Teams	507
Number of jobs offered by the participating organizations	5814
Number of jobs accepted by candidates	4249
Highest salary (cost to company) offered for Domestic Posting	INR 28 lakhs (per annum)
Average salary (cost to company)	INR 12.45 Lac (Per Annum)
Average salary	INR 10.57 LPA

An Orientation Programme was organized in physical mode at the 9 bigger centres from 3rd February to 9th February 2023 and mock interview in virtual mode at 9 bigger centres from 22nd to 27th February 2023.

• **58th edition of Campus Placement Programme - August-September 2023**

The 58th edition of Campus placement Programme covered the candidates who have passed final examination held in May 2023 examinations and Candidates who passed final examination at the immediate previous examination, but did not register for the then campus programme, were allowed to register. The interviews were successfully completed at 9 major (Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Delhi, and Pune) and 17 smaller centres (Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Durgapur, Ernakulam, Indore, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Noida, Patna, Ranchi, Raipur, Thane, Vadodara, and Visakhapatnam). The statistical information of (58th edition) is as under:

Campus Placement Programme	August-September 2023
Number of Candidates registered	10097
Total No. of Organizations participated	169
Total No. of Interview teams	383
Number of jobs offered by the participating organizations	3395
Number of jobs accepted by candidates	2385
Highest salary (cost to company) offered for Domestic Posting	INR 23.70 lakhs (per annum) ITC Ltd
Highest salary (cost to company) offered for International Posting	INR 49.20 lakhs (per annum) Tolaram Group (a historic high)
Average salary (cost to company)	INR 12.32 Lac (Per Annum)

An Orientation Programme was organized in physical mode at the 12 centres from 7th to 27th August 2023 and mock interview in virtual mode at 9 bigger centres from 10th to 16th August 2023.

(III) Career Ascent Programme for placement of experienced Chartered Accountants

CMI&B offers a customized Campus Placement Programme for the experienced Chartered Accountants which provide a platform to the Chartered Accountants to secure career advancement in leading organisations and excellent opportunity for organisations to recruit best of finance and accounts professionals. This drive is an extended dimension to the existing campus placement programme, being regularly undertaken by CMI&B for the Newly Qualified Chartered Accountants, twice a year. The Indian companies participating have to offer a minimum CTC as per the following experience criteria:

S. No.	Work Experience	Minimum CTC
1.	1-5 Years	12 LPA
2.	5-10 Years	17 LPA
3.	10-20 Years	26 LPA
4.	20 Years & above	38 LPA

Career Ascent program, 2023 was organized in June 2023. A snapshot of the program is given below:

Career Ascent program, 2023	June 2023
Total Registered members	3825
Total No. of Organizations	34
Total No. of Interview teams	84
Total declared Vacancies	2200

Total shortlisted candidates	3096
Total offer candidates	418
Total offer accepted candidates	245

(IV) Placement Program for Women CAs

ICAI has been taking several measures to develop capacities of women members to effectively utilize their professional knowledge and expertise. In the spirit of empowering women members, ICAI organized Second Placement program for Woman CAs jointly with Woman Member Empowerment Committee (WMEC). Second Placement Programme for Women CAs jointly with Woman Member Empowerment Committee was held virtually at 9 bigger and 12 smaller centres on 31st October and 31st October, 2023. The recruiters and candidates were given the option of flexi-timings, part time and work from home. To help prepare for the interview panel and to address queries Orientation Programme for registered women members was held on 28th October 2023. The Brief Statistics is given below:

Career Ascent program, 2023	June 2023
Total Registered members	1749
Total No. of Organizations	20
Total No. of Interview teams	51
Total declared Vacancies	257
Total shortlisted candidates	920

(V) Annual ICAI Awards to recognise CA achievers in industry and business

The ICAI established the ICAI Awards in 2007 to acknowledge members who have demonstrated excellence and displayed an enduring commitment to achieving heights in their roles as CA professionals. These awards aim to honor individuals exhibiting excellent skills, dedication, enthusiasm, leadership, and the ability to deliver the best practices that others strive to emulate. The Award process for this year commenced on September 14, 2023, with the registration of nominations under various categories, including CA Business Leader, CA CFO & CA CXO, CA Entrepreneur – Leader & Rising Star, CA Global Achiever, CA Educator, CA Young Member – Female & Male, and CA Special Recognition (for specially-abled). A total of 181 nominations were received, among which 161 were found eligible. The shortlisted names were presented before the eminent Jury members, who considered the nominations and presentations by the Nomination Process Auditor, Desai Haribhakti Consulting Pvt. Ltd., during the Jury Meet on December 20, 2023, in Mumbai. The Jury selected 27 awardees across various categories.

(VI) Leadership Summit 2024

The Leadership Summit 2024 was organized on January 6, 2024 at Mumbai, focusing on the theme “Leading through changes: Navigating the Future Finance.” The summit featured distinguished speakers sharing their insights on various topics. The first discussion centred around “Exploring AI Digital Innovations and Challenges in the Realm of Cybersecurity.” The panel included Founder and Managing Partner, Harshwal & Company LLP, President Corporate Strategy and Digital Transformation, Times Network, Founder & CFO – ComplyAny and Corporate Trainer, Consultant, Coach, Faculty, Founder, KAGR moderated this session, addressing the intricacies of AI, digital innovations, and challenges in cybersecurity. The second topic of discussion was “Business Goals - The CEO & CFO Dynamics,” featuring insights from Group Managing Director- Ashok Piramal Group and Director & CEO - Anand Rathi Global Finance Limited. Vice President – Golden Source moderated the conversation, shedding light on the intricate dynamics between CEOs and CFOs in achieving organizational goals. Two special sessions were also held. The first focused on “CFO in the Next Paradigm” with, Group Chief Operating Officer at Joi Financial Services Management. The second special session explored “The Role of CAs in Nation-Building” with insights from MD & CEO of HDFC Asset Management Company Limited. The final session delved into “Capital Market – India Growth Story,” featuring Chairman - Anand Rathi Group, Ex Senior Fund Manager-Kotak MF and CEO - Carnelian Asset Management & Advisors Pvt Ltd. Director, Hem Securities Ltd moderated this discussion on the growth narrative of India’s capital market. The summit provided a platform for robust discussions and valuable insights, offering a comprehensive exploration of the evolving landscape of finance and the role of finance professionals in shaping the future.

(VII) Recognition of 40 CA Business Leaders under the age of 40 – Event titled “40 UNDER 40 – CA BUSINESS LEADERS”

In recognition of significant contributions and in a bid to acknowledge the achievements of young outstanding performers within its member base, the Committee For Members in Industry & Business (CMI&B) organized the

prestigious CA Business Leader-40 Under 40 Season 2 awards, in association with CNBC- TV18. The campaign was designed to honor individuals under the age of 40 who have demonstrated excellence and unwavering commitment as CA Business Leaders. The event celebrated the spirit of excellence among dynamic Chartered Accountants. The award ceremony took place on December 11, 2023 in Mumbai. The event aimed to recognize and honor young CA Business Leaders for their exemplary contributions and commitment to achieving excellence in their respective fields. The awards were judged by a distinguished panel of industry experts and leaders: Vice Chairman, Bharti Enterprises, Former MD & CEO, KEC International, CEO/MD, India First Life Insurance Co, Chief Executive Officer, IRM India Affiliate, Independent Director and Advisor, CFO, LIC of India. The awards focused on recognizing and felicitating the exceptional contributions of young Chartered Accountants who have demonstrated excellence and dedication to advancing the CA profession. The event featured a thought-provoking panel discussion on the topic “India’s Amrit Kaal: Roadmap for a Sustained & Inclusive Economy.” The event not only recognized the outstanding achievements of young Chartered Accountants but also provided a platform for insightful discussions on key topics impacting the economy. The presence of distinguished jury members and accomplished panellists added value to the event, making it a memorable occasion for all participants.

(VIII) Virtual Townhall on the theme “Scripting India’s Balance-sheet for Global Leadership”

The Virtual Townhall on the theme “Scripting India’s Balance-sheet for Global Leadership” was convened to address the pivotal role of Chartered Accountants (CAs) in contributing to and strengthening India’s current growth trajectory for global leadership. The event highlighted the critical connection between India’s economic growth, the role of CAs, and the strategic decisions made by businesses in terms of financial and tax planning. The Virtual Townhall served as a platform for thought leaders, industry experts, and award-winning CAs to discuss and strategize on India’s path to global leadership. The insights shared by ICAI leaders and industry professionals, coupled with the experiences of the awardees, enriched the discussion on financial planning, favourable policies, and the leadership role of CAs in steering India’s growth story. The event concluded with a commitment to collaborative efforts between the ICAI, CMI&B, and the business community to script India’s balance-sheet for global leadership in the coming decade.

(IX) Facilitating CPE Study Circles for Members in Industry

The CMI&B facilitates the organizations having more than 25 Chartered Accountants working therein to form a forum/ study Circle to take forward the continuing professional learning for them. These Study Circles help them to organise in house training sessions and training programmes on topics of contemporary relevance for them.

(X) Programmes and Events

Notable Initiatives

- **Production and telecast of Talk Show series on TV Channel titled, “Chartered Accountants: The Growth Gears”-** The CMI&B produced a Talk Show and telecast the same on Zee Business TV as a serial named, “Chartered Accountants: The Growth Gears”. Each of the episodes of the Talk Show featured one prominent Chartered Accountant of great intellect and eminence, a high achiever who had through his/ her hard work and dedication, crossed several milestones and attained a high level of professional accomplishments. Such talk shows showcase the profession and motivate members to achieve greater heights. This show inspired budding professionals and new entrants of the profession. The show (having 14 Episodes) was telecast on Zee Business TV on 2nd & 4th Sundays.
- **Management Development Programmes for CA rank holders-** The Committee organised following MDPs for CA Rank holders:
 - CMI&B organised 9th Batch of Management Development Programme for the CA Final rank holders of May 2023 examinations to improve their managerial & leadership skills to enable them to attain good pay packages. This batch of MDP was organized from 1st to 10th August 2023 in association with IIM Udaipur.
 - The 1st Batch of Management Development Programme for the CA Final non-rank holders in May-2023, Nov-2022, May-2022 and Dec-2021 CA Final Exam 2022 examination was organized from 2nd August to 7th August 2023 in collaboration with IIM Amritsar, in Physical mode.
 - The 1st Batch of Management Development Programme for the General Members of ICAI was organized from 11th to 16th December 2023 in collaboration with IIM Raipur, in Physical mode.
- **Roundtable - An Interactive Meet with CFO’s-** The Committee organized following CFO meets during the period:

Sl.No.	CFO Meet	Date and Venue	Theme
1	Roundtable interactive Meet of CFOs	18 th August, 2023 at Faridabad 2 nd September, 2023 at Ernakulam	C-Charting, F-Future, O-Opportunities

		8 th September, 2023 at Vadodara 6 th October, 2023 at Bengaluru 20 th October, 2023 at Coimbatore 30 th November, 2023 at Pune 10 th December, 2023 at Indore 20 th December, 2023 at Mangaluru 29 th December, 2023 at Gurugram 18 th January, 2024 at Assam 23 rd January, 2024 at Ahmedabad 24 th January, 2024 at Surat. 27 th January, 2024 at Kolkata 3 rd February 2024 at Chennai	
2	Interactive Meet of CFOs	19 th August 2023 at Delhi	ESG (Environmental, Social & Governance) Initiatives”
3	Interactive Meet of CFOs	19 th August, 2023 at Jaipur	--
4	CFOs Meet	2 nd December 2023 at Mumbai	The Evolving Role of CFOs – Rising Upward

- **HR Meets-** The Committee organized 3 HR Meets i.e Chartered Accountant – The Growth Drivers of Organization etc.
- **Industry-specific webinar and Other programmes and seminars-** The Committee organized Residential Refresher Course on Professional Opportunities in Industry & Networking, interactive meet with members in industry, Seminar for newly qualified Chartered Accountants, Conference on Role of Data Analytics in Strategic Decision Making, Work Life Integration, Webinars on Real-Estate sector, Pharma Sector, Capital Market, Healthcare Industry, Banking Sector, Insurance Industry etc.

(XI) Report on Research Study: Performance of Industries in Various States

The Chartered Management Institute & Business (CMI&B) initiated a comprehensive research study to assess the performance of key industries across various states. The objective was to provide valuable insights into the economic landscape, identify areas of improvement, and contribute to informed decision-making. CMI&B collaborated with esteemed institutions, namely St. Xavier's College, Kolkata; Management Development Institute, Haryana; IIM Lucknow, Uttar Pradesh; Loyola Institute of Business Administration, Tamil Nadu; Symbiosis Institute of Management, Mumbai; and Amity University, Rajasthan, to conduct this study. The research study covered key industries in multiple states, focusing on their performance, challenges, and growth potential. The states included in the study were carefully chosen to provide a representative overview of the diverse industrial landscape in India. The collaborative effort between CMI&B and renowned academic institutions aims to provide valuable inputs for policymakers, industry stakeholders, and the public.

The Committee released the study report for Uttar Pradesh, which took place on November 30, 2023. The report was unveiled by the Chief Minister of Uttar Pradesh, adding significant prestige to the occasion. The release of the study report for Uttar Pradesh marks a significant milestone in this endeavor, and the committee looks forward to continuing its efforts to contribute to informed decision-making and the overall development of industries in India.

Reports

- **Exploring the Economic Landscape of Maharashtra: An analysis of Different Industries Performance-** This report, shall provide the members and other stakeholders valuable insights into the economic dynamics of one of India's most industrially vibrant state.
- **A Study on the GDP of Tamil Nadu: Key Sectors to Improve GSDP and Key Areas to Focus for Revenue Augmentation-** This report, marks a noteworthy milestone in enhancing the members' and other stakeholders' comprehension of the current industrial landscape in the State. The research encapsulated in this report strives to create enhanced opportunities, ensuring the long-term sustainability of industries in Tamil Nadu.

- **A Study report on performance of various industries in the state of Rajasthan-** This report is a testament to the commitment to providing the members with profound insights into the economic dynamics of Rajasthan, one of India's significant states. This pioneering study aspires to be a dynamic resource, offering a deeper comprehension of economic trends and uncovering opportunities for sustainable growth.
- **Tales of Triumph - The Stories of Successful Chartered Accountants-**In this edition, the Committee delves into the stories of Chartered Accountants who have not only excelled in their professional domains but have also become ambassadors of the profession, earning accolades and laurels. Their journeys, marked by challenges and triumphs, serve as a reservoir of wisdom for those charting their course in the world of chartered accountancy.

6.15 Peer Review Board (PRB)

The Peer Review mechanism was introduced by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with the setting up of the Peer Review Board in March 2002. The Board is progressing satisfactorily since inception and is continuously providing guidance to the members to enhance the efficiency of assurance services rendered by them. The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out the assurance service assignment, the members of the Institute (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Peer Reviewer.

The Peer Reviewed firms are given recognition even by the regulators as stated below: -

- SEBI, with effect from April 1, 2010, has made it mandatory for the listed entities, that limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the Institute.
- The Comptroller and Auditor General of India (C & AG) has revised the Policy of Empanelment of CA Firms/LLPs and appointment of auditors of Companies under Section 139(5) and 139(7) of the Companies Act 2013 and of Statutory Corporations/Autonomous Bodies as per the provisions of their respective Acts. A maximum of 25 points allotted to firms which hold a Peer Review Certificate on the date of making an application for empanelment.

(I) Peer Review of Practice Units:

The Peer Review Board has considered and issued 2114 Peer Review Certificates between the period 01.04.2023-30.06.2024 which constitutes total 16950 Peer Review Certificates issued till date. Also, the Peer Review Board has considered 453 cases of AQMM Review till now having following details :

AQMM Level of Practice Units	No. of Practice Units
Level 1	3
Level 2	40
Level 3	214
Level 4	196
Total	453

(II) Deferment of phase II of the Peer Review Mandate

The second phase of the mandate was earlier applicable w.e.f April 1, 2023 for the Practice Units which propose to undertake Statutory Audit of unlisted public companies having paid-up capital of not less than rupees 500 crores or having annual turnover of not less than rupees 1000 crores or having, in aggregate, outstanding loans, debentures and deposits of not less than rupees 500 crores as on the 31st March of immediately preceding financial year OR Practice units rendering attestation services and having 5 or more partners. Considering that some of the Practice Units which require to get themselves Peer Reviewed under the 2nd phase of the Peer Review mandate were not ready for the same, the Council initially decided to defer the applicability of the second phase of the mandate by three months to be made effective from July 1, 2023. This was later extended up-to 31st March 2024. Then, grace period was allowed for another 3 months. Phase II of the mandate is now effective from July 1, 2024.

(III) Deferment of phase III of the Peer Review Mandate

The third phase of the mandate was earlier applicable w.e.f April 1, 2024 for the Practice Units which have raised funds from public or banks or financial institutions of over Fifty Crores rupees during the period under review or of

any body corporate including trusts which are covered under public interest entities OR Practice units rendering attestation services and having 4 or more partners. Considering that some of the Practice Units which require to get themselves Peer Reviewed under the 3rd phase of the Peer Review mandate were not ready for the same, the Council decided to defer the applicability of the third phase of the mandate by nine months to be made effective from January 1, 2025.

(IV) Training & Empanelment of Peer Reviewers:

- **Training Programme for Peer Reviewers:**

The Board conducts training programmes for members to empanel them as Peer Reviewers with the Board. The training sessions guide them about the methodology of conducting Peer Reviews. During the period from April 1, 2023 till June 30, 2024, the Board has organized 105 Peer Review training programmes physically and 4 training programmes through Virtual mode.

- **Online Tests for empanelment of Peer Reviewers:**

Online tests for empanelment of Peer Reviewers are being conducted every alternate week for the members who have attended the training and are eligible to become Peer Reviewers. Final Assessment Tests are organized every alternate Fridays. In addition to this, Mock Tests are organized for every Final Tests on each preceding Fridays. These tests are being organised twice every Friday- one in the morning and the other in the afternoon. Accordingly, 64 Final and 64 mock tests are organised in the duration of 01.04.2023-30.06.2024. A total of 1620 members have become Peer Reviewers from 01.04.2023-30.06.2024 constituting total 3399 members empanelled with Peer Review Board till 30th June 2024.

Region wise break-up of Number of Trained Reviewers with the Peer Review Board

Region	No. of Reviewers
WIRC	712
SIRC	428
EIRC	301
CIRC	1158
NIRC	800
Total	3399

(V) Other Initiatives :

The Board has been making continuous efforts to make the Peer Review mechanism more effective. The level of awareness created during the last 22 years has indeed brought about an overall improvement in the quality of assurance services rendered by the members. A comprehensive all-encompassing approach has been followed to create an enabling eco-system including by:

- Developing sufficient and competent resources for review;
- Improving the quality of peer reviews; and
- Initiating steps to make increased use of technology in the peer review process so as to effectively overcome capacity constraints.

6.16 Professional Development Committee (PDC)

The Professional Development Committee was established in 1962 with a mission to enhance skill sets of the members of our Institute in the existing and new areas.

(I) MEETINGS WITH VARIOUS REGULATORS AND OTHER OUTSIDER BODIES:

The PDC in its efforts to explore the unchartered areas for professional opportunities interact with the Government, regulatory authorities etc. requesting them to avail the expertise of the Chartered Accountants and utilize their services in various areas.

- **Meeting with Special Secretary (Cooperation) & CRCS :** A meeting was held with Special Secretary (Cooperation) & CRCS, Ministry of Cooperation to discuss strengthening of audit mechanism in the multi-state Cooperative Societies in line with the multi-state Cooperative (Amendment) Bill 2022 and creation of a panel of auditors for audit of such Societies.

- **Meeting with CGM Incharge and CGM, RBI** : A meeting was held with CGM Incharge, RBI and CGM, Department of Supervision on 3rd August, 2023 in Mumbai to discuss matters of professional interest including Audit Quality parameters. During the meeting RBI was apprised of various activities undertaken by ICAI including various meetings held with SCAs, Independent Directors, CFOs etc. alongwith RBI. Alongwith the above discussion, a meeting with General Manager, Audit Relationship Group, RBI was held to discuss various aspects of Bank Branch Auditors Panel.
- **Meeting with CGM and CGM, Institutional Development Department, NABARD** : A meeting was held on 3rd August, 2023 in Mumbai with CGM and CGM, Institutional Development Department, NABARD alongwith Senior officers of NABARD to discuss matters of professional interest including Auditors Panel for Cooperative Banks, RRBs, development of ERP for “Primary Agricultural Credit Societies” (PACS) and enhancement of fees for auditors of RRBs.
- **Meeting with IAS, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance** : A meeting was held on 31st August, 2023 with IAS, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India to discuss opportunities in Cooperative Banks, Regional Rural Banks and NABARD to discuss the matter regarding revision of Audit fees for Statutory Auditors of Regional Rural Banks (RRBs).
- **Empanelment of Chartered Accountants firms by SFIO** : An open house meeting was held in the office of SFIO on 4th October, 2023 to discuss the proposal for empanelment of CA Firms/Corporates in Forensic Audit/analysis for assisting the investigation team of SFIO with the active involvement of a Central Council Member. During the meeting, the SFIO placed a proposal for empanelling the Corporates/ Companies/ and Other LLPs having relevant experience in the field of forensic audit along with CA firms. In response, the PDC had put forth the significance of the well-established and laid down disciplinary mechanism of the Institute which governs the Chartered Accountants. Further, the PDC has also shared the norms of the O/o C&AG and RBI. The office of SFIO has issued a notice for empanelment of Chartered Accountants firms wherein they recognised only Chartered Accountants firms for empanelment and for conducting various assignments related to SFIO and they have also mentioned that while fixing the quantum of fees for an assignment, guidelines issued by ICAI from time to time, will be broadly followed on a case-to-case basis.
- **Meeting with General Manager, RBI** : A meeting was held with General Manager, RBI on 10th November, 2023 at Mumbai to discuss about various concerns that were expressed by the members about the eligibility of continuing auditors for the bank audit as per the revised norms of RBI dated 6th March 2023.
- **Meeting with RBI to understand the difference in practices adopted by Statutory Auditors while passing of Memorandum of Changes (MoCs)** : RBI informed ICAI that it has undertaken a study to understand the difference in practices adopted by Statutory Auditors while passing of Memorandum of Changes (MoCs) in Public Sector Banks and Private Sector Banks. In this regard, a virtual meeting was held with the RBI on 10th January 2024 wherein General Manager, Department of Supervision and General Manager, Audit Relation Group along with their team members shared some key points on differences in practices adopted by Statutory Auditors while passing of Memorandum of Changes (MoCs) in Public Sector Banks and Private Sector Banks.
- **Meeting with NABARD** : A meeting was held with CGM, NABARD, GM, DGM and AGM at NABARD, Mumbai on 16.04.2024. Various issues were discussed pertaining to audit to RRBs and Co-operative Audits.
- **Meeting with Department of Posts (DoP)** : To explore professional opportunities for Chartered accountants in auditing post offices, a meeting was held on April 24, 2024, with Director of Audit and Legal at the Department of Posts (DoP). Various matters concerning the accounting and auditing systems at the DoP were discussed, including transition from a cash accounting system to an accrual-based accounting system.
- **Meeting held with Department of Financial Services, Ministry of Finance** : A meeting was held with Additional Services, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi, on 7th May, 2024. During the meeting, matter related to the revision of audit fees for statutory auditors of Regional Rural Banks (RRBs) was discussed, and the proposal for an upward revision of the fees for RRBs was submitted under the signatures of President, ICAI.
- **Meeting with Senior Advisor, Niti Aayog** : A meeting was held with Senior Advisor, Niti Aayog, New Delhi on 7th May, 2024. During the meeting, discussions were held on the collaboration between ICAI and NITI Aayog WEP for empowering women entrepreneurs. In this regard, deliberations were made on materializing the MOU between WEP and ICAI. Every month, NITI Aayog conducts the AskWEP series on various topics to provide knowledge to women entrepreneurs. For the sessions to be held, the ICAI as a knowledge partner, is supporting the event by sharing the program structure and providing speakers/ moderator for the relevant topics.

- **Meeting with Audit Relation Group, RBI** : A meeting was held with the Audit Relation Group of the RBI on 3rd June, 2024 at Mumbai to discuss various issues concerning the audit profession in the banking industry.
- **State Level Coordination Committee (SLCC) meetings held during the year** : During the year more than 48 SLCC meetings were held by RBI all across India which were attended by the representatives of ICAI.

(II) ACHIEVEMENTS:

- **Proposal submitted to RBI for establishing institution arrangement on Information System's (IS) audit**

The RBI informed that there is a need for establishing an institutional set-up (something similar to the ICAI), which is for Chartered Accountants (CAs) to carry out financial audits. This new set-up should be able to create a pool of professionals (CAs and non-CAs) as IS auditors by conducting rigorous examinations. In addition, it may also be ensured that these professionals are up to date with the latest technologies and methodologies. Accordingly, a proposal was submitted to RBI.

- **Draft parameters for eligibility criteria for Statutory Audit and Concurrent Audit of the multi-state Cooperative**

A meeting was held with Special Secretary (Cooperation) & CRCS, Ministry of Cooperation to discuss strengthening of audit mechanism in the multi-state Cooperative Societies in line with the multi-state Cooperative (Amendment) Bill 2022 and creation of a panel of auditors for audit of such Societies. Accordingly, the draft parameters for eligibility criteria for Statutory Audit and Concurrent Audit of the multi-state Cooperative (both Credit and non-credit) entities were prepared on the lines as done for RBI with appropriate modifications and submitted to Special Secretary, Ministry of Cooperation.

- **SOI entered between NITI Aayog and ICAI**

NITI Aayog and PDC has entered into a Statement of Intent (SOI) on 3rd October, 2023 in Goa in the presence of Hon'ble Chief Minister, Government of Goa and CEO, Niti Aayog, , Senior Advisor, Niti Aayog, the then Chairman and Vice-Chairman, PDC. The collaboration intends to disseminate appropriate knowledge to support women entrepreneurs through various agreed upon means.

- **MoU with IIM Ahmedabad**

PDC signed MoU with IIM Ahmedabad on 23rd October, 2023 to provide specialized courses for Chartered Accountants to upskill their knowledge.

(III) Revision of PD Publications:

- Professional Opportunities for Chartered Accountants in Insurance Sector
- Professional Opportunities for Chartered Accountants in Risk Management

(IV) Submission of Panel to Various Authorities:

The Panel of Chartered Accountants/Firms is provided to various authorities/agencies. Details of submissions made is given below:

Sl.No.	Date of submission of Panel	Authorities/Agencies
1	13 th April, 2023	Chief Executive Officer, Supervision & Audit Committee, Co-op Dept., Gujarat State, Ahmedabad
2	2 nd May, 2023.	Registrar, Gujarat Technological, University, Gandhinagar Highway, Chandkheda, Ahmedabad
3	26 th May, 2023	The Punjab State Cooperative Bank Ltd, Chandigarh
4	31 st May, 2023.	The Dy. General Manager, Indian Bank, Chennai
5	6 th June, 2023	Director (Administration), The Institution of Engineers (India), 8 Gokhale Road, Kolkata
6	15 th June, 2023	Deputy General Manager - Division 2, SEC Vertical - Investment Management Department, Securities and Exchange Board of India, Mumbai
7	23 rd June, 2023	Deputy Secretary to Govt. of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), (National Skill Development Fund), New Delhi

8	6 th July 2023	Joint Director, Directorate of Local Fund Audit, Treasury & Accounts Bhawan, Unit-III, Bhubaneswar
9	20 th July 2023	Central Bureau of Investigation, Anti-Corruption Branch, Chennai on 20th July 2023 Panel submitted to Head of Branch, Central
10	20 th July, 2023	Head of Branch, Central Bureau of Investigation, Anti-Corruption Branch, Chennai
11	24 th August, 2023	Senior Manager, Inspection & Audit Department, Tamil Nadu Grama Bank, Head Office - Salem
12	17 th November, 2023	Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation, North Range, Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai panel of Tamil Nadu based III & IV Chartered Accountants/ Firms
13	23 rd November, 2023	Director- CII & Head- NFCG, National Foundation for Corporate Governance (NFCG) panel of Delhi based Proprietary Concern with 1 Paid Chartered Accountant
14	14 th February, 2024	Chief Manager - Investment Department, United India Insurance Company Limited, Chennai
15	16 th February, 2024	General Manager, The Andhra Pradesh State, Co-operative Bank Ltd, Vijayawada
16	1 st March, 2024	Manager (Finance), India Trade Promotion Organisation, New Delhi
17	6 th March, 2024	Internal Audit Division, "NSIC Bhawan" Okhla Industrial Estate, New Delhi
18	7 th March, 2024	Assistant Registrar, Cooperatives Societies, Jammu and Kashmir
19	4 th April, 2024	Assistant General Manager (Finance), National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, Delhi
20	18 th April, 2024	Legal Section of ICAI for onward submission to National Company Law Tribunal, Kolkata.
21	21 st May, 2024	Chief General Manager, NABARD, Mumbai of All India (state-wise) audit firms for conduct of Statutory Audit of State Cooperative Banks (StCBs) and Central Co-operative Banks (CCBs) for FY 2023-24
22	4 th June, 2024	Assistant General Manager, Indian Overseas Bank
23	6 th June, 2024	The Deputy Director, (NT/IT and Administration), The Institution of Engineers (India)

(V) **OTHER ACTIVITIES:**

● **Various Programmes/Meets:**

- **Residential Programme on Professional Opportunities in Insurance Sector:** PDC organized its first Residential Programme with the Centre of Excellence from 3rd to 5th November, 2023 wherein Member was the chief guest and addressed the participants. Various topics like “Overview of Life Insurance and role of Chartered Accountants, Changes in investments Regulations in the Insurance Sector in last 2 decades, Regulator mandated audits of investments arena in Insurance Industry, Cyber Security Threats Assessments and mitigating measures by the regulators and Statutory Audit and Compliances in Life and Non- Life Insurance along with Professional Opportunities in Insurance Sector” were also addressed by the renowned faculties. 55 members attended the programme.
- **Central Statutory Auditors Meet :** An Interactive meet for Statutory Central Auditors of Banks was organised by the Professional Development Committee on 18th March 2024, Mumbai. Executive Director of the Reserve Bank of India, graced the occasion as the Chief Guest. During his Keynote Address; he shared insights of RBI and provided guidance on enhancing overall audit quality. A special session was taken up by General Manager, Department of Supervision, Reserve Bank of India on the “*RBI’s perspective and Expectations from the Statutory Central Auditors.*” The meeting was held in Hybrid mode

and more than 150 Central Statutory Auditors from Public Sector Banks, Private Sector Banks, Small Finance Banks, and Foreign Banks participated in the meeting.

- **An Interactive Meet themed as “Celebrating ICAI’s 75 years Legacy with Indian Banking Sector - Pioneering the path for Amrit Kaal”:** An interactive meet with CA Directors, Audit Committee Chairmen, and CFOs of the banking sector was held on 19th June 2024 in Mumbai. Director of the Central Board, Reserve Bank of India, was the Chief Guest for the occasion. The meet was attended by more than 40 delegates in person.
- **Diploma and Certificate Courses organised/to be organised by the Committee :**
 - **Certificate Course on Project Financing :** The Council at its 428th meeting held on 7th and 8th February 2024 approved the Certificate Course on Project Financing.
 - **DIRM Course:** The Committee administers a Post Qualification Course on Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM). The DIRM Course has three phases which a candidate has to undergo to become eligible for the award of Diploma in Insurance & Risk Management:
 - ❖ *First Phase:* Self-study and completion of eligibility test papers,
 - ❖ *Second Phase:* Qualifying the technical examinations conducted by the Examination Section and
 - ❖ *Last phase (mandatory):* Attending Orientation Programme of 2 days which provides an opportunity to the members for interaction and meaningful discussions with the speakers, thereby reinforcing the theoretical knowledge with learning from real life experiences.
- The statistics of registrations in DIRM is given herein below:

Registrations till date	Qualified till date	Members who had passed the Technical Examinations but yet to undergo the Orientation Programme	Eligibility Certificate issued but Technical Examination yet to be passed	Eligibility test not passed
5556	1043	78	3041	2515

- Out of 5556 registered members, 1043 members have qualified the Course, another 78 members have passed the Technical Examination but yet to undergo the Orientation Programme.
- The Committee had conducted an online Eligibility Test for members pursuing Post Qualification Course on 15th March, 19th April, 24th May and 28th June, 2024. Eligibility Certificates have been issued to members who had passed online ‘Eligibility test’. These members have now become eligible to appear in the Technical Examination to be held in November 2024 and onwards.
- **Seminars/Conferences/Workshops/Webinars:**

The Committee organised 54 National Conference/Workshops/Seminars during the period. The Committee has commenced a series of webinars under the heading PDC’s DNA-Discover New Avenues.

6.17 Committee on Public and Government Financial Management (CP&GFM)

The ICAI keeping its mission and vision in mind constituted the Committee on Public & Government Financial Management (CPGFM) that strives to assist Central & State Governments and Local Bodies in improving accounting, financial reporting and management in all tiers of Government in India including local bodies. Apart from formulating Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs), the Committee focuses on capacity building of the finance officials of various tiers of Government by several means such as Training Programmes, Webinars, e-learning modules, etc. The Committee also runs Certificate Course on Public Finance & Government Accounting that can be attended by officials of Government & Autonomous bodies working under administrative control of the Ministry and Government department as well. Apart from this, CPGFM is contributing in development of study material of the Certificate Course for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies (joint initiative of ICAI and C&AG) being run through Board for Local Bodies Accountants Certification (BLoAC) established under ICAI-ARF. This is an initiative of ICAI to meet its social obligations by providing professional services of CAs beyond corporate sector and to the public at large, by being true to its role of being a partner in nation building.

(I) Support to the Government

- The Committee is providing technical assistance to O/o C&AG for their project of adaption of Cash basis International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) in Government Accounts on pro-bono basis. However, the project was kept on hold by the O/o C&AG.

- The Committee is also providing support to MoHUA to enhance the quality of Financial Statements of Urban Local Bodies being uploaded on City Finance Portal on a sustainable basis. The work is in progress and first phase check list has already been submitted to MoHUA.
- Support being provided to O/o CAG for Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies:
 - These courses are being run through Board for Local Bodies Accountants Certification (BLoAC) established under the aegis of the ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF).
 - CPGFM is contributing to development of study material and co-ordination with O/o CAG. The registrations of these skill development courses have been initiated from 1st December 2023 through a dedicated website (<https://lba.icaiarf.org.in/>) at nominal registration fees of Rs. 590/- (inclusive of GST) for class XIIth passed students from any stream.
 - The mode of learning is online and accessible in 11 languages (Hindi, English, Marathi, Tamil, Odiya, Gujarati, Punjabi, Bengali, Kannada, Telugu and Assamese).
 - The exams are being conducted offline in regional languages using ICAI's robust examination system.
 - The list of qualified candidates will be made available in public domain.

1st screening examination held on 18th April 2024, with the support of ICAI's Exam Department wherein 232 candidates passed (out of 364 (appeared)). Approx. 64.17% candidates passed Panchayat Course and 62.9% passed Municipal Bodies Course. 609 candidates registered for 1st batch till 29th February 2024 and 1138 candidates registered for 2nd batch till 30th June 2024.

(II) Representations/Technical Inputs to Government

Representations were submitted to:

- Hon'ble Union Minister, Ministry of Development of North-Eastern Region proposing to enter into a MoU for skill development of Accounts/Finance officials of Government of North-East region of India.
- Principal Secretary to the Government of Assam, Finance Department to enter into a MoU for skill development of officials of Finance Department of Assam.
- State Finance Departments to enter into a MoU for skill development of their finance officials on accounting, auditing, taxation and related topics.
- Indore Municipal Corporation to undertake Pilot Study to evaluate the benefits of implementation of Accounting Standards for Local Bodies.
- The Principal, Northern Zonal Accountancy Training Institute, Jammu to organise training programme for Government officials.
- The Director, Urban Development Department, Nagaland to support ULBs of Nagaland.
- Special Secretary, UA&DD, Chhattisgarh to organise capacity building programme for the officials of ULBs of Chhattisgarh.
- Commissioner and Secretary (Rural Development), Gujarat to build capacity of staff of Rural Local Bodies of the State of Gujarat.
- Development Commissioner, Panchayat Department, Gujarat to handhold accounting reforms in Rural Local Bodies (RLBs) of Gujarat.
- Senior Financial Management Specialist, Portfolio, Results, and Quality Control Unit, South Asia Department, Asian Development Bank (ADB) to enter into a MoU.
- Additional Chief Secretary, Finance Department, Bhopal, Madhya Pradesh to enter into a MoU for skill development of officials of Finance Department of Madhya Pradesh.
- Chairman, 16th Central Finance Commission, Suggested recommendations for Financial self-sustainability of Urban Local Bodies through Accrual Accounting Reform
- Principal Secretary/Secretary of Urban Development Department, Panchayati Raj & Rural Department and Finance Department for seeking their support to popularize the Certificate course for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies.
- Director of State Finance Departments to enter into MoU for skill development of staff of Finance Departments of respective States.

- Accounting Training Institutes of Government that provides trainings to staff of Urban Local Bodies (ULBs) to jointly organise trainings for ULBs (including proposal to enter into MoU).

➤ **Signing of Agreement with PMU-UKPFMS (Project Management Unit - Uttarakhand Public Financial Management Strengthening Project)**

An agreement was signed with Project Management Unit – Uttarakhand Project Financial Management Strengthening Project (PMU-UKPFMS) on 7th July 2023 to impart trainings to approx. 200 staff of Urban Local Bodies (ULBs) of Uttarakhand on the topic “Accrual Based Double Entry Accounting System and Uttarakhand Municipal Accounting Manual, 2021”.

➤ **Signing of Memorandum of Understanding between ICAI and Office of the Comptroller & Auditor General (C&AG) of India**

A MoU was entered with the O/o C&AG of India on 9th August 2023, the Hon’ble C&AG of India, in the presence of Hon’ble President, ICAI, Chairperson, CPGFM and Vice-Chairperson, CPGFM and launched the Certificate Course for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies on Audit Diwas (i.e. 16th November 2023) to create a pool of trained accounting personnel at grassroots level in India.

(III) Technical Comments Submitted:

On the following drafts of International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB):

- Exposure Draft 84, Concessionary Leases and Right-of-Use Assets In-kind (Amendments to IPSAS 43 and IPSAS 23);
- Exposure Draft 85, Improvements to IPSAS 23;
- Exposure Draft 86, Proposed International Public Sector Accounting Standard on Exploration for and Evaluation of Mineral Resources;
- Exposure Draft 87, Proposed International Sector Accounting Standard on Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (Amendments to IPSAS 12);
- Exposure Draft 88, Proposed International Public Sector Accounting Standard on Arrangements Conveying Rights over Assets (Amendments to IPSAS 47 & IPSAS 48);
- Exposure Draft 89, 'Amendments to Consider IFRIC Interpretations'; and
- Consultation on Strategy and Work Program, 2024-2028

On the following GASAB documents / draft Standards:

- Modified IGAS 2 on ‘Accounting and Classification of Grants-in-Aid’
- Prior Period Adjustments
- Draft Standards on Reserve Funds
- Revised comments on the draft ‘Due Process’
- Strategic Development Plan (SDP) of GASAB for 2023-26
- Guidance Note on Accounting of Fixed Assets
- Draft IGAS 10 on ‘Public Debts and Other Liabilities of Government: Disclosure Requirements’

(IV) Training Programmes:

The Committee organised the 4 training programmes for Urban Local Bodies and 8 other Training Programmes, on Financial Transparency & Accountability in Urban Local Bodies, Accrual based Double Entry Accrual System and Uttarakhand Municipal Accounting Manual (UMAM), 2021, Implementation of Double Entry Accounting System, Accounting of Rural Development Schemes, Capacity Building Programme on GST & Income Tax, Improving the Municipal Finances Framework in Punjab etc.

(V) Webinars/ Virtual CPE Meeting (VCM):

18 Webinars/VCMs were organised by the Committee on Insights of Public Finance, Accounting & Auditing in PRIs, Introduction to Cash basis IPSAS: Path towards accounting reforms, Self-Sufficient and Self-Sustainable Municipal Bodies in India, Impact of Global Financial crises on Public Financial Management System, Strengthening Accounting at Local Self-Government, Role of Internal Controls in Enhancing Transparency & Accountability in Government, Financial Reporting and Tax Compliance for ULBs etc.

(VI) Certificate Course on Public Finance & Government Accounting

- **Opened for Officials of Autonomous bodies:** On the request of various Government Departments, Certificate Course has been opened for the officials of autonomous bodies under the administrative control of the Ministry and Government Department as well apart from the ICAI members & Government officials.
- **Online Batches**

The following batches of the Certificate Course on Public Finance & Government Accounting were organised during the period 1st April 2023 to 30th June 2024:

Sl. No.	Batch	Dates
1.	25 th batch	21 st May 2023 to 16 th July, 2023
2.	26 th batch	6 th August 2023 to 30 th September, 2023
3.	27 th batch	3 rd December 2023 to 27 th January 2024
4.	28 th batch	4 th February 2024 to 30 th March 2024
5.	29 th batch	28 th April 2024 to 22 nd June 2024
6.	30 th batch	Commenced from 30 th June 2024

- **Online Examination**

The following four online examinations of the Certificate Course were conducted:

Sl. No.	Examination	Date	Members cleared/ Members appeared
1.	17 th	27 th May, 2023	119 members cleared out of 125
2.	18 th	30 th September 2023	73 members cleared out of 73
3.	19 th	27 th January 2024	102 members cleared out of 106
4.	20 th	30 th March, 2024	65 members cleared out of 70

(VII) Meetings held with various Stakeholders:

Sl. No.	Name of the Dignitaries	Date
1.	Director General, O/o C&AG	21 st April 2023
2.	Joint Secretary & Financial Advisor, MoHUA	28 th April, 2023
3.	IAS, Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of Madhya Pradesh	1 st May, 2023
4.	IAS, Deputy Secretary and Director, Local Fund Audit, Government of Madhya Pradesh	1 st May, 2023
5.	IRS, PS to Minister of Development of North Eastern Region	8 th May, 2023
6.	Commissioner & Secretary, Finance, Land Resources, Government of Nagaland	23 rd May, 2023
7.	IAS, Special Secretary, UA & DD, Chhattisgarh	11 th July 2023
8.	IAS, Development Commissioner, Panchayati Raj Department, Gujarat	31 st July 2023
9.	IAS, Commissioner & Secretary, Rural Development, Gujarat	31 st July 2023
10.	IAS, Secretary, Economic Affairs, Finance Department, Gujarat	31 st July 2023
11.	Deputy C&AG (Railways & Local Bodies)	15 th September, 2023
12.	Regional Controller, United States Agency for International Development (US-AID) along with his team	22 nd September, 2023, 19 th December 2023 and 11 th January 2024
13.	CEO, Janagraha and his team	26 th September 2023

14.	Senior Financial Management Specialist, Asian Development Bank along with her team	22 nd November 2023
15.	Addl. Chief Secretary, Finance Department, Madhya Pradesh	9 th January 2024
16.	Joint Secretary, Rural Skills, Ministry of Rural Development	15 th January 2024
17.	Officials of Asian Development Bank (ADB) and World Bank	30 th January 2024
18.	Local Fund Auditor, Punjab	26 th March 2024

(VIII) Other Initiatives

Articles for Journal:

- Appreciating the role played by Public Finance in shaping the economic contours of the Country, the May 2023 issue of ICAI Journal comprised of articles that concentrated on various aspects of Public Finance. Apart from known experts in the field of Public Finance and Government Accounting, the issue also received contribution from Government officials of States Urban Development Agencies of Jharkhand and Chhattisgarh who shared their experience journey of accounting reforms.
- April 2024 issue of ICAI Journal focused on the theme Public Finance (accordingly was titled as “Transforming Public Finance for a sustainable tomorrow”). This issue underscored the pivotal role that public finance and government accounting reforms play in shaping the economic landscape of a nation. It showcased a comprehensive array of articles delving into various facets of public finance and government accounting reforms, authored by distinguished experts in the field. These articles provide valuable insights in Government accounting reforms including innovative approaches to reform & how ICAI is driving these reforms, climate budgeting, finances & accountability of panchayats, audit of local bodies reflecting a collaborative effort to enhance the effectiveness and transparency of public financial management system.

(IX) Short Videos

The Committee has release Short videos on following topics:

- Opportunities for Chartered Accountants in Local Bodies
- Applicability of Accounting Standards in Local Bodies
- Overview of Government Accounting
- Municipal Bonds for an Aatmnirbhar Urban India

(X) Publications released

- Compendium of Accounting Standards for Local Bodies – Vol. III (February 8, 2024)
- Research Study on “*How Municipal Financial Data can be used for Decision Making*” jointly by ICAI (CP&GFM) and ICAI ARF with NITI Aayog (February 8, 2024)
- Screening Examination Study material for Certificate Course for Accountants of Panchayat and Municipal Bodies in English & Hindi (February 8, 2024)

6.18 Public Relations Committee (PRC)

The mission of the Public Relations Committee is to develop, strengthen and enhance the image of the ICAI as a premier accountancy body and the sole regulatory authority for the profession of Chartered Accountancy in India through various ways and means, as considered appropriate within the framework of the CA Act. The PR Committee further endeavors to foster good relationship with Media and other Stakeholders in coordination with various committees of ICAI to provide better networking opportunities and to enhance the visibility of ICAI.

Significant Initiatives/Achievements

(I) Unveiling of New CA India Logo

As the Institute celebrated its 75th year, it was decided that this was the appropriate time to revamp the CA logo and to use it for institutional purposes across all international and national platforms. The logo consists of the letters ‘CA’ in blue with a tricolour tick mark (upside down) on a white background. The blue colour denotes creativity, innovativeness, knowledge, integrity, trust, truth, stability, and depth. The upside-down tick mark in tricolour, typically used by Chartered Accountants during audits, has been included to symbolise the wisdom and value of the professionals. ‘India’ is added to the logo, which epitomizes the Institute’s commitment to the India First approach and commitment to serve the Indian economy in public interest. The New CA India logo will help create international recognition and give a distinct identity to Indian Chartered Accountants on a global platform.

The logo was launched during the Global Professional Accountants Convention (GloPAC) event held in Gandhinagar, Gujarat by the august hands of Hon'ble Chief Guest, Hon'ble Vice-President of India, in the presence of Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles as the Guest of Honour and Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs, Primary, Secondary and Adult Education, Higher Education, Govt. of Gujarat and President, International Federation of Accountants (IFAC). To ensure the publicity of the logo, the guideline for its usage were framed and circulated to all RCs and Branches. Further, CA India lapel pins were designed, developed and distributed to all Office bearers of RCs & Branches. The logo is being used in all marketing collaterals, stationary items in order to position and create a visual identity of the new logo.

(II) Chartered Accountants Day 2023

To enhance the visibility of CA Day 2023, a comprehensive strategy for publicity was implemented across various print and electronic media platforms. For publicity, the following activities were undertaken:

- **Print Media:** To mark the CA Day and the significance of the July 1st an advt. on July 1st was published in few financial/ mainline publications.
- **Electronic Media:** CA Day was also publicized by airing promos on various Business/News Channels. The excerpts of the CA Day celebration was captured and later played on Zee Business as a half-an hour episode.
- **Goodwill Messages:** Draft letters inviting goodwill messages from dignitaries was prepared by PRC, the committee also followed up with Ministries for goodwill messages that was published in the special issue of ICAI Journal i.e. July, 2023 issue.
- **Video messages of President and Vice-President** - The messages of the President & Vice-President were recorded and the video clip was shared on Social media Platforms and with RCs and Branches. The same was also played during the CA Day function.
- **Preparation of Marketing Collaterals – Creatives for Advt. and Social Media, Standees at the event** - The content i.e. achievements of ICAI during 75 years of sagacious journey was drafted by the PRC and the standees were developed and displayed during the CA Day Function.

(III) Global Professional Accountants Convention (GloPAC) - Publicity & Promotion

For publicity & promotion of GloPAC, following activities were undertaken by the Committee:

- **A pre-event Press Conference** was organised in Ahmedabad Branch to share information/ details about and invite media for the GloPAC event. The information shared during the Press Conference was widely covered by the media.
- **Print Advertisements** - Half & Full page advts were published on 24th November 2023 in major National /Vernacular Publications/ editions.
- **Campaign on Electronic Media** - Radio campaign promoting GloPAC was aired across all leading FM Stations. Promos & L Bands were developed and aired on Aaj Tak
- **Magazine advt.-** Advt. was also published in India Today Magazine
- **Press Releases** of Inaugural & Concluding Day were issued to media on 24th & 26th November, 2023. The news was widely covered by the media.
- The event was also popularised on social media through hosting various creatives, photographs and live tweets.

(IV) Uniform Nomenclature- Naming Format for ICAI Branches and Regional Councils

For uniformity and Standardisation of naming for Regional Councils & Branches, the PR Committee proposed nomenclature for displaying the name of ICAI on its Buildings, Letters Heads and visiting Cards for the Regional Councils and Branches of ICAI. The same was circulated to all the Regional Councils and Branches for all branding purposes.

(V) Media Residential Meet at Agra

To enhance its brand image of ICAI and strengthen relationships with the media, the Public Relations Committee organized a one-day Residential Meet for media professionals in Agra on June 4, 2023. The event aimed to inform the media about various key issues addressed by the Institute and to emphasize ICAI's role as a Partner-in-Nation Building and its contributions to economic growth. The Media Residential Meet was highly successful, attracting nearly nineteen prominent media persons from leading national media groups across print, electronic, and online platforms. Several local media representatives also attended, ensuring extensive coverage of the event and the important topics discussed.

(VI) Activities promoting Prime Partnership of ICAI with Confederation of Indian Industry (CII) for B20

ICAI had become a prime partner with CII for B20, positioning itself as a leader in auditing, sustainability reporting standards, and digital accountancy for the advancement of accountancy profession and economy in the country. Through this partnership, ICAI was a part of the ESG Action Council and was involved in various policy-making

initiatives of B20. During the CII events, various representatives of ICAI attended the events/ Summits/ Conferences and gave insights on various important matters. Branding opportunities were provided to ICAI in their publicity material.

(VII) ICAI celebrated 9th International Day of Yoga – 21st June 2023

As a steadfast Partner in Nation Building, ICAI has been celebrating the International Day of Yoga (IDY) since 2015, encouraging its members and students to incorporate yoga into their daily lives. ICAI celebrated 9th International Day of Yoga on 21st June, 2023, across all Regional Councils and Branches. As per past practices, comprehensive communication, guidelines, and promotional materials were shared with all Regional Councils and Branches for celebrating and promoting the International Yoga Day. A special Yoga Day message was also recorded and distributed to all members. In New Delhi, a prominent yoga session was held at the Indira Gandhi Stadium in collaboration with the Northern India Regional Council (NIRC). Esteemed Yoga Gurus led the session, addressing over 350 participants in person, while the event was webcast live, reaching audiences across the country.

(VIII) Lapel Pins – Management Committee Members of RCs & Branches

Uniform branding is of the utmost importance to create a unique identity, gain a competitive advantage, and create a positive impression in the minds of all stakeholders. Accordingly, uniform lapel pins have been designed and developed by PR Committee and distributed to the 'Management Committee Members' of all Regional Councils and Branches.

(IX) Sustainable World Conclave organised by BW Business World

ICAI, being a pioneer institute for promoting Sustainability Reporting in India, has been associated as a knowledge partner for the 3rd edition of the Sustainable World Conclave organised by BW Business World. The two-day event took place on 20th & 21st June 2023 at New Delhi. The conclave witnessed the confluence of experts, industry leaders, policymakers, and activists from across the country to discuss the theme of "India's big leap with the G20 presidency". Hon'ble Union Cabinet Minister, Environment, Forest & Climate Change, Labour & Employment, Govt. of India was the Chief Guest of the Plenary Sessions on June 20, 2023. Taking forward ICAI initiatives towards achieving sustainable development, Chairman PR Committee and Vice-Chairman, Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) addressed a key session on "ICAI: Building Trust Enabling Sustainability".

(X) Media Partnership with ET Prime for "ESG Conclave -India at Centre stage"

ICAI organized the "ESG Conclave - India at Centre Stage" on July 8, 2023, in Mumbai, with ET Prime as the Media Partner for publicity and promotion. Through this collaboration, ICAI benefited from extensive media coverage, including pre-event promotion on ET Prime, an editorial write-up on ICAI's sustainability initiatives, and interview stories featuring the event's speakers that highlighted ICAI's contribution towards Sustainability. Additionally, ET Prime supported the event through social media posts and re-tweets on its platforms. This media partnership not only ensured broad visibility for the Conclave but also helped ICAI build a strong, long-term relationship with ET Prime, an online detailed business platform of The Economic Times.

(XI) Developed a New ICAI Corporate Film (2023-24)

Recognizing the need to update the decade-old ICAI Corporate Film in terms of visuals, content and script, the PR Committee undertook the task of developing a New Corporate Film of ICAI. Following a thorough tendering process, an agency was selected for the project. The script was worked up in coordination with the vendor and production of the New ICAI Corporate Film was done. The same was played during various events of ICAI.

(XII) Year Book: 2023-24

Every year, the important activities undertaken by ICAI through its Committees / Departments / Regions & Branches during the year are documented in the publication "Year Book". Following the past practice, "Year Book : 2023-24" was brought out by PR Committee, a compilation of all major activities, initiatives and achievements of various Committees/Departments in addition to the activities undertaken by Regional Councils & Branches of ICAI during the year.

(XIII) India Today- Coffee Table Book (2023-24)

Every year The India Today group brings out a special Coffee Table Book (CTB) which is distributed to A-listers, Conclave invitees over the years and other eminent stakeholders. The copies of this Coffee Table book would also be placed at the Airport lounges & leading book stores. Towards brand building of the Institute and to target industry/media and stakeholders a double spread advertorial promoting ICAI was published in this edition.

(XIV) Publicity of 74th ICAI Annual Function

- **Print Media-** 74th ICAI Annual Function was publicized by PR Committee through Print media by publishing a half-page color advt. in major publications.

- **Audio Visual on Significant Achievements of ICAI-** The AV covering significant achievements of ICAI during the year 2023-24 was conceptualized and developed by the PR Committee. The same was played during the ICAI Annual Function.

(XV) Webinar on Awareness Program on Prevention of Heart Diseases & Stress Management

With an objective of creating a healthier society through improved preventive measures, the Committee has organized a mega-free virtual nationwide Webinar on “Awareness Program on Prevention of Heart Diseases & Stress Management” by a world-renowned cardiovascular and cardiothoracic surgeon, who has been awarded the highly prestigious Padma Bhushan and the Padma Shri by the Government of India. He gave insights and demonstrated the pre-emptive steps to prevent heart disease/stroke, emergency assistance, and Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR), and stress management. The webinar was attended by more than 1500 participants.

(XVI) Budget -2024 Activities

Broadcast of L-Bands on Aaj Tak (Hindi) News Channel- Towards brand building, the ICAI L-Bands capturing ICAI contributions, were broadcasted on the major Hindi News channel-Aaj Tak during the live speech of Honourable Finance Minister on the Budget Day. This helped ICAI Communication to reach out to a diverse demographic and region amplifying the visibility of the brand ICAI and Profession to the general masses.

(XVII) Election of New Torchbearers – 12th February 2024

During the election of the new Torchbearers held on 12th February 2024, the Public Relations Committee publicized the event amongst members, stakeholders and public at large.

- Publicity through social media- The election results and oath taking ceremony was posted on all social media platforms in real-time, this resulted in increased reach and views on ICAI social media platforms – Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Thread, YouTube etc. Real time social media posts involving photographs and short videos of the ceremony were also posted throughout the ceremony.
- A Press Release of newly elected President & Vice-President, ICAI was issued to all media which was covered in more than 55 print and online publications like Hindustan Time, Financial Express, The Hindu Business Line, Dainik Jagaran, Business Standard, ETCFO, NDTV Profit and many more. The Release was also circulated to all RCs and Branches for wider dissemination.
- Creative Banners for social media and Mass SMS for intimation to all India Members were also done.
- Theme based collaterals designs (backdrop/ standees) for the Oath Taking Ceremony was also developed by the committee.

(XVIII) First Press Conference of the Year – 21st February 2024

The Public Relations Committee arranged a Media interaction of the newly elected President & Vice President on February 21, 2024 at ICAI Head Office, Delhi. Media professionals from over 30 eminent publications like The Economic Times, Financial Express, The Hindu Business Line, Mint, Indian Express, Fortune, PTI, Dainik Jagran, Dainik Bhaskar, Hindustan, NBT, CNBC TV 18, Aajtak, Zee Business and many other Print / Electronic / Digital media attended the Press Conference. The information shared by the President during the interaction was widely covered in more than 100 publications/online portals & Tv channels.

(XIX) Publicity & Promotion of All India Managing Committee Members Meet (AIMCMM 2024) March 9 & 10, 2024 at Kolkata

- ICAI hosted an All India Managing Committee Members Meet (AIMCMM 2024) under the theme ‘DRISHTI’ - the vision for the Profession’ on 9-10th March, 2024 in Kolkata, which was attended by more than 1200 members from over 180 cities. The session focused on aligning the initiatives of the ICAI's Regional Councils, Branches, Study Circles, and Chapters with the overarching vision of ICAI.
- The event was extensively publicized by the PR Committee through following activities:

Pre-event Press Conference – March 8, 2024 - A Pre-event Press Conference was organised in Kolkata, aimed at briefing the media about the AIMCMM and significant decisions made during the Council Meetings held on March 7th. Media representatives from more than 30 distinguished publications such as The Statesman, The Telegraph, The Hindu Business Line, PTI, ANI, and various other regional and online platforms attended the Conference. Subsequently, a Press Release was also disseminated that was widely covered in leading dailies.

Print Advertisement - To amplify the event's visibility and for the branding of the Institute a half-page advertisement was released in Kolkata editions across national and vernacular publications.

Developed Audio Visual on theme DRISHTI- In order to elucidate the vision statement ‘DRISHTI’ and highlight priority areas for the year to all Regional Councils and Branches, an Audio Visual was developed by the

Committee which revolved around the 7 pillars of D-R-I-S-H-T-I, encapsulating the action plan and vision of President ICAI related to Digitalization (D), Research (R), Integrity (I), Skills (S), Handholding (H), Transparency (T), and Independence (I). The AV was played during the event and also shared with all RCs & Branches.

Designing of Branding Collaterals for the AIMCMM – Backdrop, standee for the event was also developed by the Committee.

(XX) To propagate various important initiatives of the Institute, Press Conferences were organized across India

In order to propagate various important initiatives of the Institute, Public Relations Committee organized Press Conferences in Lucknow, Guwahati, Ahmedabad, Jabalpur & Bhopal. During the Conferences, the Action Plan and priority areas for the year were shared with the Media. The information shared by the President during the interactions was widely covered in publications/online portals & Tv channels

(XXI) Press Brief- President's visit to Branches

The Press Brief covering all the latest initiatives undertaken by ICAI was shared with branches for President's visit and is periodically updated. As per the decision of the PR Committee, the Press interactions at regional level are being co-ordinated with concerned in RCs / Branches.

(XXII) Letter to Editor in response to misreporting by media

In the recent past, ICAI came across certain media reports projecting the profession and its members in an adverse light. The ICAI took a strong note of the manner in which the news items were printed in leading newspapers bringing disrepute to the profession. Accordingly, Letters were issued to the Editors of newspapers that published adverse reports damaging the reputation and tarnishing the image of the profession of Chartered Accountants in the eyes of the public. The Publications were asked to issue suitable corrigendum in the respective matter.

(XXIII) Revamping of ICAI Profile – 2023 -24

The ICAI Profile was revamped by inclusion of additional matters related to significant initiatives/ achievements of the Institute. The cover page and the theme of the Profile were changed as per the 75 years logo of ICAI. The revamped ICAI Profile copies were distributed during the GloPAC event.

(XXIV) 100th Public Relations Committee Meeting

The Public Relations Committee reached a historic milestone and organized its 100th Meeting on February 10, 2024. Towards celebrating this prestigious event, an AV tracing the journey of the Committee and booklet of significant achievements by the Committee during council year 2023-24 was made.

6.19 Research Committee

The Research Committee of The Institute of Chartered Accountants of India, established in 1955, is one of the institutes oldest technical committees. Its goal is to foster a research culture that enhances the quality of services provided by the profession. The Research Committee's primary objective is to promote and foster a culture of research and innovation within the profession and the broader economy. This includes undertaking research projects on topics relevant to the profession, economic system, social system, education system, and business environment. The committee conducts studies in areas such as commerce, trade and industry, economy, accounting, and allied sectors, sharing findings with the government for informed policy frameworks. It supports government ministries and institutions by recommending research-based improvements in governance and professional interests. It also recommends financial assistance for research on accounting and allied subjects, conducts research on the success rates of government missions, and explores industry-specific sectors. Also, for research in the areas of economy, education, health, and infrastructure. Joint research is conducted for transformative insights and advancements in professional interest, technology, and economy, with support and collaboration from other committees, directorates, and boards within ICAI. Additionally, the committee aims to create a supportive environment for promoting research and innovation through various projects, programs, workshops, and seminars.

(I) Promoting Excellence in Financial Reporting Practices

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting 2022-23

For recognizing and valuing the immense significance that reporting practices holds, the Institute of Chartered Accountants of India has been organizing the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' since 1958 to promote and reward entities that comply with the reporting regulations, accounting policies, principles and other disclosure provisions. Selection of awardees in specified categories is made through a robust three tier process. Jury meeting for the competition year 2022-23 was chaired by Smt. Soma Mondal, Member, Public Enterprises Selection Board. The award function to honour the awardees for the year 2022-23 was held on January 13, 2024 at Raipur, Chhattisgarh. Hon'ble Chief Minister, Govt. of Chhattisgarh were invited as Chief Guest and Guest of Honors,

Hon'ble Cabinet Minister, Government of Chhattisgarh and Hon'ble Cabinet Minister, Government of Chhattisgarh graced the occasion. A total of 15 awards – One Gold Shield, Four Silver Shields and Ten Plaques were given away.

(II) Recognition of Research Scholars

ICAI International Research Award 2023

Since 2020, Research Committee is organizing “ICAI International Research Awards” to foster innovation. These awards recognise and tribute the professionals from across the globe in the fields of Accounting, Auditing, Economics, Finance and Taxation. The Awards could be considered as the World's Largest Cross Border Competition. The Jury Meeting for ‘ICAI International Research Awards 2023’ was chaired by Chair, Edinburgh Group (2023). The other members of the Jury were: Vice-President, Research Guidance and Support, CPA Canada (2023), Secretary, ASEAN Federation of Accountants (2023), President, ICAI (2023-24) & Vice-President, ICAI (2023-24). The award function to honour the awardees was held on October 19, 2023 at Dubai, UAE. A total of 15 awards were given in five categories i.e. 5 Gold Shields, 5 Silver Shields and 5 Bronze Shields.

(III) Schemes for promoting Research Culture

ICAI Doctoral Scholarship Scheme

ICAI Doctoral Scholarship Scheme seeks to provide requisite support by way of monthly scholarship to the eligible candidates with outstanding academic credentials, intellectual curiosity and needed discipline to make scholarly contribution. This scheme is open for ICAI members who are not more than 40 years of age, who should be Full Time Student at the University/College/Institution while pursuing Ph.D. for their attendance & Classes and not availing any such scholarship from any other Institution. The scholarship of Rs. 75,000 per month for 3 years will be given for maximum 5 scholars annually.

ICAI Research Projects Scheme

The launch of the ICAI Research Project Scheme in 2020 demonstrates the Research Committee's commitment to empowering and supporting researchers interested in conducting insightful investigations on contemporary topics, ultimately enhancing advancements in the field of accounting and its related domains. ICAI Research Project Scheme is a scheme which aims to fund research projects to be undertaken by members having experience of more than 10 years either in practice or in employment or experienced research scholars of a recognised University having published research papers in any referred Journal. The maximum amount of Rs. 10 lacs will be reimbursed as research expenditure. The Researchers are required to complete the research project within 6 months after the research proposal is approved by the Research Committee. The Scheme is open round the year.

Since its introduction, various projects have been awarded and completed under the Scheme as follows –

- Internal Control System in State Owned Universities A Study to Formulate Internal Control Manual
- Impact of Digital Transformation Strategies on Financial Performance in the Indian Manufacturing Sector
- How Indian Companies can play a pivotal role in the supply chain to Australia?
- Inching towards Tax Certainty: Neoteric Domestic Dispute Mechanism for Cross-Border Taxation
- Analysis and evaluation of Indian Startups in non-metropolitan areas and selected metropolitan areas-An Untold Story
- Money laundering and scams “THROUGH” Multi-State Urban Cooperative Credit Societies in India
- Taxation aspects of circulars issued by Regulatory Authorities- A study of IRDA Circulars
- Evaluating the effect of scientific meditation on employee burnout: A multinational study
- The emerging role of auditors and CFOs in addressing Risk Management: A New perspective
- Finance & Tax Literacy for Start-Ups
- Taxation on Non-Resident Artistes or Sportspersons – Domestically and Internationally

Also, a few projects are in pipeline.

ICAI Short Term Research Studies 2023

Research Committee has introduced the Short Term Research Studies Scheme in 2023 to spearheading the innovative and short-term research projects that may lead to breakthroughs in the critical issues. This scheme provides a platform for sharing new ideas, innovative research findings and thought-provoking insights on various contemporary topics. The weightage would be given to applicant having experience of at least 5 years in the Research domain and a PhD Holder. The Permissible Honorarium of Rs. 1,00,000 would be provided. The applicants will be given the time

duration of three months for completing the research projects. The scheme is open round the year. A new research initiative under the scheme is being undertaken by the Research Committee named as “One CA – One District – One Research” for the inclusive growth of Indian Economy by focusing on the development of districts which are lagging in socio, economic & environmental parameters. Some districts have been identified and members of ICAI located in those districts have been contacted to undertake research study under the Short Term Research Studies Scheme.

Four projects have been approved under the scheme on the following topics which are in progress –

- REIT’S & its Emerging Scope in India
- The AI Audit Revolution: Exploring Opportunities and Challenges in Audit & Accounting Practice
- Study Of Current Socio-Economic Affairs in Sehore District Of Madhya Pradesh and the Way Forward
- Decoding the Development Dilemma of Dhubri District and Roadmap for its Inclusive Growth

(IV) Capacity Building Initiatives

- The Committee had organized the “Academia Meet with Universities/Institutions” on 17th May 2024 at New Delhi to facilitate a platform for interaction and knowledge exchange between esteemed academicians to foster research advancements. With the objective of promoting a culture of research and innovation, this meeting proved to be an opportunity to enrich collective understanding and advance research endeavors for the benefit of profession and the economy at large. The Meet was graced by the esteemed academicians and researchers hailing from distinguished universities and business schools across the country. The event remarked the presence of President, ICAI, Vice President, ICAI, Chairman, Research Committee, ICAI and other Central Council Members, ICAI.
- “Interactive discussion on Research Advancements” was organised on 29th May 2024 at ICAI Bhawan, New Delhi with the eminent members possessing Ph. D. degree to foster collaboration and innovation in research for the betterment of the profession & the economy as a whole. Chartered Accountants from all across the country having research background converged to discuss new areas of research focusing on the profession contributing to the growth of the economy. The event marked the presence of President, ICAI, Vice-President, ICAI, Chairman, Research Committee, ICAI and other Central Council Members, ICAI.
- The Committee had organized “Interactive Discussion on Excellence in Financial Reporting” on 25th June 2024 at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi. The event was organized to guide on the preparedness of reporting vis-a-vis how to avoid common errors and to update with the emerging trends in financial and non-financial reporting. On the occasion, it was highlighted that ICAI believes that the importance of reporting lies in adding substantial value to the organization, thereby earning respect and trust within country and beyond. The integrity and quality of reports directly influence market dynamics, investor confidence, and economic stability. Therefore, adherence to rigorous disclosure standards is not just a regulatory obligation but a cornerstone of ethical business practices. The event marked the presence of Vice President, ICAI, Chairman, Research Committee, ICAI and Vice-Chairman, Research Committee, ICAI(virtual).

(V) Seminars/Workshops/Residential Refresher Courses /National Conference/Webinars

The Committee had organized various interactive knowledge sharing Seminars, Workshops, discussions, meetings etc. for the proficiency of the professionals and researchers. 5 seminars, 1 workshop, 4 Residential Refresher Courses and 3 National Conferences were conducted during the period by the committee on topics like Understanding and handling accountancy deviations: Bridging the gap between stakeholders of the Economic and legal system, Research findings in the areas of Direct Tax, Research Findings in the areas of GST and Income Tax, Research Findings in the areas of Capital Market etc. Various knowledge sharing webinars were conducted during the period on the topic “Series of Excellence in Financial Reporting - Lessons Learnt, Best Practices & Commonly Found Errors for different industries, Series on Research Methodology, Financial Reporting Fortitude: Unmasking Common Errors for Excellence in Financial Reporting & Navigating Excellence: Examining the DNA of Outstanding Annual Report.

(VI) Live Panel Discussion

Starting from 22nd March, 2024, Committee is organising weekly live panel discussions on contemporary topics that encourages continuous learning and development, which stimulates innovation and the creation of new prospects for research. These initiatives also promote networking and collaboration among researchers, institutions, and industries. The topics covered includes - Emerging Trends in Financial Reporting: A 2024 Update, Sustainability Reporting: Integrating ESG Metrics into Financial Disclosures wrt Research, Challenge & Solutions in Financial Reporting: A Research Perspective in MSME Sector, Integrated Reporting: Connecting Financial and Non- Financial Performance, The Role of Technology in Streamlining the Reporting Processes: A Research Perspective, Tax Implications in Reporting Practices: A Research Perspective, Navigating the disclosure landscape: Best Practices in Annual Report, Risk Management and Internal Control: A Focus on Annual Report Disclosures, Trends and Innovations in Designing

Financial Sections of Annual Report, Exploring Non-Financial Disclosures in Annual Report, Role of Education in Economy for Chartered Accountants & Building Human Capital for the Future (A Research Perspective) etc.

(VII) Project in Progress

- Corporate Reporting Practices of Listed Companies in India
- Liquidation Accounting
- Accounting for Digital Assets
- Resource Material on Public Procurement
- An Exploratory Analysis of MUDRA and PMMY in Fostering Growth of Micro Enterprises
- REIT's and Its Emerging Scope in India
- The AI Audit Revolution: Exploring Opportunities and Challenges in Audit & Accounting Practice
- Study Of Current Socio-Economic Affairs In Sehore District Of Madhya Pradesh And The Way Forward
- Decoding the Development Dilemma of Dhubri District and Roadmap for its Inclusive Growth

(VIII) Publications released during the year

- Case Studies on Excellency in Financial Reporting
- Commonly Found Errors in Reporting Practices
- Taxation on Non-Resident Artistes or Sportspersons - Domestically and Internationally (under ICAI Research Project Scheme)
- Investigating Tools for Harnessing & Strategically Utilizing the Catalytic Potential of Social Stock Exchange (SSE) for Revolutionizing Social Finance in India (under Short Term Research Studies)

6.20 Sustainability Reporting Standards Board (SRSB)

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has a strong tradition of service to the country towards sustainable as well as economic development. ICAI strives to bring sustainability reporting and thinking within mainstream business practices both in the public and private sectors. ICAI through SRSB is taking proactive steps to not only identify and develop opportunities for Chartered Accountants in Sustainability Reporting but also to enhance knowledge, upskill and train members by conducting workshops, seminars, and certificate course, publish technical literature on various important topics within the sustainability domain. Further, in its endeavor to promote sustainability reporting ecosystem in the country which would lead to greener low-carbon economy, the Institute is working on two crucial aspects. Firstly, to promote compliance with existing accounting and sustainability related disclosure requirements. Secondly, to strengthen assurance framework to build a solid bridge between sustainability related risks and corporate financial reporting.

(I) Initiatives towards Partner in Nation Building

In the pursuit of fostering responsible and sustainable practices within the securities market, our esteemed Board actively engaged in several initiatives throughout the council year. We responded comprehensively to SEBI's Consultation Paper on ESG considerations, contributing thoughtfully to the ongoing discourse. Surveys on gender equality in the accountancy profession and sustainability/ESG aspects were submitted, aligning with global efforts spearheaded by UNCTAD. Strategic meetings were held with key regulators, including NABARD and SEBI, aimed at capacity building for Non-Profit Organizations on the Social Stock Exchange. Additionally, our chairperson played a pivotal role in the Sustainability Standards Advisory Forum, contributing inputs for the development of globally accepted Sustainability Disclosure Standards. Capacity building programs, interactive sessions, and impactful presentations at international forums underscore our commitment to nation-building through initiatives that promote ethical, responsible, and sustainable practices within the financial landscape. These endeavours collectively embody our dedication to being a true partner in the nation-building process.

• Submitted Comments:

SEBI has issued Consultation Paper on "Environmental, Social and Governance (ESG) Rating Providers for Securities Market" and "ESG disclosure, ratings and investing". In response to this initiative, our esteemed Board has diligently provided its comments on the papers. These comments have been thoughtfully articulated to contribute to the ongoing discourse and deliberations surrounding the integral matter of ESG considerations within the securities market.

- **Surveys:**

- Submitted survey on Gender equality in the Accountancy profession -surveys India where UNCTAD is reaching out to key counterparts from all regions and inviting them to respond to the surveys. In addition, UNCTAD is contacting international counterparts who can provide support by sharing the electronic surveys with relevant national, regional, or global counterparts who can respond to the surveys.
- The Board shared a survey on sustainability and ESG aspects for ICAI members and SAFA members as part of ICAI – SRSB Sustainability Journey. The survey aimed to assess the awareness, attitudes, and practices of CA professionals regarding sustainability and ESG considerations in their professional roles.

- **Meeting with Regulators and other Professional bodies**

- Chairperson, SRSB had a meeting on 11th September 2023 with NABARD to form a cohort for capacity building of NPOs registered on Social Stock Exchange (SSE).
- Chairperson, SRSB also had an interactive meeting with Securities Exchange Board of India (SEBI), National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) and Reserve Bank of India.
- Chairperson, SRSB is a member of Sustainability Standards Advisory Forum (SSAF) and attended meetings of the forum every quarter to share inputs towards the development, in the public interest, of high-quality, understandable, enforceable, and globally accepted Sustainability Disclosure Standards.
- Chairperson, SRSB attended a meeting at National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has also requested ICAI to give training to the officers related to the area sustainability.

- **Capacity Building Program**

- Chairperson, SRSB delivered lectures on Social Audit and Social Stock Exchange.
- Chairperson, SRSB attended Media residential Meet organized by Public Relations Committee of ICAI at Agra held on June 04,2023.
- Chairperson, SRSB chaired 2nd meeting of the Committee on Sustainability Reporting and Assurance on June 6, 2023.

- **Interactive Sessions**

SRSB had prepared presentations on Sustainability and related areas i.e Asia-Pacific Climate and Sustainability Reporting Summit, Environmental, Social and Governance Reporting: Exploring the Road Map and Financial Reporting for Sustainable Economy, ICAI's experience in setting up the Institute of Social Audit, IFASS panel discussion on "Sustainability reporting implementation issues, capacity building, and implementation guidance, Expand Your Horizons- Inputs relating to SRSB and Social Stock exchange and Initiative of SRSB & climate action for CCMs attending meeting at various international forums.

(II) Important Events (National and International)

International

- **Achievement: ICAI receives Prestigious UNCTAD ISAR Honours Award at World Investment Forum 2023**

Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) received an Award in UNCTAD ISAR Honours Ceremony at the World Investment Forum on 17th October 2023 at Abu Dhabi. ICAI received the highest score in this year's session of ISAR HONOURS among 70 global initiatives from all over the world. ISAR Honours recognizes policy, institutional and capacity-building initiatives to encourage and assist enterprises to publish data on their contribution to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and facilitate good practices in this area.

National

- **ICAI Sustainability Reporting Awards 2022-23**

ICAI Sustainability Reporting Awards 2022-23 and International Sustainability Reporting Awards 2022-23: The SRSB organized awards presentation ceremony to recognize the contributions made by the companies towards Business Responsibility & Sustainability Reporting, Sustainability Reporting Leadership and best Sustainability Reporting practices through the annual awards competition titled 'ICAI Sustainability Reporting Awards and International Sustainability Reporting Awards' in a glittering ceremony held in Mumbai on 20th December, 2023. The award presentation ceremony was preceded by National Program on Leadership in Sustainability | Women and Capital Market. The ceremony, held in the vibrant city of Mumbai, marked a significant milestone in

recognizing and honoring the remarkable contributions made by companies towards Business Responsibility & Sustainability Reporting, Sustainability Reporting Leadership, and exemplary Sustainability Reporting practices. The event featured a diverse array of categories, each acknowledging the varied contributions made by businesses in the realm of sustainability. These included Excellence in Business Responsibility and Sustainability Reporting, Sustainability Reporting Leadership, Climate Action Reporting, and Gender Equality—a testament to the multifaceted nature of sustainable practices in the corporate world.

A total of 113 nominations were received, out of which 19 companies were awarded in various categories as mentioned above. The awards presentation ceremony, attended by more than 500 participants, showcased the commitment of businesses to sustainable practices. The Institute organized awards presentation ceremony to recognize the contributions made by the companies towards Business Responsibility & Sustainability Reporting, Sustainability Reporting Leadership and best Sustainability Reporting practices through the annual awards competition titled ‘ICAI Sustainability Reporting Awards and International Sustainability Reporting Awards’ this year award jury has an eminent personalities across the globe such as MD & CEO, HDFC Asset Management Company (Jury Chairman), Padma Shri., Regional President – John Cockerill Group, GRI Regional Hub South Asia, Managing Director – Apcotex Industries Limited, Co-founder and MD, Hiranandani Group, Chief Economist at National Stock Exchange of India Limited, Director Investment Research, UNCTAD, Economic Affairs Officer Division of Investment and Enterprise, UNCTAD who diligently and unanimously finalized the awardees.

The Chief Guest for the award presentation ceremony MD & CEO, National Stock Exchange, presented the awards to the winners. The awards ceremony featured a range of categories acknowledging the diverse contributions made by businesses towards sustainable practices. In his address at the ICAI Sustainability Reporting Awards & 1st CA Women Excellence Awards ceremony, he underscored the pivotal role of accounting as a pillar of capitalism. He articulated the importance of trust, emphasizing that a clear understanding of a company’s assets and profits is fundamental to building and maintaining trust. As an advocate for collaboration, he expressed his belief that the National Stock Exchange and ICAI must work hand in hand for mutual prosperity. Furthermore, he spoke passionately about the integral connection between sustainability and the nation’s growth. He highlighted the significance of environmental factors, urging that the countries capable of managing their water quality, air quality, and natural resources sustainably are poised for long-term survival. Acknowledging India’s role as one of the world’s largest recirculating economies, he emphasized the need for sustainability to be inclusive, benefiting a greater number of people in our country.

- **National Program on Leadership in Sustainability | Women & Capital Market**

National Program on “Leadership in Sustainability and Capital Market” on 20th December 2023 at NSE Exchange Plaza, BKC Mumbai. The topic was Sustainability : ESG | Bio Diversity| Circular economy |Global Reporting | Assurance | Opportunities for Cas with eminent speaker such as -Global Head, Audit Risk & ESG, Wockhardt Ltd, OSD,CSIR and Former Director, CSIR – NEERI, CFO, Tata Chemicals Ltd, , CFO, Yes Bank Ltd, Vice Chairman- SRSB, Chairman- ISAI and Immediate Past President- ICAI- as a Panel Moderator and Track 2- Smart Investing in Capital Market in Current Volatile Scenario having eminent speakers such as- Managing Editor, Zee Business, MD & CEO, HDFC Asset Management Company and Central Council Member- Panel moderator where more than 300 members joined the Program.

- **ESG Conclave**

ESG Conclave- India at Centre Stage was held on July 8, 2023, at Mumbai. The objective of this event was to disseminate knowledge and awareness amongst members about the GRI Framework, Demystifying BRSR, Sustainable Investing & Green Finance, Building Sustainable Supply Chain & Circular Economy, ESG ratings, Role of CA’s in ESG & Sustainability etc. member of the Public Enterprises Selection Board, India graced the occasion as a chief guest where more than 100 Participants have registered for this event and various eminent speakers across the world shared their valuable insights on the abovementioned topics.

- **ESG-Roundtable**

ESG Roundtable on ESG and Sustainability: Opportunities for Cas was held on 30th March 2023 at Mumbai. The outreach program consisted of technical sessions on Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR), Roadmap to Carbon Neutrality, Initiatives of SRSB and ESG around the World and GCI. Chairperson SRSB, apprised about the initiatives of Sustainability Reporting in India. Eminent speakers for Panel discussions were Vice Chairperson, SRSB, Deputy President, CAPA and Past President, ICAI, Investment Research UNCTAD and VP, Reliance Industries Ltd., Director, Investment Research UNCTAD has offered speaking slot and a complimentary stall space at World Investment Forum in October in Abu Dhabi.

(III) Initiatives for the Members/Students

Seminars/Webinars

The Board organized 4 Seminars and 6 Webinars on Demystifying Sustainability- Opportunities in ESG, SSG and Social Audit , Sustainability: Sunrise Area for Chartered Accountants, Evolution and overview of Sustainability &

ESG, Role of CAs, Registration and listing of Social Enterprises on Social Stock Exchange, Sustainability Reporting Landscape and New Developments, Carbon Accounting and Offsetting, Global Frameworks Impacting Sustainability Landscape in India, Sky-High Symposium 95- a dynamic online webinar on Greenhouse Gas Accounting etc.

- **Sustainability Awareness Drive**

- On the occasion of 75th year of ICAI, the Board launched a video titled “Har Ghar Sustainability” on 1st July 2023 to spread the awareness about how a household can be sustainable in their day-to-day life.
- The Board while celebrating Sustainability week to promote sustainability awareness where a range of activities centred around the key pillars of sustainable development- 5 Ps (Planet, People, Prosperity, Peace, Partnerships) which includes a Blood donation camps, Sustainability Skit, Tree plantation and Cloth & Food distribution organized in branches/RCS.
- In quest for sustainability, the Board is preparing to launch of a culturally enriched video, intertwining the essence of Indian culture with our commitment to a greener future. This initiative will reflect our dedication to harmonizing tradition and innovation for a sustainable and vibrant tomorrow.
- Western India Regional Council (WIRC) of ICAI in order to promote awareness about Sustainability and ESG organized Skit on sustainability at “37th Regional Conference” and “National Conference for CA Students” on December 15 and 16, 2023 at NESCO, Goregaon, Mumbai where more than 1500 members and 3000 students were present respectively.

- **Awareness Program on SDGs**

- Yoga and Meditation Drive
- Tree Plantation Drive
- Cloth and Food distribution Drive

- **Online Certificate Course on Sustainability and BRSR**

The Board has revised the course curriculum of the Certificate Course on Sustainability and BRSR after various developments in sustainability and BRSR reporting as per the latest requirements of SEBI. The Course tenure has also been increased from 5 Days to 8 days (increased from 20 hours to 30 hours). The Board has successfully completed the 20th, 21st and 22nd batch of online Certificate Course of Sustainability and BRSR as per the revised course curriculum with 139, 64 and 166 participants respectively. Till date, 22 batches have been conducted successfully and around 1900 participants enrolled for this course. Further, revision of course material for the BRSR course is under process.

(IV) **Technical Vetting of Articles by the Board**

To maintaining the highest standards of academic rigor and excellence and as part of dedication to advancing knowledge and promoting quality research within the field, the Board has actively engaged in the technical vetting of articles shared by the esteemed Editorial Board of the ICAI.

Objective: The primary objective in undertaking this crucial responsibility is to ensure that the scholarly content disseminated through our platform is of the highest technical quality and contributes meaningfully to the advancement of our discipline.

Domains Explored: The articles under scrutiny cover a diverse range of technical domains, showcasing our commitment to addressing multifaceted challenges within the sustainability sector. These domains include, but are not limited to:

- **Green Finance and Sustainability:**

- Green Finance: Accelerating the transition to low carbon
- EU Carbon Tax and its Impact on the Indian Industry
- IFRS - S2: How climate changes can impact your financial reporting
- Carbon Credit Market in India: An Initiative Towards Achieving Environmental Sustainability

- **ESG Reporting and Compliance:**

- Enhancing Business Valuation through ESG Integration
- Assurance of Corporate Sustainability: A Study of BSE-SENSEX Companies
- The Growing Significance of ESG in Businesses: The Role of Chartered Accountants in ESG Reporting and Compliance in India

- **Sustainable Business Practices:**
 - Green Cement: Path for Sustainability
 - Beyond Profits: The Rise of Green Accounting
 - Sustainability Management Accounting in SMEs: A Management Accountant Perspective
- **Renewable Energy and Environmental Initiatives:**
 - Renewable Energy: INDIA Emerging as a Global Leader in Energy Transition
- **Economic Growth and Entrepreneurship:**
 - Linkage between Entrepreneurship and Economic Growth

Methodology: The technical vetting process involves a meticulous examination of the submitted articles within these diverse technical domains, encompassing a thorough review of the methodology, data analysis, and overall technical validity. Our Board members, who are experts in their respective technical fields, bring a wealth of knowledge and experience to the evaluation process.

Impact: The rigorous technical vetting process conducted by our Board contributes to the credibility and technical standing of our organization. It reflects our commitment to fostering a culture of technical excellence and promoting cutting-edge research within the community.

(V) **Registration of Trademark in the name of Sustainability Reporting Standards Board**

SRSB has recently received an intimation, dated February 3, 2024, confirming the successful registration of the trademark. The trademark now officially belongs to the “Sustainability Reporting Standards Board” of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). This milestone underscores our commitment to safeguarding the integrity and identity of the Sustainability Reporting Standards Board, ensuring its continued influence and recognition in the field of sustainability reporting.

(VI) **Publication**

- Sustainability Reporting Maturity Model (SRMM) Version 2.0

6.21 **Committee on Financial Markets and Investors' Protection (CFM&IP)**

The Committee on Financial Markets and Investors' Protection provide suggestions on various Bills, Notifications, Circulars, Consultation papers and other documents related to Financial Markets to the Government and Regulators. Additionally, the Committee regularly interacts with Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Non-Finance companies (Department of Non-Banking Finance companies of RBI), Forward Markets Commission and Stock Exchanges on the issues relating to Financial Markets, the role of Chartered Accountants and Investors' Protection.

(I) **Partner in Nation Building**

To create awareness amongst the public at large and to ensure Investors' Protection, the Committee conducted 128 Investor Awareness Programmes through various Programme Organizing Units of ICAI i.e. Branches/Regional Councils/Study Circles, to enhance the ability of investors to understand broad developments of the Financial Markets under the aegis of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) of the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

(II) **Comments/Suggestions on Securities and Exchange Board of India (SEBI)**

- Consultation Paper on Regulatory Framework for Micro, Small and Medium REITs (MSM REITs) dated May 12, 2023.
- Consultation paper on Institutional Mechanism for Asset Management Companies for deterrence of possible market abuse and Fraudulent transactions dated May 20, 2023.
- Consultation paper on Framework for mandating additional disclosures from foreign Portfolio Investors (FPIs) that fulfil certain objective criteria, to 1) guard against possible circumvention of Minimum Public Shareholding (“MPS”), and 2) to guard against possible misuse of FPI route to circumvent the requirements of Press Note 3 (“PM3”) dated May 31, 2023.
- Consultation paper on Consolidated Cybersecurity and Cyber Resilience framework for SEBI Regulated entities dated 4th July 2023.

- Comments/suggestions were submitted by the committee to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) on the consultation paper dated 29th August 2023 Consultation paper by SEBI on Flexibility in the framework on Social Stock Exchange (SSE)
- Consultation Paper on Framework for REITs and InvITs Subordinate Units & Employee Benefits dated Dec 09, 2023.
- Consultation Paper on Amendments to SEBI Regulations with respect to Verification of Market Rumours dated Dec 28, 2023.
- Committee made representation on 1st February 2024 before SEBI for inclusion of Certificate Course on Fundamental and Technical Analysis of Stocks including Equity Research (FATA) by ICAI as Certification Examination to fulfil the requirements specified under Regulations 7(2) of the SEBI (Research Analyst) Regulations, 2014
- Committee made representation before SEBI on 1st February 2024, requesting to allow Chartered Accountants as Category IV Merchant Bankers for Advisory and Consultancy Purpose for MSME Sector. Committee made representation before Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) and Bombay Stock Exchange Limited (BSE), seeking to allow Chartered Accountants who have successfully completed the Certificate Course on Financial Markets and Securities Laws to undertake the Internal Audit of Trading Members of the said Exchanges, as the said Certificate Course has already been recognized as an eligibility criteria for the said Internal Audits by National Stock Exchange of India Limited (NSE) vide Circular Number 77/2022 dated 14th October 2022.

(III) Initiatives for the Members

Certificate Courses

To enhance the skills of our members and to empower them suitably, the Committee conducts a 4 Certificate Courses which are as follows:

- Certificate Course on Forex and Treasury Management (FXTM)
- Certificate Course on Derivatives
- Certificate Course on Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research
- Certificate Course on Financial Markets and Securities Laws (FMSL)

The Committee has successfully conducted 5 Online batches through Digital Learning Hub of the Certificate Course on Forex & Treasury Management, Certificate course on Derivatives, Certificate Course on Financial Markets & Securities laws and Certificate course on Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research, wherein a total of 429 Members of ICAI have enrolled.

(IV) National Conferences/Seminars/Workshop/Webcast/ Residential Refresher Course (RRC) for professional enhancement of members

The Committee has disseminated knowledge among members by way of 45 Virtual CPE Meetings and webinars. The Committee on Financial Markets and Investor's Protection conducted 3 National Conferences, 15 Seminars and 1 Workshops with support of Branches of ICAI.

6.22 Audit Committee

The Constitution of Audit Committee of the Institute is governed by the Council. It ensures independence and integrity while appointing auditors at various units of the Institute. It reviews audit reports, takes follow up with auditee departments/units, hold discussion with auditors and recommends appropriate actions based on reports submitted by the auditors of various units of the Institute.

6.23 Digital Re-Engineering and Transformation Directorate (DR&TD)

The Digital Learning Hub has evolved over the past years and various customizations/alignment of ICAI processes have been enabled for conduct of virtual and physical courses through the Hub. The ICAI Digital Learning Hub is currently being used the Central committees for Certificate courses, Post Qualification courses, Refresher courses, CPE events and Online Self-Paced courses being organised through the said platform and has been extended to ICAI Branches and Regional Councils for conducting their virtual CPE events and Web Lectures too.

The Digital Learning Hub broadly provides the following facilities to its stakeholders,

- Knowledge Repository for Professional & academic learning.
- Content Delivery by providing access to courses, lectures, and other learning materials.

- Learning content in multiple formats (documents, PPTs, video, audio, SCORM) tailored to suit every learner.
- Leaderboard feature showcasing credits achieved.
- Structured and Unstructured CPE hours credits for ICAI Members.
- Badges to Members based on CPE Hours Earned.
- Communities to share Ideas.
- Course Access to Government Officials, Bank Officials, MRA/MOU/SAFA Members.
- Skill India Courses for Non-Members.
- Assessment and Feedback by offering tools for quizzes, assessments, assignments, with feedback to help learners gauge their understanding and progress.
- Certificates generated for learners on successful completion of Certificate courses and Post Qualification courses.

DLH Statistics – 1st April 2023 to 31st March 2024	
Active Learners on DLH	43973
Number of Certificate Courses conducted through DLH	152
Learners Enrolled - Certificate Courses	15881
Total Number of Assessments Conducted	87
Total Online Certificates generated (QR Enabled)	10433
Count of Members who earned CPE Credits through Self-paced courses(Structured)	10934
Count of Members who earned CPE Credits through Self-paced courses(Unstructured)	13142

6.24 Management Committee

Management Committee, constituted in 2015 as non-standing Committee of the Council, is mandated to consider matters pertaining to formation of Branches, setting up of Chapters abroad, MoUs/ MRAs with national/ international bodies, appointment of central auditors of ICAI, annual accounts of the Institute, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members/CA firms/LLPs/mergers/demergers/networking related matters and proposals received from other committees/departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required.

6.25 Insolvency & Valuation Standards Board

The Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB) of ICAI has been newly constituted for the year 2024-25. The Committee on Insolvency and Bankruptcy Code and Valuation Standards Board have been merged to form Insolvency & Valuation Standards Board w.e.f. 19th February 2024.

(I) Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB)

The Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB) has been set up this year to act as an instrument for the empowerment of the profession and aims to facilitate a fair corporate regime with the best global practices in the sphere of Insolvency and Valuation. Also, the Board has been formed to focus on advancement of activities for formulation, implementation and recognition of ICAI Valuation Standards 2018. The Insolvency and Valuation Standard Board (I&VSB) plays a crucial role in maintaining financial stability by establishing and promoting transparent and consistent standards in the fields of insolvency and valuation.

Significant Achievements and Initiatives

- **Simplification of Companies Rules and LLP Rules under the policy for pre-legislative consultation formed by the Ministry of Corporate Affairs**

The Ministry of Corporate Affairs has been undertaking the Comprehensive Review of the Rules under the Companies Act 2013, LLP Rules and Rules under IBC under the policy for pre-legislative consultation formed by the MCA. The I & VSB comprehensively reviewed the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules,

2017 and developed draft Suggestions on the same. The Suggestions on Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 have been submitted to the Ministry of Corporate Affairs.

- **Suggestion on Discussion Paper by IBBI on “Strengthening the process of issuance of record of default (RoD) by Information Utility (IU)”**

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had issued a Discussion Paper on Strengthening the process of issuance of record of default (RoD) by Information Utility (IU) wherein comments have been solicited on the proposals and the draft regulations. In this regard, Roundtable has been organised by Insolvency & Valuation Standard Board of ICAI (I & VSB) and the suggestions have been prepared. The suggestions will be submitted to IBBI soon.

- **Guidelines on Valuation of Assets during CIRP submitted to IBBI**

The Insolvency and Bankruptcy Board of India requested ICAI to develop the Guidelines on the Valuation of Assets during CIRP. The Guidelines have been developed and the same included a detailed list of assets to be valued. The Guidelines have been bifurcated into two sections viz, general guidelines for all the asset classes and specific guidelines for the three asset classes. The Guidelines as approved by the Council have been submitted to IBBI.

- **Development of ICAI Valuation Standards for other two assets class i.e., “Plant & Machinery” and “Land & Building” in addition to “Securities or Financial Assets”**

I & VSB has initiated the process of developing the Valuation Standards for the Asset classes, namely Land & Building and Plant & Machinery in addition to Securities and Financial Assets. The Concept Paper to formulate Valuation Standards for the Asset Classes – Plant and Machinery and Land and Building has been prepared to take the formulation forward.

- **Nomination sought from 14 RVOs for nominating representative on Insolvency & Valuation Standards Board for development of Valuation Standards on the Asset Class “Plant and Machinery” and “Land and Building”**

The Insolvency & Valuation Standards Board of ICAI has sought nomination of representatives from the fourteen Registered Valuers Organisations (RVOs) on the Board for the year 2024-25. The objective is to enable wider participation in the discussion and finalisation of Valuation Standards on the Asset Class “Plant and Machinery” and “Land and Building” as these Organisations have expertise in this field. Accordingly, representations have been received on the Board from the following organisation:

Name of the Organisation	Nominated Member
IOV RVF	Director, IOV RVF
IOV RVF	Faculty P&M, IOV IVF

- **Nomination sought from various Regulators for representation on Insolvency & Valuation Standards Board of ICAI**

The Insolvency & Valuation Standards Board for wider participation in the discussion of the Valuation Standards, and for providing Interpretations, Guidance and Technical Materials has sought nominations of experts from various Organisations for the year 2024-25. Accordingly, representations have been received on the Board from the following organisations:

Name of the Organisation	Nominated Member
IBA	Senior Advisor, Stressed Assets
FICCI	Senior partner, SCV & Co. LLP
ASSOCHAM	Co-Chairman, ASSOCHAM, National Council for IBC & Valuation, Managing Partner, RNC Valuecon LLP
CII	Member, CII

- **Meeting with Chief Justice Bombay High Court regarding Valuation Services to be taken from Registered Valuers.**

In order to expand the scope of work of Registered Valuers of ICAI Registered Valuers Organisation (ICAI RVO) in the Judicial / Quasi-Judicial Realm, ICAI RVO had sent letters to the Supreme Court of India and all the High Courts of India. On invitation, an initial meeting was held with the Hon’ble Registrar General of the Mumbai High Court on 19th of December, 2023 and the representatives of ICAI RVO attended the meeting. In continuation of

this, the second round of meeting was held with the Hon'ble Chief Justice, Mumbai High Court on 22nd April 2024 to take the proposal further. This meeting was attended by Chairman, I & VSB, Vice-Chairman, I & VSB along with the Secretary, I & VSB and Officiating CEO ICAI RVO. During the meeting, it was advised to submit additional documents for sustaining statutory recognition of ICAI RVO before empanelling Registered Valuers.

- **Quarterly e-Newsletter “Valuation Edge”**

The Insolvency & Valuation Standards Board releases its quarterly e-Newsletter namely “Valuation Edge”. This initiative is driven by a commitment to keeping our members consistently informed and well-versed in the evolving landscape of Valuation and Insolvency laws. Quarterly e-Newsletter “Valuation Edge” for the quarter ending March and June, 2024 have been released and hosted on ICAI Website.

- **Monthly Knowledge Corner by Insolvency & Valuation Standards Board**

The Insolvency & Valuation Standards Board continues with the release of Knowledge Corner in the form of news updates and Case law updates on a monthly basis covering important Case Analysis based on the decisions by Supreme Court, High Courts, NCLAT and NCLT on issues under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Knowledge Corner for the months from February, 2024 to June, 2024 has been released and hosted on ICAI Website.

- **Monthly Quiz on IBC and Valuation**

The Insolvency & Valuation Standards Board has introduced a monthly quiz as a part of its strategic initiatives to enhance knowledge of members and to promote active engagement. As an incentive for active involvement, the top three participants are being rewarded with publication of the Board. This initiative not only promotes learning but also encourages members to stay updated and engaged with current developments in the field of insolvency and valuation. The monthly quiz for the months from March, 2024 to July, 2024 has been released.

- **ICAI-SAFA Webinars organised by Insolvency & Valuation Standards Board, ICAI jointly with Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI)**

- **1st ICAI-SAFA webinar on the topic “International Insolvency-Best Practices” held on 20th March,2024**

To disseminate knowledge to SAFA member countries on the insolvency ecosystem, Insolvency & Valuation Standards Board (I & VSB) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the South Asian Federation of Accountants (SAFA) jointly with Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI) has conducted a webinar on the topic “International Insolvency-Best Practices” on 20th March,2024. The 1st ICAI-SAFA webinar received an overwhelming response, with participation of more than 860 members including 15 members from 15 different countries, reflecting a truly global engagement.

- **2nd ICAI-SAFA Webinar on the topic “Cross Border Insolvency Framework under IBC” held on 24th June 2024**

The Insolvency & Valuation Standards Board organised the second ICAI - SAFA webinar on the topic “Cross Border Insolvency Framework under IBC” on 24th June 2024. The aim of the webinar is to support professional networking, cross-jurisdictional knowledge sharing, and cooperation among SAFA member countries in order to enhance the understanding and implementation of insolvency laws. The webinar garnered over 650 participants, indicating significant participation and an overwhelming response.

- **Online Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in association with IBBI**

Looking at the importance of The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the professional opportunities therein, the Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has been launched for the benefit of the members at large. Towards this, the Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB) has successfully organized three batches of the Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 from March 2024 to June 2024.

- **Two-day Residential Refresher Course on 31st May & 1st June’24 hosted by Jammu and Kashmir Branch of NIRC of ICAI**

With a view to promote and to create awareness about ICAI Valuation Standards 2018, Valuation, Insolvency and Bankruptcy Laws, the Insolvency & Valuation Standards Board has organized a Two-day Residential Refresher Course on Insolvency & Valuation. The Course was hosted by Jammu and Kashmir Branch of NIRC of ICAI on 31st May 2024 and 1st June 2024 in Srinagar. Over the course of this two-day Refresher Course, participants explored various opportunities for Chartered Accountants in Valuation and Insolvency, examined the interplay between insolvency and valuation, and delved into valuation under startup and emerging technology assets in insolvency contexts. These discussions provided valuable insights into the dynamic fields of insolvency and valuation.

- **Two-day International Convention on Insolvency Resolution and Valuation “RESOLVE- 2024” on 12th-13th July 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi**

The Insolvency & Valuation Standards Board of ICAI has successfully organized second edition of two-day International Convention on Insolvency Resolution and Valuation “RESOLVE- 2024” on the theme “Enabling Resolution Maximizing Value” on 12th -13th July 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi in association with The Insolvency and Bankruptcy Board of India, Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI and ICAI Registered Valuers Organisation. The event was hosted by The Northern India Regional Council of ICAI. The Second edition of RESOLVE-2024 was attended by approximately 500 Participants and other key stakeholders in person from India and other overseas jurisdictions. RESOLVE-2024 had several technical sessions and panel discussions spread over the two days covering the most relevant and contemporary topics in the space of insolvency resolution and valuation and were addressed by more than 50 eminent international and national thought leaders.

- **Training Programmes/ Workshops/ Conferences/ Webinars/ Seminars on Insolvency and Bankruptcy laws, Valuation and ICAI Valuation Standards 2018**

The Board had organised/planned to organise 7 National Conference/ International Conference/ Seminar with a view to promote and to create awareness about ICAI Valuation Standards 2018, Valuation and Insolvency and Bankruptcy Laws.

(II) **Committee on Insolvency & Bankruptcy Code(April 2023-February 2024)**

The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code of ICAI has been constituted to give specific focus on Insolvency and Bankruptcy Laws. It is an emerging area, and it has created a new professional opportunity for the members. The Committee aims to bring awareness about this new area of practice in the Insolvency Resolution sphere to the members at large and facilitates in educating the members on the practical aspects and procedures of the Law.

Significant Achievements and Initiatives

- **Submission of ICAI Suggestions to IBBI on various Discussion Papers as brought out by IBBI.**
 - ICAI Suggestions submitted on IBBI Discussion Paper on measures for increasing the possibility of resolution, value of resolution plan and enabling timely resolution.
 - ICAI Suggestions submitted on IBBI Discussion Paper on Simplification of Enrolment and Registration Process for Ease of Entry in the Insolvency Profession.
 - ICAI Suggestions submitted on IBBI Discussion Paper on appointment of RP, sharing of report prepared by the RP with the personal guarantor and mandating summoning of meeting of the creditors.
 - ICAI Suggestions submitted on IBBI Discussion Paper on Streamlining the Voluntary Liquidation Process.
 - ICAI Suggestions submitted on IBBI Discussion Paper on Rationalisation of the Regulatory Framework for Enhancing the Effectiveness of Insolvency Professional Entities in Insolvency Resolution Process.
 - ICAI Suggestions submitted on IBBI Discussion Paper on Strengthening the Liquidation Process.
 - ICAI Suggestions submitted on IBBI Discussion Paper on Amendments to Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Process) Regulations, 2016.
 - ICAI Suggestions submitted on IBBI Discussion Paper on Real- Estate Related Proposals- CIRP & Liquidation.

- **Knowledge Corner on IBC**

The Committee has taken the initiative to bring Knowledge Corner on IBC in the form of News Updates and Case Law Updates on a monthly basis covering important Case Analysis based on the decisions by Supreme Court, High Courts, NCLAT and NCLT on issues under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Committee has brought out Knowledge Corner from April 2023 to October 2023.

- **Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016**

Looking at the importance of The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the professional opportunities therein, the Committee has launched Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 during the year for the benefit of the members at large.

The Committee has conducted eight batches of Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 through Online Mode. From third batch onwards, course is being conducted by the Committee in association with Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).

- **Seminars/Conferences/Conclaves/Webinars/Workshops held during the year 2023-2024**

The Committee organised 2 Seminars, 2 Conferences, 4 Conclaves, 10 Webinars and 3 Workshops on Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, Voluntary Liquidation Process under IBC-Important Practical Insights, Recent

Judicial Pronouncements under IBC, Liquidation Process under IBC- Aspects, Developments and Challenges, Preparation of Limited Insolvency Examination etc.

- **Publications Released**

- Liquidation Process- A Handbook for the guidance of Insolvency Professionals
- Voluntary Liquidation Process- A Handbook for the guidance of Insolvency Professionals
- Corporate Insolvency Resolution Process -A Handbook for the guidance of Insolvency Professionals

(III) Valuation Standards Board (April 2023-February 2024)

To have consistent, uniform, and transparent valuation policies and to harmonize the diverse valuation practices by taking into consideration the applicable laws, customs, usages, and business environment relevant in India, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) formed the Valuation Standards Board in the year 2017. The Valuation Standards Board of Institute of Chartered Accountants of India has issued ICAI Valuation Standards in 2018 for the asset class of Securities or Financial assets which are the first of their kind in India.

Significant Achievements and Initiatives

- **Valuation Standards for other asset classes i.e., Plant & Machinery and Land & Building**

ICAI RVO has received approval from IBBI to provide certification for the other two asset classes, namely Land & Building and Plant & Machinery in addition to Securities and Financial Assets. In 2018, VSB had issued Valuation Standards on Securities and Financial Assets class. With a focus on enhancing guidance for valuers, the Valuation Standards Board started the process of formulating specific Valuation Standards for asset classes, Land & Building and Plant & Machinery, aiming to provide comprehensive and standardized practices in all three asset categories.

- **Representations / Technical Inputs to Government, IBBI, and other Regulators**

On the request received from IBBI, the Valuation Standards Board of ICAI prepared Guidelines on Valuation of Assets. These guidelines aimed to identify and document challenges faced, streamline assumptions for comparability, and introduce a tabular format for consistent information among valuers during CIRP process.

- **Development of e-learning module/Video Lectures on ICAI Valuation Standards 2018**

Video lectures covering a variety of valuation topics are being hosted on the DLH portal of ICAI, exclusively catering to the members. Upon successful completion of the recorded video lecture, members will be eligible for 2 Continuing Professional Education (CPE) hours. This initiative underscores our commitment to providing valuable educational content and ensuring that our members stay abreast of the latest developments in the field of valuation.

- **Quarterly e-Newsletter -" Valuation Edge"**

The Valuation Standards Board of ICAI had launched quarterly e-Newsletter-" Valuation Edge" which provides essential updates, trends, and best practices in the ever-evolving field of Valuation with a view to ensure that members stay informed of the activities of the Board and the developments in the field of valuation.

- **Online Comprehensive Course on Valuation and Valuation Standards for the members of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN)**

The Valuation Standards Board, in collaboration with The Institute of Chartered Accountants of Nepal has successfully conducted a Comprehensive Course on Valuation and Valuation Standards, exclusively designed for members of the Institute of Chartered Accountants of Nepal. This 5 days course has been conducted from December 4th to December 8th 2023. The Course was attended by more than 300 members of the Institute of Chartered Accountants of Nepal.

- **Training Program for SEBI Officials at WIRC of ICAI, BKC, Mumbai**

Valuation Standards Board has successfully conducted a training on "Valuation and Financial Modelling" for SEBI Officials in July, 2023. The program was addressed by eminent faculties from the field of Valuation and was attended by 37 Officers from SEBI. The session aimed to provide the SEBI officials with the knowledge and skills they need to conduct valuations and financial analysis in a fair, transparent, and professional manner.

- **Webinars/Refresher Course/Training programme/Seminars**

The Valuation Standards Board organized 40 Webinars and 7 Refresher Course/Training programme/Seminars on Valuation Manthan Session 3-42, Opportunities for CA in Valuation & Valuation under Rule 11 UA of Section 56 of Income tax Act, Business Valuation- Approaches and Methods, Introduction to Valuation and Applicability as

per different laws, Valuation-Practical Challenges and solutions, 2 Day Refresher Course on Valuation Standards, Business Valuation- Approaches and Methods etc

• **Publication released during the year 2023- 2024**

A Publication namely “Judicial Pronouncements in Valuation” is being released every year which is a compilation of Judicial Decisions on Valuation. The Valuation Standards Board of ICAI has brought out third Series of publication titled ‘Judicial Pronouncements in Valuation Series-3’, a compendium of significant case laws in simplified form. This compilation represents a comprehensive and insightful exploration of landmark judicial decisions that have significantly influenced the valuation profession.

6.26 Taxation Audits Quality Review Board (TAQRB)

The Taxation Audits Quality Review Board was constituted by the Institute in the year 2018 in order to improve the reporting of compliances under various taxation laws (both Direct as well as Indirect). It is envisaged that the reviews carried out by the Board, will ensure that the members will exercise greater diligence while certifying the various reports prescribed under direct and indirect taxation and in the long-run would improve the overall reporting and certification done by them.

Activities/Initiatives

(I) Status of Review of Tax Audit Reports selected:

Since inception, the Board reviewed various Tax Audit reports and based on the review:

- Advisories are being issued to members to ensure that such mistakes are not committed again.
- Suggestions have been identified to be conveyed to CBDT for changes in the Tax Audit Report e-filing utility.
- Suggestions have been identified which was incorporated in the latest edition of Guidance Note on Tax Audit.
- Commonly found irregularities/ non- compliances committed while furnishing Tax Audit Reports have been identified for the purpose of creating awareness amongst the members.
- **Status of Review of Tax Audit Reports selected during the Council Year 2023-24-** The Board during the Council Year 2023-24 selected 111 companies for review of their Tax Audit reports (pertaining to AY 2022-23) on suo motto basis.
- **Status of Review of Tax Audit Reports selected during the Council Year 2024-25-** The Board during the Council Year 2024-25 selected 100 companies for review of their Tax Audit reports Pertaining to AY 2023-24 on suo motto basis and 23 companies additionally selected to which advisories were issued upto 31st March, 2023. The process of downloading of the annual reports has been commenced and letters are being issued to Statutory auditors requesting for sharing the details of the tax auditors.

(II) Initiatives for the Members

Seminars/Webinars

The Board conducted 14 Seminars on Tax Audit, Common Non-Compliances & Issues in Tax Audit u/s 44AB, Income Tax Audit, Safeguard of Chartered Accountants in Tax Audit & Tax Audit Quality, Discussion on Issues under Tax Audit, Direct Tax and other Tax Matter. The Board conducted 17 webinars from the series- Tax Audit Practice Session to aware the members on the compliances to be followed while conducting Tax Audits i.e Tax Audit Programme, Standards on Auditing Consideration in Tax Audit, Tax Audit Documentation, Commonly Found Irregularities in Form No. 3CD Clauses 1 – 20, 21, 22-31, 32-34, Precautions in uploading Tax Audit Report & GST in Tax Audit, Typical Issues in Tax Audit etc.

(III) Orientation Programme

The Board organised 2 Orientation Programmes for the members of Taxation Audits Quality Review Groups and Technical Reviewers of Taxation Audits Quality Review Board.

(IV) Regular update on Official X (Twitter) Handle of the Board

The official Twitter account of the Board i.e., @Taqrbciai is being regularly updated with its ‘Tax Audit Tips’ series to aware the members about the compliances to be taken care of while conducting and filing the Tax Audit Report.

(V) Publication

To guide the member of the Institute in enhancing and improving the quality of Tax Audits conducted by them, the Board released a publication namely ‘Quick Referencer for Tax Audit under Section 44AB of The Income Tax Act, 1961.’

(VI) Other Activities

Presence of TAQRB was included in ICAI pavilion along with the other regulatory Boards of ICAI e.g., QRB, FRRB, PRB and CAQ in GloPAC 2023 held in Gandhinagar, Gujarat from 24th – 26th November 2023.

6.27 AI in ICAI

The "AI in ICAI" Committee is a New Committee which has been formed for the First Time in Council Year 2024-25 and it aims to integrate AI into ICAI operations, enhancing services for members, students, and employees. It promotes AI awareness through digital materials, webinars, and workshops, and engages with AI experts and stakeholders. The committee will identify AI tools, collaborate with startups, and develop an AI research lab. Additionally, it seeks international AI partnerships, explores professional opportunities for members in AI, and incorporates AI tools into educational content for enhanced financial reporting and compliance solutions. The Committee has launched an ICAI CA GPT for Members and Students which provides significant benefits to both members and students by offering quick, AI-driven solutions to complex queries related to accounting, auditing, tax, and compliance. It enhances learning by acting as a study aid for students, offering instant access to key concepts, standards, and regulations. For members, it simplifies research, assists with technical queries, and streamlines decision-making processes. Additionally, it supports real-time problem-solving and helps in staying updated with the latest industry trends, improving both educational and professional outcomes. The Committee has launched a Certificate Course on AI AICA Level 1 which offers several key benefits:

- **Foundational AI Knowledge:** Provides a strong understanding of AI concepts relevant to accounting and finance.
- **Practical AI Applications:** Teaches real-world AI use cases.
- **Career Advancement:** Equips members with in-demand AI skills, enhancing professional opportunities.
- **Hands-on Learning:** Offers exposure to AI tools and platforms through interactive sessions and case studies.
- **Certification:** Recognizes participants as AI-proficient, boosting credibility in the profession.

S.No.	Particulars
1	Digital Publication on ChatGPT, Copilot have been published. More such publications are in the pipeline.
2	Committee on AI in ICAI is organizing Webinars, Seminar and Workshops on AI. A total of 41 events have been conducted thus far.
3	Live Interaction of AI Leaders with RC and Branch Management Committee Members, Overseas Chapters has been conducted by the Committee.
4	ICAI has launched ICAI CA GPT on CA Day 2024 for Members wherein 18 GPTs of various topics of committees/departments are available initially to 7500 Members. Gradually it will be released to all Members.
5	4 Hours Workshop for ICAI Employees-700+ Employees participated in Workshop conducted on 21 st March 2024.
6	Expression of Interest for Registration of AI Faculty has been floated and vendors will be onboarded as per process
7	Committee is organizing ICAI AI Innovation Summit 2024 on 16 th and 17 th July 2024 in Hyderabad.
8	Committee Website ai.icai.org is launched and up and running
9	Twitter Account and WhatsApp channel is Active for Committee
10	Trademark Registration for AI in ICAI is Accepted and advertised.
11	AI Faculty Meet was held on 29 th April, 2024
12	The May 2024 edition of the ICAI e-journal, which focuses on AI, features 3-4 articles contributed by AI faculty and hackathon participants has been released/
13	Certificate Course on AI for Members will be launched shortly.
14	Conduction of ICAI AI Innovate Challenge for ICAI Employees on 24 th May 2024

6.28 Women Members Excellence Committee (WMEC)

As a true partner in nation building, ICAI has setup the Women Members Excellence Committee (erstwhile Women & Young Members Excellence Committee) which is a non-standing Committee of the ICAI formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. WMEC especially work towards promoting the fulfilment of Women Member's potential through capacity building initiatives, skill development activities, providing platform for professional and employment opportunities.

- **CA Women Leadership Conclave:** The Committee organized the CA Women Leadership Conclave on 29th June 2024 at Mumbai. The Conclave witnessed a gathering of eminent dignitaries, Professionals and Chartered Accountants, serving as a platform for women professionals to delve into global opportunities, foster knowledge exchange and establish valuable networks with prominent women leaders worldwide. This Conclave is organised in the spirit of the falcon -brave, boundless and beyond. The Conclave was inaugurated by President, ICAI, Past President, ICAI, Chairperson, WMEC, Vice Chairperson, WMEC alongwith Central Council Members of ICAI. More than 500 women Chartered Accountants participated in the Conclave.
- **Relaunch of the Women Portal for Flexi & Part-time Work options-**The Committee relaunched Women Portal <https://wmecc.icaai.org/> for Flexi & Part-time Work options in the CA Women Leadership Conclave on 29th June 2024 at Mumbai. This portal enables both employers and job seekers to register, facilitating better job matching and networking. A key feature of the portal is its API integration with the SSP portal, allowing job seekers to complete forms quickly by capturing necessary data from the SSP portal, thus reducing the time required for registration.
- **Independent Directors' Conclave:** Women Members Excellence Committee jointly with Corporate Laws & Corporate Governance Committee successfully organised first Independent Directors' Conclave on 6th June 2024 in Mumbai on the theme- "Shaping the future of effective Corporate Governance", a subject paramount to the integrity and sustainability of our corporate landscape. This conclave was inaugurated by Chief Guest- Group CFO & Head Corporate Affairs at the National Stock Exchange of India Limited, President, ICAI, Vice-President, ICAI, Past President of ICAI, Chairperson, WMEC, Vice Chairperson, WMEC alongwith Past Presidents of ICAI. More than 150 Chartered Accountants participated in the Conclave. Second series of Independent Directors' Conclave organised on 20th June 2024 in Ahmedabad. This conclave was inaugurated by Chief Guest- Regional Director (NWR), Ministry of Corporate Affairs, Immediate Past President, ICAI, Past President of ICAI, Chairperson, WMEC, Central Council Member alongwith Past Presidents of ICAI. More than 150 Chartered Accountants participated in the Conclave.
- **यशस्विनी – An IDOL- Inclusivity|Diversity|Outstanding|Leadership Webinar Series:** The Committee organised 15 webinars till 30th June 2024 under its Wednesday Series of "यशस्विनी – An IDOL- Inclusivity | Diversity | Outstanding | Leadership". The sessions were taken up by eminent Speakers on pertinent technical as well as non-technical topics. It is one of the Committee's initiatives to not only disseminate information to its members on technical updation and non-technical skills but also to empower and inspire them to come at forefront and realise their verbal skills at public forum. The sessions covered were Current trends in Internal Audit Practices & Opportunities, Be the Change, Internal Audits in BFSI sector, Role of Internal Auditor in Sustainability & Professional Opportunities, Recent Developments and issues in TDS/ TCS, Report Writing- An Art, Section 43B(h) of Income Tax Act - Tax & Accounting Issues, Key Messages for Fiscal 2024, Disclosure of Foreign Assets and Foreign Income in Income tax Return & Audit your Organisation - IT Infrastructure (Devices, Policies and Procedures), Voluntary Dissolution under IBC 2016 and Performance Management & Appraisal - What, Why & How, Old Tax regime vs. New Tax regime and Issues in Presumptive Taxation, Cyber Security & Data Protection etc. The opportunities were provided to women member to coordinate the programs as well.
- **CA Women Excellence Awards:** The Committee organised the first ever CA Women Excellence Awards in December 2023 to acknowledge, recognize, and reward the indispensable contribution of women members in various professional arenas viz. CA Woman in Social service, CA Woman Value creator, CA Woman Independent Director, CA Woman of the year, CA Woman Start up and CA Woman Lifetime Achievement award. CA Women Excellence Awards were conferred for the first time in the history of the Institute and not only raised awareness and gave recognition but also acknowledged the hard work & valuable work of women members contributing to different sectors. Encouraging response was received from almost 100 women members from across India who were nominated in different categories. A befitting award ceremony was held at NSE premises, BKC Mumbai wherein Chief guest Mr. Ashish Chauhan, Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of the National Stock Exchange of India handed over the trophies to the winners in each category.
- **SAFA Women Leadership Awards 2024:** The Committee contributed in the SAFA Women Leadership Awards 2024 by popularising the same for maximum participation amongst the women members, reviewing the nominations received and shortlisting the most deserving candidates in various award categories as per the evaluation parameters received from SAFA.
- **Placement Programme for Flexi-time/ Part-time/ Work from Home Job Opportunities for Women Chartered Accountants:** The Committee organised placement drive jointly with Committee for Members in Industry & Business for experienced women Chartered Accountants who want to work on a flexi-time/part-time/ work from home basis. The facilitation covered flexi-time/ part-time/work-from-home options and was an excellent opportunity for women members not holding full-time COP and having standing of more than 1

year, to explore job opportunities as per their ease and comfortability. This drive was virtually held at 14 campus centres, 1749 women candidates & 20 organizations registered across India. 257 vacancies for Flexi-time/Part-time/Work from Home job options across India offered by the organizations. Virtual orientation program organised to equip women members with necessary interview/selection skills prior to actual interview dates

- **Seminar on Sustainability and Women leadership:** The Committee organised a Seminar on Sustainability and Women leadership on 20th December 2023 hosted by WIRC of ICAI at Mumbai wherein a parallel session on “Novel Opportunities in Practice, Industry, Start Ups, Success Stories – Interaction with CA Leaders in Industry” was organised for the benefit of women members. The eminent speakers of the session included Former Executive Director (F&A) & CFO at Life Insurance Corporation of India, Chief Business Officer for a Singapore CPaaS Company- vCloudx Pte. Ltd. (EnableX.io), and President of Institute of Internal Auditors (IIA) – Bombay Chapter.
- **Sky High Symposium & Youth Excellence Symposium webinars:** Sky High Symposium webinars were Wednesday series of programs conducted by the Committee for women members of the Institute. It was one of the Committee’s initiatives to not only disseminate information to members on technical updation and non-technical skills but also to empower and inspire them to come at forefront and realise their verbal skills at public forum. The Committee organised Youth Excellence Symposium webinars on Friday’s for young members of the Institute to support and guide them in their professional growth and to increase acumen of young members with the latest developments in the profession. Around 80 programs under Sky High Symposium and Youth Excellence Symposium virtual weekly series had been organised, wherein opportunity were provided to about 150 women/young members to become speakers on technical/non-technical topics and over 250 women/young members to become coordinators in the program.
- **Residential Refresher Courses (RRCs):**The Committee organized 7 Residential Refresher Courses (RRCs) for capacity building, upskilling, networking and excellence of Members.
- **Virtual Series on Unleash Your Potential...Learn-Upskill-Excel:** The Committee organised a Virtual Series on Unleash Your Potential...Learn-Upskill-Excel. This series was one of Committee’s initiatives to augment the knowledge and overall confidence building of the members presently working in Industry/Corporate aiming to switch to practice, members who are on career break but want to resume their professional career or members aiming to widen their area of expertise in respective professional domains. This series was helpful for members at large in enriching their knowledge & overall confidence building by keeping them abreast with the latest amendments in diverse fields. 9 programs organised under this series covering Direct Tax & Indirect Tax modules.
- **Celebration of 75th Year of ICAI Activity:** The Committee organised webinar on the theme “ICAI Champions Women's Excellence” on 25th October, 2023 and “Unlocking New Age Opportunities” on 8th December, 2023 which were live telecasted across various RC’s, Branches and Overseas Chapters. Eminent speakers including Group CFO, Narayana Health, and an FCA were invited to the programs to deliberate on the pertinent topics.
- **International Women’s day Celebration:** To commemorate International Women’s Day i.e. 8th March, 2024, the Women Members Excellence Committee undertook following activities.
 - Video bytes of President ICAI, Vice President ICAI, Chairperson, WMEC and Vice- Chairperson, WMEC were recorded and uploaded on social media platforms, Committee page & women portal, as per norms, for motivating and inspiring women members across the country.
 - Celebration message to all women members on the occasion of International Women’s Day, March 8, 2024, to acknowledge their privilege and contributions.
 - Designed and shared an informative social media creative on social media platforms of the Institute and the Women Members Excellence Committee to publicize and promote ICAI’s initiatives towards women members’ excellence.
 - 74 branches conducted Women Empowerment programme under the aegis of WMEC.
- **National Women Conference-** The Committee organised two National Women Conferences wherein topics covered were- Understanding Laws – relating to harassment & assaults at work, Exploring the Unique Strengths of Women Leaders, Breaking Barriers: Strategies for Advancing in Male-Dominated Industries, From Employee to Entrepreneur–Navigating the Shift, The Evolution of Teamwork: Trends & Challenges in the Digital Era, Employment Rights: Addressing Page 5 Discrimination, Harassment & Workplace Issues, Understanding Cervical Cancer : Causes, Risk Factor & Symptoms, Integrating work & Life Balance, Personal wellness & Self Care, Opportunities for CA in Sustainability-A Road Map, AI Empowerment for MSME

Growth, Panel Discussion-Learning From Leaders - Cultivating Leadership Skills - Corporate Life Lessons, - Use of Social Media etc.

- **Training program on HR Strategies & Relationship Management:** The Committee organised Networking program & 2 days “Training program on HR Strategies & Relationship Management” at Mumbai on 7th & 8th July 2023. The objective of these events was to encourage and motivate women members looking for career as entrepreneur or in HR strategies & relationship management for serving CA firms/Corporates/SME’s or looking to strengthen the HR function of their own offices. Topics such as Overview of Recruitment process, Training & Development, Human Resource planning, Performance Management System and Ways of Networking etc. were covered during the said program.
- **Youth Excellence Conclave:** The Committee organised Youth Excellence Conclave on 15th July 2023 at Mumbai. The purpose of this program was to acknowledge the contribution of Young CA’s in furthering the profession and to augment the knowledge and skill of Young Chartered Accountants in emerging professional arenas. Apart from Women Empowerment program during the month of March 2024, the Committee also organised 19 physical programs/events on Work Life Balance for Women Professionals- Balancing Professional and Personal Life, Professional opportunities for women members, Exploring the Unique Strengths of Women Leaders, From Employee to Entrepreneur – Navigating the Shift, Physical and Mental Wellbeing, Grooming Skills, Opportunities for Woman CA, Exceptional Etiquettes for Professionals, Panel Discussion on Opportunities to Women CAs in Banking Sector, Professional Health Hygiene and Happiness for Women Professional setc

6.29 Committee on MSME & Start-up

The Committee on MSME and Startup is a non-standing committee of the ICAI, established to address the critical needs of the MSME and Startup sectors in India. Its primary objective is to enhance capacity through the development of sustainable frameworks tailored specifically for these sectors. By focusing on training, advocacy, and policy recommendations, the committee aims to bolster the growth and resilience of Indian MSMEs and startups, thereby fostering a conducive environment for entrepreneurship and economic development.

(I) Initiatives

ICAI Startup Gateway

To enhance the capacity building measures of Startups, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through the Committee on MSME & Start-up launched various initiatives on Start-up.

- **ICAI Startup Manthan & Samvad**

Committee on MSME & Startup along with the Committee for Development of International Trade, Services & WTO (CDITSWTO) organised the ICAI Startup Manthan & Samvad platform that bring leading innovators, startups, incubators, academies, and investors from the Startup ecosystem under one roof. Approx 100 branches has conducted ICAI Startup Manthan & Samvad during the said period.

- **Startup Sphere 2023**

A magnificent event was organised for Start-up community titled Start-up Sphere, aimed to foster innovation, collaboration, and entrepreneurship within the local startup ecosystem. The event took place at the World Jio Centre in Mumbai on 27th to 28th June, 2023. This highly anticipated event brought together the startup community, partners, unicorns, influencers, founders, investors, leaders, and entrepreneurs to discuss a wide range of topics related to startups was witnessed by 7000 attendees from all over the Country. The event comprised of series of sessions by over 120 industry specialists who are enthusiastic about empowering entrepreneurs. Around 60 Startups were offered the opportunity to pitch their unique ideas at Investors pitch which brought Investors and Investees face to face. More than 20 mega Venture funds participated in the event to invest in the most innovative ideas. 150 startups participated as exhibitors and seized the opportunity to connect with a diverse community of like-minded individuals, fellow entrepreneurs, angel investors, venture capitalists, and potential partners.

- **Start-up portal i.e., <https://startup.icai.org/>**

The Committee has launched a dedicated portal <https://startup.icai.org/> to facilitate various exchange services within the constituents namely – Startups, Chartered Accountants (Business consultants), Mentors, Venture Capitalist and Incubation Centres. The features of the Web portal includes Mentors for providing mentoring services to the startups and their empanelment on our portal, Ventures Capitalist for providing financing services to the startups and their empanelment on our portal, Member of ICAI as a business consultant to provide various business consultancy services like Corporate Laws, Valuation, Indirect Tax etc. to the startup registered with ICAI, Expression of interest to associate with ICAI startup ecosystem, Startup success stories of Chartered Accountants to motivate and encourage other members to join the league and many more features with regard to Start-up ecosystem. Approx 100 Startups, 65 Investors and 232 mentors are registered on Startup portal.

- **Start-up Incubation Centres**

Taking the journey forward to develop the startup ecosystem within ICAI, we have initiated the Startup Incubation Centres to facilitate start up ideas towards fostering the enterprising spirit and abilities of the Chartered Accountants. There are 10 Startup Incubation Centres at various cities established by ICAI.

- **Certificate course on Startup**

The Committee is conducting the Certificate Course on Startup is intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into Startup space themselves; to help achieve the national objectives. The Certificate course makes the Members of ICAI to be a business solution provider for Startup Sector. Approx 800 members participated in certification course on Startup.

- **Startup Summit**

The Committee on MSME and Start-up organised a Startup Summit Program on 8th October 2022 at Hotel Shangri-La Eros, New Delhi. Start-up Summit where the Members of ICAI participated along with the community of start-ups, partners, Influencers, Founders, Investors and Entrepreneurs discussed on How VCs think + Skill of preparing Pitch Deck for Investors, Startup - Idea Generation to MVP, Startup India Scheme & its benefits & Valuation in Startups along with the 2 minute Idea Pitch with Angel Investors, future of start-ups, venture capital, artificial intelligence, fintech, and other aspects of Startups. Approx 250 participants physically participated in the said summit.

- **Startup Sphere 2024**

Committee on MSME & Startup jointly with Development of International Trade, Services & WTO Directorate & Committee for Members in Industry & Business organized a Mega Startup Sphere event on the theme “Startup Synergy: Collaborate, Create, Conquer” from 27th June 2024 to 29th June 2024 at Karnataka Trade Promotion Organization (KTPO), Bengaluru. These three days event covered Government ecosystem, source of findings, new avenues, valuation, digital marketing along with celebration of International MSME Day and various concurrent sessions on the contemporary issues of MSME and Startups including Export Entrepreneurship along with Exhibitions from eminent startups. The event showcased the role of ICAI in capacity building and encouraging stakeholders in startup ecosystem as main contributors in Viksit Bharat. Startup Sphere 2024 aimed to bring together the startup community, partners, unicorns, influencers, founders, investors, leaders, and entrepreneurs to discuss a wide range of topics related to startups at a common platform. Some of the key themes that was covered in the program include governmental support for startups, alternative sources of funding such as revenue financing, debt and hedging, new avenues in startups, the art and science of startup valuation, term sheets, shareholders agreements, legal documents, and key clauses.

The event witnessed the presence of founders/CFOs/senior management from 15 unicorns including Zetwerk, Open technologies, CRED, CoinDCX, Swiggy, Cardekho, Myntra, Perfios, Leadsquared, Zepto and many more. Founding Chancellor of Rishihood University & Former Union Minister and Co-Founder and CMO, boAt Lifestyle also graced the program. The event attracted potential investors while keeping participants informed about the latest trends and innovations in the dynamic startup ecosystem. There were sessions on fundraising, pathways to become a unicorn, and how to become an angel investor or venture capitalist and digital marketing for startup growth and opportunities in Web 3.0. The event was inaugurated by Vice-President, ICAI; Immediate Past President, ICAI; in presence of Past President, ICAI, Chairman, Committee on MSME & Startup, Vice Chairman, Committee on MSME & Startup, Government Nominee, Central Council Members and Regional Council Members of ICAI.

Promoting the vision of Atmanirbhar Bharat, ICAI MSME and Startup Yatra were also inaugurated. The Yatra bus will travel to 100 cities in 100 days, showcasing the diverse endeavours of the MSME and startup ecosystems. With a dedicated focus on the ‘Financial & Tax Literacy Drive’ the Yatra aims to enhance financial and tax literacy and build capacity among MSMEs and startups. Additionally, the event will host panel discussions on critical topics, including thriving in the government ecosystem for startups, nurturing the startup ecosystem for Bharat 2.0, and cultivating astonishing success. Startup Sphere 2024 stands as a testament to ICAI’s commitment to fostering innovation and entrepreneurship in India. By convening the brightest minds and influential players in the startup ecosystem, ICAI creates an environment that fosters collaboration, nurtures ideas, and accelerates the growth of startups nationwide. Positioned as a cornerstone for future advancements in the startup landscape, the event significantly contributes to India’s economic and technological progress. Supported by Startup India, Startup Karnataka, MeitY Startup Hub, STPI (Software Technology Park of India), and I-Hub, Startup Sphere provides a unique platform for startups to connect with peers, industry experts, and potential investors, while exploring the latest trends and innovations.

- **International MSME Day**

Committee on MSME and Start-up organized a series of programmes focussing on the various needs of MSMEs of India and role played by the CA fraternity in bridging those needs of MSMEs on the International MSME Day on 27th June, 2024 through ICAI Startup Sphere 2024

(II) ICAI MSME Ecosystem

To enhance the capacity building measures of MSMEs, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through the Committee on MSME & Start-up arranged various initiatives pertaining to the MSME Ecosystem.

- **ICAI MSME Connect & Niryat & Sahayog**

The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup organised ICAI MSME Connect & Niryat & Sahayog Programme in 140 cities across India from 20th October 2023 to 10th February 2024

- **ICAI MSME Yatra**

The ICAI MSME Yatra an initiative to support, facilitate and respond to MSME Needs was flagged off on 18th August 2022 from Mumbai. The initiative aspires to promote the spirit of entrepreneurship amongst MSMEs as well as support MSMEs in enhancing their portfolio and by spreading the awareness about the various State and Central Government Schemes, Subsidies, and Incentives available thereof. The MSME Yatra, since its launch covered more than 80 cities in the states of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telengana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka & Goa. Approx. one lakh Udyam registration increase during Yatra period.

- **ICAI MSME Setu/ Saathi Programme: Transformation of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem**

The program focuses on the strengths of each district, identifies unmanageable fruits for improvement, and measures progress with the aid of Convergence of the Government Schemes & Co-operation of the MSMEs by supporting their needs through ICAI MSME Ecosystem. The various districts of the states such as Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telengana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka & Goa is covered during the ICAI MSME Setu.

- **MSME Exchange**

MSME Exchange is conceptualized to facilitate a robust platform for value creation in various dimensions vital for the development and sustainability of MSMEs. The platform offers excellent networking, knowledge sharing, skill development, query resolution opportunities and expert guidance to the constituents of the MSME ecosystem.

- **CA Services Exchange**

CA Service Exchange is a platform through which any Indian MSME can register with the ICAI MSME ECOSYSTEM and search from an array of expert services offered by Chartered Accountants.

- **MSME Helpdesk**

The Branches and Regional Councils which are extended wings of ICAI would facilitate the MSME HELP DESK in branch premises where dedicated experts (qualified and experienced Chartered Accountants) will address the issues of local MSME cluster.

- **MSME Illumination**

MSME Illumination program was organized wherein the common issues faced by the MSME addressed by the Experts. The MSME can participate in these programs to interact with the experts seeking expert advice.

- **ICAI MSME Portal i.e <https://msme.icai.org/>**

The Committee has a dedicated portal to providing an enabled ecosystem for networking, knowledge sharing, query resolution mechanism and exchange of services where any MSME can benefit from the expertise of the Chartered Accountants. There are 334 MSMEs registered on the portal.

- **Certificate course on MSME**

The Committee conducted the Certificate Course on MSME intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into MSME space themselves; to achieve the national objectives. The Certificate course makes the Members of ICAI to be business solution providers for MSME Sector. Approx 1700 members appeared for Certificate Course on MSME.

- **ICAI MSME & Startup Yatra 2024**

The Committee is organizing the “ICAI MSME & Startup Yatra” jointly with Financial and Tax Literacy Directorate which was inaugurated by President, ICAI and Co-founder of Boat on 27th June, 2024. The yatra was flagged off from KTPO, Bengaluru on 29th June 2024 and will travel till 7th October, 2024, which is journey by road

across states to make people aware about various schemes of Central and State Government for MSMEs & Startups and various opportunities thereof. The ICAI MSME & Startup Yatra will be for about 19000 Kms to make people aware about various Government Schemes devised for MSMEs & Startups like past year MSME Yatra 2022 . This campaign is started with the theme “Financial & Tax literacy” as part of “Hamara Sankalp Viksit Bharat” campaign of the Institute of Chartered Accountants of India. The MSME & Startup Yatra @100 days 100 Programs 100 Cities focuses on how MSMEs & Startups prepare for sustainable Indian Enterprise ecosystem and is a step towards contributing in “Financial Tax & Literacy”.

The costing of vehicle as provided by vendor in financial bid is Rs. 3149850/- which is expected to be covered from sponsorship from last time sponsors like SBI, SIDBI etc.

(III) MOUs

- **MoU with IIM Lucknow Enterprise Incubation Centre, Noida, Gujarat Student Startup, and Innovation Hub (I-Hub) & BIL-RYERSON Technology Startup Incubator Foundation, AIC-Nalanda Institute of Technology Foundation, Bhubaneswar, Odisha, AIC Mahamana Foundation for Innovation and Entrepreneurship IM BHU, Varanasi for Capacity Building of Startups through ICAI Startup Gateway**

The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup has signed the MoU with IIM Lucknow Enterprise Incubation Centre, Noida, Gujarat Student Startup and Innovation Hub (i-Hub) , BIL-RYERSON Technology Startup Incubator Foundation, AIC-Nalanda Institute of Technology Foundation, Bhubaneswar, Odisha, AIC Mahamana Foundation for Innovation and Entrepreneurship IM BHU, Varansi, to develop an end-to-end innovation and entrepreneurial ecosystem in the State of Uttar Pradesh, Gujarat & Maharashtra by creating pathways from “Mind-to-Market”. The said arrangement aims to promote startups and support the government of India’s vision for entrepreneurship development, innovation culture and mutual integration of Startup Ecosystem.

- **MOU with the autonomous agency Facilitating MSMEs Government of Tamil Nadu for Capacity Building of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem**

The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup has signed an MOU with the autonomous agency Facilitating MSMEs Government of Tamil Nadu at Tirupur for the capacity building in the state of Tamil Nadu.

- **MOU with the Government of Kerala through the intervention of the Directorate of Industries and Commerce and Various Boards and Undertakings thereunder for Capacity Building of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem in the State of Kerala**

The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup has signed an MOU with the Government of Kerala through the intervention of the Directorate of Industries and Commerce and Various Boards and Undertakings thereunder at Ernakulum on 01.04.2023 for the capacity building through ICAI MSME Ecosystem in the state of Kerala.

- **MOU with the Government of Odisha through the intervention of the Micro, Small & Medium Enterprises Department for Capacity Building of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem in the State of Odisha**

The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup has signed an MOU with the Government of Odisha through the Micro, Small & Medium Enterprises Department at Bhubaneswar for the capacity building in the state of Odisha.

- **MOUs with the State Governments for Capacity Building of MSMEs in the direction of Atmanirbhar Bharat**

The Committee has carried out the Capacity Building of MSMEs through the Signing of MOUs of ICAI with the State Government Concerned with the objective of Encouraging exchange of information and experiences in policy setting and research on the development of MSMEs in areas of mutual interest; To provide the knowledge base endeavours for Capacity Building of MSMEs in the State specific; Stimulating the development of industrial potential surveys and feasibility studies to identify thrust areas and opportunities for development of MSMEs in the State specific; Providing MSME Exchange Programme i.e. MSME Help Desk, MSME Illumination & CA Exchange services for MSMEs in the State specific; Any other endeavour for Development of MSMEs in areas of mutual interest;

- **MOUs with the Universities, IIMs, IITs, State Governments, various departments of Central Government, State Government, organizations of repute, and other entities.**

The Committee facilitate the Incubation centres & gearing up for proposed tie up with Universities, IIMs, IITs, State Governments, various departments of Central Government, State Government, organisations of repute, and other entities for the facilitating of the same.

(IV) Other Initiatives

- **State Specific Books on MSME**

The Committee has released the state specific Books on MSME. These book focus on MSME Schemes, Industrial Schemes relevant for MSMEs, Incentives available in various Schemes, Subsidies available in various schemes, Schemes in various clusters across the specific state. The said book includes insights to budding entrepreneurs to help new and established firms to infuse entrepreneurial intentions in the specific state as well as opportunities available for CAs in the specific state.

- **State Specific Refresher Course on MSME**

The Committee has organized the state specific Refresher Course on MSME. The said course enhanced the knowledge base of state specific MSME.

- **ICAI MSME Yatra & Setu in Asia Books of Records**

The Asia Book of Records awarded for covering MSME Programs in the Maximum number of Cities. ICAI MSME Yatra & Setu was set up by the Committee on MSME & Startup and Committee for Development of International Trade. The Institute conducted a nationwide 'ICAI MSME SETU' AND 'ICAI MSME YATRA' under the backdrop of 'Azadi Ka Amrit Mahotsav'. The said program is jointly organized by the Committee on MSME & Startup, ICAI and Committee for Development of International Trade, Services & WTO.

(V) Programs/Webinars

The Committee has organized various Programs for the Members of ICAI/ MSMEs/Startups such as Workshops, Seminars, Conferences, Residential Refresher Course & other programs. The Committee conducted 20 various activities for the upskilling, technical & professional development, and capacity building of MSME's and Startups i.e Decoding Section 43B(h) - Implications and Remedies, Secured & Unsecured Loans to MSME, BRSR- The Growth path for MSME & Chartered Accountants, Opportunities for CAs in Startups, MSME-Start up ecosystem, Challenges & Opportunities for professionals, "MSME SAARANSH Including Critical Taxation and Financial Aspects of MSME", GST, Customs & Trade Issues concerning MSME and cross border Opportunities etc.

6.30 COMMITTEE FOR AGGREGATION OF CA FIRMS

The Committee for Aggregation of CA Firms has been constituted with the vision to make concerted efforts in reviewing and revising various guidelines pertaining to firms, viz., Domestic and Overseas Networking, Merger & Demerger, MDP, Management Consultancy Services (MCS) in corporate form for attest & non-attest functions among others in cognizance with the current operating environment. The aim is to provide ease of doing practice and facilitate the Indian CA Firms grow bigger. The 1st meeting of the Committee was held on 1st March 2024.

6.31 PROFESSIONAL'S SKILL ENRICHMENT COMMITTEE

In a first of its kind initiative, the Institute of Chartered Accountants of India has set up the Professionals Skills Enrichment Committee with an aim to enable all Chartered Accountants to realise their complete potential, to Understand requirements, Assess the present skills gap amongst all Chartered accountants and enable actions to enhance their competence and improve their visibility amongst the stakeholders.

The Professional Skills Enrichment Committee proposes to organize Skills Enrichment Programmes during the year 2024-25. The key skills proposed to be covered are Branding skills, Communication skills, Critical thinking skills, Design Thinking, Emotional Intelligence, Entrepreneurial Skills, Inter-personal skills, Leadership skills, Listening Skills, Negotiation skills, Networking skills, Problem Solving skills, Public speaking skills, Team Building skills, Time Management, Work Ethics any other skill and new age, contemporary & other professional, technical and technological skills. The aforesaid programmes emphasis is on enriching skill sets of the Chartered Accountants.

Initiatives of the Professional Skills Enrichment Committee (PSEC), ICAI

- **PSEC@100- An Interactive Workshop Series focused on Skills Enrichment for the Members of ICAI:**

It is a platform, wherein Members of ICAI are encouraged to get involved, say what they're thinking, and contribute to the Workshop series. It is a structured program held three days a week, each lasting one and a half hours, designed to enhance professional skills and knowledge among Chartered Accountants.

This initiative is part of our ongoing commitment to professional development, aiming to equip our members with the latest tools and techniques essential for staying ahead in the dynamic field of accounting and finance. The workshop series offers hands-on training sessions led by experts/faculties, covering a wide range of topics such as Public speaking, communication skills and many more on soft skills.

Through these interactive sessions, members will have the opportunity to enhance their skills, engage in meaningful discussions, and network with peers, all within a collaborative and supportive environment.

- **Webcast Series on various aspects of Skills Enrichment of Chartered Accountants:**

This webcast series takes a deep dive into the Skills Enrichment of Chartered Accountants. Throughout the webcast series, we will take a deep dive into the various aspects of by discussing a broad range of Skills, aiming to enhance the portfolio of Chartered Accountants.

Engaging webcast sessions scheduled every Saturday, totalling five sessions per month, 10 webcasts each during the World Youth Skills Day in the month of July, 2024 & Skills Enrichment month in August, 2024 offering 2 CPE (Continuing Professional Education) hours per session, covering crucial topics to support career advancement.

This series will cover a broad spectrum of topics crucial for enhancing both technical and soft skills, including emerging financial planning skills, leadership development and so on . Delivered by speakers/faculties, these webcasts provide a flexible and accessible platform for continuous learning. Participants will gain insights into the latest industry trends, acquire new competencies, and engage in interactive sessions that encourage practical application and discussion. This initiative underscores our commitment to supporting Chartered Accountants in their pursuit of excellence and career growth.

- **Enriching Entrepreneur Skills Program for Chartered Accountants:**

Around 100 physical Programmes Conducted on Entrepreneurial Skills for Chartered Accountants on 26th & 27th June 2024, providing participants with practical insights and strategies for business innovation and leadership development. By expanding the horizon of Entrepreneurship, we pave the way for Skills Enrichment of Chartered Accountants ready to enter into the Entrepreneurship Ecosystem.

These programs specially designed for Chartered Accountants who aspire to expand their entrepreneurial capabilities. This program is tailored to empower members with the essential skills and knowledge required to excel in the dynamic world of business and entrepreneurship. Covering key areas such as strategic planning, financial management, innovation, and leadership skills, the program offers a comprehensive approach to developing the entrepreneurial mindset.

Through interactive workshops, real-world case studies, and mentorship from successful entrepreneurs, participants will gain practical insights and tools to confidently navigate the challenges of starting and growing a business. This initiative reflects our commitment to fostering a culture of innovation and entrepreneurship among Chartered Accountants, enabling them to become not just financial experts, but also successful business leaders.

- **Yoga Session for Chartered Accountants:**

A new initiative aimed at enhancing your overall well-being and productivity, the Virtual Yoga Sessions will be arranged for Chartered Accounts. We aim to Reduce Stress, Improve Flexibility and Strength, Enhance Concentration, Boost Immunity & Promote Work-Life Balance through these virtual Yoga Sessions. Our yoga sessions will be suitable for all levels, from beginners to advanced practitioners. These yoga sessions will be beneficial for Chartered Accountants either new to yoga or seasoned yogi.

This session is tailored to help participants manage stress, improve concentration, and enhance overall health through the practice of yoga. Led by experienced instructors, the session will cover a variety of yoga techniques, including mindfulness exercises, breathing practices, and poses that are particularly beneficial for those who spend long hours in a sedentary work environment.

By integrating yoga into their routine, Chartered Accountants can achieve better work-life balance, increase their productivity, and maintain a healthier lifestyle. This initiative is part of our commitment to supporting the holistic well-being of our members, ensuring they are not only successful in their careers but also in their personal lives.

- **Publication of the Committee:**

A series of books naming “Beyond the Numbers: Work-Life Balance for Chartered Accountants” includes Work-Life Balance and Life Quality, Checking Your Balance, Quality of Work Life etc, “Active Listening” explores Importance, Principles, Strategies for mastering of Active Listening, “Critical Thinking & Decision Making” mentioning Problem-Solving Process, Analytical Skills, Creativity in Problem Solving, Decision Making etc, “Emotional Intelligence for Finance Professionals” includes Self-Awareness, Techniques for Self-Discipline, Emotional Intelligence in the Workplace, Practical Applications etc, “The Art of Public Speaking” explores the Power and Impact of Public Speaking, Conquering Fear and Nervousness, Structuring Your Speech, Body Language and Nonverbal Communication etc, “Unlocking Value: the Art of Negotiation” book explores types of Negotiators, Getting Ready to Negotiate, Negotiation Tactics, Predicting How the Other Side Will React etc , “ Entrepreneurship Skills” includes Analytical Rigor. Critical analytical thinking, Entrepreneurial Spirit, Ethical Leadership, Global Vision that reflect our collective knowledge, expertise, and dedication to advancing our field.

These works are the result of extensive research and collaboration among our members, who bring a diverse range of perspectives and experiences to each project. Through these publications, we aim to contribute valuable insights, foster academic and professional discourse, and provide resources that support ongoing learning and development within our community. Each book is meticulously crafted to ensure it meets the highest standards of quality, making it a trusted reference for both current and future generations.

7. DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE, SERVICES AND WTO DIRECTORATE (DITS & WTO) (under International Affairs Committee)

Development of International Trade, Services & WTO Directorate formerly known as the Committee for Development of International Trade, Services & WTO of ICAI aims at promoting bilateral investments in order to align with PM Modi's vision and spotlighting accounting and finance as crucial export services to be vital amidst global services trade and India's expanding FTAs. This emphasis offered Chartered Accountants diverse opportunities, evident in ICAI's global footprint, showcasing their international reach. Beyond branding, the Directorate aided trade navigation, fosters expertise, connects professionals, and influences policy. Its role extends to provide a robust global networking platform, vital for India's aim to elevate Accountancy within WTO guidelines. Through collaboration and expertise, the Directorate advanced CAs' interests, contributing significantly to India's global trade aspiration.

(I) Initiatives towards Partner in Nation Building

Under the aegis of the Directorate of ICAI to pave a long way in promoting accounting and finance services globally; we aim to significantly advance the promotion of accounting and finance services on a global scale. This endeavor will not only open up new avenues for our members to provide a broader spectrum of services in these regions but also enable us to capitalize on various governmental incentives through strategic Memorandums of Understanding (MoUs).

- **MoU (extension) signed with Export Promotion Council for EOU & SEZ (EPCES) on October 25, 2023-** Renewal of Memorandums of Understanding (MOU) between the Export Promotion Council for EOU & SEZ (EPCES) and the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) occurred on October 25, 2023, in New Delhi. This reaffirmation underscores a dedication to promoting increased collaboration, innovation, and shared progress. The harmonious partnership between these entities has not only facilitated the refinement of financial reporting and auditing practices in EOUs and SEZs but has also played a pivotal role in enhancing the overall business environment in India.
- **MOU signed with International Financial Services Centres Authority (IFSCA) on 24th November, 2023-** Signing Ceremony for MOU between The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) took place at the GloPac 2023 Event in Ahmedabad on November 24, 2023.
- **Recognition of Specific Financial Services under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019-** The ICAI proposal to IFSCA was accepted by Government of India wherein Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (financial market division) issued notification dated 18th January, 2024 under section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) regarding the recognition of specific financial services in the definition of Financial services:
 - Book-keeping Services
 - Accounting Services
 - Taxation Services
 - Financial Crime Compliance Services

This landmark decision by IFSCA highlights the evolving outlook of financial services and acknowledges the vital role played by accounting, bookkeeping, taxation, and financial crime compliance in development of a robust and transparent financial ecosystem within the International Financial Services Centres (IFSCs) in India.

Supporting and assisting Government

- Meeting with IAS, Director (DEA) on Proposal to notify Accounting, Auditing, Book-keeping, Taxation and Financial Crime Compliance services as "Financial Services" under IFSCA Act 2019 on 16th June 2023.
- Meeting with Director General & CEO, Federation of Indian Export Organisations on 9th August, 2023 and discussed tentative areas of collaboration between two organizations.
- Meeting with IAS, Chairman, IFSCA on 18th August, 2023 for scope of proposed MOU and Joint Study on Accounting & Finance Services.

- Meeting with Jt. Secretary, Ministry of Commerce & Industry and key representatives including Chairman, Vice-Chairman and Central Council Member, erstwhile Committee for Development of International Trade, Services & WTO on 28th August, 2023 to discuss the intricacies in India-UK FTA.
- Meeting with Joint Secretary, MOCI held on 9th November, 2023 on India's revised formulation in accountancy, bookkeeping and auditing services under Mode 3 for UK FTA and on 18th December, 2023 on roadmap for implementation of India- Australia ECTA.
- Meeting with Economic Advisor, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry on 1st March, 2024 for Recognition of The Institute of Chartered Accountants of India as a Eligible Agency under Market Access Initiatives (MAI) Scheme 2021-Accounting & Finance Services under CSSS
- Meeting with IRS, Joint Secretary, DPIIT on 1st March, 2024 to explore strategies for amplifying the startup ecosystem's impact
- Meeting with Director, Ministry of External Affairs, on 13th March, 2024 to deliberate various modalities to conduct the ITEC Program by ICAI
- Virtual Meeting held on 3rd April, 2024 with IAS, Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry on sharing insights on the proposed changes in India's offer related to Accounting and Bookkeeping under India-UK FTA.
- Virtual meeting held on 5th June, 2024 with Director of Services, Trade Negotiation Wing – Bilateral, Department of Commerce on clarification of ICAI recommendation on audit access right proposal in existing MRA with Australia

Representations / Technical Inputs to Government (other than taxation area)

- India-UAE CEPA Utilisation Engagement of Professional Bodies to negotiate MRAs
- India-UK FTA Negotiations in TIS - clarifications sought by the UK-reg.
- MRAs in professional services under India-Japan CEPA and India-Korea CEPA- way forward reg
- 1st Indonesia- India Working Group on Trade and Investment and MRAs with Malaysia
- Gender in TIS : India Canada EPTA
- Definition of the term “juridical person” : India Canada EPTA
- 11th session of India - Slovak JEC for discussion on Trade in Services
- 5th meeting of India-Vietnam Joint Trade Sub-Commission (JTSC)
- India-Australia Comprehensive Economic Cooperation Agreement – Accounting, Book Keeping and Auditing Services regarding
- Status Updates on MRA with Mauritius in Professional Services: Follow up on India- Mauritius CECPA
- ICAI preliminary comments on proposal for notifying Accounting, Auditing, Bookkeeping, Taxation Services and Financial Crime Compliance Service as “Financial services” under IFSCA Act 2019
- India-EFTA TEPA negotiations - Revised Services Offer - Accounting and bookkeeping and D.O. letter - PPR - Investment Liberalization - Measures related to Trade in Services - India-EU FTA
- India US TPF Services Working Group - An update
- Comments on draft market access offer of India in Accounting, Bookkeeping and Auditing services (CPC 862) in the ongoing negotiations on trade in services with its FTA partners- UK, Canada and Australia
- Inputs on 6th Meeting of the India Brazil Trade Monitoring Mechanism
- Inputs on India-UK FTA negotiations- UK request on MFN in Accounting and Auditing Services-reg.
- India-EFTA TEPA negotiations - Revised Services Offer - Accounting and bookkeeping and D.O. letter - PPR - Investment Liberalization - Measures related to Trade in Services - India-EU FTA
- India Sri Lanka Economic and Technology Cooperation Agreement (ETCA): Trade in Services -reg.
- Constitution of Professional Services Working Group - India Australia ECTA regarding
- 14th Ministerial level meeting of India-USA Trade Policy Forum
- India - Oman FTA Services Negotiations- reg

- India Peru Services Negotiations - reg.
- India-US TPF Services Working Group issues
- India Australia ECTA implementation - Proposal from ICAI reg audit access rights etc. - regarding.
- India-Chile Joint Study Group (JSG) – Inputs on MRAs-reg
- India- Russia Trade in Services meeting held on 4th January 2024 - Follow up action regarding and an update
- ICAI participation at 5th Sub-Committee meeting on Trade in Services with Japan under IJCEPA on 21st March, 2024
- Contact Points for India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA)
- ICAI Inputs on India's offer related to Accounting and Booking under India-UK FTA
- Inputs for the Second Session of India-Mauritius High Powered Joint Trade Commission (HPJTC) Meeting
- India Australia ECTA implementation – Proposal from ICAI reg audit access rights etc

(II) Initiatives for the Members/Students


Promoting Foreign Language amongst members

ICAI has made tie ups with official cultural language center for foreign Embassies in India for delivery of Online foreign language courses for our members and students in order to make them more acceptable to foreign opportunities. The status of courses undertaken till date since inception is as under :

- Online Spanish Language Courses through Instituto Cervantes, Spanish Embassy Cultural Centre - 39 batches with 720 candidates of A1.1 Level and 13 batches with 130 candidates of A1.2 Level.
- Online French Language Learning Course through Alliance Française De Delhi - 16 batches with 394 candidates for A1 Level.
- Online Japanese Language Learning Course through the Japan Foundation- 20 batches with 408 candidates for A1 Katsudoo Level, 6 batches with 107 candidates for A1 Rikai Level, 2 batches with 38 candidates for A2-1.1 Katsudoo & Rikai and 1 batch with 13 candidates for A2-1.2 Katsudoo & Rikai
- Online Business English Language Course- 7 batches with 488 candidates
- Online German Language Course through Max Mueller Bhavan/Goeth Institut – 1st Batch with 17 candidates of A1 Level

Survey for seeking preference for foreign language course from ICAI members and students

Survey was launched for ICAI Members and Students on 27th February, with the last date as 30th June, 2024 to give their preference for learning foreign language. 2086 members/students gave their response with respect to learning foreign languages, which would help in ICAI in opening up of future batches of foreign language courses.



Capacity Building Programme for members

During the period, apart from above initiatives, the erstwhile Committee had organized the 6 Webinars/Seminars on Global Professional Opportunities for chartered accountants, India Netherlands Investment Landscape – Inbound &

Outbound Perspectives, Orientation program for foreign language passed candidates, Empowering Startups : Creating Angel Investors' and Inbound and Outbound Investment Opportunities in Mauritius – Gateway to Africa.

- **Workshop for IAS Officers**

Organized workshop for IAS Officers (2021 Batch) in collaboration with Ministry of Commerce & Industry on “Export of Accountancy Service Sector : Challenges and Opportunities” on 20th September, 2023 at ICAI Head Office which was attended by 6 IAS Officers and 6 Industry experts.

- **Trade Officers' Roundtable Conclave**

Trade Officers' Roundtable Conclave on International Trade & Services took place on October 25, 2023 at New Delhi. It was organized by erstwhile Committee for Development of International Trade, Services & WTO (CDITSWTO), the event was led by the Chairman and Vice-Chairman of erstwhile Committee. It brought together experts in International Trade & Services, including Trade Officers from 19 Embassies and representatives from Overseas Chambers of Commerce and Export Promotion Councils. Distinguished guests included IAS and the then President and Vice President of ICAI also graced the conclave.

- **Seminar on “Unlocking the US Market: Best Practices for International Outsourcing Firms”**

Conducted a physical seminar titled “Unlocking the US Market: Best Practices for International Outsourcing Firms” during the Startup Sphere event in Bengaluru on 28th and 29th June, 2024. Over the course of the one-and-a-half-day seminar, six different sessions were held, benefiting approximately 100 participants including delegates of startup sphere.

- **ICAI Presence at International Platforms :**

- Participation of ICAI as speaker at Accounting Business Expo (ABE) Melbourne held on 14th -15th March, 2023 on the topic “The future of Accounting & Finance where to from here and how to foster innovation” & “Angel Investing & Mentoring Insights”
- Successfully organized a delegation tour to Estonia and Netherlands. The tour took place from 23rd to 29th May 2023, with a group of 13 delegates. The delegation was led by a distinguished Central Council member and Chairman of CDITSWTO. The delegation tour to Estonia attracts individuals who are primarily interested in various aspects such as Business finance, Startup Environment, Angel Investing, Start-up mentoring, Defence, Clean tech (green energy), Real Estate, Food Industry, Healthcare, Cybersecurity, and Digitization. The Estonian Embassy efficiently coordinated a series of engagements for the delegation, including a meeting with Defence Demo, a comprehensive briefing at the E-Estonia Briefing Centre, a productive interaction with the Indian Embassy in Tallinn, active participation at Latitude59, engaging with the Beamline Accelerator, and networking opportunities on the sidelines of the Latitude event on 24th and 25th May 2023. Additionally, ICAI Netherlands chapter and IDFC are jointly organizing an event titled "Mobilizing Startup Ecosystem" between India and the Netherlands, scheduled for 26th May 2023.'
- Chairman, erstwhile Committee for Development of International Trade, Services and WTO and Central Council member attended WTO Public forum 2023 held from 12th to 15th September, 2023 at Geneva, Switzerland on the theme “It is time for action”.
- Meeting with Minister (Customs) and Counsellor (Services), Permanent Mission of India to WTO on 12th September, 2023 at Geneva, Switzerland.
- Meeting with Minister (TA) and Consul-General, Permanent Mission of India to UN on 13th September, 2023 at Geneva, Switzerland and discussed opportunity for ICAI members in UN so that ICAI can meet the requirement through our young & dynamic Chartered Accountant.
- Meeting with Secretary General ICC Switzerland on 14th September, 2023 and discussed ICAI's initiatives in Partner in Nation Building- an overview, Digital (Security token offering) infrastructure and its regulation - steps for its percolation to India, Collaboration Opportunities with India, Understanding startup Ecosystem in Europe.
- Meeting with ICAI members in Geneva to form Representative office and discussed ICAI initiative, global presence and opportunities for members.
- Meeting with ICAI Members in Zurich on 15th September, 2023 to convert Representative office into Chapters.
- Chairman, erstwhile Committee for Development of International Trade, Services and WTO attended World Investment Forum 2023, participated as a panel speaker at the ISAR UNCTAD at Abu Dhabi and GITEX Global 2023 at Dubai from 15th to 18th October, 2023.

- Erstwhile Committee for Development of International Trade, Services & WTO (CDITSWTO) organized a landmark Industry Meet featuring Deputy Commissioner, NYC Mayor's Office for International Affairs, on November 30, 2023, at the ICAI BKC Office. The event saw enthusiastic engagement from industry leaders representing diverse sectors such as financial services, asset management, polymers, startups and more.
- Convenor, Development of International Trade, Services & WTO Directorate, along with Deputy Convenor, Development of International Trade, Services & WTO Directorate, represented ICAI at Accountex London on 15th -16th May 2024. For the first time, ICAI exhibited a stall at this prestigious event.
- UK (London) chapter members meet was organized with the London Chapter on May 17, 2024, focusing on the theme "Empowering Small Businesses & Startups at Hilton London Tower Bridge.
- Chairman, erstwhile Committee for Development of International Trade, Services and WTO attended FCI 55th & 56th Annual Meeting 2023 from 29th to 2nd November, 2023 in Morocco and from 9th to 13th June, 2024 respectively in Seoul, Korea alongwith Government Nominee, ICAI.

- **Delegation of International Level to ICAI**

Development of International Trade, Services and WTO Directorate hosted delegation from the Economic Development Board of Mauritius (EDB Mauritius) led by Minister of Financial Services and Good Governance of Mauritius, as part of their India Business Mission on March 14, 2024, in Delhi. The Interactive Meet focused on regulatory aspects of doing business in Mauritius.

- **Certificate Course on Overseas Outsourcing Services (US Market)**

Certificate Course on Overseas Outsourcing Services (US Market) was launched at the Council meeting held on 8th February 2024. The certificate course on overseas outsourcing services is designed to equip members with the knowledge and skills needed to navigate the complexities of outsourcing business functions to international service providers. This Certificate Course envisages acquainting the members with the evolving outsourcing services in the economy, equipping the members with the futuristic skills etc in Overseas Outsourcing landscape and practices in the changing environment to help protect the public interest. Till date, three batches of the Certificate Course on Overseas Outsourcing Services (US Market) have been completed, with approximately 450 members skilled and trained in overseas outsourcing services. The Directorate will soon announce the upcoming date for the fourth batch of the certificate course.

- **ICAI StartUp Sphere 2024 in collaboration with Committee on MSME & Startup & Committee in Members & Industry**

Directorate in collaboration with Committee on MSME & Startup & Committee in Members & Industry of ICAI organized StartUp Sphere 2024 from 27th June 2024 to 29th June, 2024, at the Karnataka Trade Promotion Organization (KTPO) in Bengaluru. This inclusive program has been designed to unite the vibrant startup community, influential partners, esteemed unicorns, thought-leading influencers, pioneering founders, astute investors, dynamic leaders and ambitious entrepreneurs for in-depth discussions on various aspects of the startup landscape.

IV. E-Newsletter

5 Quarterly E-newsletter on Global Gateway were launched during the said period.

8. ACTIVITIES BY OTHER NON STANDING COMMITTEES

8.1 Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services (CME&PS)

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service provides a link between the ICAI and the members who are in Entrepreneurship or in Public Service. The Committee is working on various initiatives for promoting members who wish to be successful entrepreneurs or civil services aspirants; the Committee also recognises the achievements of members who have performed well in their respective careers such as successful entrepreneurs, or as Parliamentarian, Judiciary, IAS, IPS, IRS, ICOAS, IRAS, IRAAS, IRPS, representing various ministries & Government Department like Department of Expenditure, Ministry of Finance, Ministry of Railways, Ministry of Consumer Affairs, Ministry of Environment Forest & Climate Change, Ministry of Health & Family Welfare, Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of Law & Justice, Ministry of Defense, CBI, Members from Appellate Tribunal like other ITAT, NCLT, other regulatory bodies SEBI, IRDA, RBI etc. CAs are continuously contributing to the development of the Nation. The main aim of Committee is to create mutually advantageous live connect between the ICAI and the Members in Entrepreneurship or Public Services with an objective to enhance the efficacy of ICAI by holding various work programs and to explore new avenues and opportunities for the Members of the Institute. The Committee organizes Residential Meet/Summit for ICAI members in Public Service with the objective of soliciting suggestions of ICAI

Members in Public Service to identify matters of National importance and providing various research on it. Till now 12 Residential Meets and 5 Regional Residential Meets have been organised by CMEPS. Apart from this, Committee is continuously exploring the various opportunities that lies in Entrepreneurship for its members. For encouraging aspiring CAs in Entrepreneurship and Public services the CMEPS Committee is organizing various Mentorship/Orientation/Training Programmes /Webinar/ Seminar/ Regional Meets/ Interactive Meets for CA Members time to time. These programmes aim to provide CA Members a framework and guidance to promote new enterprises, capacity building and inculcating entrepreneurial culture in the Country.

(I) Residential & Regional Residential Meets for ICAI Members in Public Service

- **Residential Meet of ICAI members in Public Service was organised from 17th – 19th June 2023 at Srinagar, J&K** wherein around 100 Members in Public Service (the highest in number of any residential meet held so far) comprising of Member of Parliament, Judiciary, IAS, IPS, IRS, ICoAS, IRAS, IRPS, representing various Ministries & Government Department like Department of Expenditure, Ministry of Finance, Ministry of Railways, Ministry of Consumer Affairs, Ministry of Environment Forest & Climate Change, Ministry of Health & Family Welfare, Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of law & Justice, Ministry of Defence, CBI, Members from Appellate Tribunal like ITAT, NCLT, other Regulatory authorities, SEBI etc. attended the said Residential Meet at Srinagar. Hon'ble Lieutenant Governor, J&K, graced the occasion as Chief Guest and addressed the ICAI Members in Public Service during the inaugural session. The meet had been organized with the objective of soliciting the suggestions of ICAI Members in Public Service for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members and to identify matters of national importance which ICAI can take up for research and further study.
- **1st Regional Residential Meet (Northern Region) of ICAI Members in Public Service held on 29th and 30th July 2023** at Faridabad wherein around 30 Members in Public Service from Northern region participated comprising of Members who are CFO (CFO of Punjab National Bank, CFO of Goods and Service Tax Network), IAAS (Deputy Comptroller and Auditor General) IAS, IPS, IRS, IAAS, IRPS, RS, ICoAS, IBBI representing various Ministries & Government Departments like Ministry of Finance, Insolvency and Bankruptcy code of India, Department of Expenditure, National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Investment and Public Asset Management attended the said Regional Residential Meet at Suraj Kund. Chairman, CMEPS, Vice Chairman, CMEPS, Council Members, Government Nominee and Past President, ICAI also graced the occasion and addressed the ICAI Members in Public Service during the 1st Northern India Regional Residential Meet of ICAI Members in Public Service. The meet had been organized with the objective of soliciting the suggestions of ICAI Members in Public Service for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members and to identify matters of national importance which ICAI can take up for research and further study.
- **2nd Regional Residential Meet (Central Region) of ICAI Members in Public Service held on 26th and 27th August 2023** at Indore wherein around 30 Members in Public Service from Central and Northern region participated comprising of Members who are IAS, IPS, IRS, IRPS, RS, ICoAS, representing various Ministries & Government Departments like Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Labour and Employment, SEBI, Competition Commission of India, Income Tax Appellate Tribunal, Department of Expenditure, Department of Investment and Public Asset Management attended the said Regional Residential Meet at Indore. Chairman, CMEPS, Vice Chairman, CMEPS, Council Members also graced the occasion and addressed the ICAI Members in Public Service during the 2nd Regional Residential Meet (Central Region) of ICAI Members in Public Service. The meet had been organized with the objective of soliciting the suggestions of ICAI Members in Public Service for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members and to identify matters of national importance which ICAI can take up for research and further study.
- **3rd Regional Residential Meet (Southern Region) of ICAI Members in Public Service held on 7th and 8th October 2023** at Tamil Nadu wherein more than 50 Members in Public Service from Southern, Central and Northern region participated comprising of Members who are IPS (Ministry of Home Affairs), CFO (TIDCO), ITAT (Vice President, Ministry of Law and Justice, Hyderabad), RS, ICoAS, representing various Ministries & Government Departments like Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Petroleum and Natural Gas, SEBI, IRDAI, Indian Oil Corporation Limited, Commissionerate of Treasuries and Accounts, Ministry of Finance, Department of fertilizer, Niti Aayog) attended the said Regional Residential Meet at Mahabalipuram. Chairman, CMEPS, Vice Chairman, CMEPS, Council Members and Past Presidents also graced the occasion and addressed the ICAI Members in Public Service during the 3rd Regional Residential Meet (Southern Region) of ICAI Members in Public Service. The meet had been organized with the objective of soliciting the suggestions of ICAI Members in Public Service for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members and to identify matters of national importance which ICAI can take up for research and further study.

- **4th Regional Residential Meet (Western Region) of ICAI Members in Public Service held on 18th and 19th November 2023 at Mumbai :-** The 4th Regional Residential Meet (Western Region) of ICAI Members in Public Service held on 18th and 19th November 2023 at Mumbai wherein around 28 members in Public Service from Western region participated comprising of Members who are IRS, CFO/ED, RS, ICoAS, Managers, representing various Ministries & Government Departments like Ministry of Finance, Department of Income Tax, Ministry of Chemical & Fertilizers, Ministry of Power, RBI, SEBI, IRDAI, NABARD, attended the said Regional Residential Meet at Mahabalipuram. Chairman, CMEPS, Vice Chairman, CMEPS, Council Members also graced the occasion. The meet had been organized with the objective of soliciting the suggestions of ICAI Members in Public Service for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members and to identify matters of national importance which ICAI can take up for research and further study.
- **5th Regional Residential Meet (Eastern Region) of ICAI Members in Public Service held on 3rd February 2024 at Kolkata-** The 5th Regional Residential Meet (Eastern Region) of ICAI Members in Public Service held on 3rd February 2024 at Kolkata wherein around 20 members in Public Service participated comprising of Members who are IAS, IPS, IRS, IAAS representing various Ministries & Government Departments like Ministry of Finance, Department of Income Tax, Ministry of Railways, Income Tax Appellate Tribunal, Ministry of Law and Justice, IRDAI, Department of Telecommunication attended the said Regional Residential Meet at Kolkata. Chairman, CMEPS, Vice Chairman, CMEPS, Past President, ICAI, Council Members also graced the occasion. The meet had been organized with the objective of soliciting the suggestions of ICAI Members in Public Service for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members and to identify matters of national importance which ICAI can take up for research and further study.

(II) Interactive Meets of ICAI Members in Entrepreneurship/ Interactive Meets of ICAI Members in Public Service

Sl.No.	Meet	Date and Place	Theme	No of participants
A. Interactive Meets of ICAI Members in Entrepreneurship				
1	Entrepreneurship Interactive Meet-	1 st May 2023 at Srinagar	Acquiring Skills to be A Global Professional, as an entrepreneur, as Practitioner, as CEO	55
2	Interactive Meet	18 th May 2023 at New Delhi	Global Entrepreneurship & Professional Opportunities	20
3	Entrepreneurship Interactive Meet	19 th May 2023 at Goa	Acquiring Skills to be a Global Professional – As an Entrepreneur- As professional – As Practitioner- As CEO”	17
4	Entrepreneurship program	21 st August, 2023 at Delhi	World Entrepreneurs Day 2023	250
5	Entrepreneurship program	30 th December, 2023 at Thampanoor, Thiruvananthapuram	Audit Quality Maturity Model, how to grow Practice & Entrepreneurship Opportunities	100
6	3 Days (Residential/Non-Residential)	28 th December to 30 th December 2023 at Centre of Excellence of ICAI,	Entrepreneurship	200

	Programme	Hyderabad		
7	Entrepreneurs Meet of ICAI Members in Entrepreneurship	3 rd February 2024 at Kolkata	Entrepreneurship	--
B. Interactive Meets of ICAI Members in Public Service				
1	Interactive Meet of ICAI Members in Public Service	24 th May, 2023 at New Delhi	Addition and enhancement to promote CA Members and CA aspirants for Civil services	31
2	Interactive Meet of ICAI Members in Public Service	8 th June 2023, at Mumbai	Various initiatives of the Committee	15
3	Interactive Meet with ICAI Members (Delhi/NCR)	7 th July 2023 at New Delhi	Industry Specific Research Activities, faculty support and training programs	--
4	Interactive Meet of ICAI Members in Public Service	12 th July 2023, at Mumbai	--	--
The Interactive Meets for Empowering CA Civil Service Aspirants & CA Members who wish to be in Entrepreneurship				
1	Interactive Meet	18 th May 2024 at New Delhi (Addressed by the Eminent Faculties and Members in Public Service like IRS, Principal CIT, ICoAS, Director, Elite IAS Academy, Director, DIADEMY IAS, Founder, AKMV Consultants Pvt. Ltd, Chairman, TOBU Cycles & MKM Group, and Promoter, Raymotos Pvt. Ltd.	--	175
2	Interactive Meet	1 st June 2024 at New Delhi (addressed by the Eminent Faculties and Members in Public Service IAS, Joint Secretary, Ministry of Ports, Waterways & Shipping, IRS, Principal CIT, IPS, Special Commissioner of Police (Traffic), & Founder, AKMV Consultants Pvt. Ltd.	--	160
3	Interactive Meet	22 nd June 2024 at Faridabad (Addressed by the Eminent Faculties and Members in Public Service Spiritual Economist and Entrepreneur (Former Judge at UP Real Estate Appellate Tribunal), IRS, Deputy Commissioner of Income Tax in the Foreign Tax & Tax Research Division, CBDT, Department of Revenue,	--	150

		Ministry of Finance, ICoAS, Deputy Director FIU, Department of Revenue, Ministry of Finance, Senior Faculty (Economics), Next IAS, Director, Resurgent India Ltd., and Founder & COO of “NirogStreet” and Founder & Ex-Chief Anchor “Tpot”.		
Interactive Meets for Empowering CA Members who are interested in Judicial Services:-				
1	Interactive Meet	28 th June 2024 at New Delhi (Addressed by the Eminent Faculties from Dristhi IAS and Ambition law Institute, New Delhi)	--	--

(III) Participation/ Meets attended- Public Services

- Meeting and Interaction with Members in Public Service on 24th May 2023 with (Adviser), Deputy Director, Assistant Director, IRS Deputy Director Income Tax (Investigation), at National Pharmaceuticals Pricing Authority.
- Meeting and Interaction with Members in Public Service at Income Tax Appellate Tribunal, New Delhi 7th July 2023 at SFIO, CGO Complex with Pradeep Balyan, New Delhi
- Meeting and Interaction with NIFM Institute and Manav Rachna Institute, Faridabad on 20th July 2023
- Meeting and Interaction in NFRA office, Government E Market Office with (GeM) Market head, Head of Department, DGFT office with ITS Additional DGFT and in PMLA office with other associates on 21st July 2023.
- Meeting and Interaction with Members in Public Service at Institute of Secretariat Training and Management (DoPT) Institute of Govt. Accounts and Finance, Ministry of Finance, National Centre for Good Governance (NCGG), New Delhi on 26th July 2023
- Meeting and Interaction with Members in Public Service on 27th July 2023 at Office of Central Electricity Regulatory Commission, Office of Comptroller and Auditor General of India and SPUWAC office, New Delhi
- Meeting and Interaction with Members in Public Service on 4th August 2023 at ITAT Indore, CGO Complex. Meeting with Deputy Commissioner, Central GST, INDORE. Meeting with Additional Commissioner, GST Indore, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Madhya Pradesh, Indore.
- Meeting and Interaction with Members in Public Service on 18th August 2023 at Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Labour, Ministry of Water Resources, 64th National Symposium at Hotel Le Meridien, E Mobility India Forum at New Delhi.

(IV) Participation/ Meets attended- Entrepreneurship

- Meetings with officials of National Institute of Financial Management (NIFM) and Manav Rachna Universities were held on 20th July 2023.
- On 27th July, Global Chemicals and Petrochemicals Manufacturing Hubs (GCPMH2023) held on 27th – 28th July 2023 at New Delhi.
- On 20th July 2023, Meetings with Officials of Arun Jaitley National Institute of Financial Management, Faridabad, Faculties of Manav Rachna University, Faridabad to discuss the proposed programs on civil services and entrepreneurship program
- On 21st July Meeting with official of GeM, Government E Marketplace at Delhi on 21st July 2023 to discuss entrepreneurship programme with GeM.
- On 26th July officials of DoPT for civils services programs for training programs related to civil services
- CPSEs Roundtable and Exhibition 2023 on 25th -26th September 2023 at New Delhi.

- Awareness programme for Entrepreneurship to celebrate WED Day held on Saturday, 26th August 2023 at ICAI Bhawan, Premchand Nagar Colony, Varanasi.

(V) Seminars/Webinars

The Committee organised 11 Seminars and 64 Webinars during the period on Entrepreneurship - Perspectives of Value Creation & Value Capture for 'Practice Development', Entrepreneurship Needs & Challenges, Acquiring Skills to be a Global Professional, Empowering Civil Service Aspirants: Public Administration & Public Policy, The A to Z of Effective Business Writing” Series, The Power of Digital Transformation: Strategies for Modernizing Business & Profession” etc.

8.2 Legal Directorate

(I) Hon’ble Supreme Court judgment dated 17.05.2024 in *Shaji Poullose vs. ICAI* – Upholding the power to issue guidelines by ICAI imposing restrictions on the number of audits by a CA under Section 44AB of the Income-Tax Act, 1961.

The Hon’ble Supreme Court of India vide its judgment dated 17.05.2024 in *Shaji Poullose vs. ICAI* has dealt with the question as to whether The Council of the Institute is competent to frame guidelines imposing restrictions on the maximum number of tax audits that can be conducted by a Chartered Accountant in a year under Section 44AB of the Income-tax Act is violative of Article 19(1)(g) of the Constitution of India and whether such restrictions are unreasonable and violative of the Right to Profession of the Chartered Accountants guaranteed under Article 19(1)(g) of the Constitution and also violative of Article 14 of the Constitution of India. The judgment disposed of 74 writ petitions and cases transferred from various High Courts to the Supreme Court vide an order 09.12.2022 by a Three-Judge Bench of the Hon’ble Supreme Court in a Transfer Petition filed by ICAI. In the said order, the Supreme Court noted that the question involved was of public importance and necessitated a comprehensive settlement of question of law and allowed the Transfer Petition filed by ICAI.

In the 139-page judgment, the conclusions arrived at by the Supreme Court is given below: -

“a) Clause 6.0, Chapter VI of the Guidelines dated 08.08.2008 framed by the Council as amended from time to time restricting the number of tax audits under Section 44AB of the Income-tax Act, 1961 are valid and not violative of Article 19(1)(g) of the Constitution as it is a reasonable restriction on the right to practise the profession by a Chartered Accountant and is protected or justifiable under Article 19(6) of the Constitution.

b) However, the said Clause 6.0, Chapter VI of the Guidelines dated 08.08.2008 and its subsequent amendments is deemed not to be given effect to till 01.04.2024.

c) Consequently, all proceedings initiated pursuant to the impugned Guideline in respect of the writ petitioners and other similarly situated Chartered Accountants stand quashed.

d) Liberty is reserved to the respondent-Institute to enhance the specified number of audits that a Chartered Accountant can undertake under Section 44AB of the IT Act, 1961, if it deems fit.

e) Liberty is also reserved to the writ petitioners or any other member of the respondent-Institute to make a representation in the above context which may be taken into consideration in the event respondent-Institute intends to amend the Guideline as per point No.(d) above.”

(II) Delhi High Court in *Harinderjit Singh vs. Disciplinary Committee (PwC matters)* Rules that ICAI can proceed against entire CA Firm if individual CA cannot be held responsible.

The Delhi High Court vide its judgment dated 03.07.2024 in *Harinderjit Singh vs. Disciplinary Committee* has rules that ICAI can proceed against a firm of Chartered Accountants in case one individual cannot be held responsible for the allegations raised in a complaint against them. The High Court rejected the argument that only those nominated as ‘member concerned’ under Rule 8 of Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional & Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007 are answerable to the ICAI in respect of any complaint alleging misconduct.

In its judgment the Court rules that “The Court has today interpreted Rule 8 of the Rules and has held that when the DC is of the opinion that any one individual cannot be saddled with the responsibility, considering the naturae of the allegations, the Disciplinary Committee can proceed against the firm as a whole. The Court observed that the Rules make it clear that the notice to the firm shall be notice to all the members who are the partners of employees of the firm on the date of registration of the complaint. It explained that where allegations are in respect of agreement made by the firm, only an individual may not be responsible.

The Court further held that “In a case where there is any complaint or allegations in respect of a single incident or an act of a member, the firm can designate that particular person, who was associated with the said Act, which is alleged to be misconduct. The position would however not be the same, say in a case where the allegations are in respect of arrangements enter into by firms with other international counterparts, spanning over decades and multiple

agreements. A single individual cannot be pinned down in such situations to be responsible for answering the complaint as 'member answerable'. The firm as a whole has to be held responsible if found culpable, in such circumstances failing which the act would be rendered truthless. The Court also observed that if the Disciplinary Committee of ICAI is of the opinion that a member is incorrectly owning responsibility for the allegations which are wide ranging, the Statutory Body is fully empowered to hold the firm as a whole as being responsible. The Court further ordered that the "petitioners including their firms are given an opportunity to file a reply to the notices issued by ICAI and a date of hearing be fixed for their appearance. Stressing the importance of profession of chartered accountancy, the High Court has observed as under: -

"Any omission or laxity in discharge of duties could lead to large scale losses and financial frauds. CAs owe a responsibility not just to their clients but also to ensure in the process of rendering their services that there is compliance of law. The said profession also owes a duty to the country as also to the economy as a whole. Thus, regulation of the profession of CAs by establishment of the regulatory body like the ICAI is an important feature of the said profession itself."

The Court further said that there is an eminent need to do the following: -

- Strengthen the ICAI by expeditiously notifying the amendments passed by the Amendment Act of 2022;
- Undertake consultation in order to clearly set out the framework in which multi-national accounting firms can operate;

The Court, in the course of its judgment, observed as under with reference to Multi-national Accounting Firms: -

"Such firms also contribute in bringing global best practices to India with immense opportunities for youngsters. They also render services to Indian businesses even at a global scale. Thus, the provisions relating to licensing agreements, brand usage etc., also need to be looked into."

Dismissing the petitions, the Court imposed a cost of Rs. 1,00,000/- each on the petitioners. Division Bench of the High Court of Delhi has subsequently stayed the aforesaid judgement on appeal by the Petitioners. The matter is not yet finally decided.

(III) Delhi High Court dismisses the Writ Petition filed by students for postponement of CA Exams scheduled in May, 2024 in view of the General Elections to Lok Sabha.

The Delhi High Court on 8th April, 2024 has dismissed a Writ Petition filed by 27 candidates seeking postponement of CA Exams till June, 2024 in view of the Lok Sabha Elections held in April-June, 2024. While dismissing the Writ Petition the High Court observed as under:

"Mere fact that candidates taking the Exam may face hardship in undertaking the exam cannot be a ground for the Court to derail the exam which is to be taken by approximately 436246 aspirants. This Court is surprised that such a request has been made."

Further, at Para 13 of the Judgment, the Delhi High Court held as under:-

"The respondent (ICAI) has, therefore, been proactive and ensured that the right of the candidates, who are to undertake the examinations, to cast their votes, is not affected by conducting of the examinations. The scheduling of the examination has been so done as to ensure that an individual candidate is able, should she so desire, to cast her vote and undertake the examination. No more can be expected of the respondent. It is for the individual candidates now to work out their schedules, and adjust their itineraries accordingly."

Another set of students filed a writ petition in the Supreme Court of India for postponement of the Chartered Accountancy Examination to be held in the month of May, 2024/June, 2024 due to the General Lok Sabha Elections scheduled in the month of May & June, 2024.

The Supreme Court on 19th April, 2024 has dismissed a Writ Petition filed observing as follow:

"The arrangements that were made during the course of the COVID 19 pandemic stand on a completely different footing since the country was then faced with a public health crisis of unprecedented proportion. The relief as sought is contrary to the regulations and cannot be granted."

8.3 Infrastructure Development Committee (IDC)

Infrastructure Development Committee is formed as a non-standing Committee of the Institute. Since inception, the ICAI has a robust infrastructure policy in place, which ensures financial prudence and discipline. This year, Committee has modified the Infrastructure Policy for Branches and Regional Councils/Offices. The policy defines what all facilities can be provided, composition of local Infrastructure Committees, policy and procedure for acquisition of land/ building, indicative area, permissible grant from Head Office, powers and delegation vested with various authorities within the Institute.

Out of total 176 Branches set up by the ICAI so far, 102 branches are having their own premises. 13 Branches (presently functioning from Rented Premises) who have procured land on which construction is either yet to be commenced or construction is under-way. 11 Branches (functioning from own premises) have procured land where either construction yet to be started or construction is under-way. 61 Branches do not own either land or building. The Region-wise break-up is as under:

S. No.	Particulars	Remarks					
		WIRC	SIRC	EIRC	CIRC	NIRC	Total
1	Total Nos. of Branches	36	45	13	57	25	176
2	Nos. of Branches having own Premises	21	34	6	31	10	102
3	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started (functioning from rented premises)	1	2	0	5	5	13
4	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started besides the own premises (functioning from own premises)	3	2	1	5	0	11
5	Total nos. of Branches having neither land or building	14	9	7	21	10	61

Recently, NBCC has also been engaged for Building Projects of ICAI all over India. However, NBCC is renovating Noida Sector C1 Office.

8.4 International Affairs Committee (IAC)

(I) Initiatives of International Affairs Committee for recognition of professional opportunities abroad

In order to spread its wings internationally, ICAI has been entering into qualification reciprocity agreements with accounting bodies globally to recognize qualification of members at either end. These agreements foster working relations between the two accounting institutes. These agreements are a step forward in increased mobility to professionals at both end and herald a new dimension for business globally. ICAI renewed its agreement with the Institute of Chartered Accountants in England & Wales.

- **Renewal of MoU with ICAEW**

The association between ICAI & ICAEW dates back to 2008 when the first MoU was signed between the two bodies. The Memorandum of Understanding (MOUs) after receiving approval from the Union Cabinet, was renewed on April 24, 2023 in London. The then President, ICAI and the then President, ICAEW signed the MoU in presence of the then Vice President, ICAI along with other Council Members, ICAI and senior functionaries of ICAEW. The renewal of this MoU would continue to enable appropriately qualified members of either Institute to join the other Institute by receiving appropriate credit for their existing accountancy qualification and bring a lot of professional opportunities for Indian CAs in UK. During the sidelines, discussions were also held on various issues of mutual interest including best practices in education and examination; Joint research in areas such as Sustainability, Artificial Intelligence and Insolvency and how both the Institutes can contribute effectively in the meetings of B20.

- **Recognition of ICAI member as Associate member of ISCA**

ICAI & Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) have been exploring the possibility of MRA between the two Institutes. In a further development, ISCA has recognized ICAI qualification as one of the recognized professional qualifications for associate membership of ISCA. This is a welcome step for all ICAI members residing in Singapore having a minimum of 6 months of local work experience in Singapore. ICAI has unilateral pathways and programmes with the few bodies namely, International Pathway Programme of Chartered Accountants Australia & New Zealand, International Pathway Programme of the Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW), Malaysian Institute of Accountants, Institute of Chartered Accountants of the Maldives, Botswana Institute of Chartered Accountants, and Fiji Institute of Accountants.

(II) Enhancing ICAI's Global Footprints

- **Enhancing Brand CA Globally through ICAI Overseas Chapters & Representative Offices**

ICAI has always been working untiringly in the direction of effectively and efficiently serving its members based in overseas. ICAI has now 50 Chapters and 31 Representative offices in 81 global cities in 47 Countries thus

aiding to positioning the 'CA India' as a 'Brand' worldwide for generating more professional avenues for Indian Chartered Accountants. During the period under report, ICAI has inaugurated 6 Chapters in Philadelphia, Michigan, Arizona and Seattle in United States of America, Cairo (Egypt) and Adelaide (Australia) and one Representative office in Rotterdam, (Netherlands) was also approved. Representative offices abroad are opened where currently ICAI Chapters cannot be formed thus bringing together ICAI members abroad and enabling effective reach and service to its members, thus aiding to positioning the 'Indian Chartered Accountant' as a 'Brand' worldwide for generating more professional avenues for Indian Chartered Accountants.

- **ICAI Best Overseas Chapter Awards 2023**

Since, 2013, the International Affairs Committee (IAC) has been organizing ICAI Best Chapter Awards for its Chapters overseas which are awarded at the ICAI Annual Function every year as a token to appreciate the efforts of the Chapter Managing Committee in enhancing the 'CA India' brand and providing members a platform for networking thus creating a feeling of belongingness amongst members in foreign soil. They recognize the distinguished efforts and exemplary achievements of Chapters in furtherance of the horizon of the Chartered Accountancy profession. The best overseas Chapters are selected on the basis of defined parameters as approved from time to time. The Awards for 2023 were distributed at the ICAI Annual Day Function.

- **ICAI's Representatives on International Bodies**

From time to time, ICAI representatives have been at the leadership positions of various International Accounting bodies. This ensures the ICAI remains at the forefront of emerging trends and knowledge development. Currently, ICAI is being represented in the following Board/Committee of :-

- **International Federation of Accountants (IFAC)** – Board Member; Technical Advisor; and Advisory Group Member
- **Public Interest Oversight Board (PIOB)** - Member
- **Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)** – President, Board Member & Committee Member
- **South Asian Federation of Accountants (SAFA)** – Advisor, Board & Assembly Member, Technical Advisor, Committee Chair & Committee Members
- **Chartered Accountants Worldwide (CAW)** – Board Member, Technical Advisor, Steering Group Member and Task Force Member.
- **Edinburgh Group** – Vice Chairman (Currently as Acting Chairman), Technical Advisor
- **IFRS Foundation**–Member of Committees/ Advisory Forums, Implementation Group
- **Asean Federation of Accountants (AFA)** – Associate Member & Working Committee Members
- **Pan African Federation of Accountants (PAFA)** – Affiliate Member
- **UNCTAD – ISAR**- Chairman
- **XBRL, International**- Board Member

- **Globalizing ICAI's Brand Equity**

- **Roundtable Engagement with IFAC President**

The then President, ICAI and the then Vice President, ICAI attended the 'Roundtable Engagement on June 12, 2023 with IFAC President hosted by MIA. This was an opportunity for ICAI to network with IFAC and engage with other PAOs, both local and international bodies. The then President, ICAI gave a presentation at the event wherein he enlightened participants on the various capacity & competency building efforts taken by ICAI for the future relevance of the profession.

- **ICAI Connect event**

ICAI organized an ICAI Connect event at Malaysia on June 12, 2023 wherein His Excellency, Indian High Commissioner to Malaysia; Deputy Minister of Entrepreneur Development & Cooperatives; President, International Federation of Accountants (IFAC); Leadership of MIA & MICPA, the then President, ICAI and the then Vice President, ICAI and members of Managing Committee of Malaysia (Kuala Lumpur) Chapter of ICAI were present. This event "ICAI Connect" was one such example of connecting and contributing to the progress and development of the accountancy profession. It was an apt occasion to showcase India's accounting expertise through growing number accounting professionals in Malaysia. The event was well appreciated by the participants.

- **MIA International Conference**

MIA International Accountants Conference on the theme "Future Fit Profession: Charting a Better Tomorrow" was held from June 13-14, 2023 at Kuala Lumpur. The Conference had 16 sessions, 80 speakers and was attended by 3000 delegates. Past President, ICAI ; two Council Members, ICAI were the panelists at the Panel

Session “CS1C: Equipping SMEs for Sustainability-The role of SMPs. One of above Council Members, ICAI participated at the Panel session virtually. ICAI associated with the MIA International Conference and had ICAI’s pavilion at the Conference where it promoted GloPAC and its various initiatives of global relevance. ICAI also showcased its publications at the pavilion. This assisted ICAI to strengthen ICAI’s foothold in Malaysia and ICAI received good response from delegates.

➤ **ICAI’s participation at the Africa Congress of Accountants (ACOA) 2023**

ICAI also associated with the 7th Africa Congress of Accountants (ACOA), a premier event of the Pan African Federation of Accountants (PAFA) held in Abidjan, Ivory Coast from 15th to 18th May 2023. More than 2000 delegates from 54 countries attended the Congress where the then President, ICAI and the then Vice President, ICAI, Past President, ICAI and one Council Member, ICAI addressed in various sessions. ICAI had the opportunity to exhibit the largest pavilion in ACOA wherein the latest initiatives of ICAI were displayed and appreciated by the delegates.

➤ **ICAEW-ICAI event in London**

ICAI along with ICAEW organized a Joint event on “Globalising Accountancy: India-UK Collaborations in the Digital Age” on September 25, 2023. The then President alongwith the then Vice President, ICAI and President, ICAEW participated in the Fire Side Chat and spoke on the relationship between the two Institutes and their future plans for the betterment of the profession at either end.” A high-level panel discussion on the topic “Unleashing Synergies: Collaborative Opportunities in Accounting Outsourcing and Global Capacity Centres” was also organised wherein leading outsourcing firms were invited to discuss on the collaborative opportunities.

➤ **ICAI as a part of High-level delegation of International Financial Services Centres Authority**

In order to disseminate information about International Financial Services Centres; the GIFT IFSC & its benefit to overseas investors and to gain insights on the accounting & auditing profession in Australia; a High-level delegation from International Financial Services Centres Authority visited Australia from August 28-September 1, 2023. Considering the importance of accountancy and book-keeping in IFSC, the participation of ICAI in this visit was imperative and accordingly, IFSCA had invited the then President ICAI & the then Vice President, ICAI to be a part of this High-level delegation. The then President ICAI & the then Vice President, ICAI took part in the Round table interactions with Banks, Insurance and Capital market institutions jointly organized by Australia India Business Council, Bloomberg on 28th August, 2023 in Sydney. They also took part in another Round Table interaction on Opportunities for Asset Managers (including super funds) in IFSC on October 31, 2023 in Melbourne. Concurrently, ICAI Chapters in Sydney & Melbourne alongwith Bloomberg, GIFT City and Consulate General of India in Sydney and Melbourne jointly organized Conferences on Business Opportunities in India’s maiden IFSC GIFT City at Sydney & Melbourne on August 28 & 31, 2023 respectively. Furthermore, CPA Australia also organized “Meet & Greet event” on 30th August, 2023 in Melbourne which was attended by approx. 50 members from ICAI and CPA Australia.

➤ **ICAI’s presence at World Investment Forum**

ICAI’s initiative “Sustainability Reporting Standards Board (SRSB)” received an Award in ISAR Honours Ceremony at the World Investment Forum on 17th October, 2023 at Abu Dhabi. ICAI received the highest score in this year's session of ISAR HONORS among 70 initiatives from all over the world. The then President ICAI & the then Vice President, ICAI received the Award on behalf of ICAI. The ISAR Honours recognizes policy, institutional or capacity-building initiatives that encourage and assist enterprises to publish data on their contribution to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable; facilitate improvements in companies’ reporting on sustainability issues, including by promoting the integration of sustainability information, such as environmental, social and governance (ESG) issues, into companies’ reporting cycle. ICAI also had its pavilion wherein ICAI publication, GloPAC and other initiatives of ICAI were showcased and the pavilion was highly appreciated by the delegates. It helped create global branding for ICAI.

(III) Delegations visiting ICAI

• **Meeting with ICAEW functionaries in sideline to CII meeting in Mumbai**

The President, ICAI met MD International-ICAEW & Strategic Advisor-India-ICAEW on 13th March 2024 during the sidelines of the CII Meeting in Mumbai. The meeting dwelled upon how the two institutes can synergize for development of Global Accountancy Profession in Technology & Sustainability Initiatives.

• **Visit of delegation from CA Maldives**

A high level delegation comprising of President; Vice President; two Council Members and Chairperson of Academic Committee visited ICAI on December 18, 2023. In order to empower finance professionals in the Maldives with specialized knowledge and skills, under the aegis of the MoU, the delegation from CA Maldives

sought support from ICAI and proposed a collaborative initiative that leverages the expertise of ICAI in delivering specialized courses aimed at enhancing the professional capabilities of finance practitioners in the Maldives. The then Vice President, ICAI assured them of full support from ICAI and the delegation was highly appreciative of ICAI in this regard.

- **Visit of delegation from the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)**

Director Policy visited ICAI Bhawan at New Delhi and met with the then President, ICAI and the then Vice President, ICAI on 16th March, 2023. The objective of the meeting was to deliberate on how the two Institutes can further collaborate in various areas related to profession like ESG, Insolvency, Research etc.

- **Visit of delegation from CPA Australia to ICAI**

Head-Global Growth & Brand Strategy-CPA Australia, Head India & her team visited ICAI and met with President-ICAI on 12th March 2024 at New Delhi. The meeting focused on discussing areas for furthering collaboration between the two Institutes for the benefit of members at each end in the areas of Artificial Intelligence, Environmental, Social, and Governance (ESG), Corporate Governance, MSME, Research and alike.

(IV) Technical Co-operation Agreements

- **Signing of MoU between ICAI & CA Maldives at SAFA-IFRS-ISAs Forum 2023 at Maldives**

ICAI signed MoU in Maldives on the second day of the SAFA IFRS and ISAs Forum 2023 hosted by CA Maldives on August 20, 2023 in the presence of the Hon'ble High Commissioner of India to the Maldives. The MOU was signed by the then President, ICAI and President, The Institute of Chartered Accountants of the Maldives. The objective of MoU is to establish mutual co-operation for the advancement of Accounting Knowledge, Professional and Intellectual Development, Advancing the Interests of their respective members and positively contributing to the development of the Accounting Profession in the Maldives and India. Further, on the request of the office of the Hon'ble High Commissioner of India to the Maldives, ICAI has gifted its publications including books of new curriculum to CA Maldives.

(V) ICAI Global Professional Accountants Convention" (GloPAC) on the theme- "Connecting the Globe, Creating Value" on November 24-26, 2023

With a vision of taking Indian Chartered Accountancy Profession and positioning India as global hub for Finance and Accounting, ICAI organised the first of its kind Global Professional Accountants Convention (GloPAC) in India, at the Mahatma Mandir Convention Centre in Gandhinagar, Gujarat from November 24-26, 2023. The Convention was inaugurated with lighting of the lamp by the august hands of Chief Guest, Hon'ble Vice-President of India along with Guest of Honour, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Govt. of India, Guest of Honour- Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs, Primary, Secondary and Adult Education, Higher Education, Govt. of Gujarat, President, International Federation of Accountants (IFAC), the then President, ICAI, the then Vice-President, ICAI, Past President, ICAI and Secretary, ICAI. The Convention served as a convergence point for professionals and leaders across various sectors within the accounting and auditing community, fostering a dynamic exchange of ideas and insights. During the event, the new logo of Chartered Accountancy Profession 'CA India' was also unveiled by the Chief Guest. Further moving towards bolstering India's global financial landscape, MoUs were entered by ICAI with International Financial Services Centres Authority (IFSCA) and Gujarat International Finance Tec-City Company Limited (GIFT-City).

(VI) OTHER EVENTS:

- **Events with MOU/MRA partners**

- Awareness sessions with CPA Australia, ICAEW and CPA, Canada.

From time to time, ICAI organizes awareness programs jointly in association with its MOU/MRA partners. This year, awareness sessions were organized jointly in association with CPA Australia, ICAEW and CPA Canada under the mandate of qualification reciprocity agreements signed with them for the members to make them aware of the scheme and benefits of these MRAs. These were very well appreciated by the members. Joint programs with CPA Australia are being organized almost once every month.

(VII) SAFA EVENTS:

- **SAFA Events in Pakistan**

The Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan hosted the SAFA Committee meetings and SAFA Board meeting on March 18, 2023. Past President, ICAI and the then President, SAFA, , the then Central Council Member, ICAI alongwith Central Council Member, ICAI attended the SAFA Board meeting on March 18, 2023. The then Central Council Member, ICAI also chaired the meeting of SAFA Committee on Information Technology. Past President, ICAI and the then President, SAFA was also the panelist in the session on "ESG

Sustainability: The Accounting Perspective" at the International Convention of Accountants hosted by ICMAP at the sidelines of the SAFA meetings. The then Central Council Member was the keynote speaker on the topic "Accountants Role in averting climate catastrophe and economic downturn" at the International Convention of Accountants held on March 18 and 19, 2023.

- **SAFA Board meeting on June 24, 2023 via VC**

The 79th SAFA Board meeting was held on June 24, 2023 via VC and was attended by the then President, ICAI, the then Vice President, ICAI, two Central Council members, ICAI. Past President, ICAI and the then President, SAFA chaired the meeting. The meeting deliberated on various important issues. At the meeting, it was decided to admit CA Maldives as Full member of SAFA w.e.f July 1, 2023..

- **SAFA events in Maldives**

SAFA IFRS and ISAs Forum (August 19-20, 2023)

Institute of Chartered Accountants of the Maldives hosted the SAFA IFRS and ISAs Forum on August 19 and 20, 2023. This two-day forum delved into the intricacies of International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards on Auditing (ISAs). Past President, ICAI and the then President, SAFA addressed at the SAFA IFRS and ISAs Forum. The then Central Council member gave a presentation on "The challenges of implementing IFRS 17" and Central Council member, ICAI was a panelist in the Technical Session on 'Elevating Audit Quality Management: Strategies and Best Practices for Auditors'.

- **SAFA Committee Meetings and Board Meeting (August 21, 2023)**

CA Maldives also hosted various SAFA committee meetings and the SAFA Board meeting on August 21, 2023. A Central Council Member, ICAI chaired the meeting of SAFA Committee on Education, Training and CPD which was also attended by another Central Council member, ICAI as Vice Chairman of the meeting, the then Central Council member, ICAI chaired the meeting of SAFA Committee on Information Technology and one Central Council member, ICAI chaired the meeting of Small and Practices Committee of SAFA which was also attended by another Central Council member, ICAI as Vice-Chairman of the meeting. A Central Council member, ICAI participated in the meeting of SAFA Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance, another Central Council member, ICAI participated in the meeting of SAFA Committee on Professional Ethics and Independence, another Central Council Member, ICAI participated in the meeting of SAFA Committee on Accounting Standards, a Central Council member, ICAI participated in the meeting of SAFA Committee on NPOs and Co-operatives Sector, another Central Council Member, ICAI participated in the meeting of SAFA Committee on Anti Money Laundering and one of Central Council Member, ICAI participated in the meeting of SAFA International Relations Committee. The then President, ICAI along with Past President, ICAI and the then President, SAFA attended the SAFA Board meeting on August 21, 2023.

- **SAFA Foundation Day Ceremony and IFAC Workshop (August 22, 2023)**

CA Maldives also hosted the SAFA Foundation Day ceremony on August 22, 2023 wherein Past President, ICAI and the then President, SAFA addressed the inaugural session and the then President, ICAI participated in the Panel discussion on "Impact of Technology on the Accountancy profession in South Asia". IFAC SAFA workshop was also organised on August 22, 2023 which was attended by a Central Council Member, ICAI.

- **SAFA Board & Committee Meetings**

The then ICAI Vice President and ICAI Past President & Past SAFA President, attended the 82nd SAFA Board meeting on 18th January, 2024 to discuss and deliberate on the roadmap for development of the profession in the SAARC region.

- **SAFA Virtual Conference on the theme "Future of the Accountancy Profession" on December 18 and 19, 2023**

The Committee on Education, Training and CPD of SAFA had organised a SAFA Virtual Conference on the theme "Future of the Accountancy Profession" on December 18 and 19, 2023 which was hosted by the Institute of Chartered Accountants of India. This event delved into the future landscape of the accountancy profession, featuring panel discussions centered around technological disruption and the redefinition of leadership in accountancy for the members and students. Esteemed speakers from various South Asian countries shared their insights, offering valuable perspectives on the evolving trends in the field. The event was attended by over 1200 participants from SAARC countries.

- **SAFA Awards 2022**

The ICAI hosted the prestigious South Asian Federation of Accountants (SAFA) Best Presented Annual Report Awards, Integrated Reporting Awards and SAARC Anniversary Awards for Corporate Governance Disclosure 2022 to recognize excellence in corporate reporting & corporate governance disclosures in the South Asian region on 22nd December, 2023. For this year's award ceremony, nominations were received from Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka under 16 categories. The event marked the presence of the then President, SAFA,

Vice President, SAFA, the then President, the then Vice President, ICAI, the then Chairman and Vice Chairman, Research Committee, ICAI, Chairperson, Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance, SAFA and other dignitaries. The Awards were distributed in the glittering evening wherein more than 250 professionals from the SAFA Member countries participated.

- **ICAI-SAFA Joint CFO Meet**

An insightful and thought-provoking Interactive CFO Meet on 2nd December, 2023 in Mumbai was organized by the CMI&B jointly with the South Asian Federation of Accountants (SAFA), hosted by WIRC of ICAI. The event brought together finance leaders, industry experts, and strategic thinkers to explore and deliberate on the theme “The Evolving Role of CFOs – Rising Upward” to foster a community of finance leaders who are prepared for actively shaping the future of finance in the South Asian region. The then President, ICAI along with Central Council members from Mumbai attended the event.

- **SAFA Quiz and Elocution Contest, 2023 on March 1, 2024 in Pokhara, Nepal**

The Institute of Chartered Accountants of Nepal hosted the SAFA Quiz and Elocution Contest, 2023 on March 1, 2024 at Nepal. Teams from ICAB, ICMAB, ICAI, ICAN, CA Sri Lanka and CMA Sri Lanka participated in the Quiz Contest. In the Elocution Contest, 2 participants each from ICAB, ICMAB, ICAI, ICAN, CA Sri Lanka and CMA Sri Lanka participated.

- **SAFA Women's Day Celebrations & SAFA Women Leadership Awards 2024**

The Women Leadership Committee of SAFA organised the SAFA Women's Day Celebrations & inaugurated the SAFA Women Leadership Awards 2024 on March 1, 2024 at Nepal. The event served as a platform to honour and celebrate the achievements of women within the Accountancy Profession across the SAARC region. Nine awards were distributed across seven categories, recognizing the outstanding contributions of women in the Accountancy profession.

- **SAFA Meetings on March 1 and 2, 2024 in Pokhara, Nepal**

The Institute of Chartered Accountants of Nepal hosted various SAFA Committee meetings on March 1, 2024 and SAFA Board meeting on March 2, 2024 in Pokhara, Nepal. One Central Council member, ICAI participated in the meeting of SAFA Committee to study Fiscal Regimes and other Statutory Requirements of Business in SAFA Countries and a Central Council member, ICAI participated in the meeting of SAFA Committee on Anti Money Laundering and SAFA Committee for Co-operatives and NPO Sector. Another Central Council Member joined the meeting of SAFA Women Leadership Committee virtually and one of Central Council Members joined the meeting of SAFA Committee on Professional Ethics and Independence virtually. The President, ICAI along with Vice President, ICAI attended the SAFA Board meeting on March 2, 2024.

8.5 Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee (SPP&MC)

The Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee (SPPMC) is a non-standing Committee of the ICAI which plays a critical role in shaping long-term ICAI Vision and Objectives. The primary purpose of SPPMC is to engage in strategic planning, ensuring that the ICAI develops and implements effective strategies to meet its goal.

Preparation of ICAI 2049 Vision Document

Consequent to strategic meeting of Council members held in Hyderabad on 10th March, 2023, SPPMC began collecting views from different stakeholders and bucketed them into following six broad areas:

- Infrastructure Development - Property & Building and IT
- Human Value & Governance Ecosystem
- Capacity Building - Skilling & Reskilling (Members & Firms)
- Education, Training & Examination
- Regulatory Framework & standard-setter
- Brand Value - National & International

Following this, a Confluence of Government nominees on Disciplinary Committees and Members of Boards of Section 8 companies was held on 1st & 2nd August, 2023 at Statue of Unity, Kevadiya. The task of developing ICAI 2049 Vision Document, Strategic direction for ICAI and a high level work plan for achieving the strategic goal was awarded to IIMA. IIMA conducted series of interactions with President, Vice President, Central Council Members, Secretary, Faculty, Board of Studies, senior officers and members of ICAI. Survey was conducted by circulating detailed questionnaires to members, students, elected representatives and employees. In response thereto, 899 persons responded to the various questions posed in the questionnaire, totalling around 25,000 replies. Views expressed by Past Presidents at their meeting held in 21st April, 2023 and on 21st March, 2024, and views expressed by past Council Members at their meeting held in 27th April, 2024 were collected and studied by IIMA. The draft report received from IIMA on 25th June, 2024 is currently under consideration by SPPMC and Council. The cover of the ICAI 2049 Vision

Document was released on the CA Day celebrations held at Bharat Mandapam, New Delhi on 1st July, 2024 at the august hands of Hon'ble Union Minister of Road Transport and Highways.

8.6 UDIN Directorate

In today's business and regulatory landscape, the Unique Document Identification Number (UDIN) introduced by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) holds immense relevance and significance. UDIN serves as a pivotal tool in combating the proliferation of fraudulent financial documents by providing a unique identifier for every certificate, audit report, or other attestations issued by practicing chartered accountants. This stringent requirement ensures that all certified documents can be verified online, thereby guaranteeing their authenticity and legitimacy.

Moreover, UDIN plays a crucial role in bolstering trust and credibility in financial reporting processes. Stakeholders such as investors, regulatory authorities, and government agencies can swiftly verify the validity of documents, mitigating risks associated with misinformation or falsification. By promoting adherence to auditing standards and ethical practices, UDIN reinforces accountability among chartered accountants, who are accountable for the documents they certify. This accountability fosters a culture of responsibility and professionalism within the accounting profession, aligning with global best practices and regulatory expectations. The UDIN system has seen remarkable adoption and integration into professional practices.

Furthermore, UDIN facilitates streamlined regulatory processes by providing a standardized method for verifying documents. This digital approach not only enhances efficiency in auditing and compliance checks but also aligns with technological advancements in information verification and management. As businesses navigate complex regulatory environments and demand greater transparency, UDIN emerges as a vital mechanism to uphold integrity in financial reporting, thereby safeguarding stakeholders' interests and fostering a robust economic ecosystem.

In essence, UDIN issued by ICAI represents a transformative step towards ensuring transparency, reliability, and integrity in financial reporting practices. By leveraging technology and stringent verification protocols, UDIN not only deters fraud but also strengthens confidence in the accuracy and trustworthiness of financial documents certified by chartered accountants, contributing to sustainable business growth and regulatory compliance in India's dynamic marketplace.

(I) UDIN - A decision making parameter for the Regulators, Banks and Other Stakeholders

- A meeting with the delegation from the Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICA Nigeria) was held on 18th October 2023, to discuss the process and protocols for implementation of UDIN in Nigeria.
- A meeting with Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority (CG-RERA) was held on 10th November, 2023 to discuss the requirements of CG-RERA. CG-RERA has requested the UDIN Directorate to provide API for their system to verify the UDINs on real time basis. Subsequently, a revision in the scope of work necessitated a meeting on May 30, 2024, to discuss on the changes in scope of work and CG-RERA's requirements.
- Government entities and stakeholders like Chittaranjan Locomotive Works (CLW), Indian Railways, Central Public Works Department, Ministry of Corporate Affairs, Mumbai and other government agencies are actively leveraging the UDIN Portal's services to verify document authenticity. Recently, various State Governments like PHED & Mission Director, Jal Jivan Mission (JJM), Government of Assam, Govt. of West Bengal, Govt. of Maharashtra and Govt. of Odisha have recognized by way of verification of the authenticity of the documents received by them.

(II) Initiatives for the Members

- **Configure new Form 10B & 10BB at UDIN Portal as per CBDT's Notification No. 7/2023 dated 21.02.2023** - Form 10B and 10BB were re-notified by CBDT vide notification no. 07/2023 dated 21/02/2023. As per the amended rule 16CC and 17B, new renotified form 10B & 10BB will be applicable w.e.f. 01.04.2023. As per the clarification received from the TPL, Ministry of Finance, amended rules are not applicable retrospectively. Old form 10B and 10BB will remain applicable till AY 2022-23 and new notified form will be applicable from AY 2023-24 onwards. Accordingly for the AY 2023-24 onwards, new Form 10B & 10BB has been configured at UDIN Portal for UDIN generation.
- **Archival of the UDINs** - The Council in its 420th meeting held on 23rd & 24th March, 2023, decided that UDINs may be archived after one year of their generation to ease off the load on the servers. The implementation of the aforementioned functionality was given effect at the UDIN live server with effect from the midnight of 25th October, 2023. Implementation of archiving UDINs has been scheduled in the phased manner beginning for the year 2019 in the first phase, followed for the years 2020, 2021, 2022 and 2023, thereafter. UDINs for the calendar year 2019, 2020 & 2021 have been archived at the UDIN Portal.
- **Capturing PIN code during UDIN generation** - The provision for capturing PIN Code during UDIN generation has been enabled at UDIN portal with effect from 9th February 2024. The usage of such information is to generate a report on the geographical distribution of UDIN including the highest/lowest generation of UDINs in a particular City/District/State".


(III) Impact of UDIN

The Unique Document Identification Number (UDIN) system has had a significant impact on the professional documentation landscape in the current scenario, particularly in enhancing transparency, authenticity, and reliability. Introduced by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), UDIN has become a crucial tool in preventing the forgery and misuse of certifications and attestations by Chartered Accountants (CAs). For more detailed information, resources, and updates on UDIN, the official portal udin.icai.org can be visited.


One of the most significant impacts of UDIN is its role in curbing document forgery. By assigning a unique identification number to each document certified by a CA, the system ensures that every document can be verified for its authenticity. This has drastically reduced instances of counterfeit documents, thereby safeguarding the integrity of professional attestations. The ability to verify documents through the UDIN portal has fostered a higher level of transparency and trust in professional transactions, significantly enhancing the credibility of the accounting profession.

In the regulatory domain, UDIN has streamlined compliance processes. Regulators can efficiently verify the authenticity of documents, reducing the likelihood of fraud and ensuring adherence to compliance requirements. This has resulted in a more efficient regulatory environment, benefiting both professionals and regulators. The requirement for CAs to generate UDINs for every document they certify has increased accountability among professionals, as their work is now traceable and verifiable. This heightened accountability has led to higher standards of professionalism and ethical conduct within the industry.

As generation of UDIN is mandatory for all the Practicing CAs for all the documents issued by them, as on 4th July, 2024 more than 1.46 lakhs Chartered Accountants have registered on UDIN Portal and have generated more than 6.77 Cr UDINs from beginning to date in three categories namely Audit & Assurance Functions, Certificates and GST & Tax Audit. More than 2.17 Cr UDINs have been verified by the Authorities/Regulators/Banks/Others.



UDIN related statistics is suggestive of the fact that major economic activities have been undertaken by the top three States namely, Maharashtra, Gujrat, Delhi since inception to 27th May, 2024. The pictorial representation of top 10 states generating UDINs since inception to date (till 27th May, 2024) is presented hereunder.



The UDINs, therefore, are extremely important elements for the policy framing as the policy makers may use these numbers for necessary policy interventions like sensitizing the economic players for their diversification in the specific sector needed for economic development.

(IV) Publications

- FAQs on Unique Document Identification Number (UDIN) (Revised 2024)
- Report on UDIN (2023-24)

8.7 Publication & CDS Directorate

The Publication & CDS Directorate undertakes the task of printing of ICAI various priced publications and dispatching the same to its students, members and other stakeholders. ICAI has developed an online store portal named CDS Portal. The option is provided to various stakeholders to purchase all relevant publications and artefacts online. Anyone interested can generate his/her own accounts and place his/her orders on online store. The Directorate is catering to the demands of its students and members with the help of its CDS Portal by providing the doorstep service.

The Publication Directorate of Institute primarily caters to following three areas:

- Printing of study materials for students and member-related publications.
- Sale and distribution of publications through Centralized Distribution System (CDS).
- Maintaining Stock account, sales account, and reconciliation of stock.

(I) New Publications brought out

During the period i.e. from 1st April, 2023 till 31st March, 2024, the Publication Directorate printed various new publications on behalf of Board of Studies (Academics) and other Committees, which are also hosted on the CDS Portal.

(II) Centralized Distribution System

Since July 2017, all publications of ICAI including study materials, Revision Test Papers and member-related publications and various kinds of mementoes such as ties, Tie Pin, cuff links and lapel pins are dispatched centrally through Central Distribution System Portal (www.icai-cds.org) to the Students, Members and other Stakeholders based on the orders received on the CDS Portal.

(III) Student related Publications

Period	Books Dispatched against registration	Books sold
01-04-2023 to 31-03-2024	Type of Books – 118 nos. Total Books dispatched against Registration - 32,11,722 nos.	Type of Books – 184 nos. Total Books dispatched against Sale - 31,368 nos.

(IV) Members related Publications and Mementos

Period	Member Publication	Mementos
01-04-2023 to 31-03-2024	Type of Books – 285 nos. Total Books dispatched against Sale - 10,938 nos.	Type of Mementos – 18 nos. Total Mementos dispatched against Sale - 1,905 nos.

(V) Future Endeavours

The future endeavors of the Directorate include to revamp and upgrade the CDS Portal and reduce the Turnaround time for delivery of orders.

8.8 Centre for Audit Quality Directorate (CAQD)

(I) Utilities developed by CAQ

The CAQD develops and provides access to cost-effective Digital and online Resources for accountants / accounting firms to facilitate smooth conduct of quality audit and assurance. The Following Utilities have been developed by the CAQD for the benefit of members/ accountants/ accounting firms.

- **Utility for Bank Branch Audit, 2024 Edition:**

To help the members in smooth conduct of the bank branch audits, CAQD released an Excel Utility. It would help the members in tracking the status of the completion and concern areas under various heads. This updated tool includes several improvements such as MoC sheet, certificate list control, monitoring of IFCoFR, day-wise attendance of team members, listing activities not done by SBAs but by SCAs, SA 700 series compliances, and

enabling printout for ease of documentation. By aligning with the Guidance Note on Audit of Banks and the Technical Guide on the Long Form Audit Report, this utility aims to assist members in complying with the audit procedures enumerated therein, efficiently managing audit progress and documentation.

- **Utility for Determining Materiality:**

The CAQD developed a utility for determining materiality as a handholding measure for assisting the firms in the smooth conduct of audits. The objective of this template is to enable a user to perform a Statutory Audit of an entity to assess and gauge the Materiality Threshold for a Statutory Audit of an entity. This utility categorizes risk assessment parameters as low, medium or high and assists in forming an Audit Opinion after considering the impact of total Material Misstatements.

- **Reviewing and Monitoring Tool on Standards on Auditing Compliance:**

This tool covers checklists on all Standards on Auditing as a measure for assisting firms in compliance with the SAs. It enables review, monitoring and documentation of SA compliance effortlessly. The tool tracks progress by using the 'Work Status' dropdown summarized in the Dashboard.

- **Utility on Engagement Letters:**

It is a valuable utility designed to simplify/ streamline the process of generating engagement letters for assurance clients. Auditors and audit firms can seamlessly generate multiple engagement letters with a single click by using this utility. This utility saves valuable time and eliminates the usual complexities associated with engagement letter preparation. It provides a comprehensive template that can be customized by practice units.

- **Status of download of the utilities is as under:**

S. No.	Name of Tool/ Utility	No. of Downloads
1	Utility for Determining Materiality	7299
2	Utility for Review and Monitoring Tool on Standards on Auditing Compliance	2234
3	Utility on Engagement Letters	10073
4	Utility for Bank Branch Audit – 2024 Edition	13671

(II) Programmes/Seminars

The Directorate organised 10 Programmes on Quality Café sessions - A monthly virtual series on audit quality, Demo of the Utility for Bank Branch Audit- 2024 Edition, Training of Trainer (ToT) program on Audit Quality Aspects, Awareness Program on Optimizing your audits: Tools and Utilities for Ensuring Compliance and Audit Quality Aspects.

(III) Certificate Course-Extensive Master Program-New Age Auditors

During the period, the 7th Batch of the Certificate Course- Executive Master Program - New Age Auditors was conducted through virtual mode and 1 Batch of the said Course was conducted physically at Vadodra. The course was appreciated by all the members with respect to their content and the quality of speakers. In respect of the physical course, the members also liked the format of having group discussions on Standards on Auditing and hands on learning on technology. The participants acknowledged that the course was well-organized, and the informative sessions enhanced their knowledge of the digital age and its application in audit and assurance. An assessment test for the course was held on 10th February 2024. 31 participants successfully completed the course. Members who cleared the test could download the certificates through the DLH platform.

(IV) Other Initiatives

- **X' (Twitter) handle of CAQ**

A separate 'X' (Twitter) handle has been created for CAQ for connecting with the members and helping them raise the level of awareness and understanding on various elements of audit quality. Regular posts are made through 'Did you know?' series in the form of Questions & Answers on 'X' (Twitter) account to raise level of awareness and understanding on various elements of audit.

- **Registration of 'Centre for Audit Quality' under the Trademark Act, 1999**

The Trademark registry has registered the mark "*Centre for Audit Quality (CAQ)*" in the name of the Institute of Chartered Accountants of India as its proprietor user. A Certificate (No. 4711659 dated 21.10.2020) of registration has been received from the office of the Registrar of Trademarks.

(V) Publications

- Significant Audit Matters
- Firm Manual Model Referencer
- Analysis of Modified Opinions:

8.9 Centre of Excellence Directorate (CoED)

ICAI constituted the Centre of Excellence (CoE) Directorate in February 2024, propelling its vision and mission to foster a culture of research, continuous learning and professional development. The CoE Directorate stands as beacon of innovation, excellence and strategic growth within the accounting profession. By fostering an environment of perpetual improvement and pioneering practices, the CoE Directorate seeks to elevate the standards of the accounting profession, making it a hub for thought leadership and excellence. At present, ICAI has 2 CoEs at Hyderabad and Jaipur. Further, ICAI plans to open 9 more CoEs across the country in the next 3 years fostering Research, Innovation and Skill-building.

(I) Initiatives

- **Policy Document on Centre of Excellence**

The CoE Directorate prepared the Policy Document on Centre of Excellence which is unanimously approved by the Council in its 431st meeting held on 25th and 26th April, 2024. The approval of CoE policy document is a milestone decision to foster research, innovation, learning and will serve as a hub for disseminating knowledge to shape the future of accounting profession. The Policy Document on Centre of Excellence proposes a strategic plan that embodies vision, mission, goals, objectives, strategies, actions and monitoring benchmarks. This strategic plan is supported by staffing pattern followed for the centre, physical infrastructure, process of research dynamics, dashboard matrix to showcase research contributions, financial model and the archive showcasing the glorious past and inspiring future of ICAI.

(II) Other Activities

- 50 and 3 Residential Programs were organised at CoE Hyderabad & Jaipur respectively by various Committees/Boards/Directorates of the Institute.

8.10 Estate Development Directorate (EDD)(Under Infrastructure Development Committee)

The Policy on processing and disbursement of Capital Grant was approved by Council w.e.f. 30th June 2022. The Estate Development Directorate deals with the matters related to release of Capital Grant to Units of ICAI (Regional Councils/Branches/DCOs/COEs) including major Repair and Renovation works (of both owned as well as Rented Premises), small Constructions/additions, internal modifications in the existing Building etc. costing up to Rs.200 Lakhs.

Brief of Major Decisions taken by Estate Development Directorate (EDD)

- Brand Building - ICAI @ 75
 - Installation of (G20 & B20 Glow Signage) at ICAI HO Buildings at HO, IP Marg, New Delhi, Vishwas Nagar New Delhi, C-1, Sec-1, Noida and A-29, Sec-62, Noida
 - Painting of ICAI Buildings PAN India
 - Installation of Glow Signage (ICAI Emblem & Name), PAN India
- Approved/Release of Advance/Final Grant against Capital Budget including pending cases for earlier years.
- EDD Software :
 - Software for Capital Grant
 - DMS for Land and Building records.
 - Dashboard for Green Building and Swatch Bhawan Award.
- Approval of Special Grants
- Reimbursement of Property Tax for 2022-23 and 2023-24
- Approval of Capital Grants till 10.04.2024

8.11 Tender Monitoring Directorate (TMD)

In order to monitor, analyze and streamline tendering for professional services of Chartered Accountants, a Directorate namely "Tender Monitoring Directorate" was constituted by the Council during the year 2023-24. The Directorate has been endeavouring to streamline the process of tendering and to monitor the bids quoted by CAs in all the permissible tenders and analyze them. The Directorate further refers the deviations at appropriate level.

Important activities

- The Directorate created its own Portal for tenders on professional services which was launched by the Council on 1st July, 2023 – www.tmdicai.org. The Portal offers following features:
 - Tender opportunities
 - Latest information for members
 - Council Guidelines on tenders
 - Details of minimum recommended scale of fees
 - Format of cost sheet to be submitted to members
 - Extract from relevant provisions of Code of Ethics
 - Representations made by Directorate to the tenderers
 - Answers to Frequently Asked Questions
 - Grievance posting mechanism, with or without disclosing identity.
- Representations are being made to tenderers where minimum fees is not prescribed in respect of audit & attestation services, or where eligibility conditions appear to be unreasonably restrictive or where the services tendered create “independence” issues. During the functional year 2023-24, 169 such representations were sent to the tendering organisations. During the functional year 2024-25, so far 71 representations have been sent.
- TMD also collects tenders for professional services from all over India, and hosts the same in its TMD Portal. During the functional year 2023-24, 1,411 tenders were studied out of which 1,263 tenders were hosted in the TMD portal as these were found appropriate in all respects. During the current functional year, so far 550 tenders were studied, out of which 480 tenders have been hosted in the TMD portal.
- Bids submitted by members are studied and cost sheets are called for wherever it is felt that the bid is for low amount. During the functional year, 57 tenders were examined whereupon notices were sent to 239 CA firms. During the current functional year, so far 20 tenders have been examined, and notices have been sent to 128 CA firms. Since the beginning of last year, cases of 37 CA firms have been referred to Director (Discipline) for investigation. Peer review has been ordered in respect of 56 CA firms. Cases relating to 129 CA firms have been closed as the cost sheet was found to be satisfactory. Examination of rest of the cases is on.
- A delegation comprising of President, Vice President, Convenor, Tender Monitoring Directorate and Vice Chairman, Professional Development Committee met the Chief Vigilance Commissioner at latter’s office on 18th May, 2023 and had detailed discussions on how Least Cost method of selection can be avoided in hiring of professional services of Chartered Accountants and at the same time, quality can be maintained. At this meeting, the CVC was accompanied by Vigilance Commissioner, Secretary CVC, C.T.E. and Director, CVC.
- The Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India has issued the Manual for Procurement of Consultancy & Other Services (updated June, 2022) wherein they have dropped “audits” from the description of assignments of standard or routine nature under Para 3.8 thereof titled, “Price based System - Least Cost Selection (LCS). Thus, Least Cost Selection i.e. L-1 is no longer considered suitable for engaging auditors.
- During the last functional year and the current one, representations were sent to Chief Secretaries and Finance Secretaries of all States and Union Territories requesting them, inter-alia, to ensure fairness in tendering process by the organisations under their control. Pursuant to the same, following meetings were held:
 - Chief Secretary of Uttarakhand at Dehradun on 8th January, 2024. The Chief Secretary has issued instructions to all the departments in the State for utilising the panel from PDC of ICAI for any professional services in the State.
 - Additional Chief Secretary (Finance), Government of Gujarat on 19th February, 2024 at Gandhinagar.
 - Ministry of Finance, Government of India, New Delhi on 17th May, 2024.
 - Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, New Delhi on 22nd May, 2024.
 - Additional Chief Secretary, Government of Karnataka, Bengaluru on 12th June, 2024.
 - Finance Secretary, Government of Jharkhand, Ranchi on 13th June, 2024.
 - Finance Secretary, Government of Chhatisgarh, Raipur on 18th June, 2024.

- The TMD has come out with fee calculator for reference by both tendering organisations and CA bidders. The said application was launched by the Council at its 432nd meeting held on 2nd-3rd July, 2024. This fee calculator is based on the minimum recommended scale of fees issued by the Council in February, 2020. The same can be accessed at <https://tmdicai.org/fees-calculator.php>.

8.12 Human Resources Directorate (HRD)

The role of HR Directorate is to plan and execute all HR functions (except those that are to be decided by the EC) including Manpower Planning, Recruitment, Transfers, Job Rotation, Performance Management, HR Policy, Employee Relations, Code of Conduct, Training & Development, HR information system, Organisation Development, Succession Planning, Compensation matters, Compliance/Legal, Employee Engagement etc. The Convenor of the HR Directorate is the Vice President – ICAI

Training conducted during the period

In order to increase the competency level of employees on the desired traits and skills by way of hands-on-training and through skill development initiatives, 4 batches of training and development programmes have been organized by the office on managerial skills development for the officers of the level of Assistant Secretary and above through reputed Business Schools such as IIM Ahmedabad and IIM Lucknow. Further, the office has also organised 36 internal trainings during the period for the employees on a variety of subjects, such as IT (MS Excel, MS Word, PowerPoint, Google Forms, Cyber Security, E-Office, Artificial Intelligence & ChatGPT), GeM-Portal, Health & Stress Management, Functioning of Regional Councils & Branches, CPE Guidelines and Regulations.

8.13 Grievance Resolution Directorate (GRD)

ICAI's newly launched Grievance Resolution Directorate is committed to ensuring an efficient grievance resolution mechanism and providing timely, high-quality service to ICAI's members and students. The initiative is designed to centralize communication, expedite the handling of complaints and inquiries, and ensure that each Committee, Department, Board and Directorate promptly addresses and resolves concerns. This initiative underscores ICAI's commitment to its members and students, ensuring their voices are heard and their concerns are addressed in a timely manner.

Grievance Resolution Channels: The Directorate utilizes various channels, including e-Sahayata (e-Tickets-<https://eservices.icai.org>), Call Sahayata-9997599975 (Voice support), and e-mails (member@icai.in & student@icai.in) to address grievances.

In summary, the Grievance Resolution Directorate acts as a vital link between stakeholders (students/members) and ICAI officials, ensuring efficient communication and satisfactory resolution of queries and grievances.

8.14 Specific Fund Management Directorate (SFMD)

A Specific Fund Management Directorate will guide and oversee the implementation of directions and decisions of the Managing Committee of the respective funds and to make suggestions regarding augmentation of resources, eligibility criteria for beneficiaries and disbursements, relating to the functioning of three funds namely The Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF), The S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund (SVAMF), The Chartered Accountants Students Benevolent Fund (CASBF) for achieving their objectives.

(I) Chartered Accountants' Benevolent Fund

The Chartered Accountants' Benevolent Fund (CABF) was established in December, 1962 with the objective to provide financial assistance to needy members of the Institute as well as their dependents on meeting the prescribed criteria, for maintenance of their emergent educational and medical needs etc. During Covid-19 Pandemic times, the Institute has also tried to help eligible members or their dependents who were in distress and released financial assistance for treatment of Corona Disease and also one-time Ex-gratia/Monthly financial assistance to the dependents of the deceased members.

The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31 st March, 2023	1,40,306
2.	Total Life Members as on 31 st March, 2024	1,40,473
3.	Total Additions of New Life Members (During 2023-24)	167

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31st March, 2024 (Rs.)	During the year ended 31st March, 2023 (Rs.)
1. Total Assistance provided	1,50,90,000	3,66,51,000
2. Surplus/Deficits of the Fund during the year	84,67,016	(1,37,93,000)
3. Balance of the Fund	84,67,016	(4,85,86,000)
4. Balance of Corpus	19,60,05,148	19,32,27,000

(II) S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The number of life membership of the Fund as on 31st March 2024 is 10,939. The balance in the Corpus Fund was Rs. 80,35,150/- as on 31st March 2024 as against Rs. 79,61,000/- as on 31st March, 2023.

(III) Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. The balance in the credit of the general fund was Rs.19,04,71,085 as on 31st March, 2024 as against Rs. 18,27,83,000/- as on 31st March, 2023.

8.15 Financial & Tax Literacy Directorate (FTLD)(under Committee on Financial Markets and Investors' Protection)

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) established the Financial and Tax Literacy Group (FTL Group) on July 1, 2021. The primary objective of the FTL Group was to enhance financial and tax awareness and education across India. As a dedicated wing aligned with the Government of India's national mission on Financial Literacy (*Vitiya Saksharta*), the mandate of the group was to focus on educating people about various aspects of financial management, including tax laws, accounting, and personal finance. By bridging the knowledge gap, it aims to increase compliance with tax regulations and promote financial literacy. In the year 2024, it was made a full-fledged Directorate. While the basic working remains the same, it further strives to enhance its reach to the wider population. The FTL Directorate's motto, "*Har Jan, Har Mann, Vitiya Gyan se Sampann*" reflects its commitment to empower individuals with informed financial decision-making skills. Through various initiatives, it demystifies financial concepts and tax-related matters for the layperson, fostering a more financially informed society. By empowering individuals with knowledge, the FTL Directorate contributes to their financial well-being and the overall economic development of the country.

ICAI's Financial & Tax Literacy Drive (*Vitiya Gyan – ICAI Ka Abhiyaan*) has been recognised and appreciated by the Hon'ble Finance Minister. The establishment of FTL Directorate reinforced ICAI's commitment to being a true '*Partner in Nation-Building*'. The FTL Directorate has undertaken various initiatives to empower individuals with the knowledge to make informed financial decisions, contributing to their financial well-being and the country's overall economic development. A key initiative is the envisioned development of a National Resource Centre, a beacon of Financial and Tax literacy in India, aimed at bridging the financial knowledge gap and supporting the Government of India's vision. The FTL Directorate has made significant strides in promoting financial and tax literacy across India. One of its primary efforts includes organising national awareness campaigns. These campaigns aim to increase compliance with financial regulations and reduce tax avoidance, both crucial for the country's economic development. The FTL Directorate has successfully conducted numerous campaigns, reached the masses and educated them about various aspects of finance and taxation.

The Financial & Tax Literacy (FTL) Directorate successfully undertook the following programs during 2023-2024:

- Conducted over 150 programs including Workshops, Seminars, Awareness Initiatives, Webinars, Quiz Competitions, Nukkad Natak, Pad Yatra, etc. at Regional Councils and Branches of ICAI – PAN India.
- Organised more than 65 programs on various topics of financial & tax literacy at schools and universities across India.
- Successfully executed a radio campaign, which was conducted in three phases across 44 locations nationwide, focusing on important topics like the Goods and Services Tax (GST), Income tax, Digital payments, etc. This campaign utilised jingles and RJ mentions to reach over 3.93 crore audiences in 12 vernacular languages.
- Launched the website www.vitiyagyan.icaai.org which provides easy access to financial & tax information and serves as a knowledge repository. The website is available in 12 major Indian languages and has attracted over 115,000 visitors. Presently, modules on 6 topics, i.e., Banking System and Loan Schemes of Govt., Dealing

with Financial Crisis, Digital Payments – Process and Safeguards, Retirement Planning and Succession, Saving and Spending, and Utility of Credit Cards are available on the website.

- Covered 12 series with daily Twitter posts on the topics of Banking, Dealing with financial crisis, Digital payments, GST, Income tax, Insurance, Mutual funds, Capital markets, Retirement and succession planning, Saving and spending, Utility of credit cards, and Digital personal data protection.
- Over 2000 CA members and CA students have taken the Sankalp/ Pledge through the “I Pledge - 2024” initiative to be representatives of the FTL Directorate and ardently proliferated to take financial literacy forward.
- The FTL Directorate collaborated with the FICCI Ladies Organisation (FLO) to organise monthly virtual events on various financial topics.
- The ICAI through its FTL Directorate entered into a Statement of Intent with the Capacity Building Commission of India (CBC) on 29th February 2024 for knowledge partnership. Subsequently, the FTL Directorate to develop content and e-learning videos for CBC on various topics of financial & tax literacy.
- The FTL Directorate collaborated with financial social media influencers (Finfluencers) to create and disseminate educational content, conduct interactive sessions, and engage with people on social media platforms.

8.16 Right to Information Act, 2005

The Right to information is implicitly guaranteed by the constitution. However, with a view to set out a practical regime for the citizens to secure information as a matter of right, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act, 2005. The basic objective of the Right to Information Act is to empower the citizens, to promote transparency and accountability in the working of very public authority. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under Section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the Institute have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (FAA).

Disclosure under Section 4(1) (b) of the Right to Information Act, 2005

Further, in terms of the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosures have been made by the Institute by hosting them on the website of the Institute www.icai.org and the same are updated from time to time. During the period, total 1,82,371 (one lakh eighty-two thousand three hundred seventy-one) applications have been received which include the applications requesting for certified copies of various examinations conducted by the ICAI.

8.17 XBRL

For the effective participation of the regulators, technologists, corporates and academicians in the endeavor of the Institute for the promotion of XBRL in India, the Institute has facilitated the incorporation of XBRL India as a section 25 company (currently under Section 8 of Companies Act, 2013) with the main objective of promoting and encouraging the adoption of XBRL in India as the standard for electronic business reporting in India through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL. Also, XBRL India has taken membership of XBRL International to facilitate and get updates of XBRL filing globally. XBRL India is an established Indian jurisdiction of XBRL International. Currently, XBRL India is developing and maintaining XBRL taxonomies for Ministry of Corporate Affairs (MCA).

(I) XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

Currently, there are two Taxonomies which are applicable to the companies:

- Ind AS Taxonomy
- Commercial and Industrial (C&I) Taxonomy

XBRL India always focused on its key area of operations i.e. development/ maintenance of Taxonomies for filing of financial statements under Companies Act. Accordingly, XBRL India has submitted Sample Instance Documents along with Business Rule for the testing purpose of taxonomies submitted to MCA in 2022. Further, the XBRL India finalizing the amendments required in Ind AS Taxonomy due to notification of Companies (Indian Accounting Standards) Amendments Rules 2023 notified by the MCA on March 31, 2023. In addition to development of taxonomies, queries/ issues faced by the filers with regard to taxonomies, while converting the Financial Statements to XBRL formats have been resolved.

(II) Development of new Taxonomies

Apart from Ind AS & C&I taxonomies applicable to specified class of companies, XBRL India would also take initiatives for development of taxonomies for various sectors –

- Non-Banking Finance Companies (NBFCs)

- Insurance Entities (both for life and non-life insurance companies separately)
- Municipal Corporation Sectors

(III) Admission of New Member

During the current financial year, a new member has been admitted thereby membership of XBRL India get broadened.

(IV) Participation in International activities

As a part of becoming a member of XBRL International, the contribution of XBRL India has not been limited to India. The Board members of XBRL India regularly represented India at various meetings/events of XBRL International. During the year, Board members participated in the meeting of XBRL International Member Assembly; 12th XBRL Asia Round Table at Tokyo and “Data Amplified 2023” XBRL International Conference at Zurich, Switzerland.

8.18 ICAI- Accounting Research Foundation (ARF)

ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) was established in January, 1999 to be developed as an academy for imparting, spreading and promoting knowledge, learning, education and understanding in the various fields related to the profession of accountancy. The following is the detail of projects undertaken by ICAI ARF:

- **Indian Railways: Work completed in the last one year**
 - Pilot Study to develop framework for Clearance of CWIP and transfer to FAR to be undertaken over NR based on the CWIP data received in FA-13 as on 31st March 2017.
 - ABFS of Indian Railways for the year 2021-22 submitted.

Work in progress:

- ABFS of Indian Railways for the year 2022-23.
- Data validation, Validation of FAR of Track, Preparation of FAR of Rolling Stock, and review of FAR data for FY 2017-18 to FY 2020-21.
- **Preparation of Study Material on Financial Reporting and Financial Risk Management for Certified Practising Accountants Papua New Guinea (CPA PNG):** ICAI ARF assisted CPA PNG in developing the Modules on Financial Reporting and Financial Risk Management taking into account the needs of nationals of PNG and other stakeholders in areas such as IFRS, International Taxation, Derivatives, Corporate Governance, Business Finance and alike. The Modules were submitted to CPA PNG.
- **Treasuries and Accounts Department, Government of Tamil Nadu:** ICAI ARF has undertaken the task to review and revise Tamil Nadu Treasury Code (Volume I and II); Tamil Nadu Account Code (Volume I, II and III) and Tamil Nadu Pay and Accounts Office Manual along with on the basis of present practices and IFHRMS with trail of all changes. During the year, the final draft has been submitted to Commissioner of Treasure and Accounts which is under approval.
- **Indian Ports Association (IPA):** ICAI ARF has been assigned the task to prepare common accounting framework for 11 major ports for compliance with Major Ports Authorities Act, 2021 and MPA (Accounts & Audit) Rules, 2021. The final Report on Common Framework for the preparation of annual accounts for major ports has been submitted to IPA. The significant accounting policies document for all ports is under preparation
- **Department of Handloom, Government of Tamil Nadu:** ICAI ARF has undertaken the project for the Department of Handlooms, Government of Tamil Nadu to assist in drafting a procedure manual for the realisation of assets of the Weavers cooperative societies in Tamil Nadu which are proposed for or pending in liquidation. The Standard Operating Procedure for the Liquidation Process of Handloom Co-operative Societies operating under the Government of Tamil Nadu has been submitted.
- **Certificate Course for Accountants of Panchayats & Municipal Bodies:** ICAI ARF executed the project of Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies through Board for Local Bodies Accountants Certification (i.e., BLoAC established under ICAI ARF). The Committee on Public and Government Financial Management (CPGFM) of ICAI is actively involved in development of course material and coordination for the conduct of the courses. The courses were formally launched on 16th November 2023 (Audit Diwas) and the registrations of these courses were initiated on 1st December 2023 through a dedicated website <https://lba.icaiarf.org.in/>

8.19 ICAI Registered Valuers Organisation

ICAI Registered Valuers Organisation is a section 8 Private Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enroll and regulate Registered Valuers or valuer member as its members in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto.

(I) Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:

- ICAI Registered Valuers Organisation has been focusing on building its membership base and conducting 50-hour educational course for its valuer members which is a precondition for becoming Registered Valuers and preparing educational material for the Educational Course.
- In this direction, from 1st April 2023 to 30th June 2024, ICAI RVO has conducted 12 online batches of the 50-hour Educational Course for the asset class ‘Securities or Financial Assets’ and 02 online batches for the asset class ‘Land and Building’ for members across the country.
- Till end of June 2024, a total of 78 batches of Educational Course have been conducted (76 batches for the asset class Securities or Financial Assets and 2 batches for the asset class Land and Building).
- As on 30th June 2024, 4535 members have been trained by ICAI RVO for its 50-hour Educational course of (4525 members under the asset class Securities or Financial Assets and 10 members under the asset class Land and Building).

(II) Online Classes of Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:

- Due to the outbreak of COVID-19, the Insolvency and Bankruptcy Board of India vide its issuance of guidelines dated 29th March 2022, has permitted to conduct the classes of Educational Course through Online mode. IBBI has further extended the validity of these guidelines, till further orders, vide Amendment dated 30th September 2022.
- For the time period 1st April 2023 till 30th June 2024, ICAI RVO has conducted 12 online batches and trained 550+ members for the asset class Securities or Financial Assets and 2 online batches for the asset class Land and Building and trained 10 members.

(III) Registration of Registered Valuers with IBBI:

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) under the Asset Class Securities or Financial Assets has registered a total of **2213 Registered Valuers**, out of which, **1097 Registered Valuers** are ICAI RVO members as on 30th June 2024.

And, under the Asset Class Land and Building, IBBI has registered a total of **2820 Registered Valuers**, out of which, **1 Registered Valuer** is ICAI RVO member as on 30th June 2024 (ICAI RVO has only recently forayed in this asset class).

(IV) Launch and regular updation of ICAI RVO Learning Management System

ICAI RVO has launched its Learning Management System which is an e-learning platform which delivers the concepts of the syllabus prescribed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India in the form of study material and supplemented by mock test in Multiple Choice Questions format. This Learning Management System facilitates the members who are primary members of ICAI RVO, in preparing for IBBI Valuation Examination.

The LMS is updated on a regular basis with new videos, presentations and questions, and, with our recent foray into the other 2 asset classes i.e. Land and Building, and, Plant and Machinery, efforts are underway to develop quality educational material for these asset classes as well for the benefit of its members.

(V) Continuous Educational Program

As a part of its Continuous Educational Program ICAI RVO has organised **48 training programs** on various topics related to valuation for its Registered Valuers for the Period 1st April 2023 to 30th June 2024.

(VI) Training Program on Soft Skills for granting COP to Registered Valuers.

The ICAI RVO has organised **6 training programs** on Soft Skills for granting Certificate of Practice (COP) to Registered Valuers for the Period 1st April 2023 to 30th June 2024.

(VII) Webcasts/Webinars conducted by ICAI RVO

ICAI RVO had conducted live webcasts and webinars as per the following details:

- Live Webcast on Learnings from the findings of Peer Review of Valuation Reports for the year 2022-23 on 13th July 2023.
- Webinar by ICAI RVO on Start-up Valuations – the state of art and future trends on 28th December 2023.
- Webinar by ICAI RVO on Standardisation of Valuation under IBC, 2016 on 12th January 2024.

- Live Webcast on Professional Opportunities within the Valuation Ecosystem on 21st June 2024.
- Webinar on Valuation under IBC-Best Practices by the Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI) in association with ICAI RVO on 28th June 2024

(VIII) Conferences organised by ICAI RVO

- Valuation Day Conference on 18th October 2024 in association with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), IOV RVF and ICAI RVO at IIC, New Delhi.
- Virtual Conference on International Women's Day on the theme '*Sustainability and Valuation: Gender Equity and Empowerment*' on 8th March 2024.
- Residential Refresher Course on Insolvency and Valuation, organised by Insolvency and Valuation Standards Board (I&VSB), ICAI Hosted by J&K Branch of NIRC of ICAI, in association with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI IIPI and ICAI RVO from 31st May to 1st June 2024 at Srinagar, Jammu & Kashmir.

(IX) 5th Foundation Day of ICAI RVO

On the occasion of the completion of its five-years journey of public interest, ICAI RVO commemorated its 5th Foundation Day during 14th - 15th May 2023 at the Park Hotel, New Delhi jointly with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), by organizing a 2-day conference on the theme "*Sustaining Public Interest through Valuation Ecosystem*".

The event was held in both hybrid and virtual mode and was graced by Hon'ble Mr. Justice (Retd.) Supreme Court of India as the Chief Guest and Whole Time Member, Insolvency and Bankruptcy Board of India as the Guest of Honour. The conference brought together various stakeholders from the valuation ecosystem viz Policy Makers, Regulators, Judiciary Members, Industry & Subject Experts along with Valuation, Accounting, Finance and Insolvency Professionals.

(X) Publications

ICAI Registered Valuers Organisation has issued the following Publications:

For the Year 2023-2024

- Quarterly Journal of ICAI RVO (Issue-3) April 2023
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Issue-4) July 2023
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Issue-5) October 2023
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Issue-6) January 2024
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Issue-7) April 2024
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Issue-8) July 2024

8.20 Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI)

Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI) is the first Insolvency Professional Agency of India awarded registration certificate by the then Hon'ble Union Finance Minister on 28th November 2016 at Delhi. IIPI has attracted members from a diverse stream including Chartered Accountants, Company Secretaries, Cost Accountants, Advocates and Management Professionals. IIPI has also networked with other national and international bodies in furtherance of capacity/knowledge building of stakeholders on one hand and providing value-added policy inputs for evolving law and practice of IBC, on the other. Out of total 4435 Insolvency Professionals registered with IBBI as on 30th June 2024, 2794 members, i.e., 63% are from IIPI. IIPI's members have so far handled 75% of the overall assignments of CIRP/Liquidation/Voluntary Liquidation, including many of the largest cases.

Key Initiatives

(I) Research Initiatives

- 6 Studies have been carried out and completed, and 4 publications, released. These are Roles of IPs across value chain of resolution from incipient stage to post resolution, Positive Roles of IPs in Resolution process, Improving Real Estate Resolution, Case Management Software, Contribution of IPs, Template for Avoidance Transactions and Successful CIRP/Liquidation Case Studies.
- 5 editions of quarterly research journal (The Resolution Professional) released so far, e-circulated nationally/internationally, well received by the members and stakeholders.

- A Research Committee has been constituted, as first of its kind initiative across IPAs with Research Fund with initial corpus of Rs.25 lacs having been created. The research program across 28 identified areas for development of insolvency ecosystem, has been launched informing 100s of institutions. Under the scheme, 5 projects have been approved.
- MoU signed with NLU-Delhi, for sponsoring PhD seat at NLU-Delhi for carrying out research on IBC, at a cost of Rs.12 lacs over next 3 years.
- A Survey has recently been conducted to seek the feedback of IPs in respect of challenges faced while dealing statutory authorities and enforcement agencies.
- A Study Report on 'Improving Real Estate Resolutions under IBC and co-ordination with RERA' has been published and circulated. This was preceded by IIIPI's interaction with All India Forum of RERA Chairmen at Lucknow.

(II) Capacity Building Initiatives

- A physical conference on 'Balancing Rights of Stakeholders under IBC' is being organised by the office and PHD Chambers of Commerce & Industry in association with IBBI on 23rd February 2024.
- IBC Conclave 2024 in association with ASSOCHAM was organised on 3rd February 2024.
- A program (virtual) was held on 'Prepack Insolvency Framework for MSMEs' jointly with World Association of MSMEs' (WASME) on 12th January 2024.
- A physical program was recently held on 'Stress Resolution – Role of Professionals' in Chandigarh on 6th January 2024 wherein Hon'ble NCLT J. Member, Chandigarh Bench joined as chief guest.
- Three Executive Develop. Programs (EDPs) being imparted to IPs for continuous professional education (CPE) viz. on
 - Managerial Skills under CIRP
 - Legal Skills on Court Processes under IBC
 - Forensic Skills on Avoidance Transactions under IBC.
- During the period, IIIPI organized over 60 nos. of educational/training programs, comprising seminars, webinars, workshops, roundtables, including those conducted jointly with organizations like World Bank, UKFCDO, International Insolvency Institute, USA.
- Alliance formalized with INSOL International-UK, for providing INSOL-UK's co-membership to IIIPI's members at significantly concessional terms. About 330 members have enrolled themselves.
- A virtual conference was held on the topic "Real Estate CIRPs – Challenges & Solutions" on June 23rd 2023 in the presence of Guest of Honour, Chairman, RERA (Bihar State).
- An IP Conclave (by IBBI in association with IIIPI, CIBC-ICAI and other IPAs) was held in Mumbai on 15th September 2023.
- A physical conference on 'Developing market for stressed assets in India' was organized by IIIPI in Delhi on 22nd Sept. 2023. Chairperson IBBI, joined the program as Chief Guest.
- Four open house interactive session with IBBI were held during the month of November-December 2023 on four subjects: -
 - CIRP related issues
 - Liquidation related issues
 - IP/IPE regulation related issues
 - Avoidance Transactions – Improving Outcome
- Discussion forum (web-based portal) for members to raise/respond queries of professional nature operationalized.
- MSME Helpline on Prepack Framework (PIIRP) supported by panel of expert IPs, operationalized.
- Mentorship program and online portal operationalized.
- Peer Review program and online portal operationalized.

(III) Brand Building Initiatives

- National Quiz on IBC was launched targeting students across law/management institutes.

- 7th Foundation Day was celebrated in December 2023 via physical program graced by WTM-IBBI, Chief Executive-IBA, former Chairperson IBBI among other dignitaries.
- Noteworthy among other capacity building programs, two programs jointly with UKFCDO on cross border framework. In one of these, Former Union Minister appeared as chief guest.
- An international conference (webinar) was conducted in March 2023 on the Avoidance Transactions – Improving Outcomes graced by expert speakers from UK, Hongkong, Singapore and India. Regulators from UK and India joined too.
- A physical conference on “Overcoming Emerging Challenges under IBC - Preparing IPA & IPs” was held in New Delhi on 16th June, 2023, joined by dignitaries including, Member-NCLT, Jt. Secretary-MCA, MD-SBI and ED-IBBI.
- Meetings/Discussions held with President-NCLT, Members-NCLT, Secretary-MCA, Joint Secretary-MCA, Secretary-MSME, ED-RBI, MD-SBI, Regional Director-SEBI, Officials of RERA (UP) in previous year(s).
- RERA Chairmen across Delhi, Mumbai and Bihar have been reached out for interactions on issues concerning IBC and RERA. Separately, a study group on ‘Improving Real Estate Resolutions under IBC and co-ordination with RERA’ has been constituted and is actively working on recommendations for improving outcomes under IBC and RERA Act. A virtual interaction of the members of the study group with Chairman - Maharashtra RERA has been conducted on 21st February 2024. Thereafter, a presentation was made by IIIPI on the real estate study group report to All India Forum of RERA Chairmen at Lucknow on March 19, 2024.
- Enforcement Agencies including Enforcement Directorate, Special Fraud Investigation Office (‘SFIO’), Central Bureau of Investigation Academy, National Police Academy – Hyderabad, Delhi Police Headquarters, Customs Enforcement Academy, have been approached for nominating their officials respectively for an interactive seminar. CBI Academy has also agreed to induct sessions on IBC during their regular training to their officials wherein IIIPI can nominate experts/speakers on the subject matter. The first such training session was conducted on 15th December 2023.
- A physical International Conference on ‘Cross Border and Group Insolvency in India: Challenges and Opportunities’ was organised on 13th April 2024 wherein Justice, Former Judge Supreme Court & Former Chairperson NCLAT, was the Chief Guest. Other Guests of Honor included Member-NCLT and WTM-IBBI.
- A webinar on ‘International Insolvency- Best practices’ for SAFA members was organised on 20th March 2024.
- A physical meeting was held with the Ministry of Housing and urban affairs to deliberate on IIIPI’s study group report on the subject of ‘Improving Real Estate Resolutions under IBC and co-ordination with RERA’.

8.21 The Institute of Social Auditors of India (ISAI)

The Institute of Social Auditors of India (ISAI) is incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 on October 07, 2022 under the aegis of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) as Self-Regulatory Organization with prime objective to be a leading institution for developing an independent, ethical and world-class Social Auditors profession responding to needs and expectations of the stakeholders. ISAI will enroll, regulate and develop the Social Auditors in an independent and transparent manner and will also work on capacity building of the social auditors through continuous professional education and training.

(I) Concept of Social Auditors

The Finance Minister in the Budget speech of 2019-2020 for the first time proposed the concept of a Social Stock Exchange which will be “under the regulatory ambit of Securities and Exchange Board of India (SEBI) for listing social enterprises and voluntary organizations working for the realization of a social welfare objective so that they can raise capital as equity, debt or as units like a mutual fund.”

Subsequently, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its notification dated 25th July 2022 has amended the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“LODR Regulations”) and SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 (“AIF Regulations”) to provide a broad framework for Social Stock Exchange. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 defines Social Auditors as an individual registered with a Self Regulatory Organization under the Institute of Chartered Accountants of India or such other agency, as may be specified by the Board, who has qualified a certification program conducted by National Institute of Securities Market and holds a valid certificate.

(II) Governing Board of ISAI

ISAI functions through its Governing Board which comprises of minimum of Twelve Directors i.e

- Chairperson, having rich experience in social sector/ impact assessment or he may be from a renowned academic institution.

- Five Central Council members of ICAI/ Sustainability Reporting Standards Board with relevant experience
- One person to be nominated by Securities and Exchange Board of India (SEBI)
- One person to be nominated by Ministry of Corporate Affairs (MCA)/ Ministry of Home Affairs (MHA)/ Ministry of Social Justice & Empowerment
- One person nominated by Capacity Building Fund
- One person nominated by Social Stock Exchange
- One member from thematic areas of the social sector
- One member having cross sectoral experience in social sectors

(III) Governing Board meetings

3 (Three) Governing Board meetings were convened at the Registered office of the Company for the period April 01, 2023 to March 31, 2024,. The 1st Annual General Meeting (AGM) of the Company was held on September 30, 2023. The Annual Return and financials have been filed with MCA.

(IV) Sub-Committees of ISAI

There are 7 Sub-Committees constituted in terms of the bye-laws of the Company to regulate the working of the Company in the most transparent and efficient manner. These sub committee comprises of members of the Governing Board and also market experts in the advisory role. Following are the sub committees of ISAI:

- Advisory Committee
- Membership Committee
- Monitoring Committee
- Grievance Redressal Committee
- Appellate Committee
- Disciplinary Committee
- Editorial Board

Three Membership Committee meetings were convened on July 24, 2023, August 23, 2023 and January 05, 2024 through virtual/physical mode wherein important decisions related to allotment of membership of ISAI were taken. One Search committee meeting was conducted on January 05, 2024 to discuss and deliberate on the pending nomination on Governing Board of ISAI.

(V) Registration of Social Impact Assessors (earlier Social Auditors)

ISAI launched the separate registration portal on April 28, 2023 <http://registration.isai.ca.in/> and started registering Social Auditors on its website <https://isai.ca.in/>.

After qualifying NISM Series-XXIII: Social Impact Assessors (earlier Social Auditors) Certification Examination, the applicant is required to enroll with the ISAI. ISAI has registered more than 550 Social Impact Assessors (earlier Social Auditor), the details of which are available on its website.

(VI) Online Training Course on "NISM Series XXIII: Social Impact Assessor (earlier Social Auditors) Certification Examination"

ISAI has also started online training course to facilitate preparation for "NISM Series XXIII: Social Impact Assessor (earlier Social Auditors) Certification Examination". The online classes cover all 11 chapters of the NISM Study material covered in 21 study hours with expert faculties, FAQs for each chapters, case studies and illustrative examples. ISAI has successfully completed Four (4) batches of online training course and have trained 297 participants for the "NISM Series XXIII: Social Impact Assessor (earlier Social Auditors) Certification Examination".

(VII) Webinars:

ISAI has organized the following webinars for capacity building and creating awareness about the Social Stock Exchange, Social Audit and Social impact Assessment with the stakeholders and to the public at large:

S. No	Topic	No. of Participants
1	Registration and Listing of Social Enterprises on Social Stock Exchange	More than 800 participants

2	Social Impact Assessment- Beginners Perspective	More than 400 participants
3	An Overview of the Social Stock Exchange Annual Impact Report	More than 120 participants
4	Process of Social Impact Assessment	More than 200 participants

8.22 Quality Review Board (QRB)

In exercise of the powers conferred u/s 28A of the Chartered Accountants Act, 1949, Central Government of India has constituted the Quality Review Board (QRB) on 28th June 2007 as an independent body to review the quality of services rendered by Chartered Accountants in the country and its review process contributes towards an increasingly robust and transparent financial reporting system in the country. The constitution of the QRB comprises of a chairperson & five members appointed by the Central Government, and five members nominated from the Council of the ICAI.

As per Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949, the Quality Review Board shall perform the following functions: -

- To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of the Institute.
- To review the quality of services provided by the members of the Institute including audit services.
- To guide the members of the Institute to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.
- To forward cases of non-compliance with various statutory and regulatory requirements by the members of the Institute or firms, noticed by it during the course of its reviews, to the Disciplinary Directorate for its examination.

QRB has been given a mandate to review the quality of all the services provided by the members of ICAI, however, currently the Board is involved in review of audit services only. After the formation of National Financial Reporting Authority (NFRA) by the Central Government in the year 2018, the QRB is authorised to conduct review of the quality of the audit services for entities not falling under Rule 3 as well as the companies referred to the QRB under Rule 9(4) of NFRA Rules, 2018.

During the period covered by the Report, QRB completed 47 reviews of audit quality. Out of these 47 reviews:

Sl.No.	Particulars	Reviews of Audit Quality
1	Number of cases where QRB issued advisories to concerned Audit firms for improvement of the quality of audit services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements in terms of the requirements of clause (c) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949	37
2	Number of cases forwarded by the QRB to the Disciplinary Directorate for its examination in terms of the requirements of clause (d) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949	5
3	Number of cases filed i.e., cases where no was action taken	5
Total Reviews		47

9. OTHER MATTERS

9.1 Chartered Accountants' (CA) Day – 1st July, 2023

The momentous occasion of 75th Chartered Accountants' Day was celebrated with great enthusiasm and zeal across the Country and Globe on 1st July, 2023,. On the historic occasion, a commemorative Logo and an ICAI Stamp signifying ICAI's 75 years journey of excellence was unveiled recognizing the remarkable contributions of Chartered Accountants in the economic development of the nation, exemplifying unwavering integrity, competence, and professionalism as Partner in Nation Building. The esteemed presence and blessings of the Chief Guest- Hon'ble President of India, and Guest of Honour- Hon'ble Minister of State for Corporate Affairs, was the highlight of the event. During the celebration, the new Education and Training Scheme, aligned with the International Standards and National Education Policy 2020, was unveiled. The Hon'ble President of India lauded the collaborative and pivotal role being played by the Chartered Accountants as "Pillars of Economic Governance". She acknowledged CAs

dedication and hard work, and further added, “The journey to becoming a CA is a testament to the dedication and hard work of exceptional professionals. The Hon’ble Minister acknowledged the remarkable journey of ICAI over the years, emphasizing its contribution to the financial stability and economic development of the country and encouraged the profession to leverage its expertise in meeting the country’s expectations.

9.2 Central Council Library

The Central Council Library of the Institute caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and up to date collection of primary and secondary print and non-print material to the present and anticipated members/students, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty- library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icai.org under “Central Council Library”-online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the Column “Accountants Browser”, an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal “The Chartered Accountant”. One may note that The “Accountants Browser” is an index of important/Professional Articles with archives of past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members.

A number of online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icai.org – Central Council Library. These On-line knowledge databases have been installed in the Central Council Library and can be accessed in house only, to facilitate the search for required material by the Members, Faculties and Research Scholars. Several e-journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council library at Head office and Noida library respectively for the financial year 2023 – 24 are mentioned as under.

CENTRAL COUNCIL LIBRARY (H.Q).

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print)- national & International	24
2.	Online Resources	18
3.	No. of new arrival Books added during the period	320

CENTRAL COUNCIL LIBRARY SEC.62, NOIDA

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print) - national & International	13
2.	Online Resources	17
3.	No. of new arrival Books added during the period	279

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties & other stakeholders with the latest & upto date knowledge and information.

9.3 Editorial Board

The Editorial Board is a specialized non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) dedicated to the mission of consistently providing members with professional knowledge and relevant matters through the journal, *The Chartered Accountant*. This journal empowers members by enhancing their professional knowledge and enjoys immense value among its readers, with a circulation exceeding 400,000, including both e-journal and printed copies.

The Chartered Accountant is one of the leading professional journals, reflecting ICAI's intellectual prowess and reinforcing the Institute's strong brand equity among members, students, and other stakeholders. The Editorial Board is committed to its mandate of keeping readers and ICAI members informed about the latest advancements in the accounting profession, promoting professional knowledge, and disseminating new ideas, insights, and information about ICAI and the accounting field.

Significant achievements

(I) INITIATIVES TOWARDS DEVELOPING NATION

The Editorial Board by disseminating professional knowledge, as well as introducing international trends and developing practices through its monthly journal, ‘The Chartered Accountant’, has steadfastly worked towards

advancing the development of nation by improving competence and capability of its constituents. Several significant initiatives in this direction include the following:

- **Knowledge Enrichment through Articles:**

During the period articles on diverse and contemporary professional topics were published in the ICAI Journal, in addition to other regular features of professional interest. With an intent to keep members abreast of latest professional knowledge, special issues were brought out on Financial Literacy Startups, MSMEs, GST, Sustainability, IBC and other technical subjects

(II) Members/Students Initiatives

The Editorial Board has been proactively working for the knowledge upgradation and professional enrichment of the Members and Students through its monthly journal, *The Chartered Accountant*. Some important initiatives in this regard are as under:

Qualitative coverage in *The Chartered Accountant Journal*:

- **Blend of themes covered:** During the period, 196 articles on various themes and professional topics were included in the ICAI Journal. In addition, the journal also included other regular features that covered updates about the ICAI and its activities in coordination with various ICAI Committees.
- **July 2023 Issue brought Out as Special Edition:** The July 2023 issue, *coinciding with CA Day; ICAI entering in its 74th year* was brought out as Collector's Edition especially as ICAI entered and celebrated its 75 Years of Trust. This special issue embodied the spirit of celebrating 75 Years of Trust in the service to the nation by publishing around 19 articles specially authored for the journal by national personalities from Government, Industry and regulators sharing the perspective and Vision for New India and Profession as India move towards becoming self-reliant by 2047.

Besides, the Journal also carried inspiring CA Day messages from 19 prominent dignitaries that included President of India, Hon'ble Speaker of the Lok Sabha, Hon'ble Minister of Home Affairs & Cooperation, Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles, Hon'ble Minister of Women & Child Development and Minority Affairs, Hon'ble Governor of Arunachal Pradesh, Hon'ble Governor of Chhattisgarh, Hon'ble Governor of Goa, Hon'ble Governor of Nagaland, Hon'ble Lieutenant Governor of Puducherry, Hon'ble Governor of Rajasthan. Further, special coverage of Vision of ICAI Former Presidents and CAs who are Global leaders were covered elaborating on the role of chartered accountants and accountancy profession in nation building.

The issue also carried the special feature *Down the Memory Lane* comprising *Reflections on a Glorious Indian Accountancy Profession: A Photo Journey, ICAI Stamps, Journey of Excellence, Write-ups on Struggle for the Designation of 'Chartered', Speech of First President of India, In quotes – through the eyes of the luminaries and Tracing the Roots – Icons of ICAI*. The cover page of the journal portrayed New Logo on 75 years spearheading the dynamic spirit the accounting professions and ICAI's contributions during the last 74 years focusing Building New India.

Many Aspects of Digital Versions of *The Chartered Accountant- Journal Upgraded for the convenience of Members and Students:*

- *Journal in PDF format:* As a valued added alternative to readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format. The archives of digital journal are available on ICAI website from July, 2002 onwards.
- *Journal on Digital Learning Hub:* The electronic version of Journal, is available online on ICAI website www.icai.org as user-friendly e-magazine, is included in the Digital Learning Hub. This helped in providing knowledge through ICAI Learning Management System, besides supporting the Sustainability Drive of the ICAI.
- *Journal Highlight Emailers:* The highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are mass-emailed to all the members.
- *Journal on Mobile:* The e-journal is also available on mobile, compatible on iOS (IPad/IPhone etc.) and Android devices. The same can be accessed at <http://www.icai.org/> under 'e-journal' tab. The e-journal is also available on ICAI Mobile App.

10. MEMBERS

10.1 Membership

During the year ended 31st March, 2024, 24,998 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 4,03,617 as on 1st April, 2024. During the year ended 31st March, 2024, 3,595 Associate members were admitted as fellows, in comparison to the figure of 2,559 in the previous year.

Total Members as on 01.04.2024

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	95232	55877	151109
In Part-time Practice	2017	5095	7112
Not in Practice	18468	226928	245396
Total	115717	287900	403617

10.2 Convocation

Since November 2008, the Institute has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. During the year 2023-24, ICAI has successfully organized “Convocation 2023” inviting members enrolled from 1st October, 2022 to 20th October, 2023 at 12 places at Mumbai, Pune, Ahmadabad, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kolkata, Ghaziabad, Indore, Jaipur, Ludhiana and New Delhi.

STATISTICS MEMBERS AS ON 01/04/2023

FELLOWS	:	In Full Time Practice	95232
		In Part-time Practice	2017
		Not in Practice	18468
			<u>115717</u>
ASSOCIATES	:	In Full Time Practice	55877
		In Part-time Practice	5095
		Not in Practice	226928
			<u>287900</u>
TOTAL MEMBERSHIP :			<u><u>403617</u></u>

	FELLOWS				ASSOCIATES				Grand Total
	In Practice				In Practice				
<i>Region</i>	Full Time	Part Time	Not In Practice	Total	Full Time	Part Time	Not In Practice	Total	
Western	28044	517	5265	33826	18492	1766	77986	98244	132070
Southern	20135	551	4299	24985	10555	1277	50249	62081	87066
Eastern	8313	148	1579	10040	3572	319	15135	19026	29066
Central	20054	345	2834	23233	12628	713	41496	54837	78070
Northern	18686	456	4491	23633	10630	1020	42062	53712	77345
TOTAL	95232	2017	18468	115717	55877	5095	226928	287900	403617

11. BOARD OF STUDIES

The Board of Studies plays an instrumental role in shaping the careers of aspiring CA students by providing them a host of educational inputs, imparting training on Information Technology and Soft Skills, guiding and mentoring them in their goal of becoming a qualified Chartered Accountant. In its endeavour to provide a strong foundation of professional knowledge, professional skills and professional values, the BoS provides its students quality Study Materials, Revisionary Test Papers and Mock Test Papers for each subject of the CA

course. Live learning classes and MCQ Paper Practice Dashboard are some of the digital initiatives of BoS to facilitate student learning and preparation for their examinations.

Apart from developing the various educational inputs for students undergoing Chartered Accountancy Course, the Board of Studies conducts batches of Orientation Course, Information Technology, Advanced Information Technology and Management & Communication Skills Training Courses to equip CA students with competencies and professional skill sets looked up by business houses in view of the ever-evolving business environment. The Board also conducts various other activities such as Conferences, Seminars, National Talent competitions, students' festival, sports activities, etc. for imbuing essential soft skills to enhance the overall confidence of the CA students. Scholarship grant is also being given to the Intermediate and Final Students of ICAI. At present, the students can apply online for the Scholarship grant by login at Self Service Portal (SSP). The students have been facilitated to submit online application.

In the year 2024- 2025, Students Skills Enrichment Board (Board of Studies – Operations) was merged with Board of Studies.

(I) Initiatives for Students


• Launch of ICAI Digital Learning Campus Portal: Self-Paced Online Modules (SPOM) SET A and SET B

The Board of Studies of ICAI has launched ICAI Digital Learning Campus Portal on 7th May, 2024. It provides an enriched and flexible learning experience to the students in alignment with the New Scheme of Education and Training wherein students are required to complete the minimum prescribed 40 learning hours of Self-Paced Online Modules in both **SET A: Corporate and Economic Laws** and **SET B: Strategic Cost & Performance Management** as available on the ICAI Digital Learning Campus <https://lms.icai.org/login>

Salient Features of SPOM:

- **Exclusive Access:** Only students registered for the Final Course can access SPOM courses, allowing to learn at own pace, anytime and anywhere.
- **No Additional Fees:** SPOM courses are available at no extra cost.
- **Progress Tracking:** Monitors learning journey and tracks progress through the ICAI Digital Learning Campus dashboard.
- **Proctored Learning:** The ICAI Digital Learning Campus ensures a proctored learning environment to maintain the integrity of the courses.

The current Learning statistics of Self-Paced Online Module Learning completed by the students are as under:




• Multiple-Choice Questions (MCQ) Paper Practice Assessment Dashboard

Multiple-Choice Questions (MCQ) Paper Practice Assessment Dashboard was launched by the President, ICAI and Vice-President, ICAI on 1st July, 2023 during the 422nd Meeting of the Council. The objective of the same is to facilitate students to self-assess their understanding and clarity on each chapter in the subject. The salient features of the Dashboard are as under:

- It provides a user-friendly platform at BOS Knowledge Portal (<https://boslive.icai.org/>) and ICAI-BOS Mobile app to students at all the levels – Foundation, Intermediate, and Final.
- Paper-wise / Chapter-wise performance can be tracked by the students.

- Students can select Simple, Medium and Difficult MCQs/Case Scenarios as per their preparation.
- 20 MCQs to be attempted in 20 Minutes. Extra time, if taken, would be reflected in the Performance Report.
- New MCQs/Case Scenarios uploaded from time to time.

Statistics of MCQ Paper Practice Assessment Dashboard as on 30th June 2024 are as under:



• Live Virtual Classes

In order to bridge the distance learning gap as well as supplement the learning and preparation for examinations of our students, the Board of Studies is conducting free Live Virtual Classes (LVC) for ensuing CA examinations for the students of Foundation, Intermediate and Final courses. These classes are aided with 101+ guest faculties, 3,678+ subject-specific recorded lectures, and can be viewed anytime, anywhere, any place at (<https://boslive.icai.org/>) and ICAI-BOS Mobile app (Android/iOS). These lectures are also available at ICAI CA Tube <https://www.youtube.com/@theicai/playlists>

Notable Features

- Free Live Classes
- Classes can be accessed live or viewed later as recorded lectures through hand-held devices such as smart phones, laptops, iPads, tablets, etc. anytime anywhere.
- Recorded Lectures with Unlimited Access.
- Sessions taken by Renowned Subject Experts.
- Separate section of Notes/Assignment/MCQs.
- Exam oriented focused approach
- Doubts are resolved on real time basis

Statistics of Live Learning Classes are as under:

Particulars	November/December, 2023 Examination		May/June, 2024 Examination		September/ November, 2024 Examination	
	Launched	Viewership	Launched	Viewership	Launched	Viewership
Foundation	7 th Batch on 12 th June, 2023	7,13,781	1 st Batch on 18 th December, 2023	6,65,630	2 nd Batch on 27 th April, 2024	1,17,455
Intermediate	7 th Batch on 10 th March, 2023	13,98,656	1 st Batch on 25 th September, 2023	15,68,424	2 nd Batch on 27 th April, 2024	2,06,141
Final	6 th Batch on 10 th April, 2023	6,90,904	1 st Batch on 25 th September, 2023	4,16,862	2 nd Batch on 27 th April, 2024	66,912

Under the New Scheme of Education and Training, the first batch of live learning classes for Intermediate and Final commenced on 25th September 2023 and the first batch of live learning classes for Foundation commenced on 18th December, 2023.

- **ICITSS and AICITSS Courses**

The Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS) consisting of Information Technology (IT) and Orientation Course (OC) and Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS), consisting of Advanced Information Technology (Advanced IT) and Management and Communication Skills (MCS) Course, each of 15 days duration, forms one of the most important component of the Chartered Accountancy course, which every student has to undergo at intermediate and final level of the Chartered Accountancy course respectively. Students trained for the ICITSS & AICITSS Courses during the period are as under:

Course	No. of Batches	No. of Students trained
MCS Course	1,006	40,372
Advanced ITT	1,316	42,455
Information Technology	1,765	56,500
Orientation Course	1,418	59,869
Grand Total	5,505	1,99,196

- **Board of Studies Twitter Handle**

The Board took an important step in enhancing communication by establishing its official Twitter handle, accessible at <https://twitter.com/bosaicai>, starting from 25th July, 2023. This platform serves as an avenue to keep the students, members, and other stakeholders informed about the latest initiatives of the BoS(A). As on date, BOS Twitter handle is having 25,800+ engaged followers and academic and administrative queries are being addressed by support team.

- **Mock Test Papers (MTPs)**

The Board of Studies organizes Mock Test Papers in the months of March, April, September and October **in physical as well as virtual mode**, for the students appearing in May/June and November/December Examinations. These Mock Tests enable students to assess their level of preparedness. The Board has recently revamped its Online Mock Test Module for students as well as branches/regions for easy access of Question Papers and Answers. Students of all 3 levels are having their own Dashboard for Mock Test Series on (<https://boslive.icai.org/>) as well as ICAI BOS Mobile App where they can access the Schedule of Mock Test Series. Question Papers and Answers, uploaded within the allotted time period, can be downloaded by the students from the Dashboard. The statistics of Mock Test Papers conducted by Regional Councils and Branches for May/June 2023, November/December, 2023 & May/June 2024 examinations are as under:-

For May/ June 2023 Examination:

Mock Test Series-I	Branch/ Reginal Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Final	131	14,826	4,941
Intermediate	110	20,687	8,229
Foundation	117	42,995	8,732

Mock Test Series-II	Branch/ Reginal Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Final	102	15,404	6,405
Intermediate	105	21,665	11,556
Foundation	112	34,845	6,984

For November/December 2023 Examination:

Mock Test Series-I	Branch/Regional Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Final	101	21,617	3,132
Intermediate	110	32,015	6,464
Foundation	113	38,488	14,347

Mock Test Series-II	Branch/Regional Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Final	101	22,276	6,502
Intermediate	110	32,809	16,865
Foundation	109	39,812	6,268

For May/ June 2024 Examination:

Mock Test Series-I	Branch/Regional Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Final	103	30,812	4,941
Intermediate	109	59,155	8,229
Foundation	86	28,753	8,732

Mock Test Series-II	Branch/Regional Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Final	97	27,700	6,502
Intermediate	105	51,144	16,865
Foundation	91	24,015	6,268

Mock Test Series-III	Branch/Regional Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Foundation	84	23,006	6,502

- **Success at CA. Exam: Sessions taken by BOS Faculty**

After the conduct of Mock Test Papers, BoS faculty provide subject-specific guidance to the students with respect to each paper at all levels for making their academic path smooth and easy. The details of these Sessions are as under:

Course	Examination	No. of Students who viewed these sessions
Intermediate and Final	May 2023	16,000 +
Foundation	June 2023	13,000 +
Intermediate and Final	November 2023	19,000 +
Foundation	December 2023	12,400 +

Intermediate and Final Series-I & Series-II	May 2024	24,158+
---	----------	---------

- **Release of Revisionary Test Papers**

Revision Test Papers (RTPs) are webhosted in the month of January/February for May examination and July/August for November examination. The RTPs contain the latest updates/amendments relevant for the particular examination. The RTPs incorporate a variety of questions in each subject to assist the students in revision, including questions on amendments. In subjects where the assessment is partially MCQ based, RTPs also include case scenarios and MCQs. The RTPs are also made available in Hindi language.

- **Release of Suggested Answers**

Suggested Answers are prepared to assist the students in education and preparing for the forthcoming examination. Accordingly, Suggested Answers for May examination are webhosted in the month of September and Suggested Answers for November examination are webhosted in the month of March. The Suggested Answers are also made available in Hindi language.

- **ICAI-BOS Mobile App and BoS Knowledge Portal Users**

ICAI-BOS Mobile App and BoS Knowledge Portal serve as a holistic platform, offering a comprehensive package of educational resources to our students. 6,50,725 students are utilizing the Mobile App & BOS Knowledge Portal. Till now, the BoS Faculty have answered 23,141 subject-specific queries of students. Moreover, students can track and view their past queries in ICAI BOS Mobile App. Students can download Android and iOS versions of this mobile app from Google and Apple Play Stores.

(II) Initiatives towards skill building of Students

- **International Conference of CA Students**

The International Conference of CA Students has been successfully organized by Students Skills Enrichment Board on 29th - 30th December, 2023 at Ahmedabad on the theme "अरोहण" Conquering the New Horizons with Integrity & Innovation hosted by the Ahmedabad Branch of WIRC of ICAI. The Conference was inaugurated by Hon'ble Governor of Gujarat and eminent motivational speakers also addressed the CA Students from across the country including CA Students from Sri Lanka, and Bangladesh as Paper Presenter or participants in the said conference.

ICAI, through the Board of Studies (BoS), organized two-day International Conference of CA Students at Biswa Bangla Convention Centre in Kolkata on 22nd and 23rd June 2024. The event witnessed the participation of more than 3600 students from across the globe, setting a record attendance at the International Conference of CA Students. The conference united accountancy students from India and abroad, allowing them to engage with peers from diverse countries. Participants presented their research and insights through papers on a broad spectrum of subjects. The theme of the conference, "Drishti se Srishthi", emphasized innovative viewpoints aimed at expanding the horizons of students within the accounting community. The Vice-Chancellor of the University of Calcutta was a distinguished guest at the conference.

Over the course of two days, participants engaged in a series of enlightening sessions and discussions. Technical sessions covering areas such as Taxation (which included topics on Transfer Pricing Demystifying, Taxation of Digital Assets and The Present & Future of E- Invoicing), Auditing (which included topics on Innovation in Integration of ESG Factors in Audit Procedures, Social Stock Exchange- Emerging Role of CAs and Global Outsourcing Trend vis a vis Vikshit Bharat), Artificial Intelligence & the Digital Metamorphosis (which included topics on Cyber security for Finance Professionals, The Role of AI in detecting Financial Fraud and AI- A Designer's Friend or Enemy) and Charting Horizons- CAs Beyond Accountancy (which included topics on Fintech Revolution- Challenges and Opportunities, Ethical Considerations in Digital Auditing and Indian MSMEs on Canvas of Global Economy) were on the agenda. The Special Sessions covered the topics- Igniting Mind and Passion, Why Passing CA Exam is First Priority and How to Do it, Right Time to Start Investment Journey and A Life Well Lived: Think Different, Be Different, Succeed Different. The Conference was hosted by EIRC and EICASA of ICAI.

- **Conference for CA students across the country**

CA Students Conferences were organized by Board across the country. In CA Students Conference CA students can participate as a paper presenter, a volunteer or a participant to sharpen their knowledge on contemporary topics and at the same time listen to the words of wisdom of eminent speakers and leader of profession on contemporary topics, opportunity and challenges emerging ahead. Carrying this objective to groom CA Students as future leaders, the Board organized Student Conference all over India which were hosted by the respective Branches and Regional Councils of ICAI. In addition to International Conference, 14 National Conferences, 19 Mega Conferences and 17 State Level Conferences were organized.

14 National Conferences were organized by the Board and hosted by Ernakulam Branch, Indore Branch, Mangalore Branch, EIRC of ICAI (Kolkata), Jaipur Branch, jointly by Raipur, Bhilai & Bilaspur Branches, Visakhapatnam Branch, NIRC of ICAI (New Delhi), SIRC of ICAI (Chennai), Hyderabad Branch, Ludhiana Branch, WIRC of ICAI (Mumbai) and Pune Branch. 19 Mega Conferences were organised by the Board and were hosted by Guwahati Branch, Nagpur Branch, Aurangabad Branch, Pimpri Chinchwad Branch, Ghaziabad Branch, Kozhikode Branch, Vasai Branch, Bhubaneswar Branch, Bengaluru Branch, Jalandhar Branch, Chandigarh Branch, Coimbatore Branch, Faridabad Branch, Thane Branch, Surat Branch, CIRC of ICAI (Kanpur), Bhilwara Branch, Ranchi Branch and Bhopal Branch. 17 State Level Conferences were organized by the Board which were hosted by Amravati Branch, Meerut Branch, Jamnagar Branch, Agra Branch, Nashik Branch, Salem Branch, Ahmednagar Branch, Kalyan Dombivli Branch, Kolhapur Branch, Jabalpur Branch, Rajkot Branch, Kumbakonam Branch, Madurai Branch, Pondicherry Branch, Jalgaon Branch, Patna Branch and Bikaner Branch.

- **Students Activities at Branches & Regional Councils**

The Student Activity Portal helps the students to register for various students' programmes being organised by Regional Councils and Branches. It helps in the systematic management of student activity at the level of programme organising units and Board of Studies. During the period of the report, 1130 Programmes have been registered on the portal.

- **Upgradation of existing Classrooms of IT, OC, MCS and Adv. IT into Smart Classrooms concept having advanced technology across all POUs**

With the advancement of technology in the field of education & training across the world and with a view to standardize and ensure uniform delivery of Soft Skills & IT training to CA Students across all Regional Councils and Branches of ICAI, with respect to commissioning, installation and training for Smart Classrooms across all Regional Councils and Branches of ICAI wherein Interactive Flat Panel (IFP) of 75 inches with OPS (CPU) and Audio Video equipment were installed in the existing IT and Soft Skills Centres. Under Phase I, 20 locations were covered by installing 81 smart classrooms equipment and under Phase II, 75 locations were covered by installing 156 smart classrooms equipment.

- **Practical Training Modules for CA Students**

As an initiative to aid and standardize the practical aspects of Practical Training for CA Students undergoing Articleship, a series of live Webinars were organized by Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) on Fridays from 5.00 PM to 6.30 PM on practical aspects of topics relevant for the CA Students which were dealt by the eminent experts. Live Webinars were conducted on 21st April, 2023, 26th May, 9th June, 23rd June, 7th July, 21st July, 4th August, 4th December, 2023, 8th Dec., 2023 and on 12th January, 2024. These live webinars were conducted covering modules on CARO Practical Issues & Reporting, Crowded Cafes Empty Libraries and Art of Fast Reading for Academic & Non-Academic purpose in the age of Digital Distraction for CA students, how to read the books like reels, let's play Excel Court with financial functions "Usage of Financial Functions for Financial Modeling in excel", empowering Analytical skills through Power BI, let's Hit Sixer the 10 Tough Balls in the Excel Ground, Data Visualization using Power BI, Data Visualization using Tableau and Youth for Global Harmony on the occasion of Youth Day Celebration on the sidelines of National Level CA Students Talent Search held at Indore. These Webinars were recorded and now also available on ICAI DLH platform.

- **Participation of ICAI Students in 2nd International CA Students Conference organized by ICAN at Kathmandu, Nepal**

Based upon the request received from the Institute of Chartered Accountants of Nepal, 4 students were nominated by ICAI from among the Rank Holders of CA Exams and Winners of National Level of CA Students Talent Contests to participate in the 2nd International Conference held on 29th June, 2023 at Kathmandu, Nepal organized by ICAN, Nepal. Out of these 4 students, 2 students had presented papers in the said International Conference.

- **Four Weeks Residential Programmes organised at Centre of Excellence Jaipur and Hyderabad**

The batches of Four Weeks Residential Programme on Professional Skills Development were conducted by the Board with the objective to offer a unique opportunity for CA students in imbibing the professional Skills required for effective functioning in business organizations while providing professional services. The program environment focuses on the development of communication, interpersonal, teamwork, problem-solving & leadership skills of participating students. Six batches of Four Weeks Residential Programmes were conducted by the Board during 2023-24 at CoE Hyderabad for girl Students and at CoE Jaipur for boy Students.

- **National Level of CA Students National Talent Contest, 2023-24 - Elocution Contest and Pitch Deck Competition**

National Level (Grand Finale) of CA Students National Talent Contest, 2023 - Elocution Contest and Pitch Deck Competition was organized by SSEB on 28th June, 2023 at Mumbai. The Pitch Deck Competition is organized for

the first time under the banner of CA Students National Talent Contest, 2023 and the Board received an overwhelming response from the students. These contests were conducted at three level, first at Branch Level, second level winners of Branch Level participated at Regional Level organized by five Regional Councils and finally the winners of Regional Level participated in National Level on 28th June, 2023. Top two winners of Elocution Contest and top two teams of Pick Deck Competition were awarded by cash prize. The participants of Pitch Deck Competition have been facilitated at the Startup Sphere Event which was jointly organized by Committee for MSME and Committee for Development of International Trade, Services & WTO on 27th – 28th June, 2023 at Mumbai.

- **National Level (Grand Finale) of CA Students National Talent Search - Quiz and Debate Competitions**

National Level (Grand Finale) of CA Students National Talent Search, 2023 – Quiz and Debate Competitions was organized by the Board/SSEB on 27th August, 2023 at Kolkata. These competitions were conducted at three level, first at Branch Level from 26th July - 10th August, 2023, second level winners of Branch Level participated at Regional Level organized by five Regional Councils from 16th - 21st August, 2023 and finally the winners of Regional Level participated in National Level on 27th August, 2023 conducted by the SSEB. Top two winning teams of Quiz Competition and top Four Winners (Two 'For' and Two 'Against') of Debate Competition were awarded by cash prize.

- **National Level (Grand Finale) of CA Students National Talent Search, 2023 - Dashboard Visualization and Sketching Competitions**

National Level (Grand Finale) of Dashboard Visualization and Sketching Competitions were conducted by the Board on 12th January, 2024 at Indore. Further, on the sidelines of National Level of Dashboard Visualization and Sketching Competitions, Youth Day Celebrations was organized by the Board on the occasion of birth anniversary of Swamy Vivekanand, a reversed philosopher and spiritual leader recognized globally which falls on 12th January, 2024. On the occasion of Grand Finale of Dashboard Visualization & Sketching Competitions and Youth Day, Celebration was organized by the Board on 12th January, 2024. Hon'ble Former Speaker of Lok Sabha was invited as Chief Guest. She inaugurated the National Level (Grand Finale) of Dashboard Visualization & Sketching Competitions and Youth Day Celebration organized by ICAI at Indore and addressed the CA students' fraternity.

- **CA Students National Talent Search, 2024 – Pitch Deck and Essay Competitions**

For the year 2024, Pitch Deck and Essay Competitions are being conducted by the Board under the banner of CA Students National Talent Search, 2024. This year approximately 51 branches conducted the Pitch Deck and 31 conducted Essay Competition from 22nd -30th May, 2024 and the Regional Level of these activities were also successfully conducted by five Regional Councils from 8th – 13th June, 2024. The National Level (Grand Finale) of Pitch Deck and Essay Competitions are being conducted by the Board from 27th – 29th June, 2024 at Bengaluru.

- **CA Students National Talent Search, 2024 – Quiz and Elocution Competitions**

Under the banner of CA Students National Talent Search, 2024, Quiz and Elocution Competitions are being organized by the Board. The Branch level of both activities i.e. Quiz and Elocution Competitions had been conducted by the Branches of ICAI across the country from 27th May, 2024 – 10th June, 2024. The Regional Level of these activities is being conducted by five Regional Councils of ICAI from 25th June, 2024 to 6th July, 2024.

- **SAFA Elocution and Quiz, 2023 held at Pokhara, Nepal**

Winners of National Level (Grand Finale) of CA Students Talent Search, 2023 – Elocution and Quiz Contest conducted by Board of Studies (SSEB) during the year 2023-24 represented ICAI in SAFA Elocution and Quiz Contest, 2023 conducted by the SAFA Secretariat on 1st March, 2024 at Pokhara, Nepal.

- **Teachers' Day Celebration – 2023**

To commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a renowned scholar and philosopher, Teachers' Day celebration was organized by the Board which was hosted by NIRC of ICAI on 5th September, 2023 at New Delhi. On this occasion of Teachers' Day Celebration, a live webcast was organized wherein 300 students of northern region participated and 95 Branches of ICAI were also connected virtually. In addition to Teachers' Day Celebration at Head Office, Board also organized Elocution Contest on the theme "Learning from My Principal - My Teacher" on the occasion of Teachers' Day through Branches and Regional Councils of ICAI across the country.

- **Setting up of Additional Reading Rooms**

Additional Reading rooms were set up by the Board at Rohtak (Haryana), Rourkela (Odisha), Bargah (Odisha), Pathankot, Narnaul (Haryana), Pimpri Chinchwad, Deoghar (Jharkhand), Hisar, Ferozepur, Porbandar, Junagarh, Davangere (Karnataka), Bagalkot (Karnataka), Bolangir (Odisha), Aizawl (Mizoram), Beed (Maharashtra), Jalna (Maharashtra), Buldhana (Maharashtra) and Thane West.

(III) Interactions with Members and Students

Interactions with members and students across India have been conducted in physical or virtual mode. During interactions, while members who expressed their interest to be faculty in various courses conducted by BoS were guided and students were guided on how to succeed CA examination. In this direction, Board of Studies has organized 32 sessions in physical or virtual mode to have an interaction with students and members. The sessions for students emphasized on How to crack and pass CA exam. These sessions threw a light on effective study techniques and planning strategies to enhance the exam preparation for various subjects at foundation, intermediate and Final level. The tips for time management in examinations and the importance of presentation of answers in examinations were shared with students. The sessions for members emphasized on Opportunities in CA Education: - classes - faculty - content developer - overseas education. The objective of these sessions was to make members aware about opportunities in CA education and use their expertise in teaching students and 32 Programmes were conducted during the period.

Webcasts/Webinars Conducted

S. No.	Date	Webinar
1	6 th March, 2023	An Interactive Session was organized with Office Bearers and Managing Committee Members of Regional Councils and its Branches with the objective that maximum number of Branches may conduct both series of Mock Test Papers before the main CA examination.
2	16 th April, 2023	A Live Webinar to "Plan, Prepare & Perform" was conducted for students of Intermediate & Final Courses.
3	5 th July 2023	A National Outreach was organised on the New Scheme to provide insights into the various aspects of the new curriculum and its transition process.
4	23 rd August, 2023	A National Outreach with Students' fraternity was organized to provide insights into the various aspects of the New Scheme, relaxations for students under the Old Scheme, Conversion/Transition Scheme as well as exemptions under the New Scheme
5	5 th October, 2023	Conducted a Live Webcast jointly with M&SS Directorate on ICAI Compliance & Documentation Related Matters for the students
6	8 th October, 2023	Organized a Live Webcast to "Plan, Prepare & Perform" for Intermediate & Final course students appearing in November 2023 examinations
7	25 th June 2024	The Board of Studies of ICAI and the South Asian Federation of Accountants (SAFA) jointly organized an insightful webinar titled "Adapting to Change: International Education Standards and its Influence on Accounting Profession." The Vice President, ICAI graced the session by his motivational address to the speakers and participants. Besides the BOS Chairman's welcome note and introductory speech, other esteemed speakers- Council Member & Past President, ICA Bangladesh, Vice President, ICA Nepal and Council Member and Chairman of Committee on Education, Training and CPD, ICAP shared their expertise on the impact of international education standards, discussing the evolving landscape of the profession, critical need for continuous adaptation and learning and their country specific experience in adopting IES in the Course Curriculum.

(IV) Online Scholarship Application Process & disbursement of scholarship grant

The students can apply online for the Scholarship grant by login at Self Service Portal (SSP). The students are facilitated to submit online application with no manual intervention for selection of Scholarship. The automated Scholarship process selected the students under various categories namely Merit, Merit cum Need and Need based for Economically Weaker Students. Total 11047 students have been benefitted from the Scholarship scheme through this automated process and more than Rs.10 Crores has been released to beneficiaries through scholarship instalments on quarterly basis.

(V) Faculty Development Programmes

The New Scheme of Education and Training was implemented w.e.f. 1st July, 2023 and the syllabus of ICITSS/AICITSS Training Courses comprising of Information Technology/Orientation Course at Intermediate Level and Adv. IT and Management & Communication Skills at Final Level have also been revised by adding new topics of IT and Soft Skills in the new syllabus of ICITSS and AICITSS. With a view to implement the new syllabus of ICITSS

and AICITSS, an Expert Group of IT and Adv. IT was formed by the Board to finalize the lesson plan with topic-wise hour allocation, standardized approach for conducting the FDP for the faculties of IT and Soft Skills. Based on the recommendations of the Expert Group, the 12 Faculty Development Programmes for the Faculties of IT and Adv. IT were conducted by the Board and the 10 Faculty Development Programmes conducted for the faculties of Orientation and Management & Communication Training Courses:

Online Training Sessions for the faculties of IT and Adv. IT on Smart Board

In order to make the faculties of Soft Skills and IT well versed with Smart Classrooms and there should not be any difficulty while taking sessions on the smart boards, online training programme for faculties are being organized by the Board wherein they are being trained for using smart board in the classes. Such online training programme for faculties of Soft Skills and IT were conducted on 22nd March, 2024, 12th April, 2024, 26th April 2024, 10th May 2024, 24th May 2024 and 7th June 2024 and the online training sessions were well appreciated by the faculties.

(VI) Initiatives for Members

Launch of Mobile App for Members – “ICAI-BOS”

The Board has launched its mobile application “ICAI BOS” with limited feature access for members of ICAI on 1st July, 2022 wherein members can access recorded lectures, educational contents, reference for quick revision, important examination and BoS announcements etc. As of now, 18,801 Members have downloaded ICAI-BOS Mobile App from Google and Apple Play Stores.

(VII) Towards Partner in Nation Building

- **Western Education Summit on Commerce and Accountancy 2024 (WES-CA 2024)**

The Board of Studies organised Western Education Summit on Commerce & Accountancy 2024 (WES-CA 2024) on May 24th and 25th 2024, at ICAI Tower, BKC, Mumbai. The theme of the summit was Digital Innovation in Accounting, Auditing, Costing, Finance, and Commerce. WES-CA 2024 aimed to focus on digital innovations that are transforming educational landscapes in accounting, auditing, costing, finance, and commerce. This regional summit brought together leading academicians, researchers, and scholars to discuss and explore the transformative potential of technology in our field. The two-day summit was attended by Vice Chancellors, Directors, Deans, Principals, HODs and professors from various commerce colleges and universities across the western region of the country. Over 70 participants from various universities and colleges across Maharashtra, Gujarat, and Goa attended the event. At the Summit, deliberations were made on the topics Professional Education of Chartered Accountancy- A way Forward, Future Trends in Auditing and Financial Assurance: Preparing Students for Industry Changes, Data Analytics for Business Decision Making, Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Commerce, Pedagogy: Factors Affecting Teaching Profession Learning Process, Blockchain Technology and its Role in Audit and Financial Transactions and Unique Challenges in E – Commerce business.

- **Memorandum of Understanding (MoU) with Universities/Institutions**

ICAI has entered into Memorandum of Understanding (MoU) with various State and Central Universities, with the objective of extending academic co-operation in B.Com, B.Com (Hons.), M.Com and other courses in commerce education. These MoUs stimulate and facilitate the development of collaborative and mutually beneficial programmes, which will serve to enhance the intellectual life and cultural development within both ICAI and the respective Institutions. These MoUs will facilitate redefining the curriculum of Accountancy and Commerce education across educational institutions in India by bringing uniformity in it. These academic collaborations also facilitate the implementation of Faculty Development Programmes (FDPs) and reciprocal institutional visits in mutually beneficial areas of interest with universities. This support encompasses the framing of syllabi for courses in the field of commerce and accountancy and the provision of subject-related guidance to faculty members. Further, focus will also be on encouraging research in Commerce and Accountancy and providing support for Professor in Practice faculty. ICAI has entered into MoUs with 67 universities/institutions in total across the country till 30th June 2024. The contribution of ICAI in developing commerce and accountancy education in India through this initiative once again underlines the role of ICAI in 'Nation Building'.

- **Recognitions for CA Course - Pursuing Ph. D Programme**

137 Indian Universities, 7 IIMs and 2 IITs (Madras & Bombay), i.e., in total 146 institutions in the country have recognized Chartered Accountancy qualification for the specific purpose of registration to Ph.D. programme of respective universities:

Region	Number of Institutions
Western Region	30

Southern Region	39
Northern Region	21
Eastern Region	19
Central Region	37
Total	146 (137 Universities + 2 IIT's + 7 IIM's)

• **Virtual Faculty Development Program (FDP) Series for the Faculty of Universities/Colleges/Accredited Institutions**

In pursuance of the MoUs entered into with various Universities/colleges, BoS (A) organised the first session of the Virtual Faculty Development Program (FDP) Series on 12th December, 2023 on an engaging topic, “GST — Overview and Latest Developments” for the faculty members of said Universities/colleges as well as of the Accredited Institutions. The second session in the series was held on 2nd January, 2024 on the theme, “Financial Statements and its Analysis”. The session emphasized on the key points to be kept in mind while preparing the financial statements and focused on how the analysis of Financial Statements empower the users to make informed decisions. Further, a Faculty Development Program was organized on 12th April 2024 on “Technology 4.0 and Accounting: Use of Blockchain and Artificial Intelligence”. The next session in the FDP series was held on 17th May 2024 on “Budget: Its interpretation and implications”. The session aimed at giving insight into finer points in budget interpretation. It also dealt with public finance database and empirical issues in public database.

• **Joint Seminars organized by BoS with University/College**

S. No	Date	Seminar	Place
1	29 th November, 2023	Seminar on “Recent Trend in Accounting and Finance- An Approach towards Atmanirbhar Bharat” jointly with Netaji Subhas Open University and hosted by EIRC of ICAI	Kolkata
2	9 th January, 2024	Seminar on “Recent Trend in Accounting and Finance- An Approach towards “Nuggets for Professional Success” jointly with The Bhawanipur Education Society College and hosted by EIRC of ICAI	Kolkata
3	1 st April 2024	International Seminar on “New Age Technology and Its Impact on Financial Domain” jointly with The Bhawanipur Education Society College and hosted by EIRC of ICAI	Kolkata

• **Participation in 74th Annual All India Commerce Conference (AICC) of Indian Commerce Association hosted by University of Delhi**

The Institute of Chartered Accountants of India, participated in the 74th Annual All India Commerce Conference (AICC) of Indian Commerce Association hosted by University of Delhi from 13th December, 2023 to 15th December, 2023 - Day 1 at Delhi University Sports Council; and Day 2 & 3 at O.P. Jindal Global University, Sonapat. Around 2,500 delegates attended the Conference from across India and abroad. The Board of Studies (Academic) jointly with Committee on Career Counselling, put up an ICAI stall thereat, as an exhibitor, and promoted the CA Course, showcased BOS publications and interacted with Academicians of various Universities/Institutions and explained the mutual benefits of entering MOU with ICAI.

12. COMMITTEE ON CAREER COUNSELLING

The Committee on Career Counselling of ICAI is constituted to promote the Commerce Education with special focus on CA Course amongst the students of class VIII, Secondary, Higher/Senior Secondary, Graduate- Post Graduate. The Prime objective of the Committee is to provide career guidance to the students studying from class VIII till Graduate/Post-Graduate.

Significant Achievements

(I) The Guinness World Record-

ICAI through its Committee on Career Counselling, achieved a new Guinness World Record for hosting the “Largest Accounting Lesson” in the world. This milestone was marked by the participation of the highest number of students

simultaneously taking part in the lesson on 8th September, 2023 at Jaipur. The Jury of the Guinness World Records honored the Institute of Chartered Accountants of India for achieving the record of hosting the "Largest Accounting Lesson" in the world on the same day i.e. 8th September, 2023 at Jaipur.

(II) Opening of Career Counselling Centres-

ICAI opened Career Counselling Centre in Yugantar Public School, Rajnandgaon (Chhattisgarh) on 21st July, 2023 in the presence of nearest Branch Managing Committee i.e. Bhilai Branch of CIRC of ICAI and School Management, Principal, Teachers and Students. The establishment of Career Counselling Centres where there are no branches of ICAI not only expands ICAI's geographical footprint but also strengthens its role in promoting the Chartered Accountancy Course across diverse regions, thereby fulfilling the Committee's objectives effectively.

(III) Career/Mega Career Counselling Programmes

The Committee has organized 3,158 Career Counselling Programmes PAN India and counselled 6,29,450 students with the support of Regional Councils and Branches of ICAI on regular basis. The objective of this initiative is to provide career guidance with special focus on CA Course amongst the students from class VIII till Graduate/Post-Graduate. This initiative aims to ensure that students from various educational backgrounds are well-informed about the Chartered Accountancy Course and its career prospects, starting from an early stage in their education.

(IV) Faculty Development Programme

The Committee on Career Counselling envisaged to organize Train the Trainers Programmes titled Faculty Development Programme/Mentorship Programme/Career Counsellors Empowerment Meet for empaneled Career Counsellors are willing to become Career Counsellors of ICAI. The objective of the Faculty Development Programme is to standardize uniform delivery of the counselling sessions all across POU's. Total 52 Programmes/Meets were conducted across India.

(V) Organizing Principal's Conclaves

The Committee organized Principal Conclave through the Regional Council & Branches of ICAI. The objective of the Principal Conclaves/Meets were to make principals aware about CAFY & Super Mega Career Counselling Programme and about ICAI. During the discussion insight on Financial Literacy and ICAI's New Scheme of Education and Training were discussed during the meet. During this period, total 5 Principal's Conclaves organized by the Committee.

(VI) Participation in Career Fairs/ Exhibitions

ICAI participated in the Education & Career Fairs / Exhibition in various cities across the country. During the Education & Career Fair, Career Guidance and information about Chartered Accountancy course was given to the Educationist, Teachers, Students & other stakeholders. During this period, the Committee participated in total 43 Career Fairs .

(VII) Signing of MOU

ICAI entered MOU with Navodaya Vidyalaya Samiti on 4th January, 2024 with an objective to establish mutual co-operation between the parties hereto for the advancement of Commerce education with special focus on CA Course amongst the students of Jawahar Navodaya Vidyalaya across the Country.

(VIII) Organizing CAFY & Super Mega Career Counselling Programme

The Career in Accounting & Finance for Youth (CAFY) & Super Mega Career Counselling Programme as organised PAN India on 8th September, 2023. The objective of this event was to organize maximum programmes at a time PAN India to spread the knowledge about accounting as a profession along with propagation of CA Course and ICAI through the support of Regional Councils and Branches. All across India, approx. 600 programmes were organized with participation of approx. 1.61 lacs students. It also reflects the effective collaboration and efforts of various regional councils and branches of ICAI in promoting and facilitating career guidance in the field of accounting and finance nationwide.

(IX) Organizing ICAI Commerce Olympiad for the students of class VIII to Graduation

The Committee organized ICAI Commerce Olympiad on 3rd December, 2023 for the students from class VIII to Graduation level. ICAI Commerce Olympiad is one of its kind initiatives undertaken by the Institute which helps the students in experiencing and developing their competitive skills in the field of commerce. This initiative reflects ICAI's commitment to nurturing young talent and preparing them for future careers in accounting, finance, and commerce. More than 1 lakh students registered for the Olympiad, indicating a high level of interest and engagement among students across different educational levels.

13. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES (RBA DIRECTORATE)

(I) Regional Councils and their Branches

The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their

Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. The total number of branches of Regional Councils is 176.

(II) Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the Institute has always been encouraging for setting up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 138 Branches of Students' Association have been set up.

(III) Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association

These awards are given by the Institute every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2023, these awards were given at the Annual Function held on 8th February 2024 to the following winners: -

Category	Prize	Name of Winner
Regional Council	1 st Prize	WIRC and SIRC (Jointly)
	2 nd Prize	EIRC
Students' Association	1 st Prize	WICASA and EICASA (Jointly)
	2 nd Prize	SICASA
Branches of Regional Councils (Mega Category)	1 st Prize	INDORE
	2 nd Prize	BANGALORE, AHMEDABAD and PUNE (Jointly)
Branches of Regional Councils (Large Category)	1 st Prize	ERNAKULAM
	2 nd Prize	LUDHIANA and NAGPUR (Jointly)
Branches of Regional Councils (Medium Category)	1 st Prize	CALICUT
	2 nd Prize	AURANGABAD and AMRITSAR (Jointly)
Branches of Regional Councils (Small Category)	1 st Prize	SALEM
	2 nd Prize	BHILAI and AHMEDNAGAR (Jointly)
Branches of Regional Councils (Micro Category)	1 st Prize	RATLAM
	2 nd Prize	DHULE
Branches of Students Associations (Mega Category)	1 st Prize	AHMEDABAD
	2 nd Prize	BANGALORE and PUNE (Jointly)
Branches of Students Associations (Large Category)	1 st Prize	NAGPUR and CALICUT (Jointly)
	2 nd Prize	INDORE and VASAI (Jointly)
Branches of Students Associations (Medium Category)	1 st Prize	SALEM
	2 nd Prize	MANGALORE and AGRA (Jointly)
Branches of Students Associations (Small Category)	1 st Prize	AHMEDNAGAR and JALGAON (Jointly)
	2 nd Prize	SILIGURI and BHILAI (Jointly)
Branches of Students Associations (Micro Category)	1 st Prize	ANAND and PIMPRI CHINCHWAD (Jointly)
	2 nd Prize	CHENGALPATTU and SAMBALPUR (Jointly)

(IV) All India Managing Committee Members Meet (AIMCMM)- 2024

All India Managing Committee Members Meet (AIMCMM 2024) for the Regional Council Members and the Managing Committee Members of Branches was held on 9th and 10th March, 2024, at Kolkata, to align the endeavours of Regional Councils, Branches, Study Circles & Study Chapters with the overarching vision of ICAI and for achieving the goals and objectives of the Council. It was a very successful program with approximately 1300 participants in attendance representing 5 Regional Councils, 176 Branches, 131 Study Circles & Study Chapters. AIMCMM 2024 in Kolkata served as a platform for knowledge exchange, orientation and strategic planning for the Council Year 2024-25, guided by the profound vision of "DRISHTI" anchored on Digitalization, Research, Integrity, Skills, Handholding, Transparency, and Independence.

During the intensive two-day event, Central Council Members illuminated the activities and functioning of various Committees/Directorates. They elaborated on strategies to harmonize the initiatives of Regional Councils, Branches, Study Circles & Chapters with the overarching objectives and work plan of Central Committees. A dedicated website, <https://aimcmm.icaai.org/> was launched to provide participants with real-time updates about the event and other related information. ICAI showcased kiosks featuring various Committees and Departments, serving as information hubs offering valuable insights and opportunities for direct interaction. Attendees engaged with relevant officers to resolve queries and seek clarification on pertinent issues, thereby enhancing operations and services for stakeholders.

The event featured a notable virtual address by Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Textiles, and Leader of the House, Rajya Sabha. His insights shed light on the expectations from the ICAI and its elected representatives towards the vision of 'Viksit Bharat'. Additionally, renowned motivational speaker delivered an inspiring speech on Collaboration Culture: Harnessing the Power of Teamwork. Also, the evening of March 9th witnessed a captivating Musical Mono Act by paying tribute to the indomitable spirit of Swami Vivekananda, an eternal source of inspiration for every Indian.

14. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2024 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council duly audited along with auditors' report are enclosed.

15. APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the special invitees and non-members who assisted the Council during the year 2023-24 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2023-24.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various Central and State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2023-24 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE**MEMBERS REGISTERED**

(From 1st April, 2007)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1 st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481

1 st April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 st April, 2010	Associate	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	Fellow	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	Total	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 st April, 2011	Associate	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	Fellow	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	Total	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 st April, 2012	Associate	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	Fellow	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	Total	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 st April, 2013	Associate	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	Fellow	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	Total	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1 st April, 2014	Associate	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	Fellow	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	Total	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 st April, 2015	Associate	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	Fellow	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	Total	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1 st April, 2016	Associate	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	Fellow	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	Total	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1 st April, 2017	Associate	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	Fellow	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	Total	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1 st April, 2018	Associate	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	Fellow	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	Total	97419	55013	24518	48588	56655	282193
1 st April 2019	Associate	72296	34352	15547	33522	37129	192857
	Fellow	28747	21437	9418	18337	20895	98841
	Total	101043	55789	24965	51859	58024	291698
1 st April 2020	Associate	74285	38405	15735	38453	40877	207755
	Fellow	28860	21495	9295	19017	20816	99483
	Total	103145	59900	25030	57470	61693	307238
1 st April 2021	Associate	79234	42606	16436	41589	43479	223344
	Fellow	30022	22393	9485	20199	21638	103737
	Total	109256	64999	25921	61788	65117	327081
1 st April 2022	Associate	83875	47065	17363	46271	46301	240875
	Fellow	31960	23559	9791	21580	22673	109563
	Total	115835	70624	27154	67851	68974	350438

1 st April 2023	Associate	91043	54155	18856	52092	50351	266497
	Fellow	32736	24136	9916	22318	23016	112122
	Total	123779	78291	28772	74410	73267	378619
1 st April 2024	Associate	98244	62081	19026	54837	53712	287900
	Fellow	33826	24985	10040	23233	23633	115717
	Total	132070	87066	29066	78070	77345	403617

MEMBERS*(From 1st April, 1950)***TABLE II**

Year (As on)	Associate	Fellow	Total
As on 1 st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1 st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1 st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1 st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1 st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1 st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1 st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1 st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1 st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1 st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1 st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1 st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1 st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1 st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1 st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1 st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1 st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1 st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1 st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1 st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1 st April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974
As on 1 st April, 2016	1,71,327	82,010	2,53,337
As on 1 st April, 2017	1,81,585	88,722	2,70,307
As on 1 st April, 2018	1,90,104	92,089	2,82,193
As on 1 st April, 2019	1,92,857	98,841	2,91,698
As on 1 st April, 2020	2,07,755	99,483	3,07,238
As on 1 st April, 2021	2,23,344	1,03,737	3,27,081
As on 1 st April, 2022	2,40,875	1,09,563	3,50,438
As on 1 st April, 2023	2,66,497	1,12,122	3,78,619
As on 1 st April, 2024	2,87,900	1,15,717	4,03,617

STUDENTS REGISTERED*(From 31st March, 2010)*

During the year	Foundation / CPT		PCC/IPCC & IIPCC/ Intermediate			Final / New Final		ATC	Total
	Foundation	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	Intermediate	Final	New Final		
2009-10	-	1,67,073	1,860	80,745	-	24,172	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	1,55,217	329	67,984	-	57,175	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	1,61,712	-	85,053	-	47,515	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	1,61,084	-	1,02,406	-	45,102	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	1,54,742	-	96,285	-	39,348	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	1,41,241	-	66,570	-	36,950	-	881	2,45,642
2015-16	-	1,25,140	-	77,962	-	31,669	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	1,07,392	-	81,886	-	27,611	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	73,804	-	22,657	63,693	26,291	14,056	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	-	-	53,654	-	27,966	-	1,26,668
2019-20	63,228	-	-	-	87,949	-	67,090	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	-	-	46,563	-	26,366	-	1,82,897
2021-22	1,21,365	-	-	-	69,967	-	32,527	-	2,23,859
2022-23	1,25,460	-	-	-	77,652	-	21,944	-	2,25,056
2023-24	1,38,378	-	-	-	98,791	-	34,719	-	2,71,888

COMPOSITION OF THE COUNCIL**Members of the Council****President Elected Members****Western Region**

CA. Ranjeet Kumar Agarwal

CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia

Mumbai

CA Chhajed Piyush Sohanraji

Mumbai

A.1.5 CA. Chitale Chandrashekhar Vasant

Pune

A.1.6 CA. Vishal Doshi

Vadodara

Vice-President

CA. Durgesh Kumar Kabra

A.1.7 Mumbai

CA. Charanjot Singh Nanda

CA. Dheeraj Kumar Khandelwal

Mumbai

CA. Purushottamlal Hukamichand Khandelwal

A.1.8 Ahmedabad

CA. Mangesh Pandurang Kinare

Thane

CA. Priti Savla

Mumbai

CA. Umesh Ramnarayan Sharma

Aurangabad

CA. Aniket Sunil Talati

Ahmedabad

Southern Region

CA. Dayaniwas Sharma

Hyderabad

CA. Sridhar Muppala

Hyderabad

	CA. Prasanna Kumar D	Visakhapatnam
	CA. Rajendra Kumar P.	Chennai
Secretary to the Council	CA. Cotha S Srinivas	Bengaluru
CA. (Dr.) Jai Kumar Batra	CA. Sripriya Kumar	Chennai
Secretary	Eastern Region	
	CA. Ranjeet Kumar Agarwal	Kolkata
	CA. Sushil Kumar Goyal	Kolkata
	CA. (Dr.) Debashis Mitra	Guwahati
	Central Region	
	CA. Rohit Ruwatia	Jaipur
	CA. Abhay Kumar Chhajed	Bhopal
	CA. (Dr.) Anuj Goyal	Ghaziabad
	CA. Gyan Chandra Misra	Vaishali
	CA. Prakash Sharma	Jaipur
	CA. Kemisha Soni	Indore
	Northern Region	
	CA. Sanjay Kumar Agarwal	New Delhi
	CA. (Dr.) Raj Chawla	New Delhi
	CA. Hans Raj Chugh	New Delhi
	CA. Pramod Jain	New Delhi
	CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
	CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal	New Dehli
	Government Nominee	
Government Nominee	Shri Sanjay Kumar	New Dehli
	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Corporate Affairs	
	Shri Ritvik Ranjanam Pandey	New Delhi
	Joint Secretary Ministry of Finance	
	Shri Manoj Pandey, Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs	New Delhi
	Shri Deepak Kapoor, Director General (Commercial-II) O/o Comptroller & Auditor General of India	New Delhi
	Shri Rakesh Jain, IA & AS, Dy. C&AG (Retired)	Jaipur
	Dr. P.C. Jain, Retired Principal SRCC, Delhi University	New Delhi
	Adv. Vijay Kumar Jhalani	New Delhi
	Shri Chandra Wadhwa CMA, Former President (ICoAI)	New Delhi

ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
105, FF, South Ex. Plaza – 1, 389,
Masjid Moth, South Extension Part-II,
New Delhi – 110049

S.K. MITTAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Mittal House,
E-29, South Extension Part-II,
New Delhi – 110049

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**To The Council of,
The Institute of Chartered Accountants of India
Report on the Audit of the Financial Statements**

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Chartered Accountants of India (“the Institute”), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2024, the Statement of Income and Expenditure, the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as “financial statements”) in which are incorporated the returns/financial statements audited by the branch auditors of the Institute’s Decentralized offices, Computer Centres, Students Associations, Regional Councils and their Branches.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Chartered Accountants Act, 1949 (as amended upto date) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Institute as at 31 March 2024, its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Institute’s Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949 (“the Act”). This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are also responsible for overseeing the Institute’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieve fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

- a) There are number of study circles, study chapters authorized by the Institute to operate in India and abroad. The Institute has represented that these study circles/chapters are separate entities and accordingly their financials statements are not required to be consolidated. We have relied on this representation.
- b) We did not audit the financial statements/information of the Institute's decentralized offices, computer Centers, students associations, regional councils and their branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,19,001 Lakhs as at 31 March 2024, total revenue of ₹ 17,890 Lakhs for the year ended 31 March 2024 and cash & cash equivalent of ₹ 3,980 Lakhs as at 31 March 2024 as considered in the financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by branch auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our

examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us.

- c) The reports on the accounts of the branches of the Institute audited by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
- d) The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure, and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us.

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N

For S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

CA Lokesh Kumar Garg
Partner
M. No.: 413012
UDIN : 24413012BKDZNH2258

CA S Murthy
Partner
M. No. : 072290
UDIN : 24072290BKBLUK3791

Place: New Delhi

Date: 17th September,2023

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

Balance Sheet as at 31st March 2024

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note	31 March 2024	31 March 2023
I	SOURCES OF FUNDS			
	1 NPO Funds			
	(a) Unrestricted Funds			
	i) General Fund	03	1,87,599	1,83,171
	ii) Designated Funds	04	1,40,024	1,24,819
	(b) Restricted Funds	05	789	710
			3,28,412	3,08,700
	2 Non-current liabilities			
	(a) Other long-term liabilities	06	3,320	1,965
	(b) Long-term provisions	07	6,503	5,786
			9,823	7,751
	3 Current liabilities			
	(a) Payables	08	6,408	4,209
	(b) Other current liabilities	09	34,547	28,111
	(c) Short-term provisions	07	3,130	3,489
			44,085	35,809
	Total		3,82,320	3,52,260
II	APPLICATION OF FUNDS			
	1 Non-current assets			
	(a) Property, Plant and Equipment and Intangible assets			
	(i) Property, Plant and Equipment	10	72,863	70,427
	(ii) Intangible assets	11	40	235
	(iii) Capital work in progress	12	4,896	3,588
	(iv) Intangible asset under development	12	487	10
	(b) Non-current investments	13	1,83,390	1,99,955
	(c) Long Term Loans and Advances	15	1,382	1,430

(d) Other non-current assets	16	296	-
		2,63,354	2,75,645
2 Current assets			
(a) Current investments	13	5,557	5,443
(b) Inventories	14	1,270	792
(c) Receivables	17	4,106	2,822
(d) Cash and bank balances	18	94,695	50,685
(e) Short Term Loans and Advances	15	6,584	6,317
(f) Other current assets	19	6,754	10,556
		1,18,966	76,615
Total		3,82,320	3,52,260

The accompanying notes 1 to 34 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Sudeep Shrivastava	CA (Dr.) Jai Kumar Batra	CA Charanjot Singh Nanda	CA Ranjeet Kumar Agarwal
Additional Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K Agarwal & Associates

Chartered Accountants

FRN : 003917N

CA Lokesh Kumar Garg

Membership No. 413012

Partner,

Place: New Delhi

Dated: 17th September, 2023

For S K Mittal & Co.

Chartered Accountants

FRN : 001135N

CA S.Murthy

Membership No. 072290

Partner,

Income and Expenditure for the year ended 31st March 2024

(₹ in Lakhs)

Particulars		Note	2023-24	2022-23
I	Income			
	(a) Donations		-	101
	(b) Fees from Rendering of Services	20	84,207	81,795
	(c) Sale of Publication & other Items	21	2,393	934
	(d) Income from Restricted funds	22	39	36
	(e) Other Income	23	19,497	23,136
	Total Income (I)		1,06,136	1,06,002
II	Expenses:			
	(a) Cost of Publications	24	6,870	4,060
	(b) Employee benefits	25	14,555	15,668
	(c) Depreciation and amortization	26	3,411	3,281
	(d) Finance costs	27	15	41
	(e) Expense from Restricted funds	28	23	20
	(f) Other expenses	29	61,956	54,227
	Total Expenses (II)		86,830	77,297

III Excess of Income over Expenditure for the year [I - II]	19,306	28,705
Appropriations :Transfer to Funds [Refer Note No. 30.12]		
a) Donation received for buildings [Refer Note 2.06 (i)]	-	101
b) Education Fund [Refer Note 2.06 (ii)]	7,773	7,621
c) Employees Benevolent Fund [Refer Note 2.06 (iii)]	98	100
d) Infrastructure Reserve [Refer Note 2.06 (iv)]	409	534
e) Designated Funds (Net of expenses) [Refer Note 2.06 (vi)]	7,897	7,460
f) Restricted Funds (Net of expenses) [Refer Note 2.06 (vi)]	16	16
g) Information Technology Training Reserves [Refer Note 2.06 (vii)]	1,282	1,410
h) Sinking Fund [Refer Note 2.06 (viii)]	1,831	1,761
i) Balance transferred from/to General Fund	-	9,702
Total	19,306	28,705

The accompanying notes 1 to 34 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Sudeep Shrivastava Additional Secretary	CA (Dr.) Jai Kumar Batra Secretary	CA Charanjot Singh Nanda Vice-President	CA Ranjeet Kumar Agarwal President

As per our report of even date

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N

CA Lokesh Kumar Garg
Membership No. 413012
Partner,

Place: New Delhi
Dated: 17th September, 2023

For S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

CA S.Murthy
Membership No. 072290
Partner,

Statement of Cash Flows for the year ended 31st March 2024

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
I Cash Flow from operating activities		
Net surplus after prior period adjustments	19,306	28,705
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation expense	3,411	3,281
Provision no longer required written back	(397)	(4,342)
Provision for employee retirement benefits	828	(17,457)
Provision for branch employee scheme	(310)	(5,036)
Provision for doubtful advances	(269)	(609)
Provision for obsolete publication stock	145	45
Donation Receipt for building	-	(101)
Interest income	(18,279)	(17,354)
Operating surplus before Working Capital changes	4,435	(12,868)
Changes in working capital:		
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	(478)	9
Long-term loans and advances	48	(1,359)

	Short-term loans and advances	478	(911)
	Other current assets	(1,160)	650
	Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
	Other long-term liabilities	1,355	127
	Long-term provisions	-	(1,681)
	Trade payables	2,199	(556)
	Other current liabilities	6,359	3,371
	Short-term provisions	237	4,734
		13,473	(8,484)
	Income tax (paid) / received (net)	(745)	539
	Cash generated from operating activities (A)	12,728	(7,945)
II	Cash Flow from Investing Activities		
	Sale / redemption / (purchase) of non-current investments	16,565	(9,842)
	Sale / redemption / (purchase) of current investments	(114)	8,989
	Capital expenditure on Property, Plant and Equipment (including CWIP (net)	(7,844)	(6,294)
	Proceeds from sale of Property, Plant and Equipment	484	141
	Interest income received	21,785	15,823
	Cash (used in) investing activities (B)	30,876	8,817
III	Cash Flow from financing Activities		
	Donation received for buildings	-	101
	Contribution received	406	47
	Cash from financing activities (C)	406	148
	Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	44,010	1,020
	Cash and Cash Equivalents at beginning of the year	50,685	49,665
	Cash and Cash Equivalents at closing of the year	94,695	50,685

The accompanying notes 1 to 34 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-

CA Sudeep Shrivastava
Additional Secretary

Sd/-

CA (Dr.) Jai Kumar Batra
Secretary

Sd/-

CA Charanjot Singh Nanda
Vice-President

Sd/-

CA Ranjeet Kumar Agarwal
President

As per our report of even date

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N

CA Lokesh Kumar Garg
Membership No. 413012
Partner,

Place: New Delhi

Dated: 17th September, 2023

For S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

CA S.Murthy
Membership No. 072290
Partner,

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended 31 March 2024**1. General Information**

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 by an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 along with the amendments from time to time for the purpose of regulation and development of the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the Institute. For this purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 5 Decentralised Offices, 2 Centre of Excellence Offices, 175 branches and 2 overseas offices in Dubai & Singapore.

2. Significant Accounting Policies**2.01 Basis of Preparation**

The financial statements comprising Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, Cash Flow Statement and Notes thereon are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and The Chartered Accountants Act, 1949 along with amendments from time to time. Indian GAAP here comprises of the accounting standards and other pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements are prepared on historical cost convention, going concern and on accrual basis unless otherwise stated. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year, unless stated otherwise.

2.02 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialised.

2.03 Inventories

Inventories comprise publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost based on first in first out method ("FIFO") and the net realisable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary.

Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including other levies, transit insurance and incidental charges.

2.04 Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. Fixed Deposits with original maturity of less than three months are considered as cash and cash equivalents. Deposits with original maturity for more than 3 months but less than 12 months are considered as bank deposits under "Other bank balances".

2.05 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information.

2.06 Appropriation to Funds

- i) Donations received for buildings are appropriated to income and expenditure account and then credited to the Infrastructure fund account.
- ii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.

- iii) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) due on accrual basis is transferred to the Employees' Benevolent Fund.
- iv) Entrance & Admission Fee:
 - 2/3rd portion of the entrance fee from Associate members and Admission Fee from Fellow Members is taken to Infrastructure Fund Account ;
- v) From the designated funds the following transfers are made to Education Fund Account:
 - a) From Accounting Research Building Fund 100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building Fund relating to Accounting Research Building Fund.
 - b) From Education Fund 50% of cost of additions (net of deductions if any) to Fixed Assets
- vi) Income from investments is allocated based on opening balances of the respective Designated and Restricted Funds on weighted average basis.
- vii) 25% of the Information Technology Training (ITT)/Advance Information Technology Training course Fee received during the year is transferred to Other Funds for replacement of computers and other ITT centre infrastructure.
- viii) A sum equal to depreciation for the year (excluding amount transferred to the ITT Fund) is transferred to Sinking Fund for repair and replacement of assets.

2.07 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Institute and the cost of the item can be measured reliably. Property, Plant and Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of Property, Plant and Equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying Property, Plant and Equipment up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised.

2.08 Intangible Assets

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on intangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

2.09 Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction/ development of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties, non-refundable taxes, if any, and directly attributable costs.

2.10 Depreciation and amortization

- A) Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted as cost.

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided monthly prorata on the written down value method at the following rates as approved by the Council.

Class of Property, Plant and Equipment	Rate of Depreciation
i) Buildings	5%
ii) Lifts, electrical installations, solar panels and fittings	10%
iii) Computers	60%
iv) Furniture and fixtures	10%

v) Air conditioners and office equipments	15%
vi) Vehicles	20%
vii) Library books purchased during the year are depreciated at 100%	

- B) Carrying amount of building on Leasehold land is amortised over the lease term .
 C) Intangible assets are amortised on straight line method over three years.

2.11 Revenue recognition

The Revenue is recognised as follows:

- i) Distance education fee received from the students is recognised by proportionate completion method over the duration of the respective courses.
- ii) Class room training fee comprises fee received for Management Communication Skills Course ("MCS"), Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("ICITSS"), Advanced Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("AICITSS") and Orientation Programme ("OP"). The income for classroom training and revisionary classes is recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- iii) Examination fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the examinations are conducted.
- iv) Seminar fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the seminars are conducted.
- v) Membership fee comprising of annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee is recognised as under:
 - a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it becomes due for the year. Restoration of membership fee is recognised when it is received.
 - b) Entrance & Admission Fee:
 - Entrance fee from associate members and admission fee from fellow members is recognised as income at the time of admission.
- vi) Revenue from post qualification and certificate course is recognised in the period in which services are rendered.

2.12 Other income

- a) Income from sale of publications and other related items are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincide with delivery of goods.
- b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.
- c) Income from campus interviews and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- d) Interest Income is recognised on a time apportionment basis.
- e) Donations received during the year for buildings are recognised in the year of receipt.
- f) Out of the fee received from the students towards Students Registration Fee, a sum of ₹ 250 per student in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund
- g) Contributions received from Members towards Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF) is recorded as payable and likewise disbursements made to members towards claims of financial assistance paid on its behalf is recorded as receivable. Accounts with CABF are settled on a regular basis.
- h) In case of cancellation before commencement of the Certificate/ Post Qualification Course/Diploma Course, 10% of the fee is deducted and in case the course has commenced, no fee is refunded but the member is given an option to attend remaining part of the course in subsequent batches.

2.13 Investment

- a) The Institute's investments comprise of instruments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments, fixed deposits with scheduled banks domiciled in India and shares in Not-for-Profit entities.

- b) Investments are classified as current and long term investments in accordance with AS 13 Investments. Current investments are those that are readily realisable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made. A long term investment is an investment other than a current investment.
- c) Investments are initially recorded at cost and the cost includes acquisition costs such as brokerage, fees and duties. Accrued interest paid at the time of purchase is setoff against receipt of interest.
- d) Investments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments are available for use freely at the discretion of the Council except to the extent of total of the earmarked funds.
- e) At each balance sheet date, current investments are carried at lower of cost and fair value. The fair value is determined on an individual basis. The long term investments are usually carried at cost. However, when there is a decline, other than temporary, in the value of a long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. The premium paid at the time of purchase is amortised over the remaining maturity of the investments. Amortisation of premium is adjusted against the income under head 'Interest from Investments.

2.14 Foreign Currency Transaction

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are restated at the year-end rates. Non-monetary items are carried at historical cost.

Exchange differences arising on settlement / restatement of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised as income or expense in the Statement of Income and Expenditure.

2.15 Employee benefits

Employee benefits include provident fund, gratuity fund, compensated absence, long service awards, pension scheme and post-employment medical benefits.

i) Short term employee benefits

The undiscounted amount of short-term employee benefits (i.e. salary, allowances, exgratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the eligible employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

- a) In case of accumulated compensated absences, when employees render the service that increase their entitlement of future compensated absences; and
- b) In case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

ii) Post-employment benefits

Post-employment benefits are the benefits to eligible employees, other than termination benefits, which are payable after the completion of employment. Accounting of post-employment benefits depends upon the classification of relevant plans as either defined benefit plan (DBP) or defined contribution plan (DCP). The post-employment benefit plans where the Institute pays fixed contributions into a separate entity or fund and it will have no obligation to pay further contributions if the separate entity or fund does not hold sufficient assets to all employee benefits relating to employee service in the current and prior period. On the other hand, post-employment benefit plans other than those classified as DCP are classified as DBP.

Defined Benefits Plans

a) Gratuity

For defined benefit plans in the form of gratuity, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in the period in which they occur. Past service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised represent the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present value of available refunds

and reductions in future contributions to the schemes. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

b) Provident Fund

The contribution towards provident fund scheme to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') is considered as defined benefit plan and charged as an expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the eligible employees. The Trust is managed by the governing body elected by the Institute and settles claim of the employees as and when they arise. Any shortfall arising out of actuarial liability of the PF Trust and any shortfall in return on investment during the year as per the valuation report is claimed by the trust and is paid by the Institute.

The present value of the defined benefit obligations are ascertained by an independent actuary as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits.

c) Pension scheme

The Institute offers its eligible employees benefits in the form of pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation. Pension liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

d) Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse

The Institute offers employee benefits to its retired employees in the form of medical scheme.

e) Other Long-term employee benefits- Compensated Absences

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

2.16 Leases

The Institute classifies the leases as Finance and Operating Lease for accounting and disclosure purposes. The leases where the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as finance leases. The leases where the lessor and not the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as operating leases.

Lease rental under operating leases are recognised in the statement of income and expenditure on straight-line basis over the lease term. In case of Finance Lease, assets are capitalised at lower of fair value of the leased asset and present value of minimum lease payments. The lease payments are apportioned between the finance charge and repayment of lease liability. Leased assets are depreciated over the shorter of lease term or useful life of the asset.

2.17 Impairment of Property, Plant and Equipment and intangible assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure.

2.18 Taxes on income

The Institute is registered under section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961. As such, no provision for current income tax and deferred tax is considered necessary.

2.19 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

NOTE # 03 General Funds

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31	General Fund	Education Fund	Infrastructure Fund	ITT Fund	Other Funds	Total
Balance at the beginning of the year	2024	1,11,024	54,031	8,112	8,967	1,037	1,83,171
	2023	96,772	51,006	7,448	7,557	1,116	1,63,899
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	2024	-	-	409	1,282	-	1,691
	2023	9,702	-	534	1,410	-	11,646
Transfer from / (to) General Fund, Infrastructure Fund and Other Funds	2024	(35)	-	25	-	10	-
	2023	50	-	29	-	(79)	-
Transfer from / (to) Designated Funds	2024	(15)	2,752	-	-	-	2,737
	2023	4,500	3,025	-	-	-	7,525
Donation received for buildings	2024	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	101	-	-	101
Balance at the end of the year	2024	1,10,974	56,783	8,546	10,249	1,047	1,87,599
	2023	1,11,024	54,031	8,112	8,967	1,037	1,83,171

NOTE # 04 Designated Funds

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,	Research Funds	Accounting Research Building Fund	Education Fund	Students Skills Enrichment Board (BoS Scholarship)	Sinking Fund for repair and replacement of assets Fund	Employees Benevolent Fund	Other Funds	Total
Balance at the beginning of the year	2024	3,639	1,278	62,446	11,531	36,844	1,613	7,468	1,24,819
	2023	3,382	1,187	53,734	11,222	32,587	1,410	11,878	1,15,400
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	2024			7,773		1,831	98		9,702
	2023			7,621		1,761	100		9,482
Transfer from / (to) General Funds and Surplus	2024	-	-	(2,752)	-	-	-	15	(2,737)
	2023	-	-	(3,025)	-	-	-	(4,500)	(7,525)
Contribution received / Addition during the year	2024	-	-	-	-	-	-	343	343
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure	2024	262	114	4,455	823	2,630	115	59	8,458
	2023	257	91	4,116	800	2,496	108	90	7,958
Utilised during the year	2024	-	-	-	(560)	-	(1)	-	(561)
	2023	-	-	-	(491)	-	(5)	-	(496)
Balances at the end of the year	2024	3,901	1,392	71,922	11,794	41,305	1,825	7,885	1,40,024
	2023	3,639	1,278	62,446	11,531	36,844	1,613	7,468	1,24,819

NOTE # 05 Restricted Funds

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,		Medals and Prizes Fund	Students Scholarship Fund	Total
	2024	2023			
Balance at the beginning of the year			420	290	710
			378	269	647
Contribution received / Addition during the year	2024	2023	19	44	63
	2023		39	8	47
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure	2024	2023	22	17	39
	2023		21	15	36
Utilised during the year	2024	2023	(15)	(8)	(23)
	2023		(18)	(2)	(20)
Transfer from / (to) Reserves and Surplus	2024	2023	-	-	-
	2023		-	-	-
Balances at the end of the year			446	343	789
	2024	2023	420	290	710

₹ in Lakhs)

Note # 06 Other long-term liabilities	31 March 2024	31 March 2023
(a) Distance Education Fee	2,290	1,166
(b) Membership Fee	1,169	892
Less:-Membership Fee Discount	(139)	(93)
Total Other long-term liabilities	3,320	1,965

Note # 07 Provisions	Long term		Short term	
	31 March 2024	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023
(a) Provision for employee benefits				
(i) Provision for leave Encashment	6,503	5,786	681	570
(ii) Provision for gratuity	-	-	39	-
(iii) Provision for Branch Employees	-	-	254	564
(iv) Provision for Pay Revision	-	-	-	388
(b) Other provisions				
(i) Non Capital Expenditure	-	-	2,156	1,967
Total Provisions	6,503	5,786	3,130	3,489

Note # 08 Payables	31 March 2024	31 March 2023
(a) Total outstanding dues of micro, small and medium enterprises	2,019	1,125
(b) Total outstanding dues of creditors other than micro, small and medium enterprises	4,389	3,084
Total payables	6,408	4,209

Disclosure relating to suppliers registered under MSMED Act, 2006 based on the information available with the entity :

Particulars	31 March 2024	31 March 2023
(a) Amount remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year:		
Principal	2,019	1,125
Interest	0.25	
(b) The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	111	407
(c) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act.	-	-
(d) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.	0.73	0.84
(e) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act.		

(₹ in Lakhs)

Note # 09 Other current liabilities	31 March 2024	31 March 2023
(A) Fees received in advance		
(i) Distance Education Fee	15,931	11,717
(ii) Membership Fee	714	599
Less:-Membership Fee Discount	(84)	(60)
(iii) Examination Fees	8,897	7,777
(iv) Journal Subscription	-	7
(v) Seminar fees:		
a) Members	161	153
b) Students	5	7
(vi) Revisionary Classes	118	105
(vii) Class room training fees :		
a) Information Technology Training	585	486
b) General Management and Communication Skills	196	167
c) Orientation	295	179
(viii) Post Qualification Courses	94	101
(ix) Certificate Courses	128	163
(x) Disciplinary Fees	11	10
(xi) Others	156	114
Sub-Total (A)	27,207	21,525
(B) Other liabilities		
(a) Payable for Capital Items	152	75
(b) Provident fund and professional tax payable	272	468
(c) Goods and Service tax payable	1,288	984
(d) TDS payable	732	708
(e) Payable for gratuity and pension [Refer Note 2.15 (ii) (a & c)	2,971	2,316
(f) Security and earnest money deposit	1,247	983
(g) Payable to CASBF & SVAMF	129	105
(h) Other payables	549	947
Sub-Total (B)	7,340	6,586
Total Other current liabilities	34,547	28,111

Note # 10 Property, Plant and Equipment

(₹ in Lakhs)

Particulars /Assets	TANGIBLE ASSETS											Total		
	Freehold land	Leasehold land	Buildings	Computers	Office equipment & Air Conditioners	Furniture & Fixtures	Lift, Electrical Installations & Fittings	Vehicles	Library Books					
Gross Block														
At 1 April 2023	21,196	13,611	46,117	8,109	6,988	6,107	2,812	189	1,122	1,06,251				
Additions	538	2,366	5,344	357	807	555	255	1	20	10,243				
Deductions/Adjustments	(752)	(3,927)	-	(13)	(20)	(16)	(22)	-	-	(4,750)				
At 1 April 2022	19,602	12,846	44,019	7,509	6,433	5,878	2,696	153	1,101	1,00,237				
Additions	1,658	765	2,098	636	628	251	124	78	24	6,262				
Deductions/Adjustments	(64)	-	-	(36)	(73)	(22)	(8)	(42)	(3)	(248)				
At 31 March 2024	20,982	12,050	51,461	8,453	7,775	6,646	3,045	190	1,142	1,11,744				
At 31 March 2023	21,196	13,611	46,117	8,109	6,988	6,107	2,812	189	1,122	1,06,251				
Depreciation/Adjustments														
At 1 April 2023	-	1,608	15,698	7,432	4,706	3,435	1,715	108	1,122	35,824				
Additions	-	186	1,665	510	397	288	121	16	20	3,203				
Deductions/Adjustments	-	-	(140)	(2)	(3)	(1)	-	-	-	(146)				
At 1 April 2022	-	1,426	14,021	7,054	4,381	3,163	1,597	125	1,101	32,868				
Additions	-	182	1,677	413	352	278	118	19	24	3,063				
Deductions/Adjustments	-	-	-	(35)	(27)	(6)	-	(36)	(3)	(107)				
At 31 March 2024	-	1,794	17,223	7,940	5,100	3,722	1,836	124	1,142	38,881				
At 31 March 2023	-	1,608	15,698	7,432	4,706	3,435	1,715	108	1,122	35,824				
Net Block														
At 31 March 2024	20,982	10,256	34,238	513	2,675	2,924	1,209	66	-	72,863				
At 31 March 2023	21,196	12,003	30,419	677	2,282	2,672	1,097	81	-	70,427				

* The Additions include amount transferred from leasehold land to building

(₹ in Lakhs)

Note # 11 Intangible Assets (Computer Software)	
Particulars /Assets	Total
Gross Block	
At 1 April 2023	1,436
Additions	13
Deductions/Adjustments	(3)
At 1 April 2022	1,400
Additions	38
Deductions/Adjustments	(2)
At 31 March 2024	1,446
At 31 March 2023	1,436
Amortization/Adjustment	
At 1 April 2023	1,201
Additions	208
Deductions/Adjustments	(3)
At 1 April 2022	986
Additions	217
Deductions/Adjustments	(2)
At 31 March 2024	1,406
At 31 March 2023	1,201
Net Block	
At 31 March 2024	40
At 31 March 2023	235

Note # 12 Work in Progress

a) Capital Work in Progress	31 March 2024	31 March 2023
Opening Balance	3,588	3,559
Add: Additions during the year	3,156	5,865
Less: Capitalized during the year	(1,848)	(5,836)
Closing Balance	4,896	3,588
b) Intangible assets under development		
	31 March 2024	31 March 2023
Opening Balance	10	10
Add: Additions during the year	477	-
Less: Capitalized during the year	-	-
Closing Balance	487	10

Note # 13 Investments

(₹ in Lakhs)

A-I) Non Current Investments (valued at historical cost unless stated otherwise)	Face Value	31 March 2024		31 March 2023	
		Units/ Shares	Book Value	Units/ Shares	Book Value
D) Trade Investments -Quoted					
(a) Investments in equity instruments					
i) Institute of Insolvency Professionals of ICAI Ordinary shares of Rs. 100 each	100	10,00,000	1,000	10,00,000	1,000
ii) Investment ICAI Registered Valuers Organisation	100	10,000	10	10,000	10
iii) Investment ICAI Social Auditors of India	100	1,99,990	200	1,99,990	200
Sub-Total		12,09,990	1,210	12,09,990	1,210
(b) Investments in government or trust securities					
i) Central Government Securities					
1 6.67% GOI 2050 (1)	98.80	25,00,000	2,470	25,00,000	2,469
2 6.67% GOI 2050 (2)	96.09	30,00,000	2,883	30,00,000	2,878
3 6.67% GOI 2050 (3)	94.72	20,00,000	1,894	20,00,000	1,890
4 6.67% GOI 2050 (4)	96.90	10,00,000	969	10,00,000	968
5 6.67% GOI 2050 (5)	95.52	75,00,000	7,164	75,00,000	7,151
6 6.67% GOI 2050 (6)	96.42	30,00,000	2,893	30,00,000	2,889
7 6.67% GOI 2050 (7)	93.23	50,00,000	4,661	50,00,000	4,649
8 6.67% GOI 2050 (8)	93.22	15,00,000	1,398	15,00,000	1,394
9 6.67% GOI 2050 (9)	93.22	50,00,000	4,661	50,00,000	4,648
10 6.76% GOI 2061	97.33	10,00,000	973	10,00,000	973
11 6.99% GOI 2051	93.45	25,00,000	2,336	25,00,000	2,330
12 7.16% GOI 2050	107.33	10,00,000	1,073	10,00,000	1,076
13 7.26% GSEC JAN' 29	103.42	75,00,000	7,757	75,00,000	7,810
14 7.40% GOI 2035 (1)	105.37	5,00,000	527	5,00,000	529
15 7.40% GOI 2035 (2)	106.87	5,00,000	534	5,00,000	537
16 7.54% GOI 2036 (1)	101.94	20,00,000	2,039	20,00,000	2,042
17 7.54% GOI 2036 (2)	101.94	15,00,000	1,529	15,00,000	1,531
18 7.57% GS 2033	107.73	50,00,000	5,386	50,00,000	5,428
19 7.69% GOI 17/06/2043	110.22	30,00,000	3,307	30,00,000	3,322
20 7.69% GOI 2043	108.86	25,00,000	2,722	25,00,000	2,733
21 7.72% GOI 2049	108.63	50,00,000	5,432	50,00,000	5,449
22 7.73% GOI 2034	110.02	5,00,000	550	5,00,000	555
23 8.17% GOI 2044	114.33	25,00,000	2,858	25,00,000	2,876
24 8.17% GOVT STOCK 2044	113.82	50,00,000	5,691	50,00,000	5,725
25 8.24% GOI 2033	112.55	5,00,000	563	5,00,000	569
26 8.24% GOVT STOCK NOV'23	112.44	50,00,000	5,622	50,00,000	5,687
27 8.30% GOI 2042 (1)	114.66	20,00,000	2,293	20,00,000	2,309
28 8.30% GOI 2042 (2)	114.42	10,00,000	1,144	10,00,000	1,152
29 8.30% GOI 2042 (3)	114.56	5,00,000	573	5,00,000	577
30 8.30% GS 2042 (1)	115.13	35,00,000	4,030	35,00,000	4,058
31 8.30% GS 2042 (2)	115.11	15,00,000	1,727	15,00,000	1,739
32 8.30% GOI-2040	114.08	45,00,000	5,133	45,00,000	5,172
33 8.33% GOI 2036 (1)	115.19	10,00,000	1,152	10,00,000	1,164
34 8.33% GOI 2036 (2)	115.21	19,00,000	2,189	19,00,000	2,213
35 8.33% GOI 2036 (3)	112.07	25,00,000	2,802	25,00,000	2,826
36 8.83% GOI 2041 (1)	119.20	10,00,000	1,192	10,00,000	1,203
37 8.83% GOI 2041 (2)	119.18	15,00,000	1,788	15,00,000	1,804
38 8.83% GOVT.STOCK 2041	122.16	10,00,000	1,222	10,00,000	1,234
39 9.23% GOI 23/12/2043 (1)	123.59	10,00,000	1,236	10,00,000	1,248
40 9.23% GOI 23/12/2043 (2)	123.60	10,00,000	1,236	10,00,000	1,248
41 9.23% GOI 23/12/2043 (3)	124.97	50,00,000	6,248	50,00,000	6,312
42 9.23% GOI 23/12/2043 (4)	124.28	20,00,000	2,485	20,00,000	2,510
Sub-Total		10,69,00,000	1,14,342	10,69,00,000	1,14,877

Note # 13 Investments

(₹ in Lakhs)

A-I) Non Current Investments (valued at historical cost unless stated otherwise)	Face Value	31 March 2024		31 March 2023	
		Units/ Shares	Book Value	Units/ Shares	Book Value
ii) State Government Securities					
1 8.45% Karnataka SDL 2024	-	-	-	30,00,000	3,017
2 8.45% Karnataka SDL 2024	-	-	-	20,00,000	2,011
3 8.18% Haryana SDL UDAY 2024	-	-	-	45,000	45
4 9.01% Karnataka SDL 2024	-	-	-	5,00,000	507
5 6.61% MP SDL 2037	99.15	5,00,000	496	5,00,000	495
6 6.68% Haryana SDLs	97.90	25,00,000	2,447	25,00,000	2,444
7 7.88% AP SDL 2031	106.04	10,00,000	1,060	10,00,000	1,069
8 6.80% JK SDL 2035	100.38	5,00,000	502	5,00,000	502
9 6.99% WB SDL 2036	101.34	5,00,000	507	5,00,000	507
10 7.08% AP SDL 2035	100.70	10,00,000	1,007	10,00,000	1,008
11 7.43% HR 09/03/2041	100.86	5,00,000	504	5,00,000	505
12 6.96% TN SDL 2056	97.63	10,00,000	976	10,00,000	976
13 7.86% Assam SDL 2032 2	99.99	20,80,000	2,080	20,80,000	2,080
14 7.94% Haryana SDL 2034 2	100.08	19,50,000	1,951	19,50,000	1,952
15 7.50% HP SDL 2036 1	100.31	20,00,000	2,006	20,00,000	2,007
16 7.50% HP SDL 2036 2	100.26	10,00,000	1,003	10,00,000	1,003
17 7.85% MP SDL 2032 3	102.15	25,00,000	2,554	25,00,000	2,560
18 7.70% BR SGS 2031	100.05	50,00,000	5,003	-	-
19 7.62% Bihar SGS 2031	99.63	10,00,000	996	-	-
20 7.76% MP SDL 2037	100.56	2,94,300	296	-	-
21 7.74% RJ SDL 2039	100.43	26,61,100	2,673	-	-
22 7.76% AP SDL 2037	100.64	20,51,600	2,065	-	-
23 7.75% TS SDL 2037	100.62	44,19,100	4,447	-	-
24 7.46% MH 13/09/2033	98.81	50,00,000	4,940	-	-
25 7.81% Gujarat SGS 2032	101.13	50,00,000	5,056	-	-
26 7.77% AP SGS 2035	100.27	9,00,000	902	-	-
27 7.75% Rajasthan SGS 2036	100.20	24,00,000	2,405	-	-
28 7.70% UP SGS 2035	99.73	17,85,000	1,780	-	-
29 7.70% UP SGS 2035	99.87	11,60,000	1,159	-	-
30 7.75% UP SGS 2034	100.17	2,58,100	259	-	-
31 7.75% UP SGS 2034 1	100.20	5,00,000	501	-	-
32 7.75% UP SGS 2034	100.21	10,00,000	1,002	-	-
33 7.71% J&K SGS 2048	99.31	42,50,000	4,221	-	-
34 7.72% J&K SGS 2043	99.60	2,00,000	199	-	-
35 6.63% TN SDL 2035	91.81	30,00,000	2,754	-	-
36 7.93% TS SDL 2034	101.36	5,00,000	507	-	-
37 7.70% UP SDL 2034	100.17	5,00,000	501	-	-
Sub-Total		5,89,09,200	58,759	2,25,75,000	22,688
			-		-
Total Trade Investments -Quoted		-	16,70,19,190	1,74,311	13,06,84,990
II) Trade Investments - Unquoted					
(a) Investments in government or trust securities					
1 8% Government of India Taxable Bonds-cumulative	-	-	-	1,12,00,000	11,200
2 8% Saving (Taxable) Bond 2003-non cumulative	-	-	-	4,40,00,000	44,000
Total Trade Investments - Unquoted	-	-	-	5,52,00,000	55,200
A-I) Total Non-Current Investments (I + II)		-	16,70,19,190	1,74,311	18,58,84,990
Aggregate market value as at the end of the year:					
Aggregate amount of quoted investments and market value thereof.			1,77,512		1,09,537
Aggregate amount of Un-quoted investments.			-		55,200
			-		1,64,737

Note # 13 Investments

(₹ in Lakhs)

A-II) Non Current Fixed Deposits	Face Value	31 March 2024		31 March 2023	
		Units	Book Value	Units	Book Value
(a) Earmarked Bank Deposits more than one year			109		-
(b) Fixed Deposits with original maturity of more than one year			8,970		5,980
A-II) Total Non Current Fixed Deposits	-	-	9,079	-	5,980
Total Non-Current Investments (AI + AII)		16,70,19,190	1,83,390	18,58,84,990	1,99,955
B) Current Investments					
	Face Value	31 March 2024		31 March 2023	
		Units/ Shares	Book Value	Units/ Shares	Book Value
D) Trade (valued at lower of cost or market value) - Quoted					
(a) Investments in government or trust securities					
i) State Government Securities					
1	7.93% Chattisgarh SDL 2024	-	-	15,00,000	1,504
2	8.25% UP UDAY BOND 2023	-	-	5,00,000	500
3	8.27% Rajasthan SDL SPL 2023	-	-	1,92,000	192
4	8.45% Gujarat SDL 2023	-	-	25,00,000	2,508
5	8.51% UP UDAY 2023	100.30	-	7,36,800	739
6	8.45% Karnataka SDL 2024	100.23	30,00,000	3,007	-
7	8.45% Karnataka SDL 2024 2	100.22	20,00,000	2,004	-
8	8.18% Haryana SDL UDAY 2024	100.07	45,000	45	-
9	9.01% Karnataka SDL 2024	100.26	5,00,000	501	-
Net current investments - Quoted			55,45,000	5,557	54,28,800

(₹ in Lakhs)

Note # 14 Inventories	31 March 2024	31 March 2023
(a) Publication & Study Materials	1,342	995
Less : Provision for obsolete publication stock	(104)	(249)
(b) Stationery & Stores	32	46
Total	1,270	792

(₹ in Lakhs)

Note # 15 Loans and advances	Long Term		Short Term	
	31 March 2024	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023
(a) Loans and advances				
(i) Employees	1,225	1,206	359	402
(ii) Others	-	-	147	1,143
Sub-Total-(a)	1,225	1,206	506	1,545
(b) Other loans and advances				
(i) Prepaid expenses	-	14	940	841
(ii) Tax deducted at source receivable	-	-	2,234	1,489

(iii) GST on advance received from members	157	122	156	219
(iv) GST input credit receivable	-	-	2,122	1,831
(v) Security Deposits	-	88	626	392
Sub-Total-(b)	157	224	6,078	4,772
Total (a+b)	1,382	1,430	6,584	6,317

(₹ in Lakhs)

Note # 16 Other non-current assets	31 March 2024	31 March 2023
(a) Interest accrued but not due on deposits		
i) Interest Accrued-Staff	296	-
Total	296	-

(₹ in Lakhs)

Note # 17 Receivables	31 March 2024	31 March 2023
(a) Receivable from Customers	1,466	1,376
Less: Provision for doubtful receivables	(950)	(681)
(b) Receivable from CABF	289	300
(c) Electronic Cash and Credit (GST)	2,695	1,261
(d) Others	606	566
Total	4,106	2,822

(₹ in Lakhs)

Note # 18 Cash and Bank Balances	31 March 2024	31 March 2023
A Cash and cash equivalents		
(a) Fixed Deposits with original maturity of less than three months	-	3,000
(b) Cash on hand	23	21
Sub-Total (A)	23	3,021
B Other bank balances		
(a) Earmarked Bank Deposits	6,645	6,369
(b) Deposits with original maturity for more than 3 months but less than 12 months	80,416	32,741
(a) Bank Balances	7,611	8,554
Sub-Total (B)	94,672	47,664
Total (A + B)	94,695	50,685

(₹ in Lakhs)

Note # 19 Other current assets	31 March 2024	31 March 2023
(a) Interest accrued but not due on Investment		
i) Interest Accrued-Investment	3,956	9,597
(b) Interest accrued but not due on deposits		
i) Interest Accrued-Fixed Deposits with Banks	2,732	650
ii) Interest Accrued-Staff	66	309
Total	6,754	10,556

(₹ in Lakhs)

Note # 20 : Fees from Rendering of Services	2023-24	2022-23
a) Distance Education Fee	33,097	31,301
b) Class Room Training :		
i) Information Technology Training	5,372	5,043
ii) General Management and Communication Skills	2,464	2,031
iii) Orientation	2,969	3,349
c) Revisionary Classes	976	823
d) Examination	17,173	16,171
e) Membership	14,258	13,854
Less:-Discount on E Journal	(1,761)	(1,651)
f) Entrance & Admission for members : Refer Note No. 2.11 (v) (b)	590	743
g) Income from Firms	88	98
h) Post qualification courses	367	291
i) Certificate courses	919	737
j) Campus Interview Income	962	1,560
k) Seminar income :		
i) Members	5,920	6,805
ii) Students	697	503
l) Expert Advisory	72	58
m) Fee for Filing Disciplinary Cases	44	79
Total	84,207	81,795

(₹ in Lakhs)

Note # 21 : Sale of Publication & other Items	2023-24	2022-23
i) Publications	2,302	811
ii) Goods	8	3
iii) Journal :-		
a) Members	3	2
b) Students	10	19
iv) Scrap Items	70	99
Total	2,393	934

(₹ in Lakhs)

Note # 22 : Restricted funds	2023-24	2022-23
i) Interest on Medal & Prizes Funds	22	21
ii) Interest on Student Scholarship Funds	17	15
Total	39	36

(₹ in Lakhs)

Note # 23 : Other Income	2023-24	2022-23
i) Interest on Bank Deposit	3,575	2,332
ii) Interest on Investment	5,732	6,942
iii) Interest on Designated Funds :-		
a) Research Funds	266	253
b) Accounting Research Building Fund	95	90
c) Education Fund	4,655	4,116
d) Students Skills Enrichment Board (BoS Scholarship)	860	800
e) Sinking Fund for repair and replacement of assets	2,747	2,496
f) Employees Benevolent Fund	120	108
g) Other Designated Funds	93	93
iv) Interest on Staff Loan	97	88

v) Net Gain on sale of investments	-	-
vi) Advertisement Income	230	141
vii) Election Income	-	1
viii) Interest on Income Tax Refund	72	261
ix) Profit on sale of Fixed assets	-	528
x) Provision no longer required written back	397	4,342
xi) Prior Period Income-net	213	87
xii) Miscellaneous Income	345	458
Total	19,497	23,136

(₹ in Lakhs)

Note # 24 : Cost of Publications	2023-24	2022-23
A) Purchases of stock-in-trade	7,362	4,055
B) Changes in inventories of stock-in trade		
l) Inventories at the beginning of the year	746	751
ll) Inventories at the end of the year	1,238	746
(Increase)/decrease in inventories of stock-in-trade (C = I - II)	(492)	5
Total (A + B)	6,870	4,060

Note # 25 : Employee benefits expense	2023-24	2022-23
a) Salaries, wages, bonus and other allowances	13,231	14,046
b) Contribution to provident and other funds	912	1,225
c) Gratuity expenses	207	216
d) Staff welfare expenses	205	181
Total	14,555	15,668

Note # 26 : Depreciation and amortization expense	2023-24	2022-23
a) On tangible assets (Refer note 10)	3,203	3,064
b) On intangible assets (Refer note 11)	208	217
Total	3,411	3,281

Note # 27 : Finance cost	2023-24	2022-23
a) Loss on foreign exchange transactions (net)	15	41
Total	15	41

Note # 28 : Restricted funds	2023-24	2022-23
1 Payments to Medal & Prizes Funds	15	18
2. Payments to Student Scholarship Funds	8	2
Total	23	20

(₹ in Lakhs)

Note # 29 : Other Expenses		2023-24	2022-23
1	Seminar Expenses		
	i) Members	7,628	8,035
	ii) Students	2,546	1,971
2	Class Room Training expenses		
	i) Information Technology Training	2,371	1,904
	ii) General Management and Communication Skills	1,556	1,339
	iii) Orientation	1,425	1,477
3	Revisionary Classes expenses	765	705
4	Meeting expenses	3,068	2,329
5	Office expenses	1,566	1,119
6	Power and Fuel	1,307	1,264
7	Repairs & Maintenance	2,392	2,005
8	Insurance	172	93
9	Rent, Rate & Taxes	6,598	5,668
10	Travelling & Conveyance	479	445
11	Overseas Expenses :		
	i) Membership Fees	857	775
	ii) Travelling	436	203
	iii) Others	390	168
12	Auditor's remuneration :		
	i) Head office	18	16
	ii) Other offices	90	78
13	Printing and Stationery	3,318	3,406
14	Communication expenses	3,794	2,895
15	Internet & Web Maintenance Charges	2,802	2,381
16	Legal and Professional Fees	8,941	8,318
17	Manpower & others services	6,085	3,344
18	Advertisement	790	559
19	Bank Commission	289	272
20	Loss on sale of Property, Plant and Equipment	45	9
21	Provision for Doubtful Debts and Advance	368	634
22	Payments to Earmarked Funds		
	a) Students Skills Enrichment Board (BoS Scholarship)	560	491
	b) Employees Benevolent Fund	1	5
23	Merit Scholarship	9	196
24	Election Expenses	2	183
25	Interest Expenses	17	9
26	GST Expenses	736	1,196
27	Magazines & periodicals	64	45
28	Provision for Publication Obsolete Stock	10	274
29	Contribution to CASBF [Refer Note 2.12 (f)]	255	201
30	Expenses of other entities	206	215
	Total	61,956	54,227

Disclosure under Accounting Standards**30 Additional Notes to the Financial Statements**

30.01 Contingent liabilities and commitments

(₹ in Lakhs)

a. Contingent liabilities

2023-24 2022-23

i) Claims against the Institute not acknowledged as debts 1,844 987

ii) In financial year 2018-19, The Institute received two show cause notices of ₹ 15,797 lakhs from the Additional Director General, Goods and Service Tax Intelligence for payment of service tax on annual fee, certificate of practice fee, entrance fee, Seminar Fees and Coaching Class Fees etc. The Institute is of the opinion that it is not liable to service tax and filed writ petition No. 3957/2019 in High Court of Delhi in April 2019. Additional Director General, DGCEI, Kochi filed a Counter affidavit against the aforesaid writ petition in October 2019 against which the Institute filed a rejoinder affidavit in December 2019. Due to Covid-19 pandemic, the matter being adjourned from time to time was heard in July 2022 wherein Hon'ble High Court gave directions that the respondent should file the Counter Affidavit within four weeks and rejoinder affidavit thereafter. The next hearing is scheduled on 21st November, 2024.

b. Capital Commitments

2023-24 2022-23

Capital Commitments (Net of advances) 11,403 8,506

30.02 Other Receivables in Note 17 # include ₹ 243.75 Lakh for stamp duty refund receivable on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur.

Last year vide judgement dated 03.07.2023, the Chief Controlling Revenue Authority, Pune in Appeal No. 38 & 39/2014 had ordered refund of stamp duty of Rs 152.66 lakhs and Rs.46.75 lakhs respectively paid on the supplementary sale agreement dated 03.08.2012 registered on 17.09.2012. However, the claim of Rs. 44.34 lakhs was declined due to non-entitlement against assignment of lease hold rights in land.

Writ petitions bearing Nos. 2987 of 2024 (challenging Appeal No. 39 of 2014) and Writ Petition No. 2988 of 2024 (challenging Appeal No. 38 of 2014) were filed before the Bombay High Court

During the year, refund of Rs 42.07 lakhs was received against Appeal No. 39/2014 after making deducting 10% as per Section 22A of the Maharashtra Stamp Rules 1939 which has been expensed off.

30.03 The report of the detailed review of various reserves and earmarked funds was received during the year and is being reviewed to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

30.04 The quoted investments in Government securities have been made for the long term. The market price of these bonds fluctuate on a day to day basis, since the intention of the Institute is to hold these securities for long term, any temporary decline in the value of these securities against the cost is not provided for as the management is confident that in the long run the market price of these securities will be more than its cost.

30.05 In the case of inter unit accounts relating to assets and liabilities, the unreconciled differences aggregate to ₹ 456 Lakhs in debit and ₹ 346 Lakhs in credit. The net difference of ₹ 110 Lakhs has been included under in Other Receivables. The Management is confident that, on reconciliation, the impact on the financials is not likely to be material.

30.06 The study circles, study chapters and overseas chapters are separate entities and their accounts are not consolidated.

30.07 Ineligible input tax credit, input credit attributable to exempted supplies has been charged off to the Income and Expenditure Account under 'GST on expenses'.

30.08 Lease period of land for a unit has expired, for which steps are being taken to renew the same. Renewal Lease Premium shall become due once confirmation is received from the relevant authorities.

30.09 The Institute is registered under section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961. As such, no provision for current income tax and deferred tax is considered necessary.

- 30.10 As part of the process regarding compliance with Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006, initiated earlier, the Institute has received information from certain vendors at head office stating their status as vendors registered with notified authority under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006.
- With regard to the vendors at branches and other locations, steps have already been initiated for the identification etc of vendors and the same will be complied with once the process is complete.
- 30.11 On account of New Scheme of Education for the Distance Education Course from 01.07.23, the period for recognition of income based on the student's first attempt due from date of registration into respective level of CA course. The impact of the above change has resulted in reduction of current year income by Rs 1,843 lakhs with a corresponding increase in Fee Received in Advance.
- 30.12 The appropriations to various funds have been done on pro-rata basis by restricting the same to the available surplus.
- 30.13 Due to flood in the area of Tuticorin branch of SIRC, all records prior to December 2023 have been destroyed and the records are available from Jan.2024 onwards only. The financial statements have been prepared on the basis of data available in the accounting software.
- 30.14 The Management has identified the Secretary ICAI, being the Chief Executive Officer under Section 16(1) (a) of the Chartered Accountants Act, 1949, as the Key Managerial Personnel for reporting under AS18. The gross remuneration including PF Contribution paid to him in the financial year 2023-24 is Rs. 61.16 lakhs and there is no outstanding balance in this regard as on 31.03.24

Disclosure under Accounting Standards

31 Employee Benefits Defined Benefit plans

The Institute has recognised an amount of ₹ 912 lakhs for the year ended March 31, 2024 (Previous year ₹ 913 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees Gratuity :

Funded

Post retirement Pension : Funded

Compensated Absence: Non-Funded

31.01 Details of the Gratuity Plan are as follows

(₹ in Lakhs)

Description	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year	4,346	4,250	4,480	4,003
b. Current service cost	507	464	449	429
c. Interest cost	306	292	284	257
d. Actuarial (gain)/loss	(296)	(271)	(422)	180
e. Benefits paid	(372)	(389)	(541)	(389)
f. Obligation as at end of the year	4,491	4,346	4,250	4,480
2. Change in fair value of plan assets				
a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	3,777	3,705	3,695	4,172
b. Expected return on plan assets	276	266	255	268
c. Actuarial gain/(loss)	17	3	13	6
d. Contributions made by the Institute	417	224	140	49
e. Benefits paid	(348)	(421)	(398)	(800)
f. Fair value of plan assets as at end of the year	4,139	3,777	3,705	3,695
3. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
a. Present value of obligation	4,491	4,346	4,250	4,480
b. Fair value of plan assets	4,139	3,777	3,705	3,695
c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(352)	(569)	(545)	(785)

Details of the Gratuity Plan (Contd...)

(₹ in Lakhs)

Description	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
4. Expenses recognised during the year				
a. Current service cost	507	464	449	429
b. Interest cost	306	292	284	257
c. Expected return on plan assets	(276)	(266)	(255)	(268)
d. Actuarial (gain)/loss	(313)	(274)	(435)	174
e. Expenses recognised during the year	224	216	43	592
5. Investment details	% invested	% invested	% invested	% invested
a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India	100	100	100	100
6. Assumptions				
a. Discount rate (per annum)	7.23%	7.36%	7.20%	6.75%
b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	7.36%	7.20%	7.16%	7.07%
c. Rate of escalation in salary	Basic / DA : 10%			
d. Attrition rate	2%	2%	2%	2%
e. Mortality table	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

31.02 Details of the Post Retirement Pension Plans (Contd...)

Description	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year	10,405	17,196	15,529	14,840
b. Interest cost	750	954	1,027	980
c. Actuarial (gain)/loss	202	335	1,304	351
d. Benefits paid	(563)	(8,080)	(664)	(642)
e. Obligation as at end of the year	10,794	10,405	17,196	15,529
2. Change in fair value of plan assets				
a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	8,140	-	-	-
b. Expected return on plan assets	556	72	-	-
c. Actuarial gain/(loss)	-	15,600	-	-
d. Contributions made by the Institute	(563)	(7,532)	-	-
e. Benefits paid	41	-	-	-
f. Fair value of plan assets as at end of the year	8,174	8,140	-	-

Details of the Post Retirement Pension Plans (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Description	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
3. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
a. Present value of obligation	10,794	10,405	17,196	15,529
b. Fair value of plan assets	8,174	8,140	-	-
c. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	(2,620)	(2,265)	(17,196)	(15,529)

4. Expenses recognised during the year				
a. Interest cost	750	954	1,027	980
b. Expected return on plan assets	(556)	(72)	-	-
c. Actuarial (gain)/loss	202	335	1,304	351
d. Expenses recognised during the year	396	1,217	2,331	1,331
5. Assumptions				
a. Discount rate (per annum)	7.41%	7.26%	7.25%	6.75%
b. Mortality table	LIC 2012-14 Ultimate	LIC 2012-14 Ultimate	LIC 2012-14 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate

31.03 Employee Benefits (Contd..) Details of Leave Encashment

Description	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year	6,356	6,071	5,638	5,535
b. Current service cost	417	390	403	397
c. Interest cost	459	426	369	366
d. Actuarial (gain)/loss	199	(248)	10	(434)
e. Benefits paid	(247)	(283)	(349)	(226)
f. Obligation as at end of the year	7,184	6,356	6,071	5,638
2. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
a. Present value of obligation	7,184	6,356	6,071	5,638
b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	(7,184)	(6,356)	(6,071)	(5,638)
3. Expenses recognised during the year				
a. Current service cost	417	390	403	397
b. Interest cost	459	426	369	366
c. Actuarial (gain)/loss	199	(248)	10	(434)
d. Expenses recognised during the year	1,075	568	782	329
Description	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
4. Assumptions				
a. Discount rate (per annum)	7.36%	7.23%	7.20%	6.75%
b. Rate of escalation in salary	Basic / DA : 10%			
c. Attrition rate	2%	2%	2%	2%
d. Mortality table	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

32 National Pension Scheme

All employees who have joined on or after 01st June 2018 are covered under National Pension Scheme

33 Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "regulation and development of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

34 From this year, The Institute has followed the financial reporting format given in the Technical Guide on Accounting for Not For Profit (NPO) Organizations. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Sudeep Shrivastava Additional Secretary	CA (Dr.) Jai Kumar Batra Secretary	CA Charanjot Singh Nanda Vice-President	CA Ranjeet Kumar Agarwal President

As per our report of even date

For Arun K Agarwal & Associates

Chartered Accountants
FRN : 003917N

CA Lokesh Kumar Garg
Membership No. 413012
Partner,

Place: New Delhi

Dated: 17th September, 2023

For S K Mittal & Co.

Chartered Accountants
FRN : 001135N

CA S. Murthy
Membership No. 072290
Partner,

CA RANJEET KUMAR AGARWAL, President

[ADVT.-III/4/Extty./531/2024-25]